

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	04/05
03. Referee Board	06
04. Spokesperson	08

(Science / विज्ञान)

05. Physical And Biological Change Of Chambal River When It Pass Through Nagda Town And Condition Of Place Which Is Near To River (Madhya Pradesh) (Dr. Archana Kushwaha, Deepak Parmar)	10
06. Global Warming (Dr. Neeraj Dubey)	14
07. Synthesis of some 3 Methoxy-2 -Styryl quinolines as possible antimalarial (Malti Dubey (Rawat)) ..	17
08. Thermal Energy (Dr. Neeraj Dubey)	19

(Home Science / गृह विज्ञान)

09. महिलाओं के मासिक धर्म में स्वास्थ्य एवं आहार (डॉ. मीनल फड़नीस, नेहा श्रीवास्तव)	21
---	----

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

10. Estimation Of Alpha For Exponential Smoothing To Forecast Soyabean Prices (Dr. B.S. Zare)	24
11. Green Marketing Awareness Among People (Special Reference To Gwalior And Morena)	28
(Dr. Meenakshi Maheshwari)	
12. Role Of Intellectual Property Right In India (Dr. Deepali Behere)	32
13. Impact Of Demonetization On Corruption And Black Money (Dr. Jasvinder Singh Bhatia)	35
14. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियों की निधि के स्रोत का अध्ययन (प्रियंका अनिजवाल)	39
15. औद्योगिक ढाँचा, योजनाएं तथा मध्यप्रदेश में निवेश (ज्योति विश्वकर्मा)	43
16. जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के विनियोग का अध्ययन (डॉ. महेश शर्मा, प्रियंका अनिजवाल)	46
17. ग्रामीण कृषकों की ऋणग्रस्तता का अध्ययन (रतलाम जिले के विशेष सन्दर्भ में) (मोनिका कूदालिया)	51

(Economics / अर्थशास्त्र)

18. Urbanization Scheme Of The Government - Housing For All By 2022 (Dr. Archana Singhal)	53
19. Consumer Behavior Applications To Real Estate (Dr. Aruna Kusumakar)	56
20. नरसिंहपुर जिले में सिंचाई विकास एवं भूमिगत जल स्तर (मिताली पॉल)	59
21. संगठित खुदरा बाजार (मॉल) का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का अध्ययन (इन्दौर शहर के विशेष सन्दर्भ में) (अलका शर्मा)	62
22. राजस्थान में निर्धनता उन्मुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन (नीलू मारु)	65
23. बालाघाट जिले की बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन (डॉ. महेश कुमार धुर्वे, डॉ. सुधन्वा सिंह नेताम)	68
24. मध्यशोध शासन की विभिन्न योजनाएँ (डॉ. शशि किरण नायक, डॉ. रोहिणी त्रिपाठी)	71

(History / इतिहास)

25. स्वायत्त शासन के अन्तर्गत कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों का कार्यकरण (हितेश)	73
26. गुप्तकालीन स्त्रियों के केशविन्यास एवं सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन (डॉ. ममता खोईया)	76
27. सन् 1857 ई. की क्रान्ति में खाज्या नायक का योगदान (धीरेन्द्र)	78
28. प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्र के रूप में तक्षशिला का मूल्यांकन (सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे)	80

(Sociology / समाजशास्त्र)

29. आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती का विकास योजना का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन (शीला मांडेकर, डॉ. अर्चना गौर) 82
30. एचआईवी/एड्स के प्रति महिलाओं की जनजागरूकता (वर्तमान संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषणात्मक 85
शोध अध्ययन) (डॉ. सुधा सुरेश सिलावट, डॉ. त्रिपत कौर चावला, सुमन सिंह)
31. 21 शताब्दी का बौद्धिक समाज (सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में) (डॉ. नीलिमा खरे) 88
32. सामाजिक समस्या एचआईवी/एड्स का समाजशास्त्रीय अध्ययन (वर्तमान समय वर्ष-2018 में एड्स पीड़ित 91
महिलाओं के विशेष संदर्भ में) (डॉ. सुधा सुरेश सिलावट, डॉ. त्रिपत कौर चावला, सुमन सिंह)
33. जनजातीय समाज - समस्या एवं समाधान (डॉ. नीलिमा खरे) 94
34. ग्रामीण महिलाएँ एवं भारतीय सामाजिक विधान - एक सर्वेक्षणत्मक अध्ययन (डॉ. बन्दना वर्मा) 97
35. आनर किलिंग- खाप पंचायतों पर प्रतिबंध और कानून (ज्योति मेहता) 100
36. अभिजात महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का समाज पर प्रभाव (डॉ. रोमा श्रीवास्तव) 102
37. वैवाहिक जीवन में हिंसा के कारण एवं समाधान (डॉ. सुशीला गोयल) 104

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

38. Exploration Of Affective Responses To The Significance Of English Language Learning 106
(Arpana Shrivastava)
39. Social Realism As A Concept In The Selected Novels Of Munshi Premchand (Ravindra Kumar) 111
40. Mulk Raj Anand's *Untouchable* a scathing indictment on caste-system and exposes the 114
callousness and hypocrisy of the caste Hindus (Waseem Akram)

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

41. गोंड़ी लोकगीतों में सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन (डॉ. सरोज बाला श्याम) 117
42. रागात्मकता की उर्वर भूमि में पल्लवित नवगीत- 'कस्तूरी यादें' (डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, डी.लिट्) 119
43. गोंड़ जनजाति के प्रचलित राजनैतिक अभिव्यक्ति के लोकगीतों का अध्ययन (डॉ. सरोज बाला श्याम) 124
44. हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान (डॉ. साधना जैन, विनीता प्रजापति) 126
45. संत प्रवर भगवानदास निरंजनी की अध्यात्म साधना में योग की भूमिका (ऋतु व्यास) 129
46. उषा देवी मित्रा के कथा-साहित्य में चित्रित सामाजिक जीवन (डी.पी.चन्द्रवंशी, डॉ. रेखा दुबे) 132
47. अपने-अपने अजनबी उपन्यास में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 135
48. हिन्दी भाषा साहित्य में पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन (डॉ. साधना जैन, विनीता प्रजापति) 137
49. कबीर की भक्ति साधना (डॉ. शिप्रा वर्मा) 140

(Drawing / चित्रकला)

50. बोधगया स्तूप में मूर्ति कला अंकन (डॉ. सुदीप शर्मा) 142
51. राजस्थानी लोककला में मांडवा (बबीता यादव) 145
52. कलाकार की मनोवृत्ति और सामाजिक परिवेश (बबीता यादव) 147

(Education / शिक्षा)

53. समावेशी शिक्षा के प्रति हनुमानगढ़ जिले के विज्ञान व कला संकाय के छात्राध्यापकों की जागरूकता का 149
तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. रेखा सोनी)

54. हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं समायोजन का अध्ययन (डॉ. राजेश शर्मा)	151
55. बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (ऋचा शर्मा)	153
56. महिलाओं का शिक्षा के द्वारा विकास (मृदुलता सिकरवार)	156
57. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं रूसो के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. राजेन्द्र कुमार)	158
58. नरसिंहपुर जिले में जलवायु परिवर्तन प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. अजय तिवारी)	160
59. शिक्षण संस्थानों में ई-लर्निंग शिक्षा से शिक्षा में आए बदलाव (मृदुलता सिकरवार, डॉ. मोनिका मालविया)	162
(Others / अन्य)	
60. Haveli Of Sham Singh Atari (Unrevealed Heritage) (Dr. Rupali Razdan)	164
61. डॉ. राममनोहर लोहिया के चिन्तन की प्रासंगिकता (डॉ. अरविन्द यादव)	167
62. ध्रुवपद - एक यात्रा (डॉ. दीप्ति गेड़ाम परमार)	169
63. धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 भरण-पोषण : सामाजिक विधिक चिंता (नम्रता ताम्रकार)	171
64. मध्यप्रदेश में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियाँ (डॉ. मुमुक्षा जैन)	174
65. अवन्तिका की संगीत परम्परा में, संगीत, साहित्य, ललितकला का अन्तर्संबंध एवं प्रभाव (डॉ. कमलेश कुमार राठौर)	178
66. कविता-शिक्षण : कतिपय अपेक्षाएँ (डॉ. उमा सैनी)	180
67. Growth of Digitalization of Economy in India (Dr. Poonam Singh)	182
68. निमाड़ के सन्त सिंगाजी का साहित्यिक योगदान (डॉ. मधुसूदन चौबे)	187
69. निमाड़ के जनप्रिय सन्त भावसिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व (डॉ. मधुसूदन चौबे)	189
70. Literary Value of Myth and Symbol (Dr. Rajkumari Sudhir)	191
71. Impact of the Buddhist Stand Point in the Works of T.S. Eliot (Arvind Kumar Srivastava)	194
72. Diversity of Mangroves from Panvel, Navi Mumbai, West Coast of India (Aamod N. Thakkar)	199
73. Analyzing the Impact of Green Marketing on Consumer's Buying Behavior with Respect to Automobile Sector (Dr. Sanjay Patni)	202
74. Hindrances in Quality Management Overcome Barriers to Quality Management (Dr. Nilesh Gangwal)	208
75. Business Process Outsourcing (Emerging, Issues and Challenges) (Dr. Sanjay Bhavsar)	210
76. कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तक के संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का अध्ययन (डॉ. गंगाराम वास्केल)	212
77. बागपत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन (डॉ. सतीशपाल सिंह)	216
78. Inclusive Education: Education for Children with Special Needs (Dr. Shubha Goel)	220
79. Chemical Parameters of Water Quality (Dr. Shobha Gupta)	225
80. भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति का प्रभाव (डॉ. हरिचरण मीना)	230
81. अम्बेडकर एवं सामाजिक न्याय का नया आयाम (डॉ. सोमवती शर्मा)	234
82. Impact of Modernization on Indian Families (Dr. Sandhya Jaipal)	237
83. Changing Roles of Women in Indian Families (Dr. Anjali Jaipal)	241
84. Central Secretariat and Tenure System: A Critical Analysis (Dr. Archana Singh)	245
85. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक तनाव के विभिन्न घटकों यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. आर.पी. जैन, भारती)	247
86. आर्थिक विकास एवं पर्यटन - एक समीक्षा (डॉ. प्रवीण पंड्या)	252
87. 21 वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती- जल प्रबंधन एवं प्रदूषण निवारण (डॉ. पन्नालाल कटारा)	255

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
19. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD, Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
(5) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)
46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Neapanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Physical And Biological Change Of Chambal River When It Pass Through Nagda Town And Condition Of Place Which Is Near To River (Madhya Pradesh)

Dr. Archana Kushwaha* Deepak Parmar**

Abstract - Nagda is an industrial town in the Malwa region of Madhya Pradesh and is situated at the bank of Chambal River. The river receives large amount of contaminated industrial effluent and drainage water from various industrial units and municipal sewage water. The study conducted to assess the water quality of river of Nagda. The study includes the effect on health of the people living in such environment. Samples were collected and the analysis was made involving various physical and chemical parameters. A comparative study was also done by the sample of river at starting and ending point of river at Nagda. A comparison with ISI standards showed that pH, alkalinity, TDS, CaH, DO, COD are different and it is an alarm that lower DO and higher COD TDS and other are not in permissible limit which causes health hazards and death. There should be new and advance filtration plant for all residents of Nagda because person below poverty line cannot afford modern instruments like RO or UV filter etc. The quality of water which is out of the Nagda by river is very poor. It should be unchanged.

Key Words - Physical and chemical analysis, Chambal River water.

Introduction - Nagda is a city in Ujjain district in the Indian state of Madhya Pradesh. It is an industrial town in the Malwa region of western Madhya Pradesh and is situated on the bank of Chambal River.

The name of the town was actually *nag-dah* which means cremation/burning (*dah*) of snakes (*nag*). The ancient city was developed by King Janmejaya. Janmejaya was a Hindu King of Pandava Dynasty. Nagda was mentioned in the literature of Kalidasa. Presently, Nagda is a major industrial town having manufacturing unit of Viscose fibre, thermal power plant and a chemical plant, it is a major ISO granted railway junction on the Delhi-Mumbai railway line. It is exactly 694 km from both Delhi as well as Mumbai.

People on our earth have been facing so many changes in the physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil. Because day by day increased human population, industrialization, use of fertilizers and man-made activity water is highly polluted with different harmful contaminants. Water is a very vital component of our ecosystem because it binds us with nature. In recent years, most of the water resources are degraded due to population, industrialization and urbanization, affecting the aquatic environment. Safe drinking water is the basic need of people. The residents of town Nagda are not totally dependent on PHED water supply. 50% of the population fetch drinking water from the wells hand pumps even though my college is also not getting treated water. In present study water quality was monitored. During survey it was observed that different kind of diseases such as heart, skeleton deformities, diarrhea, jaundice, arthritis etc. prevalent in the

resident of Nagda. It is therefore the present investigation has been undertaken to evaluate the quality of drinking water. In this investigation water qualities and soil qualities were compared and check what kind of changes come when river pass through any city and what should be done for control it. **(Map see in the last page)**

Methodology - The water samples have been collected from Chambal River. Some samples were starting point of river at Nagda (Nayan) and some samples were ending point of river at Nagda (Bhaghtpuri). Soil samples have been collected from near the river. Because this data can give idea of pollution level of river and some data of production of wheat and soya bean have also been collected from here. Samples were collected in rainy session. Samples were taken in clean and sterilized bottles and analyzed to find out pH, total dissolved solid (TDS), total hardness (TH), calcium hardness (CaH), total alkalinity, fluoride (F), chloride (Cl), chemical oxygen demand (COD), dissolved oxygen (CO) by using of APHA except TDS and pH were analyzed in the laboratory of MP pollution control board (MP) microbiological analysis was carried out in microbiology lab of govt. Soil analyzed was carried out in Soil testing lab Ujjain (MP)

Experiment - There are four steps of the experiment of this paper. Which give a reality of river's pollution and it is show that what the difference between both the places is.

Step I - We have compared two case of two different places case A was starting point of river at nagda here is no pollution and production rate was high and second case B was ending point of river at nagda. There was so much pollution

and production rate was low. In both the place production timing was same and other effort like human work, quality of seed and fertilizers were same.

Case A - In the starting point of river in the village nayan. Farmers are highly happy and they have been becoming richer. Five farmer's production data of wheat and soya bean have been collected. There is no harmful effect of water and they use river's water in drinking purpose in here they also plant different vegetables in many times. {In central India 1 Bigha=0.2529 hectare}

(See in the next page)

Case B - In the ending point of river in the village Bhaghatpuri. Farmers are highly unhappy and they are stable and are becoming poor. Five farmer's production data of wheat and soya bean have been collected. There are so many harmful effect of water and they don't use of river's water in drinking purpose in here they don't plant vegetable in any times because so many time plants are totally burnt by water and corn cannot be planted in here.

(See in the next page)

Step II - The second point is given more idea about side effect of polluted of water which is the progress of sapling. If we compare length of sapling of soya bean we found that length of sapling is low as compare to the length of sapling of starting point of river at Nagda this is due to the water quality. So many farmer are very afraid to use of river water because so many time they found that suddenly their saplings finished due to water of river.

(See in the next page)

With the help of these data we can understand. What is the difference between both the area and condition of farming place on there? There are so many difference regarding to productivity and quality wise. Which should not be differ!

Step III - In this process we compared quality of river water of both side. Parameters just like pH, alkalinity, TDS, cond., salt, turbidity, DO, COD, Hardness and Physical Appearance have been used.

Parameters of water sample	Sample of river at starting point at nagda	Sample of river at ending point at nagda
Turbidity	7.57NTU	10.23NTU
pH	7.8	8.00
Conductivity	353 μ s	362
TDS	250ppm	257ppm
Salt	159ppm	163ppm
Alkalinity	210mg/l	320mg/l
Hardness	450ppm	600ppm
CDO	12mg/l	26mg/l
Physical Appearance	Clean and colorless	Slightly Blackish particle and dirty smell

Step IV - In this process we collected two samples of soils from near to starting point of river at Nagda and near to

ending point of river at Nagda Both the samples were looked very different first sample was dark black and very soft and second was light black and die type. These samples were sent to soil testing department Ujjain for testing. This result can be a great evidence of pollution of river because soil is directly connected to river and it absorb pollutant of river. Soil should be have same quality.

In these result of soil quality is not same for both the place like pH, Zinc, Sulfur copper, Boron etc. Which is given an idea about pollution. after the research of this topic it is clear that day by day these data will be more disturb and this condition is all most same to other river.

Result - These data is indicated that both the place have a large difference in quality and So many farmers have been affected by using of this river's water. It is also indicate that what is going on and what are we giving to our ahead places of our town because river's water quality is totally changed when it is pass our town. River is not only our property it is for all and every city and village are depend to it. All cities do like this then at the end of the river it will become a wastage water No one will able to use it.

Conclusion - It is not only Nagda Town problem it is a general problem. We can study on this type of other river like The Ganga, The Yamuna. I think government should take following change


1. They should give this responsibility to their Nagar Palika to watch the quality of water and it should not change after pass through your town
2. You can take help by industries which are in your area and which are through their waste into the River.
3. Nagar Palika or Nagar Nigam should collect all municipal waste water before adding to river and do some purification treatment and control this waste.
4. Nagar Palika or Nagar Nigam should aware to people to utilization of waste water.

Acknowledgement - I am very much grateful of Dr. ARCHANA KUSHWAHA, and M.P. Pollution Control Board, Ujjain 17 Bhartpuri, Ujjain for providing the facilities of analysis of water samples and soil samples.

References :-

1. APHA standard methods for the examination of water and waste water 20th edition 2005
2. physic-chemical and biological assessment of drinking water of town Nagda Archanakushwaha 2013, ISSN NO.0973-1628
3. Ground Water Recharge Lavatory Water Rajpal Singh Kushwah JECRC University Jaipur India ISSN: 2347-7741
4. Enhancing Water Management Awareness in the Students of Secondary school through Inquiry based Teaching model Priti kumara Dr S.K. Arora Keshav Jindal Suresh GyanVihar University Rajasthan ISSN: 2347-7741
5. Solar Distillation Techniques for waste water Utilization Abhishek Singh Suresh GyanVihar University Rajasthan ISSN: 2347-7741

6. Seasonal Variation in SirpurTalab soil of Indore (M.P.): Johnson Malini, Billore D.K.
7. Alangumuthu, G. and M.RajanRasayan J. Chem, 2008 1(4) 757-765.
8. Deka,R. M. ;B.K.Baruah and J. Kalita 2007,26(4), 699-701
9. Indian standard specification for drinking water ,New Delhi 2003 ,10500-91
10. Garg, D.;R. Kaur,D Chand, S.K. Mehala and R.V. Singh Rasayan J. Chem. ,2008,1(4),802-818
11. Trivedi, R.K. and Goyal P.K., Chemical and biological method for water studies. Environmental Publishers Karad, 1986
12. Kumari, S. B.; A. KavithaKirubavathy and RajammalThirumalnessan Indian J. Environ. Biol. 200627(4),709-712
13. Reza, R. and G. Singh , J. of American Sci., 2009 5(5), 53-58
14. WHO Guidelines for Drinking Water Quality. Recommendation ,Genewa, 2008, 1,130-135
15. Elizabeth, K. M. and Premnath, N. L. Pollution research 2005,24(2), 337-340
16. Gupta , N. ;Jain, S.K. :Ratnesh, C. U.; Hossain, S. and Venkatesh, S. Indian Journal of Peditrics 2007, 74, 49-54
17. Ramteke, P. W.; Bhattacharjee, J. W.;Pathak ,S P. and Kalra,N. Journal of Applied Bacteriology, 1992, 72, 352-356
18. Nath, D.; Mandal,L. N.; Tripathi, S. D. and Karmakar, H. C. Journal of the Indian Fisheires Society of India 1994, 26, 106-115
19. Desai, P. V. Indian pollution research ,1995 ,Indian pollution research 1995 , 14(4),377-382
20. Brick, T, Primrose, B.; Chandrasekhar, R.; Roy, S and Kang. G. International Journal Hygien, Environment and Health,2004,207, 473-480A
21. Berge,B.,Mc Claugherty,C.,(2002):Plant liter decomposition humus,springer-verlag, New York



Farmers	Place of farmer in previous time (hectares)	Place of farmer in present time (hectares)	Normal Production of wheat in quintal per hectares	Normal Production of soya bean in quintal per hectares	Condition of farmer
Farmer A	12.4	31	48	27	Happy and rich
Farmer B	62	155	40	25	Happy and rich
Farmer C	40.3	62	44	27.9	Happy and rich
Farmer D	74.4	93	46	24	Happy and rich
Farmer E	24.8	49.6	45	24	Happy and rich

Farmers	Place of farmer in previous time (hectares)	Place of farmer in present time (hectares)	Normal Production of wheat in quintal per hectares	Normal Production of soya bean in quintal per hectares	Condition of farmer
Farmer A	10	5	36	12	unhappy and poor
Farmer B	15	12	40	15.3	unhappy and poor
Farmer C	20	15	32.4	12.7	unhappy and poor
Farmer D	12	10	40.9	13.8	unhappy and poor
Farmer E	20.8	20.6	34.9	10.2	unhappy and poor

Condition of sapling at near of Staring point of river in nagda	Condition of sapling at near of ending point of river in nagda
Soya bean Planting date 11-Aug-2017	Soya bean Planting date 10-Aug-2017
Length of sapling 70-80cm	Length of sapling 50-60cm
No. of beans in a saplings of soya bean 16-21	No of beans in a saplings of soya bean 15-18
Remark-there is no disease of plant in here.	Remark-It has some disease like dry the plant and it is become yellowish in raining time.

S.NO.	PARAMETERS	RESULT	Soil sample at the starting point ofNagdajn	Soil sample at the ending point ofNagdajn.	UNIT	STANDERS
01	pH	7.15		6.75	-	Acidic less than 6.5 Normal 6.5-8.2 Basic more than 8.2
02	Organic Carbon{O.C.}	0.13		0.94	%	Low less than 0.5 Medium 0.5 to 0.75 High more than 0.75
03	Nitrogen{N} Available	137.7		300	K.gm/Hectare	Low less than 250 Medium 250 to 400 High more than 400
04	Phosphorus {P} Available	48.26		60	K.gm/Hectare	Low less than 28 Medium 28 to 56 High more than 56
05	Potassium {K} Available	208.0		300	K.gm/Hectare	Low less than 0.5 Medium 0.5 to 0.75 High more than 0.75
06	EC	1.5		0.71	M.L./mhoj	Low less than 1 Medium 1 to 3 High more than 3
07	Zinc {Zn} Available	0.18		1.2	Ppm	Low less than 0.5 Medium 0.5 to 1.0 High more than 1.0
08	Sulfur{S} Available	15		22	Ppm	Low less than 10 Medium 10 to 20 High more than 20
09	Copper {Cu}Available	0.46		1.68	Ppm	Low less than 0.2 Medium 0.2 to 0.4 High more than 0.4
10	Boron {B}Available	0.90		1.38	Ppm	Low less than 0.45 Medium up to 0.45 High more than 0.45

Global Warming

Dr. Neeraj Dubey*

Introduction - Global Warming is the increase of Earth's average surface temperature due to effect of greenhouse gases, such as carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation, which trap heat that would otherwise escape from Earth. This is a type of greenhouse effect.

Earth's climate is mostly influenced by the first 6 miles or so of the atmosphere which contains most of the matter making up the atmosphere. This is really a very thin layer if you think about it. In fact, if you were to view Earth from space, the principle part of the atmosphere would only be about as thick as the skin on an onion! Realizing this makes it more plausible to suppose that human beings can change the climate. A look at the amount of greenhouse gases we are spewing into the atmosphere, makes it even more plausible.

An increase in the average temperature of the Earth's atmosphere, especially a sustained increase great enough to cause changes in the global climate. Many scientists believe that the Earth has been in a period of global warming for the past century or more, due in part to the increased production of greenhouse gases related to human activity. Global Warming is defined as the increase of the average temperature on Earth. As the Earth is getting hotter, disasters like hurricanes, droughts and floods are getting more frequent. Over the last 100 years, the average air temperature near the Earth's surface has risen by a little less than 1 degree Celsius or 1.3 degrees Fahrenheit. Global warming is the cause, climate change is the effect. Scientists often prefer to speak about climate change instead of global warming, because higher global temperatures don't necessarily mean that it will be warmer at any given time at every location on Earth. Warming is strongest at the Earth's Poles, the Arctic and the Antarctic, and will continue to be so. In recent years, fall air temperatures have been at a record 9 degrees Fahrenheit (5 degrees Celsius) above normal in the Arctic,

The greenhouse effect and global warming are issues that are talked about by geologists all the time. The greenhouse effect is a natural process that keeps the earth at temperatures that are livable. Energy from the sun warms the earth when its heat rays are absorbed by greenhouse gasses and become trapped in the atmosphere. Some of

the most common greenhouse gasses are water vapor, carbon dioxide, and methane. If there were no greenhouse gasses, very few rays would be absorbed and the earth would be extremely cold. When too many rays are absorbed, the earth's atmosphere starts to warm, which leads to global warming. Global warming can lead to many problems that affect the environment in which we live.

Global warming will not just make sea levels rise, it will also affect sea life. Corals? are intolerant of temperatures just a few degrees warmer than usual? Small increases in the temperature can kill corals. There have been problems with corals dying in the past few years because of increased water temperatures. Other marine life may migrate northward or southward because the waters are warmer. The warm water would make them think that they were in their natural habitat, when they were actually migrating toward the poles. Food would be scarce in their new habitat.

Global warming is becoming a major problem as we move to the 21st century and beyond. When more greenhouse gasses like carbon dioxide and methane are released, they trap heat rays and keep them in our atmosphere. This causes an increase in temperature. Increases in temperature can do a lot of damage, even in small increases. Only a few degrees ended the ice age thousands of years ago. Another warming like that can have huge environmental effects.

Changes in temperature will upset water cycles. Some areas will get more precipitation, some will get less. A warming of a few degrees would cause glaciers and sea ice to melt. This would lead to ocean levels rising and would damage coastal cities and islands. It would also cause a disruption in different species living in the ocean and increase the levels of some disease, especially ones carried by mosquitoes, which thrive in warm climates. In order to stop global warming, much has to be done. Although it is very difficult to reverse once the process is started, global warming has to be stopped if we want to live like we are now. Emission of fossil fuels by humans is a big factor in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Controlling these emissions is one of the first of many steps that we must take in order to combat global warming.

If it is not controlled, problems such as the aforementioned ones, along with others, will definitely disrupt our living patterns.

Earth has been in radiative imbalance since at least the 1970s, where less energy leaves the atmosphere than enters it. Most of this extra energy has been absorbed by the oceans. It is very likely that human activities substantially contributed to this increase in ocean heat content.

The warming that is evident in the instrumental temperature record is consistent with a wide range of observations, as documented by many independent scientific groups. Examples include sea level rise, widespread melting of snow and land ice, increased heat content of the oceans, increased humidity, and the earlier timing of spring events. The probability that these changes could have occurred by chance is virtually zero.

The thermal inertia of the oceans and slow responses of other indirect effects mean that climate can take centuries or longer to adjust to changes in forcing. Climate commitment studies indicate that even if greenhouse gases were stabilized at year 2000 levels, a further warming of about 0.5 °C would still occur.

Global temperature is subject to short-term fluctuations that overlay long-term trends and can temporarily mask them. The relative stability in surface temperature from 2002 to 2009, which has been dubbed the global warming hiatus by the media and some scientists, is consistent with such an episode. 2015 updates to account for differing methods of measuring ocean surface temperature measurements show a positive trend over the recent decade.

The climate system can warm or cool in response to changes in external forcing. These are “external” to the climate system but not necessarily external to Earth. Examples of external forcing include changes in atmospheric composition, solar luminosity, volcanic eruptions, and variations in Earth’s orbit around the Sun. The popular media and the public often confuse global warming with ozone depletion, i.e., the destruction of stratospheric ozone by chlorofluorocarbons. Although there are a few areas of linkage, the relationship between the two is not strong. Reduced stratospheric ozone has had a slight cooling influence on surface temperatures, while increased troposphere ozone has had a somewhat larger warming effect.

Global dimming, a gradual reduction in the amount of global direct irradiance at the Earth’s surface, was observed from 1961 until at least 1990. Solid and liquid particles known as aerosols, produced by volcanoes and human-made pollutants, are thought to be the main cause of this dimming. They exert a cooling effect by increasing the reflection of incoming sunlight. The effects of the products of fossil fuel combustion – CO₂ and aerosols – have partially offset one another in recent decades, so that net warming has been due to the increase in non-CO₂ greenhouse gases such as methane. Radiative forcing due to aerosols is temporally limited due to the processes that remove

aerosols from the atmosphere. Removal by clouds and precipitation gives tropospheric aerosols an atmospheric lifetime of only about a week, while stratospheric aerosols can remain for a few years. Carbon dioxide has a lifetime of a century or more, and as such, changes in aerosols will only delay climate changes due to carbon dioxide. Black carbon is second only to carbon dioxide for its contribution to global warming.

A climate model is a representation of the physical, chemical and biological processes that affect the climate system. Such models are based on scientific disciplines such as fluid dynamics and thermodynamics as well as physical processes such as radiative transfer. The models may be used to predict a range of variables such as local air movement, temperature, clouds, and other atmospheric properties; ocean temperature, salt content, and circulation; ice cover on land and sea; the transfer of heat and moisture from soil and vegetation to the atmosphere; and chemical and biological processes, among others.

In terrestrial ecosystems, the earlier timing of spring events, and poleward and upward shifts in plant and animal ranges, have been linked with high confidence to recent warming. Future climate change is expected to particularly affect certain ecosystems, including tundra, mangroves, and coral reefs. It is expected that most ecosystems will be affected by higher atmospheric CO₂ levels, combined with higher global temperatures. Overall, it is expected that climate change will result in the extinction of many species and reduced diversity of ecosystems.

Climate change could result in global, large-scale changes in natural and social systems. Examples include the possibility for the Atlantic Meridional Overturning Circulation to slow- or shutdown, which in the instance of a shutdown would change weather in Europe and North America considerably, ocean acidification caused by increased atmospheric concentrations of carbon dioxide, and the long-term melting of ice sheets, which contributes to sea level rise.

The effects of climate change on human systems, mostly due to warming or shifts in precipitation patterns, or both, have been detected worldwide. Production of wheat and maize globally has been impacted by climate change. While crop production has increased in some mid-latitude regions such as the UK and Northeast China, economic losses due to extreme weather events have increased globally. There has been a shift from cold- to heat-related mortality in some regions as a result of warming. Livelihoods of indigenous peoples of the Arctic have been altered by climate change, and there is emerging evidence of climate change impacts on livelihoods of indigenous peoples in other regions. Regional impacts of climate change are now observable at more locations than before, on all continents and across ocean regions.

References :-

1. IEA (2009). World Energy Outlook 2009. Paris, France: International Energy Agency (IEA). ISBN 978-92-64-

- 06130-9.
2. IPCC SAR WG3 (1996). Bruce, J.P.; Lee, H.; and Haites, E.F., ed. Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56051-9.
 3. National Research Council (2010). America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change;. Washington, D.C.: The National Academies Press. ISBN 0-309-14588-0.
 4. IEA (2009). World Energy Outlook 2009 (PDF). Paris, France: International Energy Agency (IEA). ISBN 978-92-64-06130-9.
 5. National Research Council (2010). America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change;. Washington, D.C.: The National Academies Press. ISBN 0-309-14588-0.

Synthesis of some 3-Methoxy-2-Styryl quinolines as possible antimalarial


Malti Dubey (Rawat) *

Abstract - Different types of quinol were condensed with some-3-Methoxy-aryl aldehydes in the presence of condensing agents, yielded styryl quinolines. Many styryl derivatives are used as the Antimalarial property. So Antimalarial drugs have been synthesized from 8-amiquinoline and 4-amino quinoline.


Key Words:- Quinoline Quinoline Methoxy benzaldehyde, Styryl compound.

Introduction - The antimalarial activity¹⁻² of quinoline derivatives has been extensively studied. Styryl quinolines have been found to possess antiseptic³, antimicrobial⁴ and trypanocidal activity⁵. Many styryl derivatives are used as the starting materials for the synthesis of cyanindyes⁶. Antimalarial drugs have been synthesized from 8-amiquinoline and 4-amino quinoline.

Although the chemotherapeutic properties of large number of substituted 2-styryl-quinolium salts have been rather intensively studied styrylquinolines bearing 3-Methoxy-4 allyloxy-benzaldehyde and 3- Methoxy-4 hydroxy-5- allyl benzaldehyde have not come to notice there fore it seemed of interest to prepare new styrylquinoline bearing these groups for therapeutic evaluation. 3- Methoxy-4 allyloxy benzaldehyde and 3- Methoxy-4 hydroxy-5- allyl benzaldehyde were condensed with 6-chloro, 6 bromo, 6 nitro 6 benzamide quinoldines in the presence of condensing agents styryl-quinolines of the type I and II have been obtained in yield ranging 39 to 92 %



(I)



(II)

R=Cl, Br, NO₂, NHC₆H₅

The structure of the above compounds were supported

by their IR spectra which showed bands at 1678 Cm⁻¹ (Conjugated with ring) 1325 Cm⁻¹ (-N<), 1156 Cm⁻¹ -OCH₃ (in aromatic ring) 1380 Cm⁻¹, 1678 Cm⁻¹ (Phenyl- 1:3:4 substituted) 835 Cm⁻¹ (Phenyl- 1:3 substituted)

Experimental - This starting materials 6-chloro quinoldine 6-bromo quinaldine⁷, 6-nitro quinoldine⁸, 6-benzamido quinoldine⁸ were synthesised by the reported procedure.

Equimolecular amounts of quinoldine and aldehyde were heated in presence of condensing agents such as zinc chloride or acetic anhydride. The hot solution was poured into 20% sodium- hydroxide solution. The mass was pluverised removed by filtration washed well with water and dissolved in concentrated hydrochloric acid on dilution with water the product separated which was suspended in water and made alkaline with ammonium hydroxide.

Difficulties were encountered in the isolation and purification of styryl quinolines. Several solvents such as ethanol, acetone or acetic-acid and mixture of these solvents in appropriate proportions had to be tried for obtaining pure samples.

Table 1 & 2 (See in next page)

Acknowledgement - I am thankful to Dr. B.K. Latta, Professor, Science College, Gwalior M.P. for Valuable guidance

References :-

1. ELDERFIELD etal., J. Amer.Chem. Soc., 70,40 (1948)
2. KENYCN, WIESMER and KWARTLER, Ind. Eng. Chem. 41, 654 (1949)
3. PROC, ROY, Soc., B., 100, 193 (1926)
4. OPANASENKO.E.P., PALU, P.U., KHIM, Farm, E., 11.8(9) 18, 21(1974)
5. PROC ROY, Soc., B., 195, 99 (1929).
6. L.G.S. BROOKER and R.H. SPRAGUE, J.Amer. Chem.Soc., 831,7 (1930)
7. JHONSON and ADAMS, J. Amer. Chem. Soc., 831,7 (1930)
8. F.M.HAMER, J. Chem. Soc., 119, 1432 (1921)

Table 1 : Styryl Quinolines Derived Form 3- Methoxy-4 allyloxy-benzaldehyde

S.	Quinoldine	Styryl-Quinaline R	M.P.O°C	Styryl Quinaline yield % condensing agent		Colour	Formula
				Acetic-Anhydride	Zinc Chloride		
1	6-chloro-Quinoldine	Cl	139	62.0(c)	43.48	yellow	C ₂₁ H ₁₈ O ₂ NCl
2	6-Bromo-Quinoldine	Br	187	34.5(c)	44.37	Red	C ₂₁ H ₁₈ O ₂ BrN
3	6-Nitro-Quinoldine	NO ₂	230	67.4(b)	41.75	Pale yellow	C ₂₁ H ₁₈ O ₄ N ₂
4	6-Benzamido Quinoldine	NHCOC ₆ H ₅	163	29.3(c)	82.31	Brown	C ₂₈ H ₂₄ N ₂ O ₃

Solvent of crystallisation -

b = Acetone

c = Alcohol

Table 2 : Styryl Quinalines derived from 3-Methoxy-4 hydroxy-5-allyl benzaldehyde

S.	Quinoldine	Styryl-Quinaline R	M.P.O°C	Styryl Quinaline yield % condensing agent		Colour	Formula
				Acetic-Anhydride	Zinc Chloride		
1	6-chloro-Quinoldine	Cl	137	63.2(c)	44.6	yellow	C ₂₁ H ₁₈ O ₂ NCl
2	6-Bromo-Quinoldine	Br	182	37.5 (c)	42.59	Red	C ₂₁ H ₁₈ O ₂ NBr
3	6-Nitro-Quinoldine	NO ₂	210	66.4 (b)	47.8	Pale yellow	C ₂₁ H ₁₈ O ₄ N ₂
4	6-Benzamido Quinoldine	NHCOC ₆ H ₅	160	28.5 (c)	80.3	Brown	C ₂₈ H ₂₄ O ₃ N ₂

Solvent of Crystallisation-

b = Acetone

C = Alcohol

Thermal Energy

Dr. Neeraj Dubey*

Introduction - Thermal Energy, also known as random or internal Kinetic Energy, due to the random motion of molecules in a system. Kinetic Energy is seen in three forms: vibrational, rotational, and translational. Vibrational is the energy caused by an object or molecule moving in a vibrating motion, rotational is the energy caused by rotating motion, and translational is the energy caused by the movement of one molecule to another location.

Thermal radiation in visible light can be seen on this hot metalwork. Thermal energy would ideally be the amount of heat required to warm the metal to its temperature, but this quantity is not well-defined, as there are many ways to obtain a given body at a given temperature, and each of them may require a different amount of total heat input. Thermal energy, unlike internal energy, is therefore not a state function.

In thermodynamics, thermal energy refers to the internal energy present in a system due to its temperature. The average translational kinetic energy possessed by free particles in a system of free particles in thermodynamic equilibrium may also be referred to as the thermal energy per particle. In thermodynamics it is often most convenient and precise to think of heat as the transfer of energy, just as work is also a transfer of energy. Heat and work therefore depend on the path of transfer and are not state functions, whereas internal energy is a state function.

Microscopically, the thermal energy may include both the kinetic energy and potential energy of a system's constituent particles, which may be atoms, molecules, electrons, or particles. It originates from the individually random, or disordered, motion of particles in a large ensemble. In ideal monatomic gases, thermal energy is entirely kinetic energy. In other substances, in cases where some of the thermal energy is stored in atomic vibration or by increased separation of particles having mutual forces of attraction, the thermal energy is equally partitioned between potential energy and kinetic energy. Thermal energy is thus equally partitioned between all available degrees of freedom of the particles. As noted, these degrees of freedom may include pure translational motion in gases, rotational motion, vibrational motion and associated potential energies. In general, due to quantum mechanical reasons, the availability of any such degrees of freedom is

a function of the energy in the system, and therefore depends on the temperature.

Heat is the thermal energy transferred across a boundary of one region of matter to another. As a process variable, heat is a characteristic of a process, not a property of the system; it is not *contained* within the boundary of the system. On the other hand, thermal energy is a property of a system, and exists on both sides of a boundary. Classically, thermal energy is the statistical mean of the microscopic fluctuations of the kinetic energy of the systems' particles, and it is the source and the effect of the transfer of heat across a system boundary.

According to the zeroth law of thermodynamics, heat is exchanged between thermodynamic systems in thermal contact only if their temperatures are different. If heat traverses the boundary in direction *into* the system, the internal energy change is considered to be a positive quantity, while *exiting* the system, it is negative. Heat flows from the hotter to the colder system, decreasing the thermal energy of the hotter system, and increasing the thermal energy of the colder system. Then, when the two systems have reached thermodynamic equilibrium, they have the same temperature, and the net exchange of thermal energy vanishes and heat flow ceases. Even after they reach thermal equilibrium, thermal energy continues to be exchanged between systems, but the *net* exchange of thermal energy is zero, and therefore there is no heat.

Thermal energy may be increased in a system by other means than heat, for example when mechanical or electrical work is performed on the system. Heat flow may cause work to be performed on a system by compressing a system's volume, for example. A heat engine uses the movement of thermal energy to do mechanical work. No qualitative difference exists between the thermal energy added by other means. There is also no need in classical thermodynamics to characterize the thermal energy in terms of atomic or molecular behavior. A change in thermal energy induced in a system is the product of the change in entropy and the temperature of the system.

Thermal energy is the portion of the thermodynamic or internal energy of a system that is responsible for the temperature of the system. The thermal energy of a system scales with its size and is therefore an extensive property.

It is not a state function of the system unless the system has been constructed so that all changes in internal energy are due to changes in thermal energy, as a result of heat transfer. Otherwise thermal energy is dependent on the way or method by which the system attained its temperature. Thermal energy can be transformed into and out of other types of energy, and is not generally a conserved quantity. Thermal energy is energy possessed by an object or system due to the movement of particles within the object or the system. Thermal energy is one of various types of energy, where 'energy' can be defined as 'the ability to do work.' Work is the movement of an object due to an applied force. A system is simply a collection of objects within some boundary. Therefore, thermal energy can be described as the ability of something to do work due to the movement of its particles.

Because thermal energy is due to the movement of particles, it is a type of kinetic energy, which is the energy due to motion. Thermal energy results in something having an internal temperature, and that temperature can be measured - for example, in degrees Celsius or Fahrenheit on a thermometer. The faster the particles move within an object or system, the higher the temperature that is recorded.

Thermal energy is directly proportional to the temperature within a given system. As a result of this relationship between thermal energy and the temperature of the system, the following applies: The more molecules present, the greater the movement of molecules within a given system, the greater the temperature and the greater the thermal energy

+ molecules = +movement = + temperature = + thermal energy

As previously demonstrated, the thermal energy of a system is dependent on the temperature of a system which is dependent on the motion of the molecules of the system. As a result, the more molecules that are present, the greater the amount of movement within a given system which raises the temperature and thermal energy. Because of this, at a temperature of 0°C, the thermal energy within a given system is also zero. This means that a relatively small sample at a somewhat high temperature such as a cup of tea at its boiling temperature could have less thermal energy than a larger sample such as a pool that's at a lower temperature. If the cup of boiling tea is placed next to the freezing pool, the cup of tea will freeze first because it has less thermal energy than the pool.

Matter exists in three states: solid, liquid, or gas. When a given piece of matter undergoes a state change, thermal energy is either added or removed but the temperature remains constant. When a solid is melted, for example, thermal energy is what causes the bonds within the solid to break apart.

Heat can be given off in three different processes:

conduction, convection, or radiation. *Conduction* occurs when thermal energy is transferred through the interaction of solid particles. This process often occurs when cooking: the boiling of water in a metal pan causes the metal pan to warm as well. *Convection* usually takes place in gases or liquids in which the transfer of thermal energy is based on differences in heat. Using the example of the boiling pot of water, convection occurs as the bubbles rise to the surface and, in doing so, transfer heat from the bottom to the top. *Radiation* is the transfer of thermal energy through space and is responsible for the sunlight that fuels the earth. Thermal energy is a concept applicable in everyday life. For example, engines, such as those in cars or trains, do work by converting thermal energy into mechanical energy. Also, refrigerators remove thermal energy from a cool region into a warm region.

Coal and diesel are used for the generation of thermal power in India. In fact, coal is the major source of energy used for the production of electricity in those areas that either have no nearby water power sites or are located near coal mines. In states like Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Orissa and Madhya Pradesh, coal is the major source of power. Further, some industrial cities like Kanpur and Ahmedabad are served totally with the electricity generated by coal. Moreover, diesel engines for generating electrical power have been installed basically at small towns of the country. Installed capacity of such power plants is only a few hundred kilowatts.

The modern world is well aware of hydro-electricity. It is derived from a source, which is plentiful and above all renewable. Thermal power plants, on the other hand, use coal, petroleum and natural gas to produce thermal electricity. These sources are of mineral origin. They are also called fossil fuels. Their greatest demerit is that they are exhaustible resources and cannot be replenished by human. Moreover, they are not pollution free as hydro-electricity is. However, electricity, whether thermal, nuclear or hydro, is most convenient and versatile form of energy. It is in great demand by industry agriculture, transport and domestic sectors its use is closely related to productivity and standard of living of the people.

References :-

1. Robert F. Speyer (2012). *Thermal Analysis of Materials. Materials Engineering. Marcel Dekker, Inc. p. 2. ISBN 0-8247-8963-6.*
2. Hans U. Fuchs (2010). *The Dynamics of Heat: A Unified Approach to Thermodynamics and Heat Transfer (2 ed.). Springer. p. 211. ISBN 978-1-4419-7603-1.*
3. S. Blundell, K. Blundell (2006). *Concepts in Thermal Physics. Oxford University Press. p. 366. ISBN 0-19-856769-3.*
4. D.V. Schroeder (1999). *An Introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley. p. 15. ISBN 0-201-38027-7.*

महिलाओं के मासिक धर्म में स्वास्थ्य एवं आहार


डॉ. मीनल फड़नीस * नेहा श्रीवास्तव **

शोध सारांश – सृष्टि का अस्तित्व कायम रखने के लिए ईश्वर ने स्त्री के शरीर में गर्भधारण करने की क्षमता दी है। सदियों से महिलाओं का स्तुतिगान चला रहा है, हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहु आयामी विकास योजनाएं समय-समय पर घोषित भी करती आ रही है। परंतु यह सब होते हुए भी आधुनिक सभ्य एवं सुशिक्षित समाज में महिलाएं शारीरिक एवं मानसिक रोगों से सर्वाधिक पीड़ित पाई जाती हैं।

शब्द कुंजी – महिला, मासिक धर्म, किशोरी, प्री-मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम।


प्रस्तावना – क्या है मासिक धर्म – मासिक धर्म जिसे माहवारी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो हर महिला के साथ होती है। इसमें महिलाओं के शरीर से रक्त प्रवाह होता है। यह प्रभाव महिलाओं के आंतरिक अंग (योनि) से होता है। जैसे ही बालिकाएं 12 से 13 वर्ष की होती हैं तो वह हार्मोन परिवर्तन के कारण कई बदलाव से गुजरती है। खासकर इस उम्र में सबसे बड़ा बदलाव मासिक धर्म का शुरू होना ही होता है। मासिक धर्म 10 से 17 वर्ष तक कभी भी शुरू हो सकता है। जब बालिकाओं को प्रथम मासिक धर्म होता है तो वे तनाव से गुजरती हैं। उन्हें डर और चिंता होने लगती है।

इसका कारण यह है कि जब तक उन्हें मासिक धर्म होना शुरू नहीं होता तब तक उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं होती, आमतौर पर खून देखकर प्रायः वह भयभीत जाती हैं।



मासिक धर्म चक्र

मासिक धर्मचक्र – मासिक धर्मचक्र हर महिला में अलग-अलग होता है। मासिक रक्त स्राव के शुरू होने के दिन पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। अधिकांश महिलाओं में यह 20 दिनों तथा कुछ में 45 दिनों बाद तक आती है। मासिक चक्र के दौरान इस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोनस की उत्पादित मात्रा बदलती रहती है। मासिक धर्म चक्र के पहले भाग में अंडाशय मुख्यतः इस्ट्रोजन का ही उत्पादन करते हैं। जिससे गर्भाशय की भीतरी सतह पर एक मोटी परत का निर्माण इसलिए करता है, ताकि अगर महिला गर्भवती होती है, तो भ्रूण को विकसित होने के लिए एक नर्म सतह मिल सकें। मासिकधर्म चक्र के मध्य भाग में, जब गर्भाशय में भीतरी नर्म परत तैयार है तो दो अंडाशयों में से एक अंडा निकलता है। इसी को 'ओवुलेशन' कहते हैं। यह अंडा फेलोपियन नलिकाओं से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। इस समय महिला गर्भ धारण के योग्य होती है। अगर महिला ने हाल ही में सहवास किया है तो पुरुष का शुक्राणु उसके अंडे से मिल सकता है। इसी को निषेचन (फर्टिलाइजेशन) कहते हैं। और यह गर्भ की शुरुआत है।



* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृह विज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

मासिक चक्र के दूसरे भाग में जब तक उसकी अगली माहवारी शुरू नहीं होती है। महिला के शरीर में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। प्रोजेस्ट्रोन गर्भाशय की भीतरी परत को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। अधिकतर महिलाओं में अंडा निषेचित नहीं होता है। अंडाशय इस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन का उत्पादन बंद कर देती है और यह परत टूटने लगती है। जब माहवारी के दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत बाहर आती है तो मासिक रक्त स्राव के पश्चात् अंडाशय फिर से अधिक इस्ट्रोजन का निर्माण शुरू कर देते हैं, और एक परत फिर से बनने लगती है। और एक नई मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाती है।

माहवारी सम्बन्धित समस्याएं –

रक्तस्राव में परिवर्तन – कभी-कभी अंडाशय से अंडा नहीं छूटता है। जब ऐसा होता है तो शरीर में प्रोजेस्ट्रोन कम बनता है जिसके कारण होने वाली माहवारी की मात्रा व आवृत्ति में फर्क आ सकता है। ऐसी लड़कियां जिनकी माहवारी अभी हाल ही में शुरू हुई है या ऐसी माताएं जिन्होंने स्तनपान करना अभी हाल में समाप्त किया है, उन्हें कई कई महीनों के बाद ही माहवारी हो सकती है अथवा उन्हें बहुत कम या बहुत अधिक रक्त स्राव हो सकता है। समय बीतने के साथ-साथ उनकी माहवारी नियमित हो जाती है। अधिक उम्र की जिन महिलाओं को अभी रजोनिवृत्ति पूरी नहीं हुई है, उन्हें उनकी युवावस्था की तुलना में बहुत अधिक मात्रा या अधिक समय तक खून जा सकता है। जैसे-जैसे रजोनिवृत्ति पास आती जाती है, वैसे-वैसे उनकी माहवारियों के बीच का अंतराल बढ़ता जाता है।

माहवारी में दर्द होना – माहवारी के दौरान गर्भाशय अपनी परत को बाहर निकालने के लिए क्रमशः फैलता व संकुचित होता है। इसी के कारण पेट के या कमर के निचले भाग में दर्द हो सकता है। जिन्हें कभी-कभी 'क्रेम्पस' कहा जाता है। यह दर्द माहवारी शुरू होने के पहले अथवा उसके शुरू होने के तुरंत पश्चात् हो सकता है।

प्री-मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम (पी.एम.एस.) – कुछ महिलाओं व लड़कियों को माहवारी शुरू होने से कुछ दिन पहले थोड़ा सा कष्ट होता है। उन्हें एक या एक से अधिक ऐसे लक्षण हो सकते हैं। जिन्हें सामूहिक रूप से 'प्री-मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम' (पी.एम.एस.) अर्थात् माहवारी के शुरू होने से पहले वाले लक्षणों का समूह कहा जाता है।

पी. एम.एस. से पीड़ित महिलाओं को इन लक्षणों में से कुछ भी हो सकता है।

1. स्तनों में दर्द
2. पेट के निचले भाग में भारीपन
3. अधिक थकावट लगना
4. पेट या कमर के निचले भाग की मांसपेशियों में दर्द होना
5. योनि के गीलेपन में परिवर्तन
6. चेहरे पर अधिक चिकनापन या मुहांसे हो जाना
7. भावनाओं पर नियंत्रण करना कठिन हो जाना

अनेक महिलाओं को इनमें से कम से कम एक लक्षण अवश्य होता है, और कुछ को ये सारे लक्षण हो सकते हैं। हर महीने महिला को अलग-अलग नये लक्षण भी हो सकते हैं। अनेक महिलाओं के लिए माहवारी शुरू होने के पहले के कुछ दिन काफी बैचेनी वाले हो सकते हैं। परंतु कुछ महिलाओं इन दिनों में अधिक रचनात्मक व कार्यों को बेहतर रूप से करने में समर्थ महसूस कर सकती हैं।

आवश्यक क्यों

मासिक धर्म के समय बालिकाओं/स्त्रियों के शरीर से जो दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनका निकल जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रक्त स्राव में रुकावट होने की से कई प्रकार के स्त्री रोग (सिस्ट) होने की संभावना रहती है। रक्त प्रवाह तीन से पांच या सात दिनों का होता है और दूसरे और तीसरे दिन रक्त प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। मासिक धर्म का सबसे कम समय का अंतराल 21 दिन और सबसे ज्यादा अंतराल जो सही नहीं माना जाता 35 दिवस का होता है।

आप का आहार कैसा हो – पीरियड महिलाओं के लिए ऐसा समय होता है, जब वह थकान और सुस्ती का अनुभव करती है। कुछ महिलाएं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान अपने सेहत को बनाए रखने के लिए हमें पोषिक आहार की आवश्यकता होती है। अक्सर महिलाएं सोचती हैं, कि इस समय खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उचित आहार आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाएगा और इस दौरान होने वाले कई दर्द को भी कम करेगा।

1. पीरियड में भी एक दम से भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे आपका पाचन अच्छा होगा और पेट पर दबाव कम पड़ेगा। भोजन को दो-तीन हिस्सों में बांटकर थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए।
2. हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चुकंदर, धनिया, पालक, सरसों आदि में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। मासिक धर्म के समय हमारे शरीर से अधिक रक्त स्राव होता है जिससे रक्त की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। जिसे हम आयरन युक्त भोजन पदार्थ खाकर पूर्ण कर सकते हैं।
3. मासिक धर्म के दौरान हमें मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है जो कि पीरियड के दौरान होने वाले सर दर्द, मरोड़ से बचाता है जिसके लिए आपको सभी प्रकार की दालों का सेवन इस दौरान करना चाहिए जिससे आपको मैग्नीशियम के साथ फाइबर भी मिलेगा जो पेट फूलने व पेट दर्द को कम करने में आपकी सहायता करेगा।

प्रोटीन – कम से कम एक से दो मुट्टी मूंगफली अवश्य खाएं क्योंकि प्रोटीन व मैग्नीशियम दोनों की आवश्यकतापूर्ण करेगा। हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन पाई जाती है जो कि पीरियड के दौरान होने वाले मरोड़ और पेट दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। जिसे कम करने के लिए आप अलसी का उपयोग भी कर सकती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव को कम कर मासिक धर्म के दौरान आपको आराम प्रदान करेगी।

विटामिन

विटामिन K, D युक्त भोजन पालक, गोभी, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर आदि का सेवन करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान विटामिन समूह के विटामिन को अवश्य आहार में शामिल करें, विटामिन शरीर में सेरोटोनिन के स्राव को बढ़ाता है जो कि इस दौरान आपके दिमाग को शान्त करता है व आपको तनाव, चिढ़चिढ़ापन, डिप्रेशन से बचाता है। विटामिन B6 व B1 अनियमित रक्त स्राव को कंट्रोल करता है। जिसके लिए आपको इस दौरान आलू का सेवन अवश्य करना चाहिए।

विटामिन C प्रजनन तंत्र को बेहतर बनाता है इसलिए मासिक धर्म के दौरान अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खानी चाहिए।

पानी – पीरियड के वक्त शरीर को पानी का सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको ज्यादा पानी पीने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो क्योंकि पानी आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है।

गरम पदार्थ – मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और सुस्ती से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थ जैसे टमाटर का सूप ले सकते हैं।

व्या ना लें – गरिष्ठ भोजन, तेल, घी, बेसन से में बनी वस्तुओं का त्याग, ज्यादा नमक, शक्कर, चाय कॉफी, कोला से दूर रहे क्योंकि काफी चाय में केफीन होता है जो इस दौरान पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है।

उपसंहार – मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शरीर से जो दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनका निकल जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। स्त्राव में रुकावट होने से कई प्रकार के स्त्री रोग होने की संभावना रहती हैं। मासिक धर्म सम्बन्धी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती है जो जीवन की सुख- शांति छीन लेती है। इसके लिए मासिक धर्म के समय, पहले व बाद में प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए जिससे स्वाभाविक स्त्राव होने में सहायता

मिले और किसी प्रकार की बाधा न पड़े। उचित आहार, भरपूर विश्राम, नित्य व्यायाम, मानसिक व भावनात्मक तनावों से बचना, शुद्ध वायु का सेवन, व आवश्यकता होने पर रसाहार, द्वारा शरीर का संशोधन करते रहने से महिलाएं जीवन में अटल समझी जाने वाली बीमारियों से बची रहेगी। उनका जीवन प्रसन्नता, सुख शांति से भरपूर होगा एवं परिवार में सदैव आरोग्य बना रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 आहार एवं पोषण, डॉ०. अरूणा पल्ला।
- 2 स्वास्थ्य संवाद पत्रिका, मध्यप्रदेश।
- 3 महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सबके लिये, डॉ०. जीवनलाल गांधी।
- 4 भोजन के द्वारा चिकित्सा, डॉ० गणेश नारायण चौहान।

Estimation Of Alpha For Exponential Smoothing To Forecast Soyabean Prices

Dr. B.S. Zare*

Abstract - The yearly average prices during last the ten years for minimum, maximum and modal prices and actual prices during the first six month of the year 2018 has been found same for soyabean prices at Akola Agriculture Produce Marketing Committee. The alpha at 0.90, contributes in effective forecasting. The forecasting measures, Mean Absolute Percentage Error, Tracking Signal, Mean of Squared Error and Mean of Absolute Deviation were found significantly. On an average actual minimum, maximum and modal prices and forecasted prices of soyabean for Akola agricultural produce market established has less amount of error.

Key Words - Soyabean, Exponential Smoothing, Forecasting Measures, Paired 't' test.

JEL Codes: C13, C53, M31, Q13

Introduction - Forecasting is the process of predicting the future on the basis of past data and present data. It is a planning tool to support for decision making. In the process of selling agriculture commodities like Soyabean etc. farmers need to support for decision making while selling. For estimation of such prices, it is required to forecast techniques. The Exponential Smoothing is one of the popular method used in forecasting and alpha plays an important role in the process.

The main aim of the research paper is to estimate an alpha level for exponential smoothing to forecast soyabean prices. The difference between the actual and forecasted prices is estimated by using statistical tests.

Research Review - Exponential smoothing is popular. Christoph Bergmeir, Rob J Hyndman, Jose M Benítez (2016)¹ "Exponential smoothing is one of the most popular forecasting methods. We present a method for bootstrap aggregation (bagging) of exponential smoothing methods". Exponential smoothing was developed at the end of 1950 and become successful forecasting methods. Rob J Hyndman and George Athanasopoulos (2018)², "forecasts produced using exponential smoothing methods are weighted averages of past observations, with the weights decaying exponentially as the observations get older". ARIMA models is also another method of time series forecasting. Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Ord, J.K., Snyder, R.D. (2008)³, "Exponential smoothing and ARIMA models are the two most widely used approaches to time series forecasting, and provide complementary approaches to the problem. While exponential smoothing models are based on a description of the trend and seasonality in the data, ARIMA models aim to describe the autocorrelations in the data". Alpha value is most important thing in exponential smoothing. "The speed at which the

older responses are dampened (smoothed) is a function of the value of α . When α is close to 1, dampening is quick and when α is close to 0, dampening is slow"⁴. Handanhal V. Ravinder, (2013),⁵ "the smoothing constants determine the sensitivity of forecasts to changes in demand. Large values of α make forecasts more responsive to more recent levels, whereas smaller values have a damping effect. Large values of α have a similar effect, emphasizing recent trend over older estimates of trend." Accurate forecast measured by some statistical methods. Prajakta S. Kalekar (2004)⁶ "error measures such as MAPE (Mean absolute percentage error), RAE(Relative absolute error), MSE (Mean square error) maybe used for validating the model. Selection of an error measure has an important effect on the conclusions about which of a set of forecasting methods is most accurate". Terry Dielman (2006)⁷, "When choosing smoothing parameters in exponential smoothing, the choice can be made by either minimizing the sum of squared one-step-ahead forecast errors or minimizing the sum of the absolute one step-ahead forecast errors". Holt CC (2004)⁸ "Forecasting seasonal and trends by exponentially weighted moving averages",

Microsoft Excel provided in the help section that the Exponential Smoothing tool analysis predicts a value which is based on the forecast for the prior period, adjusted for the error in that prior forecast. In the smoothing constant α , the magnitude of which determines how strongly the forecasts respond to errors in the prior forecast. The values of 0.2 to 0.3 are reasonable smoothing constants. These values indicate that the current forecast should be adjusted 20 percent to 30 percent for error in the prior forecast. Larger constants yield a faster response but can produce erratic projections. Smaller constants can result in long lags for forecast values.

*Project Director, ICFSR, Shri Shivaji Arts and Commerce College, Amravati (Maharashtra) INDIA

Objective of Research - Following are the objectives of research.

- To determine the forecasting method to predict the soyabean prices.
- To estimate the alpha level as a dumping factor to forecast the prices of Soyabean.
- To measure the forecasting errors for minimum, maximum and modal prices.
- To verify the prices with the help of Student's 't' test.

Research Methodology - The data is collected from the official website of Agmarknet⁹ from 1st January, 2008 to 30th June, 2018 for period of 10.6 years for the research purpose and weekly prices of Soyabean for Akola Agriculture Produce Marketing Committee were recorded. Alpha was set at 0.90 as dumping factor for the exponential smoothing forecast. To determine the accurate forecast following statistical tools were used with help of Microsoft Excel.

Yearly Soyabean Prices at Akola APMC - Weekly Soyabean prices at Akola APMC during the last ten years tabulated in the following table.

Table No. 1 - Yearly Soyabean Prices at Akola APMC

Year	Minimum	Maximum	Modal
2008	1949	2012	1984
2009	2241	2291	2251
2010	1968	2023	2000
2011	2170	2231	2201
2012	3321	3449	3396
2013	3243	3435	3341
2014	3385	3644	3514
2015	3157	3468	3322
2016	3008	3427	3222
2017	2440	2804	2621
Average	2688	2878	2785

Table No,1 shows that the yearly average prices during 2008 to 2017 for minimum, maximum and modal prices Rs. 2668/-, Rs. 2878/- and Rs. 2785/- respectively for soyabean prices at Akola APMC.

Estimation of alpha for Exponential Smoothing to Forecast the Minimum Soyabean Price at Akola APMC

- To estimation of alpha for Exponential Smoothing to Forecast the Minimum Soyabean Price at Akola APMC, various alpha levels from 0.1 to 0.9 and the statistical information regarding Error, Mean Absolute Deviation (MAD), Tracking Signal (TS) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) put into following table.

Table No. 2 - (See in the last page)

Table No. 2 demonstrates that the alpha level 0.9 having less error, MAD, TS and MAPE. Hence, it proves that 0.9 is best level to forecast the Soyaben prices for Akola APMC.

Forecast Measures Soyabean Prices at Akola APMC -

Actual and Forecast Minimum Soyabean Prices at Akola APMC with statistical forecasting measures like Error, Error Squared, Absolute Deviation, Running Squared Forecast Error (RSFE), Mean Absolute Deviation (MAD), Tracking

Signal (TS) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) tabulated in the following table.

Table No. 3 - (See in the last page)

Table No. 3 shows that the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) estimated 0.30% and the Tracking Signal (TS) was 6 between -1.0 to 8.82. The Mean of Squared Error (MSE) was Rs. 153/- and the Running Sum of Forecast Error (RSFE) and Rs. 57/- with Mean of Absolute Deviation (MAD) recorded Rs. 9.53/- for minimum price of soyabean for Akola agricultural produce market.

The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) estimated 0.25% and the Tracking Signal (TS) was 4.8 between -1.0 to 8.34. The Mean of Squared Error (MSE) was Rs. 129/- and the Running Sum of Forecast Error (RSFE) and Rs. 42/- with Mean of Absolute Deviation (MAD) recorded Rs. 8.67/- for maximum price of soyabean for Akola agricultural produce market.

The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) estimated 0.25% and the Tracking Signal (TS) was 5.9 between -1.0 to 9.27. The Mean of Squared Error (MSE) was Rs. 124/- and the Running Sum of Forecast Error (RSFE) and Rs. 50/- with Mean of Absolute Deviation (MAD) recorded Rs. 8.33/- for modal price of soyabean for Akola agricultural produce market.

Two Sample Paired t-Test for Means of Soyabean Prices at Akola APMC - Two sample paired t-test for means of Soyaben Prices at Akola APMC for conducted and shown it in following table.

Table No. 4 - (See in the last page)

Results of table no.4 that the paired t-test shows that there is no significant difference in the Actual Minimum Price of Soyabean (M=3199, SD=236.8) and Forecasted Minimum Price of Soyabean (M=3196, SD=237.1) at the .05 level of significance $t(25) = 0.91$, $p = 0.37$, $r = .99$, on an average actual minimum price was about Rs. 3/- more than forecasted minimum price of soyabean for Akola agricultural produce market.

The paired t-test shows that there is no significant difference in the Actual Maximum Price of Soyabean (M=3493, SD=195.6) and Forecasted Maximum Price of Soyabean (M=3491, SD=195.3) at the .05 level of significance $t(25) = 0.72$, $p = 0.48$, $r = .99$, on average actual maximum price was about Rs. 2/- more than forecasted maximum price of soyabean for Akola agricultural produce market.

Paired t-test shows that there is no significant difference in the Actual Modal Price of Soyabean (M=3344, SD=211.6) and Forecasted Modal Price of Soyabean (M=3342, SD=212.1) at the .05 level of significance $t(25) = 0.87$, $p = 0.39$, $r = .99$, on average actual modal price was about Rs. 2/- more than forecasted modal price of soyabean for Akola agricultural produce market.

Conclusions - The yearly average prices during the last ten years for minimum, maximum and modal prices Rs. 2668/-, Rs. 2878/- and Rs. 2785/- respectively and actual prices during first six month Rs. 3199/- , 3493/- and Rs.

3344/- with the forecast of Rs. 3198/-, Rs. 3493/- and Rs. 3342/- respectively, which have been found similar for soyabean prices at Akola APMC.

The value of dumping factor at 0.90 of alpha level contributes in effective forecasts.

The Mean Absolute Percentage Error estimated 0.25% to 0.30% and the Tracking Signal was 4.8 to 6 between - 1.0 to 9.27. The Mean of Squared Error was Rs. 129/- to Rs.153/- and the Running Sum of Forecast Error between Rs. 42/- to Rs. 57/- with Mean of Absolute Deviation recorded Rs. 8.33/- to Rs. 9.53/- for Actual and Forecasted prices of soyabean for Akola agricultural produce market. The forecasting measures were found significantly.

On an average actual maximum and modal price was about Rs. 2/- more than forecasted prices and averagely actual minimum price was about Rs. 3/- more than forecasted prices of soyabean for Akola agricultural produce market.

References:-

1. Christoph Bergmeir, Rob J Hyndman, José M Benítez (2016) "Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box-Cox transformation" International Journal of Forecasting, p. 303-312
2. Rob J Hyndman and George Athanasopoulos,(2018) "Forecasting, Principles and Practice", Second Edition,

Otexts.

3. Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Ord, J.K., Snyder, R.D.,(2008), Forecasting with Exponential Smoothing, The State Space Approach, p, 360.
4. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc431.htm>
5. Handanhal V. Ravinder, (2013), American Journal Of Business Education, Determining The Optimal Values Of Exponential Smoothing Constants – Does Solver Really Work?, May/June 2013 Volume 6, Number 3. p.348
6. Prajakta S. Kalekar (2004), "Time series Forecasting using Holt-Winters Exponential Smoothing", December 6, 2004,pg 1-2,<https://labs.omniti.com/people/Jesus/papers/holtwinters.pdf>
7. Terry Dielman, "Choosing Smoothing Parameters For Exponential Smoothing: Minimizing Sums Of Squared Versus Sums Of Absolute Errors", Journal of Modern Applied Statistical Methods,May, 2006, Vol. 5, No. 1 Pg, 118
8. Holt CC, International Journal Forecasting, 2004, 20, p. 5-10.
9. http://agmarknet.gov.in/PriceTrends/SA_Week_PriDV.aspx

Table No. 2 - Estimation of alpha for Exponential Smoothing to Forecast the Minimum Soyabean Price at Akola APMC

Alpha	Minimum Soyabean Price				Minimum Soyabean Price				Modal Soyabean Price			
	Error	MAD	TS	MAPE	Error	MAD	TS	MAPE	Error	MAD	TS	MAPE
0.1	6583	291	22.6	7.75%	5378	240	22.44	5.78%	5977	265	22.57	6.73%
0.2	2852	165	17.2	3.38%	2248	140	16.00	2.41%	2550	149	17.07	2.88%
0.3	1483	108	13.7	1.77%	1163	94	12.39	1.25%	1323	98	13.53	1.50%
0.4	869	76	11.3	1.04%	682	67	10.21	0.73%	775	69	11.25	0.88%
0.5	545	56	9.66	0.65%	428	50	8.62	0.46%	486	51	9.60	0.56%
0.6	351	43	8.24	0.42%	274	37	7.41	0.30%	312	37	8.38	0.36%
0.7	222	30	7.34	0.27%	171	27	6.40	0.19%	196	26	7.53	0.23%
0.8	129	19	6.67	0.16%	97	17	5.57	0.11%	113	17	6.64	0.13%
0.9	57	10	6.01	0.07%	42	9	4.85	0.05%	50	8	5.95	0.06%

Table No. 3 - Forecast Measures for Soyabean Prices at Akola APMC

Forecast Measures	Minimum	Maximum	Modal
Mean Squared Error	153	129	124
Mean Absolute Deviation	9.53	8.67	8.33
Mean Absolute Percentage Error	0.30%	0.25%	0.25%
Running Squared Forecast Error	57	42	50
Tracking Signal	6	4.8	5.9
Minimum Mean Absolute Error	-1	-1	-1
Maximum Mean Absolute Error	8.82	8.34	9.27

Table No. 4 - Two Sample Paired t-Test for Means of Minimum Soyabean Prices at Akola APMC

Statistics	Minimum		Maximum		Modal	
	Actual	Forecast	Actual	Forecast	Actual	Forecast
Mean	3199	3196	3493	3491	3344	3342
Standard Deviation	236.8	237.1	195.6	195.3	211.6	212.1
Pearson Correlation	0.9986		0.9983		0.9986	
Observations	26		26		26	
df	25		25		25	
t Statistics	0.91		0.72		0.87	
t Critical two-tail	2.06		2.06		2.06	

Green Marketing Awareness Among People (Special Reference To Gwalior And Morena)

Dr. Meenakshi Maheshwari *

Abstract - Green Marketing is a concept which is creating a dynamic revolution in the world. This term “Green Marketing” came into existence in the late 1980’s and early 1990’s. After that so many books, research and reports have published regarding Green Marketing. The new term have come into existence like environmental marketing and ecological marketing.

Green Marketing is the marketing of eco-friendly products and services. It is becoming more popular among people, as people are more aware to use that products and services which is good for the planet. It includes not only eco friendly products and services but also using eco friendly packaging, fuel, cloths, business strategies etc. As more and more companies’ tries to adopt this change. Green Marketing refers to the process of selling products and services for the environmental benefits and produced in an environment friendly ways. The main objectives of this paper were to investigate the-

1. Consumer awareness on the availability of eco- friendly products.
2. Consumer buying behavior towards green products.
3. A study about Green Marketing.

The relationship between consumer awareness level of green products and their buying behavior among the respondents in Gwalior and Morena have been studied. The consumer awareness level is to be measured by Likert five point scales. The study tells that green awareness level among the consumer of extremely to somewhat aware is very high but the consumer buying behavior is too little.

Key Words - Green Marketing, Green products, Consumer awareness, Eco-friendly.

Introduction - Green Marketing is a concept which is creating a dynamic revolution in the world. This term “Green Marketing” came into existence in the late 1980’s and early 1990’s. After that so many books, research and reports have published regarding Green Marketing. The new term have come into existence like environmental marketing and ecological marketing.

Green Marketing is the marketing of eco-friendly products and services. It is becoming more popular among people, as people are more aware to use that products and services which is good for the planet. It includes not only eco friendly products and services but also using eco friendly packaging, fuel, cloths, business strategies etc. As more and more companies’ tries to adopt this change.

LOHAS(Life Style of Health and Sustainability) a rapidly growing market for goods and services that appeal to consumers who are more environments friendly and follows the social responsibilities. Green Marketing refers to the process of selling products and services for the environmental benefits and produced in an environment friendly ways such as –

- Being manufactured in a sustainable fashion.
- Being made from reuse and renewable materials.
- Don’t use excessive packaging.

- Not using the concept of use and throw but being designed to be repairable.

Literature Review-Many of the research work, reports, books etc have been conducted on the Green Marketing and both companies and consumers are accepting the importance of green products and services. A few of them have investigated for the research purpose are given below-

- Rouf Ahmad and Dr. R. Rajendra (2014), investigate the consumer awareness about green products in guiding the green consumer purchasing behavior with special reference to Jammu and Kashmir. The study suggests that there is a average level of consumer’s awareness towards green products in Jammu & Kashmir. The study shows that most of the consumers with respect to high to average level of green products awareness show high to medium level of green buying and vice versa. Hence there is an urgent need to make consumer aware about green products in order to speed up the green buying behavior among all consumers to save this world for future generation.
- Karpagavalli G. & Dr. A.Ravi(2015), This is a study on the awareness of green marketing among the customers in south Bangalore. It shows that both marketers and consumers are becoming more sensitive to the

need for switch in to green products and services. The result of the study to trigger the mind of the marketers to give a thoughts for adopting the suitable strategies which help to overcome major problems in marketing make a shift to green marketing.

- Dr. shruti P.Maheshwari(2014) investigates consumer belief and attitude on environment protection and their purchasing behavior of eco friendly products. It also focuses on the success of efforts put by marketers in bringing green brands awareness in consumer’s mind. The study’s result was that consumers are not exposed enough to green products.
- Dr. T.Vasanthi & N. Kavitha(2016), investigate the extent of the impact of consumers’ behavior towards the marketing of green products in Tripura city. The result of the study that there was significant relationship between the variables which affects consumers’ buying behavior for green products.
- Prof. Jaya Tiwari overlooked regarding the Green marketing in India. Green Marketing is an important phenomenon in modern market and has emerged as an important concept in India as in other parts of developing and developed world. The main emphasis has been made of concept, need and importance of Green Marketing.
- A. Nirban Sikarwar(2012) investigates the different challenges and opportunities in Green Marketing and their sustainable development. In the modern era of globalization, it has become a challenge to keep the customers as well as consumer in fold and even keep our natural environment safe and that is the biggest need of the time.
- Nafazil Altaf (2013), made a study of Srinagar city regarding consumer awareness. Some businesses have been quick to accept system and waste minimization and have integrated environmental issued into all organizational activities.

P. Asha & R. Athiha(2017) investigates consumer awareness towards green products . Its aim is to provide more information to people and also give consumer more choice to switch over to green lifestyle especially in Kanya Kumari district.

Research Objectives -

The main objectives of this paper were to investigate the-

4. Consumer awareness on the availability of eco- friendly products.
5. Consumer buying behavior towards green products.
6. A study about Green Marketing.

Hypothesis Development-Null Hypothesis (Ho)- There is no significant relationship between consumer awareness level of Green products and their buying behavior.

Alternative Hypothesis

(Ha1) - There is a significant relationship between consumer awareness level of Green Products and their buying behavior.

(Ha2) – Consumers of Gwalior & Morena city are well aware

of Green Marketing.

Research Methodology- In order to investigate the research objectives, the data have been collected and analyzed from both sources (primary and secondary). The first stage of research process was a search of different articles, reports and other related information concerning green marketing using the internet and other academic data. The study was carried out in Gwalior and Morena.

The primary data was collected through questionnaire, interview (telephonic and face to face) to measure the consumer awareness regarding green marketing. Five point Likert scale (4, 3, 2, 1, 0) technique was used to quantify the different variable. The respondent provided their answer from strongly agree to totally disagree.

Respondent were also asked to share any experience of green products that they had using. With the help of empirical agreement, analysis had to be done, if one get on an average high score (i.e. more than 2), it indicates that the respondent are in right perspectives.

A small sample size has to be taken for study purpose i.e. 385 consumers of all age were approached with a structure questionnaire. The secondary data have collected from various publication magazines, reports, books & internet.

S. No.	Consumer Awareness	Frequency	Percentage
1.	Extremely aware	67	17.4%
2.	Moderately aware	65	16.9%
3.	Somewhat aware	161	41.9%
4.	Slightly aware	50	12.9%
5.	Not at all aware	42	10.96%
Total		385	100.00%

Table -1.1 Showing consumer awareness towards green products in Gwalior and Morena

The above table shows the awareness level of consumers towards green products in Gwalior and Morena. It is found that 10.96% of consumers have strongly disagreed regarding green products while only 17.4% consumers are fully aware of the green products. 41.9% of consumers have awareness of average level. Hence it can be concluded that majority of consumers in this study are of average level.

Chart - Showing consumer awareness towards green products in Gwalior and Morena (See in the last page)
Calculation of Chi Square : (See in the last page)

Table:- 1.3 showing the calculation of chi square based on collected data.

$$\begin{aligned} \text{Chi Square}(\chi^2) &= 15.356 \\ \text{df} &= 4 \\ \chi^2 \text{ for } 4 \text{ df} &= 9.49 \end{aligned}$$

Result - Since 15.356 > 9.49, so null hypothesis is rejected and therefore concluded that there is a significant association between consumer awareness level of green products and their buying behavior.

Results Of The Study-The relationship between consumer awareness level of green products and their buying behavior among the respondents in Gwalior and Morena have been

studied. The consumer awareness level is to be measured by Likert five point scale as extremely aware, moderately aware, somewhat aware, slightly aware, and not at all aware. The consumer behaviors have been scored as too little and too much as in the above table no.1.2

It is investigated from the above table that the too little buying behavior of consumer is highest among respondents of somewhat awareness level, while too much buying behavior of consumers are lowest among the respondents of moderately aware and slightly aware.

The relationship between consumer awareness level of green products and their buying behavior among the respondents in Gwalior and Morena have been studied. The consumer awareness level is to be measured by Likert five point scale and the results are shown in the above table no. 1.2. It has been concluded that chi square value of this relationship is 15.35386 with the degree of freedom at 4. The tabulated value at 5% level of significance is 9.49 which is less than calculated value so null hypothesis is rejected and it can be said that there is a significant relationship between these variables.

The study tells that green awareness level among the consumer of extremely to somewhat aware is very high but the consumer buying behavior is too little. Marketing communication plays an important role to educating consumer about long term ecological benefits and value and creates an awareness regarding green

products.

References :-

1. By A S M Saifur Rahman, Aditya Barua, Rajidul Hoque & MD Rifat Zahir "Influence of Green Marketing on Consumer Behavior: A Realistic Study on Bangladesh"
 2. Dr. Shruti P Maheshwari "Awareness Of Green Marketing and its Influence on buying behavior of consumers: Special Reference to Madhya Pradesh, India"
 3. Rouf Ahmad Rather¹ and Dr. R Rajendran² "A Study on Consumer Awareness of green products and its Impact on Green Buying Behavior"
 4. Karpagavalli.G and Dr.A.Ravi "A Study on the Awareness Of Green Marketing Among Customers In South Bangalore"
 5. Dr. T. Vasanthi & N.Kavitha - "Consumer Awareness And Purchasing Behaviour Of Green Products - An Analytical Study" (Intercontinental Journal Of Marketing Research Review ISSN:2321-0346 – On Line ISSN:2347-1670)
- www.shopify.com/encyclopedia/green-marketing
 - www.kingcontent.com.an/going-green-in-marketing
 - www.wikipedia.org/wiki/green-marketing
 - www.thebalance.com/green-marketing
 - www.slideshare.net/yashvermasgnr/green-marketing
 - www.uregina.ca/gingrich/ch10.pdf
 - www.statisticshowto.com/probability-and-/chisquare
 - www.surveymoney.com/mp/likert-scale




Chart - Showing consumer awareness towards green products in Gwalior and Morena

Sr.No.	Green Awareness level	Consumer behaviour towards Green Marketing		Total
		Too Little	Too more	
1	Extremely Aware	41	26	67
2	Moderately Aware	52	13	65
3	Somewhat Aware	123	38	161
4	Slightly Aware	37	13	50
5	Not at All	22	20	42
Total		275	110	385

Calculation of Chi Square

O (Observed Frequency)	E (Expected Frequency)	O-E	(O-E) ²	(O-E) ² /E
41	47.857	-6.857	47.018	0.982
26	19.142	6.858	47.032	2.457
52	46.428	5.572	31.047	0.669
13	18.571	-5.571	31.036	1.671
123	115	8	64.000	0.557
38	46	-8	64.000	1.391
37	35.714	1.286	1.654	0.046
13	14.285	-1.285	1.651	0.116
22	30	-8	64.000	2.133
20	12	8	64.000	5.333
Total				15.356

Table - 1.3 showing the calculation of chi square based on collected data.

Role Of Intellectual Property Right In India

Dr. Deepali Behere*

Abstract - IPR is not a new concept. It is believed that IPR initially started in North Italy during the Renaissance era. In 1474, Venice issued a law regulating patents protection that granted an exclusive right for the owner. The copyright dates back to 1440 A.D. when Johannes Gutenberg invented the printing press with replaceable/moveable wooden or metal letters. Late in the 19th century, a number of countries felt the necessity of laying down laws regulating IPR. Globally, two conventions constituting the basis for IPR system worldwide had been signed; Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. Countries have laws to protect intellectual property for two main reasons. One is to give statutory expression to the moral and economic rights of creators in their creations and the rights of the public in access to those creations. The second is to promote, as a deliberate act of Government policy, creativity and the dissemination and application of its results and to encourage fair trading which would contribute to economic and social development. Intellectual property is divided into two categories:

Key Words – I.P.R., PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK

Introduction - Intellectual property is the product of the human intellect including creativity concepts, inventions, industrial models, trademarks, songs, literature, symbols, names, brands,....etc. Intellectual Property Rights do not differ from other property rights. They allow their owner to completely benefit from his/her product which was initially an idea that developed and crystallized. They also entitle him/her to prevent him/her. He/she can in fact legally sue them and force them to stop and compensate for any damages. Intellectual property is traditionally divided into two branches, "industrial property" and "copyright." The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), concluded in Stockholm on July 14, 1967 (Article 2(viii)) provides that "intellectual property shall include rights relating to: - literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms and broadcasts, - inventions in all fields of human endeavor, - scientific discoveries, - industrial designs, - trademarks, service marks and commercial names and designations, - protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields." Adopted on 12th May 2016, the policy was formulated after intensive stakeholder consultation with nearly 300 stakeholders and individuals by an IPR Think Tank, as well as 31 departments of the Government of India and 5 foreign Governments. Its aim is to make Indians recognize their own IPs, as also respect others' IPs.

Protection of Intellectual Property Rights

Protection of IPR allows the innovator, brand owner, patent

holder and copyright holder to benefit from his/her work, labor and investment, which does not mean monopoly of the intellect. Such rights are set out in the International Declaration of Human Rights, which provides for the right to benefit from the protection of the moral and physical interests resulting from the right holder's work; literal or artistic product

Objectives of study—

The study is aimed at studying the various aspects of I.P.R.

1. To study Role of Intellectual property Right in INDIA
2. To study different Govt. law Related to I.P.R. and its implementation.

Research Methodology - The research Methodology to write this paper is based secondary data i.e. magazines ,journals, websites, and previous studies. **(See)**

Patent--

Patents Act, 1970, amended in 2006-Patent is an exclusive right granted by law to an inventor or assignee to prevent others from commercially benefiting from his/her patented invention without permission, for a limited period of time in exchange for detailed public disclosure of patented invention. A patent is a document, issued, upon application, by a government office (or a regional office acting for several countries), which describes an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufactured, used, sold, imported) with the authorization of the owner of the patent. "Invention" means a solution to a specific problem in the field of technology. An invention may relate to a product or a process. The protection conferred by the patent is limited in time (20 year)

Simply put, a patent is the right granted by the State to an inventor to exclude others from commercially exploiting the invention for a limited period, in return for the disclosure of the invention, so that others may gain the benefit of the invention. The disclosure of the invention is thus an important consideration in any patent granting procedure. Conditions of Patentability .An invention must meet several criteria if it is to be eligible for patent prate. *India has adopted a balanced approach towards patent law. It is committed to protect innovation while promoting the larger goal of welfare of its citizens. Courts and tribunals have upheld key provisions of India's patent law by their authoritative pronouncements. The system of pre-grant and post-grant oppositions introduced in 2005 ensures that only deserving patents are granted.*

Trademark- Trademark Act 1999 - A trademark is a sign that individualizes the goods or services of a given enterprise and distinguishes them from those of competitors. To fall under law protection, a trademark must be distinctive, and not deceptive, illegal or immoral. A trademark is typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image, or a combination of these elements. There is also a range of non-conventional trademarks comprising marks which do not fall into these standard categories, such as those based on color, smell, or sound (like jingles). A trademark cannot be offensive

Geographical Indication- Law –

Geographical Indications of Goods Act, 1999 - A geographical indication is basically a notice stating that a given product originates in a given geographical area. A geographical indication right enables those who have the right to use the indication to prevent its use by a third party whose product does not conform to the applicable standards. For example, in the jurisdictions in which the Darjeeling geographical indication is protected, producers of Darjeeling tea can exclude use of the term “Darjeeling” for tea not grown in their tea gardens or not produced according to the standards set out in the code of practice for the geographical indication.

Geographical indications are typically used for agricultural products, foodstuffs, wine and spirit drinks, handicrafts, and industrial products.

Copyright Law –

Copyrights Act 1957, amended in 2012 - Copyright is a form of IPR concerned with protecting works of human intellect. Copyright is a bundle of rights given by the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works and the producers of cinematograph films and sound recordings. The rights provided under Copyright law include the rights of reproduction of the work, communication of the work to the public, adaptation of the work and translation of the work.

Copyrights of works of the countries mentioned in the International Copyright Order are protected in India, as if such works are Indian works. The term of copyright in a work shall not exceed that which is enjoyed by it in its country

of origin Copyright deals with the rights of intellectual creators in their creation. Most works for example books, paintings or drawings, exist only once they are embodied in a physical object. But some of them exist without embodiment in a physical object. For example music or poems are works even if they are not, or even before they are, written down by a musical notation or words .Copyright law, however, protects only the form of expression of ideas, not the ideas themselves. India has a very large copyright-based creative industry. The Copyright Act is comprehensive and with the recent amendments, the rights of creators have been strengthened. India was the first country to ratify the Marrakesh Treaty 2013 for Access to copyright works for visually impaired persons. Enforcement in copyright has been significant and will be further reinforced. Judgments of Indian courts have adequately balanced the rights of copyright owners with the rights of public. Moral rights are fully recognized.

The 2012 amendments make Indian Copyright Law compliant with the Internet Treaties – the WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

Traditional Knowledge -

A collaboration - between the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (Dept. of AYUSH), There is considerable unexplored potential for developing, promoting and utilizing traditional knowledge, which is a unique endowment of India. Create a sui generis system for protection of traditional knowledge which will safeguard misappropriation of traditional knowledge as well as promote further research and development in products and services based on traditional knowledge.

The creation of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) has been a major achievement for India which has a vast pool of traditional knowledge. India has been able to thwart attempts to misappropriate its traditional knowledge. The next challenge is to use India's strength in traditional knowledge for its effective promotion, development and utilization.

It manages a database of knowledge that exists in various local languages such as Sanskrit, Urdu, Arabic, Persian and Tamil. TKDL has also converted the database into five international languages in patent application formats.

So far, over 2 lakh medicinal formulations have been transcribed and the database is present in 30 million A4-size pages.

It has been observed that in the past years patents have been wrongly granted to traditional knowledge related inventions which do not fulfill the requirement of novelty and inventive step, particularly due to existence of relevant prior art. For instance this has happened in the Turmeric, Neem, Basmati etc.

Conclusion - India's IPR regime stands fully complaint to

Agreement on TRIPS. However, implementation of various laws has been lax. Patent or copyright infringement and piracy in India is not uncommon. It is also the fact that India has poor performance in R&D, where it accounts for meager 2.7% of global expenditure. Poor IPR protection regime plays some part in this. Government is about to launch a New IPR policy. It is expected that it will reassert its commitment to TRIPS and promise that measures like compulsory license will be resorted to in rarest of rare case. It will also consider need and measures to ramp up implementation by building infrastructural and human resource capacities. It is like to give a significant impetus to expansion of copyright and patent office's all over India. It is obvious that management of IP and IPR is a multidimensional task and calls for many different actions and strategies which need to be aligned with national laws and international treaties and practices. It is no longer driven purely by a national perspective. trade and commerce considerations are important in the management of IPR. Different forms of IPR demand different treatment, handling, planning, and strategies and engagement of persons with different domain knowledge such as science, engineering, medicines, law, finance, marketing, and economics. Each industry should evolve its own IP policies, management style, strategies, etc. depending on its area of speciality. As we have seen that various subject matters in IPR are dealt by different departments and ministries, there needs to be some integration among these arms. This integration is prerequisite for formulating an integral IPR policy and

taking stand at various international forums. Having said this, legal setup in India nicely tries to balance Public rights with Private rights. This system provides adequate incentives for entrepreneurs to innovate. We just need strict implementation. This way we will be able to make innovation a change agent of Indian economy

References :-

1. Singh R. Vol. 1. New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd; 2004. Law relating to intellectual property (A complete comprehensive material on intellectual property covering acts, rules, conventions, treaties, agreements, case-Law and much more)
2. New Delhi: Department of Science and Technology (DST), Government of India; 2002. Anonymous. Research and development statistics.
3. New Delhi: Department of Scientific and Industrial Research, Government of India; 2002. Anonymous. Research and development in industry: An overview. **Jump up** Arul George Scaria, Piracy in the Indian Film Industry: Copyright and Cultural Consonance (Cambridge University Press 2014) 47-53
1. **Jump up** Jatindra Kumar Das, Law of Copyright (PHI Learning Private Ltd. 2015) 88
2. **Jump up** <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13230> (WIPO Lex)
3. **Jump up** Narayanan, P. (2004). *Law of Trade Marks and Passing off (6th ed.)*. Kolkata: Eastern Law House. p. 3. ISBN 9788171772322.



Impact Of Demonetization On Corruption And Black Money

Dr. Jasvinder Singh Bhatia*

Abstract - Demonetization is the valorous step taken by the government of India. Disastrous issues in India are corruption and terrorism and the root cause of these problems are black money. So the black money is playing lead role in deprivation of our country. Various reports of reliable institution depicted the worsen situation of black money such as according to a report of NIPFP the existence of black money in Indian economy was 31,584 Cr in 1983 which has risen up to 10,00,000Crore in 2012. It was the requirement of the moment to unearth a audacious step to tackle the various problem regarding black money (such as corruption and terrorism) in one major stroke. So Government of India has decided to introduce Demonetization of Rs 500 and Rs 1000 notes on 8 November2016. The reason behind Demonetization of these high denomination notes was Rs 500 and Rs 1000 notes constitute 86.9% of total currency. This Research Paper is throwing light on the position of black money in India and the impact of Demonetization on corruption and black money.

[* File contains invalid data | In-line.JPG *]

Key Words - Demonetization, Black money, Corruption, Depraved Economy, Parallel Economy, Income and Wealth, GDP

Introduction - Purpose of Paper

- To understand the situation of black money in Indian economy.
- To investigate the effect of 'Demonetization - November 2016 on controlling of Black money in India.
- To investigate the effect of ' Demonetization - November 2016' on controlling of Corruption in India.

Literature Review -

Black Money - Black money refers to money that is not fully legitimately the property of the OWNER. Black money may be defined as the money that is generated by activities that are kept secret in the sense and not reported to the authorities like counterfeit currency, smuggling, arms trafficking, terrorism and corruption. The money is also not accounted to the fiscal authorities or you can say that taxes are not paid on this money. It has been defined by the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) as the aggregates of incomes which are taxable but not reported to the tax authorities. Further black incomes are the extent to which national income and output goes downward because of false reporting of incomes, output and transactions for reasons of tax evasion and relative motives

Black Money In India- According to a report released by global financial integrity (GFI) in December 2012 India is among the top 10 developing countries in the world with a black a black money outflow of \$1.6 Billion(Rs 8720 Crore) in 2010. Total outflow of black money from India since independence until 2010 was \$232 Billion generally in the

form of corruption, bribery and kickbacks . The cumulative value of illicit assets held by Indians during the same period is estimated to be \$487 Billion. The BJP in a 2011 report had estimated India's black economy being worth around \$500 Billion and \$1.4 trillion or about between Rs 27.5 Lac Crore and Rs 74 Lac Crore while US think-tank Global financial integrity had estimated India had lost \$123 Billion (Rs 6.76 Lac Crore) in 'black money' in 2001-2010. This is money that is earned and transferred illegally abroad in tax havens, such as the Cayman islands, typically to avoid taxes in the post-reform period of 1991-2008 deregulation and liberalization accelerated the outflow of illicit money from the Indian economy.

The Following Table Shows Tear Wise Black Money In India (See in the last page)

Money Deposited In Swiss Bank By People Of Various Countries

NAME OF COUNTRY	MONEY
INDIA	\$1500 Billions
RUSSIA	\$470 Billions
UNITED KINGDOM	\$390 Billions
UKRAINE	\$100 Billions
CHINA	\$96 Billions

Black Money Of India In Swiss Accounts - India has shipped to 70'th position in terms of foreign money lying with Swiss Banks and accounts for a meager 0.10% of total global wealth held in the country's Banking system. According to a report, published in may 2012,Swiss national Bank estimates that the total amount of deposits in all Swiss

Banks, at the end of 2010, by citizens of India were CHF 1.95 Billion (INR 92.95 Billion US\$ 2.1 Billion). The Swiss Ministry of External Affairs has confirmed these figures upon request for information by the Indian Ministry of External Affairs. This amount is about 700 fold less than the alleged \$1.4 trillion in some media reports. The report also provided a comparison of the deposits held by Indians and by citizens of other nations in Swiss Banks. Further, the share of Indians in the total Bank deposits of citizens of all countries in Swiss Banks has reduced from 0.29% in 2006 to 0.13% in 2010. In 2011, according to the data provided by Swiss Bank, India is topping the list almost \$1500 Billion of its black money deposited with them, followed by Russia \$470 Billion. The amount of black money is increasing day by day at very rapid speed. **(See in the last page)**

Corruption - According to Transparency International India Corruption is "The abuse of entrusted power for private gain" Corruption is multidisciplinary and dispersed phenomenon with multiple causes and effects .it is a root problem of politics and economics or it may also generate from moral decay of society. This complex problem is prevalent in many society very deeply that is why the solution of this problem is also a matter of deep concern.

Connection Between Corruption And Black Money - Corruption has prevailed badly at every stage in India. After independence most political leaders are involved in corrupt activities for self-interest which results in the encouragement of bribes in administrative officers because they pay the share of this bribes to politicians. Gradually corruption has paralyzed the whole country and its system. Black money is a threat for country because it hinders the growth of various projects which may accelerate the development and employment in the economy.

Demonetization And Its Objectives

"Demonetization is an act of stripping a currency unit of its status as legal tender." The PM Mr Narendra Modi has given the following reasons behind the Demonetization Nov 2016.

- Deal with black money in the economy.
- Reduce the cash circulation in the country which will discourage the corruption.
- Eliminate fake currency which supports terror groups to fund terrorism in India

Analysis Of Impact Of Demonetization On Black Money And Corruption -

Depositing Of Old Currency - According Indian Express reports dated 10 Jan 2017 states that Rs 500 and Rs 1000 notes amounting to Rs 14.50 Lac Crore have been deposited with banks till date. As per the Times of India news dated 5th Jan 2017, 97% of the scrapped 500 and 1000 notes have been deposited with the banks.

Raids In Search Of Black Money- The Demonetization was supported by official raids in search of black money. During the period of 8th November to 30th December 2016, there were large number of raids by the Government agencies. Chief of CDBT Mr Sushil Chandra informed to India Today that they have seized Rs 120 Crore hard cash

and detected 1500 Crore of undisclosed income up to first week of December 2016.

Growth Of Digital Transaction After Demonetization - Hitting the black money transactions during the Demonetization process, the Government of India announced schemes to motivate digital payments. It announced 0.75% discount on digital purchase of petrol and diesel. Economic Times report dated 11th Jan 2017 says that digital payments at petrol pumps has raised from 10% of total sales before Demonetization to 30% of total sales after Demonetization. not only in petrol pumps but across all commercial ventures the digital payments have increased.

Work On 'Benami' Properties - The black money is mostly invested in properties to escape from the Government agencies. PM Mr Narendra Modi on his last 'Man Kee Baat' of the year 2016, announced to initiate action on 'Benami Properties' to check the black money and corruption. It is a move seen as strong support for Demonetization in fighting against the black money.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme - "Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme" (PMGKDS) was announced by the Government of India on 16th Dec 2016. It was announced to declare the undisclosed income. The amount was to be declared from 17th Dec 2016 to 31st March 2017. The designated Reserve Fund in the public Accounts of GOI was created where RBI would transfer the declared amount. Under this scheme the depositor has to pay 30% tax + 33% PMGK. Cess Surcharge for the declared income apart from 10% penalty amount.

Finding Of The Research - On the basis of above analysis and discussion the following findings are identified -

Direct Effect Of The Demonetization -

1. The amount of old 500 and 1000 Rs notes that could not be deposited with the banks is considered as black or concealed money. This is the direct effect of Demonetization on black money. From the above discussion it is clear that it is less than expected as the Indian Express Report says "the government is resigned to the prospect of only about Rs 75,000 Crore in demonetized Rs 500 and Rs 1,000 notes not returning to the formal banking system"
2. Amount deposited under "Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme" can also be considered as due to direct effect of Demonetization.

Indirect Effect Of The Demonetization -

1. Assets in the form of Cash or Gold and Silver seized during Demonetization period i.e. November and December through raids.
2. Action on "Benami Property" under the "Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act 2016" is expected to take place which will be the toughest attack on black money and corruption in India.
3. Rising Digital payments are due to Demonetization

during the period of November and December 2016, people faced cash-crunch and they found the digital payment problem solving.

4. After 8th November 2016 the RBI, Income Tax department and other Central Government department have announced different rules and restrictions on cash transaction. This has positively affected the mindset of people in India against accumulation of black money through corruption and other unfair means. This can be termed as “Psychological” effect of Demonetization on black money.

Suggestions - Government has initiated all necessary steps to curb the accumulation of black money in India. There are **Four**

Suggestions with respect to the objectives of this research paper.

1. Sincere efforts need to be initiated against “Benami” properties under “Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act 2016”, this will have long term effect against the black money.
2. Minimizing the cash transactions in the economy. Digital / Cheque / Draft payments should be made compulsory for amount above Rs 50,000.
3. Currency notes valued greater than Rs 1,000 should not be used so as to stop the incoming of fake currency.
4. Cash less transaction /E-payment should be made free of charge, so that it is convenient for everyone to use.

Conclusion - Above reports and data concluded the positive effect of Demonetization on black money. Demonetization has drastically affected the black money existence in Indian economy and has proven a courageous step to slash various illegal sources and activities in the country. Exact calculation of black money is not possible but this analysis

surely proved the exit of large amount of unaccountable money from the system and source of demonetization for wrong practices and black money. Although it is not the solution of all related problem but it is successful step to drain the black money and fake currency from the system and to put a check on black money related practices in India.


References :-

1. CA Lalit Mohan Agrawal -2012, edit “White Paper On Black Money”, Journal of Securities Academy & faculty.
2. Social Problems in India (II Ed) jaipur, Rawat Publication .Ahuja , R (2007).
3. Kavita Rani & DR Sanjiv Kumar (jan-14)”Black Money In India
4. India Target Black Money.Chopra A (2010)
5. www.encyclopedia.com/wiki/corruption_in_india.html.
6. www.worldpress.com/my_economist/Black_money_in_Swiss_bank.html.
7. www.encyclopedia.com/wiki/indian_black_money.
8. http://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2016/II/wp_2016_182.pdf
9. <http://www.gfintegrity.org/report/country-case-study-india>.
10. http://ficci.in//spdocument/20548/study_on_widening-of-tax-base-and-tackling-black-money.pdf
11. kandukuri,u.(2015) corruption in india .epitome journals 1(5), 2395-6968.
12. RBI Notification,16 Dec 2016. Retrieved on 9th may 2017
13. Op.cit.P Vaidyanatan Iyer.
14. <http://hindustantimes.com/business-news>
15. <http://www.business-standard.com>



The Following Table Shows Tear Wise Black Money In India

YEARS	ESTIMATES FOR BLACK MONEY (INR CRORE)	PERCENT OF GDP
1975	9,958 TO 11,870	15 TO 18
1980	20,362 TO 23,678	18 TO 21
1983	31,584 To 36,784	19 TO 21
2012	>10,00,000	10



भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियों की निधि के स्रोत का अध्ययन

प्रियंका अनिजवाल *

प्रस्तावना - बीमा कम्पनियाँ विभिन्न स्रोतों से निधियाँ एकत्रित करती है। बीमा कम्पनियाँ अंश (शेयर), पॉलिसी धारकों व अन्य माध्यमों से निधि एकत्रित करती है। इस निधि की प्राप्ति को ही बीमा कम्पनियाँ अन्य कई क्षेत्रों में निवेश करती है। वर्तमान समय में बीमा के लिए कई कम्पनियाँ विद्यमान है। इस शोध-पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम जो एक सार्वजनिक कम्पनी है व बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो एक निजी क्षेत्र की कम्पनी है। दोनों ही कम्पनियों के निधि स्रोतों का अध्ययन किया गया है, जिसमें शेयर, पॉलिसी धारक व अन्य क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि दोनों ही कम्पनियों के शेयर व पॉलिसी धारक में से किस कम्पनी में निवेश करना चाहिए।

उद्देश्य -

1. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के निधियों के स्रोत का अध्ययन।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के शेयर व पॉलिसी धारक निधि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि -

- इस शोध पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी को शामिल किया गया है।
- निजी क्षेत्र की बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी का चयन उद्देश्य पूर्ण तरीके से दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति से किया गया है।
- वर्ष 2010 से 2016 तक की अवधि को शामिल किया है।
- प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंक पर आधारित है।

तालिका क्रमांक- 1.1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1 के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शेयर धारकों, पॉलिसी धारकों तथा अन्य क्षेत्र में कुल निधि के स्रोत के सन्दर्भ में विगत 5 वर्षों के विवरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, सारणी स्पष्ट करती है कि वर्ष 2010-11 में शेयर धारकों पर 40373.60 लाख रुपये तथा 2014-15 में 56254.42 लाख रुपये विनियोग किया गया। विगत 5 वर्षों में शेयर धारकों में निवेश के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो वर्ष 2010-11 में 40373.60, 2011-12 में 53056.79, 2012-13 में 51547.06, 2013-14 में 53859.53 तथा वर्ष 2014-15 में 56254.42 लाख रुपये विनियोग किया गया। सारणी स्पष्ट करती है कि वर्ष 2010-11 में पॉलिसी धारकों पर 128168993.35 लाख रुपये तथा

2014-15 में 199151596.87 लाख रुपये विनियोग किया गया। निगम द्वारा विगत 5 वर्षों में पॉलिसी धारकों में निवेश के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो वर्ष 2010-11 में 128168993.35, 2011-12 में 137956653.81, 2012-13 में 152254464.64, 2013-14 में 172391765.13 तथा वर्ष 2014-15 में 199151596.87 लाख रुपये विनियोग किया गया। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में सबसे अधिक 3490.89 लाख रुपये तथा सबसे कम वर्ष 2014-15 में 0.50 लाख रुपये तक ही निवेश किया गया। निगम द्वारा कुल निधियों के स्रोत की विगत 5 वर्ष में सबसे अधिक 2014-15 में 199207851.79 लाख रुपये तथा सबसे कम वर्ष 2010-11 में 128212857.84 लाख रुपये निवेश किया गया। निगम द्वारा कुल निवेश में विगत 5 वर्षों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

तालिका क्रमांक- 1.1 (ए) (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया की बजाज ऑलियांज द्वारा शेयर धारकों, पॉलिसी धारकों तथा अन्य क्षेत्र में निधियों के स्रोत के सन्दर्भ में विगत 5 वर्षों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सारणी स्पष्ट करती है कि वर्ष 2010-11 में शेयर धारकों पर 224940.57 लाख रुपये तथा 2014-15 में 674900.07 लाख रुपये विनियोग किया गया। जो कि विगत 5 वर्षों में 449959.5 लाख रुपये की वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज के विगत 5 वर्षों में शेयर धारकों में निवेश के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वर्ष 2010-11 में 224940.57, 2011-12 में 356060.71, 2012-13 में 484406.91, 2013-14 में 587083.47 तथा वर्ष 2014-15 में 674900.07 लाख रुपये विनियोग किया गया। जो कि सकारात्मक वृद्धि के साथ देखा जा सकता है। सारणी स्पष्ट करती है कि वर्ष 2010-11 में पॉलिसी धारकों पर बजाज ऑलियांज द्वारा 3673259.24 लाख रुपये तथा 2014-15 में 3674241.79 लाख रुपये विनियोग किया गया। बजाज द्वारा विगत 5 वर्षों में पॉलिसी धारकों में निवेश के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वर्ष 2010-11 में 3673259.24, 2011-12 में 3565891.33, 2012-13 में 3331925.32, 2013-14 में 3320925.66 तथा वर्ष 2014-15 में 3674241.79 लाख रुपये विनियोग किया गया। जो कि सकारात्मक वृद्धि के साथ देखा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में बजाज द्वारा वर्ष 2010-11 में सबसे अधिक 29290.21 लाख रुपये तथा सबसे कम वर्ष 2014-15 में 12440.98 लाख रुपये तक ही निवेश किया गया। बजाज ऑलियांज द्वारा कुल निधियों के स्रोत की विगत 5 वर्ष में सबसे अधिक 2014-15 में 4361582.84

लाख रुपये तथा सबसे कम वर्ष 2013-14 में 3926404.50 लाख रुपये निवेश किया गया।

जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज दोनों के शेयर धारकों, पॉलिसी धारकों तथा अन्य क्षेत्र में निधियों के स्रोत के सन्दर्भ के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो वर्ष 2010-11 में कुल निवेश निगम द्वारा 128212857.84 लाख रुपये तथा बजाज द्वारा 3927490.02 लाख रुपये किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में निगम द्वारा 199207851.79 लाख रुपये तथा बजाज द्वारा 4361582.84 लाख रुपये निवेश किया गया।

- जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियों की निधि मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन -

तालिका क्रमांक- 1.2 (देखे आगे पृष्ठ)

तालिका में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की निधियों के स्रोत का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 में निगम एवं बजाज की निधियों का स्रोत 128212857.84 तथा 3927490.02 लाख रूपयें देखा गया। जीवन बीमा निगम में निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 138011662.27 लाख रुपये, जो गतवर्ष की तुलना में 9798804.43 लाख रुपये एवं 7.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 3944859.70 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 17369.68 लाख रुपये एवं 0.44 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम में निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 152307118.34 लाख रूपय, जो गत वर्ष की तुलना में 14295456.07 लाख रुपये एवं 10.35 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 3833738.16 लाख रुपये, जो गतवर्ष की तुलना में 111121.54 लाख रुपये एवं 2.81 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी आगे स्पष्ट करती है कि जीवन बीमा निगम में निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 172445755.91 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 20138637.57 लाख रूपयें एवं 13.22 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 3926404.50 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 92666.34 लाख रूपयें एवं 2.41 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी के प्राप्त आंकड़ों का तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि निगम में निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 199207851.79 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 26762095.88 लाख रूपयें एवं 15.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 4361582.84 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 435178.34 लाख रूपयें एवं 11.08 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई।

तालिका क्रमांक- 1.3 (देखे आगे पृष्ठ)

तालिका में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की शेयर धारकों की निधियों के स्रोत का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 में निगम एवं बजाज की शेयर धारकों की निधियों का स्रोत 40373.60 तथा 224940.57 लाख रूपयें देखा गया। जीवन बीमा निगम में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 53056.79 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना

में 12683.19 लाख रूपयें एवं 31.41 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 356060.71 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 131120.14 लाख रूपयें एवं 58.29 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 51547.06 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में ऋणात्मक 1509.73 लाख रूपयें एवं 2.84 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 484406.91 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 10267656 लाख रूपयें एवं 21.19 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी आगे स्पष्ट करती है कि जीवन बीमा निगम में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 53859.53 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 2312.47 लाख रूपयें एवं 4.48 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 587083.47 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 92666.34 लाख रूपयें एवं 2.41 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी के प्राप्त आंकड़ों का तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि निगम में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 56254.42 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 2394.89 लाख रूपयें एवं 4.44 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 674900.07 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 87816.60 लाख रूपयें एवं 14.96 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज द्वारा शेयर धारकों की निधियों के स्रोत निगम की तुलना में अधिक देखे गये।

तालिका क्रमांक- 1.4 (देखे आगे पृष्ठ)

सारणी में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 में जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज की पॉलिसी धारकों की निधियों का स्रोत 128168993.35 तथा 3673259.24 लाख रूपयें देखा गया। जीवन बीमा निगम में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 137956653.81 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 9787660.46 लाख रूपयें एवं 7.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2011-12 में 3565891.33 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 107367.91 लाख रूपयें एवं 2.92 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि जीवन बीमा निगम में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 152254464.64 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 14297810.83 लाख रूपयें एवं 10.36 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2012-13 में 3331925.32 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 233966.01 लाख रूपयें एवं 6.56 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी आगे स्पष्ट करती है कि जीवन बीमा निगम में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 172391765.13 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 20137300.49 लाख रूपयें एवं 13.23 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2013-14 में 3320925.66

लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 10999.66 लाख रूपयें एवं 0.33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। सारणी के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि निगम में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 199151596.87 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 26759831.74 लाख रूपये एवं 15.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 3674241.79 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 353316.13 लाख रूपये एवं 10.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। जीवन बीमा निगम का पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत बजाज ऑलियांज की तुलना में अधिक देखे गये।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज दोनों के शेयर धारकों, पॉलिसी धारकों तथा अन्य क्षेत्रों में निधियों के स्रोत के सन्दर्भ के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसके दौरान वर्ष 2010-11 में निगम की कुल निधि 128212857.84 लाख रूपये तथा बजाज द्वारा 3927490.02 लाख रूपये थी। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में निगम की कुल निधि 199207851.79 लाख रूपये तथा बजाज द्वारा 4361582.84 लाख रूपये थी। जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की निधियों के स्रोत का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण के अर्न्तगत 2014-15 में 199207851.79 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 26762095.88 लाख रूपये एवं 15.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 4361582.84 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 435178.34 लाख रूपये एवं 11.08

प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की शेयर धारकों की निधियों के स्रोत का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण के तहत देखा गया की वर्ष 2010-11 में निगम एवं बजाज की शेयर धारकों की निधियों का स्रोत 40373.60 तथा 224940.57 लाख रूपये देखा गया। निगम में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 56254.42 लाख रूपयें, जो गतवर्ष की तुलना में 2394.89 लाख रूपये एवं 4.44 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 674900.07 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 87816.60 लाख रूपये एवं 14.96 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की पॉलिसी धारकों की निधियों के तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण में देखा गया की वर्ष 2010-11 में जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज की पॉलिसी धारकों की निधियों का स्रोत 128168993.35 तथा 3673259.24 लाख रूपयें देखा गया। निगम में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 199151596.87 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 26759831.74 लाख रूपये एवं 15.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बजाज ऑलियांज में पॉलिसी धारकों की निधियों के स्रोत में वर्ष 2014-15 में 3674241.79 लाख रूपये, जो गतवर्ष की तुलना में 353316.13 लाख रूपये एवं 10.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। अतः कहा जा सकता है कि बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों में व भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारकों में निवेश करना चाहिए।

तालिका क्रमांक- 1
जीवन बीमा निगम की निधि

(राशि लाखों रूपये में)

वर्ष	शेयर धारकों	पालिसी धारकों	अन्य	कुल निधि मात्रा
2010-11	40373.60	128168993.35	3490.89	128212857.84
2011-12	53056.79	137956653.81	1951.67	138011662.27
2012-13	51547.06	152254464.64	1106.64	152307118.34
2013-14	53859.53	172391765.13	131.25	172445755.91
2014-15	56254.42	199151596.87	0.50	199207851.79

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका क्रमांक- 1 (ए)
बजाज ऑलियांज की निधि

(राशि लाखों रूपये में)

वर्ष	शेयर धारकों	पालिसी धारकों	अन्य	कुल
2010-11	224940.57	3673259.24	29290.21	3927490.02
2011-12	356060.71	3565891.33	22907.66	3944859.70
2012-13	484406.91	3331925.32	17405.93	3833738.16
2013-14	587083.47	3320925.66	18395.37	3926404.50
2014-15	674900.07	3674241.79	12440.98	4361582.84

स्रोत- बजाज ऑलियांज का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका क्रमांक- 2
जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज की
कुल निधि का तुलनात्मक अध्ययन

(राशि लाखों रूपये में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम में निधियों का स्रोत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	बजाज ऑलियांज में निधियों का स्रोत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010-11	128212857.84	.	.	3927490.02	.	.
2011-12	138011662.27	9798804.43	7.64	3944859.70	17369.68	0.44
2012-13	152307118.34	14295456.07	10.35	3833738.16	-111121.54	-2.81
2013-14	172445755.91	20138637.57	13.22	3926404.50	92666.34	2.41
2014-15	199207851.79	26762095.88	15.52	4361582.84	435178.34	11.08

स्रोत - भारतीय जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज के वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका क्रमांक- 3
जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज के
शेयर धारकों की निधि का तुलनात्मक अध्ययन

(राशि लाखों रूपये में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम में शेयर धारकों की निधियों	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	बजाज ऑलियांज में शेयर धारकों की निधियों	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010-11	40373.60	.	.	224940.57	.	.
2011-12	53056.79	12683.19	31.41	356060.71	131120.14	58.29
2012-13	51547.06	-1509.73	-2.84	484406.91	128346.20	36.05
2013-14	53859.53	2312.47	4.48	587083.47	102676.56	21.19
2014-15	56254.42	2394.89	4.44	674900.07	87816.60	14.96

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज के वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका क्रमांक-4
जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज के
पालिसी धारकों की निधि का तुलनात्मक अध्ययन

(राशि लाखों रूपये में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम में पालिसी धारकों की निधियों	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	बजाज ऑलियांज में पालिसी धारकों की निधियों	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010-11	128168993.35	.	.	3673259.24	.	.
2011-12	137956653.81	9787660.46	7.64	3565891.33	-107367.91	-2.92
2012-13	152254464.64	14297810.83	10.36	3331925.32	-23396601	-6.56
2013-14	172391765.13	20137300.49	13.23	3320925.66	-10999.66	-0.33
2014-15	199151596.87	26759831.74	15.52	3674241.79	353316.13	10.64

स्रोत - भारतीय जीवन बीमा निगम एवं बजाज ऑलियांज के वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक ढाँचा, योजनाएं तथा मध्यप्रदेश में निवेश

ज्योति विश्वकर्मा *

प्रस्तावना – आज औद्योगिकरण के महत्व के बारे में एकमत प्राप्त हो चुका है, औद्योगिक विकास के ढाँचे के बारे में अभी भी वाद-विवाद चल रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक विकास तीन अवस्थाओं में हुआ है। प्रथम अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार करना है। इनमें अनाज को पीसना, तेल निकालना, चमड़ा रंगना, सूत कातना, टिम्बर तैयार करना और धातु अयस्क (Metallic ores) पिघलाना शामिल किये जाते हैं। द्वितीय अवस्था में कच्चे माल के रूप परिवर्तन सम्बन्धी अर्थात् डबलरोटी और मिष्ठान भोजन तैयार करना, जूते बनाना, धातु सम्बन्धी वस्तुएँ, कपड़ा, फर्नीचर और कागज तैयार करना। तृतीय अवस्था में उन मशीनों तथा पूंजी यन्त्रों का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप में किन्हीं फौरी आवश्यकताओं की तुष्टि नहीं करती बल्कि भावी उत्पादन क्रिया को सुविधाजनक बनाती है। हॉफमैन (Hoffman) के अनुसार, औद्योगिकरण की प्रथम अवस्था में उपभोग वस्तु – उद्योगों का प्रधान महत्व होता है और उसका शुद्ध उत्पादन पूंजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन से पाँच गुना होता है। द्वितीय अवस्था में यह अनुपात 2.5 : 1 हो जाता है और तृतीय अवस्था में यह केवल 1 : 1 हो जाता है।

चाहे उद्योग सामान्य विकास उपभोग – वस्तुओं से पूंजी – वस्तुओं की ओर हुआ है, परन्तु इस विकास प्रक्रिया की कई किस्में हैं। औद्योगिक विकास के रूसी ढाँचे में साथ ही प्रथम अवस्था से तृतीय अवस्था में प्रवेश किया गया परन्तु ब्रिटिश ढाँचे में धीरे – धीरे विकास किया गया। इसी प्रकार अल्पविकसित देश अपनी – अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिकरण के विभिन्न ढाँचे विकसित कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि अल्पविकसित देशों में औद्योगिकरण के ढाँचे के निर्माण में पूंजी के सापेक्षतः अभाव को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। चूंकि श्रम सापेक्ष दृष्टि से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और पूंजी न्यून होती है, इसलिए श्रम- प्रधान उपभोग वस्तु उद्योगों (Labour-intensive consumer goods industries) का विकास उचित प्रतीत होता है। किन्तु इस विचारधारा की मूल धारणा अनुचित है। समस्या न्यून साधन (पूंजी) को बचाने की नहीं बल्कि इस साधन के सम्भरण को बढ़ाने की है। अतः औद्योगिकरण को ठीक ढंग से एक गत्यात्मक प्रक्रिया (Dynamic process) के रूप में कल्पित करना चाहिए, जिसमें मितव्ययिताएँ विकसित हो सकें और पूंजी के सम्भरण को बढ़ाया जा सके। चूंकि बहुत से अल्पविकसित देश स्वयं इन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते, उनके सम्भरण को केवल आयात द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि प्राथमिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं निर्यात को किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को विकासशील अर्थव्यवस्था की निर्यात आवश्यकताओं के अनुकूल बढ़ाया नहीं जा सकता,

इसलिए प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात को पूंजी – आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का विश्वसनीय स्रोत नहीं समझा जा सकता।

उद्देश्य :-

1. औद्योगिक ढाँचे की संरचना को जानना
2. तकनीकी कौशल का विकास करना
3. अल्प विकसित देशों में औद्योगिकरण के ढाँचे से पूंजी निर्माण को समझना

शब्द कुंजी – प्राथमिक विकास, पूंजी, उपभोग वस्तु, विकासशील देश, श्रमप्रधान वस्तु

औद्योगिक विकास का ढाँचा – आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास से पूर्व, भारतीय निर्मित-वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। भारतीय मलमल और छीट कि मांग सारे संसार द्वारा होती थी। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं के लिए माल उपलब्ध कराते थे अपितु वे निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। भारत की निर्यात की मुख्य वस्तुओं में रूई तथा सिल्क, छीट, रंगारंग के बर्तन, सिल्क तथा उनी कपड़ा शामिल थे।

इंग्लैण्ड से राजनीतिक सम्बन्ध कायम होने और औद्योगिक क्रान्ति के कारण भारत के हस्तशिल्प उद्योगों (Handicraft industries) का पतन हुआ। भारत में मशीन द्वारा बनी हुई वस्तुओं की भरमार हो गई। भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति भारत में आधुनिक ढंग के उद्योग कायम करके नहीं की गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में निर्मित वस्तुओं के आयात तथा भारत के कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की थी।

औद्योगिक रोजगार का आकारनुसार ढाँचा (1956)

विवरण	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की	1956 से औसत दैनिक संख्या (लाखों में)	उत्पादन इकाइयों की संख्या रोजगार
1. घरेलू उद्योग तथा छोटी प्रयोगशाला	10 व्यक्तियों से कम	111	5,130,000
2. छोटे कारखाने	10 से 49 व्यक्ति	12	61,000
3. मध्यम कारखाने	50 से 499 व्यक्ति	10	8,050
4. बड़े कारखाने	500 से अधिक व्यक्ति	17	1,050
कुल		150	5,200,100

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थिति

वर्ष	स्थापना	पूँजी निवेश (करोड़ रुपये)	निर्मित रोजगार
2013-14	18660	613	44924
2014-15	19835	750	51571
2015-16	48179	5172	194761
2016-17	87071	9547	363812
2017-18	151114	10243	448712

औद्योगिक योजनें :

औद्योगिक योजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं - प्रथम योजना में अर्धव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास न किया गया। इसकी अपेक्षा मूल सेवाओं (Basic services) अर्थात् संचालन शक्ति तथा सिंचाई के निर्माण पर बल दिया गया ताकि बाद में सुविधाजनक रूप में औद्योगिकरण सम्भव हो सकें। 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव राजकीय एवं निजी क्षेत्रों में भेद का आधार माना गया।

औद्योगिक योजनाएं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं - दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार पर औद्योगिकरण का कार्यक्रम बनाया गया जिसके द्वारा इस योजना में राजकीय क्षेत्र द्वारा संगठित उद्योग (Organised industry) पर 870 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

औद्योगिक योजनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं - तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का और अधिक विस्तार करना था। इसमें पूँजी तथा उत्पादन वस्तुओं का विशेष रूप में विकास करते हुए मशीन-निर्माण (Machine bulding) और तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कौशल (Technical and managerial skill) पर विशेष बल दिया गया।

औद्योगिक योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजनाएं - चौथी योजना के दौरान तीसरी योजना के अधीन आरम्भ किए गए औद्योगिक प्रोजेक्टों को पूरा करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसमें निर्यात-प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन (Import substitution) उद्योगों के विस्तार का लक्ष्य रखा गया।

औद्योगिक योजनाएं पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं - पाँचवी योजना के औद्योगिक प्रोग्राम आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए।

औद्योगिक योजनाएं छठी पंचवर्षीय योजनाएं - छठी योजना की समग्र विकास-रणनीति, विशेषकर, संरचनात्मक विषाखन (Structural diversification) आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के परिवेश में कार्य करना चाहती थी। योजना में उद्योगों को शामिल किया गया तथा औद्योगिक नीति में मौजूदा क्षमताओं के विवेकपूर्ण दौहान, पूँजीगत एवं उपभोक्ता समानों में मात्रात्मक वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार कर विशेष जोर दिया गया।

सातवी पंचवर्षीय योजनाएं - सातवी योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों अर्थात् सामाजिक न्याय के साथ विकास और उत्पादित उन्नत करने के उद्देश्य का दृष्टि में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इस प्रकार तय किए गए।

आठवी पंचवर्षीय योजनाएं - आठवी योजना एक नए वातावरण में प्रतिपादित की गयी जब औद्योगिक, राजकोषीय, व्यापारिक एवं विदेशी निवेश नीतियों में बहुत से सुधार अर्धव्यवस्था में किए जा रहे थे। इस योजना

काल की शुरुआत उदारीकरण एवं भूमंडलीय के युग में हुई। उन्नीस सौ इक्यानवे की नयी आर्थिक नीति तथा तदुत्तर औद्योगिक नीति द्वारा नियोजित उपागम से तीव्र विस्थापन को चिन्हित किया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजनाएं - नौवीं योजना (1997-08 से 2001-02) ने उद्योग की प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा, परन्तु इसके द्वारा केवल 5.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धिदर प्राप्त की गयी। इस योजना में उद्योग एवं खनन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजनाएं - दसवीं योजना में उद्योगों एवं सेवाओं में 10 प्रतिशत का लक्ष्य था, जो पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाया, फिर भी उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर योजनाकाल में अच्छी रही।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाएं - इस योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया ग्यारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनाएं - इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि का लक्ष्य 12-14 प्रतिशत रखा गया है। जिसमें यह अर्धव्यवस्था के विकास का इंजन बने। 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाएगा।

स्वतन्त्रता उपरान्त काल में औद्योगिक प्रगति - औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य उपलब्धि भारत की क्षमता का विविधीकरण (Diversification of capacity) है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की समीक्षा से पता चलता है कि भारत ने लगभग सभी उपभोग वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। पूँजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से प्रभावी जान पड़ती है। जिन वस्तुओं में महत्वपूर्ण रूप में औद्योगिक क्षमता का विस्तार हुआ है, वे हैं। - खनन एवं धातुकर्म उद्योग, रसायन और पैट्रॉ - रसायन उद्योग जिसमें उर्वरक उत्पादन भी शामिल है, पूँजी-वस्तु उद्योग जिसमें स्टील के कारखानों के लिए परिमार्जित उपकरण भी शामिल है, उर्वरक-संयंत्र, रसायन-प्लान्ट, हल्के, मध्यम और भारी इंजीनियरिंग उद्योग, संचालन शक्ति एवं परिवहन उद्योग, विनिर्माण उद्योग आदि। इसके अतिरिक्त भारत अब बहुत से उद्योगों की वृद्धि - दर का देश के अन्दर उत्पन्न की जाने वाली पूँजी-वस्तुओं द्वारा आत्मपोषण कर सकता है और उसे केवल सीमान्त मात्र में आयात करना पड़ना है। इसके अतिरिक्त आधार संरचना (Infrastructure) जिसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) की सामर्थ्य, परामर्श एवं डिजाइन सम्बन्धी इंजीनियरी सेवाएँ, प्रोजेक्ट प्रबन्ध सेवाएँ और नवक्रिया - सामर्थ्य शामिल हैं, के द्वारा टेकनॉलोजी को उन्नत करने और इसे अपने अनुकूल ढालने में वस्तुतः सहायनीय कार्य किया गया है।

मध्यप्रदेश में उद्योग एवं निवेश - प्रदेश में निवेश करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। नीतियों एवं नियमों के अधिकता के कारण कोई उद्योग शुरू करने की अनुमति मिलने में महिनों लग जाते थे परन्तु मध्यप्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में उदारीकरण के साथ सिंगल डोर पालिसी को अपनाया गया वर्ष 2006-07 से 2010 तक प्रदेश में 68 वृहद एवं मध्यम सूक्ष्म उद्योग की स्थापना की गई। इसी समयावधि में 90174 उद्योग स्थापित किए गए जिससे 213225 लोगों को रोजगार प्रदान हुआ जिसमें हाथ करघा बुनकर आदि उद्योगों का विकास हुआ गुजरात जैसे विकसित राज्य की तरह सन् 2007 से 2014 के बीच 4 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिससे प्रदेश में बड़ी मात्रा में देशी - विदेशी निवेद प्राप्त हुआ 2007 में इन्दौर में पहला वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें

120611 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव आये लेकिन वास्तविक निवेश 36160 करोड़ रुपये हुआ द्वितीय समारोह खजुराहो में 2010 में आयोजित किया गया जिसमें 237977 करोड़ रुपये निवेश का वादा किया गया परंतु 14303 करोड़ रुपये ही निवेश हुआ 2012 में इन्दौर में तीसरा सम्मेलन हुआ जिसमें 344939 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव था लेकिन वास्तविक निवेश 8273 करोड़ रुपये ही किया जा सका।

परंतु अधोसंरचना की बेहतर स्थिति एवं पूर्व हुए अच्छे अनुभव के बाद अब मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में निवेश हेतु होड़ सी लगी हुई है। मध्यप्रदेश में पिछले साल उद्योगों के माध्यम से 11.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की सन् 2014 में इन्दौर में आयोजित चौथे वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रमुख पूँजीपति बल्कि 9 साझेदार देश और 28 अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें 6.89 लाख करोड़ रूपयें के 3177 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए मध्यप्रदेश औद्योगिककरण की दृष्टि से निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

औद्योगिक विकास की रणनीति एवं निष्कर्ष - भारतीय आयोजकों द्वारा अपनाई गई विकास- रणनीति में औद्योगिककरण की क्रिया को भारी उद्योगों के आधार के साथ त्वरित करने का प्रयास किया गया। ऐसी विकास रणनीति के लिए टैकनॉलोजी - सामर्थ्य का विकास करना आवश्यक था जिसके लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की सभी अवस्थाओं का निर्माण एवं प्रोन्नति जरूरी थे जैसे एक सबल आधार संरचना, उद्य-विशेषज्ञता और उचित

उत्पादन उपकरण। आर्थिक आयोजन के आरम्भ से ही इंजीनियरिंग उद्योग (जिनमें मशीन - निर्माण उद्योग शामिल हैं) भारत की विकास-क्रिया का केन्द्र रहें हैं। केवल इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास द्वारा भारतीय आयोजन में कल्पित औद्योगिकरण को एक मजबूत आधार मिल सकता था। विस्तृत - आधार वाला औद्योगिक ढाँचा एक मजबूत, विकासोन्मुख इंजीनियरिंग क्षेत्र के बिना कायम ही नहीं रह सकता था। साथ ही, इंजीनियरिंग उद्योगों में देशीय कौशल एवं तकनीक को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे आयोजकों ने यह बात स्वीकार कर ली कि केवल तकनीकी कौशल एवं विशेषज्ञता द्वारा ही उत्पादिता के उच्च स्तर प्राप्त किए जा सकते हैं और परिणामतः आय के उच्च - स्तर भी। अतः इंजीनियरिंग उद्योग को समग्र आर्थिक विकास के त्वरक के रूप में प्रोन्नत किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था 46वां संस्करण 2009 रुद्र दत्त एवं सुन्दरम
2. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र एवं पुरी
3. भारतीय अर्थव्यवस्था जीवन लाल भारद्वाज
4. इंडिया टुडे अक्टूबर 2014 जनवरी 2015
5. इंटरनेट
6. स्वयं के विचार

जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के विनियोग का अध्ययन

डॉ. महेश शर्मा * प्रियंका अनिजवाल*

प्रस्तावना – जीवन बीमा निगम ने अपनी निधि/धन का विनियोग केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में तथा निजी क्षेत्र में किया जाता है। इस बात का प्रमुख रूप से विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है कि निगम द्वारा अपनी निधि का जो निवेश किया है वह किस क्षेत्र में अधिक फायदा/लाभप्रद है तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में निवेश किया जाए।

इस शोध-पत्र में जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी (बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड) के पॉलिसियों धारक और शेयर धारक निवेश का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी की पॉलिसियों धारक व शेयर धारक का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि कुल निधि से पॉलिसियों धारक और शेयर धारक निवेश कितने प्रतिशत रहा है और दोनों कम्पनियों में निवेश पर प्राप्ति का अधिक रहा है। इस शोध-पत्र से यह ज्ञात होगा कि निवेश किस कम्पनी में करना अधिक लाभप्रद होगा।

उद्देश्य-

1. जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के निवेश का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनी के पॉलिसियों धारक व शेयर धारक निवेश का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि -

- इस शोध पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी को शामिल किया गया है।
- निजी क्षेत्र की बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी का चयन उद्देश्य पूर्ण तरीके से दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति से किया गया है।
- वर्ष 2010 से 2016 तक की अवधि को शामिल किया है।
- प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंक पर आधारित है।

जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियों की निधि से किये गये निवेश का विवरण -

तालिका 1.1(देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1 में जीवन बीमा निगम की नियमित निधि से किए गए निवेश (पॉलिसी धारक) का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में निगम की नियमित निधि 128172484.24 तथा 2014.15 में 199128955.32

लाख रु. हो गयी। जिसमें 709564471.10 लाख रु. निगम की नियमित निधि में वृद्धि देखी गयी। इसी प्रकार निगम की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 125002858.44 तथा 2014.15 में 188664051.63 लाख रु. हो गया। जिसमें 63661193.19 लाख रु. की वृद्धि निवेश में देखी गई। तालिका स्पष्ट करती है कि निगम की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2010.11 में 97.52 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2012.13 में 92.62 प्रतिशत देखा गया। सारणी से स्पष्ट होता है कि निगम की गतवर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2014.15 में 28234380.10 तथा सबसे कम वर्ष 2013.14 में 19408725.27 लाख रु. देखी गई। यदि हम गतवर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में देखे तो सबसे अधिक वर्ष 2014.15 में 17.60 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2011.12 में 4.99 प्रतिशत देखी गई।

तालिका 1.1 ए (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1ए में बजाज आलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश (पॉलिसी धारक) का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में निगम की नियमित निधि 3702549 तथा 2014.15 में 3686683 लाख रु. हो गयी। जिसमें 15866 लाख रु. बजाज की नियमित निधि में कमी देखी गयी। इसी प्रकार बजाज की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 3697789 तथा 2014.15 में 3636715 लाख रु. हो गया। जिसमें 61074 लाख रु. का कम निवेश किया गया ऐसा देखा गया। तालिका स्पष्ट करती है कि बजाज की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2010.11 में 99.87 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2014.15 में 98.64 प्रतिशत देखा गया। सारणी से स्पष्ट होता है कि बजाज की गतवर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2014.15 में 339783 लाख रु. देखी गई। यदि हम गतवर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में देखे तो सबसे अधिक वर्ष 2014.15 में 10.31 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2013.14 में 1.04 प्रतिशत देखी गई।

बजाज आलियांज की नियमित निधि की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम की राशि वर्ष 2010.11 में 124469935.24 लाख रु अधिक देखी गई। यदि हम निगम की निधि के साथ निवेश का प्रतिशत का बजाज से तुलना करे तो 2010.11 में निगम का 97.52 प्रतिशत तथा बजाज आलियांज की 99.87 प्रतिशत ही देख गयी।

तालिका 1.2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.2 में जीवन बीमा निगम की नियमित निधि से

* प्राचार्य, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

किए गए निवेश (शेयर धारक) का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में निगम की नियमित निधि 40373.60 तथा 2014.15 में 56254.42 लाख रू. हो गयी। जिसमें 15880.82 लाख रू. निगम की नियमित निधि में वृद्धि देखी गयी। इसी प्रकार निगम की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 38256.53 तथा 2014.15 में 50620.49 लाख रू. हो गया। जिसमें 12363.96 लाख रू. की वृद्धि निवेश में देखी गई। तालिका स्पष्ट करती है कि निगम की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2010.11 में 94.76 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2013.14 में 60.59 प्रतिशत देखा गया। सारणी से स्पष्ट होता है कि निगम की गतवर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2012.13 में 12654.63 तथा सबसे कम वर्ष 2013.14 में 187.63 लाख रू. देखी गई। यदि हम गतवर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में देखे तो सबसे अधिक वर्ष 2012.13 में 38.34 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2014.15 में 0.37 प्रतिशत देखी गई।

तालिका 1.2 ए (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.2 में बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश (शेयर धारक) का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में बजाज की नियमित निधि 224941 तथा 2014.15 में 674900 लाख रू. हो गयी। जिसमें 449959 लाख रू. बजाज की नियमित निधि में वृद्धि देखी गयी। इसी प्रकार निगम की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 235208 तथा 2014.15 में 718662 लाख रू. हो गया। जिसमें 483454 लाख रू. की वृद्धि निवेश में देखी गई। तालिका स्पष्ट करती है कि बजाज की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2010.11 में 104.56 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2012.13 में 96.77 प्रतिशत देखा गया। सारणी से स्पष्ट होता है कि बजाज की गतवर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2014.15 में 137614 तथा सबसे कम वर्ष 2012.13 में 108725 लाख रू. देखी गई। यदि हम गतवर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में देखे तो सबसे अधिक वर्ष 2011.12 में 53.08 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2014.15 में 23.68 प्रतिशत देखी गई।

तालिका 1.3 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 6.3 में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश (पॉलिसी धारक) पर प्राप्ति का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में निगम की नियमित निधि 128172484.24 तथा 2014.15 में 199128955.32 लाख रू. हो गयी। इसी प्रकार निगम की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 125002858.44 तथा 2014.15 में 188664051.63 लाख रू. हो गया। तालिका स्पष्ट करती है कि निगम की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2014.15 में 8.22 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2010.11 में 7.39 प्रतिशत देखा गया। बजाज ऑलियांज की सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में नियमित निधि 3702549 तथा 2014.15 में 3686683 लाख रू. हो गयी। इसी प्रकार बजाज की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 3697789 तथा 2014.15 में 3636715 लाख रू. हो गया। तालिका स्पष्ट करती है कि बजाज की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2014.15 में 9.82 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2010.11 में 8.28 प्रतिशत देखा गया।

तालिका 1.3ए (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.3ए में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश (शेयर धारक) पर प्राप्ति का तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। जीवन बीमा निगम की सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में निगम की नियमित निधि 40373.60 तथा 2014.15 में 56254.42 लाख रू. हो गयी। निगम द्वारा सबसे अधिक वर्ष 2013.14 में 83859.53 नियमित निधि से किए गए निवेश शेयर धारकों से प्राप्ति देखी गई। इसी प्रकार निगम की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 38256.53 तथा 2014.15 में 50620.49 लाख रू. हो गया। तालिका स्पष्ट करती है कि निगम की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2010.11 में 9.03 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2014.15 में 6.23 प्रतिशत देखा गया। बजाज ऑलियांज की सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010.11 में नियमित निधि 224941 तथा 2014.15 में 674900 लाख रू. हो गयी। इसी प्रकार बजाज की कुल निवेश राशि वर्ष 2010.11 में 235208 तथा 2014.15 में 718662 लाख रू. हो गया। तालिका स्पष्ट करती है कि बजाज की नियमित निधि के साथ निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक वर्ष 2014.15 में 9.67 प्रतिशत तथा सबसे कम वर्ष 2010.11 में 8.27 प्रतिशत देखा गया।

तालिका 1.4(देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.4 में जीवन बीमा निगम और बजाज ऑलियांज का निवेश पर प्राप्ति तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसीधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2010.11 में 7.39 तथा 2014.15 में 8.22 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 7.87 देखा गया। इसी प्रकार शेयरधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2010.11 में 9.03 तथा 2014.15 में 6.23 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 7.16 देखा गया। सारणी स्पष्ट करती है कि निगम द्वारा कुल निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत 2010.11 में 7.39 तथा 2014.15 में 8.22 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 7.87 देखा गया। बजाज ऑलियांज द्वारा पॉलिसीधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2010.11 में 8.28 तथा 2014.15 में 9.82 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 8.88 देखा गया। इसी प्रकार शेयरधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2010.11 में 8.27 तथा 2014.15 में 9.67 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 9.13 देखा गया। सारणी स्पष्ट करती है कि बजाज द्वारा कुल निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत 2010.11 में 8.27 तथा 2014.15 में 9.77 देखा गया। विगत 5 वर्षों का औसत 8.98 देखा गया।

निष्कर्ष – इस अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में पालिसियों धारक में कुल निवेश वृद्धि का प्रतिशत बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड की तुलना में अधिक रहा है जिसमें निरन्तर वृद्धि हुई अतः यह कहा जा सकता है कि पालिसियों धारकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम अधिक अच्छी है।

- इस अध्ययन में पाया गया है कि बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड में शेयर धारक में कुल निवेश वृद्धि का प्रतिशत कि भारतीय जीवन बीमा निगम की तुलना में अधिक रहा है जिसमें निरन्तर वृद्धि हुई अतः यह कहा जा सकता है कि पालिसियों धारकों के लिए बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी अच्छी है।
- दोनों कम्पनियों के पालिसियों धारकों निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत देखा जाए तो ज्ञात होता है कि बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस

लिमिटेड कम्पनी का प्रतिशत प्रतिवर्ष सर्वाधिक रहा है।

- दोनों कम्पनियों के शेयर धारकों निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत देखा जाए तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2010-11 में भारतीय जीवन बीमा निगम का अधिक रहा है और वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी का प्रतिशत प्रतिवर्ष सर्वाधिक रहा है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस

लिमिटेड कम्पनी के कुल निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक सभी वर्षों में अधिक रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बजाज ऑलियांज के वार्षिक प्रतिवेदन (2010.11 से 2014.15)
2. भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (2010.11 से 2014.15)
3. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन. : रिसर्च मैथडोलॉजी, जयपुर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989

जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियों की निधि से किए गए निवेश का विवरण -

तालिका 1

भारतीय जीवन बीमा निगम की नियमित निधि से किए गए निवेश का विवरण
(पालिसियों धारक)

(राशि लाखों रुपये में)

वर्ष	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निधि के साथ निवेश का प्रतिशत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010.11	128172484.24	125002858.44	97.52	-	-
2011.12	137958605.48	131248095.01	95.14	6245236.57	4.99
2012.13	152255571.28	141020946.26	92.62	9772851.25	7.44
2013.14	172382745.87	160429671.53	93.06	19408725.27	13.76
2014.15	199128955.32	188664051.63	94.74	28234380.10	17.60
वृद्धि	709564471.10	63661193.19	-	-	-

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 1 ए

बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश का विवरण
(पालिसियों धारक)

(राशि लाखों रुपये में)

वर्ष	बजाज ऑलियांज की नियमित तिथि	बजाज ऑलियांज की कुल निवेश	निधि के साथ निवेश का प्रतिशत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010.11	3702549	3697789	99.87	-	-
2011.12	3588799	3583240	99.84	114549	3.09
2012.13	3349331	3331501	99.47	-251739	-7.02
2013.14	3339321	3296932	98.73	-34569	-1.04
2014.15	3686683	3636715	98.64	339783	10.31
2010 से 2015 के बीच अन्तर	-15866	-61074	-1.23	-	-

स्रोत- बजाज ऑलियांज का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 2
भारतीय जीवन बीमा निगम की नियमित निधि से किए गए निवेश का विवरण
(शेयर धारक)

(राशि लाखों रुपये में)

वर्ष	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निधि के साथ निवेश का प्रतिशत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010.11	40373.60	38256.53	94.76	-	-
2011.12	53056.79	33004.70	62.21	-5251.83	-13.73
2012.13	51547.06	45659.33	88.58	12654.63	38.34
2013.14	83859.53	50808.12	60.59	5148.79	11.28
2014.15	56254.42	50620.49	89.98	-187.63	-0.37
वृद्धि	15880.82	12363.96	-	-	-

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 2 ए
बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश का विवरण
(शेयर धारक)

(राशि लाखों रुपये में)

वर्ष	बजाज ऑलियांज की नियमित तिथि	बजाज ऑलियांज की कुल निवेश	निधि के साथ निवेश का प्रतिशत	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010.11	224941	235208	104.56	-	-
2011.12	356061	360056	101.12	124848	53.08
2012.13	484407	468781	96.77	108725	30.19
2013.14	587083	581048	98.97	112267	23.95
2014.15	674900	718662	106.48	137614	23.68
वृद्धि	449959	483454	-	-	-

तालिका 3
भारतीय जीवन बीमा निगम तथा बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए निवेश पर प्राप्ति का विवरण
(पालिसियों धारक)

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम			बजाज ऑलियांज		
	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निवेश पर प्राप्ति प्रतिशत में	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निवेश पर प्राप्ति प्रतिशत में
2010.11	128172484.24	125002858.44	7.39	3702549	3697789	8.28
2011.12	137958605.48	131248095.01	7.70	3588799	3583240	8.42
2012.13	152255571.28	141020946.26	7.95	3349331	3331501	8.81
2013.14	172382745.87	160429671.53	8.08	3339321	3296932	9.06
2014.15	199128955.32	188664051.63	8.22	3686683	3636715	9.82

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 3 ए
भारतीय जीवन बीमा निगम तथा बजाज ऑलियांज की नियमित निधि से किए गए
निवेश पर प्राप्ति का विवरण
(शेयर धारक)

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम			बजाज ऑलियांज		
	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निवेश पर प्राप्ति प्रतिशत में	निगम की नियमित निधि	निगम की कुल निवेश	निवेश पर प्राप्ति प्रतिशत में
2010.11	40373.60	38256.53	9.03	22494.1	235208	8.27
2011.12	53056.79	33004.70	7.12	35606.1	360056	8.95
2012.13	51547.06	45659.33	6.61	48440.7	46878.1	9.29
2013.14	83859.53	50808.12	6.79	58708.3	58104.8	9.46
2014.15	56254.42	50620.49	6.23	67490.0	71866.2	9.67

स्रोत- भारतीय जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 4
भारतीय जीवन बीमा निगम व बजाज ऑलियांज कंपनी
का निवेश पर प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम			बजाज ऑलियांज कंपनी		कुल निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत
	पॉलिसीधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत	शेयरधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत	कुल निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत	पॉलिसीधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत	शेयरधारकों के निवेश पर प्राप्ति का प्रतिशत	
2010-11	7.39	9.03	7.39	8.28	8.27	8.27
2011-12	7.70	7.12	7.70	8.42	8.95	8.63
2012-13	7.95	6.61	7.95	8.81	9.29	9.00
2013-14	8.08	6.79	8.08	9.06	9.46	9.21
2014-15	8.22	6.23	8.22	9.82	9.67	9.77
औसत प्रतिशत	7.87	7.16	7.87	8.88	9.13	8.98

ग्रामीण कृषकों की ऋणग्रस्तता का अध्ययन (रतलाम जिले के विशेष सन्दर्भ में)

मोनिका कूदालिया *

शोध सारांश - भारतीय कृषकों का जीवन बड़ी ही समस्या में गुजर रहा है। ऋणग्रस्तता कृषकों के लिए श्राप है कृषक दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं ताकि ऋण ग्रस्तता के शाप से मुक्त हो सके। परन्तु कृषक ऋण ग्रस्तता के चंगुल में और अधिक फँसता जा रहा है कृषकों की ऋण ग्रस्तता के सम्बन्ध में शाही कृषि कमीशन का यह कथन सत्य है कि 'भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में अपना जीवन व्यतीत करता है, ऋण में मर जाता है और अंत में ऋण छोड़ जाता है।'

प्रस्तावना - भारतीय ग्राम-अर्थव्यवस्था का एक बहुत असंतोषजनक पहलू यहाँ के लोगों की भारी ऋण ग्रस्तता से संबंधित है। ऋण का यह भारी बोझ पीढ़ी दर चलता आया है और अनेक प्रयासों के बावजूद ग्राम जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अभी भी इसके बोझ से दबा हुआ है। प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र की क्रियाओं के संचालन और विस्तार के लिए वित्त या ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण का लेन-देन स्वतः कोई बुरी चीज नहीं है। उत्पादन के लिए उधार लेना बहुत आवश्यक रहता है। भारतीय कृषक अपने कृषि कार्यों को भली प्रकार चलाने के लिए आवश्यक मात्रा में साधन नहीं जुटा सकते। यह ऋण ऐसा होता है जिसे उत्पादन की बिक्री से सहज में चुकाया जा सकता है। इस प्रकार के ऋण तो विकसित देशों में भी किसान लेते रहते हैं। यह एक सामान्य व्यावसायिक क्रिया है। लेकिन भारतीय कृषकों की ऋण ग्रस्तता अनुत्पादक कार्यों के हेतु लिए गए ऋण की समस्या है। यहाँ प्रायः उधार पारिवारिक खर्च को चलाने अथवा सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है। चूँकि ऐसे उधार की वापसी कठिन होती है इसलिए ऋण का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। उत्पादन मात्रा कम होने से साधारणतया किसानों के पास अनुत्पादक खर्चों के लिए आवश्यक मात्रा में बचत नहीं होती। खेती इतनी पिछड़ी हुई है कि किसानों की अर्थव्यवस्था प्रायः घाटे की अर्थव्यवस्था होती है। जिसमें आय की तुलना में व्यय स्तर उँचा रहता है। स्पष्टतः इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए उधार का अनिवार्यतः सहारा लेना पड़ता है।

उद्देश्य - ऋणग्रस्तता कृषकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है व एक बार इसमें फसने के बाद कृषक इसमें फसता ही चला जाता है। प्रस्तुत विषय पर शोध कार्य करके ग्रामीण कृषकों की ऋण ग्रस्तता के कारणों की खोज की गई तथा कृषकों को ऋण ग्रस्तता के श्राप से मुक्त करने के लिए विभिन्न उपायों कि जानकारी प्राप्त की गई तथा यह जानने का प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा कृषकों को ऋण ग्रस्तता से मुक्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं एवं सरकार के प्रयासों का कृषकों की स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ा अथवा नहीं।

परिकल्पनाएँ - उपरोक्त शोध की निम्न परिकल्पनाएँ हैं जो इस प्रकार हैं।

1. कृषकों द्वारा यदि बाजार में जाकर अपनी फसल को उचित मूल्य पर

- विक्रय किया जाए तो इसका सीधा लाभ कृषकों को प्राप्त होगा और कृषकों की ऋण ग्रस्तता में कमी आएगी।
- कृषकों द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा चलाई गई कृषि-ऋण योजनाओं का लाभ लिए जाए तो सम्भवतः ही कृषकों के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा।
- कृषकों द्वारा यदि अपना कार्य पूर्वानुमान लगाकर एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाए जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण कृषकों की स्थिति में सुधार होगा।
- सरकार द्वारा कृषकों की ऋण ग्रस्तता की समस्या के निवारण हेतु ठोस कदम उठाए जाए तो निःसन्देह ही ऋणग्रस्तता कृषकों से हमेशा के लिए दूर होगी।

कृषकों की ऋण ग्रस्तता - ऋण ग्रस्तता की समस्या उस समय शुरू होती है जब ऋण को निश्चित अवधि के बाद चुकाया ही नहीं गया हो और यह ब्याज दर ब्याज बढ़ता ही चला जाता है।

रतलाम जिले में अधिकतर कृषक निर्धनता के कारण कृषि में भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जिले में कृषकों की ऋण ग्रस्तता का कारण उनकी अशिक्षा है, क्योंकि लघु एवं सीमान्त कृषक इस बात से परिचित ही नहीं रहते हैं कि उन्हें अपने कार्य में किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए एवं कैसे अपने कृषि कार्य को विकास की ओर अग्रिम करना चाहिए। साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि रतलाम जिले में ज्यादातर कृषक अपने कृषि कार्य में पूँजी की कमी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पूँजी की कमी को कम करने के लिए ग्रामीण कृषक साहूकार से उँची ब्याज पद पर ऋण लेते हैं व इस ऋण को सही समय पर चुका नहीं पाते हैं जिससे कि ऋण की पूँजी बढ़ती जाती है और वह ऋण ग्रस्तता का रूप ले लेती है। कई बार कृषकों द्वारा ऋण का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जाता बल्कि अन्य पारिवारिक कार्य में कर लिया जाता है फलस्वरूप उन्नति नहीं हो पाती।

ऋण ग्रस्तता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में खेतिहार मजदूर और छोटे किसान भारी मात्रा में ऋणग्रस्त है। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता भारतीय कृषक की दीर्घ-स्थायी निर्धनता एवं कृषि की अविकसित अवस्था का कारण और परिणाम दोनों है। कृषकों की ऋण ग्रस्तता के निम्न कारण हैं।

- 1 कृषि कार्य में पारम्परिक तकनीक का प्रयोग
- 2 अच्छी किस्म की खाद की कमी
- 3 खेती में उत्तम बीज का उपयोग नहीं करना
- 4 योजनाओं की कमी
- 5 पूर्वानुमान की जानकारी ना होना
- 6 कृषि कार्य हेतु लगातार पुराने यंत्रों का प्रयोग करना
- 7 कृषि की अनिश्चितता
- 8 भूमि का उपविभाजन एवं उपखण्डन
- 9 सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएँ
- 10 खेती का पिछड़ापन
- 11 दूषित साहूकारी प्रणाली
- 12 आय के दूसरे साधनों का अभाव
- 13 भूमि की कमियों को दूर करने में असमर्थता
- 14 कृषक की अस्वस्थता
- 15 पैतृक ऋण

सुझाव -

1. **कृषकों को कृषि से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाए** - कृषकों को कृषि से सम्बन्धित विशेष ज्ञान जिला स्तर पर ही दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने कृषि कार्य को करने में परिपक्व हो सकें और छुटकारा मिल सके जिससे कि इस ऋणग्रस्तता से छुटकारा मिल सकें।
2. **फसल का विक्रय उचित मूल्य पर** - कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय सीधे व्यापारियों को ही उचित मूल्य पर किया जाना चाहिए और सभी मध्यस्थों को हटा दिया जाना चाहिए ताकि कृषकों को सभी वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त हो और ये मध्यस्थ उनकी पूँजी से लाभ न ले।
3. **कृषकों को ऋण का प्रयोग केवल उत्पादक कार्य में करने के लिए प्रेरित करना** - कृषकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए ऋण का प्रयोग केवल कृषि कार्य में ही

किया जाए जिससे कि कृषकों की स्थिति कृषि कार्य की सहायता ठीक हो और ऋण ग्रस्तता में कुछ हद तक कमी आए।

4. **बैंक द्वारा चलाई गई कृषि ऋण योजनाओं से कृषकों को अवगत कराया जाए** - कृषकों को बैंक द्वारा चलाई गई भिन्न कृषि-ऋण योजनाओं से अवगत कराया जाए ताकि ग्रामीण कृषक बैंक द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सके व जीवन को उच्च कर इस ऋणग्रस्तता के शाप से मुक्त हो सके।
5. **भूमि के मूल्य में कमी** - कृषकों को कृषि कार्य में उन्नति हेतु एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए तथा ग्रामीण कृषक ऋणग्रस्तता से मुक्त हो इस लिए कृषि भुमी के मूल्य में कमी की जानी चाहिए।
6. **कम ब्याज दर** - कृषकों को देय ऋण पर ब्याज की दर कम होनी चाहिए जिससे कि कृषकों की आय में वृद्धि हो एवं उनकी बचत में वृद्धि हो।

उपसंहार - कृषकों की ऋण ग्रस्तता सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। इस देश की समृद्धि मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है, किन्तु कृषकों की ऋण ग्रस्तता और उसके पास पूँजी के अभाव के कारण कृषि में कोई उन्नति नहीं हो रही है। फलस्वरूप भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई दशा में है। चूँकि कृषकों की ऋण ग्रस्तता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में गंभीर बाधाएँ उपस्थित कर रही है। हालांकि कृषकों को ऋणग्रस्तता से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार द्वारा भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से सरकार का ध्यान कृषकों की ऋण ग्रस्तता की और आकर्षित करने का प्रयास किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह. सी.डी. भारत की आर्थिक समस्याएं।
2. बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना(1997)
3. अय्यर डा के गोपाल और माणिक डा. मेहर सिंह 2000

Urbanization Scheme Of The Government - Housing For All By 2022

Dr. Archana Singhal*

Abstract - Despite India's growing economic stature, the country is home to as many as 78 million homeless people. To tackle the problem of homelessness, the government launched a few schemes in recent years and tried to bridge the gap between necessities and provision. As per the records by the Ministry of Urban Development, the urban population of India accounts for 377.1 million, which is 31.6 per cent of the population. The 'Housing for All by 2022' under the scheme of "Pradhan Mantri Awas Yojana – Housing for All (Urban)" launched by the central government aims to provide housing to all urban people by 2022. It provides central assistance to States and UTs for constructing houses to all eligible sections by concentrating on urban slums and economically weaker sections. Hence, slum rehabilitation and affordable housing to Economically Weaker Sections are the major features of the project.

Introduction - According to the 2011 Census, many rural cities turned urban with an increasing population but still they were still underdeveloped. A large number of slum dwellers were also identified in metros. Encroachments and informal settlements were also a growing menace. 'Housing for All scheme,' as the name suggests, ambitiously targets to eradicate slums and make housing affordable for the economically weaker section by 2022. Previous schemes of similar nature (Rajiv Awas Yojana, Affordable Housing in Partnership, Rajiv Rinn Yojana) were discontinued to make one comprehensive scheme called the 'Pradhan Mantri Awas Yojana- Housing for All by 2022.' It has partnered with public and private developers to build houses for the ones residing in informal settlements, especially the slums. Housing loan of up to Rs 6 lakh under this 'credit linked subsidy' will be available at a rate of 6.5 per cent for 15 years on houses built under the scheme. The ICICI Bank has stepped forward to provide home loans at subsidised rates. **(See in the last page)**

Objectives of PMAY Scheme - Based on recent estimates, as of September 2016, the population of the urban dwellers in India increased at an alarming rate and is expected to see a greater rate of growth in the following years. It is said that by 2050, urban dwelling population will rise to 814 million people. The calculation predicted is almost twice the number that already reside in urban areas. The major challenges also include providing people with housing options that are affordable and other major related concerns such as sanitation along with sustainable development. The Ministry also has to ensure a sustainable and safe environment for the urban population.

- The main objective of the PM Awas Yojana Scheme is housing that is affordable for all by the year 2022.
- It also intends to make it accessible to demographics

that are specific such as economically challenged groups, women along people belonging to minorities such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

- The Government's other goal is directly in association with some of the most ignored demographics which include widows, lower income group members, transgender and henceforth provide them with sustainable and affordable housing scheme.
- Special preferences for ground floor properties will be given to differently abled and senior citizens if required.
- Registration is mandatory to avail the benefits of this scheme which includes the strict beneficiary names to be mothers or wives.

This scheme launch is intended to target urban areas of the following options to States or Union Territories as well as cities as mention earlier.

Implementation Methodology - The Mission will be implemented through four verticals giving option to beneficiaries, ULBs and State Governments. These four verticals are as below. **(See in the last page)**

Features of Pradhan Mantri Awas Yojana

- Under PMAY Scheme, subsidy interest rate is provided at 6.5% on housing loan for the term of 15 years to all the beneficiaries.
- Differently abled and senior citizens will be given preference in allocation of ground floors.
- Sustainable and eco-friendly technologies would be used for construction.
- The scheme covers entire urban areas in the country which includes 4041 statutory towns with the first priority given to 500 Class I cities. This will be done in 3 phases.
- The credit linked subsidy aspect of the PM Awas Yojana gets implemented in India in all statutory towns from

*Asst. Professor (Economics) D.A.V. (P. G) Collage, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

the initial stages itself.

Scope -

- “Housing for All” Mission for urban area is being implemented during 2015-2022 and this Mission will provide central assistance to implementing agencies through States and UTs for providing houses to all eligible families/beneficiaries by 2022.
- Mission will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS) except for the component of credit linked subsidy which will be implemented as a Central Sector Scheme.
- Mission with all its component has become effective from the date 17.06.2015 and will be implemented upto 31.03.2022.

Coverage and Duration -

- All 4041 statutory towns as per Census 2011 with focus on 500 Class I cities would be covered in three phases as follows:
- Phase I (April 2015 - March 2017) to cover 100 Cities selected from States/UTs as per their willingness.
- Phase II (April 2017 - March 2019) to cover additional 200 Cities
- Phase III (April 2019 - March 2022) to cover all other remaining Cities
- Ministry, however, will have flexibility regarding inclusion of additional cities in earlier phases in case there is a resource backed demand from States/UTs.
- The mission will support construction of houses upto 30 square meter carpet area with basic civic infrastructure. States/UTs will have flexibility in terms of determining the size of house and other facilities at the state level in consultation with the Ministry but without any enhanced financial assistance from Centre. Slum redevelopment projects and Affordable Housing projects in partnership should have basic civic infrastructure like water, sanitation, sewerage, road, electricity etc. Urban Local Bodies (ULB) should ensure that individual houses under credit linked interest subsidy and beneficiary led construction should have provision for these basic civic services.
- The minimum size of houses constructed under the mission under each component should conform to the standards provided in National Building Code (NBC). If available area of land, however, does not permit building of such minimum size of houses as per NBC and if beneficiary consent is available for reduced size of house, a suitable decision on area may be taken by State/UTs with the approval of SLSMC. All houses built or expanded under the Mission should essentially have toilet facility.
- The houses under the mission should be designed and constructed to meet the requirements of structural safety against earthquake, flood, cyclone, landslides etc. conforming to the National Building Code and other relevant Bureau of Indian Standards (BIS) codes.
- The houses constructed/acquired with central

assistance under the mission should be in the name of the female head of the household or in the joint name of the male head of the household and his wife, and only in cases when there is no adult female member in the family, the house can be in the name of male member of the household.

- State/UT Government and Implementing Agencies should encourage formation of associations of beneficiaries under the scheme like Resident Welfare Association etc. to take care of maintenance of houses being built under the mission.
- The houses constructed/acquired with central assistance under the mission should be in the name of the female head of the household or in the joint name of the male head of the household and his wife, and only in cases when there is no adult female member in the family, the dwelling unit/house can be in the name of male member of the household.

Beneficiaries Under the Pradhan Mantri Awas Yojana

Pradhan Mantri Awas Yojana targets specific groups like:

- Women
- Scheduled Caste
- Scheduled Tribe
- Economically weaker section of the society
- Low income group population
- Medium income group 1
- Medium income group 2

Three Phases of Pradhan Mantri Awas Yojana - The PMAY Scheme will be executed in three phases. Refer to the below tables for more details:

Phase 1

Start date	04/01/15
End date	03/01/17
Cities covered	100

Phase 2

Start date	04/01/17
End date	03/01/19
Cities covered	200

Phase 3

Start date	04/01/19
End date	03/01/22
Cities covered	Remaining cities

Home Loan Interest Rate for PMAY Scheme - Home loan interest rate is around 9% at present. So, if 4% interest subsidy on a loan of up to Rs.9 Lakhs is applied, then the E.I.R (Effective Interest Rate) would be 5%, which will benefit the borrowers. **(See in the last page)**

Conclusions - It can be concluded that if the problems are solved there will be overall improvement in the living conditions of the rural poor. Further, houses were not provided with the promised facilities and the possession of the house could not enable them to cross the poverty line. Despite the problems in the housing schemes they are partially successful in providing housing facilities to the poorest of the poor from SC, ST, BC and OC categories from the selected villages of the study. With the spread of

literacy and information, the elimination of corruption and the freeing of housing Scheme implementation from the clutches of political patronage, there is no reason why the schemes cannot be wholly successful in their objectives.

References :-

1. "Housing for All scheme gets govt nod: All you need to know", Business Today, 15 September 2015.
2. "305 Cities Identified Under 'Housing for All' Scheme", NDTV, 30 August 2015.
3. "Over 300 cities identified for 'Housing for All' scheme", Business Today, 31 August 2015.
4. All you wanted to know about Pradhan Mantri Awas Yojana, Business Standard, Feb 2017.
5. 10 lakh homes built under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grami Government, Economic Times, 1 Dec 2017.
6. Jump up to: a b c d e f g h i j 1,86,777 Affordable Houses Sanctioned for Urban Poor Under Pmay (Urban), Accommodation Times, 9 Feb 2018.
7. "Modi government to rename new-look Indira Awaas Yojana to Pradhan Mantri Awaas Yojana", The Economic Times, 29 December 2015.



"In situ" Slum Redevelopment	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy	Affordable Housing in Partnership	Subsidy for beneficiary-led individual house construction
<ul style="list-style-type: none"> - Using land as a resource - With private participation - Extra FSI/TDR/FAR if required to make projects financially viable 	<ul style="list-style-type: none"> - Interest subvention subsidy for EWS and LIG for new house or incremental housing - EWS: Annual Household Income Up to Rs.3 lakh and house sizes upto 30 sq.m - LIG: Annual Household Income Between Rs.3-6 lakhs and house sizes upto 60 sq.m 	<ul style="list-style-type: none"> - with private sector or public sector including Parastatal agencies - Central Assistance per EWS house in affordable housing projects where 35% of constructed houses are for EWS category 	<ul style="list-style-type: none"> - For individuals of EWS category requiring individual house - State to prepare a separate project for such beneficiaries - No isolated/ splintered beneficiary to be covered.

Home Loan Interest Rate for PMAY Scheme

Eligibility	Income Range	Carpet Area	Rate of Interest
Economically weaker sections	Max of Rs.6 lakh	30 sqm	6.50%
Lower Income groups	Max of Rs.6 lakh	60 sqm	6.50%
Middle Income Group 1	Less than Rs.12 lakh	110 sqm	4.00%
Middle Income Group 2	Between Rs.12 lakh and Rs.18 lakh	150sqm	3.00%

Consumer Behavior Applications To Real Estate

Dr. Aruna Kusumakar*

Introduction - Consumer behavior is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services, including the consumer's emotional, mental and behavioral responses that precede or follow these activities. Consumer behavior emerged in the 1940s and 50s as a distinct sub-discipline in the marketing area. Consumer behavior is an inter-disciplinary social science that blends elements from psychology, sociology, social anthropology, ethnography, marketing and economics, especially behavioral economics. It examines how emotions, attitudes and preferences affect buying behavior. Characteristics of individual consumers such as demographics, personality lifestyles and behavioral variables such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, willingness to provide referrals, in an attempt to understand people's wants and consumption are all investigated in formal studies of consumer behavior. The study of consumer behavior also investigates the influences, on the consumer, from groups such as family, friends, sports, reference groups, and society in general.

Consumer Motives - Consumer has a motive for purchasing a particular product. Motive is a strong feeling, urge, instinct, desire or emotion that makes the buyer to make a decision to buy. Buying motives thus are defined as those influences or considerations which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the goods or service. These motives are generally controlled by economic, social, psychological influences etc. Motives which Influence Purchase Decision The buying motives may be classified into two -

- i. Product Motives
- ii. Patronage Motives

Product Motives - Product motives may be defined as those impulses, desires and considerations which make the buyer purchase a product. These may still be classified on the basis of nature of satisfaction -

- a) Emotional Product Motives
- b) Rational Product Motives

Emotional Product Motives are those impulses which persuade the consumer on the basis of his emotion. Rational Product Motives are defined as those impulses which arise on the basis of logical analysis and proper

evaluation. The buyer makes rational decision after chief evaluation of the purpose, alternatives available, cost benefit, and such valid reasons.

Patronage Motives - Patronage motives may be defined as consideration or impulses which persuade the buyer to patronage specific shops. Just like product motives, patronage can also be grouped as emotional and rational.

Consumer Choice and Decision Making - Most real estate purchases and leases would be considered high involvement goods that would require complex decision-making. The three major comprehensive models of this type of consumer decision making trace the psychological state and behavior of individual purchasers from the point at which they perceive a need through the search for information, evaluation of alternatives, purchase, and final evaluation of the consequences.

Decision rules - When evaluating alternatives, such as choosing which property to purchase or rent, consumers choose from a list of acceptable alternatives (evoked or consideration set) based on the criteria they have selected as being important. For a product to be considered by a consumer, he must know that it exists and perceive that it can satisfy his needs.

The criteria a consumer uses to choose between alternative products are the product attributes the consumer considers important. Consumers may make the purchase decision using compensatory or non compensatory decision rules. With a compensatory decision rule, the consumer identifies the important attributes, rates the alternative products on each attribute, and selects the product with the highest score. With a simple additive rule, the consumer selects the product that is judged to have the largest number of positive attributes.

Consumers may use a combination of decision rules in choosing a property. First, they may use a rule to narrow down the choice set with some simple cutoff, and then they may apply a more complex compensatory rule to make the final choice. Some criteria are more salient than others and those attributes will have a greater impact or importance in determining consumer selections. Whether a characteristic is salient depends on the alternatives and consumers' evaluation of them. for example, the consumer with small children believes all neighborhoods in the city

offer equally good schools, then school quality is not a deciding factor in which house to buy. Salient attributes that actually influence the evaluation of alternatives are known as determinant attributes. The particular criteria consumers use in their decision making depend on situational influences, similarity among choices, motivation, involvement, and knowledge.

The average consumer's lack of information about all available real estate options may result in the consumer not purchasing the property that would best serve his needs because he is unaware that the property exists. Others may make less than optimal decisions because comparing all the properties on all the salient attributes may be too complex. They may resort to a non compensatory decision making process to make the procedure manageable.

Information search - Consumers seek and use information as part of a rational problem solving and decision making process. Consumers first search internally for historically gathered information. Experience, length of time since last purchase, and satisfaction with previous purchase will affect the consumer's reliance on internal information. As most consumers purchase real estate infrequently, they rarely rely solely on their past knowledge when selecting a new property to purchase.

Internal Determinants of Consumer Behavior -

Motivation - The force that drives a person to buy and use a good or service is called motivation. It explains why people buy what they do and what they are trying to accomplish. Needs arise from the discrepancy between actual and desired states of being. Needs can be classified as utilitarian or hedonic/experiential. Utilitarian needs lead to consideration of objective product attributes or benefits, whereas hedonic needs elicit subjective responses, pleasures, and aesthetic considerations. It is common for utilitarian and hedonic needs to function simultaneously in a purchase decision. As the discrepancy between the desired and actual state of being increases, a condition of arousal called a drive is activated. When the drive becomes strong enough, the consumer will take action in an attempt to satisfy the perceived need

Thus, a real estate buyer may be trying to satisfy both a utilitarian need for space and a hedonic need for status simultaneously. An accurate valuation model must consider that the benefits the buyer is expecting are not limited to financial rewards.

Perception - Perception deals with recognizing, selecting, organizing, and interpreting stimuli to make sense of the world around us. People receive stimuli from their environment through the five senses, which they then must interpret. People are selective and interpret stimuli that reinforce and enhance their existing beliefs. Consumers tend to interpret what they perceive so that it does not conflict with their basic attitudes, personality, motives, or aspirations. They pay attention to stimuli deemed relevant to existing needs, wants, beliefs, and attitudes and disregard the rest.

Knowledge and learning - Information processing describes the series of steps by which information is encountered through some exposure to a person's senses, attended to, interpreted, understood and accepted, and stored in memory for future use in making decisions. Elaboration via mental processing transforms this information into beliefs, attitudes and intentions that determine product choice and related aspects of purchase.

Attitudes - An attitude is an overall evaluation about something combining cognitive beliefs, emotional affects, and behavioral intentions. Attitudes may vary along the dimensions of strength, direction (positive or negative), and stability. Also, not all attitudes are held with the same degree of confidence. Attitudes based on direct experience with a product are usually held with more confidence than those derived from indirect experience. Confidently held attitudes will usually be relied on more heavily to guide behavior. If a consumer does not feel confident in an attitude, he or she is more likely to search for additional information before making a decision. Attitudes held with less confidence are also more susceptible to change.

The multi attribute attitude model provides insights into the reasons behind consumers' choices. Different consumers may place varying levels of importance on product attributes and, therefore, evaluate the same product differently. Thus, one consumer may value more highly a yard, garden, and swimming pool. Another consumer may prefer a fireplace, bookshelves, and built-in stereo speakers.

The level of social pressure present in the purchasing situation also affects whether consumer behavior will be consistent with personal attitudes.

Self-concept - Self-concept is an organized set of perceptions of the self, comprised of such elements as the perceptions of one's characteristics and abilities; the perception of oneself in relation to others; and objectives, goals and ideals which are perceived as either positive or negative. Self-concept is now generally viewed in several dimensions: ideal self (what one aspires to be), real self (the way one thinks one actually is), self in context (how one sees oneself in different social settings), and extended self (possessions and artifacts help define who one is).

Consumers will choose to purchase real estate that either fits with their current self-image or is associated with the ideal image they want to achieve. This may be reflected in both choice of housing style and neighborhood.

Personality - Personality accounts for consistent patterns of behavior based on enduring psychological characteristics. It is the pattern of traits and behaviors that makes one individual unique and different from all others. Personality may be described using the psychoanalytic, socio-psychological, or trait-factor theories.

In general, personality appears to be related to how consumers make decisions about innovative products. They are likely to list success and competence as their goals in life in contrast to risk avoiders, who list happiness as their

first choice. Some consumers are more self-monitoring, that is, they are less influenced by external forces than others. Thus, a consumer's personality may affect his real estate investment choices. A risk taker is more likely to consider purchasing a run-down property in a marginal neighborhood, planning to improve the property and take advantage of neighborhood improvements. A risk taker would also be more likely to choose an adjustable rate mortgage than a risk avoider, no matter what the financial comparison shows.

Lifestyle - Lifestyle refers to the distinctive ways in which consumers live, how they spend their time and money, and what they consider important - activities, interests and opinions.

Consumers will purchase real estate services that are compatible with their lifestyle. Thus, an outgoing, athletic young single who values social interaction will likely place greater value on an apartment that has access to a swimming pool, tennis court, and activity center. Meanwhile, an inner-directed, sedentary young single who values privacy and solitude might value an apartment with a private balcony more.

External Determinants of Consumer Behavior -

Reference groups - Each real estate consumer is influenced by her unique set of reference groups. A consumer who is a member of an investment club might be influenced to make different real estate investments than a consumer who relies on family members for guidance on investment philosophy. A consumer who is a member of a particular church may be influenced to move to a community where other church members live. A couple wanting to belong to a social group that regularly holds large parties may purchase a spacious home with good entertainment option in mind.

Culture - Culture consists of society's beliefs, values, ethics, customs, shared meanings, rules, rituals, norms, and traditions. Culture provides people with a sense of identity and an understanding of acceptable behavior.

Cultural norms that affect real estate demand include beliefs about whether each child should have a private bedroom, but a shared bath. Cultural rituals such as formal holiday dining influence the preference for a formal dining room. In our society, families with aging parents may prefer an attached in-law apartment that allows relatively independent living rather than incorporate the elderly relative into the primary household. The value placed on individualism is reflected in the demand for customized homes. Builders would be wise to watch changing cultural values, producing properties that are more environment friendly and housing layouts that are more suitable for family activities and interaction.

Subculture - Subcultures are racial, ethnic, religious, or other groups whose members are distinguishable from the general population and who are held together by common culture and/or genetic ties. To the degree that people in an ethnic group share common customs, values, rituals, and

traditions that are different from those of other ethnic groups or the larger society. They constitute a distinct ethnic group.

Social Class - Social stratification represents the hierarchical division of members of a society into relative levels of prestige, status and power. Social class refers to divisions based on economic and demographic characteristics. Those in same stratum have roughly similar consumption, lifestyle, and income, and socialize with each other.

Possessions are symbols of class membership, with wealth reflected in the items purchased. The most important possession decision reflecting a family's social class is the choice of where to live, both the type of home and the neighborhood. Thus, social class will affect what neighborhoods and architectural design consumers will consider for housing.

Family - The most influential reference group is the consumer's family. The family teaches the consumer cultural values that have a substantial impact upon shopping behavior. It continues to be a point of reference even when the consumer has formed his own household.

Many products are purchased by the family unit rather than individuals. Family members may play instrumental roles, such as determining the financing and functional attributes of purchases, or they may play expressive roles, supporting other family members in their decision and expressing the family's aesthetic or emotional needs. Family members may be involved in real estate decision making as gatekeepers, influencers, deciders, buyers, users, and maintainers.

Conclusion - A significant portion of the study of real estate deals with the consequences of consumer decisions regarding real estate assets and services. Appraisal attempts to estimate the value of property to consumers. Market analysis attempts to predict consumer demand for real estate services. Investment analysis examines the required and expected rate of return to an investor, and finance analyzes consumers' mortgage choices and likelihood of repayment. The study of consumer behavior involves trying to understand complex human beings and the reasons they act the way they do in the marketplace. It recognizes that consumer decisions take place inside a person who is distinctive in his personality and attitudes, yet similar to other consumers who have been exposed to the same external influences of culture and society. Rather than ignoring these complexities, real estate researchers should embrace the study of consumer behavior to better understand the reasons behind market choices.

The incorporation of consumer behavior concepts into traditional real estate study in these and other areas will improve understanding of individual decision-making in the context of real estate. This understanding will lead to better explanations and predictions in real estate markets and, as a result, greater success in the marketplace.

References :-

1. personal survey

नरसिंहपुर जिले में सिंचाई विकास एवं भूमिगत जल स्तर

मिताली पॉल *

प्रस्तावना - अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए अधिकांश कृषि विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में सिंचाई विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रो. जथ्यार और बेरी ने सिंचाई के लाभों की गणना करते हुए लिखा है, कि इससे फसलों की उपज बढ़ेगी शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानीय खेती का प्रादुर्भाव होगा, अकाल और न्यूनोत्पादन के विरुद्ध बीमा होगा। कृषि क्षेत्र आय में बढ़ेगी तथा राज्य सरकारों की आय में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी।

सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने की स्थिति में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य आधुनिक कृषि उपकरण महत्वहीन हो जाते हैं। इसी कारणवश कृषि विकास के साथ ही गैर परम्परागत सिंचाई के साधनों का भी तीव्र गति से विकास हुआ। वर्तमान समय में सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा कुओं एवं ट्यूबवेल का सिंचाई हेतु अधिक प्रयोग किया जा रहा है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भूमिगत जल स्तर पर पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों में गिरता हुआ भूमिगत जल स्तर एक गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र - नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित है जिले की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत का कगार व दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। जिले का भौगोलिक विस्तार 28° 45' उत्तरी अक्षांश से 23° 15' उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरी विस्तार 78° 38' पूर्वी देशांतर से 79° 38' पूर्वी देशांतर के मध्य है, जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5133 वर्ग कि.मी. है। जिले में अधिकांशतः दोमट मिट्टी पायी जाती है। जिले का 95 प्रतिशत भू-भाग नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र में आता है।

अध्ययन का उद्देश्य -

1. नरसिंहपुर जिले में सिंचाई के विकास का अध्ययन करना।
2. नरसिंहपुर जिले में भूमिगत जल स्तर में आई कमी का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन पत्रिकाओं विभिन्न शासकीय कार्यालयों, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका तथा भूमिगत जल वार्षिक पुस्तिका मध्यप्रदेश (2014-15) से किया गया है।

वर्षा का वार्षिक वितरण -

ग्राफ - 01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

अध्ययन क्षेत्र के विगत 25 वर्षों के वर्षा के आंकड़ों के माध्यम से जिले में असमान एवं अनिश्चित वर्षा स्पष्ट देखी जा सकती है। जिले में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वर्ष 1999-2000 में 1771 मि.मी. तथा न्यूनतम वर्षा 2007-08 में 771 मि.मी. अंकित की गई। वर्ष 2004 से 2013 के

मध्य की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना 2014 की औसत वार्षिक वर्षा से करने पर 0.10 मी. (106 मि.मी.) की कमी पायी गई।

जिले में सिंचाई विकास 1991-2014

ग्राफ-02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

नरसिंहपुर जिले में 1990-91 से 2013-14 के मध्य सिंचित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखी गई है, परन्तु वर्ष 2011-12 के बाद वृद्धि अत्याधिक तीव्र गति से हुई। 1990-91 में जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 76672 हे. था जो कुल कृषि भूमि का 22.6 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 426000 हे. हो गया जो कि कुल कृषि भूमि का 72 प्रतिशत क्षेत्र है। सिंचाई के माध्यमों में हुआ तीव्रगामी परिवर्तन भी स्पष्ट देखा जा सकता है। वर्ष 1990-91 में 67.9 प्रतिशत क्षेत्र कुओं तथा 22.6 प्रतिशत ट्यूबवेल द्वारा सिंचित था वर्ष 2013-14 में कुल सिंचित क्षेत्र को 75.07 प्रतिशत नलकूप तथा 20.09 प्रतिशत कुओं द्वारा सिंचित है।

वर्ष 2014 में जिले में भूमिगत जल स्तर - (देखे आगे पृष्ठ पर)

भूमिगत जल वार्षिक पुस्तिका मध्यप्रदेश (2014-15) के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मई माह में 5.8 प्रतिशत क्षेत्र में जल स्तर 20-40 तक पहुंच गया। अगस्त माह में जल स्तर में वृद्धि हुई तथा नवम्बर माह में पुनः 5.8 प्रतिशत क्षेत्रों में जल स्तर 20-40 तक गिर गया।

दशकीय भूमिगत जल स्तर का परिवर्तन (2004-2013) की 2014 से तुलना - (देखे आगे पृष्ठ पर)

वर्ष 2004 से 2013 के मध्य के दशकीय औसत भूमिगत जल स्तर के आंकड़ों की वर्ष 2014 के जल स्तर के आंकड़ों से तुलना करने पर स्पष्ट है कि मानसून पश्चात् अगस्त माह में 85.71 प्रतिशत क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि हुई अर्थात् जिले में पर्याप्त वर्षा प्राप्त हुई है। परन्तु नवम्बर एवं जनवरी माह में विगत वर्षों की तुलना में क्रमशः 42.86 तथा 71.43 प्रतिशत क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में कमी देखी गई है। जनवरी माह में 14.29 प्रतिशत क्षेत्रों में लगभग 4 मीटर तक जल स्तर में गिरावट देखी गई है।

निष्कर्ष - वर्ष 1990-91 से 2014 के मध्य जिले में कुल सिंचित क्षेत्र में 555 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि पायी गई। कुल सिंचित भूमि का 95 प्रतिशत क्षेत्र भूमिगत जल माध्यमों ट्यूबवेल (75.07 प्रतिशत) तथा कुओं (20.5 प्रतिशत) से सिंचित है। भूमिगत जल वार्षिक रिपोर्ट (2014-15) के अनुसार जिले में (0.25 मीटर) की वार्षिक दर से जल स्तर में गिरावट आ रही है। वर्ष 2005 में जिले का औसत भू-जल स्तर 6.98 मी. था जो 2015 में नीचे गिरकर 8.38 मी. पहुंच गया अर्थात् 1.4 मी. की गिरावट अंकित की गई। परन्तु विगत 10 वर्षों में वर्षा की मात्रा में औसतन 0.10 मी. की ही गिरावट अंकित की गई जो कि भूमिगत जल स्तर की कमी की


तुलना में बहुत ही कम है। अर्थात् जिले में भूमिगत जल स्तर के गिरावट का मुख्य कारण सिंचाई साधनों के विकास को ही माना जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


- 1 जिला सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 1991-2015
- 2 राय, डॉ. वी.पी. (2006), 'संसाधन और पर्यावरण', वसुन्धरा

- 3 प्रकाशन, गोरखपुर।
- 4 तिवारी, आर.सी. एवं सिंह बी.एन (2015), 'कृषि भूगोल', प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
- 5 सिंह, जगदीश सिंह (2015), 'आर्थिक भूगोल के मूल तत्व', ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर।
- 6 भूमिगत जल वार्षिक पुस्तिका मध्यप्रदेश (2014-15)

वर्षा का वार्षिक वितरण - ग्राफ - 01



जिले में सिंचाई विकास 1991 - 2014



वर्ष 2014 में जिले में भूमिगत जल स्तर -

Month	Depth to water level mbgl		Percent (%)				
	Minimum	Maximum	0-2	2-5	5-10	10-20	20-40
May	3.15	22.23	2	11.7	58.8	23.53	5.8
August	0.10	5.80	51.43	47.06	17.65	0	0
November	2.53	26.40	0	47.6	35.29	11.76	5.88

स्रोत :- भूमिगत जल वार्षिक पुस्तिका मध्यप्रदेश (2014-15)

दशकीय भूमिगत जल स्तर का परिवर्तन (2004-2013) की 2014 से तुलना

Month	Rang in Metar				Rise			Fall			Percent (%)	
	Rise		Fall		0-2	2-4	>4	0-2	2-4	>4	Rise	Fall
	Min	Max	Min	Max								
May	0.36	1.93	1	2.89	71.43	0	0	21.43	7.14	0	71.43	28.5
August	0.26	15.32	0.05	1.06	28.25	14.29	42.8	14.29	0	0	85.71	14.29
Nov	0.29	3.36	0.13	3.28	42.86	14.29	0	21.43	21.43	0	57.14	42.86
Jan	0.05	3.23	0.21	6.6	21.43	7.14	0	28.57	28.57	14.29	28.27	71.43

परिशिष्ट

जिले में सिंचाई विकास 1991-2014

वर्ष	नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र (हे.)	नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र (हे.)	कुआ द्वारा सिंचित क्षेत्र (हे.)	अन्य स्रोतों से सिंचित क्षेत्र (हे.)	स्कल सिंचित क्षेत्र (हे.)
1990.91	2128	17367	52069	5108	76672
1991.92	987	19966	62044	5371	88368
1992.93	1021	22441	70525	11019	105006
1993.94	2186	25707	72962	14051	114906
1994.95	2124	36101	83286	11564	133075
1995.96	2404	42309	86474	10718	141905
1996.97	2046	53234	76059	13861	145200
1997.98	2230	60736	74930	15299	153195
1998.99	1190	48896	100618	7138	157842
1999.00	1141	56432	99262	7986	164821
2000.01	1335	62125	98053	7902	169415
2001.02	1335	62598	97491	9867	171291
2002.03	1080	65666	94476	9109	170331
2003.04	1061	72335	91069	8631	173096
2004.05	1010	72836	93028	5728	172602
2005.06	1095	75366	92164	6902	175527
2006.07	1095	77210	92766	7418	178489
2007.08	1095	77413	92975	7020	178503
2008.09	1095	87413	92975	3627	185110
2009.10	1095	87507	92981	3587	185170
2010.11	1095	92507	92981	3587	190170
2011.12	1880	301588	8691	0 11840	402218
2012.13	7414	319804	8561	4 13168	426000
2013.14	7414	319804	8561	4 13168	426000

स्रोत- जिला सांख्यिकीय पुस्तिका।

संगठित खुदरा बाजार (मॉल) का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का अध्ययन (इन्दौर शहर के विशेष सन्दर्भ में)

अलका शर्मा *

प्रस्तावना - खुदरा क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो कि इसके विकास की गति को बड़े पैमाने पर निर्धारित करता है। भारत चीन और जापान के बाद एशिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार है और खुदरा भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उक्त क्षेत्र पारम्परिक गांव मेलों, सड़क किनारे फुटपाथ से चमकदार मॉल और शानदार दुकानों से नाटकीय रूप से विकसित हुआ है, तथा पूर्ण प्रतियोगिता के साथ वृद्धि कर रहा है। भारत में खुदरा क्षेत्र में खाद्य खुदरा विक्रेताओं, स्वास्थ्य, सौन्दर्य उत्पादों, कपड़े, जूते, घर के फर्नीचर, घरेलू सामान, अवकाशकालीन मनोरंजन सामग्री और व्यक्तिगत सामान जैसे विभिन्न उत्पाद श्रंखला शामिल है। खुदरा बाजार में खाद्य, पेय और कपड़ों के क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है और तेजी से बढ़ रहा है।¹ खुदरा बाजार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत और रोजगार का 8 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत के खुदरा क्षेत्र का आकार लगभग 450 अरब डॉलर का है और कुल बाजार का 5 प्रतिशत खुदरा बाजार द्वारा उत्पादित है। खुदरा क्षेत्र कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है और ग्रामीण भारत में गहरा प्रभाव है तथा ग्रामीण क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है। भारत के निवेश आयोग के अनुसार खुदरा क्षेत्र 2015 में 660 अरब डॉलर तक हो गया।

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने का मुख्य कारण यही है कि यह घरेलू निवेश को पूरक करता है घरेलू कम्पनियों को पूरक और कला प्रौद्योगिकियों के राज्य में उन्नत पहुँचन के माध्यम से एफडीआई के माध्यम से लाभ हुआ है, वैश्विक प्रबंधकीय प्रथाओं और वैश्विक बाजारों में एकीकरण के अवसरों के सम्पर्क में जीवनशैली, शिक्षा, यात्रा और प्रयोज्य आय में परिवर्तन ने भारतीय उपभोक्ता के उपभोग तरीकों को बदल दिया है।² भारत में संगठित खुदरा व्यापार को विस्तारित करने की बहस में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस प्रक्रिया का अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव होगा या नहीं, संगठित खुदरा व्यापार के पक्ष में लोगों का मत है कि इसी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ-साथ रोजगार के स्तर अर्थात् उच्च वेतन वाले रोजगार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। साथ ही संगठित क्षेत्र में व्यापार के बहुत सारे अवसर निवेशकों को मिलेंगे, भारत जैसे देश जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, में ग्राहकों की माँग की पूर्ती भी संगठित क्षेत्र द्वारा समुचित रूप में हो पाएगी, संगठित क्षेत्र का दूसरा लाभ किसानों को भी होगा।³

शोध विषय पर साहित्य समीक्षा - लाथेर एस. ए. एवं कौर टी. (2006)⁴ "It's All At the Mall - Exploring Present Shopping Experiences" में भारत में मॉल पर अपने अध्ययन में खरीदारी करने के लिए दुकान व्यवस्था पर चयनित विशेषताओं के प्रभाव का विश्लेषण किया।

खुदरा प्रारूप पर क्रेता का क्रय निर्णय तथा दुकान की विशेषता पर निर्भर करता है। गोयल अनिता तथा सिंह एन. पी. (2007)⁵ - ने "Consumer Perception about Fast Food in India : An Exploratory Study," में भारतीय युवा उपभोक्ताओं द्वारा फास्ट फूड की मांग व पसंद को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के महत्व का अध्ययन किया। सेनगुप्ता (2008)⁶ - ने " Emergence of modern Indian retails : an historical perspective" में भारत में संगठित खुदरा विक्रेताओं, असंगठित खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, उपभोक्ता वस्तु निर्माताओं, संगठन के सदस्यों, और राजनेताओं से उत्पादकों तथा असंगठित खुदरा विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। झांब, दिपिका एवं रवि किरन (2010)⁸ ने भारत में संगठित क्षेत्र का अध्ययन किया जिसमें अधोसंरचना का अर्थव्यवस्था विकास और उपभोक्ता की परिवर्तित होती पसंद भारत में संगठित क्षेत्र के बढ़ने के मुख्य कारण है। गुप्ता, अमिषा (2010)⁹ ने भारतीय खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पर शोध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय उद्योगों को विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। अतः भारतीय खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बगैर रोक-टोक के प्रवेश देना चाहिए। जयवर्धन (2011)¹⁰ - ने मध्यभारत में किए गए अध्ययन "Effects of retail employees' behaviours on customers' service evaluation" में खुदरा कर्मचारियों के ग्राहक और सेवा अभिविन्यास के प्रभाव तथा सेवा गुणवत्ता, ग्राहक की धारणाओं, सेवा गुणवत्ता तथा मूल्य, ग्राहक सन्तुष्टि और व्यवहारवादी मनोवृत्ति के मध्य सम्बन्ध देखा गया। अध्ययन ग्राहक सन्तुष्टि मूल्य से सम्बन्धित है तथा ग्राहक सन्तुष्टि खुदरा व्यापारी के व्यवहार से सम्बन्धित है। केसरी, राजेश एवं श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार (2011)¹¹ के अनुसार भारत में संगठित खुदरा व्यापार की पहुँच बहुत कम क्षेत्रों व शहरों तक सीमित होने के कारण संगठित क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव की जांच करना कठिन है। जयचन्द्रन, हेमलता एवं हेदर यास्मीन (2011)¹² ने संगठित क्षेत्र का परम्परागत बाजार पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया कि संगठित क्षेत्र को परम्परागत बाजार पर प्रभाव बहुत कम है अपितु, परम्परागत व्यापारी संगठित क्षेत्र से व्यापार के नए तरीके सीख सकते हैं। पाण्डे, शिशिर एवं कुमार सुनील (2012)¹³ - ने अपने अध्ययन में भारतीय खुदरा क्षेत्र का गहन अध्ययन करते हुए बताया कि संगठित क्षेत्र अभी विकास के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में संगठित खुदरा क्षेत्र की भारतीय बाजार में अधिक मजबूती से स्थापित होने की संभावना है। हाण्डा, विदुषी एवं नवनीत ग़ोवर (2012)¹⁴ - ने अपने शोध कार्य में भारत में खुदरा क्षेत्र के लिए चुनौतियों का अध्ययन करते हुए बताया कि भारत में खुदरा क्षेत्र विकसित हो रहा है। खुदरा के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी भी भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रवेश

करने से भारतीय खुदरा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव का अनुमान है।

अध्ययन के उद्देश्य -

- संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र का उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना - H_0 - खुदरा व्यापार क्षेत्र ने उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि - प्राथमिक समंको के संकलन के लिए इन्दौर शहर के प्रमुख क्षेत्र में स्थित मॉल के अन्तर्गत प्रमुख मॉल से दैव निदर्शन विधि द्वारा 20 पुरुष एवं 20 महिला उत्तरदाताओं को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण का आधार बनाया गया है। इन्दौर शहर के प्रमुख संगठित खुदरा बाजार (मॉल) से चयनित मॉल में दैव निदर्शन विधि द्वारा 100 उत्तरदाता महिलाएँ एवं 100 पुरुष उत्तरदाता के अनुसार कुल 200 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण साक्षात्कार अनुसूचित के आधार पर किया गया है।

परिकल्पना - 2

H_0 : खुदरा व्यापार क्षेत्र का उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

H_1 : खुदरा व्यापार क्षेत्र का उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उक्त शुन्य परिकल्पना का परीक्षण में उपभोक्ताओं को कम मूल्य की वस्तु, उच्च गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि की जांच के परिणाम काई-वर्ग तालिका से स्पष्ट है-

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-side)
Pearson Chi-Square	190.424a	5	.000
N of Valid Cases	200		

Pearson's R=0.729 (Sig. 0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 5 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_{1-11.000}$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 190.42$ प्राप्त होता है।

अर्थात् $11.000 < 190.424$ या $\chi^2_1 < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिमाणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.72 प्रतिशत (0.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर) अर्थात् उच्च स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शुन्य परिकल्पना ($H_0 =$) अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना H_1 : खुदरा व्यापार क्षेत्र का उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वीकृत होती है।

अतः कहा जा सकता है कि संगठित खुदरा बाजार (मॉल) की स्थापना से उपभोक्ताओं के व्यय में कमी, वस्तुओं की साधारण दुकानों से कम किमत, उपहारों का अतिरिक्त लाभ, वस्तुओं एवं सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, क्रय-विक्रय में सुविधा, क्रय एवं मनोरंजन एक साथ होने के अतिरिक्त, क्रय तकनीकी, भुगतान सुविधा, क्रय पश्चात् सेवाओं के विकास एवं क्रय व्यवहार को यादगार बनाने से उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता में वृद्धि के आधार पर कहा जा सकता है कि संगठित खुदरा बाजार का उपभोक्ताओं पर प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ा है।

निष्कर्ष - खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है, जिससे खाने-पिने, रहन-सहन, बाजार परिस्थितियों के प्रति जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता, शोषण से मुक्ति जैसी महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। एक स्थान पर सभी प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं

(देशी-विदेशी) की विशाल श्रृंखला, ब्रान्डेड वस्तुओं की उपलब्धता, भुगतान के विभिन्न तरीके, पार्किंग सुविधा, ताजे फल व सब्जियाँ, सामान्य बाजार की तुलना में कम मूल्य, विक्रेताओं एवं मॉल कर्मचारियों का सभ्य व्यवहार, वस्तुओं एवं सेवाओं का आकर्षक प्रदर्शन आदि सुविधाओं के विकास से उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को यादगार एवं सम्मानजनक बनाने से संगठित खुदरा बाजार (मॉल) का प्रभाव उपभोक्ताओं पर बहुत अच्छा व सकारात्मक पड़ा है।

खुदरा व्यापार क्षेत्र ने मध्यस्थों को दूर कर उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संगठित खुदरा बाजार (मॉल) की स्थापना से उपभोक्ताओं के व्यय में कमी से अतिरिक्त वस्तुओं के क्रय निर्णय में वृद्धि, वस्तुओं की साधारण दुकानों से कम किमत, उपहारों का अतिरिक्त लाभ, वस्तुओं एवं सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, क्रय-विक्रय में सुविधा, क्रय एवं मनोरंजन एक साथ होने के अतिरिक्त, क्रय तकनीकी, भुगतान सुविधा, क्रय पश्चात् सेवाओं के विकास एवं क्रय व्यवहार को यादगार बनाने से उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता में वृद्धि के आधार पर कहा जा सकता है कि संगठित खुदरा बाजार का उपभोक्ताओं पर प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ा है। संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र से कृषकों को भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। संगठित खुदरा बाजार के विकास से कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में कृषि उपज मण्डियों में कृषि उपज के लिए सर्म्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जिससे सभी वर्ग के कृषक अपनी उपज को स्थानीय बाजार, साहुकार, मध्यस्थ के स्थान पर सिधे कृषि उपज मण्डियों में विक्रय करने लगे हैं। अतः संगठित क्षेत्र के विकास से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने से कृषकों की आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Zeithaml, V. (1985). The new demographics and market fragmentation. *Journal of Marketing*, 49, 64-75.
2. Rajib Bhattacharyya (2012). The Opportunities and Challenges of FDI in retail in India. *Journal of Humanities and social science (JHSS)*, 5(5), p- 104
3. Ramachandran, A., Kavitha, N., Veni, N.K. (2008). "Foreign direct investment and the economic scenario". *The Economic Challenger*, 39 (10), page-44.
4. Lather, S. A., and Kaur, T. (2006). "It's All At the Mall: Exploring Present Shopping Experiences", *Indian Journal of Marketing*, August issue, 36(8).
5. Anita Goyal and N.P. Singh (2007), "Consumer Perception about Fast Food in India: An Exploratory Study," *British Food Journal*, 109.2, pp.182 - 195.
6. Sengupta, A. (2008). Emergence of modern Indian retail: an historical perspective. *International Journal of Retail and Distribution Management*, 36(9), 689-700.
7. Jhamb, Deepika and Ravi Kiran (2010): "Organized retail in india - Drivers facilitator and SWOT analysis" *Asian Journal of Management Research*, Volume 2 issue 1 ISSN No.2292-3795. Pp-264
8. Gupta, Amisha (2112): " Foreign Direct Investment in Indian Sector: Research and Educational consortiwn" *IJMMR*, Vol 1, issu 1 ISSN - 2229-6803. P-6
9. Jayawardhena, C. (2011). Effects of retail employees'

- behaviours on customers' service evaluation. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 39 (3), 203-217.
10. Kesari, Rajesh and Shrivastava Abhishek Kumar (2011) : "Foreign Direct Investment (FDI) in Retail Sector, Concern for Ama Aadmi", *International Journal of Multidisciplinary Research*, Vol 1, issue-6. ISSN no. 2231-5780, p-200
 11. Jeyachandran, Hemalatha and haider Yasmeen (2011): "Impact of organized Retailers on Traditional Markets: Implication for India": the international journal of economics and business studies, vol 1 no. 1 ISSN 2251-1555, p-21
 12. Pandey, shishir and kumar sunil (2012) : " A critical analysis of indian retail sector: is it boom or boom?: *International journal of business economics and management research*', vol 2 issue 4 ISSN – 2249-8826. P-235
 13. Handa, vidushi and grover navneet (2012) "Retail sector in india: Issue and challenges": *international journal of multidisciplinary research*, vol-2 issue-6 ISSN no- 2231-5780, p-244.

राजस्थान में निर्धनता उन्मुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन

नीलू मारु *

शोध सारांश - निर्धनता एक सर्वव्यापी समस्या है, यह न केवल भारत वरन् राजस्थान कि भी प्रमुख समस्या है। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए हैं। इन योजनाओं ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में निर्धनता निवारण के लिए इंदिरा आवास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री बी.पी.एल आवास योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि योजनाएँ चल रही हैं। इस शोध पत्र में राजस्थान के दो जिलों में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के प्रभाव को देखा गया है। इस अध्ययन के लिए प्राथमिक आंकड़ों का संकलन अनुसूची विधि विधी के द्वारा किया गया है तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए योजना के लाभार्थी व गैर लाभार्थी के बीच तुलना की गई।

शब्द कुंजी - निर्धनता, लाभार्थी व गैरलाभार्थी, राजस्थान।

प्रस्तावना - निर्धनता एक सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक सामाजिक आर्थिक समस्या है। गरीबी एक अभिशाप ही नहीं वरन् विश्व शान्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही कई निर्धनता निवारण कार्यक्रम चालू किए गए परन्तु इन कार्यक्रमों से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। फलतः पाँचवी पंचवर्षीय योजना से निर्धनता पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले को प्रत्यक्ष लाभ की योजनाएँ दी गईं। वर्तमान में निर्धन परिवारों को आवास, खाद्यान्न तथा रोजगार देने हेतु कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं जैसे आवास प्रदान करने हेतु इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, खाद्यान्न हेतु अन्त्योदय अन्न सुरक्षा योजना, रोजगार प्रदान करने हेतु मनरेगा आदि कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री बी.पी.एल जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना आदि कई योजनाएँ निर्धनता निवारण के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं।

उद्देश्य -

1. निर्धनता निवारण योजनाओं की सार्थकता अध्ययन।
2. लाभार्थी व गैर लाभार्थी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
3. चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के निर्धनता पर प्रभाव की तुलना।

परिकल्पना -

1. लाभार्थी व गैर लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं।
2. लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों का आर्थिक स्तर दोनों जिलों में एक समान है।

शोध पद्धति - इन विभिन्न निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का लाभ चयनित

परिवारों को कितना मिला, ये योजनाएँ गरीबी उन्मूलन में सार्थक हुई या नहीं, इसके आंकलन के लिए दो जिलों चित्तौड़ व उदयपुर का चयन किया गया, प्रत्येक जिले से दो-दो पंचायत समिति लेकर बीस गांवों से चार सौ प्रतिदर्श लिए गए, जिसमें 200 प्रतिदर्श लाभार्थी तथा 200 प्रतिदर्श गैर-लाभार्थी थे। प्रत्येक गांव से 20 प्रतिदर्श लिए जिनमें से 10 योजना के लाभार्थी व 10 गैर लाभार्थी थे इस प्रकार कुल 400 प्रतिदर्श लिए गए जिनमें से 200 लाभार्थी व 200 योजना के गैर लाभार्थी थे। लाभार्थियों पर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के प्रभाव के आंकलन हेतु एनोवा टेस्ट का उपयोग किया गया। आंकड़ों का संकलन अनुसूची विधि से किया गया एक परिवार से एक अनुसूची भरवाई गई। प्रत्येक परिवार को यादृच्छ प्रतिदर्श प्रणाली द्वारा चुन कर उनसे अनुसूचीया भरवाई गई।

हमारी परिकल्पना के अनुसार लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों में सार्थक अन्तर का आंकलन करने के लिए एनोवा का उपयोग किया गया। लाभार्थियों और गैर-लाभार्थियों के बीच अन्तर को जांचने के लिए 15 मापकों को दर्शाया गया तथा बाद में सारणियों में परिवर्तित किया गया। सूचकांकों के निर्माण के लिए लाभार्थी व गैर लाभार्थी परिवारों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को आधार बनाया गया।

सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक - धन में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति स्वामित्व में वृद्धि से सम्बन्धित है। लोगों के पास भूमि तथा पशुधन के अलावा ओर भी कई सम्पत्ति के साधन होते हैं इसीलिए सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक के लिए कुछ परम्पसेट, बिजली का कनेक्शन, टीवी, मोबाईल, बाईक/स्कूटर, पंखा, शौचालय, जुगाड़, कार, जीप, साईकिल, कूलर, अलमारी, कम्प्यूटर, चूल्हा, गैस, स्टोव आदि से बनाया गया। लाभार्थी व गैर-लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर तथा बचतों में वृद्धि उन्हें इन टिकाऊ वस्तुओं की तरफ आकर्षित करते हैं।

चरों को सूचकांकों में बदलने के लिए चयनित परिवारों द्वारा दिए गए सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को एक समान भार दिया गया। सूचकांक बनाने के लिए कुल सकारात्मक उत्तरों को कुल प्रतिदर्श व कुल चरों की

संख्या से भाग दिया गया। प्राप्त हुई संख्या को 100 से गुणा किया गया ताकि परिणामित सूचकांक का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बीच रहे।

सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक - लाभार्थी

क्र.सं.	चर	सकारात्मक उत्तर देने वाले परिवार	
		भूपालसागर	डूंगला
1	कुए पर पम्पसेट	4	1
2	बिजली का कनेक्शन	47	26
3	टीवी	11	10
4	मोबाईल	28	26
5	बाईक/स्कूटर	2	1
6	पंखा	30	24
7	शौचालय	19	13
8	कार/जीप/जुगाइ	0	0
9	साईकिल	18	24
10	कुलर	10	0
11	अलमारी	22	16
12	कम्प्यूटर	0	0
13	चूल्हा	47	44
14	गैस	2	2
15	स्टोव	1	4
		30.93	25.47
चितौड़ जिले के लाभार्थियों का सूचकांक		28.2	

सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक - गैर लाभार्थी

क्र.सं.	चर	सकारात्मक उत्तर देने वाले परिवार	
		भूपालसागर	डूंगला
1	कुए पर पम्पसेट	1	2
2	बिजली का कनेक्शन	31	17
3	टीवी	4	4
4	मोबाईल	17	18
5	बाईक/स्कूटर	1	0
6	पंखा	15	16
7	शौचालय	3	4
8	कार/जीप/जुगाइ	0	0
9	साईकिल	6	12
10	कुलर	0	0
11	अलमारी	8	6
12	कम्प्यूटर	0	0
13	चूल्हा	50	50
14	गैस	0	0
15	स्टोव	0	0
		18.12	17.20
चितौड़ जिले के गैर-लाभार्थियों का सूचकांक		17.67	

सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक - लाभार्थी

क्र.सं.	चर	सकारात्मक उत्तर देने वाले परिवार	
		मावली	झाड़ोल
1	कुए पर पम्पसेट	3	6
2	बिजली का कनेक्शन	34	29
3	टीवी	10	2
4	मोबाईल	25	26
5	बाईक/स्कूटर	2	0
6	पंखा	34	11
7	शौचालय	9	2
8	कार/जीप/जुगाइ	0	0
9	साईकिल	20	16
10	कुलर	1	0
11	अलमारी	16	2
12	कम्प्यूटर	0	0
13	चूल्हा	45	50
14	गैस	3	0
15	स्टोव	1	0
		27.07	19.20
उदयपुर जिले के लाभार्थियों का सूचकांक		23.125	

सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक - गैर लाभार्थी

क्र.सं.	चर	सकारात्मक उत्तर देने वाले परिवार	
		मावली	झाड़ोल
1	कुए पर पम्पसेट	0	2
2	बिजली का कनेक्शन	12	18
3	टीवी	1	0
4	मोबाईल	12	23
5	बाईक/स्कूटर	0	0
6	पंखा	10	7
7	शौचालय	0	0
8	कार/जीप/जुगाइ	0	0
9	साईकिल	8	1
10	कुलर	0	0
11	अलमारी	4	1
12	कम्प्यूटर	0	0
13	चूल्हा	49	50
14	गैस	0	0
15	स्टोव	0	0
		12.80	13.60
उदयपुर जिले के गैर-लाभार्थियों का सूचकांक		13.20	

हमने चितौड़ जिले के भूपालसागर पंचायत समिति में लाभार्थी परिवारों के सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक का मूल्य 30.93 आया, जबकि गैर लाभार्थी परिवारों का सम्पत्ति सूचकांक का मूल्य 18.12 था। डूंगला पंचायत समिति में भी लाभार्थियों के सम्पत्ति सूचकांक का मूल्य 25.47 था जो गैर लाभार्थियों के सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक के मूल्य 17.20 से काफी अधिक है लाभार्थियों के सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक का मूल्य गैर लाभार्थियों के सम्पत्ति स्वामित्व

सूचकांक के मूल्य से अधिक है जो निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। लाभार्थियों के पास गैर-लाभार्थियों की तुलना में जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के साधन अधिक पाए गए। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति में लाभार्थी परिवारों का सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक का मूल्य 27.07 प्राप्त हुआ जो गैर-लाभार्थी परिवारों का सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक के मूल्य 12.80 से अधिक है। झाड़ोल पंचायत समिति में भी लाभार्थी परिवारों का सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक का मूल्य 19.20 गैर लाभार्थी परिवारों के सम्पत्ति सूचकांक के मूल्य 13.60 से अधिक पाया। इससे स्पष्ट है कि लाभार्थी परिवारों के पास जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साधन गैर लाभार्थी परिवारों से अधिक है जो निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं।

दोनों जिलों के लाभार्थी व गैर लाभार्थी परिवारों की संयुक्त तालिका सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक

क्र.सं.	जिला	लाभार्थी	गैर लाभार्थी
1	चितौड़	28.20	17.67
2	उदयपुर	23.13	13.20

सारणी से स्पष्ट है कि दोनों जिलों के लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों के सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक में काफी अन्तर है जो निर्धनता निवारण कार्यक्रमों

की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं।

दो परिकल्पनाओं के माध्यम से एनोवा को दो तरह से वर्गीकृत किया गया दोनों परिकल्पनाओं की सामान्य गणना के बाद दोनों को एक साथ सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी - सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक (देखें)

यह परिकल्पना की लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों के आर्थिक स्तर में कोई अन्तर नहीं है का F मूल्य 35.576 है तथा दूसरी परिकल्पना कि लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों का आर्थिक स्तर दोनों जिलों में समान है कि F मूल्य 7.719 है यह दोनों मूल्य F बंटन के 5 प्रतिशत क्रांतिक क्षेत्र के अनुसार गलत साबित हुए हैं। अन्य शब्दों में अध्ययन के सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों का आर्थिक स्तर एक समान नहीं है। योजनाओं का लाभ मिलने से लाभार्थियों का आर्थिक स्तर बढ़ा है। दोनों जिलों में भी लाभार्थियों व गैर लाभार्थियों का आर्थिक स्तर एक समान नहीं है अर्थात् दोनों जिलों में योजनाओं का समान लाभ नहीं मिला है। चितौड़ में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का अधिक लाभ हुआ है।

सुझाव- जनता को जागरूक किया जाए तथा सभी तक योजना का लाभ पहुंचे इसकी सुनिश्चितता हो।

सारणी - सम्पत्ति स्वामित्व सूचकांक

	स्त्रोत	Type III sum of square	Degree of freedom	Mean square	F Value
1	लाभार्थी और गैर लाभार्थी के मध्य	2356.225	1	2356.225	35.576
2	दोनों जिलों के मध्य	511.225	1	511.225	7.71

R Square = 0.546s

बालाघाट जिले की बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. महेश कुमार धुर्वे * डॉ. सुधन्वा सिंह नेताम **

प्रस्तावना - प्रकृति की सबसे सुन्दर कृति है - मानव। प्रकृति प्रदत्त उपहारों का उपयोग करता हुआ मानव आज विकास की नई-नई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और मानव के समग्र विकास का मूल आधार है शिक्षा। शिक्षा, समाज और संस्कृति की गतिशीलता, विकास व शोधन की वह अनिवार्य कड़ी है जिसके माध्यम से ही मानव में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। यह समाज में चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा जहाँ एक ओर मानव प्रगति का मूल आधार है तो वहीं आर्थिक एवं भौतिक विकास की कुंजी है। जिस प्रकार शरीर में हृदय सब अंगों को स्वस्थ रक्त पहुँचाने का कार्य करता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा, समाज में नई प्रतिभाएँ सृजित करता है और यहीं प्रतिभाएँ राष्ट्र के नव निर्माण की कड़ी होती है।

21 वीं सदी में विश्व के साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वैश्विक साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। 2011 के जनगणना आकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 75.06 प्रतिशत है जोकि 1947 में मात्र 18 प्रतिशत थी। भारत की साक्षरता दर हाँलाकि वैश्विक साक्षरता दर 84 प्रतिशत से कम है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता केवल 65.46 प्रतिशत है। उसी प्रकार म.प्र. में साक्षरता 2011 के अनुसार 70.63 प्रतिशत है, जहाँ पुरुष साक्षरता 80.5 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 60.0 प्रतिशत है।

भारत में जनजातीय साक्षरता दर 59.00 प्रतिशत एवं म.प्र. में 50.6 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय एवं राज्य की साक्षरता दर से बहुत कम है। शोध क्षेत्र बालाघाट जिले में साक्षरता दर 70.09 प्रतिशत के मुकाबले जनजातीय साक्षरता दर 66.7 प्रतिशत है। यद्यपि 'बालाघाट जिला जनजातीय साक्षरता में म.प्र. में प्रथम स्थान पर है।' किन्तु यह आकड़े समग्र जनजातीय समुदाय के आधार पर है। शोध क्षेत्र में अनेक जनजातियाँ निवास करती है, जिनमें शासन द्वारा घोषित 'विशेष पिछड़ी जनजाति' 'बैगा' भी है। बैगा समुदाय में आज भी साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त कम है। शासन द्वारा इनके समग्र विकास की योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है एवं बैगा जनजाति क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं जैसे - एकलव्य विद्यालय की स्थापना छात्रावास/आश्रम योजना, जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र छात्रावास, छात्रगृह योजना, राज्य छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, विद्यार्थी कल्याण योजना, मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना, निःशुल्क सायकिल प्रदाय

योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना, कोचिंग योजना, बैगा युवा-युवतियों को सीधे शासकीय सेवा में नियुक्ति आदि अनेक योजनाएँ संचालित हैं किन्तु अध्ययन क्षेत्र में इन योजनाओं का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है।

अध्ययन क्षेत्र में बैगा जनजाति - अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले की कुल 10 तहसील में बैगा जनजाति मुख्य रूप से बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील में पायी जाती है। तीनों तहसील म.प्र. के 'एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना' के अन्तर्गत 'बैगा विकास प्राधिकरण' के अन्तर्गत आते हैं। बैहर परियोजना के अंतर्गत 481 ग्राम हैं, जिसमें 2001 में जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर 190 बैगा ग्राम हैं, जो कि तहसीलवार निम्नानुसार है -

बैगा विकास अभिकरण में बैगा ग्राम एवं जनसंख्या (2001) (सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)

इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिकरण के अंतर्गत कुल 190 ग्राम में 3941 परिवारों की कुल जनसंख्या 17146 है।

पूर्व साहित्य का अनुशासन -

1. 'पटेल' (1984) ने अपने अध्ययन शीर्षक 'प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर ट्राईल डवलपमेंट' में बैगा जनजाति का अध्ययन कर पाया कि यह जनजाति विकास से बहुत दूर है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर कमजोर है। इसके विकास हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
2. 'सोनवानी (1997) में लघु शोध प्रबंध 'मण्डला जिले के चाण्डा क्षेत्र के बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन कर पाया, कि शैक्षणिक स्थिति कमजोर होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अनुसूची पद्धति को अपनाया गया है। जिले के तीन विकासखण्ड बैहर, बिरसा व परसवाड़ा में से उद्देश्य के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड से 10-10 प्रतिशत परिवारों का चयन देव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है।

उद्देश्य -

1. बैगा जनजाति समुदाय में शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना।

परिकल्पना -

1. बैगा जनजाति समाज शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है।
2. उच्च शिक्षा से यह समाज कोसों दूर है।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र बालाघाट जिले की बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील है जहाँ मुख्यतः बैगा जनजाति निवास करती है।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.) भारत

** शासकीय महाविद्यालय मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.) भारत

शोध सामग्री – प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से संकलित प्राथमिक संमकों का उपयोग किया गया।

अध्ययन की आवश्यकता – बैगा जनजाति को केन्द्र एवं राज्य सरकार ने 'विशेष पिछड़ी जनजाति' की श्रेणी में रखा है। आजादी के बाद से इसके विकास की अनेक योजनाएं आयीं, यहां तक विशेष योजनाओं का संचालन भी हुआ, फिर भी इस जनजाति का अपेक्षित विकास नहीं हो पा पाया। शिक्षा का स्तर क्यों नहीं उठ पाया। इन सवालों का उत्तर ढूढना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

सर्वेक्षित परिवारों की संख्या – अध्ययन हेतु बैहर तहसील के 8 गांव से 154 परिवार, तहसील के 5 ग्रामों से 164 परिवार एवं परसवाड़ा तहसील के 7 ग्रामों से 74 परिवार कुल, 20 ग्रामों के 392 परिवारों का चयन किया गया है।

सर्वेक्षित परिवारों की संख्या

क्र.	विकासखण्ड	कुल ग्राम	परिवार संख्या
1	बैहर	8	154
2	बिरसा	5	164
3	परसवाड़ा	7	74
	योग	20	392

सूचनादाताओं का आयु वर्ग – सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न आयु के सूचनादाताओं से जानकारी ली गई है। अधिकांश सूचनादाताओं की आयु 20 से 40 के बीच है। नीचे निम्न तालिका से दर्शाया गया है :-

सूचनादाताओं का आयु वर्ग का प्रतिशत (सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा का स्तर – शासन द्वारा बैगा जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उठाने की दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग (जनजाति कार्य विभाग) के माध्यम से अनेक योजनाएँ संचालित किये जा रहे हैं। किन्तु

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़े चौकाने वाले हैं। सर्वेक्षित 392 परिवारों में शिक्षा की स्थिति को निम्न तालिका से दर्शाया गया है।

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा का स्तर **(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में प्राथमिक शिक्षा का प्रतिशत 27.55 माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत 3.32 हाईस्कूल शिक्षा का प्रतिशत 0.26 हायर सेकेण्ड्री 0.76 एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 0.26 है। स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रतिशत शून्य है। अशिक्षित परिवारों का प्रतिशत 67.85 है। इस प्रकार बैगा जनजाति समुदाय में मात्र 32.15 प्रतिशत साक्षरता है।

निष्कर्ष – इस प्रकार अध्ययन के आधार पर निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि शासन की तमाम योजनाओं के बाद भी बैगा जनजाति में शिक्षा का स्तर अत्यंत कमजोर है। 67.85 निरक्षरता इस बात को स्पष्ट करता है। उच्च शिक्षा शून्य के बराबर है। निश्चित ही अशिक्षा ही इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

सुझाव – बैगा जनजाति के समग्र विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए ताकि इनमें सामान्य बुद्धि के विकास के साथ-साथ समाज का विकास एवं स्वयं को समझने एवं स्वविकास हेतु निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। शैक्षणिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ शिक्षा का स्तर उठाने और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पटेल एम.एल (1984) प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर ट्रायबल डवलपमेंट , इण्डिया पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. सोनवानी, अर्जुनकुमार (1997) मण्डला जिले के चाडां क्षेत्र के बैगा जनजाति की शैक्षणिक उन्नति का समीक्षात्मक अध्ययन लघुशोध प्रबंध , शिक्षा महावि. डॉ.हरिसिंह वि.वि.सागर।
3. भारत की जनगणना 2011 इंटरनेट से प्राप्त आकड़े।
4. बैगा विकास अभिकरण बैहर जिला -बालाघाट।

बैगा विकास अभिकरण में बैगा ग्राम एवं जनसंख्या (2001)

क्र.	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	बैगा परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	बैहर	72	1549	6602
2	बिरसा	52	1644	7547
3	परसवाड़ा	66	748	2997
	योग	190	3941	17146

स्रोत – बैगा विकास अभिकरण बैहर, बालाघाट।

सूचनादाताओं का आयु वर्ग का प्रतिशत

क्र.	आयु वर्ग	विकासखण्ड			योग	प्रतिशत
		बैहर	बिरसा	परसवाड़ा		
1	10-20	0	0	0	0	0
2	20-40	68	97	38	203	51.8
3	40-60	73	54	33	160	40.8
4	60 अधिक	13	13	3	29	7.4
	योग	154	164	74	392	100.00

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा का स्तर

क्र.	विकासखण्ड	परिवार संख्या	अशिक्षित	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	हाई स्कूल शिक्षा	हायर सेक . शिक्षा	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य
1	बैहर	154	102	41	8	0	3	0	0	0
2	बिरसा	164	101	60	2	1	0	0	0	0
3	परसवाड़ा	74	63	7	3	0	0	1	0	0
	योग	392	266	108	13	1	3	1	0	0
	प्रतिशत	100.00	67.85	27.55	3.32	0.26	0.76	0.26	0	0

स्रोत - सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़े।

मध्यशोध शासन की विभिन्न योजनाएँ

डॉ. शशि किरण नायक * डॉ. रोहिणी त्रिपाठी**

प्रस्तावना - मध्यशोध की बेटियों के लिए लाइली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान जैसी महती योजनाएँ शुरू की तो वहीं बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन जैसी योजना चलाकर बुजुर्गों के उस सपने को भी साकार किया है, जिसे वो सिर्फ कल्पना मात्र ही समझते थे।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना - मध्य शोध के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाई गई, तो वहीं छात्र-छात्राओं की बेहतर पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री मेधावी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को 70 प्रतिशत एवं इससे ज्यादा अंक एवं सीबीएसई - आईसीएसई के 12वीं के विद्यार्थियों के 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने पर उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना में वे विद्यार्थी ही शामिल हो सकेंगे, जिनके पालक या पिताजी की वार्षिक आय 6 लाख या इससे कम होगी। इसके अलावा 12 वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये की राशि लेपटॉप के लिए भी मिलेगी।

22 हजार 35 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिए ऑनलाइन राशि दी गई है। इसके अलावा अन्य 66 हजार बच्चों के खातों में राशि जल्दी ही पहुँचाई जा रही है।

वर्ष 2009 से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी योजना शुरू की गई। वर्ष 2009-10 में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की संख्या 473 थी, लेकिन वर्ष 2017-18 में यह संख्या लगभग 47 गुना बढ़कर 22 हजार पैंतीस हो गई है। इस वर्ष हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा में कुल 5 लाख 95 हजार छात्र - छात्राएँ शामिल हुए थे, जिनमें से 22035 विद्यार्थियों को समारोह में प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप के लिए ऑनलाइन राशि गई है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अब तक विभिन्न कोर्सों के लिए 27 हजार 515 विद्यार्थियों की 54 करोड़ 62 लाख 67 हजार 73 रुपये की फीस का भुगतान तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। इस दौरान कुल 27 हजार 575 आवेदन आए थे। योजना के तहत आईआईएम के 2 विद्यार्थियों की फीस 8 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा के 288 विद्यार्थियों की एक करोड़ 57 लाख 27 हजार 188, मध्यशोध स्थित आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, एनआईएफटी, एसपीए के 32 विद्यार्थियों की संख्या 40 लाख 73 हजार 200, मध्यशोध के बाहर के इन्हीं संस्थाओं के 178 विद्यार्थियों की एक करोड़ 20 लाख 80 हजार 557, वलेट के 28 विद्यार्थियों की 40 लाख 73 हजार 200, जेईई रैंक के आधार पर शोध के बाहर निजी कॉलेजों के 28 विद्यार्थियों की 38 लाख 51 हजार

802, नीट द्वारा चयनित मेडिकल के 631 विद्यार्थियों की 38 करोड़ 63 लाख 2 हजार, उच्च शिक्षा के 26005 विद्यार्थियों की 10 करोड़ 5 लाख 8 हजार 501 रुपये और अन्य विषयों के 322 विद्यार्थियों की करोड़ 85 लाख 75 हजार 414 रुपये की फीस सरकार द्वारा जमा कराई गई है।

वर्षवार मेधावी विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	छात्र संख्या
2009	473
2010	473
2011	1072
2012	2086
2013	4815
2014	7782
2015	10,061
2016	17,896
2017	18,578
2018	22,036

शोध के किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि, सूखा राहत, फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में गत एक वर्ष में तीस हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना गरीब की जिंदगी बदलने वाली योजना है। इस योजना के माध्यम से शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग को न्याय देने का काम किया जा रहा है। इसमें गरीबों की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जायेगा। इसमें गरीबों को आवास का पट्टा, पढ़ाई, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता, मृत्यु होने पर सहायता और कौशल विकास के मदद दी जायेगी।

राज्य सरकार ने विद्युत के बिलों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया है। आगामी माहों में ग्रामों के समूहों के विशेष कैम्प लगाए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के बिल जमा कर उन्हें शून्य बिल का प्रमाण -पत्र दिया जाएगा। इस तरह उनके बिजली बिलों का पिछला बकाया राज्य सरकार भरेगी। इसके बाद उन्हें फ्लैट रेट पर दो सौ रुपये प्रति माह का बिल दिया जायेगा। राज्य सरकार ने लाइली लक्ष्मी योजना का कानून बनाने का निर्णय लिया है। शोध में अब तक 27 लाख 80 हजार लक्ष्मियाँ हैं। योजना का कानून बनाने से इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

म.प्र. में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया है। शोध के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया जाएगा। शोध में आगामी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक व्यावक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा। गत जून माह में शोध में नदियों के गहरीकरण का कार्य किया गया है। इसमें शामिल होने वाले सभी नागरिकों को बधाई। नर्मदा सेवा मिशन के तहत नदी संरक्षण का काम किया गया है।

मध्यशोध की आम जनता को शिक्षा से जोड़ने की जो अभिनव पहल की जा रही है वह है - स्कूल चलें हम अभियान, जिसके माध्यम से एक निश्चित अवधि में पढ़ने की उम्र वाले सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। अभियान की सफलता और सुफलता के बारे में अपनी राय प्रकट करते हुए नवोदिय मनोशास्त्री स्मिती कुमारी का कहना है कि अगर देश की समस्याओं को खत्म करना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा ही एक मात्र सभी समस्याओं का बेहतर समाधान है। स्कूल चलें हम अभियान की गतिविधियों को बच्चों के प्रति उत्तरदायी बनाने की हर संभव पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अब सरकार, समाज और शिक्षकों को एक राह पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 15 जून, 2018 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शोध की जनता से आह्वान किया कि 'हर बच्चे' को अनिवार्य स्कूली शिक्षा देना समाज और सरकार की मिली जुली जिम्मेदारी है, बच्चों को स्कूलों में नामांकित करते हुए यह जरूरी है कि बच्चों का पढ़ाई आनंददायी लगे न कि बोझ। हर बच्चे में अंतर्निहित प्रतिभा, उर्जा और क्षमता को उजागर करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि बच्चों की झिझक और हिचक टूटना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिभा दब जाती है, बच्चों में भारत निर्माण की क्षमता है और उनकी क्षमता को निखारने और उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी शिक्षक और समाज की है।

वर्ष 2018 में शिक्षा सत्र की शुरूआत 2 अप्रैल से हुई थी। इस कारण स्कूल चले हम अभियान की प्रक्रियाएँ भी 2 अप्रैल 2018 से शुरू हुईं।

मध्यशोध शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल चले हम अभियान 2018-19 के माध्यम से जारी किए गए। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य कक्षा पहली से बारहवीं तक शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश एवं गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। सत्र 2018-19 में भी स्कूल चलें हम अभियान तीन चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वार्षिक मूल्यांकन परिणाम की घोषणा एवं प्रगति पत्रक वितरण के साथ-साथ विशेष रूप से 2 अप्रैल को सत्र प्रारंभ होने की जानकारी दिए जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में शाला प्रबंधन समितियों की विशेष बैठके और विशेष बाल सभाओं का आयोजन कर उनमें उपस्थित सदस्यों को छात्रों के नामांकन, उपस्थित, छात्रों के उपलब्धि स्तर, इंटेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एवं अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में चर्चा करना शामिल किया गया। यह भी कहा गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्थानीय परिस्थिति अनुसार पालक सम्मेलन आयोजित किए जाएं। जिनमें विद्यार्थी के माता पिता (दोनों) को आमंत्रित कर प्रत्येक पालक से बच्चों की शैक्षणिक स्थिति के साथ-साथ विद्यालय की शिक्षा की स्थिति, हितग्राही मूलक योजनाएं एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए आवश्यक सहयोग की अपील की जाए। 2 अप्रैल को प्रवेश उत्सव मनाया जाए और विशेष मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जाए। अप्रैल माह में कक्षा 1 से 8 तक दक्षता उन्नयन जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से रूचिकर एवं आनंददायी वातावरण में सम्पादित किया जाए एवं कक्षा 9 से 12 में दक्षता उन्नयन ब्रिज माड्यूल के माध्यम से कराया जाए। 23 से 30 अप्रैल के मध्य घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाए और विभिन्न योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों की पात्रता का निर्धारण समग्र शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि के माध्यम से समय सीमा में किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यशोध संदेश मध्यशोध शासन भोपाल।
2. विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ।

स्वायत्त शासन के अन्तर्गत कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों का कार्यकरण

हितेश *

प्रस्तावना - भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा प्रान्तीय स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया। इसके अन्तर्गत चुनाव 1937 के आरम्भ में हुए। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को 1585 असेम्बली सीटों में से 711 पर विजय प्राप्त हुई। जुलाई 1937 के दौरान कांग्रेस ने छह प्रान्तों में अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रान्त थे- मद्रास, बम्बई, मध्य प्रान्त, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रान्त। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रान्त व असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकारें थीं।

प्रान्त	प्रधानमंत्री
बंगाल	ए.के. फजलुल हक (कृषक प्रजा पार्टी)
आसाम	सैयद मुहम्मद सादुल्ला (मुस्लिम लीग अप्रैल 1937-सितम्बर 1937) गोपीनाथ बारदोलोई (कांग्रेस 21 सितम्बर 1937-नवम्बर 1939)
पंजाब	सर सिकन्दर हयात खान (यूनियनिस्ट पार्टी)
मद्रास	सी. राजगोपालाचारी (कांग्रेस)
सिन्ध	गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह
बॉम्बे	बालासाहेब गंगाधर खेर (बी. जी. खेर (कांग्रेस))
बिहार	श्रीकृष्ण सिन्हा (कांग्रेस)
संयुक्त प्रान्त	गोविन्द बल्लभ पंत (कांग्रेस)
मध्य प्रान्त	रविशंकर शुक्ल (कांग्रेस)
पश्चिमोत्तर प्रान्त	सहिबजादा अब्दुल कय्युम (अप्रैल 1937-सितम्बर 1937) खान अब्दुल गफ्फार खान (कांग्रेस)
उड़ीसा	बिश्वनाथ दास (कांग्रेस)

प्रत्येक सरकार के दो कार्य थे-

- 1 प्राथमिक कार्य जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
- 2 सहायक कार्य जैसे कृषि सुधार, उद्योग विकास, शिक्षा, जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण।

कठिनाईयाँ - भारत सचिव, गवर्नर जनरल व गवर्नरों के पास ऐसी सुरक्षित शक्तियाँ थी जिनसे प्रान्तीय स्वायत्त सरकारों के अधिकार सीमित हो गए थे। अनेक प्रशासनिक कठिनाइयाँ थीं। मंत्रियों को अनुभव नहीं था परन्तु सुधारों के लिए उनमें बड़ी उमंग थी। मंत्रियों के सचिव भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वे योग्य व अनुभवी थे परन्तु उन्हे जनतान्त्रिक तरीकों की आदत नहीं थी। भारतीय सिविल सेवा के अधिकांश अधिकारी अभी यूरोपियन थे। उनके लिए भारतीय मालिकों के नीचे काम करना आसान नहीं था। मंत्रियों का भी उन पर पूरा नियन्त्रण नहीं था क्योंकि इन

अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व बर्खास्तगी भारत सचिव के हाथ में थी। असली कठिनाई वित्त की थी। भारत की आय का 40 प्रतिशत से भी कम ग्यारह प्रान्तों में विभक्त किया जाता था। लोक कल्याण कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पाता था। मंत्रियों की सारी सुधार योजनाएं वित्तभाव की दीवार से टकराकर चूर हो गईं। शिक्षा, और स्वास्थ्य को उन्नत करने की आवश्यकता थी। साक्षरता बहुत कम थी व मृत्यु दर अधिक थी। गाँवों में न स्कूल थे तथा न अस्पताल। काम विशाल था तथा साधन बहुत कम थे, इसलिए कोई असरदार काम करना आसान काम नहीं था। साम्प्रदायिक समस्या विकराल थी। जब भी होली और मोहर्रम या ईद या दीपावली के त्यौहार एक दिन होते, वही दंगे व शान्ति भंग होना आम बात हो गई थी। कुछ कठिनाईयाँ तो स्वयं कांग्रेस ने उत्पन्न कर रखी थीं। कांग्रेस का आलाकमान अर्थात् कार्यसमिति और पार्लियामेटी बोर्ड प्रान्तीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप करते थे। उन्हें विभिन्न मामलों पर सलाह व मार्गदर्शन देते थे। कांग्रेस के आलाकमान के इस सर्वाधिकारवाद की आलोचना कूपलैण्ड ने भी की है।

समाज कल्याण के कार्य- उपर्युक्त कठिनाईयों के होते हुए भी मंत्रियों ने कठिन परिश्रम व जोश से कार्य किया। कृषि सुधार व किसान कल्याण की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। कृषि का तरीका परम्परागत था। 3/4 जनता इस पर आश्रित थी। लगान की दर अधिक थी। बिहार में पट्टेदारी का कानून बना जिसके अनुसार लगान व लगान की बकाया काफी कम कर दी गई। लगान न देने पर बेदखली भी बन्द कर दी गई। 1939 के सीमान्त प्रान्त अधिनियम 17 के अनुसार काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार मिल गए। 10 वर्ष के लिए लगान निश्चित कर दिया गया। बहुत से प्रान्तों में किसानों को ऋण से राहत देने के लिए कानून बनाए गए। मजदूरों की शोचनीय दशा को सुधारने के भी प्रयास किए गए। मार्च 1938 में मद्रास में किसान ऋण राहत अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा किसानों के ऋणों में कमी की गई। संयुक्त प्रान्त में भी पंत सरकार काश्तकारी अधिनियम पारित करवाने में सफल हुई। जमींदारों द्वारा नजराना और बेगार लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई।

उद्योग के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय काम करने का प्रयास किया। बड़े उद्योग उनकी शक्ति एवं क्षमता से बाहर थे। मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए 1938 में योजना समिति बनाई गई। परन्तु इससे पहले वे कुछ कर पाते, मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया।

मंत्रियों ने प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा पर ध्यान दिया। परन्तु कोष का अभाव मुख्य बाधा थी। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा कई प्रान्तों में जारी की गई जो हाथ से उत्पादन कार्य करने के प्रशिक्षण से जुड़ी थी। परन्तु

अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद उसकी प्रगति भी रुक गई। अछूतों या हरिजनों के लिए प्रान्तीय सरकारों ने बड़ा काम किया। तीन बातों की और विशेष ध्यान दिया गया- मंदिर में प्रवेश, शिक्षा और नागरिक असुविधाओं का निवारण। कानूनी व प्रशासकीय उपाय किए गए। परन्तु वे भारतीय समाज में जड़ जमा चुकी छूआछूत की समस्या का उन्मूलन करने में सफल न हो सके।

प्रेस और समाचार पत्रों से जमानत के तौर पर जो पैसा लिया गया था उसे वापिस कर दिया गया। उन पर चलाए गए मुकदमों में उठा लिए गए पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। हजारों की संख्या में बंदियों व नजरबन्द लोगों की रिहाई कर दी गई। कांग्रेसी शासन वाले अधिकांश प्रान्तों में ब्याज की दरें तय की गयीं ताकि कर्ज के बोझ को कम किया जा सके। इसके विपरीत गैर कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिक स्वतन्त्रता में कटौती जारी रही तथा क्रांतिकारी व नजरबन्द कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखा जाता रहा। इनको छोड़ने के लिए बार बार भूख हड़ताल हुईं व जन आन्दोलन किए गए परन्तु इनकी रिहाई नहीं हुई।

कांग्रेस मंत्रियों ने सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। वेतन में भारी कटौती की। यह 2000 रूपये से घटाकर 500 रूपये प्रतिमाह की दिया गया। साधारण आदमी भी आसानी से उनके पास पहुँच सकता था। अधिकांश मन्त्री रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे।

प्रान्तीय सरकारों ने जितने भी अधिकार जन सुरक्षा अधिनियम के जरिये प्राप्त किए थे, उनको रद्द कर दिया गया। हिन्दुस्तान सेवा दल, हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन व यूथ लीग जैसे संगठन जिन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, उन पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध बरकरार रहा क्योंकि यह प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार ही हटा सकती थी। राजनीतिक सभाओं की गुप्तचर रिपोर्ट लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। परन्तु जल्दी ही यह महसूस किया गया कि लोगों में इस नई आजादी का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति है। किसानों और मजदूरों ने हड़ से ज्यादा अपेक्षाएँ पाल रखी थी। उन्होंने जल्दी ही धैर्य खो दिया। कांग्रेस शासित प्रान्तों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी। कांग्रेसी व अन्य लोग अहिंसा के सिद्धान्त की खुले आम अवहेलना करने लगे। कृषकों और श्रमिकों का विरोध हिंसक रूप धारण करने लगा। पंत सरकार को कानपुर के हड़ताली श्रमिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ी। इसी प्रकार बिहार सरकार को भी किसान सभा की उग्र गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दमनात्मक कदम उठाने पड़े। कांग्रेस और किसान सभा के सम्बन्ध बिगड़ने लगे।

कांग्रेसी सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबन्दी लागू की। प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान दिया गया।

साम्प्रदायिक दंगों से सख्ती व निष्पक्षता से निपटना कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की प्रमुख उपलब्धी थी। अक्टूबर 1937 से सितम्बर 1939 के बीच 8 कांग्रेसी प्रान्तों में 60 दंगे हुए, जबकि इसी अवधि में गैर कांग्रेसी सरकार वाले प्रान्तों में 25 दंगे हुए। कांग्रेसी सरकारों ने इन्हें रोकने के ईमानदारी से प्रयत्न किए थे। साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध दमनकारी उपायों का भी प्रयोग किया जा रहा था। सितम्बर 1938 में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन उपायों को खुलकर समर्थन दिया, जो कांग्रेस सरकार द्वारा जनधन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाएँ और कांग्रेसियों सहित उन लोगों की निन्दा की जो नागरिक स्वाधीनता के नाम पर हत्या, आगजनी, लूटपाट और हिंसक तरीकों से वर्ग संघर्ष की हिमायत करते हैं। कांग्रेसी आलाकमान

का प्रान्तीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप करना कुछ हद तक सही भी था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के सदस्य प्रान्तीय मामलों में फंस जाएँ व अपने पूर्णस्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य को भूल बैठें।

कूपलैण्ड जो कांग्रेस का कट्टा आलोचक था उसने भी अपनी पुस्तक 'कांस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम इन इंडिया में कांग्रेसी सरकारों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए लिखा है कि सरकारों में स्थिरता थी। मंत्री योग्य व जनता के प्रति कर्तव्यपरायण थे। हडसन 1941-42 में वायसराय का परामर्शदाता था, ने भी प्रान्तीय सरकारों के कार्यकरण की प्रशंसा की थी। सेमुअल होर ने भी कहा था - 'भारत में प्रान्तीय स्वायत्त शासन को बड़ी संवैधानिक सफलता प्राप्त हुई है।'

लिनलिथगो ने भी गत द्वादश वर्षों के बहुत अच्छे जनहित कार्य का उल्लेख किया था। संयुक्त प्रान्त के गवर्नर हैरी हेग तथा मद्रास के गवर्नर एस्कीन ने भी मंत्रियों के काम की प्रशंसा की थी। यह बात निराधार साबित हो गई कि बड़े प्रशिक्षण के बाद ही भारत स्वशासन के योग्य बनेगा और उसको अंग्रेजों से ही काम सीखना पड़ेगा।

कुछ नकारात्मक पहलू- कांग्रेसी मंत्रियों के कारनामों में कुछ काले धब्बे भी हैं। अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेसी नेता एस.एस. बाटलीवाला पर राजद्रोह के लिए भडकाने वाला भाषण देने का आरोप लगाकर मद्रास सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें छह माह की जेल की सजा हुई। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के एक धड़े ने इसका पुरजोर विरोध किया क्योंकि यह कांग्रेस के इन विचारों के खिलाफ थी कि किसी पर भी महज भाषण देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ भाषण देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर में बाटलीवाला रिहा कर दिए गए। दक्षिणपंथी कांग्रेसी मंत्रियों में कुछ की मनोवृत्ति तो इससे भी ज्यादा खराब थी। मुम्बई के तत्कालीन गृहमंत्री के.एम. मुंशी ने वामपंथियों तथा वामपंथी विचारधारा वाले कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। इसके लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू की झिडकी भी सुननी पड़ी कि 'तुम तो अभी से पुलिस अधिकारी बन गए हो।' मद्रास सरकार ने भी क्रांतिकारी कांग्रेसियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया पुलिस का उपयोग किया था। परन्तु ये केवल अपवादस्वरूप थे।

कांग्रेस में नकली सदस्य बनाने की प्रथा का चलन आरम्भ हो गया। व्यक्तिगत लाभ के पदों के लिए और नौकरियों के लिए आपस में छीना झपटी होने लगी। सत्ता के लोभ में जातिवाद को प्रश्रय दिया जाने लगा। कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इसके खिलाफ गांधी जी अपने पत्र 'हरिजन' में लिखा कि 'मैं समूची कांग्रेस पार्टी का दाह संस्कार करना अच्छा समझता हूँ, बजाए इसके कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना पड़े।'

सितम्बर 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में धकेल दिया। इससे उत्पन्न राजनीतिक संकट के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने इस त्यागपत्र का स्वागत इन शब्दों में किया 'इससे कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार की सफाई करने में मदद मिलेगी।'

निष्कर्ष- कुल मिलाकर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का प्रशासनिक तथा विधायी लेखा जोखा सकारात्मक था। इसके कई अच्छे परिणाम सामने आए। राष्ट्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय प्रभावक्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकारी पदों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। 1935 का अधिनियम बनाने वालों ने यह सोचा था कि इससे भारत में प्रान्तों में फूट पड़ जाएगी। परन्तु भारत की

एकता की भावना में किसी प्रकार की कमी नहीं आई तथा न ही किसी प्रान्तीयता की भावना को बढ़ावा मिला। कांग्रेस में गुटबाजी होने के बावजूद भी कांग्रेस संगठन अनुशासित बना रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक भारत का इतिहास- रामलखन शुक्ल।
2. भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास-ताराचन्द्र।
3. आधुनिक भारत का इतिहास- विपिन चन्द्र।
4. आधुनिक भारत - सुमित सरकार।

गुप्तकालीन स्त्रियों के केशविन्यास एवं सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन

डॉ. ममता खोईया *

प्रस्तावना – गुप्तकालीन नारियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत होने के अतिरिक्त अपने शरीर का विविध प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधनों से श्रृंगार करती थी। निश्चित ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रचार राजकुल अथवा सम्पन्न वर्ग में अधिक होगा, किन्तु सामान्य वर्ग में भी इसका थोड़ा प्रचलन होगा।

सौंदर्य प्रसाधनों में केश प्रसाधन या केश रचना का प्रमुख स्थान है। स्त्रियां अपने बालों के श्रृंगार की ओर विशेष ध्यान देती थी। गुप्तकाल में स्त्रियों के केश लम्बे होते थे। लम्बे, घने, घुंघराले एवं काले बाल सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माने जाते थे।¹ स्त्रियों के केशों के विषय में हमें कालिदास के साहित्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। स्त्रियां केशों में सुगंधित तेल डालकर वेणी बनाती थीं। अपनी इच्छानुसार जूड़ा भी बनाती थीं।² प्रायः एक ही वेणी बनाने का अधिक उल्लेख मिलता है किन्तु एक से अधिक वेणियां भी की जाती होगी।³

श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने इन घुंघराले बालों के बनाने के कई प्रकार वर्णित किए हैं-

1. इसमें सीमान्त या मांग के दोनों ओर केवल वलीभूत अलकों की समानान्तर पंक्तियां सजी रहती हैं। भारत कला भवन में इस केश विन्यास के कई नमूने हैं।
2. सीमान्त या केशवीथी को एक आभूषण से सज्जित किया जाता है। इसका वर्तमान रूप सिरबोर कहा जा सकता है। इस आभूषण के लिए सीमान्त स्थान कुछ विस्तृत दिखाया जाता है और थोड़ा हटा कर घूंघट प्रारंभ किया जाता है। बाणभट्ट ने सिरबोर के लिए हर्षचरित्र में चटुलातिलक शब्द का प्रयोग किया है।
3. घूंघट की पहली पंक्ति ललाट के ऊपर अर्धवृत्त की तरह घूमती हुई सिर के प्रात भाग तक जाती है, यह देखने में खुली छतरी सी लगती है।
4. वासुदेव जो इस प्रकार को पटियादार घूंघट कहते हैं, मांग के दोनों ओर पहले पटिया मिलती है तत्पश्चात् घूंघट शुरू होकर दोनों ओर फैल जाते हैं।⁴ केशों को घुंघराले करने के अतिरिक्त केश रचना के भी अन्य प्रकार होते थे। स्त्रियां एक या एक से अधिक वेणियां बनाती थीं इसके अतिरिक्त अलक, लम्बालक, बहर्भर, चूड़ापाष, क्षौद्रपटल, मधुपटल, मौलि⁵ आदि अनेक प्रकार के केश विन्यास का उल्लेख साहित्य एवं मृणमूर्तियों में देखने को मिलता है।

इसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है-

1. **बर्हभार** – मांग के दोनों ओर कनपटी तक लहराई हुई शुद्ध पटिया मिलती है वही छोर पर ऊपर को मुड़कर घूम जाती है। देखने में यह मोर की फहराती पूंछ सी मालूम होती है। कालिदास ने स्त्रीकेश को मोरों बर्हभार कहा है, वहाँ उनका आशय इसी प्रकार के केशविन्यास से है

2. **क्षौद्रपटल** – इसमें मांगों के दोनों ओर बाल शहद के छत्ते की तरह झंझरीदार से जान पड़ते हैं। संस्कृत में इस रचना को क्षौद्रपटल या मधुपटल विन्यास कहा जा सकता है।

3. **मौलि** – इसमें बालों को जूड़ा शब्द इसी चूड़ा शब्द का रूपान्तर है। इसमें मांग के दोनों ओर बालों की पटिया बनी रहती है। वे ही सिर के पीछे जूड़े के रूप में बांध दी जाती है।

इसके अतिरिक्त वेणी बंधन, केश बन्धन⁶, अलक संयमन⁷, केशपाल⁸ आदि के संकेत मिलते हैं कि स्त्रियां जूड़ा बनाती थीं। साहित्य में वर्णित इन केश विन्यास के प्रकारों को हम गुप्तकालीन मूर्तियों एवं चित्रों में देख सकते हैं।

स्त्रियां मांग निकालती थीं तथा उसे फूलों से सजाती थीं। अरुणचूर्ण का प्रयोग मांग भरने के लिए करती थीं अधिकारतः जूड़े का अलंकरण पुष्पों से करती थीं अथवा कभी-कभी वैसे ही केशों को नाना प्रकार के पुष्पों से सुंदर बनाती थीं। कभी-कभी मुक्ताजाल से भी अलकों की सुंदरता बढ़ाया करती थीं।

केवल पुष्प रत्न एवं मुक्ताओं से ही केश सौंदर्य नहीं बढ़ाती थी अपितु विभिन्न प्रकार के सुगंधित चूर्णों से भी केशों को सुरक्षित करती थीं। नहाने के बाद केशों को कालागुरु, लोध एवं धूप के धुए से सुगंधित करती थीं। कदाचित् कस्तूरी चूर्ण का भी प्रयोग बालों को सुगंधित करने के लिए किया जाता था। अलकचूर्ण का भी उल्लेख कुमारसंभवम् में आया है अतः स्पष्ट है कि केश रचना का अत्यधिक महत्व था जिसके लिए वे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती थीं।

सौंदर्य के लिए विभिन्न प्रसाधनों का भी प्रयोग करती थी -

पत्र रचना – मुख सौंदर्य में पत्र रचना का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्रियां मुंह पर अथवा शरीर के अन्य भागों पर पत्र रचना करती थीं। कुमारसंभवम्, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र आदि में स्थान-स्थान पर पत्र रचना का वर्णन मिलता है। पत्र रचना मुख्यतः गोरचन तथा कुंकुम से की जाती थी। कभी-कभी अंजन से भी पत्र रचना की जाती थी। अर्थात् काला सफेद और लाल रंग पत्र रचना के लिए प्रयुक्त किए जाते थे।

तिलक – मस्तक पर तिलक भी मुख सौंदर्य के लिए विशेष महत्व रखता है। स्त्रियां माथे पर हरिताल मनःशील और चंदन से बने पिष्ट का तिलक लगाती थीं कभी-कभी काजल और कुंकुम से भी तिलक लगाती थीं।

अंजन – सौंदर्य वृद्धि के लिए आंखों में अंजन का प्रयोग किया जाता था। अंजन काले रंग का होता था जिसे शलाका से लगाया जाता था। विरहावस्था तथा तप करते समय आंखों में अंजन लगाना वर्जित होता था।

ओष्ठराग – स्त्रियां अपने ओठों को आलक्तक या ओष्ठराग से रंगती थीं

तथा उस पर लोधधूलि छिड़क कर कुछ पीलेपन का आभास दिया जाता था। तपस्या या विरहावस्था में ओष्ठराग शृंगार के अन्य प्रसाधनों की तरह त्याग दिया जाता था। ओष्ठराग आजकल की तरह विभिन्न रंगों का न होकर सिर्फ लाल रंग का ही होता था।

आलतलक – स्त्रियां जिस प्रकार ओष्ठराग से अपने ओठ रंगती थी उस प्रकार अपने चरणों को आलता या आलतलक से रंगती थी। कालिदास ने आलतलक को रागलेखा, पादराग, लाक्षारस, विन्याचरण राग, द्रवराग तथा निर्मितराग इत्यादि नामों का प्रयोग किया है।

पत्ररचना, तिलक, अंजन, ओष्ठराग तथा आलता के अतिरिक्त शृंगार के लिए विभिन्न प्रकार के अवलेप उषरि, चन्दन, अंगराग, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, इत्र तथा सुगंधित चूर्णों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त शृंगार के लिए फूलों का प्रयोग होता था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधनों का अधिकता से प्रयोग

करती थी। विश्ववर्मन के गंगधार प्रस्तर लेख से स्पष्ट होता है कि सौंदर्य प्रसाधनों का इतना अधिक महत्व था कि शृंगार प्रसाधन बंद हो जाने से स्त्रियों की शोभा नष्ट हो जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऋतुसंहार 2/18, 4/16
2. रघुवंश 14/12
3. अभिज्ञानशकुंतलम् अंक 7
4. अग्रवाल, वासुदेवशरण कला और संस्कृति साहित्य भवन इलाहाबाद पृ.246 1952
5. मेघदूत 2/24, 2/46, 4/63, 7/23, 10/47
6. अभिज्ञान शकुंतलम् अंक 6 पृ.115
7. विक्रमोवर्षी 3/6
8. ऋतुसंहार 4/1, 5/12

सन् 1857 ई. की क्रान्ति में खाज्या नायक का योगदान

धीरेन्द्र *

प्रस्तावना – सन् 1857 ई. की क्रान्ति भारतीय इतिहास अभूतपूर्व घटना है। इस क्रान्ति के द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों ने देश की आजादी के लिए एक जुट होकर एक महान संघर्ष का आरम्भ किया था। इस क्रान्ति में न केवल बड़े-बड़े नगरों से लेकर छोटे से छोटे गाँवों तक के व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, जमींदारों, मजदूरों आदि ने भाग लिया बल्कि सुदूर जंगलों पहाड़ी घटियों में रहने वाले आदिवासियों ने भी अपना योगदान दिया।

सम्पूर्ण भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश का मालवा क्षेत्र भी क्रान्ति से अछुता नहीं रहा। इस क्षेत्र में न केवल घने जंगल थे बल्कि नर्मदा और उनकी सहायक नदियों की घटियां भी हैं। इन घने जंगलों और घटियों में अनेक आदिवासी जनजातियां निवास करती थीं। अंग्रेजों की विभिन्न गतिविधियों के कारण आदिवासी भी अंग्रेजों से नाराज थे, अतः आदिवासियों ने सन् 1857 ई. की क्रान्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह की। मालवा क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी क्रान्तिकारियों में से खाज्या नायक का विवरण इस प्रकार है।

खाज्या नायक सांगवी निवासी गुमान नायक का पुत्र था, जो सेंधवा घाट का वार्डन था। काजरसिंह सन् 1851 ई. से अंग्रेजों की सेवा में था और उसका रिकार्ड अच्छा था। वह सेंधवा से सिरपुर तक की चालीस मील की सड़क की रक्षा करने वाली पुलिस टुकड़ी का प्रभार था। उसकी चौकसी इतनी मजबूत थी कि इन बीस सालों में एक भी हत्या सड़क पर नहीं हुई थी। उसने उस इलाके के कुछ कुख्यात भीलों को झुकान और दूँढ़ने में मेजर ग्राहम, मेजर मूरिस केंटन रोज और मेजर कीर की निष्ठा से सेवा की थी।¹ लेकिन सन् 1851 ई. में उसने एक अपराधी भील को रात में इतना पीटा कि वह भील अपराधी मर गया। काजरसिंह को इस हत्या के लिए दस साल की सजा सुनायी गई। जब वह सन् 1855 ई. में छुटा तो केप्टन रोज और अन्य अधिकारियों की भारी सिफारिश के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मई सन् 1857 ई. में अंग्रेज अधिकारियों को यह लगा कि उत्तर की विद्रोहात्मक घटनाओं का असर में भीलों पर भी होगा और तब मूक दर्शक नहीं रहेगे। तो काजरसिंह को जून सन् 1857 ई. में घाटी का प्रभारी बना दिया गया। सन् 1857 ई. के महान विद्रोह के समय एकाएक काजरसिंह(खाज्या नायक) और भीमा नायक नामक भील सरदारों के आक्रमण तेज हो गए। ये दोनों भील नायक निमाड़ में भी सक्रिय थे और खानदेश में भी। खाज्या नायक के साथ कई लोग हो गए और होल्कर की जो सेना भंग कर दी गयी थी उसके सिपाही भी उसके साथ हो गए।² खाज्या के दल में 8 सो लोग हो गए जिनमें 150 बंदूकची, 80 मकरानी और अरबी भी थे। खानदेश के कलेक्टर ने 7 अक्टूबर सन् 1857 ई. को केप्टन बर्च को

आदेश दिया कि वह खाज्या और उसके सहयोगी नायकों से मिले और उन्हें आगाह करे कि खानदेश की सीमा के पास बड़वानी रियासत में लोग ज्यादा तादाद में एकत्र न हों।³ इसकी खबर पाते ही कैप्टन बर्च सांगवी आया और इन लोग एकत्र होना ठीक नहीं है और सभी को चाहिए कि वे अपने घाटों पर नौकरियों पर चले गए हैं। फिर खाज्या ने केप्टन बर्च को आश्वासन दिया लेकिन ये सभी लोग घाट छोड़कर दूर चले गए हैं। फिर खाज्या से आत्मसमर्पण के लिए कहा गया लेकिन खाज्या नहीं आया। इस पर बर्च चिंतित हुआ और उसने खानदेश के कलेक्टर को तार से इस घटना की खबर भेजी। खानदेश के कलेक्टर ने बाम्बे सरकार को तार भेजकर सुरक्षा के लिए सैनिक टुकड़ी भेजने का निवेदन किया।⁴ 2 अप्रैल सन् 1858 ई. को मेजर इवान्स 50 सिपाहियों और पूना फोर्स के 12 सवारों के साथ निवाली पहुंचा। वहां लेमिंग्टन पहले से ही पड़ाव डाले था।³ तारीख को खबर आयी कि काजा नायक और उसके साथी गोई नदी के तट पर परसूल से 3 मील दूर ठहरे हुए हैं। जब ये लोग परसूल पहुंचे तो पता चला कि विद्रोही वहां से चले गए हैं। यह भी पता चला कि काजा अम्बापावनी में है जो भीमा और मोवासिया नायक के ठहरने का स्थान है। पर उसका कोई पता नहीं चला। भीमा नायक और खाज्या नायक और उनके सहयोगियों को खत्म करने के इरादे से इवान्स ने 10 अप्रैल सन् 1858 ई. को सुबह ढाबा बाली रवना हो गया।

खाज्या का भीलों पर बहुत प्रभाव था और भीलों को भी खाज्या पर पूरा भरोसा था। सिरपुर से पांच मील दूर तक के सभी भील खाज्या के दल में शामिल हो गए। इसे देखकर दो अन्य गांवों के करीब एक सौ भील भी खाज्या के पास आए और गिरोह में शामिल हो गए। ये गांव हैं- बोलरक, करेरा और रूपखेड़ा। इसके अलावा भीमा नायक भी अपने दल के साथ 9 अक्टूबर सन् 1858 ई. को खाज्या के साथ हो खाज्या के साथ हो लिया। इसलिए चोपड़ा गांव के लिए इनसे खतरा बढ़ गया। भीमा और खाज्या नायक तीन हजार साथियों के साथ पहाड़ के ऊपर विचरण कर रहे थे। इवान्स अब अम्बापावनी की तरफ बढ़ा। इस अभियान की विशालता का अन्दाज इससे लगाया जा सकता है कि इसमें दो तोपखाने, घुड़सवार सेना, 19 वीं देसी पलटन और भील कोर के सिपाही और अन्य 3 हजार लोग भी थे। दो अन्य सैनिक टुकड़ियां पहले ही अम्बापावनी पहुंच चुकी थीं। वहां दोनों दलों में जमकर मुठभेड़ हुई और तोपों के कारण विद्रोही बिखरने लगे और शाम तक वे भाग गए। इस मुठभेड़ में और तोपों के कारण विद्रोही मारे गए और 62 को बन्दी बना दिया गया। विद्रोहियों के स्त्रियों और बच्चों को भी पकड़ लिया गया जो संख्या में 200 थे। इसके बाद ब्रिटिश फौज ढाबा बावली लौट आई।⁵ सन् 1860 ई. की शुरुआत में खाज्या नायक पर जब ज्यादा दबाव पड़ा तो वह

बड़वानी चला गया और वह भी विद्रोह का वातावरण बनने लगा। बर्च, होसिलवुड तथा एटकिन्स को खाज्या नायक को पकड़ने के लिये भेजा गया। खाज्या नायक ने अपने दल के दो हिस्से किए और एक को अम्बापावनी और दूसरे को ढाबाबावली में रखा गया। 1 जुलाई को दोनों पक्षों का सामना हुआ। विद्रोही भागने लगे और एक बिहड़ में जाकर छुप गए। अंधेरा होने बारिश होने के कारण ब्रिटिश ने पीछा करना बन्द किया और अगले दिन भूरागढ़ रवाना हो गयी और वहां से 25 मील दूर पलसनेर लौट आयी। इसके बाद हसिलवुड और 150 लोग पकड़े गए जिन्हें पेड़ पर बांधकर गोली से उड़ा दिया गया। सेना के हाथ बहुत सा सामान लगा जिसमें चांदी की 70 सिल्लियां भी थी। खाज्या के सभी साथी भाग गए या बन्दी बना लिये गए।⁶ उसके बाद ले एटकिन्स की कमान में एक टुकड़ी खाज्या नायक के विरुद्ध भेजी गयी। खाज्या नायक के साथ भील, मकरानी और अरब लड़के भी थे। गोलाबारी में एटकिन्स गंभीर रूप से घायल हो गया और जब जमादार मोतीलाल कमाण्ड करने लगा। इसके बावजूद खाज्या नायक पकड़ा नहीं जा सका। इस पराजय के बाद सभी मकरानियों ने खाज्या नायक का साथ छोड़ दिया और उसके साथ कुछ ही भील रह गए। उसे साथियों की तलाश थी। पुलिस अधिकारी को जब इसके बारे में पता चला तो उसने सादा भेष में रोहिददीन नामके एक मकरानी जमादार को खाज्या के पास नौकरी की तलाश में भेजा। रोहिददीन वहां गया जहां खाज्या नायक अपना पड़ाव डाले हुए था। उसे खाज्या के आदिमियों ने पकड़कर खाज्या के पास पेश किया। खाज्या ने उसे कुरान की शपथ दिलाई कि वह कभी विश्वासघात नहीं करेगा। भीमा नायक भी इन दिनों खाज्या के पास था। भीमा ने खाज्या को चेतावनी दी कि यह मकरानी बड़ा शातिर है और वह घोखा देगा, उस पर विश्वास मत करो। इस पर रोहिददीन ने कसमें खाई और खाज्या ने उसे अपने पास रख

लिया। भीमा नायक जब तक खाज्या के पास था तब तक रोहिददीन खाज्या को पूरी तरह विश्वास में नहीं ले सका। कुछ दिन बाद भीमा चला गया तब रोहिददीन को मौका मिला। खाज्या नायक एक धार्मिक व्यक्ति था और पूजा करने के लिए नदी किनारे जाया करता था। एक दिन जब खाज्या स्नान करके सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा था तभी रोहिददीन ने गोली चला दी और खाज्या गिर पड़ा। मरते समय खाज्या ने कहा 'मेरे बेटे पोलादसिंह की फिकर रखना'। यह देखकर खाज्या की बहिन आयी तो रोहिददीन ने उसे भी मार डाला। यह घटना 3-4 अक्टूबर सन् 1860 ई. की है। रोहिददीन ने खाज्या के 14 साल के बेटे को पकड़ लिया और खाज्या का सिर काटकर मिसरी खां तथा नन्नू के साथ सिरपुर ले आया। उस समय कलेक्टर तथा कुछ और भी अधिकारी मौजूद थे। खाज्या नायक के शव का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। रोहिददीन को जमादार बना दिया गया। तीन माह बाद ही रोहिददीन की भी मृत्यु हो गयी।⁷

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खोबरेकर, इंग्रजी सत्तेविरुद्ध महाराष्ट्रातील सशस्त्र उठाव(मराठा) 1818-1860 पृ. 61
2. महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर्स, घुलिया डिस्ट्रिक्ट, रिवाइज्ड 1974, पृ. 158।
3. सिमेक, खानदेश भील कोर, पृ. 211-18
4. वही, पृ. 218 और ए.के. प्रसाद, द भील्स आफ खानदेश, पृ. 252।
5. सुरेश मिश्र और भगवानदास श्रीवास्तव, पूर्वोल्लिखित कृति, पृ. 144-45
6. सिमेक, पूर्वोल्लिखित कृति, पृ. 238-244
7. वही।

प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्र के रूप में तक्षशिला का मूल्यांकन

सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे *

प्रस्तावना - अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 'प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था वहाँ की राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति एवं परम्पराओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है। जिससे उस राष्ट्र की आत्मा को समझा जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थानों का अध्ययन एवं शोध औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। शिक्षा मूल्यों तथा दायित्वों का बोध कराते हुए सामाजिक समन्वय में सहयोगी होती है। प्राचीन भारत में तक्षशिला उच्च शिक्षा का ख्यातिलब्ध केन्द्र था। उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नये ज्ञान का अर्जन व विस्तार है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपर्युक्त नेतृत्व उपलब्ध हो। तक्षशिक्षा की उर्वर धरा से राजनीति के सैधान्तिक पक्ष का कौटिल्य ने तथा मौर्य नरेश चन्द्रगुप्त (भारत में पहली बार राजनैतिक एकता स्थापित करने का प्रयास करने वाले) ने व्यावहारिक पक्ष का नेतृत्व किया। चिकित्सा के क्षेत्र में जीवक तथा आयुर्वेद के जन्मदाता पतंजलि ने अखिल विश्व में इस भूमि का मान बढ़ाया।

शोध-पत्र में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति से एक शिक्षा केन्द्र के रूप में तक्षशिला की ऐतिहासिकता का परीक्षण किया जाएगा।

शिक्षा परंपरा, परिवार, समाज, धर्म, विश्वास आदि के माध्यम से मन संस्कारबद्ध होता है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का विकास गुरुकुल प्रणाली के विस्तार के रूप में हुआ। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रधान शिक्षा केन्द्र था। अनेक विश्वविख्यात आचार्य यहाँ निवास करते थे। उनके ज्ञान से आकृष्ट होकर विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ आते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि सुदूर अतीत में स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय महाकाव्य काल में उच्च शिक्षा का केन्द्र बन गया था। ई. पू. लगभग तीन हजार वर्ष से लेकर चौथी शती ई. तक इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा की ध्वजा फहराए रखी, जिसमें अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वान आकर शिक्षा ग्रहण करते थे।

आधुनिक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर-पश्चिम दिशा में वर्तमान-तक्षशिला की भौगोलिक अवस्थिति है। प्राचीन काल में यह कुछ समय के लिए गांधार प्रदेश की राजधानी भी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के आधार पर यह सूचना प्राप्त होती है, कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत ने किया था। कालान्तर में उसने यहाँ का शासन अपने पुत्र तक्ष को सौंप दिया। राजा तक्ष के गौरवशाली शासन के प्रभावस्वरूप संभवतः इस नगर का नामकरण तक्षशिला के रूप में इतिहास प्रसिद्ध हुआ। गांधार राज्य की प्राचीनतम राजधानी पुष्कारवती की मान्यता प्रचलित थी। जिसकी स्थापना भरत के पुत्र और राम के भतीजे पुष्कर ने की थी। जनमेजय ने अपना नागयज्ञ इसी ऐतिहासिक स्थल पर सम्पन्न किया था। उपर्युक्त साहित्यिक साक्ष्यों से यह तथ्य अवश्य पुष्ट होता है, कि उत्तरवैदिक काल तक तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। नगरीय जीवन में ज्ञान एवं चिंतन-

दर्शन की प्रधानता होती है। वैदिक युगीन जनपदों का विस्तार कालान्तर में महाजनपदों के रूप में हुआ।

पाणिनी के एक सूक्त में तक्षशिक्षा का वर्णन प्रस होता है- सिन्धु तक्षशिला दिम्यो डराओं। पूर्वी गांधार की राजधानी तक्षशिक्षा को चीनी भाषा में शी-शी चेंग से संज्ञापित करते हैं। पुरातात्विक स्त्रोतों के रूप में प्रथम अभिलेखीय वर्णन कलिंग शिलालेख में प्राप्त होता है। मौर्य नरेश अशोक कुछ समय तक इस प्रान्त का प्रान्तपति भी रहा था। तत्कालीन भारत के अन्य नगरों के साथ तक्षशिला के व्यापारिक सम्बन्ध थे। आर्थिक दृष्टि से तक्षशिला एक सम्पन्न नगर के रूप प्रतीत होता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वैभव के सुदीर्घ इतिहास में तक्षशिला को स्वाभाविक ही कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के प्रहार सहने पड़े और उसने अनेक उत्थान, पतन भी देखे। इन आक्रमणों के फलस्वरूप राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया, उसका प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर भी पड़ा और शिक्षा के स्वरूप में भी स्वाभाविक परिवर्तन होता रहा। तक्षशिला को भद्रशिला भी कहा जाता है। कालान्तर में इसका नाम तक्षशिला पड़ा क्योंकि यहीं एक ब्राह्मण भिक्षु ने राजा चन्द्रप्रभ का शिरोच्छेदन किया था।

प्रवाहमान नदियों के कारण यहाँ समुचित उत्पादन होता था तथा यह क्षेत्र प्रचुर वनस्पतियों से आवृत्त रहता था। यहाँ की जलवायु जीवन के लिए अनुकूलतम थी। उत्खनन के पश्चात् तक्षशिला के खण्डहर मीलों तक विस्तृत पाये गये हैं। मीर टोला, सिरकप मोरा, पिपला, साण्डियाल और ऋचस्तूप आदि सत्निकट ही दो मील की दूरी पर स्थित थे। जातकों के विवरण से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न भागों से ही नहीं वरन् मध्य एशिया, अफगानिस्तान अरब और ईरान से अध्ययन करने वाले छात्र आते थे। विश्व में तक्षशिला का स्नातक होना गौरव और सम्मान का सूचक था।

एक शिक्षा केन्द्र के रूप में शताब्दियों तक तक्षशिला भारतीय मानचित्र पर विराजमान रहा। प्राचीन भारत में यह असंदिग्ध रूप से सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन विद्या का केन्द्र था। तक्षशिला को सुसंगठित विश्वविद्यालय की बजाय प्रमुख शिक्षा केन्द्र के रूप में निरूपित करना अधिक तार्किक प्रतीत होता है। अपने इस मत की पुष्टि हेतु हम यह कह सकते हैं, कि इस स्थल के उत्खनन से कोई ऐसा विशाल कक्ष नहीं प्राप्त हो सका है। जिसे हम व्याख्यान कक्ष के रूप में स्वीकार करें। यहाँ का आचार्य या विद्वान स्वयं संस्था के रूप में कार्य करता था। वह अपनी इच्छानुसार विद्यार्थियों को स्वीकार करता था। और उन्हें ज्ञानवान बनाता था। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार अध्ययन को समाप्त कर सकते थे। यहाँ किसी प्रकार की प्रवेश अथवा वार्षिक परीक्षा का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कोई उपाधि या प्रमाण पत्र भी

नहीं वितरित किया जाता था। शिक्षा प्रारम्भ हेतु 16 वर्ष की उम्र को आदर्श माना जाता था। सामान्य तौर पर विद्यार्थी आचार्य कुल में ही निवास करते थे। सम्पन्न विद्यार्थी अपना शुल्क जमा करते थे, तथा निर्धन विद्यार्थी दिन में आचार्य कुल में ही निवास करते थे। सम्पन्न विद्यार्थी अपना शुल्क जमा करते थे, तथा निर्धन विद्यार्थी दिन में आचार्य की गृहस्थी का कार्य करते थे। इनके पाठ के लिये रात्रि में विशेषव्यवस्था की जाती थी। जातकों के एक वर्णन में 500 छात्र संख्या का उल्लेख प्राप्त होता है।

तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित थी। धनी एवं निर्धन दोनों प्रकार के छात्रों को एक समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस प्रकार राजकुमारों के पास कोई निजी कोष नहीं रहता था, जिसके द्वारा वे भोग-विलास की सामग्री का उपभोग कर सकें। विषयों के चयन में वर्ण किसी भी प्रकार व्यवधान नहीं उत्पन्न करता था। क्षत्रिय बालक को वेदाध्ययन तथा ब्राह्मण कुमार को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था। तात्पर्य यह है, कि शिक्षा में बंधन नहीं था। तुन किसी बालक को शिक्षा देने में उसी तरह असमर्थ हो, जिस तरह किसी पौधे को बढ़ाने में, पौधा अपनी प्रकृति का विकास स्वयं ही कर लेता है। अर्थात् तक्षशिला की शिक्षा पद्धति स्वतंत्र वैचारिकी पर आधारित थी। योग्य और मेधावी छात्रों को राजकीय सहायता पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाता था।

पाठ्यक्रम के माध्यम से ही विद्यालय के सभी कार्यकलाप नियंत्रित होते हैं, क्योंकि यही वह केन्द्र बिन्दु है, जिसके लिए विद्यालय विभिन्न प्रवृत्तियाँ आयोजित करता है। तक्षशिला के प्रधान विषय के रूप में वेद थे। इसके अतिरिक्त वेदत्रयी, अष्टादश, शिक्षा, व्याकरण, दर्शन आदि से संदर्भित विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैज्ञानिक विषयों में आयुर्वेद, शल्य- चिकित्सा, धनुर्विद्या, युद्ध कला, ज्योतिष, कृषि, भविष्य कथन, रथ चालन एवं व्यापार सम्बन्धी विषयों पर विमर्श एवं अध्यापन होता था। कला, व्यापार, संगीत, नृत्य कला, तक्षण कला, अष्टादश शिल्प, इन्द्रजाल नाग, वंशीकरण, गुप्त निधि, अन्वेषण विद्या आदि 18 कलाओं पर परिगणित थी। जातकों से ज्ञात होता है, कि ब्राह्मण राज्य पुरोहित भी धनुर्वेद की शिक्षा तक्षशिला जाकर प्राप्त करते थे। विभिन्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से शिक्षण के साथ ज्ञान के तंत्र में नवाचार तथा विज्ञान में अनुसंधान भी प्रतिपादित होता था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का ज्ञान इतनी उन्नत अवस्था में था, कि हजारों वर्ष बाद भी आज तक उपादेयी बना हुआ है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा में व्यावहारिक प्रयोग भी होते थे। यहाँ छात्रों को अपनी व्यावहारिक निपणता का परिचय देना पड़ता था। जातक ग्रन्थों

में तक्षशिला के ऐसे छात्रों का विवरण प्राप्त होता है, जो अपनी कला का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करते थे।

शताब्दियों तक तक्षशिला ने अपनी ज्ञान ज्योति से भारत वर्ष को आलोकित किया। प्रख्यात वैयाकरण पाणिनी, ख्यातिलब्ध वैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध चाणक्य, मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त, कोसल नरेश प्रसेनजित एवं इतिहास प्रसिद्ध पतंजलि आदि युग प्रवर्तकों ने इस पावन-पवित्र धरा से अपना ज्ञानार्जन किया था। विद्या केन्द्र के रूप में तक्षशिला की कीर्ति अतुलनीय थी। अपने दौर में यहाँ से शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालित होते थे। कृषाणों के समय इसकी महत्ता में वृद्धि हुई। यू-चियों का शासनकाल शिक्षा की दृष्टि से अवनति का रहा। 5 वीं शताब्दी ई0 के प्रारम्भिक चरण में फाह्यान ने तक्षशिला की यात्रा सम्पन्न की। इस में हूणों के बर्बर आक्रमणों एवं यू-चियों के विध्वंस ने इस स्थल को पूर्णतयः विनष्ट कर दिया। इस समय तक शिक्षा की प्राचीन धारा सूख चुकी थी। आधुनिक संदर्भ में तक्षशिला के ऐतिहासिक एवं शैक्षिक मूल्य हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के जीवन्त पथ प्रदर्शक परिलक्षित होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौल, लोकेश, शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, 1998, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 51
2. कृष्णमूर्ति, जे.- शिक्षा क्या है? 2016, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृ. 196
3. पाण्डेय, रामशकल, प्राचीन भारत के शिक्षा मनीषी, 2001, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 95
4. विष्णु पुराण, विल्सन संस्करण, भाग- 4, अध्याय- 4
5. अष्टाध्यायी- 4.3.93
6. गुप्ता, नत्थूलाल, प्राचीन भारतीय शिक्षा और शिक्षा शास्त्री, 2005, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 138
7. दिव्यावदान माला, नार्दन बुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ. 310
8. पावर प्राइस, जे.सी., ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1995, लन्दन, पृ. 26
9. अल्टेकर, ए.एस., प्राचीन भारतीय शिक्षण- पद्धति, 2014, अनुराग प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 79
10. दीक्षित, राजेश, शिक्षा, संस्कृति और समाज (विवेकानंद ग्रंथमाला), 1959, हरिहर प्रेस मथुरा, पृ0 20
11. ओड, एल.के., शैक्षिक, प्रशासन, 2012, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थावली, जयपुर, पृ. 276

आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती का विकास योजना का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

शीला मांडेकर * डॉ. अर्चना गौर **

प्रस्तावना - भारतीय जनसंख्या विविधतायुक्त हैं, धर्म जाति, प्रजाति आदि से संबंधित अनेक प्रकार के लोग यहां निवास करते हैं। आदिवासी लोग भी इसी विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा आदिवासियों का है।

भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ऐसे अनेक मानव समूह रहते हैं। जो आज भी आदिम स्तर पर जीवनयापन करते हैं। ये प्रायः सभ्य समाज से दूर जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। इन्हें अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे-वन्य जाति, जनजाति, आदिवासी आदि भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

वर्तमान समय में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास तथा सरकारी योजनाओं के कारण आदिवासी पुरुषों और महिलाओं में काफी बदलाव आया है। अब आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा का प्रयास हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं यहां उपलब्ध हो रही हैं। तथा इस अध्ययन क्षेत्र भीमपूर विकासखण्ड; में संचार एवं आवागमन के साधनों में बदलाव आ रहा है। अतः सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए बनाई योजनाओं में से एक योजना है-आदिवासी क्षेत्रों के बस्ती का विकास योजना जिस पर मेरे द्वारा अध्ययन भीमपूर विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में किया गया है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

उद्देश्य-

1. मध्य शोध शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती विकास योजना के नियम
2. बस्ती विकास योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं।
3. बस्ती विकास योजना को संचालन किसके माध्यम से किया जाता है।

उद्देश्य -

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती को विकास योजना के नियम- 1. योजना का स्वरूप- 1. उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं सर्वप्रथम उन आदिवासी बाहुल्य बस्तियों मजरे, टालों, पर तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्डों, मोहल्ले, कालोनी में ली जाएगी जिनमें इन सुविधाओं को पूर्ण रूप से अभाव हो।

1. आदिवासी क्षेत्रों में बस्तियों के विकास में कम्पोजिट (समेकित कार्य योजना) हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात् ऐसे कार्यक्रम कार्य योजना पहले ली जाएगी। जिससे किसी आदिवासी बस्तियां /ग्राम के सम्पूर्ण विकास की योजना तैयार की गई है।
2. विशेष परिस्थितियों में सक्षम तकनीकी अधिकारी की सलाह पर नियम

5.1 में अंकित अधिकतम इकाई लागत सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की अनुमति विभागीय यंत्री द्वारा की जा सकेगी।

3. योजना में प्राथमिकता ऐसे ग्रामों/बस्तियों में आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है
4. निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप कार्य योजना बनाने तथा ऐसी आदिवासी बाहुल्य बस्तियों/क्षेत्रों की पहचान की जाए जिनमें मूलभूत सुविधाओं का या तो अभाव है या कमी है। तथा क्षेत्रों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर की होगी।

2. प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार - नियम 5.1 में उल्लेखित अधिकतम सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिकतम सीमा से अधिक राशि स्वीकृति करने की आवश्यकता हो तो नियम 5.3 के अनुसार आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जिले के कलेक्टर के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृति दी जा सकेगी।

3. तकनीकी स्वीकृति के अधिकार - इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के तकनीकी स्वीकृति के अधिकार डेलीगेशन ऑफ फायनेशियल पावर वाल्युम-2 के अनुसार होंगे।

4. निर्माण कार्यों का निष्पादन-

1. आदिवासी बाहुल्य बस्तियों में इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार ग्रामीण विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
2. स्थानीय परिस्थिति अनुसार विभागीय निर्माण एजेंसी के माध्यम से निर्धारित सीमा में कार्य कराए जा सकेंगे।

5. आबंटन या प्रदाय -

1. आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के विकास कार्य कराने हेतु धनराशि का आबंटन आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. अनुसूचित जनजाति ग्रामों/बस्तियों हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा।
3. निर्माण एजेंसियों/ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकाय ने उसे पूर्व में स्वीकृति राशि का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं किया है तो उसे आगामी वर्ष में नये कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

6. कार्यपूर्णता एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र-

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोध निर्देशिका, नारेला महाविद्यालय, खारोंद, भोपाल (म.प्र.) भारत

1. इस योजना के तहत आदिवासी बस्तियों के तहत स्वीकृति कार्यों को पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित निर्माण एजेंसी के जिला स्पीय अधिकारी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर सरपंच एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा निर्माण एजेंसी स्थानीय निकाय होने पर नगर पालिका आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद/ नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा
2. निर्माण कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण कराने आवश्यक होंगे जिस वर्ष में वह स्वीकृत किए गए हैं। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्यपूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेंगे किंतु कार्य अवधि में वृद्धि करते समय निर्माण लागत बढ़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि कदाति स्वीकृत नहीं की जावेगी।

7. योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का लेखा - योजना के अंतर्गत वर्ष में स्वीकृत कार्यों का लेखा जोखा रखने हेतु संलग्न 'परिशिष्ट-3' के अनुसार पंजी का संधारण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय को अतिरिक्त संबंधित निर्माण एजेंसी स्थानीय निकाय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से संधारित की जाएगी।

8. योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यों का हस्तांतरण एवं रखरखाव - इस योजना में निर्मित कराए जाने वाले निर्माण कार्यों का हस्तांतरण संबंधित ग्राहक पंचायत/स्थानीय निकाय/विभाग को करने को अधिकार जिला कलेक्टर का होगा तथा संबंधित निकाय विभाग योजनान्तर्गत निर्मित किए जाने वाले कार्यों का रख-रखाव नियमानुसार संबंधित ग्राहक पंचायत/स्थानीय निकाय विभाग को करना होगा।

9. कार्यों का निरीक्षण - इस योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण विभाग के राज्य स्तरीय संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी तथा संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

10. अनुभव एवं मूल्यांकन-

1. इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के अनुभव एवं मूल्यांकन हेतु आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा नामांकित अधिकारी आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्था की संभागीय स्तरीय इकाईयां एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा नामांकित किसी भी अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह कार्य की गुणवत्त भौति प्रगति एवं मूल्यांकन संबंधित जानकारी एकत्र करें। कार्य कराने वाली एजेंसी इन अधिकारी की टीप पर समुचित ध्यान देकर निर्माण कार्य पूर्ण कराएगी।
2. मध्यशोध आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती का विकास योजना नियम 2005 प्रभावशील होने के उपरान्त योजनान्तर्गत वर्षवार किए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं संबंधित पंजी का संधारण संलग्न परिशिष्ट 4 अनुसार जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाएगा ताकि उससे यह ज्ञात हो सके कि संबंधित ग्राम/बस्ती में विभाग के द्वारा क्या-क्या कराए गए हैं ? तथा उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है ?।
3. विभागीय मद से योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के रख रखाव हेतु राशि इन नियमों के अंतर्गत नियमानुसार स्वीकृत की जावेगी। तथा रखरखाव का लेखा-जोखा पृथक-पृथक ग्राहक/विकास खण्डवार एवं वर्षवार संधारित किया जावे।

उद्देश्य 1 - बस्ती विकास योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं। भीमपूर विकास खण्ड में इस योजना द्वारा किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैं।

1. **नवीन पेयजल योजना-** इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामों के उपलब्ध जल स्रोत पर विद्युत पम्प स्थापित करके जल वितरण के माध्यम से सार्वजनिक नाली द्वारा वितरण किया जाता है। जिससे ग्रामीणों को गुणात्मक विकास संभव होगा साथ ही शारीरिक विकास भी होगा।
2. **आदिवासी क्षेत्रों में पक्की सड़क/सी.सी रोड का निर्माण कराना-** इस योजना के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों की बस्तियों की आंकरिक सड़कों को सीमेंट सड़क बनाई गई।
3. **विद्युत लाईन को विस्तार -** इस योजना से आदिवासियों की बस्तियों, मजरे टोलों आदि जहां मुख्य ग्राम से विद्युत लाईन नहीं पहुंची हो ऐसे ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत लाईन का विस्तार किया जाता है। योजनान्तर्गत आदिवासियों के लिए कुओं तथा सिंचाई पम्पों के उर्जाकरण के लिए निशुल्क विद्युत की सर्विस लाईन पहुँचाई जाती हैं जिससे गरीब लघु एवं सीमांत आदिवासी कृषक अपना आर्थिक लाभ उठाते हैं।
4. **जलमल निवासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण -** इस योजना के अंतर्गत बस्ती की उच्ची नालियों को पक्की नालियां बनाई गई हैं जिससे जल-मल निकासी आसानी से होती हैं।
5. **आदिवासी सामुदायिक मंगल भवन का निर्माण -** आदिवासी क्षेत्र भीमपूर विकास खण्ड में बस्ती का विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक मंगल भवन को निर्माण किया गया है।
6. **मुख्य सड़क पर पुलिया/रपटों का निर्माण-** विभागीय आवासीय संस्थाओं के जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया/रपटों को निर्माण हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में बस्ती का विकास योजना के अंतर्गत मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति विभागीय आवासीय संस्थाओं को जोड़ने वाली सड़को पर पुलिया/रपटों का निर्माण कार्य इस योजना द्वारा किया जाता है।
7. **अनुसूचित जनजाति बच्चों के छात्रावासों एवं आश्रमों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण -** इस योजनान्तर्गत शोध में 2.50 लाख की धनराशि अनुदान में दी गई है। जिसमें जनजाति क्षेत्रों में छात्र/छात्राओं के आवासीय भवनों के बाउण्ड्रीवाल बन गए हैं।
8. **सार्वजनिक शौचालय निर्माण-** इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के हित ग्राहियों एवं आदिवासी बस्तियों के लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस हेतु मध्यशोध शासन द्वारा 0.50 लाख अंशदान भी दिया गया है।

उद्देश्य 2 - बस्ती विकास योजना को संचालन किसके माध्यम से किया जाता है-

स्वतंत्र भारत को कल्याणकारी राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है। अतः समाज के अनेक वृद्ध समस्याओं के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में देश में कल्याणकारों योजनाओं की सहायता से इन कार्यों के कल्याण में वृद्धि की जा रही है।

इस प्रकार पिछड़े एवं गरीब इलाके के लोग जहां पर आवागमनों के साधनों का अभाव है। और सामाजिक कुर्रतियां व अनेक सामाजिक समस्याओं के होते हुए भी मध्यशोध राज्य शासन की योजना (आदिवासी क्षेत्रों में बस्तियों को विकास योजना संचालित की गई है)

ग्रामिण विकास खण्ड के क्षेत्रों में योजनाओं का विशेष योगदान है।

इसलिए आज भी श्रेष्ठ गुणवत्त के कारण आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजाति विकास हेतु बाहुल्य क्षेत्रों में बस्ती का विकास हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मध्य शोध की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों में विशेष घटक योजना के अधीन यह योजना संचालिए है।

1. **योजना क्रियांवयन की प्रक्रिया** – भीमपुर विकास खण्ड में इस योजना के विकास के लिए सर्वप्रथम पंचायत के सरपंच एवं उपसचिव द्वारा ग्रामों की समस्या को जनपद पंचायत भीमपुर को बताते हुए सरपंच सचिव के माध्यम से उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए आवेदन जिलाध्यक्ष, सहायक आयुक्त, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण विभाग को दिया गया।
2. **हितग्राही चयन प्रक्रिया**– जिलाध्यक्ष/जिला पंचायत बैतुत/जनपद पंचायत भीमपुर द्वारा चयनित बस्तियां। चयन संख्या के आधार पर किया गया है।

3. **पंचायत/स्थानीय निकायों की भूमिका** – ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य जिला पंचायत के निर्देश से क्रियार्वित है। जिला पंचायत हो बस्तियों/स्थलों का चयन भी करेगी।
4. जनजाति ग्रामों/बस्तियों हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समाजशास्त्र का परिचय विवेक प्रकाशन देहली महाजन व महाजना।
2. ग्रामीण समाजशास्त्र विवेक प्रकाशन देहली वी. एन. सिंह।
3. भारत में ग्रामीण समाज विवेक प्रकाशन देहली अमित अग्रवाल।
4. जनजाति समाज का समाजशास्त्र विवेक प्रकाशन देहली महाजन व महाजना।
5. म. प्र. शासन की योजनाएं आयुक्त जनसंपर्क भोपाल मनोज अग्रवाल।

एचआईवी/एड्स के प्रति महिलाओं की जनजागरूकता (वर्तमान संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन)

डॉ. सुधा सुरेश सिलावट * डॉ. त्रिपत कौर चावला ** सुमन सिंह ***

प्रस्तावना – वर्तमान समय वर्ष-2018 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। आर्थिक विकास के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिकवाद एवं व्यक्तिवाद स्वतंत्रता को काफी बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप नवीन सामाजिक परिवेश में वेश्यावृत्ति एक फलने फूलने वाला व्यवसाय बन गया है। पर्यटन एवं विदेशी मुद्रा की चकाचौंध ने वेश्यावृत्ति को वैधानिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग पैदा कर दी है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में वेश्यावृत्ति से उपजी एक भयानक संक्रामक रोग एड्स (AIDS) ने ऐसी माँग पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यद्यपि एड्स की बीमारी के अन्य स्रोत भी हैं लेकिन वेश्यावृत्ति इसका प्रधान एवं सबसे बड़ा स्रोत है। यह बीमारी एक विश्वव्यापी सामाजिक समस्या का रूप ग्रहण करती जा रही है। एचआईवी का पूरा नाम Human Immuno Deficiency Virus है। इसके द्वारा जो रोग पैदा होता है उसका नाम एड्स (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) होता है। एचआईवी वायरस है जबकि एड्स रोगग्रस्त अवस्था है। एड्स रोग में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण समाप्त हो जाती है तथा पीड़ित व्यक्ति अनेकानेक रोगों का शिकार होता हुआ अंततः रोगग्रस्त अवस्था में मृत्यु का शिकार हो जाता है। यह रोग फैलने का प्रमुख कारण एक से अधिक महिला/पुरुषों के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र में एचआईवी/एड्स विषय पर महिलाओं/बालिकाओं का समाजशास्त्रीय ढंग से वर्तमान समय वर्ष-2018 के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन – विश्लेषण किया गया है। भारतीय समाज अधिक स्वतंत्र व खुले विचारों की नहीं है। लिंग/यौन क्रियायें/यौन संबंधों पर खुलकर बात करने में झिझकती हैं। सही तरह से जवाब नहीं दे पाती हैं। भय, संकोच के कारण इस विषय पर अनेक बालिकाओं में ज्ञान का अभाव भी पाया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में इन्दौर महानगर के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं एवं महिला कर्मचारी स्टॉफ से बात की गई है। प्राथमिक तथ्य संकलन – साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया है।

एचआईवी/एड्स के प्रति महिलाओं की जनजागरूकता का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। देश का युवा वर्ग एड्स से अधिक संक्रमित हो रहा है। आज अधिकांश आयु वर्ग (21-45) वर्ग के लोग एड्स की चपेट में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों में पाया गया है कि –

1. 70% महिला उत्तरदाता एचआईवी/एड्स में अंतर नहीं जानती है।
2. 92% महिला उत्तरदाता एचआईवी/एड्स का पूरा नाम नहीं जानती है।

3. 98% महिला उत्तरदाता इसके संक्रमण के चारों कारणों को नहीं जानती है।
4. 90% महिला उत्तरदाता इसे छूत तथा संक्रमणशील बीमारी मानती है।
5. 65% महिला उत्तरदाता इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानती है।
6. 79% महिला उत्तरदाता पहली बार इस विषय पर किसी से चर्चा कर रही हैं।
7. 95% महिला उत्तरदाता, उत्तर देने समय झिझक, शर्म, संकोच महसूस कर रही थी।
8. 70% महिला उत्तरदाता को इस संबंध में किए जा रहे शासकीय प्रयासों की जानकारी नहीं है।
9. 85% महिला उत्तरदाता ART सेन्टर के बारे में नहीं जानती है।
10. एड्स से बचाव, सुरक्षा एक से अधिक व्यक्तियों से लैंगिक संबंध न रखना, संबंधित आवश्यक जानकारियों का अभाव उत्तरदाताओं में पाया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक तथ्य संग्रहण में साक्षात्कार अनुसूची के अलावा समूह चर्चा तथा अवलोकन सहभागी पद्धतियों का भी प्रयोग किया गया है। द्वितीयक शोध तथ्य, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, शोध प्रबंधों, रिसर्च जर्नलों, शासकीय रिपोर्ट्स से प्राप्त किए गए हैं।

एड्स के प्रति महिलाओं की जागरूकता – द्वितीयक शोध तथ्य – ह्यूमन इम्यूनोडिफेन्सि एसी वायरस (एच.आई.वी.) शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात 6 से 10 सप्ताह में रक्त में आ जाता है। इस अन्तराल को विन्डो पीरियड कहते हैं। यह वायरस सफेद रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर उसकी स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर जर्जर अवस्था में पहुँच जाता है तथा भांति-भांति के जीवाणु तथा विषाणु शरीर पर हमला करके जानलेवा बना देते हैं। इस तरह एच.आई.वी. वायरस Subserotype है, जो कि शरीर में अपना आवरण बदलते हैं। अतएव इस रोग के ईलाज हेतु यदि एक तरह का टीका बनाया जाये तो एच.आई.वी. के आवरण बदलने की प्रकृति के कारण वायरस पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत में प्रत्येक 25 व्यक्तियों में एक यौन जनित बीमारी (एस.टी.डी.) से ग्रसित हैं। ऐसे व्यक्तियों को एड्स विषाणु के संक्रमण की संभावना आठ से दस गुना अधिक होती है।

भारत सरकार वर्ल्ड बैंक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मिलित प्रयासों से एड्स के सम्बन्ध में जानकारी प्रसार तथा प्रचार माध्यमों से जनसमूहों को दी जा रही है। भारत शासन स्कूलों में एड्स की जानकारी यौन

* प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, राऊ, जिला - इन्दौर (म.प्र.) भारत

** व्याख्याता, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

*** शोधार्थी (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शिक्षा के साथ देने के लिए प्रयासरत है। 1992 में नेशनल एड्स कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन (एन.ए.सी.ओ.) की स्थापना करके इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एड्स रोकथाम हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी, पूना, क्रिश्चियन मेडीकल कालेज बेलोर, एन.आई.सी.डी.एस. नई दिल्ली केन्द्र कार्यरत है। म.प्र. में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने मद्रास में एच.आई.वी. तथा एड्स से सम्बन्धित तमाम सवालियों का जवाब देने के लिए एक कम्प्यूटीरकृत मशीन लगाई है। कोई भी व्यक्ति फोन करके इस मशीन से अपने तमाम सवालियों तथा जिज्ञासाओं का जवाब पा सकता है। एड्स बीमारी की कोई औषधी अभी तक निर्मित नहीं हुई है। श्री ए.एस. मजीद, एर्नाकुलम ने दावा किया है कि उन्होंने 20 जड़ी बूटियों से औषधि बनाई है जो कि एड्स के विरुद्ध कारगर साबित हुई है। (दैनिक भास्कर, 2015, सितंबर 20)।

वेश्यावृत्ति एवं एड्स - एच.आई.वी. संक्रमण हाथ मिलाने, गले लगने, चूमने, खाँसी, छींक से, सार्वजनिक शौचालय और टेलीफोन के उपयोग से एक ही बर्तन में खाने से, स्वीमिंग पूल में नहाने से, मच्छरों मक्खियों तथा एक दूसरे के कपड़ों के उपयोग से नहीं फैलता। इस संक्रमण के फैलने की सम्भावना तभी रहती है जब यह वायरस यौन स्थानान्तरित बीमारियों के कारण या अन्य कारणों से उत्पन्न घाव, रिसाव, छिलाव, इत्यादि के माध्यम से शरीर के रक्त में पहुँच जाता है। इसी तरह एच. आई. वी. संक्रमित इंजेक्शन की सुई या नशे की सुई, गुदना तथा नाक, कान, छेदने के नुकीले उपकरण, संक्रमित ब्लेड, चाकू या अन्य धारदार औजार जिससे घाव हो सकने या त्वचा भेदने की क्षमता हो, उसके माध्यम से ये विषाणु रक्त में पहुँच जाते हैं। संक्रमित रक्त को रोगी को देने पर भी एड्स हो जाता है इसी तरह संक्रमित महिलाओं द्वारा उनके गर्भस्थ शिशुओं को एड्स हो सकता है। यह विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य योनिमार्ग के द्रव्य तथा माता के दूध में पाया जाता है।

चूँकि एड्स का कोई कारगर इलाज नहीं है अतएव इससे बचाव ही एक मात्र सुरक्षा मार्ग है। इससे बचने के लिए वेश्यागमन, पर पुरुष तथा समलिंगी कामुकता को निषेध करके, रक्त ग्राही एच. आई. वी. परीक्षित रक्त गृहण करके, शरीर पर उपयोग की जाने वाली सुई तथा धारदार उपकरण (इंजेक्शन सुई, नशे की सुई, ब्लेड, शरीर भेदना, गुदना तथा इक्वूंचर इ. के उपकरण) आधे घंटे उबालकर जीवाणु रहित करने के पश्चात् उपयोग करके, तथा संसर्ग के दौरान कंडोम का उपयोग करके संक्रमित होने से बचाव किया जा सकता है। (राज्य एड्स सेल, संचालनालय चिकित्सा, शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल)

एड्स के प्रति विश्वविद्यालय की छात्राओं की जागरूकता के सन्दर्भ में जयश्री भट्ट ने म.प्र. समाजशास्त्रीय परिषद् के ग्वालियर में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। (आचरण-दैनिक समाचार पत्र, ग्वालियर 2017, अक्टूबर 17, पृ. 6)। शोध पत्र प्रस्तुत करते समय उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने एड्स के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी। वर्तमान अध्ययन शिक्षित युवतियों की एड्स के फैलाव बचाव तथा उसकी गम्भीरता के सन्दर्भ में उनका ज्ञान परिलक्षित करेगा साथ ही साथ सामान्य जन की एड्स विषयक उत्कंठा को शान्त करने में अहम् भूमिका निभा सकेगा।

शोधार्थियों द्वारा उद्देश्यपूर्ति हेतु डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्नातकोत्तर की 50 छात्राओं का निदर्श के रूप में चयन किया

गया। लेखिका ने पाया कि स्नातक स्तर की बहुसंख्यक छात्राएँ सामाजिक मर्यादाओं तथा यौन शिक्षा के अल्प ज्ञान के कारण इस विषय पर खुल कर चर्चा करने में पूर्ण सहयोग नहीं कर रहीं, वहीं स्नातकोत्तर की छात्राओं का सहयोगी रूख था। चयनित 50 छात्राओं में से विज्ञान तथा कला संकाय के बराबर निदर्श थे। छात्राओं से साक्षात्कार अनुसूची भरवाकर उसके परिणामों का विश्लेषण किया गया।

उच्च शिक्षित युवतियों से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि किसी भी युवती को एड्स का पूरा ज्ञान नहीं था। एड्स का सही कारण वायरस मात्र 26.66 प्रतिशत युवतियों को ज्ञात था तथा 40 प्रतिशत ने बैक्टिरिया तथा 33.33 प्रतिशत ने कोई कारण व्यक्त नहीं किया। किसी भी युवती को यह ज्ञान नहीं था कि संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने के 6 से 10 वर्ष में यह एड्स का रूप ले लेता है।

इस संक्रमित वायरस के शरीर में सर्वाधिक उपस्थिति के स्थान के सन्दर्भ में 66 प्रतिशत वीर्य में, 53.33 प्रतिशत ने रक्त में, 46.67 प्रतिशत ने योनिमार्ग के स्त्राव में इसकी उपस्थिति बताई, वहीं पर इसकी उपस्थिति माँ के दूध में तथा स्पायनल द्रव्य में किसी युवती ने व्यक्त नहीं की। इसी तरह 6.67 प्रतिशत ने इसकी उपस्थिति साँस की छोड़ी हुई वायु में 6.67 ने कफ-थूक में, 20 प्रतिशत ने दूषित भोज्य पदार्थ में इस संक्रमण की उपस्थिति व्यक्त की। यद्यपि सभी शिक्षित युवतियों को यह तो ज्ञात था कि संक्रमित व्यक्ति से संसर्ग करने पर यह बीमारी लग जाती है किन्तु किसी भी युवती को यह ज्ञान नहीं था कि कि जननांगों में घाव, रिसाव, खरोंच इत्यादि के माध्यम से यह संक्रमण शरीर के रक्त में पहुँच जाता है।

एड्स के संक्रमण से बचाव के सन्दर्भ में 80 प्रतिशत युवतियों ने कंडोम के उपयोग करने की बात स्वीकार की वहीं पर 20 प्रतिशत ने कंडोम को केवल गर्भ निरोधक के रूप में इसकी उपयोगिता बताई। 53.33 प्रतिशत युवतियों ने रक्त परीक्षण के पश्चात् इसे ग्रहण करने, 40 प्रतिशत ने दवा तथा नशे का इंजेक्शन उबालकर उपयोग करने, तथा केवल 10 प्रतिशत ने शरीर पर उपयोग करने वाले धारदार उपकरणों (कान-नाक गुदना, इक्वूंचर, ब्लेड इत्यादि) को उबालकर उपयोग करने की बात की। एड्स के इलाज के सन्दर्भ में 73.33 प्रतिशत युवतियों ने स्वीकार किया कि इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं पर 26.67 प्रतिशत ने इसके इलाज हेतु टीके की बात की। पुरुष तथा महिलाओं में से किसे संक्रमित होने की अधिक सम्भावना रहती है कि प्रति उत्तर में केवल 13.33 प्रतिशत युवतियों ने पुरुषों की तुलना को अधिक संक्रमित होने की सम्भावना व्यक्त की इसी तरह 80 प्रतिशत युवतियों ने स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक संक्रमित होने की सम्भावना व्यक्त की। 6.67 प्रतिशत युवतियों ने इस सन्दर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की। 53.33 प्रतिशत युवतियों ने एड्स पीड़ित के सामाजिक बहिष्कार किये जाने का विवाद प्रस्तुत किया सभी युवतियों ने संक्रमित गर्भवती महिलाओं के शिशुओं को एड्स की बीमारी होने का विचार प्रस्तुत किया। युवतियों ने एड्स विषयक ज्ञान की जानकारी के स्रोत के सन्दर्भ में 90 प्रतिशत युवतियों ने दूरदर्शन तथा 10 प्रतिशत ने समाचार पत्र/पत्रिकाओं को सूचना का माध्यम बताया। किसी भी युवती ने आपसी विचार/विमर्श से ज्ञान प्राप्ति का माध्यम स्वीकार नहीं किया।

एड्स विश्व में भयावह रूप से बढ़ रहा है तथा भारत में इसकी स्थिति सर्वाधिक भयावह है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उच्च शिक्षित युवतियों को एड्स विषयक ज्ञान की अत्यन्त कमी है। उन्हें यह तो ज्ञात है कि संसर्ग से यह संक्रमण फैलता है। किन्तु जननांगों में घाव,

खरोंच तथा रिसाव इत्यादि से यह वायरस शरीर के रक्त में पहुँचता है किसी को ज्ञात नहीं होता उनके अपूर्ण ज्ञान को परिलक्षित करता है। इसी तरह कंडोम का उपयोग उन्होंने सुना किन्तु इसकी एड्स के रोकने में किस तरह की भूमिका है इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। समलैंगिक कामुकता तथा एड्स के फैलाने की प्रक्रिया के ज्ञान का भी उनमें अभाव है। युवतियों के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई है कि यह अनियोजित यौन सम्बन्धों की देन है, इसलिये रक्त के ट्रांसफ्यूजन तथा संक्रमित सुई, से इसके फैलाव के सन्दर्भ में लगभग आधी युवतियों को जानकारी नहीं है। इसी तरह धारदार उपकरणों के शरीर पर उपयोग के पहले उनको उबालकर संक्रमण दूर करने के सन्दर्भ में उनकी अज्ञानता यह सिद्ध करती है कि उनके ज्ञान का केन्द्रियकरण पूर्णतः यौन जनित रोक की अवधारणा पर हो गया है। इस अवधारणा के समरूप ही प्रायः युवतियों ने स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को संक्रमित होने की सम्भावना को अधिक जोर दिया है। उनका सोच पुरुषों की स्वतन्त्र प्रवृत्ति के अनुरूप उनके अनियोजित यौन सम्बन्धों की अधिकता की सम्भावना के परिप्रेक्ष्य में महसूस किया जा सकता है। अधिसंख्य युवतियों द्वारा एड्स पीड़ित से सामाजिक बहिष्कार किए जाने का विचार भी उनकी पुरुषों के अनियोजित तथा अनियन्त्रित यौनाचार के सन्दर्भ में परिपक्व हो गई विचारधारा का प्रतिफल है।

उच्च शिक्षित युवतियों के जानकारी के स्रोत से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक को टेलीफोन से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। पत्र-पत्रिकाओं को शिक्षित वर्ग पढ़ता है। किन्तु उसके माध्यम से 10 प्रतिशत युवतियाँ कुछ लाभान्वित हो सकी हैं। इस सन्दर्भ में आपसी जानकारी का आदान-प्रदान भी युवतियों द्वारा नहीं किया गया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वे अनियोजित यौनाचार की अवधारणा को पूर्ण आत्मसात किये हुये हैं तथा बाकी पक्षों को या जो महत्व नहीं देती या फिर उस और उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया जा सका। यद्यपि वे सभी पक्ष (सिरिज, धारदार उपकरण, रक्त ट्रांसफ्यूजन इत्यादि) की महत्ता अनियन्त्रित यौनाचार से कम नहीं है बल्कि दैनिक जीवन में उपयोगिता के कारण उससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

पाश्चात्य देशों में स्वच्छन्द तथा अनियोजित यौनाचार बड़ी संख्या में पाया जाता है तथा भारतीय संस्कृति की देन स्वरूप हमारे देश में यौन सम्बन्ध अत्यन्त मर्यादित रूप में है तथा अनियोजित यौनाचार बहुत ही कम संख्या में पाया जाता है। फिर भी शासन तथा प्रसार माध्यमों में एड्स के प्रचार प्रसार हेतु यौनाचार को विशेष महत्व दिया गया है। इसे यौन जनित बीमारी का स्वरूप दिया जाने से जन सामान्य अपने आपको इस संक्रमण से सुरक्षित महसूस करता है तथा युवतियाँ भी इस अवधारणा को आत्मसात किए हुए हैं। कहना न होगा कि यदि शासन यौन जनित बीमारी के साथ-साथ सिरिज के उपयोग, रक्त ट्रांसफ्यूजन तथा घाव कटाव, छिलाव के इसके रक्त में पहुँचने की महत्ता को प्रचार प्रसार माध्यमों से नियोजित तरीके से प्रसारित करे तो सार्थक परिणाम सामने आ सकेंगे। शासन जो संदेश आम नागरिकों को देना चाहती है, वह उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। कोई भी संदेश (मेसेज) जब अपने उद्गम स्थल से लक्ष्य तक पहुँचता है तभी संदेश कहलाता है। इसमें तीन प्रमुख तथ्य शामिल रहते हैं। संदेश, वक्ता तथा श्रोता। कोई भी संदेश वक्ता के माध्यम से श्रोता तक पहुँचता है। यदि वक्ता श्रोता तक अपने संदेश को ठीक तरह से नहीं पहुँचा सका तब संदेश निरर्थक हो जाता है। यही

परिप्रेक्ष्य एड्स के संदर्भ में देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में शासन के पास प्रभावी वक्ता की कमी है। आम नागरिकों तक यह संदेश पहुँचाना है तो हमें उनके एचआईवी/एड्स से संबंधित ज्ञान के स्तर में वृद्धि करनी ही होगी। हमें इसके प्रारंभिक स्तर पर सेक्स को मूल केन्द्र मानकर दूसरे वायरस के संक्रमण के मुख्य कारणों को भी प्राथमिकता देनी होगी। महिलाओं की शारीरिक रचना के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक संक्रमण उन्हीं को होने की संभावना है तथा यह चिन्ता का विषय है कि उच्च शिक्षित युवतियाँ जिन्हें अभी तक एड्स विषयक जानकारी से युक्त होना जाना था वे अभी तक इस संदर्भ में भ्रमित हैं जो कि निश्चित ही भविष्य के लिए हानिकारक परिणामों का वायरस बनेगी। जब अन्य शिक्षित युवतियों की यह स्थिति है तो अल्पशिक्षित एवं अशिक्षित युवतियों की हमारे देश में बहुतायत में है। इसकी इस विषय में जानकारी का क्या हाल होगा, चिंतनीय है। इस असाध्य रोग जिसके सर्वाधिक पीड़ित व्यक्ति हमारे देश में होने की पूर्ण संभावना के कारण से इसके लिए शासन से उपरोक्त वर्णित प्रथाओं की अपेक्षा ही की जा सकती है ताकि एड्स को सिर्फ यौन जनित बीमारी समझकर पीड़ित व्यक्ति से नफरत करने के बजाय तथा अन्य कारणों से इसके फैलने की संभावनाओं से समाज से जानकारी युक्त किया जा सके तथा पीड़ितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखकर उनका उचित बचाव किया जा सके। अब समय आ गया है कि एचआईवी/एड्स से संबंधित विभिन्न विचार धाराओं से भारतीय महिलाओं को परिचित कराना ही होगा। एड्स पीड़ित महिलाओं को दुत्कारना नहीं, स्वीकारना होगा। तभी हम अपने महान भारत राष्ट्र को 'अज्ञानता से ज्ञान की ओर, बंधन से आत्मनिर्भरता की ओर, दर्द से राहत की ओर ले जाने में सक्षम हो सकेंगे। आइये हम सभी मिलकर इस दिशा में श्रेष्ठ, समन्वित, सार्थक, सफल प्रयास करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ- सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी (2016) विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली-7
2. सोनबेर, डॉ. बसंत कुमार- भारत में सामाजिक समस्याएँ- 2012, प्रकाशक- मानव नवनिर्माण संस्थान राजनांदगाँव (छतीसगढ़)
3. आहूजा, डॉ. राम- सामाजिक समस्याएँ- एड्स, संसकरण-2012, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान पृष्ठ क्रमांक 459
4. Nag. Moni- Sexual behaviours and aids in India Delhi 1996
5. आप्टे, प्रदीप कुमार (2017) काया और एड्स:- एक अंत्युद्ध, इन्दौर फाउन्डेशन फॉर एड्स रिसर्च।
6. सिंह एम.एम. (2004) एड्स तथा आधुनिक समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 04
7. Renee, Sabatien (ed) blaming others: prejudic, Race and worldwide Aids, panas Institute, London 2008
8. नई दुनिया, जनसता, हिन्दुस्तान, टाईमस ऑफ इण्डिया, द हिन्दू, दैनिक समाचार पत्र, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र, योजना, इण्डिया टूडे, क्रानिकल मासिक मेगजीन से प्राप्त शोध संबंधित अध्ययन आँकड़े एवं जानकारियाँ आदि।

21 शताब्दी का बौद्धिक समाज (सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में)

डॉ. नीलिमा खरे *

प्रस्तावना - आज इस क्षेत्र में प्रगति के कारण कम्प्यूटर के सामने बैठे-बैठे ही विश्व के किसी भी कोने से खरीददारी करना, बिलों का भुगतान करना या वसूली विज्ञापन तथा धन का स्थानान्तरण आदि महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य इंटरनेट पर हो रहे हैं। अब तो व्यक्ति अपनी घरेलू वस्तुओं एवं आवश्यकताओं की खरीददारी घर बैठे ही कर सकता है। खाने की वस्तुएँ, सब्जी, कपड़े, आदि से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि घर बैठे अपनी पसंद के अनुसार कोई भी मंगवा सकता है। इसके लिए कई प्रकार की शब्दावली जैसे-ई-मेल, ई-बिजनेस, ई-बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, ई-चैट, ई-कैश, ई-कामर्स, ई-कन्सल्टेंट, ई-फैक्स, ई-प्रोक्योरमेंट, टेलीमेडिसिन, आदि शब्द विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रतिदिन नए अविष्कार होते रहते हैं और हम नित नई सुविधाओं से सम्पन्न होते जा रहे हैं।

ई-कामर्स- वस्तुओं या सेवाओं का इंटरनेट पर खरीदना, बेचना या उत्पादकों की सूचनाएँ ग्राहकों तक पहुँचाना ही ई-कामर्स है। इससे व्यापारियों, कम्पनियों, विक्रेताओं एवं ग्राहकों को भी लाभ आसानी से मिल जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज- यह ई-कामर्स का ही एक सब सेट है। इसके माध्यम से बिना पेपर के ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ई-कामर्स का संचालन करने के लिए फैक्स ई-मेल इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड ई-कैश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वीडियो टेस्ट आंनलाइन डाटाबेस आदि का उपयोग किया जाता है। आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ई-कामर्स व ई-डी-आई को समुचित स्थान प्राप्त हो गया है।

ई-कैश व ईलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से खरीदे गए सामान का भुगतान वास्तविक मुद्रा को दिए बिना घर बैठे ही कर सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी को एक ऐसी प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी होने वाली घटना या प्रसंग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। सूचना को समाज के विकास का मूल स्रोत कहा जा सकता है। सभ्यता के मूल आरंभिक दिनों में जब गुफा में रहने वाला मनुष्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उसने महसूस किया कि समुदाय के रूप में जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है। समुदाय के रूप में रहने पर उसके सदस्य सूचना का लेन-देन आसानी से कर सकते हैं। पानी की उपलब्धता, किसी खास इलाके में जंगली पशु की मौजूदगी आदि की जानकारी आसानी से एक दूसरे को पहुँचाई जा सकती है, इस प्रकार सूचना ने मनुष्य में सामाजिक चेतना का विकास किया।

मनुष्य शरीर का रहस्यपूर्ण एवं परोक्ष भाग उसका मस्तिष्क है। अपने मस्तिष्क और बुद्धि की सहायता से मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले अन्य प्राणियों

की तुलना में उच्चतर जीवन जीने में सक्षम है। क्योंकि वह विभिन्न सूचनाओं को संयोजित करने के बाद तर्क शक्ति द्वारा उसे ज्ञान में बदल लेता है और अपने समुदाय के लिए जीवन मूल्यों का निर्धारण करता है, एक आचार संहिता तैयार करता है और समाज के प्रत्येक सदस्य के लाभ के लिए एक बौद्धिक समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने समाज की इस विकास प्रक्रिया की गति तेज को कर दिया है।

प्राचीन समय में सभा चौक, सामुदायिक भवन अथवा पंचायत हुआ करती थीं जिसमें समाज के लोग आपस में मिलते थे एवं जानकारियों का आदान-प्रदान करते थे। सामूहिक विवेक के आधार पर फैसले लेते थे। सदस्यों को अनुशासित करते थे। उन्हें शिक्षित बनाकर जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में लोगों की सहायता करते थे। तब यह सार्वजनिक स्थल एवं पंचायतें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र थे। इसके लाभ को देखते हुए नागरिक इनमें स्वयं उपस्थित होते थे। इस सामाजिक विकास प्रक्रिया की सफलता का आधार सूचना की संचारी शक्ति ही थी। यहाँ विभिन्न स्रोतों से सूचना उपलब्ध होती थी किन्तु इस प्रणाली में एक अधूरापन था इसकी पहुँच, छोटे से गांव में रहने वाले समुदाय तक सीमित थी।

सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए कुछ ऐसे अभूतपूर्व व्यापक तकनीक का विकास हुआ है जिसने दुनिया में रह रहे तमाम लोगों को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया है। समाज का हर नागरिक विश्व सूचना तक पहुँच गया है। वह असंख्य स्रोतों में से किसी से भी ज्ञान हासिल कर सकता है। एक आम व्यक्ति इंटरनेट और ई-मेल के जरिए किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से संपर्क कर सकता है तथा परामर्श प्राप्त कर सकता है। मरीजों के वीडियो चित्र, ई.सी.जी. एवं अन्य चिकित्सीय रिपोर्ट जांच के लिए डॉक्टर को इसी माध्यम से भेजी जा सकती है। इस प्रकार आज दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों को बुद्धिमान व्यक्तियों का परामर्श उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज समाज का सर्वांगीण विकास हो रहा है और वसुधैव कुटुम्बकम् का आदर्श साकार हो रहा है। तथा एक प्रसन्न, स्वस्थ, समृद्ध रचनात्मक बौद्धिक समाज इस सूचना युग का परिणाम होगा।

पहले का समाज जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला था। धन ऐसी शक्ति था, जो समाज को भूख, असुरक्षा, बीमारी और देवी, आपदा पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानवीय प्रगति को तेज कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा कारक है जो व्यक्ति को आवश्यक सूचना प्राप्त करने और ज्ञान तथा बुद्धि के स्रोतों से जुड़ने में सहायता करता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नई व्यापक औद्योगिक गतिविधि को जन्म दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसे सशक्त औजार के

रूप में काम कर रही है, जो तमाम औद्योगिक प्रक्रियाओं की उत्पादकता, क्षमता और विश्वसनीयता को बढ़ा देती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार सेवाएं आई.टी.ईएस. में उत्कृष्टता, दीर्घकालीन लागत फायदे तथा मूल रूप से समर्थित मूल्य प्रस्ताव का प्रदर्शन किया है। भारतीय कंपनियाँ अपनी सेवाओं का विस्तार बढ़ा रही हैं। कॉलेज के युवा स्नातकों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा क्षेत्र में रोजगार के निवेश की दृष्टि से भारत का आकर्षण बढ़ा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी से प्रतिभा पलायन का दौर उल्टा हुआ है। अपने कैरियर के लिये विदेशों में जाने वाले भारतीय मूल के लोगों में अब भारत में ही काम करने के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है।

सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी ने अनेक नई अवधारणाओं से जोड़ा है। घर बैठे टेलीविजन, और कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिए मनोरंजन और आमोद-प्रमोद संभव हो गया है। मल्टीमीडिया, वर्चुअल रीयलटी वीडियो, 3 डी, ग्राफिक्स तथा अन्य प्रौद्योगिक चमत्कार शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। खरीददारी के लिए मीलों लंबी यात्रा और विशाल बाजारों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की थका देने वाली परेशानियाँ अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। घर बैठकर ही खरीददारी, टेलीबैंकिंग और वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। कार्यालयों का काम अब घर बैठे किया जाना भी संभव हो गया है। कार्यालय धीरे-धीरे कागज मुक्त होते जा रहे हैं। बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। ई-कामर्स और ई-करेंसी के जरिए समस्त व्यवसायिक गतिविधियाँ घर बैठे संपन्न की जा सकती हैं। इंटरनेट पर ई-मेल, इंटरनेट चर्चा, और वीडियो फोन के जरिए मुलाकातों तथा सामाजिक संपर्कों में वृद्धि हुई है। शहरी समाज के साथ-साथ ग्रामीण वातावरण में भी परिवर्तन आ रहा है। अब ग्रामवासी भी नेटवर्क से जुड़े समाज का हिस्सा बन गए हैं, और शहरी समाज की नई अवधारणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को सरकार को कर या बिल चुकाने अथवा राजस्व दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिये जिला मुख्यालय तक की यात्रा करनी पड़ती थी। नये सूचना समाज में सूचना दावों को जन्म दिया है जो कोने-कोने में कार्यरत है, ग्रामीण जनता अब इन दावों की सहायता से करों का भुगतान या सरकारी दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा किसान अपने आस-पास के शहरों के विभिन्न बाजारों में माल की कीमतों एवं आवक की जानकारी पलक झपकते हासिल कर सकता है। अब किसान सही निर्णय लेकर माल की अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। इसका एक उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी भारत यात्रा के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक गांव कानपुरा के लोगों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग 7 नवम्बर 2010 को की इसके लिये विशाल एल.सी.डी. स्क्रीन व वेब कैमरों की स्थापना कानपुरा के पंचायत कार्यालय में की गई थी। अपनी भारत यात्रा के समय अपने मुम्बई प्रवास के दौरान ओबामा ने सेंट जेवियर कॉलेज से वीडियो कान्फ्रेंसिंग इस गांव के निवासियों के साथ की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच ने राष्ट्रपति ओबामा को काफी प्रभावित किया।

सूचना प्रौद्योगिकी से संस्कृति भी अछूती नहीं रही है। संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं में तेजी से बदलाव आ रहा है। आधुनिक समय में जनसंचार के द्वारा जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक

परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। विकास तथा परिवर्तन में सूचना एक महत्वपूर्ण घटक है, जो नये विचारों के प्रसारण एवं परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों के मानसिक ज्ञान की सीमा का विस्तार किया है एवं उन्हें उंचा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में संस्कृति के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति प्रदान की है और दुनिया के विभिन्न देशों में संस्कृति के प्रतिमानों को आसानी से परस्पर ग्रहण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य रक्षा संबंधी गतिविधियों के विकास को सक्षम बनाने की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी एक सशक्त साधन है। यह प्रौद्योगिकी अस्पताल प्रबंधन और रोगी परिचर्या तथा प्रबंधन के लिये विभिन्न प्रणालियाँ उपलब्ध कराती है। सूचना प्रौद्योगिकी किसी क्षेत्र के समस्त अस्पतालों के औषधियों की केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट और अन्य आई.टी. साधनों की उपयोग करते हुए उपयुक्त दवाओं का वितरण और निर्गम जहाँ उपलब्ध है, वहाँ से, जहाँ जरूरत है वहाँ तेज गति और सहूलियत के साथ किया जा सकता है। बहुत दूर बैठे विशेषज्ञ से तत्काल सलाह ली जा सकती है। इस प्रकार दूर-दराज के अस्पतालों से सामान्य सलाह मशवरे की सुविधा हासिल की जा सकती है।

संप्रेषण और संचार के लिए प्रौद्योगिकी की मौजूदगी की अलावा साक्षरता की भी महत्ता होती है, भारत में आजादी के बाद शिक्षा एवं साक्षरता में काफी सुधार हुआ है किन्तु देश की बढ़ती आबादी की वजह से विकास कम लगता है, सूचना प्रौद्योगिकी के बढौलत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार आया है। इसके लिए आवश्यक सामग्री को दुनिया में कहीं भी मौजूद विशेषज्ञ तैयार कर सकते हैं। और इंटरनेट के जरिए किसी भी स्कूल या छात्र तक पहुँचायी जा सकती है। कोई भी छात्र श्रेष्ठतम शिक्षा का लाभ उठा सकता है और कोई भी व्यक्ति भविष्य के बौद्धिक समाज का श्रेष्ठतम नागरिक बन सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी इतनी सर्वांगीण और समृद्ध है कि सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र की जरूरत को वह पूरा कर सकती है और समूचे समाज को ऐसा रूप प्रदान कर सकती है जो उसके लिए अपेक्षित है।

सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने विश्व के नागरिकों का बहुत ही सुदृढ़ और घनिष्ठ समुदाय का विकास किया है। व्यक्तियों के मध्य संचार तात्कालिक हो गया है। इधर-उधर फैली तमाम सूचनाएं प्रसंस्करण के बाद ज्ञान में परिवर्तित हो रही हैं। लोग अब अधिक बुद्धिमान और स्वस्थ रूप में विकसित हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भारतीय मस्तिष्क को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय इंजीनियर दुनिया में बेजोड़ हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पूरी दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत को एकाएक लाभदायक मीके प्रदान किए हैं। पूंजी और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत के पास ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने का सर्वोत्तम समय है। आज भी दुनिया की निगाहें भारतीय प्रतिभाओं पर हैं।

उदारीकरण के वर्तमान दौर में हमारी अर्थव्यवस्था की कठिनाई बढ़ी है और हमें विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पाना है। आज सूचना प्रौद्योगिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बनाने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर मांग के अनुरूप कार्य करें। हमारे देश में 10,000 आई.टी. की कमी पाई गयी है। इसके लिये देश

के इंजीनियरिंग कॉलेजों को नई सुविधाओं से लैस करना होगा तथा नये इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने की भी तीव्र आवश्यकता है। पूरी दुनिया में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मार्केटिंग की जाना चाहिए। जिससे हमें इस क्षेत्र में नये बाजार मिलेंगे। निश्चित रूप से नये प्रयासों से इस क्षेत्र में गति आएगी साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम अमेरिका जाने वाले भारतीय आई.टी. पेशेवरों का देश में ही उचित उपयोग लेने लगे तो हम प्रतिवर्ष दो अरब डालर के नुकसान से बच जाएंगे और हमारे विशेषज्ञ देश का कायाकल्प कर देंगे।

साइबर कानून - 18 अक्टूबर 2000 से सूचना प्रौद्योगिकी कानून प्रभावी हो गया है। इसके प्रभावी होने से इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है तथा अब वे साक्ष्य के रूप में किसी भी भारतीय न्यायालय में मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार व डिजिटल हस्ताक्षर एवं डिजिटल प्रमाण पत्रों को कानूनी आधार मिल गया है। अब कोई भी व्यक्ति कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा डाटाबेसों के साथ छेड़छाड़ एवं इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर दण्ड का भागीदार हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से सामाजिक जीवन में काफी बदलाव

आ गया है किन्तु इस विकास की अपनी सीमाएँ हैं। साइबर स्पेस ने साइबर अपराध, सुरक्षा निजता और नागरिक की हिफाजत को दांव पर लगा दिया है। साफ्टवेयर चोरी, हैकिंग, ई-करेंसी धोखाधड़ी, पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन तथा अन्य बुराइयों से निपटने के लिए नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। जिससे निपटने के लिए कुछ नये कानून जिन्हें साइबर कानून कहा गया है, बनाए गए हैं। इस प्रकार सूचना समाज के समक्ष चुनौती दस्तक दे रही है जिसके लिए आवश्यक है कि हमारा समाज एक बौद्धिक समाज में तब्दील हो, तब सूचना प्रौद्योगिकी समाज के निर्माण के मूलाधार का काम करेगी, और दूरगामी सामाजिक बदलाव के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनोरमा इयर बुक -2002
2. परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र - 2010 ISBN - 81-7004-252-6 डी.जी.आर.मदन
3. भारत 2008 ISBN - 81-230-1489-9
4. प्रतियोगिता दर्पण अर्द्धवार्षिक जनवरी 2011
5. साइन्स इंडिया राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका ISSN -2319-9423 Dec. 2014

सामाजिक समस्या एचआईवी/एड्स का समाजशास्त्रीय अध्ययन (वर्तमान समय वर्ष-2018 में एड्स पीड़ित महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सुधा सुरेश सिलावट * डॉ. त्रिपत कौर चावला ** सुमन सिंह ***

प्रस्तावना - समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है। 'जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वह या तो पशु है या देवता।' अरस्तु महोदय के इस कथन से समाज की गरिमा, श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। भारतीय समाज एक बहुभाषी, बहुवर्गीय समन्वित, संगठित समाज है। भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्याएँ भी विद्यमान हैं। 'सामाजिक समस्याएँ सामाजिक आदर्शों का विचलन है, जो सामूहिक प्रयासों से ही ठीक हो सकता है।' वाल्श तथा फरके महोदय ने वर्ष-1960 में सामाजिक समस्याओं को उनकी उत्पत्ति, प्रभावशीलता के आधार पर वर्गीकृत, विश्लेषित भी किया है। भारतीय समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रमुख समस्याएँ निम्नवत हैं - बेरोजगारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, एचआईवी/एड्स, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि। भारतीय समाज में एचआईवी/एड्स की समस्या एक साधारण समस्या नहीं है क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या के रूप में सामने आई है। भारत देश में सर्वप्रथम फरवरी-1986 में चेन्नई की एक महिला यौनकर्मी में इस रोग से संक्रमित होने की पहचान की गई थी और आजकल इस बीमारी का अधिकतर संक्रमण इस सामाजिक समस्या के उत्पन्न 4 प्रमुख कारणों में से सबसे प्रमुख कारण 'यौन संबंध' ही है जो कि मानव जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसी से संतान की उत्पत्ति होती है। समाज की गतिशीलता आगे बढ़ती है। जब यह जनन क्रिया असुरक्षित (एक से अधिक साथियों के साथ अनैतिक रूप से किया जाए) संबंध होता है तो उसे भारतीय समाज मान्य नहीं करता है। एचआईवी/एड्स रूपी सामाजिक समस्या का गरीबी/बेरोजगारी/वेश्यावृत्ति से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक समस्याएँ आज विश्व के सभी सभ्य समाज के लिये एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं। समाजशास्त्रीय विद्वान स्वर्णकार, प्रेमचंद के अनुसार लम्बे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में शोधार्थियों की रूचि के बने रहने का कारण यही है कि यह सामाजिक समस्याएँ मानव के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है।

एड्स एक सामाजिक समस्या - गुप्ता एवं शर्मा : समाजशास्त्र (2016) के अनुसार किसी भी सामाजिक समस्या के 3 तत्व होना आवश्यक है -

- I. सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफी लोग उलझे होते हैं।
- A) इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के लिए खतरा समझा जाता है।
- B) इसमें वह मान कर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता की जागरूकता पर भी निर्भर करता है।

एड्स रोग की उत्पत्ति का प्रमुख कारण एवं स्रोत वेश्यावृत्ति को भी माना जाता है। चूंकि एड्स की बीमारी अब तक एक लाईलाज बीमारी है अतः यह एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ग्रहण कर चुकी है।

एड्स - एकायर्ड इम्यूनो डिफिसिएन्सी सिन्ड्रोम का संक्षिप्त नाम है जिसका तात्पर्य ऐसी दशाओं से है। जिसमें शरीर के अंदर की बनी हुई सुरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अमेरिका की सेन्टर फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेन्सन (C.D.S.) के अनुसार - Aids is a disability of Life. Threatening illness caused by human immunodeficiencies virus (HIV) characterised by HIV encephalopathy, HIV wasting syndrome of certian diseases due to immunodeficiency in a person with laboratory evidence of HIV infection of without certain other known causes of immuno-deficiency.

इस प्रकार एड्स नामक रोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शरीर के अंदर बनी हुई सुरक्षा प्रणाली को नष्ट होना होता है। इसमें शरीर की सुरक्षा प्रणाली धीरे-धीरे नष्ट होती है, परन्तु इसमें प्रभावित व्यक्ति निमोनिया, डायरिया, तपेदिक यहां तक की साधारण सर्दी खांसी आदि के संक्रमण से भी अपने आपको नहीं बचा पाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। इस रोग की प्रकृति इतनी विविध एवं विकराल है कि इस एड्स से संबंधित नहीं बल्कि सिन्ड्रोम के रूप में की गई है, जिसमें एक समय में रोग के अनेक लक्षणों एवं चिन्हों का समावेश रहता है।

'एड्स' नामक रोग की पहचान सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन् 1981 ई. में की गयी थी। जिसके प्रमाण Retrovirus समूह के थे और जिन्हें HIV (Human immuno deficiency virus) कहा गया। ये रोगाणु विज्ञान के लिए नए थे और जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा आज तक नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है। फलस्वरूप (HIV) के संक्रमण से पूरी विश्व में 'एड्स' नामक रोग फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। HIV संक्रमण की जांच हेतु अमेरिका एवं फ्रांस में बढ़े पैमाने पर संयंत्र एवं उपकरण बनाए जाने लगे हैं, जिनकी बिक्री से प्राप्त रॉयल्टी (Royalty) से सन् 1988 ई. में 'World AIDs Foundation' की स्थापना की गयी।

इस प्रकार 'एड्स' के रोगाणु/जीवाणु संक्रमण योग्य (Infections) होते हैं परन्तु इन जीवाणुओं का कोई जीवन चक्र (Life Cycle) नहीं होता है और न ही यह मच्छरों में पलते या बढ़ते हैं। यही कारण है कि HIV संक्रमण

* प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, राऊ, जिला - इन्दौर (म.प्र.) भारत

** व्याख्याता, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

*** शोधार्थी (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

वातावरण (हवा, जल, भोजन) द्वारा मच्छरों या मक्खियों द्वारा अथवा हैजा, चेचक, पोलियो, साधारण सर्दी-खांसी या अन्य रोगों के जीवाणुओं की तरह वहनीय रोग के रूप में नहीं होते हैं। फलस्वरूप HIV का संक्रमण आंलिगन, चुम्बन या एक ही बिस्तर एवं भोजन का एक साथ प्रयोग द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसके जीवाणु निम्न तीन दशाओं में शरीर में प्रवेश करता है।

- 1) Sexually - HIV संक्रमण का दूसरा मुख्य स्रोत होता है, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग अथवा यौन सम्बन्ध।
- 2) Parenterally - HIV संक्रमण का दूसरा स्रोत होता है - संक्रमित खून का आदान-प्रदान (Blood Transfusion) चाहे वह सुई, इंजेक्शन या अन्य किसी यंत्र से सम्भव किया जाये।
- 3) Perinatally - HIV संक्रमण का तीसरा स्रोत होता है - HIV संक्रमित माता, अर्थात् HIV संक्रमित माता द्वारा अपने नवजात शिशुओं का संक्रमित करना।

HIV से संक्रमित व्यक्ति के चार अवस्था होते हैं - प्रथम संक्रमित अवस्था में से 4 से 6 सप्ताह के अन्दर साधारण फ्लू व बदन दर्द के पश्चात् 9 से 10 वर्षों तक 'एड्स रोग' के कोई लक्षण नहीं उभरते हैं। प्रायः इसे Incubation Period कहा जाता है। बच्चों में यह अवस्था 18 से 24 माह तक होती है। इस अवस्था में रोगी स्वस्थ तो दिखता है परन्तु वे एड्स के जीवाणु वाहक के रूप में होते हैं और दूसरे व्यक्ति को HIV से संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी अवस्था एड्स रोग के लक्षणों के विकास का है। तीसरी अवस्था एड्स रोग की विकसित अवस्था तथा चौथी अवस्था मृत्यु हो जाती है। Incubation Period के बाद की अवस्था दर्दनाक एवं करुणामय होती है, जिसमें व्यक्ति विश्व के तमाम भौतिक साधनों के विरुद्ध बिल्कुल असहाय एवं निरुपाय रोगों से लड़ते हुए प्राण त्याग देता है।

इस प्रकार HIV से संक्रमित व्यक्ति एक लम्बी अवधि तक एड्स का रोगी नहीं होता है बल्कि केवल एड्स के जीवाणु (HIV) से संक्रमित होता है। एड्स के ये जीवाणु शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों में यथा मुख्य रूप से खून, वीर्य एवं स्त्री जननेन्द्रियों से बहने वाले पदार्थों में पहचान की गयी है। इसके अतिरिक्त लार (Saliva) आँसू एवं संक्रमित माता के दूध में भी ऐसे जीवाणु कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। बाद में यह HIV संक्रमित एड्स रोग के रूप में विकसित हो जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति को एड्स से ग्रसित बीमार व्यक्ति कहा जाता है।

एड्स को भारत में एक विदेशी रोग समझा जाता था, परन्तु मई 1986 में अमेरिका से हृदय का बाई-पास सर्जरी कराकर लौटे एक भारतीय व्यक्ति को HIV संक्रमित रक्त प्रदान (Blood Transfusion) करने का मामला प्रकाश में आया तथा अप्रैल 1986 में ही तमिलनाडु की स्थानीय महिला वेश्याओं में HIV संक्रमण दर्ज की गई। पुनः 1990 के प्रारंभ में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में HIV संक्रमित एक महामारी के इस रूप में सामने आया है।

प्रमुख शोध संस्थान - नैको - National Aids Control Organisation तथा राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन (मध्यप्रदेश में 'मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल) किया गया तथा ICMR - Indian Council of Medical Research द्वारा पूना में National Aids Research Institute (NARI) की स्थापना की गई है।

वर्तमान समय वर्ष-2018 में विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन का महत्व
- प्रस्तुत विषय एचआईवी/एड्स के शोध अध्ययन की वर्तमान में बहुत

अधिक शोध अध्ययन अनुसंधान प्रासंगिकता एवं महत्व है। यह सही है कि एड्स रोग की पहचान सर्वप्रथम अमेरिका तथा अफ्रीका में की गई तदुपरांत फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित एवं अन्य विकासशील देशों में की गई है। कोई भी विश्व का देश इस रोग से अछूता नहीं रहने के कारण इसे विश्व महामारी प्रकृति का रोग कहा जाता है। अफ्रीका में एड्स के रोगियों एवं HIV संक्रमित लोगों के व्यापक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 'असंक्रमित शक्तियों में HIV संक्रमण केवल संभोग सहयोगियों के द्वारा ही हुआ है।

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एड्स नामक रोग मुख्य रूप से एक पुरुष द्वारा कई स्त्रियों के संभोग या एक स्त्री द्वारा कई पुरुष के साथ संभोग से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि वेश्यावृत्ति को एड्स का प्रधान केन्द्रीय स्रोत, कारण समझा जाता है जो विभिन्न जनन इन्द्रियों रोग जैसे उपदंश (सिफिलिस), सुजाक (गोनेरिया), रतिज व्रणाभ (केनक्रायड) आदि की तुलना में अधिक अयानक, गंभीर एवं तीव्र संक्रमण का प्रभाव रखने के कारण, विश्व महामारी का रूप लेने में सक्षम मानी जाती है। बम्बई के लालबत्ती (Red Light) क्षेत्र में प्रति 1000 वेश्याओं में से लगभग 300 वेश्याओं का HIV से संक्रमित होने का अनुमान प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार बम्बई महानगर के लालबत्ती (Red Light) क्षेत्र में ही प्रति सात से आठ मिनट में एक व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है, जो भारत में एड्स के बढ़ते खतरों के प्रति विशेष ध्यान आकर्षित करता है कि किस प्रकार एवं कितनी तेजी से HIV से संक्रमित से व्यक्ति देश में HIV का संक्रमण फैला रहे हैं परन्तु HIV संक्रमण की इस शृंखला को तोड़ने के लिए अभी तक टीकाकरण इजाद नहीं किया जा सका है। इस टीकाकरण की खोज में लगे वैज्ञानिक को नित्य नई-नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में एड्स के विरुद्ध केवल एक ही टीकाकरण मालूम पड़ा है उसे IEC का नाम दिया गया है अर्थात् Information (सूचना), Education (शिक्षा) तथा Communication or Counselling (संचार या परामर्श)। तात्पर्य यह है कि पर्याप्त सूचना, शिक्षा, संचार एवं परामर्श माध्यमों से एड्स नामक रोग के विरुद्ध तब तक के लिए जेहाद छेड़ा जा सकता है, जब तक कि कोई सक्षम टीकाकरण उपलब्ध नहीं हो जाता है। वास्तव में ड्रग एडिक्ट्स एवं व्यावसायिक रक्तदान पर युक्तियुक्त नियंत्रण के साथ-साथ वेश्याओं में HIV जांच एवं नियंत्रण तथा वेश्यावृत्ति से जुड़े पुरुषों की वास्तविक स्थिति अथवा संक्रमण का ज्ञान देना अति आवश्यक है। परन्तु एड्स जैसे भयानक रोग के बारे में केवल ज्ञान एवं जानकारी फैलाना ही काफी नहीं है। बल्कि इसके लिए आगे भौतिक सहायता की भी आवश्यकता है। भारतीय महिलाओं को विविध प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति से युक्त करना भी आवश्यक है। साथ ही जीवन चर्या (Life & Style) एवं व्यवहार की ज्ञान एवं दिशा निर्देश (Counselling) के माध्यम से तथा दीर्घकालीन उपायों द्वारा परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। अन्य उपायों में निरोध (Condom) के सही प्रयोग का ज्ञान, नई सुई (Disposable Syringe) की उपलब्धता आदि को शामिल किया जा सकता है। यद्यपि, अधिक लागत वाले उपाय केवल अल्पकालीन प्रभाव ही पैदा कर सकते हैं। अतः दीर्घकालीन योजना के अभाव में मितव्ययी उपायों की कामना नहीं की जा सकती है। फिर भी उपशमनात्मक तरीकों में एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों में शारीरिक सम्बन्ध नहीं रखने पर बल प्रदान किया जा सकता है ताकि एड्स के खतरों में कमी आ सके। साथ ही निरोध (Condom) का प्रयोग, केवल असंक्रमित, विश्वसनीय ब्लड बैंक की उपलब्धता, उतावलेपन एवं खतरनाक व्यवहार पर नियंत्रण हेतु ड्रग एवं

अल्कोहल के प्रयोग की उपेक्षा आदि उपायों को अपनाया जा सकता है। चूंकि भ्रष्ट शरीर के बाहर सूखे की दशा में शीघ्र नष्ट हो जाते हैं अथवा 15 मिनट तक उबालने पर ये जीवाणु मृत हो जाते हैं। अतः साफ-सफाई, उबालने, दबाव-युक्त ताप (Pressure - cookers) आदि जैसी जैव-सुरक्षा उपायों (Bio-Safety-Measures) को सावधानी हेतु अपनाया जा सकता है। चूंकि HIV संक्रमित माता के अजन्मे बच्चे को HIV संक्रमण के अधिक खतरे होते हैं। अतः उसके जन्म लेने अथवा जन्म नहीं लेने का निर्णय उन माताओं पर ही छोड़ दिया जाना श्रेष्ठकर उपाय है।

इसके विपरीत इन उपायों एवं सावधानियों के अभाव में यह विश्व महामारी (Pandemic) का रूप ले सकता है। वर्तमान समय वर्ष-2018 में एड्स केवल चिकित्सा जगत के लिए एक चैलेंज ही नहीं है बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, परावैज्ञानिक (Spiritual) वैधानिक एवं नैतिक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। छूत की बीमारी की भांति एड्स के जीवाणु समस्त समाज में व्याप्त हो रहे हैं, जिससे अनेकानेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके रोगी पागलपन ही हद में या तो आत्महत्या के लिए अथवा असामाजिक हरकतों या अपराध करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके आर्थिक प्रभावों के अन्तर्गत समाज को होने वाली आर्थिक क्षति को शामिल किया जा सकता है। एड्स से पीड़ित एवं प्रभावित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की भांति काम नहीं कर सकेंगे और आय का एक बड़ा हिस्सा भी इस रोग की चिकित्सा में व्यय हो जायेगी, चाहे ऐसा व्यय उस व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा राज्य सरकारों द्वारा।

इस प्रकार एड्स नामक यह रोग विश्व के सामने पर्यावरण की समस्या की भांति एक ऐसी चुनौती है, जो वैश्विक स्तर पर सोच-विचार करने के लिए बाध्य तो करता है। परन्तु इसके लिए कार्य-योजना स्थानीय स्तर पर ही बनाए जा सकते हैं, जिसमें न केवल HIV संक्रमित व्यक्तियों के लिए बल्कि असंक्रमित व्यक्तियों के बचाव के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सन् 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसम्बर को 'विश्व एड्स दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो एड्स जैसे खतरनाक बीमारी के विरुद्ध सामूहिक

रूप से कार्य करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाता है। वास्तव में एड्स रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु सभी लोगों को सावधान रहने का संदेश देती है जो अवश्य ही बेकार नहीं जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों में भी भारतीय महिलाओं को जागरूक करना ही होगा तभी हम अपने महान भारत राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करते हुए, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में खड़ा करते हुए - 'सबका साथ सबका विकास' की पावन संकल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर्णकार, प्रेमचंद (2016) - महारोग एड्स, प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
2. Thomas, Gracious, Aids in India, Rawat Publication, Jaipur, 1999
3. आहूजा, राम (2015) - सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (राजस्थान)।
4. Panvi, Khoroshed, M. Challenges of Aids, National Book Trust, New Delhi, 2010
5. सिंह, एम.एन. (2015) - एड्स तथा आधुनिक समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली-04।
6. सिंह, नरेन्द्र पाल (2017) - जानलेवा एड्स और भारत की स्थिति, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, मंत्रालय, भारत सरकार।
7. मध्यप्रदेश सरकार (2017) - एचआईवी संक्रमण की विभिन्न मासिक रिपोर्ट्स, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल (मध्यप्रदेश)।
8. World Health Organisation, Guideline for Counseling above HIV Infection and Disease, WHO Aids Sepies, 8, Geneva, WHO, 2017.
9. विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त शोध अध्ययन सामग्री।

जनजातीय समाज – समस्या एवं समाधान

डॉ. नीलिमा खरे *

प्रस्तावना – परम्परागत रूप से जनजातियाँ सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती थी, जहाँ आवागमन के साधन बहुत सीमित थे। इसलिए यह जातियाँ बाह्य जगत से कटी हुई थी। इनकी अपनी संस्कृति और जीवनयापन की पद्धति थी। वे बाह्य जगत में होने वाले उतार चढ़ाव से अछूती रहती थी। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज प्रशासकों की नीतियों के परिणामस्वरूप जनजातियाँ बाह्य जगत के सम्पर्क में आईं और उनमें परिवर्तन की श्रृंखला प्रारंभ हो गई।

बाह्य जगत के सम्पर्क में आने पर उनमें नवीन चेतना विकसित हुई तथा जनजातीय लोग भी शहरों एवं औद्योगिक केन्द्रों में अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ऊँचा करने के अवसर ढूँढने लगे। इस प्रयास में उन्होंने संस्कृतिकरण एवं परसंस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं को अपनाकर अपना रहन-सहन उच्च जातियों जैसा करने का प्रयास किया। किन्तु उनका यह प्रयास अधिक सफल नहीं रहा। स्वच्छन्द जीवन के हास एवं सामाजिक संगठन में परिवर्तन के कारण अब वह अपनी पहले वाली स्थिति में भी नहीं जा सकते थे और न ही अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार ही कर पा रहे थे। सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाएँ उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। अशिक्षित एवं सीधे सादे होने के कारण वह बाह्य लोगों के शोषण का शिकार होने लगे। परिणामस्वरूप कई जनजातियों में पुनः जनजातीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य पुनः जनजातीय संस्कृति की ओर लौटना था।

समस्याएँ –

1. स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी शासन काल – जब देश में राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा महाराजा जनजातीय क्षेत्रों में इन्हीं कबीलों के सरदार लोगों के द्वारा व्यवस्था का संचालन करते थे। जनजातीय अपने सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती थी।

अंग्रेजी शासनकाल में जनजातीय समस्या का प्रारंभ अठारवीं सदी के उत्तरार्द्ध में उस समय हुआ जब इनका महत्व शासकों को ज्ञात हुआ।

सन् 1772 में राजमहल जिले के पहाड़िया जनजाति के लोगों का हिन्दू जमींदारों के खिलाफ उठे विद्रोह, 1831 में बिहार के सिंहभूमि जिले के 'होय जनजाति का हिन्दू राजा के विरुद्ध विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह आदि तत्कालीन सरकार का ध्यान जनजातीय समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ। सन् 1861 में संसद ने भारतीय परिषद एक्ट पास कर आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाए गए नियमों और अधिनियमों को वैधानिकता प्रदान की, इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी लोगों के शोषण से उनको बचाना तथा आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करना रहा। बैरियर एल्विन ने 1940 में इनके सुरक्षित क्षेत्र की वकालत

की किन्तु अन्य मानव शास्त्रियों का समर्थन नहीं मिल सका। किन्तु कुछ समय बाद विद्वानों ने विचारधारा में तथा सोच में बदलाव लाकर जनजातियों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की बात को स्वीकार किया।

2. स्वतंत्र भारत में जनजातीय समस्याएँ – स्वतंत्रता के पश्चात जनजातियों के चहुमुखी विकास के लिए तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रान्त में विभिन्न समितियों का गठन किया गया, समितियों की रिपोर्ट के आधार पर संविधान ने इनको सुरक्षा आर्थिक विकास तथा शोषण से बचाने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए संरक्षण प्रदान किया गया, जनजातियों की संस्कृति नष्ट न होने पाए इसके प्रयास सुनिश्चित किए गए। संविधान की धारा 23, 46, 330 एवं 342 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया। आदिवासियों के विकास हेतु शिक्षा, कृषि, सिंचाई योजनाएँ, भूमि सुधार एवं संरक्षण तथा आवास व पुनर्वास, पशुधन विकास, संचार व्यवस्था, गृह एवं कुटीर उद्योग, सहकारिता, पेयजल एवं स्वास्थ्य चिकित्सा, गृह निर्माण, स्वयं सेवी एजेन्सी की सहायता शासन एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के सफल क्रियान्वयन हेतु विकासखण्ड खोले गए। विकास के इन तमाम उपादानों ने जनजातियों को एक संक्रमण की अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया जो आदिवासी भोलेभाले थे, समूह में रहकर निष्ठा से एक दूसरे की मदद करते थे, वही आदिवासी लोग अब छलकपट द्वारा अपने ही लोगों के शोषण में लिप्त होते दिखने लगे, परसंस्कृति के प्रभाव के कारण इनकी आवश्यकताओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप समस्याओं में वृद्धि हुई।

शासन व्यवस्था द्वारा स्थापित नियमों व कानूनों से भी जनजातियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न हुई जैसे जंगल के कड़े कानूनों के कारण उनके सामने आजीविका का संकट पैदा होना। सभ्य समाज के प्रशासक ठेकेदारों, व्यापारियों, महाजनों ने जनजातियों की सरलता और सच्चाई का फायदा उठाकर इनके श्रम का उचित मूल्य न देना, वनोपज सस्ते दामों में खरीदने आदि में सतत शोषण हुआ। जिसमें इनकी अर्थव्यवस्था निम्न होती चली गई, इस तरह सभ्य समाज से सम्पर्क, दुर्गम निवास स्थान, शोषण, नेतृत्व का अभाव, शासन द्वारा बनाये गये जंगल के कड़े कानून, जनजातियों के लिए विविध प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर कर दिया जैसे खाद्य समस्या, आवास समस्या, ऋण ग्रस्तता की समस्या, भूमि कृषि समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, लोक संस्कृति के टूटने की समस्या, कन्या मूल्य की समस्या, स्त्रियों की कृषि एवं वनोपज संग्रहण की जिम्मेदारियाँ, जिससे बाह्य व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण किया जाना भी एक जटिल समस्या थी।

3. वर्तमान में जनजातीय समस्याएँ – वर्तमान में जनजातीय समस्याएँ

प्रमुख रूप से परिलक्षित हो रही है-

क. भूमि अलगाव या भूमि पृथक्करण अर्थात् वह दशा जिसमें जनजातीय लोगों को लिए गए ऋण या अपने उपभोग हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं ही अपनी कृषि योग्य भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के लिए विवश होना पड़ता है। भूमि पृथक्करण की विवेचना करते हुये डॉ. जी.के. अग्रवाल ने बताया कि सन् 1951 के रिकार्ड के अनुसार उत्तरप्रदेश के थारू और बुक्सा जनजाती के पास 2.5 लाख हे. से भी अधिक भूमि थी जो अब घटकर केवल 30 हजार हेक्टर रह गई है। अतः यही स्थिति सभी राज्यों की जनजातियों के जीवन में है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, भूमि पृथक्करण के कई कारण हैं जैसे धन का अभाव, प्राकृतिक कारक, बाह्य समूह के स्वार्थ, नक्सली एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण, मध्यप्रदेश, बालाघाट, मंडला, डिण्डौरी इसी तरह काश्मीर, पंजाब, असम, एवं पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियों को भूमि से पृथक किया जा रहा है तथा शासन द्वारा भू अधिग्रहण विकास योजनाओं बांध, सड़क, रेल, फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए जबलपुर में बरगी बांध स्थापना के कारण बरगी और समीपस्थ गांवों से गोड़ जनजाती को पृथक होना पड़ा। इसी तरह मध्यप्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के कारण हरसूद गांव खाली कराया गया है। इससे लगभग दो लाख भील आदिवासी विस्थापित हुये हैं।

ख. **कृषक शोषण-** ग्रामीण कृषक से अधिक शोषण जनजातीय कृषकों का हो रहा है। जंगल के सख्त कानूनों, भूमि खेती के प्रतिबंधित होने के कारण जनजातीय समाज के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। वनोपज के अभाव में इनके लिए भरणपोषण की समस्या बनी रहती है तथा शासकीय योजनाओं का लाभ भी बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता है। बीज, खाद भी मिलावटी होने के कारण इनकी कृषि प्रभावित होती है, वहीं व्यापारियों द्वारा सस्ती दर पर उत्पादित वस्तुओं को खरीदने से आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं जिससे जनजातीय कृषकों की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। स्वतंत्र भारत के वर्तमान में सर्वाधिक आत्महत्याएं भी कृषकों द्वारा की गई हैं। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में मौसम की गड़बड़ी, सूदखोरी के दबाव, उत्पादित फसल के वाजिब दाम न मिलने के कारण प्रतिवर्ष शोषित कृषक अन्ततः इस ओर अग्रसर हो रहे हैं।

ग. **अशिक्षा और ऋण ग्रस्तता -** साक्षरता का प्रतिशत निम्न है तो ऋण ग्रस्तता का प्रतिशत काफी उच्च है, जनजातीय शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है तथा बच्चे यदि स्कूल जाते हैं तो उन्हें इनकी मातृभाषा या बोली में शिक्षा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा शिक्षक भी गैर जनजातीय है। जो जनजातियों की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती जिससे आज भी यहाँ अशिक्षा व्याप्त है।

घ. **बेरोजगारी -** बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे बिजली, संचार साधन, आवास, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सिंचाई के साधनों की कमी, उत्पादित वस्तुओं का बाजार सीमित है। उद्योगों के विकसित न होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मानशक्ति के समुचित उपयोग एवं आर्थिक विकास के अनुरूप जनशक्ति के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया एवं दोषपूर्ण दृष्टिकोण अर्थात् एकमात्र लक्ष्य नौकरी पाना है। इनमें स्वरोजगार की भावना बहुत कम है। इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत राज्यों के एक संघ के रूप में विकसित हुआ। भारतीय संविधान में समानता और विचारों की अभिव्यक्ति को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। साथ ही शोषण से रक्षा के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा व लिपि के संरक्षण को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया।

भारत में जनजातियों की संख्या को देखते हुए किसी अर्थपूर्ण विकास के लिए इनकी समस्याओं का समाधान जरूरी था। इनका सामाजिक स्तर अत्यंत निम्न था। इनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान से ही समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था। इनके शोषण को समाप्त करने पर ही मौलिक अधिकार सार्थक हो सकते थे। इसलिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक प्रयास प्रारम्भ किये।

जनजातियों के हितों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार ने वहन किया। जिसके लिए सरकार द्वारा अनेक रचनात्मक उपाय अपनाए गए। संसद एवं विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व के लिए स्थान सुरक्षित किए गए। सरकारी सेवाओं में उनके लिए निश्चित प्रतिशत, स्थान सुरक्षित किए गए। शिक्षा केन्द्रों में सभी स्तरों पर प्रवेश के लिए सुरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने हेतु छात्रवृत्तियाँ दिए जाने का प्रावधान किया गया। मकान, कुँआ एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं।

उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर समस्याओं के समाधान भी विभिन्न योजनाओं को बनाकर किए गए। जिनका संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए, विकास कार्यक्रमों में आर्थिक उन्नयन के कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्त्योदय योजनाएं प्रमुख थीं।

अन्त्योदय योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए म.प्र. सरकार ने 1990 में अन्त्योदय योजनाएं प्रारंभ की गईं।

1. नवजीवन आवास योजना - आवास हेतु विकसित आवासीय भूखण्ड आवंटित करने की योजना
2. अन्त्योदय स्वरोजगार योजना
3. वसुन्धरा कृषि भूमि क्रय योजना एवं बंजर भूमि पुनरुद्धार योजना
4. जलीय योजना, सिंचाई की सुविधा
5. स्वाबलम्बन योजना
6. पवन पुत्र योजना
7. मधुवन योजना - अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन मालिकाना हक प्राप्त कर सकें।
8. रफतार योजना
9. धनवन्तरि योजना

इनके अतिरिक्त जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया ताकि वे अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर ऊँचा कर सकें तथा जनजातियों का अधिक से अधिक विकास किया जा सके इसके लिए विभिन्न

प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं जैसे-

1. विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व - म.प्र. में 320 सीटों में से 75 अनुसूचित जनजातियों तथा 44 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।
2. पंचायतों तथा स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व।
3. कल्याण एवं सलाहकार एजेन्सियों का गठन।
4. राज्य में कल्याण विभागों की स्थापना।
5. शिक्षण तथा कोचिंग सम्बन्धित योजना।
6. मैट्रिक के बाद शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ।
7. लड़कियों के लिए छात्रावास।
8. अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना
9. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ।

10. सेवाओं में आरक्षण - विभिन्न श्रेणियों की केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व इस प्रकार है- **तालिका 1 - (देखें)**
आंकड़ों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित है लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सेवाओं में उन्हें मिलने वाले वास्तविक स्थान आरक्षित स्थानों की तुलना में बहुत कम है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि किसी वर्ष निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं हो सका तो उसे समाप्त न मानकर अगले वर्ष की नियुक्तियों में जोड़ दिया जाएगा।

यह सही है कि अभी भी जनजातियाँ अपने समस्याओं से जूझ रही हैं। और राष्ट्रीय जीवन से कटी हैं। किन्तु जैसे-जैसे उनकी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है, राष्ट्रीय जीवन में उनकी सहभागिता बढ़ती जा रही है। नवीन योजनाओं के लाभ से उनमें आत्मविश्वास आया है। शिक्षा और गतिशीलता में वृद्धि हुई है तथा नवीन राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। राजनीतिकरण एवं निर्वाचित संस्थाओं में उनके निश्चित प्रतिनिधित्व से उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हुआ है। आज देश के विकास में जनजातियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। परन्तु अभी भी राष्ट्रीय जीवन में इनकी सक्रियता आशानुकूल नहीं है। इस दिशा में विशेष प्रयासों की अभी भी आवश्यकता है।

11. अत्याचारों में रोकथाम।
12. जनजातियों में सहकारी विपणन का विकास।
13. पुनर्वास की सुविधाएँ।
14. अन्य कल्याणकारी प्रयत्न जैसे स्वयंसेवी संगठन, वित्त और विकास निगम, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, जनजातीय ग्रामीण अनाज बैंक योजना।
15. पढ़ों और कमाओं योजना।

16. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा यात्रा अनुदान।
17. अनुसूचित जनजातियों व अन्य परम्परागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम 2007

अभी हाल में दिनांक 11 मार्च 2016 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में जनजातियों के हित में 'जनजातीय न्याय प्रणाली को मिलेगी मान्यता' इस विषय पर विधि एवं न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने जनजातीय न्याय प्रणाली को देश की न्याय प्रणाली से जोड़ने तथा आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर राज्यों में और उच्च न्यायालय खोलने की सिफारिश की है।

समिति की अध्यक्षता डॉ. नृपिन ने पत्रकारों को बताया कि समिति जनजातीय न्याय प्रणाली में किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाना चाहती किन्तु उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश की न्याय प्रणाली से भी जोड़ना चाहती है। इस संबंध में जनजातीय न्याय प्रणाली कानून तथा जनजातीय अदालत का भी गठन करना चाहती है। देश में कुल आबादी का 8.61 प्रतिशत आदिवासी है और वे 15 प्रतिशत भूभाग पर फैले हैं। इस समय देश में 698 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं। जिनमें 31 जनजातियों की आबादी 5 लाख से अधिक है। उन्होंने बताया कि जनजातीय न्याय प्रणाली से जुड़े आदिवासियों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान वेतनमान तथा सुविधा दी जानी चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए राज्य न्यायिक अकादमी का गठन किया जाना चाहिये। लोक अदालतों की तरह जनजातीय अदालतों को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए।

समिति ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पृथक उच्च न्यायालय तथा स्वतंत्र न्यायिक अकादमी को भी गठित करने की सिफारिश की है ताकि जनजातीय न्याय प्रणाली को राष्ट्रीय न्याय प्रणाली से जोड़ा जाए। अतः जनजातियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान की यह सोच एवं सिफारिश सकारात्मक है और भविष्य में भी जनजातियों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनजातीय पर्यावरण लेखक श्री सी.पी. तिवारी ।
2. जनजातीय समाज का समाज शास्त्र ।
डॉ०. धर्मवीर महाजन ।
डॉ०. कमलेश महाजन ।
3. जनजातीय भारत - नदीम हसनैन ।
4. भारत 2008
5. समाज शास्त्र - जी.के. अग्रवाल ।
6. समाज शास्त्र - ध्रुव दीक्षित ।
7. जनजातीय समाज का समाज शास्त्र - डॉ०. एम.एल. गुप्ता ।
डॉ०. डी.डी. शर्मा ।
8. 11 मार्च 2016 का दैनिक भास्कर म.प्र. ।

तालिका 1

क्र.	श्रेणी (वर्ग)	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियाँ	प्रतिशत
1	प्रथम श्रेणी	99099	3928	3.97
2	द्वितीय श्रेणी	187033	7811	4.18
3	तृतीय श्रेणी	2141879	127064	5.93
4	चतुर्थ श्रेणी	953300	67949	7.13

ग्रामीण महिलाएँ एवं भारतीय सामाजिक विधान – एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

डॉ. बन्दना वर्मा *

प्रस्तावना – भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं का स्थान और प्रस्थिति का एक संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। भारतीय सामाजिक संरचना, जाति प्रथा और संलग्न संस्थाओं एवं विचारों, जो विलक्षण रूप से भारतीय हैं, से स्पष्ट है और देशकाल के अनुसार इनमें इतनी विभिन्नताएँ हैं कि उनका एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन कार्य है। भारतीय इतिहास का काल विस्तार ईसा के जन्म से लगभग तीन हजार पाँच सौ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होता है और ईसा के बाद लगभग दो हजार वर्ष तक। इस प्रकार साढ़े पाँच हजार वर्षों में नारी का उद्भव और विकास होता रहा है। नारी की स्थिति पर पुरुष जाति की सम्मति और आलोचनाएँ भी प्रायः अन्तर्विरोधी रही हैं। स्वयं नारी मनीषियाँ भी इस द्धन्द से ग्रसित रहीं और अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में अनिश्चितता उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों से नारी को देवी अथवा शक्तिस्वरूपा दासी और सेविका और अबला कुछ भी प्रमाणित किया जा सकता है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी व्यवहारिक रूप में भारत में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में उठती गिरती रही है। महिलाओं का अस्तित्व उनके सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता तथा उत्तरदायित्वों से जुड़ा हुआ है।

हमारे देश की जनसंख्या में लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं। लेकिन उनकी प्रस्थिति आज भी पुरुषों के बराबर नहीं है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति आज भी अत्यन्त दयनीय है। ग्रामीण महिलाओं की निम्न प्रस्थिति का कारण उनमें जागरूकता का अभाव है। आधुनिक भारतीय समाज में ग्रामीण महिलाओं की क्या प्रस्थिति है, यही जानने के लिए प्रस्तुत शोध सम्पन्न किया गया है, साथ ही भारतीय सामाजिक विधानों का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन करना भी शोधार्थी द्धय का मुख्य उद्देश्य है।

अध्ययन के उद्देश्य – सामान्यतः प्रत्येक शोध अध्ययन के कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य हुआ करते हैं। अध्ययन के उद्देश्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं—मौलिक एवं गौण। मेरे अध्ययन का मौलिक उद्देश्य 'ग्रामीण महिलाएँ एवं भारतीय सामाजिक विधान : एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन' को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है तथा प्रस्तुत शोध प्रपत्र के निम्नलिखित गौण उद्देश्य हैं—

1. सूचनादाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. भारतीय सामाजिक विधानों का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।
3. समस्या समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ— प्रस्तुत शोध प्रपत्र में परीक्षण हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्मित की गयी हैं—

1. विभिन्न सामाजिक विधानों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति बेहतर हुई है।
2. ग्रामीण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं।
3. ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
4. सामाजिक विधानों ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की है।
5. ग्रामीण महिलाओं में अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है।
6. सामाजिक विधानों के फलस्वरूप परिवार में होने वाले निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत बढ़ी है।
7. महिलाओं को उनका हक दिलाने में स्वयंसेवी संगठनों एवं महिला आयोग की भूमिका सकारात्मक पायी गयी है।

विधि तन्त्र— प्रस्तुत अध्ययन को सम्पादित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद—इटावा के विकास खण्ड—जसवन्तनगर के ग्राम—जुगौरा की 100 महिलाओं पर आधारित है। न्यायदर्शियों का चुनाव सौद्देश्य निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है ताकि तार्किक निष्कर्षों की स्थापनाएँ की जा सकें।

प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि को अपनाया गया है तथा वर्णात्मक शोध प्ररचना को अपनाया गया है।

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण—

तालिका नम्बर—1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रसंगाधीन तालिका नम्बर—1 के प्राथमिक आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जातिगत आधार पर 29 (29.00) सवर्ण, 54 (54.00) अन्य पिछड़ी जाति एवं 17 (17.00) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। आयु के आधार पर 15 (15.00) 20 वर्ष से कम, 72 (72.00) 20 वर्ष से 40, 40 के मध्य एवं 13 (13.00) सूचनादात्रियाँ 40 वर्ष से ऊपर आयु की हैं। शैक्षिक स्तर में 11 (11.00) निरक्षर, 09 (09.00) साक्षर एवं 80 (80.00) शिक्षित हैं। वैवाहिक स्तर पर 04 (04.00) अविवाहित, 94 (94.00) विवाहित एवं 02 (02.00) अन्य हैं। इस प्रकार उपरोक्त तालिका सूचनादात्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं।

तालिका नम्बर—2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका नम्बर—2 की प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भारतीय सामाजिक विधानों का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया गया है। सामाजिक विधानों के कारण ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति बेहतर हुई है। इस सम्बन्ध में 78 (78.00) सूचनादात्रियों ने हाँ, 11 (11.00) ने नहीं, 05 (5.00) ने उदासीनता

दिखाई एवं 06 (6.00) ने कोई उत्तर नहीं दिया। ग्रामीण महिलाओं की सजगता में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में 73 (73.00) ने हाँ, 17 (17.00) ने नहीं, 06 (6.00) ने उदासीनता दिखाई एवं 04 (4.00) ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। विधानों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की अपने ऊपर हुये अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है- इस सम्बन्ध में 79 (79.00) ने हाँ, 13 (13.00) ने नहीं, 07 (7.00) ने उदासीनता दिखाई, एवं 01 (01.00) ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। विधानों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इसके सम्बन्ध में 67 (67.00) ने हाँ, 23 (23.00) ने नहीं तथा 03 (03.00) ने उदासीनता व्यक्त की एवं 07 (7.00) ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। विधानों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में 73 (73.00) ने हाँ, 15 (15.00) ने नहीं व 07 (7.00) ने उदासीनता व्यक्त की तथा 05 (05.00) ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। सामाजिक विधानों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में 69 (69.00) ने हाँ, 19 (19.00) ने नहीं, 07 (07.00) ने उदासीनता दिखाई तथा 05 (5.00) ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। महिलाओं को उनका हक दिलाने में स्वयं सेवी संगठनों एवं महिला आयोग की भूमिका सकारात्मक पायी गयी है। इस सम्बन्ध में 77 (77.00) ने हाँ, 21 (21.00) ने नहीं, 02 (02.00) ने उदासीनता व्यक्त की। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकतर सूचनादात्रियों में ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सकारात्मक अभिमत प्रदान किये हैं। उपरोक्त तालिका नम्बर-2 से परिकल्पना नम्बर-1, 3, 4, 5, 6 तथा 7 सत्य एवं सार्थक सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - नवीन सामाजिक विधानों तथा संशोधित अधिनियमों द्वारा ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में काफी सुधार परिलक्षित हुये हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान सम्पत्ति के अधिकार मिलने से परिवार में उनकी प्रस्थिति अधिक सम्मानजनक हुई है। स्त्रियों का सामाजिक, आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न कम हुआ है। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। उनमें अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। अब परिवार में होने वाले निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता आई

है। अब परिवार में होने वाले निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत बढ़ी है। ग्रामीण महिलाओं को उनका हक दिलाने में स्वयंसेवी संगठनों एवं महिला आयोग की भूमिका सकारात्मक हुयी है। नवीन सामाजिक विधानों में समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ समाप्त कर महिलाओं को एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्रदान किया है। जाति संस्तरण में परिवर्तनों से नारी दशाओं में सुधार हुआ है। महिलाओं में जकड़ी हीन भावनायें कम हुई हैं। वे आज अबला नहीं सबला हैं, नारी सशक्तिकरण को बल मिला है।

भारतीय सामाजिक विधानों का ग्रामीण महिलाओं पर अपेक्षित प्रभाव हेतु निम्नलिखित सुझाव सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

1. ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अधिकाधिक एवं त्वरित प्रयास किये जायें।
2. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाए।
3. सामाजिक विधानों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
4. जन संचार साधन, समाचार पत्र, पत्रिकायें, गोष्ठियाँ आदि के द्वारा सामाजिक विधानों के प्रति मन में विश्वास पैदा करना समय की मांग है।
5. ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनमें जागरूकता पैदा की जाए क्योंकि सामाजिक विधानों का उद्देश्य समाज में एक नई जागरूकता लाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सक्सेना, आर.एन. समाजशास्त्र की रूपरेखा भारत में सामाजिक विधान, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 302
2. झा, लक्ष्मीकान्त इण्डियन सोशल लैजिसलेशन्स, लीगल पब्लिकेशन प्रा.लि., सिविल लाइन, कचहरी रोड, इलाहाबाद (उ.प्र.), 1970, पृष्ठ-3
3. सराफ सरला बदलती दुनिया में नारी की स्थिति एवं भूमिका, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1985, पृष्ठ-18
4. शास्त्री, बी.वी. सोशल लैजिसलेशन्स इन सोशल वेलफेयर, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 1956, पृष्ठ-34

तालिका नम्बर- 1
न्यादर्शों की सामाजिक पृष्ठभूमि

क्र सं.	चर	न्यादर्शों की आवृत्तियाँ/प्रतिशत			योग/प्रतिशत
1.	जाति	सवर्ण	पिछड़ी	अनुसूचित	100(100.00)
2.	आयु	29(29.00) 20 वर्ष से कम	54(54.00) 20 से 40 वर्ष	17(17.00) 40 से ऊपर	100(100.00)
3.	शिक्षा	15(15.00) निरक्षर	72(72.00) साक्षर	13(13.00) शिक्षित	100(100.00)
4.	वैवाहिक स्थिति	11(11.00) अविवाहिता	09(09.00) विवाहिता	80(80.00) अन्य	100(100.00)
		04(04.00)	94(94.00)	02(02.00)	

तालिका नम्बर-2

भारतीय सामाजिक विधानों का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव के प्रति अभिमत/दृष्टिकोण

क्र. सं.	कारक	अभिमत/प्रतिशत				योग/ प्रतिशत
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	बेहतर प्रस्थिति	78 (78.00)	11 (11.00)	05 (05.00)	06 (06.00)	100 (100.00)
2.	सजगता में वृद्धि	73 (73.00)	17 (17.00)	06 (06.00)	04 (04.00)	100 (100.00)
3.	न्यायालय जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि	79 (79.00)	15 (15.00)	07 (07.00)	01 (01.00)	100 (100.00)
4.	सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि	67 (67.00)	23 (23.00)	03 (03.00)	07 (07.00)	100 (100.00)
5.	अधिकारों के प्रति जागरूकता	73 (73.00)	15 (15.00)	07 (07.00)	05 (05.00)	100 (100.00)
6.	सहभागिता में वृद्धि	69 (69.00)	19 (19.00)	07 (07.00)	05 (05.00)	100 (100.00)
7.	स्वयंसेवी संगठन व महिला आयोग की भूमिका सकारात्मक	77 (77.00)	21 (21.00)	02 (02.00)	00 (00.00)	100 (100.00)

आनर किलिंग- खाप पंचायतों पर प्रतिबंध और कानून

ज्योति मेहता *

प्रस्तावना - विश्वभर में मानवाधिकारों की मांग पुरजारे ढंग से उठ रही है तब भारत में तथा कथित सम्मान की खातिर अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने की घटनाएं आये दिन हमारे देश को अपमानित करती हैं। भारत में अनुमानित तौर पर गत वर्ष 1000 से ऊपर युवक युवतियों को परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतर जातीय विवाह करने पर खाप पंचायतों द्वारा प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो हत्या जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं।

खाप पंचायत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक गोत्र या बिरादरी के सभी गौत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। ये फिर पाँच गाँवों की हो सकती हैं या 20-25 गाँवों की हो सकती हैं। जो गौत्र जिस इलाके में ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में ज्यादा दबदबा होता है। कम जनसंख्या वाले गौत्र भी पंचायत में शामिल होते हैं लेकिन प्रभावशाली गौत्र की ही खाप पंचायत में चलती है। सभी गाँव निवासियों को बैठक में बुलाया जाता है। जो भी फैसला लिया जाता है उसे सर्वसम्मति से लिया फैसला बताया जाता है और ये सभी पर बाध्य होता है। भारत में नागरिक अधिकार कितने मायने रखते हैं इसकी दुर्दशा आए दिनों होने वाले आनर किलिंग में खाप पंचायतों द्वारा सुनाए गए फरमान जैसे प्रेमी युवक-युवती को अलग करने, शादी को रद्द करने किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने या गाँव से निकाल देने और कुछ मामलों में तो युवक युवती की हत्या तक का फैसला करती हैं।

हमारा समाज रूढ़िवादी मानसिकता पर ही चल रहा है आर्थिक तौर पर हम विकसित हो रहे हैं पर समाज को देखकर नहीं लगता कि हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार हमारा राजनितिक तंत्र भी है। उसमें अधिकांश नेता रूढ़िवादी व पुरातन सोच के साथ चलने वाले हैं।

हमारे पड़ोसी देश नेपाल में प्यार व खुबी समाहित है पुरातन पंथी सोच हावी नहीं है। मैक्सिको जैसे मुक्त देश से हमारे देश की तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं। हम विकासशील देशों में सबसे पिछड़े हैं। सारी दुनिया में मानवाधिकारों की पैरवी पुरजोर ढंग से हो रही है, तब हमारे देश में प्यार करने वाले लोगों को खाप पंचायतों के फरमान पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। हकीकत यह है कि हम रहन-सहन, परिवेश में जितने आधुनिक हुये हैं, सोच में इतने ही पिछड़े गए हैं।

वास्तव में आनर किलिंग को आत्मसम्मान बचाने के लिए की गई हत्या न कहकर परिवार की हिरासत में हत्या कहा जाना चाहिए कोई युगल जब अंतर जातीय, अंतर सम्प्रदाय या सगोत्री विवाह के लिए परिवार, समाज के खिलाफ कदम उठाते हैं तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता वे लोगों की नजरों से छिपते फिरते हैं फिर वे सहायता के लिए मददगार संगठनों के पास

आते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसा कानून बनाये जिसमें दो प्रेम करने वालों को विवाह करने की आजादी दी जाए। विभिन्न जातियों और धर्मों में विवाह को बढ़ावा देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम और और एक के बाद एक इज्जत हत्या (आनर किलिंग) के मामले रोकने के लिए गृहमंत्रालय ने आईपीसी धारा 300 के साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन प्रस्तावित हैं। जिससे कानून लागू करने वालों को खाप पंचायतों के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार मिल जाएंगे। केन्द्र सरकार प्रोहिबिशन ऑफ इन्टर पेरेंस विद फ्रीडम ऑफ मेट्रीनिमयल अलायंस बिल पर राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है। उसका ड्राफ्ट केन्द्रीय विधि आयोग ने 2012 में तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में विवाह पर आपत्ति को लेकर होने वाली पंचायत में शामिल होने पर एक वर्ष तक की जेल और दस हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही ऐसे जोड़े या उसके परिवार को परेशान करने पर सात वर्ष की जेल और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है। केन्द्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे थे ताकि और आवश्यक संशोधन किया जा सके। 2013 में तत्कालीन न्यायाधीश पी- सदाशिवम ने आनर किलिंग पर सख्त कानून बनाने की वकालत की थी।

अंतर जातीय विवाह की मान्यता पर सगोत्रीय पर प्रतिबंध/निषेध: पिछले कुछ वक्त से जिस प्रकार जनसांख्यिकी में बदलाव आए हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए 1950 से ही अंतरजातीय विवाह को सहज ही स्वीकार करने को मान्यता दी गई है।

चूँकि सगोत्रीय विवाहों के बारे में कहा जाता है कि ये रक्त संबंधी मामला है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान में विकार पैदा होने लगते हैं, इसे विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है।

पूर्व में यह गाँवों के संदर्भ में इसे माना जाता था परन्तु अब इसे मानते रहने का कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा के संदर्भ में कुछ अनुसंधान हुए हैं उनमें यह बात सामने आई है कि कई माता-पिता ने अखबारों में चिट्ठियां या पत्र लिखकर गौत्र के बंधन को खोलने की मांग की है कारण यह है कि गौत्र बंधनों से अपने बच्चों के लिए सही रिश्ता नहीं तलाश पा रहे हैं। हमारे देश में विविध प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं।

दक्षिण भारत में मामा को भ्रांजी के लिये वर के रूप में चुना जाता है, ऐसे विवाह को स्वीकार्यता व वैधानिकता प्राप्त है। इस तरह के रिश्तों में रक्त संबंधों के कारण विकार समस्याएं भी विज्ञान के आधार पर सुनने को नहीं मिली हैं।

हरियाणा व पश्चिमी उत्तरप्रदेश के साथ ही अन्य जगहों पर भी खाप पंचायतों द्वारा अंतर जातीय विवाह करने वाले युवाओं को प्रताड़ित करने

तथा कुछ मामलों में तो हत्या जैसी घटनाएँ भी हो चुकी है। सरकार चाहे किसी भी राजनैतिक दल की हो विशेषतौर पर पंजाब, हरियाणा में इन खाप पंचायतों का प्रशासन व राजनीति में खास प्रभाव है। चुनाव आते ही ये नेताओं के लिये वोट जुटाने का जरिया मान ली जाती है। और खाप पंचायतों पर अंकुश लगाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी तक जन्म नहीं ले पाई।

सन् 2009 में तत्कालीन सरकार ने आईपीसी में आनर किलिंग को परिभाषित करना चाहा पर केबिनेट में सहमति नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरतम अपराध में शामिल करने की बात कही।

वर्तमान में हम रहन सहन में आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मानसिकता अब भी अति संकीर्ण है। आज भी हमारे अंदर इतना साहस नहीं आ पाया है कि हम प्रेम को स्वीकार कर खाप पंचायतों के अमानवीय निर्णय जो कि खौफ पंचायतें बन चुकी है के खिलाफ जाए जबकि यह खाप पंचायतें आधिकारिक मान्यता प्राप्त भी नहीं है। सन् 2016 अप्रैल में सुप्रीमकोर्ट में गैर कानूनी काम करने वाली खाप पंचायतों की जबावदेही कलेक्टर और एसपी को सौंपी थी। पर किसी ने भी खाप के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की।

समाज में विघटन की स्थिति पैदा कर रही खाप पंचायतों और ऐसे तमाम दुसरे संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। प्रेम विवाह करने वाले युवाओं को प्रताडित करने वाली खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है कोर्ट ने अपने फैसले में अपनी मर्जी से विवाह करने वाले वयस्क लड़के लड़की पर किसी खास पंचायत अभिभावक समाज में किसी और को इस पर आपत्ति उठाने का हक नहीं है। कोर्ट ने आदेशित किया कि खाप पंचायत न किसी कपल को समन भेज सकती है और नही दंड दे सकती है और अगर खाप पंचायत इस आदेश के विरुद्ध कार्य जारी रखती है तो केन्द्र सरकार को इनके उपर सख्त कार्यवाही के आदेश दिये है। वर्तमान में यह मामला जी.ओ.एम. के अधीन है।

ज्यों ज्यों समाज में बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है। वर्तमान में हमारी सरकारों को खाप पंचायतों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना जरूरी है। इसके अभाव में अदालतों को इस संबंध में दखल देने के लिए आगे आना जरूरी हो जाएगा। ऑनर किलिंग के खिलाफ आगे आए सभी राज्य भारी लैंगिक असमानता और खराब सैक्स अनुपात से जूझ रहे है और इन सभी राज्यों में पिछले समय में ऑनर किलिंग की बड़ी घटनायें सामने आ चुकी है। कोर्ट ने ऐसे मामलों में संज्ञान लिया है जिनमें ऑनर किलिंग की बड़ी घटनायें सामने आ चुकी है।

निष्कर्ष - ऑनर किलिंग के मामलों में कहा जा सकता है कि हमारा मध्यम वर्ग रूढ़ियों में धंसा हुआ है, वह न तो बाहर निकलना चाहता है और नहीं हमारी राजनीति ने ऐसी कोशिश की है चूंकि खाप जैसी पंचायतों का अभी तक समाज में बने रहने देने के पीछे हमारे राजनेता ही आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार है। इसलिए इस वक्त एक बड़ी सामाजिक क्रांति की जरूरत है जिसके जरिये नई पीढ़ी की सोच द्वारा इन दमघोटती परम्पराओं की बेड़ियां टूटे। युवाओं को अपने अधिकार हासिल करने होंगे। उन्हें राजनीति में भी सक्रिय होना होगा ताकि वे एक नये भारत का निर्माण करने में भागीदारी हो सके। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 18 में प्रेम विवाह करने वाले युवाओं को प्रताडित करने वाली खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाना एक प्रशंसनीय पहलु है। अगर सरकार अपनी मर्जी से शादी करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून नहीं लाती तो कोर्ट द्वारा गाईड लाईन शीघ्र जारी किया जाना जरूरी है, जिससे समाज में विघटन की स्थिति को बचाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इण्डिया टुडे-जुलाई-2010
2. पत्रिका - दिसम्बर -2014
3. राज एक्सप्रेस-जनवरी-2018

अभिजात महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का समाज पर प्रभाव

डॉ. रोमा श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - परिवर्तन सदैव उच्चक्रम की ओर ही होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन का क्रम श्रेष्ठ ही होगा। यह समाज नारियों के जीवन को अनेक प्रकार के गैर मर्यादित सिद्धान्तों से परिपूर्ण किए हुए था। नारी घर की परिमिता में सिमट कर रह गयी थी। स्वतन्त्रता संग्राम के दौर में गांधी जी के आह्वान पर भारतीय महिला ने घर से बाहर निकलकर आन्दोलनों में व्यापक भागीदारी की। सन् 1975 के बाद 1986 से 1995 तक महिला दशक जागृति का दूसरा सोपान ले आया। इस समय तक दुनिया के सम्पूर्ण देशों में महिला प्रगति के रास्ते प्रत्येक क्षेत्र में तलाश लिए गये थे। उनकी शिक्षण-प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर जुटाए जाने लगे। राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों से शोषण के विरुद्ध आवाज मुखरित होने लगी और महिलाएँ परिवर्तन के दौर से गुजरने लगीं और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण बहुत कम समय में समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी योग्यता को प्रतिष्ठित किया और बहुसंख्य पुरुष समाज के महिस्तम्भ में नारियों के प्रति सहानुभूति के साथ-साथ समरसता का भाव प्रकट होने लगा। भारतीय नारी अपने गौरवशाली अतीत को पुनः सृजित करने के लिए संकल्पित हो गयी। देश की स्वतंत्रता में पुरुष के साथ प्रति चरण मिलाकर अग्रसर होने वाली नारी स्वतंत्रता के बाद भी अपने गौरव को स्थापित किए हुए है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में 300 सूचनादाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से लाटरी विधि द्वारा चयन किया गया है। साक्षात्कार-अनुसूची तैयार कर सूचनादाताओं से महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किए गए हैं जिससे शोध-पत्र का निष्कर्ष सही दिशा प्रदान करें।

अमृता शेरगिल ने आधुनिक पेंटिंग की शुरुआत की और देश की गौरव प्रथम भारतीय महिला काउंसलर आभा पटेल का लंदन की महिला डिप्टी मेयर चुने जाने से समाज में घटित होने वाला परिवर्तन स्वतः ही परिलक्षित हो रहा है। आज नारी के ऊपर प्रतिबंध का मिथक प्रत्येक क्षेत्र में टूटता दिखाई दे रहा है। किरण बेदी, रेमन मैगसंसे पुरस्कार, जो एशिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान है, उसे प्राप्त करके किरण बेदी जी ने नारी के मान को बढ़ाया। विज्ञान के क्षेत्र में इन्दिरा हिन्दुजा ने देश के गौरव को बढ़ाया। कल्पना चावला ने अन्तरिक्ष यात्री के रूप में देश के गौरव को चार-चाँद लगाया। फिल्म जगत में देविका रानी, नर्गिस, स्मिता पाटिल, मधुबाला आदि ने अपने अभिनय और कार्यों से भारत में ही नहीं अपितु विश्व के देशों में अपनी दिग् कीर्ति दिगान्तर तक अक्षुण्य बना दी है। समाज की संरचना को सृजित करने वाली नारी का सम्मान बदलते परिदृश्य में बढ़ता ही जा रहा है। नारी खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभाओं को बिखरे रहती है।

नारी ने नृत्य, कला, संगीत आदि के क्षेत्र में भी अपनी परिस्थितियों

को बदला है। राजनीति के क्षेत्र में अनेक श्रेष्ठ प्रतिभा सम्पन्न परमविदुशी महिलाओं की उपस्थिति को इसके प्रमाण रूप में देखा जा सकता है। आज नारी विश्व की बड़ी समाजवादी ताकतों के समक्ष उपस्थित कर रही है।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के चले जाने से स्त्रियों की संख्या राजनीति में घटी परन्तु अतिशीघ्र सरकारी उपक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रेरणा पाकर नारी उत्थान की ओर अग्रसर होने लगी। आज राजनीति क्षेत्र में महिला अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करने में जुटी हुई है। दक्षिण राजनीति में तो 30 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज्य, साध्वी ऋतम्बरा, सोनिया गाँधी आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। अब समाज की सोच पहले जैसी पुरानी या दकियानूसी नहीं रही। आज नारी की प्रभावशीलता बढ़ी है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि नारियों के प्रति समाज की मनोभावना परिवर्तित ही नहीं हुई बल्कि स्वस्थ परम्परा की ओर अग्रसर हुई है। सत्ता और शक्ति के रूप में महिला समाज में शौर्य जग रहा है।

भारत देश पुरुष में पुरुषत्व और नारी में उदारता त्याग के समन्वय के लिए प्रसिद्ध था परन्तु मानवी संकुचन व स्वार्थ परता ने स्त्री पुरुष में भावात्मक रूप से दरार डालने का सतत प्रयत्न हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप लैंगिक विषमता देखने को मिली।

जब पुरुष प्रधान समाज में नारी की उपादेयता को आत्मसात् किया तो वर्षों से खड़ी अन्धकार रूपी दीवार छिन्न होकर ढह गई और वह समानपूर्वक वह सभी क्षेत्रों अपनी श्रेष्ठता व कर्मठता से रास्ता बनाती हुई मंजिल की बुलन्दियों को लांघती चली जा रही है। आज वह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर चल रही है।

तालिका संख्या- 1 : महिला अपनी प्रस्थिति को उच्च करने हेतु समाज में स्थापित मान्यताओं को तोड़ती है :-

क्र.	मान्यताएं तोड़ना	आकृति	प्रतिशत
1	हाँ	144	156
2	नहीं	48	52
	योग	300	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अभिजात महिला सूचनादाताएं अपनी प्रस्थिति को उच्च करने हेतु समाज में स्थापित मान्यताओं को तोड़ना उचित मानती हैं। ऐसा मानने वाली सूचनादाताओं का प्रतिशत 48 है। जबकि वहीं कुछ अभिजात महिला सूचनादाता अपनी प्रस्थिति को उच्च करने के लिए समाज में स्थापित मान्यताओं को तोड़ना उचित नहीं समझती जिनका प्रतिशत 52 है।

इसमें स्पष्ट होता है कि सभी अभिजात महिलाओं के विचारों व

भावनाओं में अन्तर होता है।

तालिका संख्या - 2 अभिजात महिलाओं के परम्परागत मूल्यों में बदलाव आया है:-

क्र.	परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन	आकृति	प्रतिशत
1	परिवर्तन आया है	210	70
2	नहीं आया है (आंशिक)	70	23.4
3	वैसा ही है	30	6.6
	योग	300	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर सूचनादाताओं ने परम्परागत मूल्यों में बदलाव अर्थात परिवर्तन को स्वीकार किया है। जिनका प्रतिशत 70 प्रतिशत है 210 है। परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन को 23.4 प्रतिशत 70 प्रतिशत अभिजात महिलाओं ने नकारा है। उनका मानना है कि आंशिक परिवर्तन को पूर्ण परिवर्तन नहीं कह सकते अतः उतना परिवर्तन नहीं होता। जबकि लगभग 6.6 प्रतिशत 30 महिलाओं ने परम्परागत मूल्यों को वैसा ही बतलाया है जैसा वह कई वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है उनकी नजरों में परम्परा कभी नहीं बदलती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिजात महिलाएं अपने शान्त-शौकत के लिए नियमों की अनदेखी करती हैं किन्तु अपने छवि को धूमिल नहीं होने देती। समाज को स्थापित मान्यताओं को अपनी प्रस्थिति को स्थापित करने के लिए तोड़ती तो है किन्तु दिखावा

उनको पसंद है। एक अन्य अध्ययन में अभिजात महिलाएं परम्परागत मूल्यों में बदलाव लाना चाहती हैं किन्तु उन्हें पुरानी परम्परा दकियानूसी लगती है। उनका मानना है कि समय के साथ परम्पराओं में बदलाव आनी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतः परम्पराओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए इसमें कुछ गलत नहीं है, यदि हम आधुनिकता को नहीं अपनाएंगे तो हम पिछड़ेपन से कभी उभर नहीं पाएंगे। इसलिए परम्पराओं को तोड़ने का मतलब उसे खत्म नहीं करना है बल्कि उसमें कुछ नवीन परिवर्तन कर उसे जीवित रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, विनीता, वूमैन डोमैस्टिक: वर्कस् विद इन हाउसहोल्ड (2006)
2. झा, के0एन0, मॉडर्नीजिंग वूमैन: सर्चिंग देयर आईडेंटिज (2005)
3. मोजम्मिल हसन, आरजू भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण (2002)
4. ब्रीफीन, डुईंग वूमैन स्टडीज (2004)
5. आर0एन0मुखर्जी, भारतीय समाज एवं संस्कृति, (1992) विवके प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सहाय एस0, वूमैन एण्ड इमपोर्टेन्स (1998) डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
7. हिवर्ड, सी0, जेन्डर, एजुकेशन एण्ड डिवैलपमेंट रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

वैवाहिक जीवन में हिंसा के कारण एवं समाधान

डॉ. सुशीला गोयल *

प्रस्तावना - वैवाहिक जीवन में हिंसा का संबंध मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित है। इसका कारण यह है कि महिलाएं ही अन्य परिवारों से पत्नी के रूप में पति के घर आती हैं। कभी-कभी नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में उनका सामंजस्य कठिन हो जाता है। कभी-कभी दहेज भी उनके प्रति हिंसा का एक प्रमुख कारण बन जाता है। दहेज को लेकर नारी को जला देने या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है, भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है और उसे यहाँ गृह लक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। पत्नी को पुरुष की अर्द्धांगिनी, धर्मपतिन कहा जाता है, यहाँ पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को निष्फल माना गया है, किन्तु यह तस्वीर का एक पहलू है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उसे मारने पीटने की घटनाएं भी कई बार सुनने में आती हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी का भरण-पोषण करेगा, उसे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा। भारत में पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भरण-पोषण करने वाला। सामान्यतः यह माना जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग है, किन्तु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है। उन्हें लातों, घुसों-चांटों व लकड़ियों से मारा जाता है, हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं।

नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक निंदा से बचने आदि कारणों से सब कुछ शान्त भाव से सहन करती रहती हैं। वह इसे अपना भाग्य मानती हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानती हैं। समाज के लोग भी उसे सहिष्णु होने का उपदेश देते रहते हैं। उसे कहा जाता है, पति के घर में डोली में बैठकर आयी थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगा और वह बेचारी जहर के घूंट पीकर जिंदा लाश की तरह घर में बनी रहती है।

कारण-

1. **पुरुष प्रधानता** - भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है।
2. **स्त्रियों की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता** - स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, परिणामस्वरूप पुरुषों के अत्याचार सहन करते रहती हैं। यदि उसे पति घर से निकाल कर देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी और जीवन यापन की कठिनाई भी सामने आएगी।
3. **अशिक्षा** - शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती और उन्हें न ही कानूनों की जानकारी हो

पाती है। अशिक्षा उन्हें घर की चहारदीवारी में कैद करके रख देती है और वह हिंसा सहने के लिए मजबूर हो जाती है।

4. **सामाजिक कुप्रथाएं** - भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं। जिनमें बाल-विवाह, परदा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं।
5. **पारिवारिक तनाव** - पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है जब पति-पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तथा विचारों में अंतर होता है तब भी पुरुष अपने को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पति पर जुल्म ढाये जाते हैं।
6. **नशा** - वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान हिंसा एवं अत्याचार करते हैं।
7. **समाधान के उपाय** -
 1. **आश्रय की व्यवस्था** - सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करना चाहिए जो पति के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़नी चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 2. **रोजगार व्यवस्था** महिलाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें छोटे-मोटे व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वे पति की हिंसा का शिकार होने से बच सकें।
 3. **शिक्षा सुविधा प्रदान की जाए** - महिला शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए एवं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
 4. **दण्ड की व्यवस्था** - जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निंदा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाना चाहिए।
 5. **महिला न्यायालयों की स्थापना** - महिलाओं के प्रति की गई हिंसा की सुनवाई के लिए पृथक से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीशों हों।
 6. **कानूनी सहायक एवं परामर्श** - पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायक प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
 7. **महिला संगठनों का निर्माण** - पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.) भारत

मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक सम्बल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए।

वर्तमान में महिलाओं पर वैवाहिक हिंसा केवल अखबार एवं मीडिया की सुर्खियाँ बनकर रह गयी है। महिला के द्वारा शोषणके विरुद्ध आवाज न उठाना या शोषण सहना इस बात का प्रमाण है कि एक ओर तो महिलाओं को परिवार या समाज का डर होता है तो दूसरी ओर उनके ही पुरुष साथी द्वारा बहुत अधिक डराया या धमकाया जाता है।

घरेलू हिंसा को रोकने की दिशा में भारत सरकार ने महिला संरक्षण विधेयक 2005 पारित किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से

निपटने में कानून उतने कारगर साबित नहीं जो पाए हैं जितने होने चाहिए। इसका मुख्य कारण है हमारे देश में बहुसंख्यक लोगों को कानून की जानकारी न के बराबर है। यदि प्रत्येक महिला अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार व शोषण के लिए आगे कदम बढ़ाए तो वह दिन दूर नहीं जब महिला स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती हैं। ताकि पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार की अड़चनों का सामना न करना पड़े और उन्हें उचित न्याय मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. एम.एन. सिंह - आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत ।
2. एम.एल. गुप्ता एवं डी.डी. शर्मा - समाजशास्त्र ।
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र- 08 मार्च 2008
4. नई दुनिया समाचार पत्र- 08 मार्च 2009

Exploration Of Affective Responses To The Significance Of English Language Learning

Arpana Shrivastava*

Abstract - English Language Teaching have undergone vast shift in this era of modernization. Methodologies equipped with current technologies have produced new perspectives on English Language Learning. This paper reviews the status, teaching strategies in the current research capacity of ELT. Current technologies used in ELT will be discussed, Highlighting their contents and methods.

The role and significance of English Language in Modern India cannot be denied. India has been moving towards progress in the age of science. Many of the books on higher study on science technology, engineering, medicine e.t.c. are either written in or translated into English. The charms of Shakespeare and Milton can alone be appreciated in their original works written in English. The copiousness of English vocabulary stands unrivaled in the world. Thus with the knowledge of English one can make sojourn in the different literatures of the world. This is the age of specialization; and one is to visit foreign lands, often for this purpose without the knowledge of English such opportunities can never be reaped.

The principal objective of this paper is to find out and discuss about the experience of undergraduate students have, regarding out of class activities. This paper will focus on some important issues like, do they have motivation to involve in activities, what language skills they are expected to use inside and outside the class and what is their present level of four skills of English language. How they overcome those barriers, which they face during out of class activities.

Considering the present scenario in India, we have to ensure maximum student participation at on stages of learning. English language plays a vital role in their life. My research perspective will represent the circumstances of language learning activities done by undergraduate students. The paper will reflect a clear view of those activities which benefits the students and make them aware of getting involved in those activities in conscious way.

Introduction - Now a days, technology, information and knowledge explosion have led to the increase of teaching and learning English as an international language. Language English occupies place of prestige in our country. People belonging not only to a different language groups but also to the same speech community make use of English in their inter-personal communication. English as stated by Timothy J. Scrase “ is not only important in getting a better job, it is everywhere in social interaction. This view makes it clear that English occupies a place of prestige in our country. Its importance is not just in how many people speak it, but in what it is used for. It is the major language of trade and commerce, news and information in this world of globalization.

It is quite interesting to note that India, a multi lingual nation, is the third largest English speaking country after the US and UK. In big metropolis of India, it is really difficult to come across any educated person who can speak any Indian language well without avoiding the use of English words. It is the language of higher education and research. Thus it has attained the status of a global language in the ever changing economic context.

Commenting on the increasing popularity which English language enjoys now a days Timothy J. Scrase remarks :

“ English is an international language you feel humiliated if you can’t speak English. People think you are dumb”

The view expressed above makes it clear that English language enjoys a respectable position in the Indian context.”

English Language Learning - Its main purpose is to enable the learner to achieve proficiency in the language in different domains. It should reflect -

- i. Ideas on how learning is to be evaluated.
- ii. Appropriate themes the texts embody.
- iii. Ideas on how learning materials will be constructed.
- iv. Assumptions about language learning.

Objectives of English Language Teaching -

- i. To read aloud fluently within the vocabulary.
- ii. To understand very simple English spoken at normal speed within the vocabulary.
- iii. To build simple sentences and paragraphs within the range of the syllabus.
- iv. To enable students to write in simple and reasonably

correct English.

- v. To cultivate a broad, human and cultural outlook.
- vi. To speak with confidence using appropriate vocabulary, grammatical forms and acceptable pronunciation.
- vii. Learn to use English appropriately.

Goals For Language Curriculum - It needs to bring in aspects of Language, culture, practices of people in the learning process in accordance with the concerns, so that learners are able to connect with real life situations. Curriculum should aim for-

“.....a cohesive curriculum policy based on guiding principles for language teaching and acquisition which allows for a variety of implementations to local needs.”

Syllabus - A medium to realize the aims of Language Education.

The syllabus envisages the following skill-wise specific objectives of teaching and learning English.

- a. **Listening Skill** - To enable student to understand meanings of words enjoy various types of poems by reading aloud, stories short plays and listen with speeches such other programmes on Radio, TV, CD's etc.
- b. **Speaking Skill** - To enable the student to produce simple statements, questions, express his/her ideas coherently and narrate events, stories and experiences.
- c. **Reading Skill** - To enable the student to read aloud effectively with correct pronunciation to understand themes ideas, emotions, expressed in the text and for pleasure extensively.
- d. **Writing Skill** - To enable the student to write correctly neatly and legibly with reasonable speed, frame statements, questions for their appropriate use, write formal and informal letters with the help of given points and guidelines.

Still, there was a bitter controversy among Indian educationists with regard to the place of English in system of education and there has been due to this a constant change of decisions as to what position English should hold in the present set up. With this backdrop a brief historical preview of the status of English language in India is given below –

Table No.2.1 (See in the last page)

English in India - Since the days of the British Raj English remained the language of domination, status and privilege in India. English was the language of the rulers in India, and as a colonial subject we had no other choice but to learn English. In this way the language started gaining roots in India. Britishers did not want the spread of European type of education in India. And when they turned to promote the education of Indians, it was a political necessity that made them do so people belonging to the middle class advocated and aspired their education in English, they saw that the capacity to speak and write English enables them for lucrative posts, which provided a decent income and an

important status in the society.

Most of the Indians aspired their education through English medium and therefore, they opposed to vernaculars or Indian languages. Lord Macaulay was appointed as the president of the committee in 1834. He argued that :-

“ Since indigenous languages were inadequate and chaotic and indigenous arts and literature were petty futile things. Only Western education with English as the sole medium would deliver the good.”

He, by spreading English in India, aimed at just creating a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, morals and intellect. Teaching of English in systematic way starts from the promulgation of wood's dispatch of 1854, which has been called the Magna Carta of Indian education.

In Wood's Dispatch it was declared :

“The English language is to be the medium of instruction in the higher branches.”

By the end of 19th century two more universities, one at Punjab and the other at Allahabad were set up, The foundation of these universities marked a new epoch in the history of Indian education. This resulted in the increase of more number of Indians who achieved mastery in this language. The English educated Indians, now, were demanding their mother-tongue as the medium of instruction. Their emphasis was on the use of mother-tongue as the medium of instruction and on education closely related to Indian culture. All ventures of life, all avenues of success could be opened only with the keys of English. Thus the “Status of English” in Indian educational system throughout the British rule, as A.K. Sharma observes, was enviable.

English is the language of Industrialization and modernization, and now it is the language of globalization.

The Post Independence Period - The foreign language status of English in India thus appears to have remained for a shorter period initially, and it gradually seems to have acquired the status of a second language.

Since independence, English language continued to be taught in Indian schools, though in limited schools and colleges initially .In view of the strong opposition to Hindi in the southern states, Hindi in 'Deonagari' script was declared as the official language. Owing to the increasing importance of English, in the changing times ; various states in India gave the language a respectable place by making it compulsory language in their educational set up.

Preparatory and Kindergarten classes are doing well today without any financial support from the government. The revolution in the field of information technology has also contributed mostly in the wider use of English at the earlier stage of schooling. Language thus became the primary requirement for interconnectedness of people a 'Ligua Franca' for communication. The wide publication of

newspapers, periodicals, and magazines in English clearly indicates its increasing use in India. Verma highlights the theoretical considerations under the concept of effective teaching and learning of English in India as a second language in the following words.

“There is, therefore no feel that English in India is or will be less effective or less efficient as a system of communication, but there is every reason to say that it has and will continue to have a marked Indian flavour.”

Giving the details of the widen uses of English all over the world, **C. Paul Verghese observes - “ Of all languages in the world today English deserves to be regarded as a world language. It is the world’s most widely spoken language.”**

In India, English continues to be the medium of instruction in schools, colleges and universities, and is also the languages of administration . It further recommended that :”English to be studied in high schools and in the universities in order that we may keep in touch with the living -stream of ever growing knowledge.” The Secondary Education Commission appointed by the government of India in1952 found that the teaching of English should continue vigorously.

The commission recorded the evidence to the effect that :

“ It was through the study of English Language and Literature that India become united and that she attained freedom.”

Many eminent educationists and scientists have, therefore expressed the opinion that under no circumstances should we sacrifice the many advantages that we have gained by the study of English. In the attainment of this objective the study of English was bound to play an important part, because our youth acquire knowledge from all sources and contribute their share to its expansion and development.

One of India’s education Commission has emphatically asserted-

“For the successful completion of the first degree course, a student should possess an adequate command of English, be able to express himself with reasonable ease and felicity, understand lectures in it, and avail himself of its literature.”

Therefore adequate emphasis will have to be paid on its study as a language right from the school stage. Many other commissions and agencies including-also have received the place of English from time to time. All the reports reflect the strong hold of English on Indian minds. **Language Policy in Education - CABE** also deliberated in detail on the study of English as a compulsory subject as recommended by the education ministers conference held in 1957-

English should be taught as a compulsory language both at the secondary and the university stages, students acquire adequate knowledge of

English so as to be able to receive education through this language at the university level.

The Commissions observation on the status and role of English is of importance from the point of view of language planning and the way the language was perceived by policy planners.

Thus “ English will continue to enjoy a high status so long as it remains the principal medium of education at the university stage. A working of English will be a valuable asset for all students and a reasonable proficiency in the language will be necessary for those who proceed to the university”. This brief historical scan of the evolution of the language policy in India tell us how the apprehension about the dominance of English has been naturally alleviated by the role which the language has attained. This, in spite of the efforts to contain its spread, today every child and parent wants the English Language.

Medium of Instruction -

Table No.2.2 - Table summarizing the proportion of primary and upper primary Schools teaching through the mother-tongue in India(Percentage)

Policies	Primary		Upper Primary	
	1993	2202	1993	2002
Rural School	91.70	92.39	89.49	92.711
Urban School	91.32	90.39	86.07	87.037
All School	91.65	92.07	88.64	91.34

From the table above, it is found that in 2002 just over 92 percent of primary schools were teaching through the mother tongue, while urban schools showed a decline of less than one percent over the ten-year period overall, then more than 90% of schools at the primary and upper primary stages teach through the children’s mother tongue.

Table No.2.3 - (See in the last page)

It is interesting to note that the no of states offering education at primary and upper primary levels through the medium of languages other than the majority language increased.The demand for English emerges from many factors, as recognized by the position, paper on the teaching of English produced by NCERT in connection with the National Curriculum Framework 2005 as -

English in India today is a symbol of peoples aspirations for quality in education and fuller participation in national and international life. The level of introduction of English has now of introduction of English has now become a matter of political response to peoples and aspirations. A working knowledge of English, as it is believed, will be a valuable asset for all students and reasonable proficiency in the language will be necessary for those who proceed to the university. That’s why most of the states are seen interested in the early introduction of this language in the school curriculum .

Conclusion - In summing up, we can say that English Language in India might have been a foreign Language, but in recent years it has acquired distinct identity. As the world is getting globalized, there has also been a sense of English Language as politically imposed on the Indian

minds. After Independence however, it was realized that English had much deeper roots in India, than in the British Raj. Today the anti-English spirit or English hatred is seen diminished as the language is perceived as language of hope and better life. These changes have brought a change in the status of English Language as compulsory in school and college education. The syllabus of English at each level in the school education aims at building students confidence and proficiency to survive in an age of globalization and information technology.

Thus, the teaching and learning English Language aims at the all around development of the student by means of joyful and graded activities. It also enables them to use English creatively.

References :-

1. Paul Breedls and Bob Burkill 'Reflections on Teaching Today and Tomorrow' Cambridge CUP, P.86.
2. Basu Amarnath "Education in Modern India" Calcutta

- 'Problems and Solution of Teaching English' Commonwealth Publishers India : New Delhi, 1989.
3. Sharma A.K. 'Aspects of English Language Teaching in India' Bhagalper : Bharat Book Depot, 1985.
4. Yardi, V.V. reprint' Teaching English in India Today' Saket Prakashan 2009.
5. Agrawal, S.P. 'Development of Education in India : A Historical Survey of Education before and after independence' New Delhi Concept Publication, 1985.
6. Mackey, W.J. ' Language Teaching Analysis' London : Longmans Green Company Ltd.,1966.
7. Prabhu, N.S. 'Second Language Pedagogy' Oxford; New York : Oxford University Press, 1987.
8. NCERT 2007 Cited in Hywel Coleman(2011).
9. Saraswathi, V.English Language Teaching : Principal and Practice ; Orient Longman Pvt. Ltd., Chennai,India (2004).

Table No.2.1 - Table showing the historical review of the development of English language in India.

Date	Event	Aims/Recommendations
1600	Queen Elizebeth I granted a charter of monopoly of trade with India to the East India company.	
1823	English education was introduced in India.	The objectives were :i. To popularize European culture and science among the Indian masses.ii.To consolidate the position of the British Raj in India.
1835	English was formally introduced as a medium of instruction.	Macaulay's famous 'Minutes' set out the aim of this move. It was "to form a class of people who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons, Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."
1857	Universities were established in Madras, Bombay and Calcutta.	
1869	Lord Napier's Convocation address at Madras University.	The speech spelt out the objectives of European Education in India :i.To give a new basis for national unity.ii. To give a better knowledge of India.iii. To enable self government.Iv To enable participation in the general, intellectual movement of the world.
1947	Free India chose to retain English as long as it was needed.	
1948		He said, " the position that English is occupying today in our educational and official life can not be sustained is future. It is but essential that Indian languages should be given their legitimate position."
1948		It was recommended that English should continue to be studied in high schools and universities.
1952		The aim was to make learning easier for children. Experts identified the basic structures in English. These sentence structures were then 'graded' or arranged from the most easy to the most difficult in terms of learning.
1952-53		The structural syllabus prepared by the institute of education, London, was introduced in Madras in 1952 for the MELT campaign. The scheme involved training 27000 teachers at the primary level, and was to have a snowballing effect.

Date	Event	Aims/Recommendations
1954		
1957	The Nagpur Seminar for lecturers in English from training colleges.	It came up with recommendations for a six year course in English involving the use of 3000 words and 300 structures.
1958	The Central Institute of English(CIE, later known as CIEFL) and now EFLU was set up.	The objectives were to train teachers of English to produce teaching material and to improve the standards of English teaching in India.
1961	Jawaharlal Nehru pointed out the need for a link language.	He said, " the tendency of the regional language to become the medium for university education, though desirable in many ways, may well lead to the isolation of such universities from the rest of India, unless there is a link in the shape of an 'All-India' language."
1963	The Regional Institute of English was set up in Bangalore.	
1967	A Study Group Report on the Study of English in India was prepared by the Ministry of Education Govt. of India.	This aim was to survey the nature of the study of English in India,
1977	The UGC syllabus Reform.	This was the result of regional and national by the UGC to examine the syllabuses of various universities in order to update and improve them.
1987	The Curriculum Development Center(CDC), Hyderabad was setup by the UGC	The aim was to shift focus in curriculum designing from teaching to learning and make it need-based and socially

Table No.2.3 - Table Showing School with Hindi and English medium of instructions in India (Percentage)

Policies	Primary		Upper Primary		Secondary	
	1993	2002	1993	2002	1993	2002
Hindi as Medium of Instruction	42.26	46.79	40.93	47.41	33.94	41.32
English as Medium of Instruction	4.99	12.98	15.91	18.25	18.37	25.84

Social Realism As A Concept In The Selected Novels Of Munshi Premchand

Ravindra Kumar *

Abstract - Novels of Premchand are considered as conceptual story of a nation and core value of society. The Concept reflect the internal conflict of men and women a special age and the pulls and pushes of socio-economic condition lend them vitality and importance. The local languages experienced by human being provide raw material to the inventive writer who with help of fancy turns this article into a works of novel. The novel as a expressive style is new in India. As a style it got advance improvement in the hands of Premchand who made it famous source to an interesting event for the people and to offer an analysis of authority of the society. It occurred to the middle class in India which was serving as dynamic representative of the British commercial and administrative profit in India. Premchand perfected the stylish novel by making it a medium change in the society. It is not the humanitarian enthusiasm but a worry for the oppressed society of his days which makes Premchand a prolific novelist. No doubt, the problems of Premchand era were conflicting and complicated than that of his forerunners. But Premchand not only accepts the life and interest of a character in the society but he also trusts in an actual picture and creative issues. Premchand's goal as author is the reformation of society. In nutshell, the realism of Premchand is more powerful and reformist than any other author of his period.

Key Words - Realism, Neocolonialism, Cumulative Society, Humanitarian, Subaltern.

Introduction - Munshi Premchand is one of the outstanding creative writing authors in Hindi literature. Earlier the novel was romantic in style and it created to single interest. It was Premchand who invented the part of realism in his novels. He considered in progressive approach towards human life, interest of his novels was to abolish the social evils and to start an ideal society. Premchand's experience with dependent subservience motivated him for socio-political independence in the modern Indian literature. His novels brings alive the lives and the struggles of the people including the lower part of Indian Society and these people are exploited differently. In the modern India the prose works were mostly disturbed with the concept an subject of nationality. Bhartendu Harishchander, Pratapnarayan Mishra, and Ramcharan Goswami effectively searched the theme of nationalism in their works. Premchand hold an important place among them because he exposed the Indian culture in the bright colours, although his life was hueless. As Geetanjali Pandey says, "Premchand's views on literature in her book "Between Two Worlds: Literature should criticize and analyse our life..."

The literature when does

Not...infuse the reins of society were

Controlled by religion... today literature

Has taken charge and its means is love too being...

The downtrodden, the

Painted and the deprived- their protection

And in us true strength and
Determination is worthless for us in our
Present times... In advocacy is the
Duty of literature.

Thus, Premchand is an innovative author who remained in an age of quick socio-economic changes and always made the center of social evils in his novels. He developed his ideal characters and themes from guanine world. He always trusted that fundamentally man is noble and good but his environment influences and misleads him. In the area of Hindi fiction, Premchand wrote many novels which rotate round social affairs.

His first novel *Sevasadan* (Market of Beauty) originally written in Urdu (Bazar-e-Husan) was published in 1919. This novels with the deals with social issues of prostitutes and with the condition in which they are forced to respond to this awful business and also advises the solution and result to this problem by setting up organization like *Sevasadan*, a stable home for a call girl .instead of looking down upon these powerless and dependent women, he attempts to excite a lot of sympathy and mercy for them. The other social affairs which form prominently in his novels are extortion, communalism, defective educational system, enquiry of sound problems of the Indian peasants and discrimination. Really, this novel is a Saga an unpleasant woman, describing her attitude towards the pitiable condition of her own society. Suman, the female, supporter of the

novel is degraded because of dowry system. So after leading an evil life with her husband, she departs from the house and by chance she falls in the victim of prostitution. She is attracted by their glamour, easy money, luxury and participation in other function. Here, she feels more enjoy than that of uneasy life. Resulting that, she involves the profession of prostitution as a character of bad company. Her husband Gajadhar gets her out of the house who later repents and falls ill and leaves the materialistic world to become a monk. He regrets as he was unable to make his wife happy. On the contrary, Suman realizes her own mistake as the life of prostitute is not as easy as she thought earlier. She understood the meaning of prostitute and joining an organization *Sevasadan* a charitable home for the helpless and homeless people like herself. Seriously the novel can be depicted as a psychological analysis of human being living in a society which does not allow them respectful place under the superstition but this novel also projects the pain and sufferings of other characters such as Krishnachandra, padamsingh, Vitthaldas, Madansingh, Sadansingh in the socio-political scheme because he always considered in the power of art in social reformation. The novelist was a missionary who had speed his writing to the delicate description of truth with the feeling of improvement. Thus, *Sevasadan* remains not only Premchand's popularity as an eminent novelist but serves as a leader in the history of Hindi novel.

His next novel *Premashram*, the translation of *Gosa-e-Afiat*, published in 1922, depicts the relation between the peasant and landlords specially, the pathos and plight of marginalized. Gyan Shankar, the protagonist of the novel, is a landlord of the village Lakhanpur. He is very selfish, cruel, and diplomatic man. He wants to take his uncle Prabha Shankar's part of land as well his brother Prem Shankar. Besides this, he wants to extort unjustifiably maximum amount of money from his peasants and also makes efforts to confiscate the wealth and property of his father in law. The main aim of the novel is to express the pitiable economic circumstances of subaltern who are oppressed by their masters. The novelist asserts the establishment of the ideal social management. In fact, this novel is a saga of the toil of the Indian peasants. In other words it is an epic which depicts their conflicts against oppressor money lenders. On the other hand, the novel presents the theme of the direct clash between eastern and Western values of life and victory of the farmer, symbolized by Prem Shankar over the latter represented by Gyan Shankar. The conflict between two brother is not political but the two cultures and ideologies. So the whole novel is so much able to displace the veil of modern cruel system of the subordination stain therein.

The novel *Ranga-Bhoomi* (1925) expresses a far and wide popularity of socio-political affairs comprising rural poverty, caste discrimination, and tension between the haves and the have nots in the background of pre-independence India. The reaction of the industrialization is

quite visible. The industrialist has been presented over possessed and obsessed with the business interests. In order to achieve his ends, he will shift loyalties without any shame. Prabhu Sevak, an industrialist, clearly declares that business world. One cannot succeed to be a businessman unless one is cruel to his fellow human beings. Thus, the novelist portrays a conflict between the era-old social traditions in Indian villages and the wave of new British Imperialism. The Gandhian model of local self-government at village level also forms the basis of the novel. Premchand was never in favour of complete industrialization. The main the leading character Surdas who adopts the Gandhian ideals of truth and non-violence, is the masterpiece of the novelist. Thus, Surdas is the person who prays for his living and is also the owner of piece of land which is going to be acquired by the local industrialist in order to set up a cigarette factory. The piece of land becomes the battlefield where the fight between subalterns and the dominant takes place. Surdas joins the struggle against the exploitation of the poor by the rich landlords. For him, life is not just a blood-stained battle but a stage in battlefield in which actors play different parts. Premchand never behaves an individual as a separate entity. So, the landlords in Premchand's novel are presented as 'yes-men' of in government due to their oppression by the dominant group. However Raja Mahender Singh and Kuwar Bharat Singh in Rangabhoomi are portrayed as shrewd politician who strive to maintain two distinct faces in order to have the best of the nationalist as well as the official world. They are genius because of their love for property. But patriotism also affects them. Mahender Sing, the head of the local Municipal Board, wants to lose the faith of government either. All this reminds of the term 'Ambivalence' given by Homi K. Bhabha.

Kayakalp (1926) was Premchand's first novel which was originality written in Hindi and later on translated into Urdu. The word 'Kayakalp' does not mean, only rejuvenation but it signifies mental as well as spiritual transformation. The author seems to warn the readers against the evil of power sensual pleasure and wealth. The characters who involve in sensual pleasures fail into their life. Towards the end of the novel, the protagonist, Chakradhara, frees himself from the vice of greed and commits himself to social service which is known as Kayakalp. Besides these, other social and problems namely communalism, forced labour, polygamy, oppressor of zamindars over tenants and lack of women education also figure prominently in the novel.

In the novelette *Nirmala* (1927) Premchand has exposed the social vices like dowry system and mismatched marriage in which the young woman is compulsory a victim. In fact, this novel is a pathetic story of a young girl named, 'Nirmala' who is married to an widower with many children. Suspected of infidelity by her husband, she has to undergo a lot of mental torture. The action of the novel centers around three families. The central character named 'Nirmala' is the common link between these families.

Premchand's foremost novel *Karmbhoomi* (1932)

which was written in the backdrop of the national movement, projects many social vices of his contemporary such as restriction untouchable for the entry into the temples by use of intoxications and literary, the land disputes, atrocity of landlords and the nationalistic forces among the youth under the leadership of Gandhiji. Premchand was much impressed by 'The Bardoli Movement' of the farmers, opening of the gates of Laxminarayana Temple for the untouchable at wardha and Gandhi Irwin pact etc. The novel clearly displays the basic philosophy of Indian thought and unlocks the multiple observations of its significant title. The word 'Karma' means the dedication to the work in creatures and the 'Bhoomi' means earth. So the novel may be considered as 'The earth of Action' and the main theme of the novel is to focus on the social vices. In the beginning of the novel Premchand focuses on the cruelties in educational organizations. In the novel, the novelist asserts "Even land taxes are not collected as ruthlessly as school fees are collected in our colleges. Thus, the main purpose of the novel was to present the atrocity of industrialists over the underprivileged part of society. Premchand suggests the progressive characters to solve the problems with the practices of the British. Amarkant as male character is the protagonist in the novel and other characters surround him. His religion to serve the needy and helpless, he is the hero in the society. The socio-political cum economic issues of the Gandhian period, are also dealt with 'Karmabhoomi'. Premchand's last novel *Godan* (1936) focuses on the life of a poor peasant in a different manner. Premchand had fully conscious of the evil system of the money lenders. On the other hand, the novel introduces the movement of Indian society which was undergoing political, economic, and cultural crises.

At the time of freedom struggle Indians were participated. So *Godan*, is a social document which realistically records the economic conditions of Indian peasantry. Hori, is protagonist peasant in the novel who is not able to raise a voice to protest against the system and suffers throughout his life. He is entrapped in the false ideas of religion and that is why he is not able to protest against the exploitation by money lenders. He is a archetypal character who represents the essential traits of Indian

peasantry. Hori reflects exploited peasantry by landlords, money lenders and Hori himself uttered "A man is not a man without wealth and education. We are no better than bullocks, born to be yoked". At the time the peasants were a puppet in the hands of landlords and money lenders. One of the striking themes in 'Godan' Premchand introduces a new concept of inter-caste marriage between a Brahmin boy and a Chamar girl. But he does not leave the opportunity to strike on the orthodox Indian society. Thus, '*Godan*' is moving social document in which Premchand represents Indian authentic society.

For Munshi Premchand, social welfare and justice is the main source of inspiration for social novels. He thinks that the progressive people make society and analysis of these persons is the best way to know the social contract belong to the individuals and Premchand does not avoid the significance of an individual. He argues that the key to man's problems can be found within society. Man is an inner piece of the society and he is safe only when society is secure. He counts the person from the social point of view. Premchand is agree with Mathew Arnold when he thinks literature as a criticism of life, and life is to be lived and considered in connection to society. He believes social surroundings as the most crucial element forming human fortune. Premchand's era was a period of political confusion and quick socio-economic changes which reflected the development began to write, he was not agree with the influence of social and political disorder. His motto as an author was to make society progressive place to live in. So he asserts social affairs and social honesty in new vision, new to modern society. Thus, Premchand survives the illustrative author of his time.

References :-

1. Batra Promila. Charles Dickens and Premchand: Novelists with a Social Purpose. Delhi: Chaman Offset Press, 2001. Print.
2. Nagendra, Dr. Premchand. An Anthology, Delhi: Bansal and Company, 1998. Print.
3. Pandey Geetanjali. Between Two Worlds: An Intellectual Biography of Premchand, New Delhi: Manohar Publishers, 1989. Print.

Mulk Raj Anand's Untouchables a scathing indictment on caste-system and exposes the callousness and hypocrisy of the caste Hindus

Waseem Akram*

Abstract - Mulk Raj Anand was among few writers who highlights the situation of lower caste hindus, presently called them as dalits and the present paper will depict the life and surroundings of untouchables. It is a stain on our society that we are discriminating each other in the name of religion, creed, colour, sex etc. God is the creator of all humans and by appearance we all are same, then why we segregate and hate each other. When God created this universe, He didn't create caste system and choose few people for noble cause and it is we orthodox people who divided our society on caste system and by doing this we have created hatred in our society. All humans are equal and we must love and respect each other, irrespective of caste, creed or religion. How Mulk Raj Anand in lucid manner depicts the life and colonies of lower caste hindus who are living in abject poverty and are living without basic facilities.

Key Words - Segregate, Orthodoxy, Discrimination, Poverty, Caste System.

Introduction - When Mulk Raj Anand wrote this novel India was a colony of Britishers and there were few intellectuals who think that caste system is social evil on our society and Mulk Raj Anand has personally witnessed events of hatred and discrimination and Mahatma Gandhiji asked him to write a pamphlet on untouchability and present novel is the result. When we go through the novel we observe how keenly Mulk Raj Anand depicts their situation and how they are living in extreme poverty. The area in which they are living are called colonies of untouchables in a derogatory manner where only people on the lower rung of society can reside and are assigned to do menial jobs especially to clean public latrines, roads etc. In the opening lines of novel we form a clear picture on our minds how these people are living as writer has described it in these words.

The outcastes' colony was a group of mud-walled houses that clustered together in two rows, under the shadow both of the town and the cantonment, but outside their boundaries and separate, from them. There lived the scavengers, the leather-workers, the washerman, the barbers, the water-carriers, the grass-cutters and other outcastes from Hindu society. A brook ran near the lane, once with crystal-clear water, now soiled by the dirt and filth of the public latrines situated about it, the odour of the hides and skins of dead carcasses left to dry on its banks, the dung of donkeys, sheep, horses, cows and buffaloes heaped up to be made into fuel cakes, and the biting, choking, pungent fumes that oozed from its sides. The absence of a drainage system had, through the rains of various seasons, made of the quarter a marsh which gave out the most offensive stink. And altogether the ramparts of human and animal refuse that lay on the outskirts of this

little colony, and the ugliness, the squalor and the misery which lay within it, made it an 'uncongenial' place to live in (Anand 1).

Bakha, the central figure in the novel a young man of eighteen strong and able-bodied lives with Lakha his father, Rakha his younger brother and his sister Sohini a beautiful and attractive girl in this dirty colony. The society is so cruel that Bakha's father was a headman of all the sweepers and now he is old and unable to work and his eldest son, Bakha is forced to do his fathers work. The rules are so inhuman that son of a sweeper will become sweeper only and son of a priest could become priest. So with this his aspirations and dreams were shattered and when all untouchables accepts these harsh caste-realities Bakha shows discontent and dreams of social justice. The behavior, treatment and humiliation Bakha has received from upper-caste hindus made him anguish and rebellious. He feels disgusted with his job and envious when he sees children of upper-caste hindus playing and with all facilities. Early in the morning he has to get up and clean latrines, and this is the job conservative society has provided him. Bakha was no doubt an untouchable but he was no less than other boys, he was very good sportsman and he performed very well in hockey. When Charat Singh once saw his performance in hockey match, somehow he shows his good-will and offers to provide hockey stick to Bakha, it was a blessing for him from God because upper-caste hindus had humiliated him. But the novelist conveys one thing that down-trodden sections of society too had desires and aspirations and they also yearn a good life but it is we conservative people who exploit and discriminate them. Before he receive hockey stick he dreams as whether the hockey stick is old or new

and whatever happens in Bakha's mind, the novelist conveys to his readers in lucid manner.

'Come this afternoon, Bakha. I shall give you a hockey stick.' He knew the boy played that game very well. Bakha stretched himself up; he was astonished yet grateful at Charan Singh's offer. It was a godsend to him, this spontaneous gesture on the part of one of the best hockey players of the regiment. 'A hockey stick! I wonder if it will be a new one!' he thought to himself, and he stood smiling with a queer humility, overcome with gratitude. Charan Singh's generous promise had called forth that trait of servility in Bakha which he had inherited from his forefathers, the weakness, of the down-trodden, the helplessness of the poor and the indigent, suddenly receiving help, the passive contentment of the bottom dog suddenly illuminated by the prospect of fulfilment of a secret and long-cherished desire. He saluted his benefactor and bent down to his work again (Anand 9).

These underdogs were not allowed to take water from wells as water will become impure and people show hostile attitude towards them. In public places they were disgraced, people hurl abuses and even beaten to death, and one incident in the novel worth mentioning here is about Sohini, sister of Bakha. She was abused when she went to take water from the well as she has committed an evil. These underdogs also need water for survival but upper-caste hindus feel it below dignity to remain in queue with them. These people are integral part of society and the novelist are demanding basic rights for them. Who has given us power to isolate them and it is duty of society to protect them and we need to aware people about them.

'Think of it! Think of it! You bitch! You prostitute! wanton! And your mother hardly dead. Think of laughing in my face, laughing at me who am old enough to be your mother. Bitch!' the washerwoman exploded.

'Ari, you bitch! Do you take me for a buffoon? Whatb are you laughing at, slut? Aren't you ashamed of showing your teeth to me in the presence of men, you prostitute?' shouted Gulaboo, and she looked towards the old man and the little boys who were of the company (Anand 17).

These orthodox and upper-caste hindus are seeking one pretence or the other in order to prove his or her superiority and by disgracing them at public places they feel pleasure, infact they are masochist. While walking at public places these people have to beat drums or shout loudly so that upper-caste hindus will not become impure by touching them. These underdogs clean their latrines and dirt and make their places clean but they are not willing to put aside their racial superiority. Another incident happened when Bakha accidentally touched a high caste hindu as he forgot to announce his approach. While walking on the roads these underdogs have to beat drums or shout loudly so that they can not touch upper caste hindus and become impure as this social evil practised from generations. When Bakha touched an uppercaste hindu he started abusing him loudly and a terrible scene to see as if he had committed

a murder. All of a sudden people gathered around around him and started abusing and everybody taking pleasure in doing this. How these so-called upper caste hindus become impure is actually a thinking and indeed a social evil in our society which needs complete eradication and piercing words put novelist in these words.

'keep to the side of the road, you low-caste vermin!' he suddenly heard someone shouting at him. 'Why don't you call, you swine, and announce your approach! Do you know you have touched me and defiled me, you cockeyed son of a bow-begged scorpion! Now I will have to go and take a bath to purify myself. And it was a new dhoti and shirt I put on this morning!' (Anand 38).

The man really was inhuman and he didn't stop abusing. He abuses his family members and his late mother who is no more. No body could bear these piercing words but poverty has made Bakha timid and he didn't speak even a single word in return. And nobody helped him and he cast his eyes downwards as he is guilty. One feels sympathy for Bakha as there is nowhere written in his body that you are an untouchable and the man was not satisfied with dumb humility and he says even more piercing words.

'You swine, you dog, why did't you shout and warn me of your approach!' 'Don't you know, you brute, that you must not touch me!' 'Dirty dog! Son of a bitch! The offering of a pig!' (Anand 39).

Life for untouchable is very difficult in conservative society and they are living in extreme poverty without basic necessities. These people work hard but are living in squalid conditions and one feels pity on them. But there are some wicked, inhuman people who don't feel their sufferings. The novelist conveys to his readers to stop this evil practices which have no bases and we must think for their welfare and betterment.

The novelist has depicted here religious hypocrisy of priests who don't allow untouchables to enter inside the temples. It is a ironic when these untouchables clean the courtyard of temples but not allowed to enter inside the temple as temple will become impure. They are using religion as a tool to exploit these people and sucking blood of poor peasants. When one day Bakha tried to enter inside the temple, it infuriated priests and crowd. Bakha was very keen to go inside and perform his religious duties but so-called priests didn't allow his community to take part in these religious functions. Here the novelist has exposed hypocrisy of priests who inspite preach unity among different sections of society and are isolating one sect. As one individual says to Bakha.

'Get off the steps, you scavenger! Off with you! You have defiled our whole service. You have defiled our temple! Now we will have to pay for the purificatory ceremony. Get down, get away, you dog!' (Anand 53).

The priests as well as the whole community of upper-classes are humiliating them and Mulk Raj Anand exposes the hypocrisy of priests. By practising this evil these religious priests are seeking blessings of God, not knowing that we

are earning His wrath. In the same vein Rabindranath Tagore criticises priests in his book *Gitanjali Song No XI*. These priests are seeking worldly pleasures and are living luxurious life, how can they reach God.

Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this linely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and His garment is covered with dust. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil! (Tagore 11).

The novelist once again exposes the hypocrisy of priests when Pt. Kali Nath tried to molest Sohini and he didn't think at that time that she is from lower-caste. In every sense they didn't get justice are are considered burden on society. In another incident during hockey match there was a quarrel and one of his friend received a wound and blood flows out profusely from his wound. Bakha took him to his mother it was a good gesture but as usual she abuses him for making her son impure. Bakha has shown humanity but how can they keep aside racial superiority. Infact every section of society are humiliating them. How can an untouchable make person impure, it is just sheer ignorance and superstitiousness. Inspite of acknowledging his role the childs mother abuses him and what else can one expect from them.

'Oh, you eater of your masters! What have you done? You have killed my son!' she wailed, flinging her hands across her breasts and turning blue and red with fear. 'Give him to me! Give me my child! You have defiled my house, besides wounding my son!'(Anand 106).

When every section of society treats them with contempt and disgrace even under the umbrella of religion, then they think about religion deeply. Bakha was deeply disappointed and in frustration and longs for hope and solace. Coincidentally he met a christian missionary whose name is Colonel Hutchinson and whose chief aim is to spread christianity in India. Here Bakha first time came to

know about christianity and its different concepts such as divinity and trinity. Colonel Hutchinson left no stone unturned in order to persuade him that christianity is better than other religions and nearer to God. Bakha asked him some questions about Jesus Christ(pbuh) but was given satisfactory answers and Bakha was on the threshold of Christianity. In one question he asks about Yessuh Messih(Jesus Christ) whom christians call as Son of God and saviour of the world and will take all christians to heaven, a place made by God for christians.

'He died that we might be forgiven,

He died to make us good,

That we might go at last to heaven,

Saved by His precious blood (Anand 119)

The writer gives us message that when we discriminate with these people who are also humans, then we are preparing a ground for missionaries who easily converts them. By disgracing and humiliating them we are only supporting and practising old customs and traditiond which have no bases in any religion. If we look objectively and for a moment think above caste system, then one feels sorry and ashamed that such things happen in our society. No religion teaches us to hate other people and all are equal infront of God. It may be that God is with them as Tagore has said and when no body loves them God loves them. When we hate creation of God, we are in other way showing hatred towards God and making Him more furious. At last Bakha didn't convert because he listened Mahatma Gandhiji, who says 'I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism.'

References :-

1. Anand, Mulk. Raj. *Untouchable*. Pengium books, 2001.
2. Gupta, Balamul. *Mulk Raj Anand: A Study of his Novels in Humanist Perspective* Barely Prakash Book Depot, 1976.
3. Hutton, J.H. *Caste in India: Its Nature, Function and Origins*. Oxford University Press, 1963.
4. Singh, Pramod Kumar. *Major Indo-English Novelists and Novels*. Jaipur Sublime Publications, 2001.
5. Tagore, Rabindranath. *Gitanjali*. Maple Press, 2010.

गोंड़ी लोकगीतों में सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन

डॉ. सरोज बाला श्याम *

प्रस्तावना - मनुष्य और लोकगीत का चोली दामन का साथ है। संसार का ऐसा कोई स्थान न होगा जहाँ मनुष्य हो और गीत न हो। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि - 'लोकगीतों की परम्परा इन्सान के आदिम युग से चली आ रही है। युगों की छाप उनके भावों पर पड़ी और वह अपने जीवन को ईमानदारी से अपनी बोलियों में प्रकाशित करता हुआ आज भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता चला आ रहा है। उसने समय-समय पर शोषण के विरुद्ध गीतों में आवाज उठाई, अपने श्रम का परिहार गीतों के सहारे किया, नया उत्साह, नई लगन, गीतों द्वारा प्राप्त की और इतना ही नहीं मन की छुपी हुई बातों के सुख और दुःख को उन्हीं गीतों में ढाला।'

प्रत्येक राष्ट्र के हर क्षेत्र में अपनी निजी बोलियों में गीत पाए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गोंड़ लोग अपनी भाषा या बोली में जो लोकगीत गाते हैं। उनका अपना अलग माधुर्य है। दूसरे रूप में देखा जाए तो लोकगीत गोंड़ संस्कृति का अभिन्न अंग है। लोकगीत के माध्यम से गोंड़ समाज की संस्कृति के प्रत्येक पक्ष का कोना-कोना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, धार्मिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप गोंड़ जनजाति में श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आज भी निभाए जा रहे हैं। गोंड़ जन की यही आस्था गोंड़ संस्कृति को सट्टा आधार प्रदान करती है। गोंड़ी लोकगीतों के अध्ययन से गोंड़ समाज की सामाजिक परिस्थितियों का आकलन किया जा सकता है -

सामाजिक अभिव्यक्ति- लोकगीतों में गोंड़ समाज की यथार्थ एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। गोंड़ समाज के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, उत्साह-उल्लास आदि का ज्यों का त्यों रूप हमें लोकगीतों में दिखाई देता है। इसी तरह गोंड़ समाज की प्रचलित प्रथाओं, रीति-रिवाजों आदि का उल्लेख लोकगीतों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गोंड़ समाज में नारी को सम्माननीय स्थान प्राप्त है। इन लोगों में देवर-भाभी के बीच किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होता। देवर-भाभी के बीच चुहलबाजी होती रहती है। भाभियों से चुहलबाजी करते हुए देवर ये गीत गाते हैं-

'कौन भौजी दार रान्धे कौन भौजी भाता

कौन भौजी रान्धे मुनगा सागा।।

छोटी भौजी दार रान्धे, बडे भौजी भाता

मंझली भौजी रान्धे मुनगा सागा।।'

भावार्थ यह कि बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंझली भाभी सब अलग-अलग सब्जी दाल बनाते हैं।

कोई मुनगा, कोई अरहर की दाल बनाते हैं। भाभियों से चुहलबाजी के लिए देवर ये गीत गाते हैं। इसी प्रकार देवर के लिए भी भाभिया हंसी मजाक में गीत गाती हैं। इसी प्रकार एक गीत यहाँ देखा जा सकता है हंसी में देवर को जामुन न तोड़ने की बात करती हैं -

'जामूं न टोर देवरा जामूं न टोरा
जामूं न टोर देवरा धोती रची जाए रे
जामूं न टोर देवरा जामूं न टोरा
जामूं न टोर देवरा जिभिया रचि जायरे।
जामूं न टोर देवरा जामूं न टोर ।।'

जीवन जीने को लोकगीत -

तय नक ना मोर ना ना रे ना ना।
तैयना ना मोर न ना गा
या जिन्दगी रहेला दिन चारा
मोर ना ना गा या जिन्दगी।।
जरा तो मन लोभय मोरा
रेवा नाव के दूरा रे
या जिन्दगी रहेला दिना चारा।।
रेगें ला सीखय दाउा
रेवा नायके दूरा रे
या जिन्दगी....।।
खेले ला सिखय दाउा
रेवा नायके दूरा रे।
या जिन्दगी.....
नाचे ला सीखेय दाउा
रेवा नावके दूरा।।
या जिन्दगी रहे ला दिना चारा।'

यह जिन्दगी चार दिनों की है। चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात है। इस दुनिया में चार दिन तक रहना है। नर्तक जो रेवा नाम का लड़का है। उससे कहा जा रहा है। अब सभी नृत्यों को मिलाकर नाच नाचना हैं, इसलिए हम सब नाचना सीखें। आजू-बाजू मुझे को पैरों को घुमाकर भुजाओं को हिलाकर नाचना सीख लें। ताकि हम सब नाच गाने में होशियार हो जाएंगे। क्योंकि यह जिन्दगी चार दिनों की है।

शृंगारिता का लोकगीत -

'चकिया मा मलथे पीसान सान्वर धीरे रेंगे रे। गोडे मा तो रूच मुच पनही।

कनिहा मा पीतम्बर धोती छातीया मा राग झोली।

गले मा तो तुलसीक माला।

मुडे मा तो टीला टोपी कटरे।

बनगुला पान बिचगली।

मिलही करे सान्वर धरे रोगों रे।।'

चकिया में अनाज पीस कर आटा निकालते हैं पद का भावार्थ यह है कि पांव में जब जूता पहनते हैं तो चुर-मुर की आवाज आती है। राह

चलते पीली धोती पहने हुए, झोला गले में, सिर मे टोपी पहने हुए कहीं जाते हैं। मूल भावार्थ यह है कि जब ये किसी गांव में जाते हैं, तब पुरुष वर्ग के श्रृंगार वेश-भूषा पहने हुए निकलते हैं। यह जाति श्रृंगार प्रिय होती है। श्रृंगारिता का वर्णन प्रस्तुत लोकगीत में किया गया है।

गोदना गीत - गोड़ समाज में गोदना की प्रथा पाई जाती है। यह प्रथा अब लगभग बंद होने की स्थिति में है। गोदना गोदने का कार्य बादी समाज की स्त्रियाँ करती है। ये महिलाएँ गोदना गोदते समय गीत गाती हैं। ऐसा वह शायद गोदना गुदने के समय उत्पन्न असहनीय दर्द को सहने की शक्ति के लिए करती हैं। इस तरह देखा जाए तो गोदना गीत का कितना सामाजिक महत्व है जो गोदना गुदने के समय होने वाले दर्द को भी दूर कर देता है। गोदना गीत इस प्रकार गाये जाते हैं-

‘तिल्ली के तेलमा पौयों ठेठरिया
बाधी गठरिया चढ़ी जाबे
चढ़ी जाबे लाला कोसुम घटिया।
चढ़ी जावे रे ॥’

माँ-पुत्री स्नेह लोकगीत - गोड़ समाज के पारिवारिक संबंधों के बीच मधुर एवं कटु दोनों ही प्रकार के संबंध देखे जा सकते हैं। माता एवं पुत्री के प्रेमपूर्ण रिश्ते लोकगीत में महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। गोड़ माताओं का स्नेह पुत्र की तुलना में पुत्री से ज्यादा होता है। पुत्री की शादी के बाद बिदाई के अवसर पर माता का हृदय द्रवित हो उठता है -

‘आज मोरी दुलरी ससुराल चली री।
मैके की सुध बुध बिसार चली री॥
नैन कजरवा मिला हुई गै।
अंसुवन से ढरकाय चली री॥’

गोड़ माताएँ ससुराल में पुत्री का कष्ट होने पर परेशान एवं दुःखी हो उठती हैं। वे सदैव उसकी खुशी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तभी तो बिदाई के समय वे गा उठती हैं-

‘मैके ला छोड़ अब ससुरे बसेरा।
मैके से नाता छोड़ चली री॥
हम सबकी ये मानसा गुँझया।’

माता एवं पुत्री के समान ही गोड़ भाई एवं बहन के विशुद्ध, निश्छल, सात्विक प्रेम का वर्णन लोकगीत में उपलब्ध होता है। बहन की ससुराल में भाई के जाने पर बहन हृदय से आवभगत करती है। वह भाई को विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ भोजन कराती है। अनेक लोकगीतों में बहन की प्रसन्नता और भ्रातृ स्नेह की सच्ची झाँकी उपलब्ध है।

प्रेम लोकगीत - गोड़ जनजाति के युवक-युवती को प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक लोकगीतों में देखने को मिलती है। किशोरावस्था के बाद तरुणाई की प्रथम रेखा फूटते ही गोड़ जनजाति के युवक लड़कियों पर नजर गड़ाना शुरू कर देते हैं। वह तिल के तेल से अंगों में कान्ति ले आने वाली गोड़ युवती से मिलने को आतुर हो उठता है -

‘तिल्ली के तेल लगाय ले अंग मां
मोला संगी बना के सेवाय ले संग मां॥’

इसी प्रकार जब युवक को युवती अपनी प्रीति देने को तैयार नहीं होती है तो उसके प्रीति पाने के लिए युवक देवताओं को नारियल चढ़ाने की मनौती करता है -

‘परबत पहार निकट हरियरा।
नहि बोले करेली बड़ों नरियरा॥’

आभूषण प्रियता लोकगीत - आभूषण प्रियता नारी का स्वभाव है। गोड़

स्त्रियाँ भी इस से मुक्त नहीं हैं। आभूषण प्रिय पत्नी अपने पति से हर्ष बेंचकर हाथ का कंगन और बैल बेंचकर करधनी ला देने की प्रार्थना करती है -

‘हर्षा बिकन हर्इया लइदे।

दोनो बैला बिकन के करधनियाँ लइदे॥’

मद्य निषेध गीत - जनजातीय समाज में शराब स्वीकृत पेय है, परंतु शराब की अधिकता शरीर और धन का विनाश भी करती है। इस लोकगीत में शराब के दुष्प्रभावों से बचने का आह्वान किया गया है -

‘मान ले तैं कहना बोली धर ले ध्यान गा

या दारू के नशा बरबाद रे

छोड़ा लैका ज्वान भैया पड़त हों मैं पांव गा

या दारू के नशा बरबाद रे

रमकत है तेमे तन ला तोर चुरही गा

पीके चूर हय गै नशा मोर

जोश ला बढ़वावत है तोर पोल ला खुलवावत है

नशा मा बिगड़ जावे रे

मान ले तैं कहना बोली धर के ध्यान गा

नई है चिन्हारी तोर बेटी महतारी गा

नई है चिन्हारी घर दुवारी रे

नशा में चूर हो गए घर ले-तय दूर हो गये

दूसर हो गए घर रखवारी रे,

मारे लेते कहना बोली धरले ध्यान गा

या दारू के नशा बरबाद गा

पानी जैइसे बहाव जावे, लकड़ी जैइसे तन जल जाही रे

लाहनी फेंकथें जैसे तन फिक जाही गा

या दारू के नशा बरबाद रे॥’

हे भाई मेरी कही बातों को मान लो। यह शराब का नशा आदमी को बरबाद कर देता है। लड़कों और जवान भाईयों में आपके पैर पड़ता हूँ। आप शराब पीना बंद कर दो। शराब पीने से शरीर का खून जल जाता है। शराब पीने से आदमी नशे में हो जाता है, जिससे उसकी इज्जत चली जाती है। तुम नशा करके बिगड़ जाओगे। हे भाई! तुम मेरी बात मान लो शराब पीने के बाद आदमी अपने घर द्वार को भूल जाता है। नशे में मदहोश आदमी अपने घर से दूर हो जाता है। उसके घर की रखवाली दूसरे लोग करने लगते हैं। इसलिए हे भाई! तुम मेरा कहना मान लो। शराब मत पियो शराब पीने से तुम इतने दुर्बल हो जाओगे जिससे तुम्हारा शरीर पानी जैसे बहने लगेगा। तुम्हारा शरीर लकड़ी के समान जल जायेगा। जिस प्रकार शराब बनाने के बाद उसका लाहन फेंका जाता है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा। वह शराब का नशा तुमको बरबाद कर देगा।

गोड़ जनजाति के सामाजिक लोकगीत हमारी स्मृतियों को ताजा कर देते हैं। इन लोकगीतों में गोड़ जनजाति के समाज की समस्त भावनाएँ विद्यमान हैं। लोकगीतों के माध्यम से हम गोड़ लोगों के जीवन शैली को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन, - डॉ० शकुन्तला वर्मा
2. गोड़ जनजाति गीत - रूपसिंह कुशराम
3. सामयिक सन्दर्भों में गोड़ी संस्कृति का इतिहास - सं. डॉ. लीला भलावी
4. गोड़ जनजाति के जीवन के विविध आयाम - डॉ० मुकेश कुमार तिवारी
5. सम्पदा, (पात्रिका)

रागात्मकता की उर्वर भूमि में पल्लवित नवगीत- 'कस्तूरी यादें'

डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, डी. लिट्*

प्रस्तावना - 'कस्तूरी यादें' गीत कवि नारायण लाल परमार की कविता यात्रा का महत्वपूर्ण और सुखद पड़ाव हैं। जीवन के हर पल के अनुभव को सहेजने वाली 'कस्तूरी यादों' में कुल एक सौ एक गीत संकलित हैं। इन गीतों में राग और आग दोनों हैं, यह उनकी काव्य चेतना का आचाम हैं। गीतकार ने समय और समाज के तमाम संवेदनाओं को, अनुभूति को स्वयं देखा, परखा और भोगा है। इस जीवन राग के अन्तर्गत वहाँ जिजीविषा की उदास लहरें और आम आदमी की जय- पराजय के सत्य को समर्थता से सृजित किया हैं।

'कस्तूरी यादें' रागात्मकता की उर्वर भूमि में पल्लवित नवगीत है। युवा मानसिकता में अनुरागात्मकता का भाव उमड़ पड़ता है और प्रेम तथा श्रृंगार जीवन की प्रेरणा और उमंग बन जाता है। उन्हीं अनुकूल और सुगंधित स्मृतियों का गुलदस्ता है 'कस्तूरी यादें'। जाहिर हैं कि भावों की दुनिया में सबसे अधिक सुगंधि अनुराग में होती हैं। 'यादें' भविष्य का बोध नहीं है, अपितु अतीत के संवेदनात्मक युवापन को उसकी अनुरागात्मकता के साथ रूपायित करता है। ऐसा कोई कवि नहीं हैं, जिसने प्रेम और श्रृंगार पर एक भी कविता न लिखी हो। युवा मानसिकता में प्रेम और श्रृंगार का स्थान एकदम सुरक्षित होता है। प्रेमजन्य स्मृतियों के अनंत सिलसिले नवगीत में उभरते हैं। सहचरी के साथ प्रणय और मिल- जुलकर संघर्ष करने का एक से एक भाव व्यक्त हैं। वह प्रेम का सजीव माध्यम और जीवंत सत्ता हैं-

'बार बार छू लेती तन मन/खुशबूदार तुम्हारी आँखें।
पलकों में आये सपनों को/ भेज दिया करती बाँहों तक।
शायद नहीं चाहती, पहुँचे/ गीत प्यार का अब आहों तक।
नहीं मानती दुनियाँ में / कोई दीवार तुम्हारी आँखें।'

(तुम्हारी आँखें, पृष्ठ- 67)

परमार जी की 'कस्तूरी यादें' में उन दिनों की स्मृतियाँ संग्रहित हैं, जिन दिनों में युवा मन गीतों की तरह तरल होता है। वहाँ वियोग जनित यादों के अतिरिक्त संयोग के भाव- प्रवण दृश्यों में भी स्मृतियों की अनुगूँज मिलती हैं। स्मृतियों की लहर से युवा मन गीत का सृजन करने लगता है। इन गीतों में दर्द, संवेदना और उलाहने का भाव विद्यमान रहता है। परमार की प्रेमाभिव्यक्ति की प्रत्येक अनुभूति विशिष्ट और विरल हैं।

कवि अपनी विवशता व्यक्त करते हुए प्रिया से पूछता है कि 'कैसे आऊँ द्वार तुम्हारे' तो कभी संवेदना व्यक्त करते हुए कहता है कि अगर प्रिया को कोई पीड़ा अनुभव हो रही हो तो वह अपने जुड़े में फूल खींच कर अपनी कुंठाओं का शमन कर ले। कभी वह कहता है कि जिसको मन की माटी सौपी हैं, जिसे गीत के रस से सींचा है, उसको निष्ठुर बनकर उस बगिया से कैसे कोई फूल तोड़ लूँ? नवगीत कविता में व्यक्ति- सापेक्ष

प्रेमजन्य स्मृतियों के भाव विशिष्ट हैं। इन गीतों में युवा पन की सुगंधि हैं। परमार के गीत कोरे गीत नहीं हैं, दर्द को आकारित कर प्रिया को निवेदित पाती भी हैं। यथा-

'यह हवा छूकर तुम्हें यदि पास मेरे लौट आए
बाँघ लूँगा मैं उसे सच गीत की पहली कड़ी में।'

(बाँघ लूँगी, पृष्ठ- 29)

'तुम चाहो तो पाती समझो,
मैंने तो यह गीत लिखा है।'

(मैंने तो यह गीत लिखा है, पृष्ठ- 111)

'जाने क्या किर दिया कलम पर जादू टोना
जो भी लिखता गीत, तुम्हारा हो जाता है।'

(जाने क्या कर दिया, पृष्ठ 37)

'कस्तूरी यादें' का मूल प्रतिपाद्य प्रेम अभिव्यंजना ही हैं। जिसमें वह रुझान भी सम्मिलित है जिसे हम भावुकता भी कह सकते हैं। इस रुझान में अन्तर्मन की अभिव्यक्त हैं। प्रणय का भाव आँसू और मुस्कान दोनों हैं। इस आंतरिक शक्ति को परमार ने इन पंक्तियों में परिभाषित किया है-

'हो अनगिन परिभाषाएँ .पर मैं कहता हूँ,
कुछ आँसू और कुछ मुस्कानों से प्यार बना है।'

(मैं कहता हूँ, पृष्ठ-34)

प्रणय के इस पथ पर आँसू और मुस्कान, एक दूसरे से जुड़कर अहैतुक स्थिति प्राप्त करते हैं, तभी प्रेम को परिपूर्णता प्राप्त होती है। यह प्रेम की उच्चतम दशा है। 'कस्तूरी यादें' का कवि इसी स्थिति में रमा हुआ है और वर्षों बाद अपनी स्मृतियों को गीतों में उतारने के लिए प्रयत्नशील हैं। परमार ने जीवन के मधुर क्षण को 'खुजराहों की प्रणय- पत्रिका वाली मूरत में सृजन शील कलाकार की भाँति सुघड़ कस्तूरी यादों में गढ़ा है। इसमें समय और उससे जुड़े सन्दर्भों का मृग तो चौकड़ी भरते हुए चला गया किन्तु हर दिशा में कस्तूरी गंध- लहर छोड़ गया है। इस स्मृतिजन्य गंध का ओर छोर नहीं है। इस गंधमयी गीतों में स्मृतिजन्य भाव लहरों के तरंगित होने से वहाँ एक आंतरिक संगीत का अनुभव होने लगता है और सम्बद्धित यादें अपनी सम्पूर्णता में पुनः जीवंत होकर मनमोहिनी सिद्ध होती हैं-

'एक किरण यदि दिन भर नाचे, तो दुनिया में रात रहेगी।

श्रम से अगरन ब्याहेंगे तो काँरी ही हर बात रहेगी।

एक फूल से मधुक्रतु का क्या कभी अपरिमित रूप सवँरता?

साँसों के मेले से बिछुड़ी सदा जिन्दगी मात रहेगी।

एक अकेला स्वर रिरियाए, कौन कहेगा उसे बाँसुरी।

गली गली गीतों के नाचें मोर तभी तो खुशहाली हैं।

(तभी तो दीवाली है, पृष्ठ-47)

नवगीत राग प्रधान विधा हैं जो मानव सम्बन्धों को संयोजित करने का सूत्र है और प्रेम ही इन सबंधों को स्थायित्व व प्रगाढ़ बनाता है। प्रेम भाव प्राणवान शब्दों के झुरमुट में समाई इन यादों के सन्दर्भ में उभय पक्षीय हैं। कभी इन यादों के आकाश से प्रेममयी सुधा बरसा कर मन को हरा भरा कर देती हैं और कभी एक गहरा दर्द भी उड़ेल देती हैं। वह जीवन- ज्वार इसलिए झेले थे कि तुम्हारे प्यार के गीत का सृजन करूँ। आज वह दिन आ गया है और आँसू, अब मुस्कान बनकर जीवन को हर्षित कर गया है। ये खुशियाँ और यह दर्द व्यक्तिगत ही हैं किन्तु कभी- कभी मानव मन अनुभवों का केन्द्र बनकर सामान्यीकृत भी कर जाते हैं। परमार ने अनुराग- राग के व्यक्तिगत अनुभूतियों को सर्वसामान्य का अनुभव बना कर रचनात्मक कुशलता का परिचय दिया है और सृजन कर्म की विशिष्टता का निर्वहन किया है। इसके बावजूद भी 'कस्तूरी यादों' में पीड़ा के सन्दर्भ कम हैं, खुशियों के अधिक। सौन्दर्य दीपशिखा से जन्में प्रेम ने सौभाग्य को आकार देना आरंभ किया, वियोग की अग्नि ने उसे तपाया और यादों ने कुंदन सी जिंदगी को महकाया है। तभी यादों की कस्तूरी महक सम्पूर्ण संकलन में समग्र रूप से उपलब्ध होती हैं। कवि ने प्रेम की उन्नम और अभिसार की स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है-

'सौ सौ दुःख विस्मृत होते हैं
एक प्यार की राह में।
जैसे थका कारवां जीवन
पाता ठंडी छाँह में।'

(यही सोचकर, पृष्ठ- 96)

'अपने को बिन जाने परखे जिया, ढेर सी उमर गुजारी.
पहिली बार तुम्हें देखा तो जाना दरपन क्या होता है?
सोच रहा था जिसे अजन्मा, वह सौन्दर्य तुम्हीं में प्रकटा,
सीखा मेरी इस मिट्टी ने पूजन- वंदन क्या होता है?'

(दर्पण क्या होता है, पृष्ठ 16)

इस क्रम में किसी सौन्दर्य पर मोहित कवि को आभास नहीं होता कि कब भोर हुई और कब सूर्यास्त, कब बादल उमड़े और कब बरसकर नहला गई, कब पतझड़ हुई, कब वासंती बहार बिखरी। फिर भी इतना अनुभव अवश्य हुआ कि मौसम बदल गई है। इसलिए आँगन में चिड़िया चहक रही हैं ओर प्यार की अवरिल धारा गीतों में बह रही है।

'प्राणों से मिल रहे प्राण हैं
यह निश्चल शुभ योग
पिघल रहे स्पन्दन सारे
नदी- नाव संजोग।'

(मौसम, पृष्ठ- 91)

'आज सुबह जाने क्यों बार- बार मन हुआ,
भाग रही नदिया के पानी पर प्यार लिखूँ।
आसमान की आँखें मुझको उकसा रहीं
कोयल के लिए मधुर गीत बार- बार लिखूँ।'

(प्यार लिखूँ, पृष्ठ- 65)

इस मधुर मिलन के कारण प्रेमी को हर ओर आनंद, मादकता और सुगंधि फैलती हुई सी महसूस कर देती है। मदमाते मधुवन में इस गंध का न कोई ओर था न छोरा परिणामतः कुदरत का हर कोना जादुई लगता है और सोना भी माटी हैं तथा माटी- सोना लगता है। प्रणय के इस इन्द्रधनुषीय

आकाश में जीवन के अनुभव और विश्वासों के नक्षत्र दैदीप्यमान है। ऐसा लग रहा है मानों बादल की बाहों से कोई बिजली एकाएक फिसली और अनंत रोशनी के रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हो। पूनम की चाँद सी अद्भूत सौन्दर्यवती प्रिया कवि के अज्ञात संवेदनाओं का आधार बन गई है इसलिए डालों पर हरे पात रह- रह कर डोल रहे हैं और प्रिया कानों में आहिस्ता- आहिस्ता मधुरस घोलने लगी है। प्रिय के अंग- अंग से गीत झर रहे हैं-

'अब तक तुमने बहुत दिया है मेरे इस रीते जीवन को।
धन्य किया है तुमने मेरी आँखों के धुंधले दर्पण को।
नजरो से छू- छू लेने का मृदु स्वभाव क्या भूल सकूँगा ?
कूक- कूक कर रिझा लिया तुमने मेरे गीतों के वर्णों को।'

(मन में ऐसी चाह नहीं है पृष्ठ- 20)

'अंग अंग से बेहिसाब कविताएँ झरती हैं।
होड़ किस तरह करे चाँदनी तुमसे डरती हैं।'

(चुगली करती है, पृष्ठ- 63)

प्रेम के विषय में इतना व्यापक एवं सुलझा हुआ आदेशपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करके कवि ने जहाँ अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया है, वहाँ वह जीवन का नया दृष्टिकोण भी उपस्थित करता है। कवि ने जगत में सुख- दुःख बहुत देखा है, अनुभव भी किया है। मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए कवि सुख- दुःख दोनों को साथ- साथ उपयोगी देखता है और अभिव्यक्त करता है कि पाँव यदि विश्वास की ऊँगली पकड़कर चलते रहेंगे तो जिन्दगी का कठिन सफर कट ही जाएगा तथा मुस्कुराहट की कली खिलती रहे तो शर्म से कुहासा दर्द गलकर छूट ही जाएगा। इसलिए जीवन के सुख- दुःख बाँटने का संकल्प लेकर वह उससे बोल ही देता है-

'कभी कभी जीवन में होता मूल्य बहुत है बँट जाने का,
बादल बनकर सुख बरसना फिर धीरे से छूट जाने का,
आँसू भरी तुम्हारी आँखे. सना हुआ हार्थों में आटा
बिना किसी समझौते के ही मैंने दर्द तुम्हारा बाँटा।'

(उस दिन से ही, पृष्ठ- 99)

प्रिया का साथ पाकर मरु से मंदिर हो जाने का अनुभव सहेजता हुआ प्रेमी इस विश्वास को जीने लगता है कि जीवन की नैया डूबेगा नहीं। प्रिय उसके लिए सर्वस्व है। जहाँ वह स्वयं को सम्पन्न पाता है। प्रिया और प्रेमी को सिर्फ एकात्मक चाह है, इसके अतिरिक्त उनके मन में न और कुछ चाह है. न किसी की परवाह है। इसलिए परमार के गीत सम्पन्नता तथा सार्थकता के साथ अभिव्यक्त होते हैं-

'यदि बना सकेगा, तुमको मेरा गीत बावरा,
समझूँगा मैं उस दिन जो कुछ गाता हूँ वह व्यर्थ नहीं है।'

(गाता हूँ वह व्यर्थ नहीं है)

प्यार एक ऐसी धारा है, जिसमें कहीं विराम नहीं है और अतल- अगम है। इसलिए कवि के मन में नया यगीत गोविंद लिखने की चाह जागृत हो गई है। मेघफूल सी प्रिया का सौन्दर्य देखकर आँखे धन्य हो गई हैं। प्रणय निश्चल वृंदावन उत्साह और उत्सव के वातावरण में रम गया है और उन्मादों के हर बाग में बसंत उत्सव की महक उठ रही है, जहाँ शर्म की कलियाँ चटक कर टूटती जा रही हैं। सर्वत्र ही अद्धितीय सा अनुभव करते हुए जीवन में समुपस्थित मोहक- मादक परिवर्तन को लक्ष्य कर कवि कह उठता है-

'धूप पराई सी लगती है, सहसा अपने घर आँगन में,
सबको एक समान नशा है, एक गीत सबकी धड़कन में;

पकड़ नहीं पाती है पागल, ढीठ हुई जाती पुरवाईया
महक झूमती गाकर गरबा, मिट्टी के मोहक कण कण में;
अबुझ कामनाओं ने मिलकर जीत लिया जादू से रण है।'

(मन का दर्पण पृष्ठ- 43)

मन के दर्पण का इस तरह दमकना अद्भूत सुखद स्थितियों की रचना का ही प्रतिबिम्बन है। इस प्रतिबिम्बन में प्रकृति के अनेक भावनापूर्ण चित्र भी अनायास गुंफित हो गए हैं। प्रणय भावनाओं का अंकन दृश्य प्रकृति के मनोहरी उपादानों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। प्रकृति का मानवीय जीवन के सरोकारों से गहरी संबद्धता है। नारायण लाल परमार के नवगीतों की प्रमुख विशेषता- उनका प्रकृति और जीवन से तादात्म्य है। उन्होंने प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग भी किए हैं और उसके माध्यम से जीवन का यथार्थ उपस्थित किया है। इसलिए इस चित्रण के अन्तर्गत एक से एक अनूठी कल्पनाएँ, अनुपम उपमाएँ और जीवंत बिम्ब प्रस्तुत हुए हैं। कहीं गंध से लदकर होकर किलकती हुई बच्चों सी हर खामोशी को ऐसे तोड़ती है, मानों कहीं कुछ खो जाने से उन्मत्त हो गई हो। कहीं पूनम की रात में दूधिया चाँदनी हिरनी की तरह कुल्लूँचे भर रही हैं और खिड़की से झाँककर सबको चिढ़ाने में मगन है। तो कहीं उथली सी तलैया गहरी नजर आने लगी है और गाँव की साँझ सर्वत्र स्नेह बिखेर कर अद्भूत सौन्दर्य सृष्टि कर रही हैं। कहीं आँगन भर बूँद बूँद बावरी हो नाच रही है तो डबड़ों में धूम धाम से मस्ताएँ दादुर दल इतराकर- इतराकर अधरों पर वर्षा गीत गा रहे हैं। कभी धरती से अम्बर तक सुध बुध खोकर पके हुए महुए सी हर ओर महकने लगती है। डॉ० परम लाल गुप्त ने लिखा है- परमार का यह प्रकृति चित्रण छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्य दृष्टियों से भिन्न उनकी ईमानदार अभिव्यक्ति का ऐसा विशिष्ट उदाहरण है, जो हमें हृदय युग जीवन के सोच के निकट खड़ा कर देता है। कवि ने जीवन और प्रकृति के बीच तादात्म्य स्थापित करते हुए लिखा है-

'गंध भरी दूधिया पूनम की रात है,
डालों पर हरे पात रह रह कर डोलते,
कानों में आहिस्ता मधुरस सा घोलते,
कंगन सी खनक रही पूनम की रात है'

(पूनम की रात, पृष्ठ-55)

'हेम कलश की ज्योति चुराकर फैली धूप कछार में
चलती बसंती हवा, उगमती मुक्त प्रणय संभार में'

(वसन्तागमन पृष्ठ- 77)

यह हवा किसी निकट रिश्तेदार सी सबसे सुख संदर्भों का ध्यान रखती हुई प्रत्येक के जीवन को त्योंहारों से संपन्न कर रही है। कवि आग्रह करता है कि प्रेम के मदमाते मौसम में इसे भी अपने मन की करने दो, क्योंकि इस आंदोलन में पेड़, नदी, द्वीप, आकाश सभी मगन हैं-

'तुम्हें चूमकर, मुझ तक पहुँची रिश्तेदार हवा लगती है।
कहती थी तुम लिखो गीत कोई मत गाएँ मैं गाऊँगी,
हर मन के आँगन से लेकर दूर क्षितिज तक मैं जाऊँगी,
कह दो कैसे करूँ अनादर जब त्योंहार हवा लगती हैं।'

(रिश्तेदार हवा लगती है पृष्ठ- 80)

कस्तूरी यार्दे में परमार ने वर्षा ऋतु के अनेक चित्रों को प्रकृति के कैनवास पर व्यापक रूप से उतारा है। जहाँ तक वर्षा का संबंध है, वह धरती को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। जीवन यदु ने वर्षा ऋतु के संदर्भ में लिखा है- 'परमार के इस संग्रह में वर्षा ऋतु के अनेक चित्र हैं। इन चित्रों में कहीं मिलन का उत्साह है तो कहीं बिछोह की पीड़ा। वह शृंगार का उद्दीपन भी प्रस्तुत

करती है और स्मृतियों का लंबा सिलसिला भी।' प्रेमीजन पर तो वर्षा का और भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी वर्षा का स्वागत करते हुए कवि कह देता है कि सावन का यह महिना बहुत लाडला है। सावन के आगमन को रेखांकित करते हुए कवि कहता है कि नाच- नाच कर आँगन छंद बनी है, खेत हरियाली की चादर ओढ़कर मुस्कुरा रही है, कजली के सौँधी गान से सावन महक उठा है। बूँद- बूँद बावरी हो गई है। हरियाली नैहर लौट आई है। मयूरों की पाँते बूँदों की बारात में शामिल होकर नाच रही हैं। बिजलियाँ बादलों से शृंगार सामग्री लाने का अनुरोध कर रही हैं। नेह नदी में डूब- डूबकर प्रफुल्लित बहनें अपने भाइयों को रेशम की डोरी बांध रही हैं। सावन के इस सुहावने पर्व से प्रफुल्लित होकर प्रकृति वैसे ही महक रही है जैसे कोई नन्हा शिशु माँ की आँचल में किलकारी भरते हुए चहकता है। लगता है मानों घर में खुशियों का मनभावन मौसम आया हुआ है। हर ओर मधुर स्वरो के गुंजार के बीच दिन फूलों की तरह और रात कलियों सी दिखाई देती है। यहाँ तक कि अपने श्रम का परिहार करने सूरज भी लुप्त होकर कहीं सुस्ता रहा है।

'सूरज है छुट्टी पर आज एक अरसे से
मंदिर का पीतल हत बिजली के फरसे से।
लहरों की चढ़ती से नदिया गुरूआनी है
बादल की बेटी यह बरखा बौरानी है।'

(बरखा गीत-पृ. 52)

अक्षर अक्षर रस बन जाए, कोयल की धड़कन का
ऐसा ही सुघड़ सलोना, पर्व सुहावन आया।

(परदेशी सावन आया, पृ. 105)

इन मादक क्षणों में कवि अपनी प्रिया से अनुरोध करता है कि चलो आमने- सामने बैठ जाएँ और बातों- बातों में हम बरसात को जिएँ, दिन की पहली फुहार में हम बहुत भीगे हैं, इसलिए सलोनी सुखद रात में रूप- रस का पान करते हुए कहीं खो जाए। वह प्रकृति के मौन संकेतों को समझने का आग्रह करते हुए कहता है कि फूलों की पंखुड़ियों पर लिखे हुए गीत जो कुछ संदेशा दे, वह उन्हें सुनकर समझे भी। कवि ने लिखा भी है-

'कितना मीठा है एकांत यह आज का
इन क्षणों में सदा जगाता प्यार हैं।
नैन थकते नहीं रूप- रस पान से
मौन गीतों की धमती न बौछार है।
किसलिए मन की बात अब मन रहें
क्यों न मिलकर इसी बात को हम जिएँ।'

(बरसात को जिएँ, पृष्ठ- 58)

प्रकृति और प्रणय भाव में एकात्म स्थापित करते हुए डॉ० भागीरथ बड़ोले ने लिखा है- 'इस प्रकार प्रेमोदय और प्रेम- पल्लवन के सन्दर्भ के प्रकृति का स्वरूप मानव- मन से एकसार होकर अपनी सार्थकता को उजागर करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। अनेक स्थलों पर स्वतंत्र सत्ता होने के पश्चात् भी मानवीय भावनाओं के साथ प्रकृति की प्रगाढ़ संगति कवि की रूचि की द्योतक है।'

जीवन एक ऐसी यात्रा है। जिसके लक्ष्य की अंतिम परिणति क्या होगी, यह कोई नहीं जानता। जीवन में प्रणय और वेदना दोनों मिलते हैं। सुख की मधुर स्मृतियाँ क्षण में निर्मम होने लगे, सुन्दर स्वप्न नष्ट होने लगे, पीड़ा का समुन्दर लहराने लगे, राते उदासी से घिर गई और किसी गहरे अंधेरे के बीच उल्लास पूर्ण जीवन की गंध गुम होने लगी है इसलिए रोशनी में अंधेरे से कम वजन है और प्रिया ने अब अपनी नयन में अमावस आँज ली है। अपनी

वियोग जनित स्थिति को परमार ने इस प्रकार चित्रित किया है—

‘ठंडी साँसों के घेरे में कल सपने बेबस कैद रहे,
मैं तुम्हें संदेशा भेजूँ ऐसी हवा एक क्षण नहीं चली।
खत ही लिख देता जिस पर मैं, वह खुशबू जनम न ले पाई,
था देखा रहा मैं अपनी ही आँखों लुटती निज मनस्थली।

(बरसार हुई होगी, पृष्ठ- 14)

परमार के इन नवगीतों में अनुभूति और संवेदना की भूमि उर्वर है यद्यपि ‘कस्तूरी यादें प्रेम अभिव्यंजना का ही मूल प्रतिपाद्य है। किन्तु कवि ने काल सत्यों का गांभीर्य विवेचन किया है। इस संदर्भ में जीवन यदु ने भावाभिव्यक्त करते हुए लिखा है— ‘पूरे संग्रह में कुछ गीतों को छोड़कर, प्रणय राग की ही अनुगूँज हैं, किन्तु उस अनुगूँजन के बीच श्री नारायण लाल परमार अपनी मूल रचना प्रकृति के साथ उपस्थित दिखाई देते हैं। वहाँ आशा और विश्वास, एकता और श्रम जैसे प्रौढ़- भाव शब्दों के लिबास में दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन स्थानों पर अनुराग- राग के बाद भी परमार जी अपनी वैयक्तिकता के खोल से बाहर आकर सामाजिक की विस्तृत जमीन पर कदम रखते हैं, वहाँ उनका परमारत्व स्पष्ट हो जाता है और वही उनका वास्तविक रंग है। परमार जी ने काल सत्यों का परीक्षण बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। उनके लिए एक काल सत्य वह है, जिसमें वे अनुराग धार के प्रति गहरी संपृक्तता व्यक्त करते हैं।’ परमार ने इन पंक्तियों में अंकित करते हुए लिखा है—

‘जिसने मेरे नन्हें सपनों की आँखों में काजल आँजा,
झूबा ही रहने दो मुझको, उस सौरभ के अतल गहन में।’

(कस्तूरी यादों के वन में, पृष्ठ- 19)

आँखें प्रिया की एक झलक पाने को तरस रही हैं। वियोग के कारण जीवन की स्थिति पतझड़ सी हो गई है, छांह ने मुख मोड़ लिया, आँसुओं में सूरज डूबता जा रहा है, आँधियाँ नाच रही हैं और काँटे हर आशा और दिलासा को लहलुहान कर रहे हैं। चाँदनी के गीतों का स्थान अमावस ने ले लिया है, जिन उम्मीदों से प्यारा- नाता जोड़ा वह अब टूट गई है। स्थिति तेल- बाती विहीन दीपक जैसे हो गया है। अब्ज परीक्षा के इस काल सत्य में जीवन की गहरी निराशा को कवि ने व्यक्त किया है—

‘सपन की ओ तितलियों, जाओं न छोड़ो,
जो बनी सेवा तुम्हारी हो चुकी हैं।
अब सितारों से कभी क्या बात होगी?
नींद यह बेवा हमारी हो चुकी हैं।’

(क्यों लगाऊँ तिलक, पृष्ठ- 93)

यह काल- सत्य नितांत वैयक्तिक है किन्तु दूसरी ओर कवि जग के उस काल सत्य को दार्शनिक भूमि पर भी देखते हैं, जो परिवर्तन का कर्ता है—

‘यह समय शिल्पी सहज मन नित्य नूतन गढ़ रहा है
हर विवशता की शिला का मन, मुखर हो पढ़ रहा है
बाँधकर अपनी भुजाओं में सघन, निर्जन, गहन को,
अनदिखी पगडंडियों पर सर्वदा जो बढ़ रहा है।’

परमार ने रचना धर्मिता का दायित्व निर्वहन सफलता पूर्वक किया है। वे जीवन में चुनौतियाँ स्वीकारते हैं। ‘कस्तूरी यादें’ जीवन पथ की पाथेय हैं। इन यादों के बूते वह अपनी प्रिया को पाने के लिए मन में आशा की ज्योति जलाये रखते हैं कवि हर परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयासरत् रहते हैं। वे कहते हैं कि यदि रूठी चाँदनी मान जाये तो अच्छा हो। यदि कोई पीड़ाओं

के प्याले पीकर जीवन जीता है तो उस युगद्रष्टा की जय सुनिश्चित होती है अतः वह स्मृतियों के सहारे विश्वास के तिनकों को सहेजने का प्रयत्न करते हुए आशा करता है कि गई लहर के लौट आने से साधों की गोद भर जायेगी और विश्वासों का कदम्ब निश्चित ही विकसने लगेगा। कवि को धीरे- धीरे यह अहसास होने लगा कि चंदन सी ये यादें ही प्यार के मधुवन को हरा भरा बनाये हुए हैं, जिसकी अनोखी महक हवा में झूमने लगी है। साँस- साँस चंदन सी महक रही हैं और खेतों में हरियाली खिलखिलाने लगी हैं। हर बिछड़ते अश्रु को प्यार करना जरूरी है। जब आँसू मुस्कान बनकर महकेगी तब प्रणय गीत गाने लगेगी। अस्तु, मिलन क्षणों की गंध गमक फैलाने वाली इन यादों से ताकत पाकर ही कवि निर्भीकता से विपरीत स्थितियों को चुनौती देते हुए कहने लगा—

‘दुपहर चाहे बड़े बाप की बेटी होगी, तो होने दो,
ठौर न उसके लिए किसी कस्तूरी यादों के वन में।

(कस्तूरी यादों के वन में, पृष्ठ- 19)

परमार हर विपरीत परिस्थितियों का सामना आस्था, विश्वास और प्रेम के साथ करने में सक्षम हैं। मंजिल तक जाना है तो पाँवों में बिजली भरनी होगी। वहाँ काँटे नहीं, विश्वास का साम्राज्य है। मंजिल की दूरी का प्रश्न अर्थहीन है यदि मनुष्य के मन में मंजिल को पा लेने का विश्वास हो तो, कठिन रास्ते भी पार किये जा सकते हैं। वहाँ न तो धूप से घबराना है, न छाँह में भरमाना है। मंदिर तभी पूर्ण कहलाता है जब उस पर कलश चढ़ता है। उसी प्रकार यह जीवन तभी कुन्दन बनता जब वह संघर्ष की अग्नि में तपता है। आँसू बहाना छोड़कर अपने प्रयत्नों को आकार देना आवश्यक है क्योंकि अपरिचित कंठ- गान से, पराये फूल पान से कभी भी स्वतंत्रता की देवी का नूतन श्रृंगार नहीं होता है, प्रत्युत प्रयत्नों से ही सफलता संभव है। इस नये परिवर्तन के कारण चाहे जीवन के पत्थर को ठोस रूपकाकार न मिल सका हो, पर कवि ‘कस्तूरी यादों’ के सहारे ही धुँए की जंगल में खाई को पाटा है और इसलिए जहर प्याला पीकर सुकरात हुए हैं, टूटन के क्षण में टूटा नहीं है। वे तमाम विपरीत स्थितियों के बीच अनुकूलता की सृष्टि करने में सफल हो ही गया। विश्वास का यही स्वर परमार जी का मूल स्वर है। वे कहते हैं—

‘बहुतों ने चाहा- मुझसे ही मेरे गीतों की अन बन हो,
आज देखता हूँ वे योद्धा, मुँह की खाकर, मात हुए हैं।’

(जिसने जलकर रात बिताई, पृष्ठ- 12)

‘पाँव यदि विश्वास की ऊँगली पकड़ चलते रहेंगे,
जिन्दगी का यह सफर चाहे कठिन, कट जायेगा ही।’

(पाँव यदि पृष्ठ- 44)

आस्था और विश्वास की चेतना से विश्व में परिवर्तन लाने वाली समय की शक्तियाँ टकराती हैं और निरंतरता ही उनके कर्मों का सत्य बन जाती हैं। वे कहते हैं कि यदि काँटों को सौपे फूलों की गरिमा आन- बान- शान से; तो ऐसा बेटा पाकर प्रमुदित मानवता निश्चित ही खिल उठेगी। यथा—

‘मंजिल पास नहीं आएगी, छाया में चिंतन करने से,
बढ़ते रहे निरंतर पग यदि, राह कठिनतर तय होती है।’

(राह कठिनतर तय होती है, पृष्ठ- 15)

आत्मबल के सहारे सृजन करने की क्षमता कवि के अन्तर्मन में विद्यमान है वे प्रेम के एक फूल के बूते जीवन में कस्तूरी गंध बिखेरने में सफल हैं। यहीं प्रबोध औरों को भी देता है, इसलिए उसने रास्ते के पत्थरों को पूजा और ज्योति को सब कुछ अर्पित कर दिया जिस प्रकार छत के जल में गहराई कभी नहीं होती है। उसी प्रकार शंकाओं के कोहरा में सूरज कभी नहीं छिपता

है। वह नित चमकता रहता है। निश्चल प्रेम की भाँति। कवि को ज्ञात है कि अंधेरे को तोड़ने के लिए अनेक दीपक चाहिए और विपदाओं के समुद्र को पाटने के लिए अनेक हाथ जरूरी है अतः एक-दूसरे से जुड़ना ही प्रत्येक का जीवन धर्म हो। यथा-

‘चाँद- सितारे फिजूल, मुझको बस चाहिए,
जीवन के गमले में, एक फूल प्यार का,
मेरा संकल्प सिर्फ सुख- दुख में समरसता
भेदभाव मिट जाए जीत और हार का।’

(एक फूल प्यार का, पृष्ठ- 108)

परमार को विश्वास है यदि व्यक्ति संकल्पित हो तो हर विषमताओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। परमार ने एकता और श्रम जैसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त किया है। यदि हम श्रम की साधना नहीं करेंगे तो हर स्थिति बिना विवाह के क़ाँरी कन्या की तरह रहेगी। इसलिए जिन्दगी का आनंद जुड़कर जीने में है। यद्यपि इस तरह के भावों पर आधारित गीत; संग्रह से अलग लगते हैं किन्तु अलग- अलग प्रकार के फूल गुलदस्ते की सुन्दरता को बढ़ा देते हैं। ‘कस्तूरी यादें’ में ऐसे ही गीतों के कारण गीतकार की अलग पहचान दर्ज हुई है-

‘एक हाथ से चाहें भी तो, मिट्टी को गुदगुदी न होगी,
कोटि- कोटि जब हाथ उठेंगे बंधु तभी तो हरियाली है।’

(तभी तो हरियाली है, पृष्ठ- 47)

परमार के गीतों की सबसे अधिक सुन्दरता उन गीतों में है, जहाँ वे आत्मीय धरातल पर लोक संस्पर्शिता, नादात्मक ध्वनियों की प्रकृतिय प्रतीतियाँ, नव्य उपमान योजना का आकर्षक रूपांकन करते हैं। ऐसे में वे गीत- बिम्बों को लोक जीवन से लेते हैं-

‘दीख नहीं पड़ती अब, छत पर बड़िया डाली
हँसने पर चैती को, बरज रही हैं माई
कम्मों को बार- बार, आती है उबकाई
बिरझू से छुटी हैं, आमों की खवाली।’

(नैहर अब लौटी है, पृष्ठ- 53)

‘आम हुए परदेशी, जामुन की पहुनाई
बेले बरबट्टी की, छज्जे तक चढ़ आई।
कुम्हड़े के फूलों पर, सोने का पानी है।’

(बरखा गीत- पृष्ठ- 52)

परमार की भाषा मौलिक है। बनावटी और नकल की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए उनकी कविता भाषा के अनुकरण का वह भ्रम जाल उगाने से बच जाती है, जो संप्रेषण की समस्या उत्पन्न करे। उनकी भाषा में सहजता,

स्वाभाविकता है। जीवंत जीवनानुभूति सौन्दर्यानुभूति के प्रकटीकरण में सफल हैं, सिद्ध है। भाषा के रचनात्मक वैशिष्ट्य के कारण शैल्पिक रचाव में कसाव है, यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से परमार की भाषा जीवंत हो उठी है-

‘दीपित मन भावनी, साँझ सुघर जामुनी
पाहुन बन आई हैं, आशा के गाँव में।’

(गाँव की साँझ, पृष्ठ- 95)

‘अनोखी खुशबू लिए यह
खिल उठा हैं
फूल जैसा मना।’

(फूल जैसा मन, पृष्ठ- 107)

यद्यपि इस संग्रह के गीत नए नहीं हैं किन्तु शिल्प की विशिष्टता से इन्कार नहीं किया जा सकता। शब्द विन्यास में प्रौढ़ता है। परमार ने शब्दों के माध्यम से ऐसे बिम्बों की सर्जना की है, जिसके भावों की गहराई को बिना कुशलता के बाँध पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यथा-

‘आत्म मुग्ध सी लिए आरसी बैठी रहती हो।
जो भी कुछ कहना होता है खुद से कहती हो।’

(चुगली करती है, पृष्ठ-63)

‘कस्तूरी यादें’ भावों की संपदा है, जिसमें अनुभूति की गहराई विद्यमान है। ‘एक ही विषय पर अनेक गीत होने के कारण भावों का पुनरावर्तन अवश्य हुआ है किन्तु परमार जी ने अपनी शब्द पकड़ और अपने शिल्प कौशल से प्रत्येक गीत को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश की है।’

‘कस्तूरी यादें’ भाव भूमि में सृजित कृति हैं। इस कृति में कवि ने जिन भावों का सृजन किया है, उसे ही वे जग को बाँट रहे हैं। जीवन का यह नूतन प्रगतिशील चरण उसकी टूटती हुई जीवनस्थितियों का संबल है। जीवन में सुख- दुःख दोनों है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में सामान्यीकृत होकर अनवरत् संघर्षरत रहने का महती संदेश ‘कस्तूरी यादें’ में दिया है। वस्तुतः परिपूर्ण प्रेम को प्रतिपादित करता हुआ कस्तूरी यादें गीत संकलन भले ही दर्द की बुनियाद पर तैयार किया गया हो, किन्तु वह प्रेम से सराबोर शक्ति और प्रेरणा की जिस ऊर्जा को बिखेरता है, वह मोड़ वरेण्य है। इस संग्रह का मूल भाव ही प्रेम अभिव्यंजना है। परमार ने प्रणय भाव को जिस क्षमता से अकारित किया है, उस प्रयत्नशील दृष्टिकोण से नवगीत विधा में ‘कस्तूरी यादें’ अभिनंदनीय ग्रंथ प्रमाणित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

गोंड जनजाति के प्रचलित राजनैतिक अभिव्यक्ति के लोकगीतों का अध्ययन

डॉ. सरोज बाला श्याम *

प्रस्तावना - यह कहना असंगत नहीं होगा कि गोंड जनजाति राजनीति में अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रही हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भी राजनीति में उसी जोश से सक्रिय हैं। गोंड राजाओं और उनकी सेना ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्य में जी जान लगा दी। गोंड जनता ने भी कार्य में परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया। उनके द्वारा ऐसे लोकगीत रचे गए जो स्वतन्त्रता की चेतना और राजनीतिक चेतना की मार्मिक अभिव्यक्ति कहे जा सकते हैं। आज ये लोकगीत लोक कंठ में निवास करने वाली वाचिक परम्परा की अमूल्य धरोहर हैं। यहाँ कुछ लोकगीतों को हम देखेंगे जिनमें राजनैतिक अभिव्यक्ति की विचारधारा दृष्टिगोचर होती है।

निम्नांकित गीत में भारत देश की कीर्ति का बखान किया गया है। लोकगीत की मूल भावना यह है कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। देश में अमूल्य क्या - क्या है और देश किस ढंग से निरन्तर प्रगति कर रहा है। उसकी अभिव्यक्ति इस लोकगीत में की गई है। गीत के बोल हैं-

‘मोर भारत देश महान तोर दिन-दिन होही बखान,
मोर भारत देश महान तोर दिन-दिन होही बखान,
मोर भारत देश महान तोर दिन-दिन होही बखान,
संगवारी सेवा मा दे दो जान मया बाँधी लेना,
चलो रे भैया चलो रे संगी सेवा में दे दो जान,
भारत माँ के पावन भुँईया, मा बहे रे गंगा, जमुना,
काया ला तारै बर तैहाँ डुबकी लगा ले दोना जिंहा,
करथन गा इसनान, येही भूमि मा सोना-चाँदी
ऐही मा हवै हीरा, येही भुईयां मा नरमदा मैया देखे निर्मल नीरा,
बड़े-बड़े कारखाना खुले बने कचहरी थाना,
जनसंख्या निवारण खातिर होथे आना जाना, सेवा मा बने विधान,
मोर भारत देश महान ऐखर दिन-दिन होही बखान।।’

इसी प्रकार के एक और लोक गीत में भारत देश आप धन्य है। यह धन्यवाद यह दर्शाता है कि किसी प्रकार भारत के लोग खासतौर पर हमारी सेना की वीरता का बखान किया गया है जो सीमा पर खड़ी होकर दुश्मन से हमारी रक्षा कर रही है। स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना जितना जरूरी था उतना ही जरूरी है उसकी निरन्तर रक्षा करना। इसी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति इस लोकगीत में है।

‘धन्य-धन्य मोर भारत माता,
भुईयाँ धन्य ईहाँ के नर-नारी
अइसन बेटा ला जनम दये तैं
भारत मोर महतारी,

तोर दूध पिये हम दाई बने हैं जबर छाती,
सीना तान के खड़े हवन दाई तोर सेवा खातिर
लहर-लहर लहरावत रहथे, तोर मया के फुलवारी,
बैरी दुश्मन आए के खातिर, कोशिश करथे भारी,
सीमा पार में बैठे हवय बड़े-बड़े जोधारी,
जुगुर-जुगुर बरते रहथे, आजादी के चिनगारी।।’

अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई सहस्र संघर्ष की गाथा है। संघर्ष की लड़ाई में गोंड लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। सन् 1857 के अमर शहीद शंकरशाह और रघुनाथ शाह को कौन नहीं जानता? इन वीर सपूतों का एक कविता पर तोप के मुंह में बांधकर उड़ाया गया। यह कविता थी -

‘मूंद मुख डंडिन को चुगलन को चबाई खाई,
खुंद दौंड दुष्टन को शत्रुन संहारिका।
मार अंगरेज, रेज कर देई मात चंडी
बचै नहि बैरी एरी प्रलयकारिका।
सकर की इच्छा कर दास प्रतिपाल कर
दीन की सुन टेर आकैं मात प्रनपालिका
खाय लेई म्लेच्छन को झेल नही करौं अब
मच्छन कर ततच्छन घोर मात कालिका।।’

देश की स्वतन्त्रता के लिए हमारे नेताओं ने जो सहयोग किया उन नेताओं का नाम युगों-युगों तक अमर रहेगा। पराधीन के समय हमारे देश ने बहुत कष्ट सहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं महात्मा गांधी का नाम देश को आजाद कराने में प्रथम रहेगा। इसके अलावा सुभाषचन्द्र बोस, वीर बहादुर, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे जैसे सरदारों का नाम देश के सुनहरे पन्नों में अंकित हो युगों-युगों तक अमर रहेगा।

‘मोर भारत देश के नेताओं भईया
युग-युग ले अमर होगे नाम
पहले रहीन पराधीन तब भारी मुश्किल झेलिन
कतहो रहय वीर जुवान तभु कोनोला नई सूझिस
नेहरू गांधी बापू जी के परथम हवय नाम
सुभाषचन्द्र वीर बहादुर महाराना परताप गा
दुर्गा, लक्ष्मी, तात्या टोपे बड़े-बड़े सरदार गा
हवय बड़े सुरखी पननों पै गीत कहानी नाम गा
राष्ट्रसेवा देश भक्ति अर कतका सुघर बानी
बीर-बीर कह गीत पुकारे फिल्म कविता कहानी
जगै-जगै पै छा गै प्रतिमा अर नाम गा

मोर भारत देश के नेताओं भईया
युग-युग ले अमर होंगे नाम
अक अनेक सुविधा अर कई संस्था नाम गा
कोना-कोना मा दीप जलगै होंगे नाम महान गा
जय भारत जय जिन्दाबाद धीर-वीर बलवान गा
मोर भारत देश के नेताओं भईया
युग-युग ले अमर होंगे नाम।।'

इसी प्रकार के भाव निम्नांकित लोकगीत में देखे जा सकते हैं कि लोग इस बात के लिए अपने वीर स्वाधीनता सेनानी एवं नेताओं का आभार मान रहे हैं, जिनके त्याग और बलिदान से उन्हें स्वराज प्राप्त हुआ है। लोकगीत इस प्रकार है -

'देश के नेताओं वीर बहादुर अपन सत्त लेके आगे रे
हमला राज सौंप के हमार भाग जगागे रे
देश के खातिर बैरी बनके करिन कठिन लड़ाई
अपन सत्ता ला लाये खातिर जेल के रोटी खाईन
वीर बहादुर नाम धरा के अपना नाम उजागर करगे रे
हमला राज सौंप के हमार भाग जगागे रे
दिन-दिन दूना रात चौगना देश खुशहाल होही
चिन्ता रहीस दूर भगगै सुख के बिहान होही
धन्य-धन्य हो बीर बहादुर देश ला गौरव बना गे रे
हमला राज सौंप के हमार भाग जगागे रे
अपने देश अर जन के सेवा हमला ओमन सिखागे रे।।'

निम्नांकित गोंड लोकगीत में भारत देश को सुन्दर एवं विकास के रास्ते पर चलने का भाव व्यक्त करते हैं। आपस में प्रेम, भाई-चारा सुख शंति होगी।

'हम भारत ला सुंदर बनाबोगा।
बनाबो बनाबो बनाबोगा।
खोर गलिन ला चाकर करके, सुंदर सड़क बनाबो।
गांव गांव बिजली पहुंचा के सुंदर शहर बनाबोगा,
हम भारत ला सुंदर बनाबोगा।। हम भारत।।
आस पास के भेद मिटाके, आपस में प्रेम बढ़ाबो।
ऊंच नीच के भेद मिटा के, पूरा में लीके बहाबो।।
सुख शांति की रचना करिके रामराज ला लाबोगा।
हम भारत ला सुंदर बनाबोगा।। हम भारत।।
गांव गांव में खुले मदरसा बच्चो ला खूब पढ़ाबो।।
हम भारत ला सुंदर बनाबोगा।।'

कुल मिलाकर देखा जाए तो गोंड लोगों की राजनैतिक जागरूकता अन्य आदिवासियों से अधिक हैं। इसके मूल में गोंड राजाओं का शासन भी है। आज के परिपेक्ष्य में भी गोंड जनजाति उसी रूप में राजनीति में अभिरूचि रखती है जैसा की पहले रखती थी। इस कार्य में लोकगीतों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरे रूप में कहे तो गोंड जनजाति के राजनीतिक लोकगीत सदा अमर रहेंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होते रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनजातीय लोक गीतों में स्वातंत्र्य चेतना - डॉ. विजय चौरसिया ।
2. आदिवासी लोकगीत - प्रकाशक - गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला ।
3. सामयिक संदर्भों में गोंडी संस्कृति का इतिहास - सं. डॉ. लीला भलावी
4. शोधार्थी के निजी संग्रह से ।
5. श्री राधेश्याम मार्को, ग्राम मुड़की जिला डिण्डौरी से प्राप्त लोकगीत ।
6. सम्पदा (पत्रिका)।

हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान

डॉ. साधना जैन* विनीता प्रजापति**

प्रस्तावना - गाँधीजी ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए जो कुछ कहा उसे सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् के रूप में हिन्दी गद्य साहित्य में साकार रूप प्रदान करने वाला गाँधीजी को जैसी भाषा प्रिय थी, उसी भाषा को लिखने वाला यदि कोई साहित्यकार हुआ है तो वे प्रेमचन्द ही हैं। निसंदेह वे गाँधीवादी विचारधारा के अनन्य उपासक थे। गाँधीजी की भाँति प्रेमचन्द ने भी भारत की जनता को हृदय के नेत्रों से देखा था। गाँधीजी ने भी राजनीति और समाज सुधारों का गठबन्धन कर दलित जातियों के उद्धार मादक द्रव्यों के निषेध, अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों की उन्नति, प्रौढ़ शिक्षा आदि पर बल देते हुए अपना अठारह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रेमचन्द पर उनका भी प्रभाव पड़ा। भारतीय नारी को घर की कारा से निकालने को श्रेय गाँधीजी के आन्दोलनों को ही है। प्रेमचन्द के नारी पात्र भी इसी जागृति के प्रतीक हैं। प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य अपने युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, वह युग का दर्पण है। इसीलिए कहा गया है कि यदि प्रेमचन्द युग के भारत का इतिहास नष्ट भी हो जाए तो भी प्रेमचन्द साहित्य द्वारा उसका पुनर्निर्माण हो सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य विषय-हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान पर केन्द्रित रहेगा। प्रेमचन्द पर काफी कुछ विद्वानों, मान्य समीक्षकों, साहित्यकारों द्वारा लिखा गया है। इस शोध में यही कोशिश रहेगी कि जहां तक संभव हो मूल रचनाओं की प्रतिक्रियाएं जो मुझ पर हुईं उनको अपने ज्ञान व श्रम से इस शोध के रूप में प्रस्तुत कर सकूँ। प्रेमचन्द के हिन्दी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तित्व की परिपूर्णता की ओर ले जाने वाली उनकी विचारधारा को इस शोध का केन्द्रीय भाव बनाया गया है। प्रेमचन्द के साहित्य पर आधारित यह अध्ययन उनकी विचारधारा के विविध आयाम अपने संदर्भ में देखने को एक श्रेष्ठ प्रयास सिद्ध होगा ऐसा शोधार्थी का विश्वास है। प्रेमचन्द के उपन्यास के संबंध में मेरा दृष्टिकोण यह रहा है कि यह रचनाएं कहीं न कहीं हमारा हृदय स्पर्श करती हैं। यह विभिन्न विचारों के मध्य हमारे मन और हृदय को आंदोलित भी करती रही हैं।

इस शोध कार्य में हिन्दी - उपन्यासों के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान शोध को निम्न छः अध्यायों में बाँटकर पूर्ण किया जाएगा।

1. **प्रथम अध्याय** - इस हिन्दी भाषा में उपन्यासों की पृष्ठभूमि परिभाषा स्वरूप, उद्भव एवं विकास में प्रेमचन्द के उद्देश्यों सम भावनाओं का वर्णन है।

2. द्वितीय अध्याय में समकालीन साहित्यिक विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत प्रेमचन्द के उपन्यासों में अभिव्यक्त समकालीन विचारधाराओं का

परिचय दिया जाएगा।

3. तृतीय अध्याय में हिन्दी उपन्यास के विकास क्रम (क) प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यासों (ख) प्रेमचन्द युगीन उपन्यास (ग) प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास का अध्ययन किया जाएगा।

4. अध्याय चतुर्थ में प्रेमचन्द के उपन्यासों में वैचारिक आयाम शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विचारधाराएं, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और दर्शन का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जावेगा।

5. प्रथम अध्याय में प्रेमचन्द के उपन्यासों में तत्कालीन समय, काल, परिस्थिति में वर्णित समाज, संस्कृति स्त्री चिंतन संक्षिप्त विश्लेषण किया जाएगा।

6. **षष्ठम अध्याय** - में उपसंहार हिन्दी - उपन्यासों के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान शीर्षक के अंतर्गत प्रेमचन्द के समग्र रचित उपन्यास साहित्य पर चिंतन करते हुए निष्कर्षात्मक दृष्टि डाली जावेगी।

पूर्व अध्यायों की समीक्षा - प्रेमचन्द को केन्द्र मानकर हिन्दी उपन्यास के विकास को निम्न युगों में विभाजित किया जा सकता है- 1. प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यास 2. प्रेमचन्द के युगीन उपन्यास 3. प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यास-जासूसी, तिलिस्मी ऐर्यासी उपन्यास-

प्रेमचन्द के पूर्व का उपन्यास साहित्य जासूसी, तिलिस्मी, ऐर्यासी और काल्पनिक रोमांस से युक्त होने के कारण मानव के यथार्थ ने बहुत दूर था। ये उपन्यास कौतूहल की सृष्टि कर केवल मनोरंजन के साधन थे। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों के द्वारा युगांतर उपस्थित किया यदि उपन्यास को मानव जीवन का महाकाव्य और मानव चरित्र का चित्रण माना जाए तो प्रेमचन्द के पूर्व का हिन्दी का मौलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। प्रेमचन्द ने पूर्व हिन्दी का उपन्यास इससे दूर था। इस दृष्टि से प्रेमचन्द को ही हिन्दी साहित्य अपनी शैशवारस्था में था और वह विकास की दिशा खोज रहा था। प्रेमचन्द उपन्यास साहित्य में युगान्तर लेकर अवतरित हुए। प्रेमचन्द के परवर्ती उपन्यासकारों ने किसी न किसी रूप में प्रेमचन्द का अनुकरण किया है।

अज हिन्दी उपन्यास साहित्य विकसित होकर पुष्ट हो चुका है। उसमें शैली-शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से नये-नये प्रयोग हुए हैं और असंख्य उपन्यास लिखे गए हैं। परन्तु हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचन्द जैसा युग दृष्टा उपन्यासकार नहीं हुआ है। प्रारंभ से लेकर अब तक हिन्दी उपन्यास जगत में प्रेमचन्द उपन्यास सम्राट का पद पाने के अधिकारी है।

प्रेमचन्द युगीन उपन्यास एवं प्रेमचन्द का उपन्यास क्षेत्र में स्थान महत्व और योगदान - प्रेमचन्द के उपन्यास भारत के राजनीतिक और

* सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी) वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिन्दी साहित्य) जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनके उपन्यासों आदर्शोन्मुख यथार्थ के चित्रण द्वारा जीवन संघर्ष और चेतन जगत का सुन्दर चित्रण हुआ है। उनका 'योगदान' भारत के समाज का यथार्थ और पूर्ण चित्र उपरिस्थित करने वाला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। प्रेमचन्द का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा गया है-

'गोदान' के रचयिता प्रेमचन्दजी हिन्दी के वर्तमान और भविष्य के निर्देशक हैं।

'प्रेमचन्द उस शिखर के समान है जिसके दोनों ओर पर्वत के दोनों भागों के उतार-चढ़ाव है।'

प्रेमचन्द और उनके समकालीन अन्य उपन्यासकारों का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का चित्रण करना था। प्रेमचन्द के 'सेवा सदन' प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि मौलिक उपन्यासों में जीवन और समाज की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता के साथ हुई है। इन उपन्यासों में वस्तुचित्रण कथोपकथन आदि के प्रौढतम रूप में दर्शन होते हैं। इनके माध्यम से निम्न और मध्यम वर्ग के सुन्दर चित्र सामने आए और साथ ही राष्ट्रीय भावना को भी बल मिला। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचन्द के महत्व को व्यक्त करते हुए लिखा है।

प्रेमचन्द शताब्दियों से पढ़ाईलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। वे पर्दे में कैद पग-पग पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबर्दस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के प्रचारक थे। अगर आप समस्त उत्तर भारत को करीब से देखना चाहते हैं तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक आपको इतने ही कौशलपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता।

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास - प्रेमचन्द ने जिस क्षेत्र में कार्य किया था उसमें उनके उत्तराधिकारी क्रम का आरम्भ हुआ। प्रकाशचन्द गुप्ता ने प्रेमचन्द के उत्तराधिकारी उपन्यासकारों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है- प्रेमचन्द की किसान परम्परा को तजकर हिन्दी उपन्यास अनेक नई दिशाओं की ओर बढ़ा तत्व और रूप दोनों की दृष्टि से एकधारा निम्नवर्ग के जीवन उसकी निराशाओं और असफलताओं को अपनाती है। इसके प्रमुख परिचायक जैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, 'अश्क' आदि हैं। एक धारा मनोविश्लेषणा शास्त्र के प्रभाव से कुण्ठित अतृप्त वासनाओं की अभिव्यक्ति करती है। इसके प्रमुख प्रतिनिधि पण्डित इलाचन्द्र जोशी हैं। एक अन्य धारा भारतीय श्रमजीवी वर्ग की छिपी शक्तियों से संबंध जोड़ती है और भविष्य की धरती को संजोती है। इसके प्रमुख प्रतिनिधि यशपाल, रागेय राघव, पहाड़ी भगवतशरण उपाध्याय नागार्जुन आदि हैं।

शोध के उद्देश्य - सम्पूर्ण राष्ट्र के कोने-कोने में जागरण, नव स्फूर्ति और नवनिर्माण के मंत्र को फूंकना ही शोध का पावन उद्देश्य है। इससे समाज में परिवर्तनों की संभव प्रशस्त होता है। प्रेमचन्द के साहित्य पर आधारित यह अध्ययन उनकी विभिन्न उपन्यासों में वर्णित उनके मनोभावों, विचारधारा के विविध आयामों का समग्र दृष्टि से अध्ययन करना है। समकालीन साहित्यिक विचारधारा के अंतर्गत उपन्यासों में अभिव्यक्त समकालीन विचारधारा का भी अध्ययन मनन करना प्रमुख उद्देश्य है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ - शोध के लिए शोधार्थी को आवश्यक एवं अनावश्यक सीमा रेखा को जानना, पहचानना अत्यंत आवश्यक होता है। शोध क्षेत्र की व्यापकता या क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने से शोधार्थी अपने लक्ष्य तक बिना किसी भटकाव के पहुँचाता है। प्रत्येक विषय में विस्तार की असीम संभावनाएँ होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शोधार्थी

अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोषों से बच जाता है। प्रस्तुत शोध का विषय हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान है। इस विषय की क्षेत्र सीमा प्रेमचन्द द्वारा लिखित विभिन्न उपन्यासों के समग्र दृष्टिकोण से विस्तृत अध्ययन विश्लेषण मनन तक रहेगा। इसके साथ ही प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यास तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास का भी संक्षिप्त अध्ययन विवेचन हिन्दी उपन्यास से विकास क्रम को विभिन्न युगों में विभक्त करने हेतु किया जायेगा।

शोध प्रविधि - एक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध शोध के लिए जितना महत्व विषय चयन व परिकल्पना का होता है उतना ही महत्व शोध प्रविधि का भी होता है। शोध प्रविधि वह साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की जा सकती है। शोध की प्रवृत्ति एवं विषय की आवश्यकता के अनुरूप विधि का चयन करने से उपेक्षित प्रारिणामों को प्राप्त करने में त्रुटियों की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध विषय - 'हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द का योगदान' में समीक्षात्मक अध्ययन विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। हिन्दी साहित्य विषय से संबंधित सामग्री का संचयन प्रस्तुत शोध कार्य हेतु विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से भी यथास्थान उद्धरण में प्रस्तुत किए जाएंगे।

सामग्री संकलन के दो प्रमुख स्रोत होंगे-

अ) प्राथमिक स्रोत-

1. प्रेमचन्द रचित विभिन्न उपन्यासों के अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन, समीक्षात्मक, विवेचन द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना।
2. तार्किक पद्धति का प्रयोग करना।
3. विषय के संबंधित में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए इससे संबंधित शोध कार्य का अध्ययन करना।

ब) द्वितीयक स्रोत-

1. ग्रंथालय- प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबंध।
2. साहित्यिक पत्रिकाएँ विभिन्न समाचार पत्र।
3. इंटरनेट पर उपलब्ध शोध विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री तथा आंकड़े।

प्रेमचन्द की हिन्दी उपन्यास जगत की देन- प्रस्तुत शोध अध्ययन का वर्तमान महत्व

- प्रेमचन्द का उपन्यास सृजन सन् 1902 में आरम्भ हो जाता है। इस समय आपकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। आपके टैगोर की कहानियों के अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आपकी सबसे पहली कहानी 'संसार का सबसे अनमोल रतन' सन् 1900 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। इसी वर्ष आपने कृष्ण नामक उपन्यास की भी रचना की। सन् 1902 में 'वरदान' तथा सन् 1902 में ही 'प्रेमा' और 1906 में प्रतिज्ञा उपन्यास की रचना की। सन् 1908 में जमाना प्रेम में सोजे वतन के नाम से पांच कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ जो सरकार द्वारा जप्त कर लिया गया। सन् 1954 तक आप नवाचाराय के नाम से कथा साहित्य की रचना करते रहे। सोजे वतन की जप्ती के पश्चात वे प्रेमचन्द के नाम से लिखने लगे और उर्दू से हिन्दी की ओर आ गये। सेवा सदन प्रेमचन्द का प्रथम उपन्यास है। यह सन् 1916 में प्रकाशित हुआ, इससे पूर्व आप वरदान प्रतिज्ञा या प्रेमा और रूठी रानी उपन्यास लिख चुके थे।

रूठी रानी एक छोटा-सा ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें राजपूती सभ्यता के साथ परस्पर फूट का चित्रण किया गया, जिसके कारण देश अधीन हुआ। सन् 1901 में आपने प्रतापचन्द नामक उपन्यास लिखा जिसे सन् 1902 में वरदान नाम से प्रकाशित किया। सन् 1903 में प्रकाशित 'हमनाम' उपन्यास पहले उर्दू में हमखुमी और हम कबाब के नाम से प्रकाशित

हो चुका हथा। बाद में प्रेमचन्द ने प्रेमा में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया और वह हिन्दी में प्रतिज्ञा और उर्दू में बेवफा नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचन्द के इन उपन्यासों का कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। 'सेवा सदन' ही आपका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके पश्चात प्रेमचन्द के निम्नलिखित उपन्यास प्रकाशित हुए- प्रेमाश्रम (सन् 1922) निर्मला (सन् 1923) रंगभूमि (सन् 1924-25) कायाकल्प (सन् 1928) गबन (सन् 1931), कर्मभूमि (सन् 1932) गोदान (सन् 1936)। प्रेमचन्दजी ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चाई के साथ वर्णन करके उपन्यास साहित्य को जीवन को पूर्णकृति बनाने का अनुपम प्रयास किया है। तत्कालीन सच्ची परिस्थितियों का चित्रण आपके उपन्यासों में मिलता है।

प्रेमचन्द- कर्मभूमि - कर्मभूमि की कथावस्तु भारत के स्वाधीनता आन्दोलन की कहानी का एक अंश है। यही कारण है कि वह केवल युगीन घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है। उसमें रोचकता भी पूर्णतः विद्यमान है। प्रस्तुत उपन्यास की कथावस्तु जहां राजनीति, समाज, धर्म एवं शिक्षा के विशाल क्षेत्र का चित्र प्रस्तुत करती है। वहीं यथार्थ की भूमि पर चित्रित हुई ये घटनाएँ उनको सूत्रबद्ध करने की क्षमता भी रखती है। जिससे कि वे असंगठित न दिखाई पड़े।

कर्मभूमि उपन्यास का कलेवर दो आंचल की कथाओं का मिश्रण है। एक काशी नगरी की ओर दूसरी हरिद्वार के सभ्रीपस्थ गांव की दोनों कथाओं के सूत्र अमर के माध्यम से जुड़ते हैं। नगर की कथा अछूतोद्धार एवं श्रमिकों तथा मजदूरों की आवासीय व्यवस्था से संबंधित है। अछूतों के मन्दिर में प्रवेश के लिए प्रो. शान्तिकुमार एवं सुखदा द्वारा सत्याग्रह किया जाता है, पहली चलती है और अंत में उन्हें मन्दिर प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। मजदूरों की आवास की व्यवस्था के लिये बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाता है अमीर

की पत्नी सुखदा हड़ताल कराती है, सरकारी दमनचक्र चलता है और सुखदा प्रो. शान्ति कुमार अमरकान्त सकीना आदि सभ्री जेल जाते हैं।

ग्राम की कथा अछूत किसानों की दुरावस्था से संबंधित है। अमर की धारणा पाकर किसान लगानबंदी आंदोलन करते हैं। सरकार निमर्मतापूर्वक उसे कुचलने की चेष्टा करती है। अमर किसानों को भड़काने के अपराध में पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। गोदान उपन्यास की तरह इस उपन्यास की नगर और गांव की कथा अलग-अलग प्रतीक नहीं होती। गोदान की भाँति प्रेमचन्द के इस उपन्यास में भी गाँव और नगर की कथा वर्णित है। इतने विशाल कथा चित्र फलक को लेकर सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करने की प्रेमचन्द की प्रतिमा अनुपम है।

निष्कर्ष - हिन्दी उपन्यास जगत में प्रेम चन्द का स्थान सर्वोच्च है। मानवता का व्यापक संदेश युग का सजीव चित्रण कथा शिल्प की कलात्मकता चरित्र चित्रण की कला भाषा में लोकभाषा और साहित्य सौष्ठव का समनव्य इन सभी के कारण उपन्यास साहित्य में उनकी कृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिन्दी उपन्यास को नई प्राणधारा प्रदान की है। वे उपन्यास क्षेत्र में मील के पत्थर हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.आर.एन.गौड़ - राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ।
2. शान्ति स्वरूप गुप्ता रीडर - हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. डॉ.महाराज सिंह परिहार - अभय प्रकाशन मन्दिर 15/256 चारसू दरवाजा आगरा-3
4. हिन्दी उपन्यास एक नई दृष्टि, इन्द्रनाथ मदान।
5. गोदान, बारहवां संस्करण, पृष्ठ 364

संत प्रवर भगवानदास निरंजनी की अध्यात्म साधना में योग की भूमिका

ऋतु त्यास *

प्रस्तावना - मध्यकाल में संत हरिदास ने सत्रहवीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना नामक स्थान में निरंजनी सम्प्रदाय की स्थापना की, जो कि कालान्तर में डीडवाना में गाढ़ा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में निरंजनी सम्प्रदाय के मुख्य साधना स्थलों में से एक गाढ़ा धाम अवशेष मात्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस सम्प्रदाय के संत मूलतः निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे, किन्तु इस सम्प्रदाय में सगुण भक्ति का वैसा विरोध नहीं मिलता जैसा कबीर तथा उनकी परम्परा के कुछ अन्य सम्प्रदायों में मिलता है। निरंजनी सम्प्रदाय में बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे ज्ञानवान संत हुए एवं इनमें से कई संतों का संस्कृत भाषा पर भी अच्छा अधिकार था एवं कई संत उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा सम्पन्न थे जैसे - संत हरिदास, तुलसीदास, मनोहरदास, भगवानदास, आदि।

संत कवि भगवानदास के वैयक्तिक जीवन का प्रामाणिक वृत्तान्त अज्ञात है। उनका मूल स्थान भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में रचनाकाल उल्लिखित होने से इनके समय का निर्धारण किया जा सकता है। इनकी उपलब्ध प्रथम रचना का रचनाकाल वि.स. 1728 है तथा अन्तिम उपलब्ध कृति का रचनाकाल वि. स. 1761 है। ऐसी स्थिति में भगवानदास का जन्म वि.स. 1700 के आसपास अनुमानित किया जा सकता है इसी प्रकार वि. सं. 1770 तक वे जीवित रहे होंगे, यह कहा जा सकता है।

अपनी रचनाओं अथवा कृतियों में ज्ञान मार्ग को समझाने के दौरान भगवानदास निरंजनी ने योग साधना का वर्णन किया है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। योग दर्शन में 'आत्मा का परमात्मा में मिलना' इस विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पतंजलि ने योग-सूत्र में योग को स्पष्ट करते हुए कहा है -

योगश्चित्तवृत्ति निरोध - सैद्धान्तिक चिन्तन के साथ-साथ स्वानुभव से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान का समावेश भी योग में हुआ। एक और साधना के विभिन्न अंगों का विवेचन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता गया और दूसरी तरफ योग शब्द का अर्थ व्यापक हो गया। जिसे हम योग बीजकार द्वारा दी गई योग की व्याख्या से समझ सकते हैं -

योऽपान प्राणयोर्योगः स्व - रजोरेतसोस्तथा।

सूर्यचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः॥

एवं तद् द्दन्दजालस्य संयोगो योग उच्यते॥

अर्थात् प्राण और उपान का, अपने रजस् और वीर्य का, सूर्य नाड़ी और चन्द्र नाड़ी से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु का, जीवात्मा और परमात्मा का और इसी प्रकार विविध द्दन्दों का योग मिलन करा देना योग कहलाता है। तात्पर्य यह है कि योग अर्थात् द्दैत का नाश करके अद्दैत स्थिति पर

पहुंचना, इस क्रम में प्रथम स्थूल द्दैत प्राण और अपान के द्दैत को समास करके जीवात्मा और परमात्मा में अद्दैत की स्थापना की जाती है अर्थात् इन विविध दो-दो पदार्थों का योग स्थापित किया जाता है। अतः इस अद्दैत की सिद्धि को योग कहते हैं।

योग एक व्यावहारिक दर्शन है। इसके लिए मनुष्य का चित्त विकारों से रहित होना आवश्यक है। पतंजलि ने योग मार्ग के आठ अंग माने हैं -

अष्टांग योग - यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावंगानि
अर्थात्

1. यम
2. नियम
3. आसन
4. प्राणायाम
5. प्रत्याहार
6. धारणा
7. ध्यान
8. समाधि

इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है।

भगवानदास निरंजनी ने भी योग पर अपने विचार अपनी कृति 'अमृतधारा' में व्यक्त किए हैं। उन्होंने योग एवं योग क्रिया में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को अपनी रचना 'अमृतधारा' में विस्तार से समझाया है।

योग प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गए योग के आठ अंगों की तरह भगवानदास निरंजनी ने भी योग के आठ अंगों का उनके द्वारा रचित ग्रंथ 'अमृतधारा' में निम्न दोहे में निरूपण किया है -

यम अरु नेम भेद द्दै कहीए

आसन प्राणायामहि लहिए

प्रत्याहार धारणां जानों

ध्यान सहित समाधि बखानों॥

योग के उपरोक्त आठ भेदों के बारे में संत कवि भगवान दास निरंजनी का दृष्टिकोण निम्नानुसार है -

1. **यम** - बाह्य अभ्यन्तर की क्रिया यम है। पतंजलि ने यम पांच माने हैं - अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

अर्थात् महर्षि पतंजलि के अनुसार यम के निम्न पांच भेद हैं - (1) अहिंसा, (2) सत्य, (3) अस्तेय (4) ब्रह्मचर्य और (5) अपरिग्रह इसी प्रकार संत कवि भगवानदास निरंजनी ने यम के भेदों को अपनी कृति 'अमृतधारा' में निम्न दोहे से समझाया है -

अहिंसा सति अस्तेयं ब्रह्मचर्यं परिग्रहहीन

इहिं विधि यम परमानीये तजि जंजाल सुदीन ॥४॥

2. नियम - सदाचार का प्रश्रय देना नियम है। भगवानदास निरंजनी ने 'अमृतधारा' में नियम को इस दोहे द्वारा पुनः विभक्त किया है -

शुचि स्वरूप संतोष जुत तप ईश्वर प्राणिधानं
श्वाध्याय पुनि पाठ करि नेम पंच विधि जानं ॥१॥

अतः नियम को (1) शौच, (2) संतोष, (3) तप (4) स्वाध्याय एवं (5) ईश्वर प्राणिधानं में विभक्त किया गया है।

3. आसन - साधना में शरीर को विशेष स्थिति में रखना जिससे तन और मन दोनों को अचल किया जा सके, आसन कहलाता है। पतंजलि ने 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् स्थिर भाव से सुख पूर्वक बैठने को आसन कहा है।

भगवानदास निरंजनी के अनुसार -

तीजै आसन साधि कै तिनि के बहु विधि नांम
सिध सुखासन पदिमिका चौरासी परमांन॥

4. प्राणायाम - महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास - प्रश्वास की गति अर्थात् प्राणवायु के शरीर में आगमन और निर्गमन को रोक देना अथवा इच्छानुसार नियंत्रित करना ही प्राणायाम है।

भगवानदास निरंजनी के अनुसार -

चौथे प्राणायाम कहि, तीनि भांति परकाष
उत्तिम मधिम देइ कहि पुनि कनिष्ट अवभाष॥

5. प्रत्याहार - महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार को निम्न प्रकार समझाया है-

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

अर्थात् इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों के साथ सम्पर्क न रहने पर उनका चित्त के स्वरूप का सा हो जाना ही प्रत्याहार है। वस्तुतः प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है पीछे खींचना, हटाना। साधना में मनुष्य स्वभावतः, बहिर्मुख इन्द्रियों को अपने विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी बना लेता है जिससे वह तन्मय हो सके। इसीलिए गोरक्ष संहिताकार ने कहा है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर अपने ही अंग में छिपा लेता है, वैसे ही योगी भी प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लीन कर लेता है -

अंगमध्ये यंथागान् कूर्मः संकोचयेद् ध्रुवम
योगी प्रत्याहारे देव मिन्द्रियाणि तथात्मनि॥

संत कवि भगवानदास निरंजनी ने इसे अपने शब्दों में निम्न प्रकार से समझाया है -

पंचम प्रत्याहार कहि मन की वृत्ति निवारि
जित कित तै मन रोकिए ब्रह्म भाव उरधरि ॥

6. धारणा - भगवानदास निरंजनी ने धारणा को 'अमृतधारा' में निम्नानुसार समझाया है -

सोहे शब्द पुकारीए अंतर वृत्ति लगाइ
है अडोल डौले नहीं शुद्ध धारणा पाइ॥

7. ध्यान - संत कवि के अनुसार -

सोहं हंसो होतु तौ सो कहनीं मिटि जाइ
एक एक ही एक हौ ध्यान मान शुद्ध भाइ ॥

8. समाधि - ध्यान की वह अवस्था जिसमें ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, अर्थात् परमात्मा का सर्वात्मना ध्यान समाधि है। जिसमें ध्यान मान और अभिमान का कोई स्थान नहीं है। वही आराध्य की समाधि है -

ध्यान मान अभिमान नहिं सो समाधि आराधि

च्यारि विघन समाधि में सो गुरु गनितै साधि ॥

इसके आगे संत कवि भगवानदास निरंजनी ने इसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं -

लय विक्षेप कषाइ तजि रसाध्वाद् नहिं स्वाद्
च्यार्यों विघन निवारीए सो समाधि अनुवाद्॥

भगवानदास निरंजनी के निम्न दोहे के अनुसार समाधि के समय यदि विघ्न सताए या इन विघ्नों के कारण समाधि में मन नहीं लगे तो पहले इन सभी का निवारण आवश्यक है-

च्यार्यों विघन जैसे कहौ लहौ भेद तैसे
लय केश रूप जैसे निद्रा मन आनीये
ब्रह्म वृत्ति मनु लागै आंन वृत्ति रस पागै
विषै भ्रम भ्रम जागै सो विक्षेप मांणीए
सुगुंन की सुधि आवै रसाध्वाद् श्वाद् भावै
भोग बास बसि जावै सो कषाइ मांणीए
भगवान भाग जागै च्यार्यों हीं विघन त्यागै

छेह के खडग खागै देह भाव हांणीयै।

वासना - उपरोक्त दोहे में इंगित विघ्नों के साथ ही वासना को संत कवि ने प्रमुख विघ्न माना है। घर - परिवार को त्याग देने वाला सांसारिकता से **विरक्त साधक** - योगी, जंगम, सेवड़ा, बैरागी आदि तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता, जब तक वह वासना एवं अहंभाव से ग्रस्त है। योग साधना के द्वारा शरीर पर नियंत्रण के साथ-साथ, मन पर नियंत्रण भी अत्यन्त आवश्यक है। भगवानदास निरंजनी ने मन पर विजय प्राप्त करने हेतु वासना का क्षय अतिआवश्यक बताया है एवं योगी के लिए वासना से मुक्त होना अत्यावश्यक माना है।

वासना का मिटना अत्यन्त कठिन है। साधना पथ में उँचाई पर पहुँचे साधक भी वासना से ग्रस्त मिलते हैं, वासना विविधरूपा होती है - वासनाओं के मुख्यतः दो भेद किए हैं- शुद्धा एवं अशुद्धा -

निर्वासी कौ मुक्ति पद वासी वसै सुदेह
द्वै प्रकार की वासना शुद्धा मलिनाएह ॥
अशुद्धा वासना के चार भेद निम्नानुसार है -
लोक वासना एक हैं देह दूसरी जान
अभि अंतर सो तीसरी चौथी शास्त्र मांन ॥

1. लोक वासना - लोक वासना अर्थात् लोक या अपने चारो ओर के पर्यावरण में व्याप्त अन्य लोगों से भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुएं या प्रशंसा प्राप्त करने की अभिलाषा ही लोक वासना है। लोक- वासना के संबंध में संत कवि भगवानदास निरंजनी ने निम्न दोहों में प्रकाश डाला है -

राजा प्रजा दरषन आवै सो कीजै जो जग मन भावै
गिरा मौनवस्तर नहीं लीजै तजि वसती वनवास जु कीजै॥

अर्थात् वासना से ग्रस्त योगी भी यह चाहता है कि राजा या प्रजा अथवा दोनो ही उसके दर्शन करें एवं उसके कथनानुसार आचरण करें, इस प्रकार वनवासी योगी भी लोक वासना से ग्रसित हो सकता है।

2. देह वासना - देह वासना के संबंध में भगवानदास निरंजनी ने निम्न दोहे में प्रकाश डाला है -

अहं देह बुद्धि देह में मानें झूठी भोग साच करि जानै
कुबिज लुंज बहु रूप करुपा देह वासना पूरन कूपा॥

अर्थात् देह को ही सब कुछ मान कर उसके भोग विलास एवं सुख

पहुचाने का प्रयत्न करना ही देह वासना है।

3. अभ्यन्तर वासना – काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ग्रस्त मन की इच्छाएं ही अभ्यन्तर वासना कहलाती हैं। भगवानदास कहते हैं –

मन में भोग वासना चाहै मिलै नहीं तो मन में दाहै

बाहिरे त्याग मन ही मन गहिए, भिंतर वासना देह सू दहीए॥

इस प्रकार योगी बन जाने के फलस्वरूप बाहरी रूप से वासना का त्याग किए जाने एवं मन में भोग वासना होने के कारण अन्तःकरण में दाह अर्थात् जलन विद्यमान रहती है एवं योगी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता अतः वासना का संपूर्ण त्याग आवश्यक है।

4. शास्त्र वासना – योगी द्वारा शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् शास्त्रार्थ के गूढ़ एवं अमूर्त रहस्यों को जाने बिना केवल शाब्दिक **अर्थ के आधार पर तर्क** – वितर्क करना संत कवि के शब्दों में शास्त्र वासना का परिचायक है। शास्त्र वासना के तीन भेद किए गए हैं, जिन्हें भगवान दास ने निम्न दोहे से समझाया है –

शास्त्र वासना जानि यह तीनि भेद अव भाषा।

एक पाठ बहु पाठ पुनि अनुष्ठान प्रकाश॥

उपरोक्त दोहे से भगवानदास निरंजनी ने वासना के भेद एक पाठ, बहु पाठ एवं अनुष्ठान प्रकाश बताए हैं। इसी क्रम में भगवान दास कहते हैं कि –

भागवत आदि श्वादि पुनि भारत

हरिवसं प्रसंसु लहौ कछु स्वारथ

श्रुति स्मृति के अर्थ कहीजे

यहै वासनां जनन लहीजे॥

इसी प्रकार भगवानदास निरंजनी ने शुद्धा वासना के भी निम्न भेद निम्नानुसार बताए हैं – (1) मित्रता, (2) करुणा, (3) मुदिता और (4)

उपेक्षि

शुद्धा वासना अब कहौ लहौ मोक्षि निज धामं

छेह भाव अभाव करि च्यारि भेद आरामं ॥

उपरोक्त दोहे में शुद्धा वासना के भेद को स्पष्ट करते हुए संत कवि कहते हैं –

प्रथम मैत्री एक है करुणा दूजी जानं

मुदिता नाम सु तीसरी पुनि उपेक्षि परमानं॥

अतः भगवानदास निरंजनी के योग-साधना संबंधी विवेचन-विश्लेषण से वे एक अध्यवसायी संत के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी लेखनी से स्पष्ट होता है कि उन्होंने दर्शन एवं साधना, योग संबंधी अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थों का विस्तृत अध्ययन किया होगा और उनमें अत्यधिक रुचि ली होगी। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वेदांत – दर्शन से पूरी तरह प्रभावित थे एवं उनकी रचना से उन पर पूर्ववर्ती संतों-महीशियों का प्रभाव साफ-साफ दृष्टिगोचर होता है। उनकी कृतियों से स्पष्ट है कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे।

उनकी कृति 'अमृतधारा' में सरल भाषा में योग एवं साधना संबंधी निरूपण साधारण जनमानस के लिए सुलभ एवं उपयोगी प्रतीत होता है, जिसका अनुसरण कर साधारण व्यक्ति भी योग – साधना के पथ पर अग्रसर हो सकता है। निरंजनी संप्रदाय के ऐसे अन्य संतकवियों जिनकी हस्तलिखित एवं अनूदित रचनाएं आज तक विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध हैं उन पर भी भविष्य में शोध कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वसाधारण के उपयोग हेतु प्रकाश में लाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

उषा देवी मित्रा के कथा-साहित्य में चित्रित सामाजिक जीवन

डी.पी.चन्द्रवंशी * डॉ. रेखा दुबे **

शोध सारांश - भारतीय काव्य शास्त्रियों ने कवि एवं साहित्यकार के लिए एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का होना आवश्यक बताया है। कवि मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है -

शक्तिनिपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्।
काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भववे॥

मम्मटाचार्य ने अपनी समन्वयकारी बुद्धि के द्वारा एक ओर जहाँ शक्ति रचना-प्रतिभा को काव्य रचना के लिए अनिवार्य गुण बताया है। वहाँ निपुणता, व्युत्पत्ति जो लोकानुभव पर आधारित है, कवि के लिए अपेक्षित माना है। इस प्रकार जहाँ एक ओर जन्मगत प्रभाव तथा वातावरण प्रेरण से साहित्यकार का निर्माण होता है, वहाँ दूसरी ओर समाजगत प्रेरणा उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है।

जीवन के संघर्ष के बीच कलाकार की कला का उदात्त रूप निखरता है, वहाँ समाज के चित्रण द्वारा वह असत् और सत् का द्वंद्व दिखलाकर सत का पक्ष भी लेता है। साहित्यकार एवं कलाकार जीवन के द्वंद्व एवं विषमताओं का अनुभव करता है, उसकी चेतना विकृतियों एवं विषमताओं को देखकर एक तटस्थ दर्शक मात्र नहीं रहता। वरन् उनकी अपनी संवेदनशीलता और अनुभूतियों को गहराई के समावेश से स्वस्थ और उदात्त रूप प्रदान कर समाज की प्रगति की ओर उन्मुख करता है। इस संबंध में उषा देवी मित्रा का दृष्टिकोण है - 'साहित्य केवल देश-विदेश या जाति-विशेष की उन्नति या अवनति का प्रतिबिंब नहीं है, वरन् मानव जीवन की ज्वाला की चिरन्तन हृदय का आवेग और जीवन की मार्मिक घटनायें, बातें, स्वतः स्फूर्त - ध्वनित हो उठती हैं। मेरे दृष्टिकोण में साहित्य वह है, जो कि अपने ढंग से सत्य को मूर्त करता है।'¹

प्रस्तावना - उषा देवी मित्रा की समाजगता प्रेरणाओं का अवलोकन इस प्रकार कर सकते हैं जो उनके कथा-साहित्य की पृष्ठभूमि बनी है।

1 सामाजिक प्रवृत्तियाँ (नारी जीवन की समस्याएँ) :- किसी देश के सामाजिक उत्थान में उस देश की नारी का महान योगदान होता है, लेकिन भारतीय नारी को शताब्दियों से पुरुष समाज ने अपनी ऐन्द्रिकता की तृप्ति का साधन मात्र समझ लिया था। उनको घर की चहार दीवारी तक एक सीमित क्षेत्र में बंद कर दिया तथा पर्दा-प्रथा में और लज्जाशीलता की आदर्श से इतना दबा दिया कि उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया। वह माँ, प्रेयसी, पत्नी किसी भी रूप में स्वाभाविक विकास न कर सकी। यौवनावस्था में पति के संकेतों पर वृद्धावस्था में सन्तान की दया पर निर्भर थी।

मित्रा जी के समकालीन साहित्यकों ने जन-जीवन की समस्याओं को चित्रित करना प्रारंभ किया और उसमें नारी समस्याओं को भी समान स्थान प्राप्त हुआ। तात्कालीन समाज की नारी संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में उषा देवी मित्रा के दृष्टिकोण का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उसे पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

- 1-1 पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और नारी समस्या।
- 1-2 वैश्या समस्या।
- 1-3 विधवा समस्या।
- 1-4 बाल-विवाह तथा अनमोल विवाह जनित समस्याएँ
- 1-5 विवाह समस्या और स्त्रीत्व गरिमा।

1.1 पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और नारी समस्या :- उषा जी ने जहाँ भारतीय रूढ़ियों का डटकर खंडन और पाश्चात्य जागरूकता का स्वागत किया वहाँ पाश्चात्य प्रणाली की अंधानुकरण की, बुराइयों को तार-तार

कर देने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उषा देवी जी ने पाश्चात्य सभ्यता में 'रंगे व्यक्ति को स्वीकारने पर चुटकियाँ ली है, 'तुम्हारे हाथ की सब चीजें अच्छी बनती है, इंगलिश डिशें खाते-खाते ऊब गया।'²

पाश्चात्य सभ्यता का दुष्प्रभाव नारी पर भी पड़ा रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है 'शिक्षित समाज में पुरुष ही नहीं नारियाँ भी मद्य-पान करती हैं, सिगरेटों का व्यवहार भी होता है, टेनिस ग्राउंड में नारियाँ पुरुषों की बराबरी करती हैं।'³

1.2 वैश्या समस्या :- कथा सम्राट प्रेमचन्द्र से लेकर साधारण कोटि के उपन्यासकारों ने इसे अपनी रचना का वर्ण-विषय बनाया है, परन्तु समाज के सम्मुख कोई सर्वग्राह्य समाधान अब तक प्रस्तुत नहीं हो सका है। त्रिभुवन सिंह की ये पंक्तियाँ समाज के लिए आज प्रश्न चिन्ह हैं, 'वास्तव में वैश्यायें जन्म से वैश्या नहीं होती बल्कि वे परिस्थितियों द्वारा बनाई जाती हैं।'⁴

उषा देवी जी ने 'जीवन की मुस्कान' उपन्यास में पूरबी के माध्यम से वैश्या का अंतरंग चित्रण किया है। उन्होंने वैश्या को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से न देखकर उसे एक नारी के रूप में चित्रित कर सहानुभूति प्रदर्शित की है। ये समाज पर कलंक ही है लेकिन समाज का वर्ग अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए इसे अपनाये हुए है। 'बाई जी का गाना एक ऐसी चीज है, मुरदे तक को जिन्दा कर देती है।'⁵

उषा देवी जी का दृष्टिकोण क्रांतिकारी भले ही न हो, विचारणीय और व्यावहारिक अवश्य है। समस्या के एकांगी निराकरण पर ध्यान केन्द्रित न कर आर्थिक सामाजिक सभी दृष्टियों से सुधार करने पर ही समस्या का स्थायी निदान संभव हो सकता है।

1.3 विधवा समस्या :- हिन्दू समाज में वैधव्य जीवन की करुण कहानी

*पी.एचडी. शोधकर्ता, सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शास.जे.एम.पी.महाविद्यालय, तखतपुर, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोध निर्देशक (हिन्दी) डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

अत्यंत प्राचीन काल से चली हा रही है। विधवा समस्या उषा देवी जी के कथा-साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय रहा है। सर्वप्रथम उन्होंने बंग-भाषा में 'सम्मोहिता' उपन्यास में जिसका हिन्दी में प्रकाशन 1963 में हुआ, जर्मींदार वर्ग की कुन्तला नाम की विधवा का चित्रण किया है। 'पिया-उपन्यास में उन्होंने विधवा समस्या के प्रत्येक पहलू को बड़ी गहराई से लिया। इसमें एक ओर शहर में रहने वाली बाल-विधवा 'पिया' का चित्रण है, और दूसरी ओर समानान्तर गाँव के निर्धन किन्तु ब्राम्हण परिवार की नीलिमा नामक बाल-विधवा की करूणा कहानी है। 'पथचारी - उपन्यास में विधवाओं को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए शारीरिक रूप से पुष्ट होने और कामकाज करके आर्थिक रूप से व्यायामशाला स्थापित करने का वर्णन है। 'नष्ट नीड़' उपन्यास में शहर के चमक-दमक, सभा पार्टियों में भाग लेने वाली पाश्चात्य सभ्यता से उत्तेजित वातावरण में रमी 'नलिनी' नामक विधवा का चरित्र दिग्दर्शित किया गया है।

1.4 बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह जनित समस्याएँ :- बाल-विवाह की प्रथा वह विष-मूल है जिससे नारी पतन की शाखाएँ प्रस्फटित होती हैं। उषा देवी जी ने बाल-विवाह के प्रति सदैव स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उनके कथा-साहित्य में बाल-विवाह समस्या उद्दीपन रूप में हुआ। कही बाल-विवाह आर्थिक विवशता अथवा वृद्ध वर्ग की मानसिक सन्तुष्टि के लिए दिखाये गए हैं। नीलिमा अभाव व दारिद्र्य के भीतर एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है, जहाँ गृहस्थी की गाड़ी अर्थाभाव के कारण नहीं चल पा रही है। नीलिमा का पिता अपनी माता की इच्छापूर्ति हेतु आठ वर्ष की आयु में नीलिमा का गौरीदान कर बैठते हैं। नीलिमा विवाह के कुछ दिन बाल विधवा हो जाती है। 'पिया' उपन्यास में नायिका पिया का विवाह सात वर्ष की अल्पायु में ही हो जाता है। उसका पति, विवाह के दिन ही हैजे से मर जाता है।

'काल की देन' कहानी में अनमेल विवाह पर उषादेवी मित्रा ने तीखा व्यंग्य किया है बुढ़ापे के कुछ दिन पहले ही विपिनचन्द्र दूसरा विवाह नव युवती वल्लरी से कर लेते हैं। वहीं उषा देवी जी की 'सूखी रोटी' कहानी में अनमेल विवाह का कारण आर्थिक विषमता है।

'अनमेल विवाह धोखा संयोग आदि से भी हो सकता है। एक साधन सम्पन्न घर की लड़की बाढ़-पीढ़िता बन जाने पर एक अति निर्धन ताँगे वाले के घर पत्नी बनकर पहुँच जाती है।'⁶

उषा देवी मित्रा इस अनमेल विवाह को भी सहज बना देती है। पत्नी के इस वाक्य से 'आप असत के उपासक हैं, तभी सत्य के रूप को देखकर इस प्रकार विचलित हो उठे हैं।'⁷

1-6 विवाह समस्या और स्त्रीत्व गरिमा :- उषा देवी जी नारी - मनोविज्ञान को सहज और सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त करने में बड़ी गहराई में उतर जाती हैं। 'नष्टनीड़' उपन्यास की नन्दा एक ऐसे आदमी से प्रेम नहीं करती, जो उससे घृणा करता है। 'वह अपने मन की स्वाभिमानी है वह भी आदमी है और अपना मान-सम्मान रखती है।'⁸

'पिया' उपन्यास की नवयुवती कविता चालीस-पैंतालिस वर्षीय सुकान्त से विवाह बंधन में बंधती है। कविता समाजिक दृष्टि से सुकान्त की पत्नी बन जाती है, लेकिन इस विचारहीन प्रेम को वह कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। वह पति से हँसकर बात नहीं करती उसके पास जाना तो दूर रहा। उषा देवी जी की कहानी 'गहरी नदियाँ नाव पुरानी' में भी नारी के अनमेल विवाह के प्रति विद्रोह की कहानी है।

'वचन का मोल' उपन्यास में कजरी विनय से प्यार करती है, लेकिन विनय यह नहीं समझ पाता कि वह उससे विवाह नहीं करती है।

2 राजनैतिक प्रवृत्तियाँ :- उषा देवी जी का हिन्दी कथा साहित्य में योगदान द्वितीय विश्व युद्ध काल के कुछ पहले प्रारंभ हुआ। राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी भावना जन-जन में उमड़ रही थी, सभी को पूर्ण स्वाधीनता की मांग थी। अंतर यह है कि एक वर्ग शीघ्रताशीघ्र राष्ट्र को स्वतंत्र देखना चाहता था और इसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तत्पर था। 'सोहिनी' उपन्यास में नायिका को ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम के निर्देशक का परिचय, असित इस प्रकार देता है - 'वह सारे हिन्दुस्तान भर के गुरु हैं, मालिक हैं। उनके पीछे पुलिस दिन-रात भटकती रहती है। किन्तु उनकी छाया तक वह नहीं देख पाती है। उनके नाम से दुनियाँ काँपती है। कितना कर्हू।'⁹

'पिया' उपन्यास की नायिका पिया सार्वजनिक मंच पर खड़ी होकर देश-प्रेम से ओत-प्रोत, ओजस्वी भाषण देती है, जिसे पुलिस आपत्तिजनक मानकर बीच में ही रूकवा देना अपना कर्तव्य समझती है। पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है।

'वचन का मोल- उपन्यास में शिक्षित सभ्य समाज में भी चरखा, खादी ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली थी। नीरजा जैसी नारी को विस्मय होता है - 'इतने दिनों से तो नीच जाति यानी मजदूर जुलाहे ही तांत, चरखा, काता बुना करते थे। अब देखती हूँ भले घर की स्त्रियाँ भी उसमें शामिल हो गई।'¹⁰

उषा देवी जी सहृदय, सजग लेखिका है, यद्यपि मित्रा जी ने राजनैतिक स्थिति को मुख्य बिंदु बनाकर रचना नहीं की है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन और महात्मा गाँधी की असीम व्यक्तित्व और व्यावहारिक आदर्शों का अत्यंत व्यापक प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ा है।

3 धार्मिक प्रवृत्तियाँ :- उषा देवी जी के काल में धर्म को स्थिर रूप में नहीं देखा गया, वरन समाजिक परिस्थितियों के अनुकूल उसकी परिवर्तनशीलता पर अधिक बल दिया गया। धर्म की आलोचना को देखते हुए सापेक्ष धर्म की आवश्यकता अनुभव की गयी। इस समय समाज को, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन संबंधी शास्त्रीय पचड़ों के वाग्जाल में पड़े धर्म से कोई लगाव नहीं रहा था। इस समय तो युगानुरूप नवीन धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन और प्रसारण की चुनौती युगीन साहित्यकार के सामने थी। उषा देवी ने धर्म के युगानुरूप परिवर्तित व्यावहारिक स्वरूप का विवेचन किया है। 'धर्म के नाम पर आत्महत्या शास्त्र सम्मत नहीं कही जा सकती। शास्त्र में कहीं भी मरने की व्यवस्था नहीं है। 'जौहर-व्रत' के संबंध में मतभेद हैं कोई कहता है - पत्नी, पति की अनुगामिनी होकर स्वर्ग में उसकी सेवा करेगी, लेकिन यह केवल कल्पना ही है कल्पित स्वर्ग में स्त्री संतान लेकर घर-गृहस्थी कोई कल्पना है। संभवतः मुसलमानी राजत्व के समय उनके अत्याचार से नारी धर्म को बचाने के लिए यह व्यवस्था हुई थी।'¹¹

'पिया' उपन्यास की नायिका पिया मूर्ति पूजा का खण्डन करती है। 'नष्टनीड़' उपन्यास में चौधरानी हिन्दुओं की अज्ञानी रूढ़िवादी रूचि की आलोचना करती है

उषा देवी के धार्मिक विवेचना में थोपने वाली प्रवृत्ति नहीं है, वे उसके प्रति स्वस्थ और विवेचनात्मक दृष्टिकोण रखती है।

उपसंहार - उषा देवी जी ने जिन समस्याओं पर लेखनी चलाई है, उनका बड़ा ही यथार्थ मौलिक और आदर्श स्वरूप को भारतीय परम्पराओं के अनुकूल चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्ग को अपवहना वर्ण्य-विषय बनाया। समाज की विभिन्न समस्याएँ उनके कथा-साहित्य में समाहित हैं चाहे विवाह की समस्या हो, वैधव्य जीवन, बेमेल विवाह, आर्थिक तंगी, स्वतंत्रता संग्राम, देश विभाजन की पीड़ा धार्मिक दशा या राजनैतिक

परिस्थितियाँ, इन सभी बिन्दुओं को उषा देवी जी ने अपने कथा-साहित्य में पिरोने का अद्वितीय प्रयास किया है।

संदर्भ सूची :-

1. 'ब-कलम खुद' उषा देवी मित्रा साहित्य साधिकाएँ पृ. क्र. 136.
2. 'नष्ट-नीड़' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 11.
3. 'वचन का मोल' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 9-10.
4. 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद' त्रिभुवन सिंह पृष्ठ 109,
5. 'जीवन की मुस्कान' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 27,
6. 'बहता फूल' (कहानी संग्रह-रागिनी) उषा देवी मित्रा पृष्ठ 72-73.
7. 'कल्पना की देवी' (कहानी-संग्रह-रागिनी) पृष्ठ 99-100,
8. 'नष्ट-नीड़' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 170,
9. 'सोहिनी' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 16,
10. 'वचन का मोल' उषा देवी मित्रा पृष्ठ 57,
11. वहीं, पृष्ठ - 61-62

अपने-अपने अजनबी उपन्यास में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना - कवि, चिंतक, सृजनात्मक, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार न जाने कितने विधाओं में पारंगत मूर्धन्य सृजनशील लेखक साच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', सदैव भारतीय सार्वभौमिक मूल्यों के हिमायती रहे। भारत की प्राचीन परंपरा, धर्म, संस्कृति में निहित मानव मूल्यों के सृजनात्मक परिणाम उभरते विकसित राष्ट्र में मिलते हैं। धर्म और नैतिकता से पहचाना जाने वाला राष्ट्र, भारत अपनी संस्कृति को आज भी जड़ से पकड़ा हुआ है। विश्व की अनेक प्राचीन एवं महान संस्कृति विकृत होकर काल के गाल में समा गई परंतु भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। पौराणिक और पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में भारत आज भी विश्व में प्रथम है।

उत्तर आधुनिकता और घोर अतिवादिता ने विदेशी संस्कृति, सभ्यता को च्युत कर दिया। भोग विलास, अर्याश जीवन शैली की अत्यंत अतिवादिता ने मानव को दानव व विकृष्ट बना कर रखा है। धर्म के प्रमुख नैतिक आयाम विश्व में भारत के इतर कहीं नहीं मिल पायेंगे, परिपक्व और प्रौढ़ भारतीय दर्शन और जीवन शैली अटकती हुई नजर आ रही है सबसे प्रौढ़ और परिपक्व दृष्टि से सन् 1961 में अमेरिका से प्रकाशित उपन्यास 'अपने अपने अजनबी' कालजयी साहित्यिक कृति है-उपन्यास के दो प्रमुख पात्र सेल्मा और योके इसी दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृति, धर्म और चरित्र प्रधान देश कैसे विश्व को अपना स्वभाविक (भारतीय जीवन मूल्य) दर्शन देता है यह सम्पूर्ण उपन्यास के मनन और विश्लेषण से पता चलता है।

अज्ञेय ने अपने जीवन साहित्य में अनेक प्रयोग किए गद्य में भी पद्य जैसी स्थिति मिली। उनके लिखे गए गद्य को कठिन गद्य का भूत कहा जाता है। उन्होंने प्रमुख रूप से तीन उपन्यास लिखे। तीनों उपन्यास में सर्वाधिक प्रौढ़ एवं परिपक्व लेखन 'अपने-अपने अजनबी' में मिलता है। देशी-विदेशी जीवन शैली, संस्कृति पुरजोर तरीके से भारतीयता (भारतीय जीवन मूल्य) की पहचान और बोध कराती है।

'अपने-अपने अजनबी' उपन्यास में अज्ञेय का चिंतन गहन मूल्यांकन मानता है। सम्पूर्ण उपन्यास में सेल्मा और योके केन्द्र बिंदु है। केन्द्र बिंदु के माध्यम से अज्ञेय अपनी बात रखना चाहते हैं।

योके आधुनिक यूरोपीय स्वाधीनता प्राप्त युवती है। सम्पूर्ण उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक अज्ञेय अपनी लेखनी उसी पर रखते हैं।

बर्फ के आच्छादन में दोनों सेल्मा और योके मृत्यु के साक्षात्कार को अलग-अलग यथार्थ पर अलग-अलग ढंग से झेलते हैं। सेल्मा यथार्थ में एक से अधिक बार मृत्यु से साक्षात्कार कर चुकी है। सेल्मा में सारा चातुर्य आ जाने पर भी एक सहज और सरल नारी का चरित्र ढाल लेती है। वह भारतीय जीवन शैली जैसी परिपक्वता आस्था और अनासक्तता से अपनी दिनचर्या

निकालती है। जबकि युवती योके अपरिपक्व और सेल्मा से इतर है। कुल मिलाकर सेल्मा के माध्यम से अज्ञेय अपने को पुष्ट करते नजर आते हैं। सेल्मा का स्वभाव, जीवन, व्यक्तित्व अज्ञेय के सर्वथा अनुकूल लगता है। जिसमें सृजनशील उपन्यासकार पाश्चात्य मानसिकता का गहराई से अध्ययन कर, पौराणिक संस्कृति के माध्यम से अपने दर्शन को स्पष्ट कर रहा है।

सेल्मा के माध्यम से अज्ञेय एक नई जीवन दृष्टि उपन्यास में दे रहे हैं। सेल्मा की अनासक्तता सर्वप्रमुख है। मृत्यु से साक्षात्कार करने के पश्चात् सेल्मा अब पुरानी स्वार्थी चालक महिला नहीं रही। सेल्मा की गहरी आस्था और अनासक्तता ने उसे संतुलित जीवन, परिपक्वता और गहरा जीवन चिंतन दे दिया सेल्मा के माध्यम से जिससे पाठक अज्ञेय की सर्जनात्मक कृति समझ सके।

- सेल्मा - संवेदना, तटस्थता, आस्था, उदार, अनासक्तता।
- योके- पाश्चात्य मानसिकता वाली, मृत्यु को खंडन मानने वाली, चिढ़चिढ़ी।

मनुष्य स्वयं अपनी नैतिकता अपनी नियति, अपनी स्वतंत्रता के क्षण का चुनाव करता है, यह दर्शन और भी स्पष्ट रूप से अज्ञेय के उपन्यास 'अपने अपने अजनबी' में आया है, जिसमें पाश्चात्य और पौराणिक दर्शन में मृत्यु के प्रति जीवनशैली का द्वंद्व पुष्टतर तर्कों से दीखता है। पाश्चात्य मानसिकता की गहराई से पहचान एवं समझ मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय में थी। रचनात्मक दृष्टि से 'अपने-अपने अजनबी' उपन्यास की मुख्य पात्र सेल्मा मृत्यु से साक्षात्कार कर लेने के पश्चात् पहले से अधिक संतुलित, गंभीर, संवेदनशील, तटस्थ सम्पूर्ण उपन्यास को पढ़ने के पश्चात् कहा जा सकता है कि सेल्मा का पौराणिक दर्शन अज्ञेय के व्यक्तित्व से मेल खाता है। 'अपने अपने अजनबी' अज्ञेय की संवेदना उन्हें तटस्थ भाव तक ले जाती है। इतने से छोटे से उपन्यास में अज्ञेय सीमित संयम और कलात्मक अनुमूर्ति को सहृदय पाठक के समक्ष रखते हैं। अज्ञेय 'अपने अपने अजनबी' भी कथा की पृष्ठभूमि विदेश की दिखाई- और कम शब्द और कम पात्रों के माध्यम से उपन्यास को परिपूर्ण बना दिया। उपन्यास के सीमित पन्नों पर अज्ञेय पौराणिक और पाश्चात्य दर्शन को गहराई से बता सके। सेल्मा की मृत्यु से साक्षात्कार होने के पश्चात् एक नये चिंतन दर्शन और जीवनदृष्टि से जीवन जीने लगती है। हा योके में भगवान को ओढ़ लेना ही चाहती हूं। पूरा ओढ़ लेना कि कहीं कुछ भी उधड़ा रह न जाए। तुम नहीं जानती कि जिसे माला की मणि तक नहीं पहुंचना है, उसके लिए एक-एक मनके का रूप कितना दिव्य होता है।' ¹

'और स्वतंत्रता- कौन स्वतंत्र है? कौन चुन सकता है कि वह कैसे रहेगा।

कैसे रहूंगा या नहीं रहेगा? मैं क्या स्वतंत्र हूँ कि बीमार न रहूँ- या कि अब बीमार हूँ तो इतनी भी न स्वतंत्र हूँ-कि मर जाऊँ? मैंने चाहा था कि अन्तिम दिनों में कोई मेरे पास न हो। लेकिन वह भी क्या मैं चुन सकी? तुम क्या समझती हो कि इससे मुझे तकलीफ नहीं होती कि जो मैं अपनों को भी नहीं दिखाना चाहती थी उसे देखने के लिए- भगवान ने एक-एक अजनबी भेज दिया।¹²

सेल्मा संवेदना से भरी दूसरी दृष्टि योके को दिखाती है। योके अपनी अनास्था छोड़कर बाहर आती है और जर्मन सैनिकों द्वारा शीलभंग होने पर अपने मृत्यु के उपयुक्त पल की तलाश में मारी-मारी भटकती हैं और अब वह केवल मरना चाहती है किसी भले आदमी के सामने। जगन्नाथ जो आस्था का पूर्व का और अच्छाई का प्रतीक बन कर आता है, उसकी मृत्यु का अंतिम साक्षी है। उसकी गोद में मृत्यु का वरण कर लेती है। उसे केवल इतनी समझ कि वह अच्छे आदमी के संस्पर्श अंतिम सांस ली।

'अपने अपने अजनबी' की कथावस्तु पाश्चात्य है और पात्र भी पाश्चात्य लिए हैं। पाश्चात्य कथा वस्तु की दृष्टि से यह लघु उपन्यास ही कहलाएगा। लगभग एक सौ सत्ताईस पृष्ठों के उपन्यास में तीन परिच्छेद हैं (1) योके और सेल्मा (2) सेल्मा तथा (3) योके।

'मूल समस्या तो वही है। अंतर केवल यह है कि शेखर के सामने प्रश्न यह था कि मेरी मृत्यु की सिद्धि क्या है, यानी मैं मर जाता हूँ तो कुल मिलाकर जीने का क्या अर्थ हुआ? पर यहां यह है कि जीवन मात्र नक्शे में मृत्यु मात्र का स्थान है और यहां मैंने दो दृष्टियों को सामने लाने की कोशिश की है। एक को मोटे तौर पर पूर्व की कह सकते हैं और दूसरे को पश्चिम की।'¹³

'कुछ भी किसी के बस में नहीं है, योके। एक ही बात हमारे बस की है- इस बात को पहचान लेना। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। 'सेल्मा' और स्वतंत्रता- कौन स्वतंत्र है? कौन चुन सकता है कि वह कैसा रहेगा? 'योके तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाईयों की जड़ है। न तो हम अकेले हैं न हम स्वतंत्र हैं। बल्कि अकेले नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं इसलिए स्वतंत्र नहीं है, और इसलिए चुनने या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। 'सेल्मा सम्पूर्ण उपन्यास दार्शनिक (अस्तित्ववादी) चिंतन, भाषा, तर्क, और मृत्यु की समझ दे रहा है। परंतु लघु उपन्यास अस्तित्ववादी दर्शन होते हुए भी हम इसे अस्तित्ववादी नहीं मान सकते क्यों कि मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय सेल्मा के माध्यम से परिष्कृत, परिपक्व भारतीय जीवन मूल्यों को प्रसारित-प्रचारित करना चाह रहे थे। इसमें अज्ञेय को कुछ हद तक सफलता भी मिली।

'इसमें अस्तित्ववाद भी सभी प्रवृत्तियों का साहित्यिक रूपांतर हो गया है और उसकी मूल भीति ही व्यक्ति का अस्तित्व एवं उसकी स्वतंत्रता तथा

अस्तित्ववादी दर्शन है, जिससे एक जीवन बोध को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है।'¹⁴

सामान्य तथा बौद्धिक वर्ग डॉ० सुरेश सिन्हा के मत से स्वीकृत भी होते हैं और नहीं भी। यदि दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दो विरोधी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है। पर है दोनों ही अस्तित्ववादी। इस अस्तित्ववादी विचारधारा में एक विचारधारा कट्टर निरीश्वरवादी या नास्तिक है तथा दूसरी विचारधारा आस्तिक है जो मानव में मूल्य प्रदान करने के वर्ग में है। आलोच्य उपन्यास में सेल्मा आस्तिक अस्तित्ववादी विचारधारा तथा योके नास्तिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रौढ़ सेल्मा मृत्यु को ईश्वर मानती है जबकि युवती योके उसे जीवन का खंडन समझती है।

अज्ञेय को अपने प्रथम उपन्यास में जो अपरिपक्वता, कठिनाई मिली उसे ही 'अपने-अपने अजनबी' तक के साहित्यिक कर्म में निरंतर परिष्कृत होती चली गई। धीरे-धीरे समझ के साथ-साथ जीवन मूल्यों को नये ढंग से समझते गए और लिखते रहे।

निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि अज्ञेय अपने-अपने अजनबी लघु उपन्यास के माध्यम से दो विचारधाराओं का द्वंद्व दिखा रहे थे। प्रौढ़ सेल्मा पूर्व कि विचारधारा का प्रतीक है तो युवती योके पाश्चात्य विचार धारा का। दोनों विचारधारा को दिखाकर अज्ञेय पाश्चात्य मानसिकता का विकृत रूप, भयावह पक्ष, नकारात्मकता, पूर्व की संस्कृति से तुलना कर सम्पूर्ण घटना-क्रम के माध्यम से सुलझा रहे थे।

इस कलात्मक अनुभूति को सहृदय पाठक के समक्ष रचनात्मक, सृजनात्मक जीवन दृष्टि दे गए। तभी सम्पूर्ण उपन्यास हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण सृजनात्मक कृति बन सके। सेल्मा और योके जैसे पात्र उपन्यास में प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठक के मन में रचनात्मक छाप (प्रभाव) में है कि मृत्यु से साक्षात्कार कैसा होता है। वस्तुतः यह उपन्यास कम शब्दों में कम तर्कों से भारतीय जीवन मूल्यों में निरंतर परिष्कार, गतिशीलता, सृजनात्मकता और संवेदना को परिपक्व करते हुए नये चिंतन के द्वार खोलता है।

'वस्तुतः मृत्यु की सापेक्षता में जीवन की प्रतिष्ठा, उसकी उत्कट अनुभूति अज्ञेय का प्रतिपाद्य है।'¹⁵

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अज्ञेय 'अपने अपने अजनबी' पृष्ठ 31
2. अज्ञेय 'अपने अपने अजनबी' पृष्ठ 34-35
3. अज्ञेय 'ज्ञानोदय' मासिक जुलाई 1963 अंक।
4. डॉ० सुरेश सिन्हा 'अपने अपने अजनबी' के संदर्भ में
5. डॉ० रामकमल राय अज्ञेय: सृजन की समग्रता

हिन्दी भाषा साहित्य में पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन

डॉ. साधना जैन* विनीता प्रजापति**

प्रस्तावना – वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के रूप में पत्रकारिता का माना जा रहा है। वर्तमान वर्ष 2016 में हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप लगातार बदल गया है। अनेक पत्रिकाएँ यद्यपि बंद हुई हैं परन्तु अनेक नई पत्रिकाएँ नए रूपाकार में शुरू भी हुई हैं। आज हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी और हिन्दीतर राज्यों का अन्तर मिटता जा रहा है। हिन्दी पत्रकारों का पाठक वर्ग तो सम्पूर्ण देश में ही उनका प्रकाशन भी देशभर में हो रहा है। डिजिटल तकनीक और बहुरंगे चित्रों के प्रकाशन की सुविधा ने हिन्दी पत्रकारिता जगत को अमूर्त परिवर्तित कर दिया है। इसी के साथ यह भी स्मरणीय है कि प्रकाशन जगत में भी वैश्वीकरण के साथ जुड़ी नई तकनीक के कारण मूलभूत क्रांति संभव हो सकी है। विभिन्न आयु वर्ग और रूचियों के पाठकों के लिए हिन्दी में विविध प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है तथा मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा और परस्पर व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार हो रहा है।

रेडियो तो हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाला व्यापक माध्यम रहा है। टेलीविजन बहुत थोड़े समय के भीतर ही हिन्दी माध्यम बन गया है। प्रतिदिन होने वाले सर्वेक्षण इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी कार्यक्रम चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो देश में सर्वाधिक देखे व सुने जाते हैं अर्थात् व्यवसायिकता की दृष्टि से हिन्दी संचार माध्यमों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है यही कारण है कि अंग्रेजी के तमाम जानकारीपूर्ण और मनोरंजनात्मक दोनों प्रकार के कार्यक्रम हिन्दी में डब करके प्रसारित करने की बाढ़ सी आ गई है। इससे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उनके अनुवाद में सुविधा होती है। पत्रकारिता ने हिन्दी भाषा वैविध्य और सम्प्रेषण क्षमता को सर्वथा नई दिशाएँ एवं दशाएँ प्रदान की हैं।

प्रस्तुत शोध को सात अध्यायों में बाँटा गया है जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय में हिन्दी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि-परिभाषा व स्वरूप, उद्भव एवं विकास, पत्रकारिता का उद्देश्य व दायित्व का वर्णन है।

द्वितीय अध्याय के अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ एवं विज्ञापन की भाषा प्रमुख पत्र- पत्रिकाएँ दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक विज्ञापन की भाषा का स्वरूप, भाषा के विविध प्रयोग मुहावरे, शब्द शक्तियों, प्रतीकात्मक भाषा, सामाजिक बोध का वर्णन है।

तृतीय अध्याय के अंतर्गत हिन्दी के चर्चित पत्रकार एवं उनकी सृजनात्मकता प्रारंभिक युग भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, गांधी युग, स्वतंत्रयोत्तर बोध का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत साहित्यिक पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का स्वरूप- साहित्य एवं पत्रकारिता का अंतर्संबंध, साहित्यिक विधाओं में भाषा

के स्वरूप का वर्णन है।

पंचम अध्याय के अंतर्गत सामाजिक पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का स्वरूप- ग्रामीण पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का रूप, राजनीति विषयक पत्रकारिता में हिन्दी का स्वरूप विधि संबंधी पत्रकारिता में हिन्दी स्वरूप का वर्णन है।

षष्ठम अध्याय के अंतर्गत पत्रकारिता की भाषा में नैतिकता में नैतिकता एवं भारतीय मूल्यों का स्वरूप पत्रिकाओं की भाषा, अखबारों की भाषा, सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाचारों की भाषा का वर्णन है। सप्तम अध्याय के अंतर्गत उपसंहार एवं निष्कर्षात्मक दृष्टि सम्पूर्ण शोध कार्य पर डाली गई है।

पूर्व अध्ययन की समीक्षा – अलका श्रीवास्तव ने 'मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव एवं विकास में संचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1857 से 1947 तक' 2005 विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। इनके शोध कार्य का उद्देश्य उन सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की पहचान करना है जो संचार माध्यमों की महत्त्व को प्रतिपादित करते हैं। इन्होंने अपने शोध कार्य में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है तथा इस शोध कार्य के उपरांत शोधार्थी ने निष्कर्ष स्वरूप यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव एवं विकास में संचार माध्यमों की भूमिका सर्वोपरि है तथा इन्होंने अन्त में यह सुझाव भी दिया है कि संचार माध्यम आज भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः देश में पुनः राष्ट्रीय चेतना विकसित करने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में संचार माध्यम अपनी पहले जैसी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

सोनाली नरगुन्दे ने 'प्रिंट मीडिया में विकास संचार अवधारणाएँ' 2008 इस विषय पर अपना शोध प्रबंध पूर्ण किया इनके शोध कार्य का उद्देश्य विकास के लिए प्रयासरत देश में जनमाध्यम किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं ? तथा समाचार पत्र जो विकास समाचारों को देने का सर्वोत्तम माध्यम है ये किस प्रकार विकास समाचारों को प्रसारित करने में सहयोग कर रहे हैं ? इन्होंने अपने शोध कार्य आगनात्मक पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है, शोधार्थी ने अपने शोध कार्य का यह निष्कर्ष बताया है कि प्रिंट मीडिया में विकास मात्र निरक्षरों और कमजोरों की पत्रकारिता नहीं बल्कि समाज में यह सभी वर्गों की जरूरत है तथा अंत में इन्होंने यह सुझाव भी दिया कि, मीडिया में जब तक अनिवार्यता लागू नहीं की जाएगी तब तक विकास समाचारों का कुछ नहीं हो सकता विकास के पैमाने स्वयं को बनाने होंगे,

* सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी) वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिन्दी साहित्य) जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

किसी से शिकायत करना सही नहीं है। भाषा भ्रम पैदा करने वाला मीडिया अपना बुनियादी स्वरूप बदले और विकास की बात करे।

उद्देश्य - राष्ट्र के कोने-कोने में जागरण नवस्फूर्ति और नवनिर्माण के मंत्र को फूंकना ही शोध का पावन उद्देश्य है, जिससे समाज का अमूल्य परिवर्तन संभव हो सका है। पत्रों की भाषा से ही आजादी में मदद मिली है, इसका इतिहास साक्षी है। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि का सराहनीय योगदान रहा है। समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जन-जीवन को विकास की ओर ले जाने का काम अखबारों की भाषा ही करती है। इसका उद्देश्य ज्ञान विज्ञान की सीमा का विस्तार करना है वर्तमान में पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों में गलत भाषा के प्रयोग से नैतिकता खत्म हो रही है जिस पर रोक लगाना है इसके साथ ही लोक शिक्षण एवं लोक रूचि को बढ़ावा देना व राष्ट्रीय एकता व अखण्डता का सम्मान करना भी है।

अध्ययन का महत्व, वर्तमान समसामयिक प्रासंगिकता - शोध की सहायता से विषय में विश्लेषण का मौका मिलता है। साथ ही हमारे ज्ञान का विस्तार होता है जिनकी जिज्ञासाओं को जानने की हमारी इच्छा रहती है उन्हें पूर्ण कर पाते हैं। पत्रकारिता सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र का संदेश देती है। अतः यह अध्ययन हिन्दी भाषा साहित्या में पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन से जुड़े तथ्यों की खोज करता है। इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को भी सिद्ध करता है। इसलिए इसको चौथा स्तंभ माना गया है।

शोध अध्ययन क्षेत्र तथा सीमाएँ - शोध के लिए शोधार्थी को आवश्यक व अनावश्यक सीमा रेखा को जानना, पहचानना अत्यंत आवश्यक है। शोध क्षेत्र की व्यापकता या क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने में शोधार्थी अपने लक्ष्य तक बिना भटकाव के पहुँचाता है। प्रत्येक विषय में विस्तार की असीम संभावनाएँ होती हैं। शोधार्थी अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोनों दोषों से बच जाता है। शोध का विषय हिन्दी भाषा साहित्य में पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। इस विषय की क्षेत्र सीमा पत्र-पत्रिकाओं व विज्ञापनों ने हिन्दी भाषा का स्वरूप तक है।

शोध प्रविधि - शोध के लिए जितना महत्व विषय चयन व परिकल्पना का होता है, उतना ही महत्व शोध प्रविधि का भी होता है। शोध प्रविधि वह साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है। शोध की प्रवृत्ति एवं विषय की आवश्यकता के अनुरूप विधि का चयन करने से अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में त्रुटियों की संभावनाओं को कम किया जाता है। प्रस्तुत शोध में प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रारंभिक से वर्तमान तक के पत्रकार एवं उनकी रचना धर्मिता व पत्रकारिता में हिन्दी भाषा के स्वरूप को बताया जाएगा। विषय से संबंधित सामग्री का संचयन प्रस्तुत शोध कार्य के लिए पत्र-पत्रिकाओं से भी यथास्थान उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

सामग्री संकलन के प्रमुख दो स्रोत होते हैं।

अ) प्राथमिक स्रोत -

1. अध्ययन विश्लेषण, मूल्यांकन तार्किक पद्धति द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचना।
2. पत्रकारों का साक्षात्कार लेना एवं उनके को मर्तों को जानना।
3. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए इससे संबंधित शोध कार्य का अध्ययन करना।

ब) द्वितीयक स्रोत -

ग्रंथालय

समाचार पत्र-पत्रिकाएँ

इंटरनेट

‘हिन्दी भाषा साहित्य में पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन’

प्रथम अध्याय- हिन्दी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि

- अ) पृष्ठभूमि
- ब) परिभाषा व स्वरूप
- स) उद्भव एवं विकास
- द) पत्रकारिता का उद्देश्य व दायित्व

द्वितीय अध्याय- प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं एवं विज्ञापन की भाषा

अ) प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ

1. दैनिक
2. साप्ताहिक
3. पाक्षिक
4. मासिक

ब) विज्ञापन की भाषा का स्वरूप

1. भाषा के विविध प्रयोग
2. मुहावरे
3. शब्द शक्तियाँ
4. प्रतीकात्मक भाषा
5. सामाजिक बोध

तृतीय अध्याय-हिन्दी के चर्चित पत्रकार एवं उनकी सृजनात्मकता

अ) प्रारंभिक युग

ब) भारतेन्दु युग

स) द्विवेदी युग

द) गांधी युग

इ) स्वातंत्र्योत्तर युग

ई) वर्तमान युग

चतुर्थ अध्याय - साहित्यिक पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का स्वरूप

अ) साहित्य और पत्रकारिता का अन्तर्संबंध

ब) साहित्यिक विधाओं में भाषा का स्वरूप

पंचम अध्याय - सामाजिक पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का स्वरूप

अ) ग्रामीण पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का रूप

ब) राजनीति विषयक पत्रकारिता में हिन्दी का स्वरूप

स) विधि संबंधी पत्रकारिता में हिन्दी का स्वरूप

षष्ठम अध्याय - पत्रकारिता की भाषा में नैतिकता एवं भारतीय मूल्यों का स्वरूप

अ) पत्रिकाओं की भाषा

ब) अखबारों की भाषा

स) सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाचारों की भाषा

सप्तम अध्याय- उपसंहार निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर. के. गुप्ता हिन्दी पत्रकारिता इतिहास एवं विकासओमेगा प्रकाशन, अंसारी रोड दरयागंज नई दिल्ली 2008
2. कृष्ण बिहारी मिश्र हिन्दी पत्रकारिता भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन शादरा दिल्ली 2008
3. डॉ. गुलाब कोठारी पत्रकारिता जनसंचार विज्ञापन यूनिवर्सिटी बुक हाउस

- प्रा.लि.जयपुर 1995
4. डॉ. चन्द्रकान्त मेहता हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता दीदी पंडित महामात्र हिन्दी साहित्य अकादमी गुजरात गांधी नगर 2003
 5. डॉ. चन्द्रकुमार जनसंचार माध्यमों में हिन्दी क्लासिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली 2000
 6. डॉ. जितेन्द्र वत्स हिन्दी पत्रकारिता की जनसंचार माध्यमनिर्मल प्रकाशन, नई दिल्ली 2008
 7. देवी सिंह राठौर/ हेमलता हिन्दी पत्रकारिता की सैद्धांतिक पृष्ठ भूमितक्षशिला प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2003
 8. बेलारानी शर्मा आधुनिक पत्रकारिता एक नजर राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2006
 9. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव पत्रकारिता के विविध आयाम सुमित इंटरप्राजेस, नई दिल्ली 2006
 10. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास नमन प्रकाशन 2009
 11. रामस्वरूप चतुर्वेदी हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास लोक भारती प्रकाशन 2011
 12. डॉ. वैद्य प्रताप वैदिक हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम-2 हिन्दी बुक सेंटर, दिल्ली 2002
 13. डॉ. विनोद गोदरे पत्रकारिता के विविध रूपवाशि प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली 2000
 14. शैलेन्द्र सेंगर पत्रकारिता और पत्रकार आविष्कार प्रकाशन, शिवाजी मार्ग, करतार नगर, दिल्ली 2008
- समाचार पत्र-पत्रिकारें -**
- सामाजिक चिंतन शोध पत्रिका, संस्कृति अर्द्धवार्षिक पत्रिका, ग्राम्यश्री, आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका, नवभारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, प्रभातकिरण, जागरण आदि।
- शब्द कोश -**
- सामाजिक मीडिया शब्दकोश, हर्षदेव, पत्रकारिता कोश, गोपीकृष्ण सहाय, हिन्दी शब्दकोश, हरदेव बाहरी, साहित्य कोश भाग-1, साहित्य कोश भाग-2

कबीर की भक्ति साधना

डॉ. शिप्रा वर्मा *

प्रस्तावना - कबीरदास मूलरूप से भक्त कवि ही थे। उन्होंने भक्ति साधना का केन्द्र प्रेमलीला को माना और इसका बहुत ही व्यापक स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया। इस स्वरूप को वह ही समझ सकता है जिसके हृदय में भक्ति की सच्ची रसधारा बरसती है। कबीर की यही भगवत प्रेम साधना सच्चे अर्थों में उन्हें भक्ति के उच्च शिखर पर बिठाती है। भक्ति के द्वारा शून्य और सहज से समाधि की व्याख्या करते हैं।

कबीर का प्रादुर्भाव उस काल में हुआ जब सामाजिक कुरीतियां चरम पर थी। भक्ति मार्ग पर चलते हुए सामाजिक विषमताओं को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने भक्ति को अपने अन्तर्मन में समाहित कर लिया था। सम्पूर्ण चेतन अथवा अचेतन जगत में उसी परमसत्त की अनुभूति उन्होंने की। कबीर के समय में मुगल सत्त के कारण सूफी मत का प्रभाव भी भक्ति के लिए खुला। स्वयं के भीतर हठयोग साधना के माध्यम से सभी नाड़ियों को जाग्रत करके उन्होंने उस परम निर्गुण ब्रह्म के दर्शन किए। कबीरदास की व्यापक भक्ति ने उन्हें फक्कड़ और मस्तमौला बना दिया। भक्ति रूपी प्रिया के लिए भगवान रूपी प्रेमिका ने जो चुनरी संवार दी है। यह चुनरी प्रिय स्वयं ही अपनी प्रेमिका को प्रदान करता है और कोई अन्य इसे नहीं ले सकता-

चुनरिया हमरी प्रिय ने संवारी
कोई परिहै पिय की प्यारी !
आठ हाथ की बनी चुनरिया
पंच रंग पटिया पारी।¹

भगवान ने जिस उपहार को दिया है, उसे अमूल्य समझना चाहिए। प्रेम जितना ही महान होगा उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। भगवद् प्रेम का यह मार्ग आसान नहीं होता जीवात्मा को यह अनुभूति आवश्यक है। ईश्वर रूपी प्रियतम जिसे प्रेम करता है वह उसे फूलों की सेज नहीं अपितु कांटों का मार्ग दिखा देता है-

'ताइ तो आमी भाबी बसै,
ए कि तोमार दान ?
कोथाय एरे लुकिये राखि
नाइ ये हेन स्थान।'²

प्रियतम के प्रेम का दान चुकाना भी कठिन काम है। दिन रात का जूझना दुःख और विपत्ति में आगे बढ़ते जाना किसी बिरले का ही काम है। सती का संग्राम तो एकाध पल का होता है परन्तु भक्त का संग्राम दिन-रात का होता है-

'साध का खेल तो बिकट बेदामती,
सती और सुर की चाल आगे।
सूर घमासान है पलक दो चार का,

सती घमासान पल एक लागे।'³

कबीरदास ने प्रेम की लीला को साधना के रूप में देखा। प्रेम के लिए तड़प बहुत ही आवश्यक है। बिना व्याकुलता के अपने प्रियतम को प्राप्त कर पाना कठिन है। विरही आत्मा पूछती है कि उसके प्रियतम कब आएंगे-

'चकवी बिछुरी रैनि की, आइ मिलि परभाति।

जे जन बिछुरे राम ते, दिन मिलै न राति।

बिरहिन उभि पंधसिरि, पंध बुझै धाइ।

एक सबद कहि पीव का, कब रै मिलैगें आइ।'⁴

कबीरदास का प्रियतम दुःख का राजा है। उसका रास्ता देखते-देखते आंखों में झाई पड़ गई, नाम पुकारते-पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। यह पीड़ा अभावजन्य नहीं है, भाव स्वरूप है इस कष्ट में भी भक्त एक प्रकार का उल्लास अनुभव करता है क्योंकि इसी पीड़ा से प्रियतम मिलन का मार्ग मिलता है-

'अंखड़िया झाई पड़ी, पंध निहारि -निहारि

जिभड़िया छाला पड़या, राम पुकारि पुकारि।'⁵

कबीरदास की प्रेम भक्ति साधना के आदर्श सती और शूर है, जो माया-मोह में आसक्त है। वह कबीर जैसी विरही आत्मा का आदर्श नहीं हो सकता। भक्त का संग्राम शूर के संग्राम से भी बढकर है, सती के आत्म बलिदान से भी श्रेष्ठ है-

'साधु सती और सूरमां, इन पटतर कोउ नाहि।

अगथ पंध के पद धरै, डिगै तो कहाँ समाहि।

तीनौ निकसि जो बाहुदै, ताको मुंह मति दीठा।'⁶

यह जो एक रस प्रेम है, उसका निबाहना सचमुच कठिन व्यवहार है। क्षणिक आवेश में ज्ञान और कर्म की मर्यादा भंग हो सकती है। इसका मार्ग अगम अगोचर है। कबीर के प्रेम का मार्ग सरल फक्कड़ाना और मस्त है। भक्ति का यह मार्ग खाला का घर नहीं है, जहाँ मनचले और रोने से ही फरमाइश पूरी हो जाती है-

'कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि।

सीस उतरै हाथि करि, सो पैसे घर माहि।'

कबीर की भक्ति पर सूफियों का भी प्रभाव पड़ा है। जायसी की ही भांति उन्होंने भी सूफियाना तरीके से भी अपनी साधना की है और सूफियों के हठयोग को अपनाया है। चाँद और सूर्य, पवन और पानी भी जहाँ जाने में असमर्थ हैं। उस अगम अगोचर स्थान तक विरह की मारी प्रियतमा अपने प्रिय तक किस प्रकार पहुँच सकती है ? उस स्थान तक पहुँचने वाला केवल एक सदगुरु ही है नहीं तो आत्मा इस संसार की आसक्तियों में जकड़ी रह जायेगी-

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनाउगी, कन्नौज (उ.प्र.) भारत

‘नैहरवा हमका नाहि भावे।

साई की नगरी परम अति सुन्दर, जहां कोई जाइ न आवै।

चाँद-सूरज जहं पवन न पानी, को संदेश वै।

दरद यह साई को कौन सुनावै।’⁸

इस नश्वर संसार में केवल राम ही अविनाशी है और यदि मुक्ति का मार्ग खोजना है तो इसी अविनाशी की शरण में जाना होगा इसी कारण भक्त को मृत्यु का भय नहीं होता। सांसारिक व्यक्ति तो मृत्यु के बाद मरता है किन्तु भक्त तो निरन्तर विरह की अग्नि में जलते हुए जीते हुए मरता है-

‘हैं तोहि पूछौं हे सखी जीवत क्यों न मराइ।

मूवा पीछे सत करै जीवत क्यों न मराइ।’⁹

हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों में कोई कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण नहीं हुआ। वे बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अदम्य साहस लेकर आए। कबीर ने भक्ति के द्वारा ही समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया।

सभी धर्मों के आचार-विचारों को परखने के उपरान्त ही कबीर ने अपनी बात कही इसी कारण वे भक्त के साथ-साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रेम भक्ति ही कबीर की वाणी का आधार है। कबीर की भक्ति साधना सच्चे अर्थों में सांसारिक सत्यता का बोध कराती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कबीर - हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 49
2. वही, पृ० 150
3. शब्दावली कबीर साहब की, बेलवेडियर प्रेस; इलाहाबाद, पृ० 108
4. कबीर ग्रंथावली - श्री श्यामसुन्दर दास, पृ० 7-8
5. वही, पृ० 69
6. वही, पृ० 71
7. शब्दावली ग्रंथसाहब की, बेलवेडियर प्रेस; इलाहाबाद, पृ० 72
8. कबीर ग्रंथावली - श्री श्यामसुन्दर दास, पृ० 67
9. वही, पृ० 71

बोधगया स्तूप में मूर्ति कला अंकन

डॉ. सुदीप शर्मा *

प्रस्तावना - बोधगया का अशोक कालीन मूलबोधिग्रह अब सुरक्षित नहीं रहा परन्तु उसकी आकृति भरहुत के वेदिका स्तम्भ पर मिली है। जिसके अनुसार यह स्तम्भों पर खड़ा हुआ मण्डप था तथा उसकी छत खुली हुई थी। जिसमें से बोधिवृक्ष की शाखाएँ आकाश की ओर उठ रहीं थी।

बोधिघर के चारों ओर अशोक ने एक वेदिका या वेष्टिनी बनवाई थी, मूल में यह वेदिका ईंटों की थी, जो अब भी नींव में लगे है, परन्तु कालान्तर में इसके स्तम्भ, सूची एवं उष्णीस सब पत्थर के कर दिए गए।

यह वेदिका विन्यास में भरहुत या सांची जैसी है परन्तु इसका समय (काल) उनके बीच में है और यह भरहुत के समान सर्वथा अलंकृत है। इस पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि यह इन्द्राग्निमित्र की रानी कुरगी और बृहमित्र की रानी नागदेवा का धार्मिक दान था।

ऐसा ज्ञात होता है कि यह वेदिका भी पद्यवर वेदिका के नमूने पर थी तथा इसके उष्णीषों पर पद्यवल्लरी एवं खम्भों पर पद्मक है, 0020 जिन्हें सूरजमुखी का फूल भी कहा जा सकता है। इस पर उत्तरकुरु प्रदेश के कल्पवृक्ष एवं कल्पलताएँ, जातक कथाएँ तथा बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक दृश्य हैं। उदाहरण के लिए अष्टासिक स्तम्भों के कोरे हुए संकरे कोनों पर कल्पवृक्ष के साथ मिथुन और आभूषण उत्कीर्ण किए गए हैं तथा स्तम्भों के अग्रभाग एवं पृष्ठ भाग में कल्पवृक्ष मिथुन और पुष्पाभरणों की प्रसवसम्पदा को अलग-अलग भी दिखाया गया है। (चित्र संख्या-1)

यहां अंकित दृश्यों में आसन पर बैठी हुई मिथुन मूर्ति, एक प्रासाद में वेदिका तोरण के अग्रभाग में पुरुष और पीछे दो स्त्रियां, प्राचीन श्री देवी की परंपरा में गजलक्ष्मी (चित्र संख्या-2), सच्छत्र बोधिमण्ड युक्त बोधिमण्ड की पूजा करते हुए मिथुन (बोधगया में सबसे उपयुक्त अंकन), बोधिमंड या स्तम्भ पर प्रतिष्ठित धर्म चक्र की पूजा (चित्र संख्या-3, 4), बोधिमण्ड पर त्रिरत्न (चित्र संख्या-5) स्तूपमह, शंक्रुर्ण यक्ष (ऊर्ध्वकर्ण गुहाक या किंकर राक्षस), नीचे बैठे हुए यक्ष की सहायता से वृक्ष पर आरोहण करती हुई वृक्षका देवी (चित्र संख्या-6), चौकी पर बकरी के साथ माता और पुत्र, पूर्ण घट पर कमलवन में खड़ी हुई स्त्री की भव्य मूर्ति जैसी मथुरा से प्राप्त श्री लक्ष्मी की मूर्ति अपने नये स्वरूप में है। वृक्ष देवता यक्ष द्वारा निधि प्रदान (चित्र संख्या-7)। और बुद्ध के जीवन दृश्यों में बीणा लिए हुए पंचशिख गन्धर्व के साथ इन्द्र द्वारा इन्द्रशैल गुफा में बुद्ध का दर्शन (चित्र संख्या-8), एक गुफा के बाहर बैठा ऋषि और भीतर बजासन (चित्र संख्या-9), गुफा के बाहर अंजलि मुद्रा में खड़ी हुई मिथुन मूर्ति (चित्र संख्या-1), आठ कोठों की आठ पंक्तियां अर्थात् 64 चौसठ घरों के फलक पर चौपड़ खेलते हुए दम्पति, ये दम्पति दृश्य यह सूचित करते हैं किस प्रकार उत्तरकुरु सम्बन्धी

अभिप्राय बौद्ध धर्म सम्बन्धी अभिप्रायों के साथ घुल-मिल गए थे। जेतवन का दान, (चित्र संख्या-10) बोधिवृक्ष की पूजा करते हुए हस्ति समूह जैसा भरहुत और सांची में अति विशद है। बोधगया में जातकों के अंकन की संख्या सीमित है, यथा - छद्मन्त जातक, पदकुसलमाणव जातक जिसमें अश्वमुखी यक्षी और ब्राह्मण युवक है। वेस्सन्त जातक एवं किन्नर जातक के अतिरिक्त यहां और भी जातक है, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है ये बड़ी जातकें हैं भरहुत के जातकों जैसे चुटकुले नहीं।

पशुओं का अंकन बोधगया की विशेषता है यथा - सपक्ष सिंह, सपक्ष अश्व सपक्ष हस्ती, नरमच्छ, वृषभ, मेढे, बकरे, मगरमच्छ एवं अन्य बहुत से ईहामृग या कल्पना जन्म पशु। (चित्र संख्या-11-14)


एक अन्य स्तम्भ पर गजमच्छ या जलेभ पर आरोहक पुरुष मूर्ति है तथा उसी स्तम्भ पर दूसरी मूर्ति सिंह मुखी मगरमच्छ की है और अन्य जलचर, थलचर पशुओं की ईहामृग मूर्तियां उष्णीष पर अंकित हैं। जो सांची और मथुरा कला में उत्कीर्ण पशु मूर्तियों की व्याख्या के लिए सुन्दर भूमिका प्रस्तुत करती है।

यहां अंकित मूर्तियों से यही विदित होता है कि बोधगया के शिल्पियों ने जो धाती भरहुत से प्राप्त की, उसे और पल्लवित रूप में सांची और मथुरा के कला शिल्पियों को प्रदान किया और उन्होंने कई प्रकार से अपनी मौलिकता भी दिखाई एक तो ईहामृगों के रूपों में वृद्धि की और विशेष रूप से सपक्ष पशुओं के प्रदर्शन में, दूसरे उन कलाकारों की शैली सीधी, सरल और एक सूत्र में ग्रथित है, जिसमें सांची के समान क्रमिक दृश्य नहीं है। यहां के शिल्पियों ने पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में भी अपनी दृष्टि का विकास किया, जैसे एक स्तम्भ पर एक पेंचीदा दृश्य है, जिसके अंतर्गत बड़ी कोणांकित वेदिका में वेष्टिनी युक्त एक वृक्ष और पुनः वेष्टिनी में कई भवनों का अंकन है। यहां एक चौकी पर पूर्णघट के मुख पर खड़ी हुई भव्य मूर्ति या देवी श्री लक्ष्मी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है।


यहां पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बोधगया की मूर्ति कला भरहुत की मूर्ति कला से कहीं अधिक विकसित कोटि की प्रतीत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. मित्र, राजेन्द्र लाल, बुद्धगया, कलकत्ता, 1878
2. मुकर्जी, आर० के०, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति।
3. उपाध्याय, भगवत शरण, भारतीय कला का इतिहास।
4. राय, कृष्णदास, भारतीय मूर्तिकला, तृतीय संस्करण, काशी।
5. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, वाराणसी, 1970



चित्र सं. 1 - अंजलि मुद्रा में वंदना करते हुये युगल




चित्र सं. 2 - श्री गजलक्ष्मी




चित्र सं. 3 - धर्मचक्र पूजा, बोधगया



चित्र सं. 4 - धर्मचक्र पूजा, बोधगया




चित्र सं. 5 - बोधिमण्ड पर त्रिरत्न




चित्र सं.6 - नीचे बैठे यक्ष की सहायता से वृक्ष पर आरोहक वृक्षका




चित्र सं.7 - वृक्ष देवता द्वारा निधि प्रदान का दृश्य




चित्र सं.8 - इन्द्र द्वारा इन्द्र शैल गुफा में बुद्ध का दर्शन



चित्र सं.9 - गुफा के बाहर बैठा ऋषि




चित्र सं.10 - जेतवन के दान का दृश्य



चित्र सं.11

चित्र सं.12



चित्र सं.13

चित्र सं.14

राजस्थानी लोककला में मांडवा

बबीता यादव *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से राजस्थानी लोक कला का परिचय कराना है। जिसमें मांडवा लोक कला के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है। आज ये विविध मांडणे स्त्री जाति की लोक कला का परिचय देते हैं, जिनको सीखने के लिए न स्कूल है न कॉलेज केवल अपने छोटे से घर रूपा कला मंदिर में रहकर ही ये अशिक्षित नारियाँ अपने कलात्मक दृष्टिकोण का परिचय देती हैं, जो 'मांडणों' के रूप में हमारे सामने है। उनकी इस कला को देखकर चकित हो जाना स्वाभाविक है।

प्रस्तावना – सचमुच मांडणे क्या है? मानो सफेद फूलों की रौस बिछी है। किसी आँगन से लहकर गूँजी-

‘उलढ गयी म्हारी पायलड़ी
ढोला आये संवारोजी म्हारी लट उलझी
म्हे तो मांड रही जी रंग मोरनी’

इस 'धोरां री धरती' के राजस्थानी मांडणों की तो बात ही न्यारी है। रंगीला राजस्थान, श्रृंगार और वीरता से सज्जित कथाओं में डूबा हुआ। इस इन्द्रधनुषी बालू पर अगर हर कदम पर हल्दीघाटी है, तो स्थान-स्थान पर दैलवाडा और रणकपुर जैसी कलात्मक झांकिया भी हैं। असंख्य औरव मण्डित दीप है। अनेक जौहर की प्रज्वलित बातियाँ हैं। जो यहाँ की संस्कृति और तैलयुक्त शक्ति से आलोकित होती हुई युगों से मीरा के गीतों को चन्द्रबरदाई के रोंसा को और बिहारी की सतसई को कंठ-कंठ में उतारती आ रही है। जहाँ तन-मन का श्रृंगार तलवारों और रणवासों में होता रहा हो, वहाँ के पर्वों के चटकीलेपन का अपना अलग ही महत्व है।

लोक-कला सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही कलारूपों ने विविध रूप धारण कर लिए। लोक कला भी इन्हीं कलारूपों में से एक है जो प्रारम्भिक सभ्यताओं की परम्पराओं का निर्वहन करते हुए वर्तमान में फल-फूल रही है। इस कला का जन्म मनुष्य के सृजनात्मक प्रयास से विकसित अलंकरणों से हुआ जिसमें इन अलंकरणों से घर-आँगन एवं उसकी दीवारों को सजाया जाने लगा और धीरे-धीरे यह एक सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान बन गया और इसने लोक कला का रूप ले लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि लोक कला का जन्म जनमानस की सृजनात्मक कला प्रवृत्ति के विकास के साथ ही हुआ है।

लोक कला, लोक या सामान्य जन की कला है। जो संस्कृति की रीढ़ होती है। इस कला को मुख्यतः ग्रामीण जनता से जोड़ा जाता है। लोक कला जन साधारण की अभिव्यक्ति है। जन साधारण की सांस्कृतिक आंकाक्षाएँ जब सुलभ उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से अपने कलात्मक रूप में अभिव्यक्त होती है, तो वह लोक कला कहलाती है।

हम लोक संस्कृति का यदि निकटता से अध्ययन करें तो पाएंगे कि हमारी लगभग सभी लोक कलाएँ महिलाओं द्वारा पोषित और सुरक्षित रही हैं। ये लोक कलाएँ उनके सौन्दर्य-बोध, सुरुचिसम्पन्नता एवं कलात्मक

अभिरुचि एवं परम्पराओं रीति-रिवाजों, में निष्ठा की प्रतीक है। इसी निष्ठा से ये लोक कलाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। इनमें से एक है 'मांडणा'।

राजस्थान लोक कला की खान है। राजस्थानी लोक अलंकरण का सबसे अधिक विकसित और प्रचलित रूप है मांडणा। मांडणा शब्द का संज्ञा और क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। मांडणा संज्ञा डिजाइन या परिकल्पना को व्यक्त करती है और मांडणा क्रिया का अर्थ है, चित्रित करना या बनाना।

मांडणा हमारी प्राचीन सभ्यता का ऐसा अंग है, जो समय की धारा के साथ-साथ निरन्तर विस्तार पाता चला गया और सत्यं शिवं सुन्दरम् की भावना हर घर आँगन में अलंकरण या मांडणे के रूप में प्रतिस्थापित होती चली गयी। राजस्थान में ग्रामीण अंचलों की महिलाएँ तो इसलिए कह उठती हैं कि

‘आंगरियां जद डूबसी जद आसी तेवार’

हे अंगुलियाँ तुम रंग में डूबोगी तभी नया पर्व या त्यौहार आने का संकेत मिलेगा।

वात्सायन कृत कामसूत्र नामक ग्रन्थ में (प्रथम अधिकरण अध्याय-3) में स्त्रियों के लिए जिन 64 कलाओं का वर्णन है। उनमें चौथी कला आलेख्यम् (चित्रकला), छठी कला तण्डुलकुसुमा-वलिविकारा (देव पूजन के समय विभिन्न प्रकार के जौ, चावल तथा पुष्पों को सजाना) सातवीं कला पुष्पास्तरणम् (कक्षों तथा भवनो के उपस्थानों को पुष्पों से सजाना) और नवीं कला मणिभूमिकाकर्म (घर पर फर्श को मणि मोतियों से जड़ित करना या नाना रंग के पत्थर खण्डों से सजाना) है।

कलानाम् प्रवरं चित्रम्, धर्म, कामार्थं मोक्षदम्।

मांगल्यम् प्रथम हेतद्, गृहेयत्र प्रतिष्ठितम्।

विष्णु पुराण में चित्रकला को धर्म, अर्थ काम, मोक्ष प्रदाता कहा गया है और चित्र की उपस्थिति को घर में मंगल का प्रतीक माना है। वैदिक काल में पवित्र यज्ञकुण्डों को चित्रित करने का भी उल्लेख मिलता है।

नीम, पीपल ओर बरगद की ललछँडी छाया भी पुकार रहती है।

‘गोबर लीपी देहरी चन्दन सी महके माटी नीलम दिवड़ जड़ी हूँसे पुखराजी बाती’

ग्रामीण महिलाएँ खूजर की डंडी या मूँज की कूची बनाकर या डंडी में रूई या कपड़ा लपेट कर भी आवश्यकतानुसार अंकन करती हैं।

मांडणो माड़ने की एक मुख्य बात यह है कि इसे केन्द्र से शुरू करके बाहर की तरफ बढ़ाते हैं। बंधी हुई इकाईयों के अनुसार मांडणो को कम या ज्यादा बढ़ाकर बनाया जा सकता है। पहले मूल इकाईयों को गेरू (लाल) रंग से खींच लिया जाता है फिर मांडणो को गोलों, त्रिभुजों, चौखानों में बांटकर वृत्ताकार, आयताकार कोई भी आकार के अनुसार सहज रूप से विकसित किया जा सकता है। मांडणों में फूल, हरेड, चौक, डमरू, हीड़, पान, लड्डू आदि की बेलें, जुआ, झंवरा व चीरव, भीरती में भकर मूल आकारों को वृहद् व अलंकृत रूप दे दिया जाता है। मूल इकाईयाँ एक जैसी होने पर भी उनको भरने में विधिवता की संभावना होती है। जिसके फलस्वरूप मांडणो का रूप बदलता रहता है।

राजस्थान में यह परम्परा है कि आंगन धोने या लीपने के बाद उसे खाली या सूना नहीं रखते। मांडणो रीतियों की कलात्मक अभिरूचि को व्यक्त ही नहीं करते अपितु उनमें छिपी मान्यताओं एवं संस्कारों को भी परिलक्षित करते हैं। विश्वास किया जाता है कि इस कला का जन्म सुख-समृद्धि, धन-प्रदात्री धरती-माता को प्रसन्न करने के लिए हुआ होगा यहाँ तक कि मरने पर भी श्मशान घाट की जगह पर पण्डित द्वारा सातिया बना दिया जाता है। ऊँ या राम लिख दिया जाता है।

इसके अलावा वर्ष भर अलग-अलग व्रत अनुष्ठानों पर तरह-तरह के मांडणो माडे जाते हैं। तभी तो आपस में बतलाती गांव की औरतें कह उठती हैं।

‘अजी पूछोई मतआ तिवारो को, खेता में काम अलग

लीपणो-पोतणो अलग, मांडणो ऊपर सूं। घणाई काम रहे छै। घर-द्वार आच्छा लागै छै घर-द्वार आचढां लागे दे मांडणा सूं।

निष्कर्ष - लोक कला के प्रति शहरी क्षेत्र के लोगों की रुचि बढ़ी है। जो इसकी समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन विभिन्न कला शैलियों के प्रभाव औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास एवं आधुनिकीकरण ने लोककला को भी प्रभावित किया है। जिससे इसके परम्परागत स्वरूप में बदलाव आया है। और यह अपना परम्परागत स्वरूप खो रही है। साथ ही आज के समाज के परिवर्तित रूप, बदलती मान्यताओं एवं प्राथमिकताओं ने भी लोक कला के मूल स्वरूप को नष्ट किया है। परन्तु किसी भी कला का अन्त नहीं होता विशेषकर जिसका जीवन के साथ संबंध होता है। अतः कालान्त में लोकला में विविध रूपों का समावेश होगा व कला की यह जीवन से सीधी जुड़ी धारा अनवरत बहती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सावित्री परमार, लोक संस्कृति के शिखर, जयपुर 1997, पृ.स. 166 से 168
2. नरेन्द्र सिंह यादव, ग्राफिक्स डिजाइन जयपुर 2006 प्र.स. 18 से 20
3. डॉ०. चन्द्रमणि सिंह, राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, जयपुर 2000 प्र.स. 75 से 76
4. डॉ०. रेखा भटनागर, आकृति, जयपुर 1996 प्र.स. 26, 29 से 30

कलाकार की मनोवृत्ति और सामाजिक परिवेश

बबीता यादव *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से कलाकार की मनोवृत्ति (विचार) का परिचय कराया गया है। सामाजिक विचारों के अन्तर्गत उद्देश्य, महत्व आदि का वर्णन किया गया है। कलाकार की मनोवृत्ति और समाज पर इसका क्या असर है। यह शोध पत्र अत्यन्त सार्थक होगा, समाज व कलाकारों के लिए यह उपयोगी होगा ऐसी कामना करती हूँ।

प्रस्तावना – कला साधना है, रसानुभूति है, जिसके बिना कलाकार अपूर्ण है। कला सौन्दर्य से मानव मस्तिष्क परिष्कृत होता है। इसके समावेश से परमात्मा की उपलब्धि होती है। मुख्यतः कला साधना में ध्यान मग्न कलाकार ही सच्चा कलाकार कहलाता है और अनुभूति, संवेदना, अभिव्यक्ति आदि कला में सम्पूर्ण तत्वों के समावेश से ही उसे पूर्ण आनन्द का अनुभव होता है। दूसरे दृष्टिकोण से कलाकार स्वयं के व्यक्तित्व में ही सीमाबद्ध नहीं होता, वह समाज की मनोवृत्ति से भी प्रभावित होता है। कलाकार की मनस्थिति का संबंध समाज से होता है। वह कला का साधक होता है। इसलिये समाज में कला के विभिन्न स्वरूप जैसे-विज्ञापन, पोस्टर, कवर डिजाइन, आलंकारिक बेलबूटें आदि को बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने कला कौशल के माध्यम से चित्रित करता है।

प्राचीन काल में कलाकार को 'शिल्पी' शब्द से सम्बोधित किया जाता था, किन्तु आज आधुनिक युग में 'शिल्पी, शब्द के स्थान पर कलाकार को 'चित्रकार' या 'मूर्तिकार' के नाम से जाना जाता है। कला के इस विकसित स्वरूप को देखकर यह आभास होता है कि कलाकार सृजन में अपनी मनोवृत्ति को अधिक बढ़ाकर उस स्थिति तक पहुँचना चाहता है जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थान रखती है। आज कलाकार में काल्पनिक प्रवृत्ति अत्यधिक दर्शित होती है। इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को चित्रांकित करने में कल्पना के नये-नये रूपों को एक नवीन वातावरण के साथ अंकित करना चाहता है किन्तु यह प्रवृत्ति इतनी सरल नहीं है कि सभी कलाकार इसे अपना ले अर्थात् रचनात्मक कल्पना करने में समर्थ होना एक साधारण कलाकार के लिये सहज नहीं है।

आधुनिकता के प्रभाव में आज कलाकार की मनोवृत्ति सूक्ष्म होती जा रही है। जिसका प्रभाव वर्तमान के कलाकार की कृतियों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आधुनिक चित्रकार सूक्ष्म चित्र बनाकर वैसा ही आनन्द प्राप्त करता है, जैसा बालक अपने जीवन में। कलाकार की मनोवृत्ति और कलाकार की अंतरात्मा की भूख को शांत करने के लिए चित्रण में सौन्दर्य तत्वों का होना आवश्यक होता है। फलतः वह आत्मा की उच्चता को अपने संकेतों, आकारों के विकास के माध्यम से अंकित करता है। अतः एक कलाकार का चित्रण उसकी आंतरिक संवेदनाओं के अनुरूप अंकित होता है जिसका सम्बंध उसकी स्वतंत्र भावना पर निर्भर है। अतः आज का कलाकार इसी संदर्भ में नये सृजनात्मक चित्रण में संघर्षरत है। किन्तु ऐसी स्थिति में कला

का कोई निश्चित प्रतिमान स्थित नहीं हो पाता, इसलिए आज के कलाकार द्वारा चित्रांकित चित्र पूर्ण रूप से परम्परा से जुड़ा नहीं रह पाता है। इतना होने के बाद भी आज की चित्रकला प्राचीन परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कलाकार अपनी खुली आँख व मस्तिष्क एवं सामाजिक परिवेश, जीवन में घटित होने वाले कार्यों, भावनाओं, विचारों आदर्शों आदि में अपने आप को मिलाकर नवीन चेतना व मान्यताओं से प्रभावित होकर नवीन चित्रण करने के लिए अग्रसर है।

स्पष्टतः कलाकार की मनोवृत्ति सदैव सामाजिक स्थिति को चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्ति करने की रहती है। कलाकार के लिए कला जीवन का माध्यम होता है। कलाकार समाज के रहन-सहन, आचार-विचार, सौन्दर्य भावना एवं जीवन की अन्य पद्धतियों से भी अनुभव प्राप्त करते हैं और पुनः उसे परिष्कृत कर चित्रांकित करने में प्रयासरत रहते हैं। समाज की मनोवृत्ति परिवर्तनशील होने के कारण कलाकार की मनोवृत्ति भी स्थिर नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप उसके द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है। वह साधारण जन की समझ से बाहर होता है। अतः कलाकार की मनोवृत्ति एवं सामाजिक मनोवृत्ति का मेल होना आवश्यक है।

भारतवर्ष में कला सदैव धर्म से प्रेरित होने के कारण कलाकार के चित्रण का उद्देश्य साधारण जन, धर्म, देश की सेवा होना स्वाभाविक था उदाहरण स्वरूप अजन्ता के कलाकारों ने सदियों तक बौद्ध धर्म की सेवा में अपना पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया और कहीं भी ऐसे कोई चिन्ह अंकित नहीं किए जिनसे उनका परिचय मिल सके, किन्तु आज के कलाकार की आस्था साधारण जन के प्रति सद्भावना, धर्म की सेवा आदि पर न रहकर अपनी स्वयं की कल्पनाओं पर आधारित हो गई है तथा कलाकार व्यक्तिपरक एवं समष्टिगत भाव से चित्रांकन करने लगा है।

आज कलाकारों की कृति साधारण जन सामान्य की रूचि पर निर्भर होने से कभी-कभी कलाकार अपनी कृति के प्रचार के लिए विज्ञापन के माध्यमों का सहारा लेते हैं।

यद्यपि उसकी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि परिपूर्ण सौन्दर्य और हर तरफ से परिष्कृत कृति को विज्ञापित करने की क्या आवश्यकता है? परन्तु कृति का संबंध साधारण जन के संपर्क में लाने के लिए ऐसा करना सही साबित होता है। कुछ समय के लिए कलाकार को साधारणजन से पृथक व्यक्ति मान भी ले, किन्तु 'कला के लिये कला' का सिद्धांत सभी

के लिए है और इसी के साथ-साथ कलाकार की कला का विकास समाज के विकास के साथ चलता रहता है। कलाकार को चित्रांकन के अतिरिक्त समाज के यथार्थ और आदर्श छाया की भी नितान्त आवश्यकता होती है। क्योंकि इसी छाया में कलाकार समाज की समन्वित भावनाओं के साथ मिलकर अपनी कृति को निरूपित करता है।

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि आज कलाकार की मनोवृत्ति कला के मूल उद्देश्यों से भटक गई है, जिसकी पुनः प्राप्ति केवल कला के महत्वपूर्ण कार्यों द्वारा ही संभव है। यदि उत्कृष्ट और सुशिक्षित, अनुभवी व दक्ष कलाकारों द्वारा समाज के जन-साधारण को एक बार पुनः कला के वास्तविक स्वरूप को दर्शित कराया जाए तो निश्चित रूप से कलाकार की खोयी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिपाणी, रामप्रताप, 1880, सम्मेलन पत्रिका, एजुकेशनल रिव्यूजिट आगरा
2. सक्सेना, सरन बिहारी, 1986 कला सिद्धांत और परम्परा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली
3. अग्रवाल, वासुदेव शरण, 1969 कला और संस्कृति, रेखा, प्रकाश, देहरादून
4. पत्रिका-कादम्बिनी, अप्रैल, 1976
5. सक्सेना, रणवीर, प्रथम संस्करण 1969, कला और कलाकार, रेखा प्रकाशन देहरादून
6. टंडन, आर.एम., 1962, भारतीय चित्रकला की रूपरेखा, भारत-भारती प्रकाशन।

समावेशी शिक्षा के प्रति हनुमानगढ़ जिले के विज्ञान व कला संकाय के छात्राध्यापकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. रेखा सोनी *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति हनुमानगढ़ जिले के विज्ञान व कला संकाय के छात्राध्यापकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तथा दत्त संकलन हेतु स्वयं निर्मित जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया है व निष्कर्ष रूप में पाया कि समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समस्त छात्राध्यापकों के जागरूकता स्तर औसत दर्जे का है।

प्रस्तावना - शिक्षा मानव के उर्ध्वगामी और सर्वांगीण विकास हेतु अत्यावश्यक है। राष्ट्र की प्रगति और उचित विकास हेतु वहाँ पर शिक्षा का उचित प्रसार आवश्यक है। इसी के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक तत्व) में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस हेतु प्रयास जारी हैं, तथापि आज भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति आंशिक तौर पर ही हुई है। इसका सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा का सभी बच्चों तक एक समान प्राप्त ना होना। पूर्व में विकलांग बालकों को शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष शिक्षा प्रारम्भ की गयी, तत्पश्चात् एकीकृत शिक्षा का उदय हुआ और वर्तमान में समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ।

समावेशी शिक्षा का समावेशी शब्द समावेश (Inclusion) से बना है। समावेश का शाब्दिक अर्थ है - सम्मिलित करना (To take in) एक भाग मानना (To consider part) सदस्य (Member of) या साथ लेना (To Embrace) समावेश का अर्थ सदस्यता से है तथा जिसका सम्बन्ध समुदाय से है। शिक्षा के संदर्भ में समावेश का अर्थ विद्यालय की ऐसा पुनःसंरचना से जिसमें विद्यालय सभी समुदायों का एक केन्द्र हो और सभी प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मूल स्रोत बालकों को शिक्षा के समान अवसर है। बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का अर्थ शिक्षा से सम्बन्धित समान अवसर प्रदान करना नहीं है, अपितु इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आवश्यकतानुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।

समस्या कथन - 'समावेशी शिक्षा के प्रति हनुमानगढ़ जिले के विज्ञान व कला संकाय के छात्राध्यापकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व - भारत में विकलांगों और समाज की मुख्य धारा से पृथक बच्चों की संख्या अधिक है। इनके विकास के बिना देश का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। भारत में विशेष आवश्यकता वाले बालकों का इतिहास एक बदलते स्वरूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। भारत की विषिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम है - 'समावेशित शिक्षा'। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को शिक्षा

की इस नवीन विद्या का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की विविधता को स्वीकार कर उन्हें प्रेरित करने का कार्य करना चाहिए। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य छात्राध्यापकों को समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों के जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ -

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों के जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त शोध विधि - प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श एवं उसका प्रतिचयन - शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (शिक्षा स्नातक) स्तर से 200 छात्राध्यापकों का चयन किया गया है। समस्त न्यादर्श हनुमानगढ़ जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से चुने गए हैं।

शोध में प्रयुक्त उपकरणों का विवरण - इस अध्ययन में विज्ञान व कला वर्ग के छात्रों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता को मापना है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का निर्माण किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण -

सारणी संख्या - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका में विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों का समावेशी शिक्षा के

प्रति जागरूकता स्तर के प्राप्तियों के मध्यमान क्रमशः 59.36 एवं 59.15 तथा मानक विचलनों का मान क्रमशः 7.50 एवं 6.88 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 0.21 प्राप्त हुआ है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों पर अस्वीकृत किया जाता है।

सारणी संख्या - 2 (देखें)

तालिका में विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता स्तर के प्राप्तियों के मध्यमान क्रमशः 59.02 एवं 7.81 तथा मानक विचलनों का मान क्रमशः 59.49 एवं 6.51 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 0.46 प्राप्त हुआ है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों पर अस्वीकृत किया जाता है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष -

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समस्त छात्राध्यापकों के जागरूकता स्तर औसत दर्जे का है।

2. समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के जागरूकता स्तर औसत दर्जे का है।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों के भी समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को मापा जा सकता है।
2. विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों के भी समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता को मापा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल, एच.के. (2009), अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
2. शर्मा, आर.ए. (2009), विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, सूर्या पब्लिकेशन्स, मेरठा।
3. भटनागर, आर.पी. एवं भटनागर, मीनाक्षी (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
4. गर्ग, सरिता (जनवरी 2005), भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी (नई दिल्ली)

सारणी संख्या - 1

समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों एवं कला वर्ग के समग्र छात्राध्यापकों के जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	पदों की संख्या	Mean	SD	CR
विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी	100	59.36	7.50	0.21
कला वर्ग के विद्यार्थी	100	59.15	6.88	

सारणी संख्या - 2

समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	पदों की संख्या	Mean	SD	CR
छात्राध्यापक	100	59.02	7.81	0.46
छात्राध्यापिकाएँ	100	59.15	59.49	

हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं समायोजन का अध्ययन

डॉ. राजेश शर्मा *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं समायोजन का अध्ययन करना है। शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तथा दत्त संकलन हेतु वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं समायोजन मापनी का प्रयोग किया गया है व निष्कर्ष रूप में पाया कि उक्त परिकल्पना संख्या 1 में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

प्रस्तावना - व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का उच्चतम विकास करना ही शिक्षा है। जो मानव की अन्तर्निहित समस्त शक्तियों को विकसित कर उसे सफल बनाने में मदद करती हैं।

भारत में विद्यालयी शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तर पाए जाते हैं- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। 'माध्यमिक शिक्षा' शब्द प्रथम बार संभवतः 1889 में हण्टर आयोग में प्रयोग में लिया गया था। कार्टर वी, गुड के अनुसार 12 से 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। विद्यार्थियों के जीवन में निष्पादन, उनके माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करता है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) तथा कोठारी आयोग (1964-66) ने माध्यमिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में जनतांत्रिक, नागरिकता, नेतृत्व-गुण, व्यक्तित्व, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना आदि प्रमुख उद्देश्य बताए हैं।

समस्या कथन - 'हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं समायोजन का अध्ययन'।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग शहरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ -

1. माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग शहरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त शोध विधि - प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श एवं उसका प्रतिचयन - प्रस्तुत शोधकार्य में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरणों का विवरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मापने हेतु स्वनिर्मित परीक्षण 'वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी' व 'समायोजन सूची' का उपयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण -

सारणी संख्या - 1

माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	पदों की संख्या	Mean	S.D.	CR
सामान्य विद्यार्थी	100	79.36	10.23	4.13
विकलांग विद्यार्थी	100	73.47	9.95	

तालिका में विश्लेषित प्राप्तियों के मध्यमान क्रमशः 79.36 एवं 73.47 तथा मानक विचलनों का मान क्रमशः 10.23 एवं 9.95 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात (CR value) का मान 4.13 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतंत्रता के अंश 198 के 0.01 तथा 0.05 सार्थकता के स्तरों पर क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान क्रमशः 2.60 तथा 1.97 से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों (0.01 तथा 0.05) पर अस्वीकृत कर यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

सारणी संख्या - 2

माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग शहरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	पदों की संख्या	Mean	S.D.	CR
सामान्य विद्यार्थी	50	79.36	10.23	2.31
विकलांग विद्यार्थी	50	74.62	10.25	

तालिका में विश्लेषित प्राप्तियों के मध्यमान क्रमशः 79.36 एवं 74.62

तथा मानक विचलनों का मान क्रमशः 10.23 एवं 10.25 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात (CR Value) का मान 2.31 प्राप्त हुआ है। यह मान क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 पर स्वीकृत कर तथा 0.05 सार्थकता के स्तर पर अस्वीकृत कर यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग शहरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में आंशिक अन्तर है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष -

1. परिकल्पना संख्या 1 में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।
2. परिकल्पना संख्या 2 में माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग शहरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में आंशिक अन्तर है।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति

के प्रति अभिवृत्ति व मीडिया के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना उपयोगी हो सकता है।

2. विविध प्रकार के विद्यालयी वातावरण के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में रुचि का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आब्लद, स्नेह(1949) - 'विकलांग बालक - एक अध्ययन', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, पृ.सं. 52
2. कपिल, एच. के.(1984) - 'अनुसंधान विधियाँ' हरप्रसाद भार्गव, आगरा।
3. करलिंगर, एफ. एन.(1983) - 'फाउण्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च', सुरजीत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. कौशिक, बी. एन. (1977) - 'विकलांग शिक्षा सिन्धु', राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऋचा शर्मा *

प्रस्तावना - शिक्षा मानव विकास का प्रभावशाली साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशलों में वृद्धि एवं व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। इसके माध्यम से उसे सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। बालक जब इस संसार में प्रवेश करता है तो वह एक अबोध एवं असहाय प्राणी मात्र होता है। वह बोलना, चलना, हँसना, खेलना इत्यादि क्रियाएँ अपने माता-पिता तथा परिवार से सीखता है। जब बालक परिवार से विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने हेतु वह अनुकरण का सहारा लेता है। विद्यालय में वह पढ़ना-लिखना, सामाजिक आचरण, अच्छी आदतें आदि सीखता है। सीखने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है और इसे सीखने की प्रक्रिया द्वारा वह अपने व्यवहार में परिमार्जन एवं परिवर्तन करता जाता है। किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने-सिखाने की यह सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के शाब्दिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष' धातु में 'अ' प्रत्यय लगने से बना है।

शिक्षा धातु का अर्थ है सीखना तथा सिखाना। इस प्रकार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त आंग्ल भाषा के शब्द 'एजुकेशन' पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि 'एजुकेशन' शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के 'ए' (E) तथा ड्युको (Duco) दो शब्दों से मिलकर बना है। 'ए' का अर्थ है अन्दर से तथा ड्युको का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आन्तरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में है जिसमें बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है।

प्रस्तुत अधिनियम एक लम्बे संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को हम निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं।

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास
 - माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय
 - प्रस्तुत अधिनियम हेतु वैधानिक प्रयास।
 - राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास
1. **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास**-शिक्षा के अधिकार अधिनियम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो भारत में पहली बार लगभग 100 साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने (1910-12) में

अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर एक प्राइवेट बिल व्यवस्थापिका में पेश किया था, जिसमें चार वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, ऐसा ही प्रयास 1937 में वर्धा शिक्षा आयोग (बुनियादी शिक्षा योजना) में भी किया गया जिसमें 7-14 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को रखा गया।

स्वतंत्रता के पश्चात जहाँ एक तरफ विश्व परिदृश्य बदल रहा था, वही दूसरी तरफ भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए नीति - निर्देशक सिद्धांतों में इसको शामिल किया गया। संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों का 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ करने का प्रयास करेगा।

शिक्षा आयोग जिसका नाम था- 'शिक्षा और राष्ट्रीय विकास आयोग' ने अपने इस घोषणा में शिक्षा की संरचना को राष्ट्रीय विकास को बनाए जाने पर बल दिया।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को केन्द्र में रखकर देश की कई राष्ट्रीय नीतियों, रिपोर्ट में शिक्षा अधिकार विषय को उजागर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में देश के 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में आजादी के बाद से भारत में पहली बार अठारह वर्षों की स्कूल शिक्षा यानि प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीय ध्येय को दो चरणों (1 से 5 व 6 से 8) में बांटा गया।

1985 में हुए UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हुए सम्मेलन में भी बालक के शिक्षा अधिकार को महत्व दिया गया व कहा गया कि - "State parties recognize the right of the child to education and with view to achieving the right progress very and on be basis of equal opportunity they shall in particular (a) make primary education compulsory and available free for all."

सालामासा स्टेटमेंट (1994) स्पेन में यूनेस्को के सहयोग द्वारा एक विश्वव्यापी कांफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका एजेन्डा "School for all" था। अर्थात् स्कूल जिसमें सभी का समावेश हो जहाँ अधिकतम व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए दी जाये। इस कांफ्रेंस में Salamanca द्वारा एक स्टेटमेंट तथा रूपरेखा को रखा गया, वह भी Special need education पर जिसका उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना था। इस तरह का प्रयास भी शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक परिवेश को प्रभावित करता है।

2. **मन्नीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय** - बच्चों के शिक्षा अधिकारों के संदर्भ में होने वाले बदलाव की दिशा को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इस मामले में दिए गए न्यायिक फैसलों तथा

विधायीकरण की प्रक्रियाओं का अवलोकन करें। क्योंकि अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों ने शिक्षा का अधिकार की स्थिति को एकदम नया स्वरूप प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला दिया।

1948 तक की स्थिति यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने कई फैसलों मसलन 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978), 'फ्रांसिसी कोरालई बनाम दिल्ली प्रशासन' (1981) इत्यादि ने मौलिक अधिकारों की व्यापकता की बात कर चुका था। न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ने की बात कही।

परन्तु मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) के मामले में शीर्ष अदालत ने अनु. 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि अनु. 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, निजी कॉलेज द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेना नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इसके पश्चात् न्यायालय के एक और महत्वपूर्ण मुकदमे में तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई, शिक्षा के अधिकार के विमर्श में नया मोड़ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में दिये गये उन्नीकृष्णन के फैसले से आया।

'उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश (1983) के मामलों में निजी कॉलेज संचालकों ने न्यायालय से मोहिनी जैन वाद में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया, उनका तर्क था कि उक्त निर्णय को लागू किया गया तो उनको कॉलेज बन्द करने पड़ेगे, तब न्यायमूर्तियों ने शिक्षा को मूल अधिकार माना तथा इसे 14 वर्ष के बच्चों तक सीमित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के संबंध में यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

एस.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि 45 के अनुसार बाल श्रमिकों को शिक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान कर यह भी निर्देश दिया कि संरक्षक का दायित्व होगा कि वह बालक को शिक्षा के लिए भेजे। संबंधित सरकार यह देखे कि उनके काम की अवधि 4-6 घण्टे से अधिक न हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अतत: बच्चों के शिक्षा अधिकार को लेकर आजादी के बाद जो दबाव बना उसकी स्पष्ट घोषणा उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश बाद में देखने को मिलती है।

3. प्रस्तुत अधिनियम हेतु वैधानिक प्रयास - 86 वें संविधान संशोधन व इसके बाद की स्थितियाँ भारती संविधान में 2002 को हुए 86 वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले की स्थिति जो शिक्षा के अधिकार पर बन चुकी थी। उसमें बदलाव किए गए और ऐसा केवल संविधान में संशोधन करके किया गया। इस दिशा में 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के करीब 9 वर्ष बाद 86 वाँ संविधान संशोधन संसद में पारित किया गया। संसद ने वर्ष 2002 में संविधान के 86 वाँ संविधान द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर इसे मूल अधिकार के अध्याय-3 में शामिल कर परिवर्तनीय बना दिया।

उक्त अनुच्छेद 21 (क) संविधान में समाविष्ट करने के कारण अनु. 45 को भी संशोधित इस प्रकार किया गया। राज्य छ: वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बालकों के बाल्याकाल की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा। अनु. 45 में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य को दायित्व

तय किया गया। उक्त दोनों संशोधन के साथ ही भाग-4 मूल कर्तव्यों में भी संशोधन कर अनु.51 (क) में ट जोड़ा गया। जिसके अनुसार छ: वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

उपरोक्त वर्णन से यह समझा जा सकता है कि 86 वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा अधिकार की संवैधानिक स्थिति इस प्रकार है-

अनु0 45- 'राज्य का यह प्रयास होगा कि इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष की अवधि में सब बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।'

अनु0 21 (क)- 'राज्य छ: (6) से चौदह वर्ष (14) की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा, जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करें।

अनु0 51 (क) (ट)- 'जो माता-पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा (भारत का संविधान 2009)।

अतत: इतने गहन जटिल प्रयासों को परिणाम स्वरूप 86 वें संविधान संशोधन द्वारा यह विधेयक (शिक्षा अधिकार) कैबिनेट राज्य सभा, लोकसभा द्वारा जुलाई 2009 में पारित किया। 26 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही भारत सरकार के राजपत्र में 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया। अतत: 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया।

निष्कर्ष - यह सत्य है कि देश में व्याप्त अनेक असमानताओं, कमियों व समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 का लागू होना देश के बच्चों की शिक्षा के लिए उठाया गया प्रशंसनीय कदम है। हालांकि यह कानून अपनी कमियों और सीमाओं के लिए विख्यात है फिर भी देश के अधिकांश लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इसका स्वागत किया ताकि स्कूली शिक्षा की जर्जर हालत में सुधार लाया जा सके और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण व बाजारीकरण के खतरे को रोका जा सके। यह कानून सैद्धान्तिक रूप से तो आदर्श है परन्तु, व्यावहारिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं, या प्रश्न अभी भविष्य की गर्त में है। शिक्षा के अधिकार कानून के कई मसले अभी सुलझे नहीं हैं। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कानून से आगे बढ़कर बड़ी प्रतिबद्धता की जरूरत होगी, निश्चित रूप से यह विधि का सार्थक साधना सिद्ध होगा। हमें यह स्वीकारना ही होगा कि अगर सम्पूर्ण भारत को शिक्षित करना हो तो उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित प्रयास करने ही होंगे जिससे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। भारत वर्ष के नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के कारण यह अधिनियम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा।

स्कूली शिक्षा अधिकार अधिनियम की जागरूकता दृष्टिकोण एवं जवाबदेही के लिए शिक्षक अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता अगर एक मंच पर आए तो हालात गदले जा सकते हैं, और शिक्षा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है ताकि सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ न सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए.एस. अल्तेकर, एजुकेशन इन एन्शियण्ट इण्डिया।
2. राधाकुमुद मुखर्जी, एन्शियण्ट इण्डियन एजुकेशन।
3. दवे रमेश, शिक्षा में नवचिंतन।

4. भारती की जनगणना 2011, प्रकाश विभाग भारत सरकार नई दिल्ली, 2012
5. एन.के. सिंह 2010, सर्व शिक्षा की राह में खड़ी बाधाएँ, हिन्दुस्तानी, अप्रैल 2
6. कनक शर्मा, 2012, शिक्षा का अधिकार कानून का आकलन, कुरुक्षेत्र योजना सितम्बर (2013)
7. एम.एच.आर.डी. (2010), नई दिल्ली, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, टू फ्री एण्ड कल्पत्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, डिपार्टमेन्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एण्ड लिटेरेसी
8. एम.एच.आर.डी. (2010), नई दिल्ली, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, टू फ्री एजुकेशन एण्ड लिटेरेसी
9. पचोरी डॉ. सुरेश - शिक्षा के समकालीन मुद्दे- आर लाल पब्लिकेशन मेरठ 2016
10. लाल डॉ. रमन विहारी - भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य- आर लाल पब्लिकेशन मेरठ 2017

महिलाओं का शिक्षा के द्वारा विकास

मृदुलता सिकरवार *

शोध सारांश - प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण महिलाओं पर आधारित है। भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार था। भारत में ऐसा समय भी आया जब शुद्ध जाति और स्त्री के लिए शिक्षा निश्चित कर दी गई थी परन्तु यह धारणा बहुत दिनों तक स्थिर ना रह सकी। मुगल काल में भी अनेक महिला विदुशियों का उल्लेख किया गया है। स्त्रियों को अपने स्वयं के जीवन के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका आधार स्त्री और पुरुष पर परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर चलना है। इसकी सहायता से घर और बाहर का कार्य बड़ी कुशलता के साथ आसानी से किया जा सकता है। स्त्रियां घर के सारे कार्य संभालती हैं और पुरुष बाहर के कार्य संभालता है। दोनों ने ही अपने अपने कार्य को बाट रखा है। किन्तु आज शिक्षित महिला घर और बाहर का कार्य आसानी से संभालती है। जिससे देश का चहुँमुखी विकास होगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन ग्राम कचनौधा जो कि म.प्र. के जिला मुरैना में आता है। उस गाँव की 250 महिलाओं का अध्ययन किया जिसका परिणाम यह आया कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं का शिक्षण स्तर 40 प्रतिशत है। इसमें से सिर्फ 40 से 45 के बीच में ही महिला शिक्षित है। किन्तु 35 से 50 के बीच की महिलाओं में 70 प्रतिशत महिला शिक्षित है व 18 से 30 वर्ष की महिलाओं में 90 प्रतिशत महिला का शिक्षा के द्वारा विकास हो रहा है तथा जागरूकता का स्तर भी बढ़ रहा है।

प्रस्तावना - प्रस्तुत अध्याय ग्रामीण महिलाओं के विकास पर आधारित है ग्रामीण महिलाओं में 15 से 45 आयुवर्ग की महिलाओं व बालिकाओं को शिक्षित करना है। शिक्षा प्रदान करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि वह पुरुषों को अपना प्रतिद्वंद्वी समझकर उनके सामने अपना मोर्चा खड़ा कर देगी बल्कि यह आर्थिक रूप से भी पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मित्रतापूर्वक कार्य करने में भी सक्षम रहती है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है ठीक वैसे ही मानसिक विकास के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसका आधार परस्पर निर्भरता, मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नर नारी का सम्मिलन होता है। महिला परिवार में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से भागीदारी होती है। इसके साथ घर व बाहर कार्य को बहुत सहजता से करती है। आज समाज बदल रहा है। पहले महिलाओं को शिक्षा के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। परन्तु उन्हें आज शिक्षित बनाया जा रहा है। पहले महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और उन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था ऐसा अधिकतर ग्रामीण भारत में होता था जहां महिलाएं अधिकतर कृषि कार्य करती थी। किन्तु महिलाओं में कमी के कारण कोई ठोस फैसला केवल पुरुषों को ही लेने का अधिकार था। अतः उन्हें अपने पति या पिता पर ही आश्रित रहना पड़ता था। परन्तु इसमें निवारण के लिए शिक्षा ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसमें ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक, मानसिक और सामाजिक विकास संभव है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की दैनिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। अब ग्रामीण भी बालक और बालिकाओं में कोई अंतर नहीं मानते क्योंकि ग्रामीण समाज भी शिक्षित हो गया है और शहरों में आकर मिल गया है। अब दोनों को बराबरी का

अधिकार है तथा महिलाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। भारत सरकार ने 2001 वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा उनके जीवन चक्र को बदला जा सकता है। वह गाँव में रहकर भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। बहुत सारे लघु उद्योग सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें अपनाकर अपना पालन आसानी से कर सकती हैं। अगर नारी शिक्षित ना हो तो वो ना तो एक सफल गृहणी और ना अच्छी माँ बन सकती है। क्योंकि बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है। उसी के आधार पर उसका जीवन बनता है। समाज में बाल अपराध बढ़ने का एक यह भी कारण है कि उन्हें घर में सही आचरण वाली शिक्षा नहीं मिल पाती। यदि माँ ही शिक्षित ना हो तो अपने बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बना सकती है। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षा नारी के भविष्य को निराशा के अंधकार से निकालकर उसका और उसके परिवार का विकास कर सकती है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की तरह शामिल करने से संबंधित है। वर्तमान में सर्वमान्य शिक्षा है कि स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए। यदि स्त्री ही शिक्षित नहीं है तो देश का विकास संभव नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन की समस्या ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने से है। इस कारण वे स्वयं को अशक्त महसूस नहीं करती। इन महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है। इसमें 15 वर्ष से 45 वर्ष के आयुवर्ग की ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता के माध्यम से सशक्त करने का प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या निरक्षरता है उसे शिक्षा के माध्यम से दूर कर उनका विकास करना प्रमुख कार्य है। इस कारण उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो सके। उन्हें रोजगार के संसाधन की जानकारी हो सके वे

पढ लिखकर एक सफल नागरिक बन सके। इस प्रकार विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और अपना विकास कर सके।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध अध्ययन का सामान्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित कर रोजगार प्रक कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके तथा उन मामलों का पता लगाना जिससे समाज की सभी महिलाओं का शिक्षा के द्वारा विकास किया जाए।

अध्ययन का विषय क्षेत्र - प्रस्तुत शोध द्वारा 15 से 45 वर्ष तक की ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके उनका विकास करना है। साक्षरता ही एक माध्यम है जिससे ग्रामीण महिलाएँ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। निरक्षण महिलाओं को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र म.प्र. के जिला मुरैना में ग्राम कचनोधा भकरोली ग्राम पंचायत का है। उपरोक्त क्षेत्र का चुनाव इस कारण से किया गया क्योंकि प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में ये गाँव महिलाओं की शिक्षा की और अग्रसर है। इन गाँवों में सभी जाती पाई जाती है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, काछी, माली, करेणा, चमार, मेहतर, धोबी, नाई जो आज अपनी बच्चियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं तथा उनका शिक्षा के द्वारा विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिक स्रोत का उपयोग किया गया है। सैद्धान्तिक अध्ययनों के लिए द्वितीय संयंत्र से जानकारी प्राप्त की है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची और द्वितीयक समकों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिसर्च जर्नल, आदि का सहारा लिया है।

समस्याएँ - समस्याएँ निम्नलिखित हैं

1. जो परिवार के वृद्धजन हैं ग्रामीण इलाकों में वे महिलाओं की शिक्षा के महत्व को नहीं समझते।
2. ग्रामीण भारत में पैसों की वजह से भी महिला शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि सभी की सोच सीमित है। वह लड़के-लड़कियों में फर्क करते हैं।
3. ग्रामीण इलाकों में विद्यालय की कमी भी निरक्षरता का कारण है।
4. सभी शैक्षिक स्तर पर महिलाओं को समान अधिकार नहीं है।

सुझाव - प्रस्तुत शोध अध्ययन में महिलाओं की निरक्षरता की समस्या से निपटने के लिए सुझाव ।

1. अशिक्षा संपूर्ण अज्ञानता की जननी है एवं शोषण का आधार इसलिए समाज का गांव का महिलाओं का उत्थान करना है तो उन्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा।
2. गांव के बड़े-बड़े पोस्टरों के माध्यम से भी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाए जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके।
3. सरकार को चाहिए कि सभी गाँवों में 12 कक्षा तक विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे विकास हो सके।
4. रिश्तियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
5. गरीब लोगों की शिक्षा 12 वी तक मुफ्त होनी चाहिए।
6. प्रोढ महिलाओं और पुरुषों को यदि शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तो उनकी सोच को बदला जा सकता है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष है कि सरकार की अरबों खरबों की राशि शिक्षा के लिए व्यय की जा रही है समय - समय पर सरकार द्वारा तय की गई योजना और घोषणाओं का कुछ असर तो दिखायी दिया है किन्तु हम अपने सही मकसद में पूरे सफल नहीं हो पाए हैं। इस आधी अधूरी सफलता को तभी पूरा किया जा सकता है जब महिलाओं को शिक्षित कर पाए तथा उनका सही से विकास हो इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने पड़ेगे तभी महिलाओं का सही से विकास होगा और देश का भी विकास इसी में छिपा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल ब. एशिया और प्रशान्त में महिलाओं का अध्ययन : वर्तमान स्थिति एवं प्राथमिकताओं की समीक्षा।
2. शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय 1971 'समानता की और
3. महिलाओं के लिए रोजगार कार्यालय 1978 और कृषि और ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका।
4. अग्रवाल जे.सी. भारत में प्रौढ शिक्षा, विद्या विहार नई दिल्ली।
5. जे.सी. अग्रवाल 2009 भारत में नारी शिक्षा ।
6. डॉ. जे.पी. सिंह 2016 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं रूसो के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. राजेन्द्र कुमार *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं रूसो के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन विधि के रूप में शोधकर्ता द्वारा दार्शनिक विधि का प्रयोग किया गया है तथा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व रूसो के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए निष्कर्ष रूप में पाया कि डॉ. कलाम व रूसो द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपना महान योगदान दिया है।

प्रस्तावना - शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। संसार एक पाठशाला है। यहाँ प्रतिक्षण व्यक्ति अपने क्रिया कलापों, अनुभवों एवं घटित होने वाली घटनाओं से नवीन ज्ञान अर्जित करता रहता है। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। शिक्षा ही वह साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देता है।

मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण में होकर निकलती है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूल करने की क्षमता प्रदान करती है, तथा साथ ही वातावरण में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने की शक्ति एवं ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है।

समस्या चयन - वर्तमान शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में असफल रही है। आज की युवा पीढ़ी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक समस्याओं से त्रस्त है। वह दिशाहीन व किर्कतव्यविमूढ़ है। प्राचीन शिक्षा छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करती थी, किन्तु वर्तमान शिक्षा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

सम्पूर्ण विश्व को एक मंच पर लाने की आकांक्षा सभी के मन में पल रही है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक विचार निष्चित रूप से वर्तमान भारत की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सकते हैं।

समस्या कथन - 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं रूसो के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन।'

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व - शोधकर्ता की दृष्टि में वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसका पता लगाने के लिए हमें श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रियों के शैक्षिक विचारों का

तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में महान पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री रूसो एवं भारतीय शिक्षा विद् डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका व सार्थकता तलाषने का प्रयास किया है। शिक्षा युग सापेक्ष तथा राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। आज शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की प्रबल आवश्यकता है। यदि राष्ट्र में सुख शांति स्थापित करनी है तो हमें अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. रूसो के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना।
2. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना।
3. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त अध्ययन विधियाँ - प्रस्तुत शोधकार्य में दार्शनिक विधि का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान विचार में डॉ. कलाम व रूसो के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता तथा **योगदान** - रूसो ने बाल केन्द्रित शिक्षा को महत्व दिया एवं व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। इन्होंने बालक की अवस्थाओं के अनुकूल ही पाठ्यक्रम बनाने पर विशेष बल दिया तथा बालक की अवधारणाओं के अनुकूल ही पाठ्यक्रम बनाने पर बल दिया। डॉ. कलाम विद्यालयी पाठ्यक्रमों में धार्मिक शिक्षा का समावेश करने का विरोध करते हैं। परन्तु विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। वे राष्ट्र को धर्म से उच्च स्थान करते हैं। धर्मों के सशक्तिकरण में विश्वास करते हुए भी वह धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का पुरजोर समर्थन करते हैं।

रूसो ने शिक्षा की क्रिया विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि आदि के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया तथा शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया, शिक्षा में अनुशासन स्थापना के लिए दमनात्मक विधि को अनुचित बताया व यथार्थ ज्ञान को महत्व दिया। रूसो ने नैतिक एवं चारित्रिक विकास अनुभव तथा अभ्यास के आधार पर बताया।

निःसंदेह डॉ. कलाम व रूसो ने संस्कृति, सभ्यता व शिक्षा के क्षेत्र में आदिकाल से अबाध गति से चले आ रहे महायज्ञ में अपनी आहुति देकर या की ज्वाला और उसके मंत्रों को पुनर्जीवित किया है। अतः ऐसे महापुरुषों के विचार और क्रियाकलापों का अध्ययन न केवल आत्म संतोष के लिए प्रत्युत बल्कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से उपयोगी व आवश्यक है।

मैं कामना करती हूँ कि उनके शैक्षिक विचार भारत ही नहीं अपितु संसार के शैक्षिक आकाश को नवग्रहों की भांति प्रकाशित करते हुए अज्ञान तिमिर को अस्तित्वही करे। मैं उनके दीर्घजीवी होने की कामना करती हूँ। जिससे जनसामान्य शैक्षिक आयाम विस्तृत कर सके। उनके द्वारा शैक्षिक आयाम विस्तृत कर सके। उनके द्वारा शैक्षिक प्रकाश अनवरत फैलाया जाता रहे।

सुझाव -

1. बाल केन्द्रित शिक्षा को महत्व दिया जाए।
2. बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष ध्यान दिया जाये।
3. बालक की अवस्थाओं के अनुकूल ही पाठ्यक्रम होना चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. समयभाव के कारण प्रस्तुत शोधकार्य केवल रूसो की शैक्षिक

विचारधारा पर किया गया है। इसी प्रकार का शोधकार्य अन्य श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्रियों के शैक्षिक विचारों पर किया जाए।

2. रूसो व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम दार्शनिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।
3. रूसो व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लोकतांत्रिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ओकोनल, डी.जे. (1983) - शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-4
2. प्रेमनाथ (1969) - शिक्षा के सिद्धान्त, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन।
3. सक्सेना, एन.आर.एस. (2009) - शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, आर.एल. बुक डिपो, निकट गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, मेरठ।
4. सिंह, एन.पी. (2009) - शिक्षा के दार्शनिक आधार, आर.एल. बुक डिपो, निकट गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, मेरठ।

नरसिंहपुर जिले में जलवायु परिवर्तन प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. अजय तिवारी *

प्रस्तावना - आज पूरा देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भयाक्रान्त है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन ग्लेशियर व आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रभाव अलग-अलग रूप में कहीं अधिक तो कहीं कम महसूस किए जा रहे हैं। हमारे देश का सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 32.44 करोड़ हेक्टेयर है। इनमें से 14.26 करोड़ हेक्टेयर में कृषि की जाती है, अर्थात् देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 47 प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70 प्रतिशत लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या गिरावट देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित कर सकती है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा ही कारक है, जिससे प्रभावित होकर कृषि अपना स्वरूप बदल सकती है, तथा इस पर निर्भर लोगों की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है।

उद्देश्य -

1. नरसिंहपुर जिले में जलवायु परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना।
2. नरसिंहपुर जिले में जलवायु परिवर्तन से कृषि में पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन करना।
3. नरसिंहपुर जिले में जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र - भौगोलिक दृष्टि से नरसिंहपुर जिला प्रायद्वीपीय भारत के अन्तर्गत नर्मदा-सोन घाटी में विंध्यांचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है जो कि मध्यप्रदेश के जबलपुर राजस्व सम्भाग के अन्तर्गत आता है। जिले की ग्लोबिय स्थिति 22°44' उत्तरी अक्षांश से 23°15' उत्तरी अक्षांश एवं 78°38' पूर्वी देशांतर से 79°38' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला हुआ है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5133 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के उत्तर में जबलपुर पूर्व में सिवनी, दक्षिण में छिंदवाड़ा एवं होशंगाबाद जिला जबकि पश्चिम में सागर जिला स्थित है। प्रशासनिक सुविधा हेतु इस जिले को 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. साईखेड़ा 5. बावई चीचली 6. चावरपाठा कुल 6 विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

प्रविधि - अध्ययन को तथ्य परक तथा सार्थक बनाने हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव

1. **मिट्टी पर प्रभाव** - कृषि के मुख्य घटक के रूप में मिट्टी का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन क्षेत्र में रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी पहले से ही अजैविक कार्बन रहित हो रही थी, अब जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित भी हो रही है। मिट्टी में लवणता की वृद्धि तथा जैव

विविधता का हास हुआ है। भूमिगत जल स्तर प्रति वर्ष नीचे तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं के कारण मिट्टी का क्षरण अधिक हो रहा है, परिणाम स्वरूप मिट्टी में बंजरता बढ़ती जा रही है।

2. **फसलों पर प्रभाव** - अध्ययन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से मात्र फसलों का उत्पादन ही नहीं प्रभावित हुआ है वरन् उसकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। अनाज में पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी पाई गई है। जलवायु परिवर्तन का एक ही क्षेत्र में अलग-अलग प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं।

3. **जल संसाधन पर प्रभाव** - जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि हेतु जल-आपूर्ति की भयंकर समस्या उत्पन्न हुई है। अध्ययन क्षेत्र में तालाबों, पोखरे, कुंआ जल स्तर बनाए रखने में सहायक होते थे। कृषक अपने खेतों में अधिक से अधिक वर्षा जल का संचय करता था। परिणाम स्वरूप जमीन की आर्द्रता व उपजाऊपन बना रहता था। किन्तु बाढ़ एवं सूखे की बारम्बारता के कारण पारम्परिक स्रोत लगभग समाप्त होते जा रहे हैं।

4. **जीव जन्तु पर प्रभाव** - अध्ययन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन ने जीव जंतुओं को भी प्रभावित किया है। लम्बे समय तक चलने वाले ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतुओं में अनेक जीव-जन्तुओं की प्रजनन क्षमता वृद्धि से अपना जीवन चक्र पूरा करते थे किन्तु जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति और जीव जन्तुओं के मध्य अन्तर्संबंधों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

5. **जैव-विविधता पर प्रभाव** - जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की उर्वरता में कमी होने से पेड़-पौधों के स्वास्थ्य एवं उगने की क्षमता में हास हुआ है फलतः अनेक वनस्पतियां समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। परिणाम स्वरूप यहां रहने वाले मानव व जानवरों में अनेक रोगों के आक्रमण से ये संकट में आ जाते हैं क्योंकि वनस्पतियां उनके लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं।

समस्या -

1. जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनियमितता में वृद्धि।
2. बाढ़ और सूखा की पुनरावृत्ति के कारण मिट्टी में अम्लीयता में वृद्धि।
3. जल स्तर में कमी तथा क्षारीयता में वृद्धि।
4. फसल उत्पादकता में कमी।
5. मानव की क्रियाशीलता में कमी।


सुझाव -

1. विषैले पदार्थों व रेडियोधर्मी अपशिष्ट को रोकना।
2. झूम खेती कृषि प्रणाली पर नियंत्रण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम को अनवरत जारी रखना।
3. फसल उत्पादन हेतु नई तकनीकों का विकास एवं शस्य विधियों में परिवर्तन के साथ खेतों में जल का संरक्षण करना।

4. फसल अवशेषों का प्रबंधन एवं देशी व जैविक खादों का प्रयोग करना।
निष्कर्ष - वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। जो अप्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादनों की बढ़ती कीमत के रूप में परिलक्षित हो रही है। अध्ययन क्षेत्र में लगभग 25 ग्राम पंचायतें सूखा सम्भावित या शुष्क व अर्द्ध-शुष्क चिन्हित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत सर्वेक्षण।
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका नरसिंहपुर (म.प्र.) वर्ष 2018
3. तिवारी आर.सी. एवं सिंह बी.एन, 2007, कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उ.प्र.



शिक्षण संस्थानों में ई-लर्निंग शिक्षा से शिक्षा में आए बदलाव

मृदुलता सिकरवार * डॉ. मोनिका मालविया **

शोध सारांश - आज के युग में ई-लर्निंग ने देश ही नहीं बल्कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों में भी मानो क्रान्ति ला दी है। कल तक जो बच्चे पाठ्यक्रमों पुस्तकों पर ग्रहण या अन्य विषयों को चित्रों के माध्यम से चाहकर भी नहीं समझ पाते थे। आज वे ही बच्चे स्क्रीन पर ग्रहण को लाईव देखकर उसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। अब स्मार्ट क्लास की कल्पना लैब या विद्यालयों तक सीमित नहीं रह गई है। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कोर्सेस उपलब्ध है। टेबलेट तथा लैपटाप के लिए अलग-अलग किन्तु विशेष पैकेज है। ई-लर्निंग में मिल रही सफलता को देखकर इस विषय को समर्पित अनेक सशुल्क वेबसाइट भी बाजार में आयी है। इन वेबसाइट पर छात्र अपनी विषय चुन सकते हैं।

आज का युग निजीकरण का युग है और इस निजीकरण ने हमारी शिक्षा प्रणाली को भी अपने अंतर्गत समेट लिया है। यह बात सत्य है कि शिक्षा का निजीकरण होने से शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति आई है। ई-लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा समाज को हो रहा है कि कम खर्च में प्रभावशाली और आकर्षक शिक्षा दी जा रही है। जिसे छात्र बिना किसी दबाव में आए बिना ही स्वयं के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सके। आज ऐसे कई संगठन हैं जो ई-लर्निंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ई-लर्निंग आने से पहले छात्रों को इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों विषयों में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, परन्तु आज ईंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट उपलब्ध है जो इन विषयों को रुचिकर बनाने में सफल हुई है।

प्रस्तावना - ई-लर्निंग का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में 1960 में देखा गया था। यदि हम भारत की बात करें तो यह सबसे पहले दूरदर्शन द्वारा यूजीसी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे जिसे इस देश की ई-लर्निंग की प्रथम कोशिश कही जा सकती है। अब ई-लर्निंग शिक्षा सभी कॉलेजों, विद्यालयों और युनिवर्सिटी सभी में अनिवार्य होती जा रही है। इससे शिक्षा में बहुत बदलाव सामने आए है। ई-लर्निंग शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कम्प्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई-लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें वेब आधारित शिक्षा, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग शामिल रहता है। पाठ्यक्रम सामग्री का वितरण इंटरनेट, ओडियो या विडियो टीवी, सीडी के माध्यम से छात्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। मोबाईल और लैपटाप की बात करें तो यह एप्लीकेशन के माध्यम से ई-लर्निंग सेवा प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम टेक्स्ट विडियो, पिचर और वॉयस आधारित होता है। जिससे छात्र को अपने मोबाईल और वेब के द्वारा अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकता है तथा इसी के माध्यम से क्लास और लेक्चर लेकर अपना विषय तैयार कर सकता है। ई-लर्निंग का सपना हम सालों से देखते आ रहे हैं परन्तु अब सच होता नजर आ रहा है। सरकार व कुछ निजी संस्थाओं द्वारा इस और पहल की गई है। भारत जैसे देशों में ई-लर्निंग के माध्यम से हम हर किसी तक शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क आज देश के हर कोने तक उपलब्ध है। ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि ई-लर्निंग के माध्यम से सभी को शिक्षित किया जा सके। तकनीकी आधारित यह शिक्षा कई मायनों में खास है। ई-लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी खोज कही जा सकती है। यह शहरी लोगों तक ही नहीं ग्रामीण भारत को भी शिक्षित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इससे केवल शहर, गांवों तक ही शिक्षा नहीं बल्कि भारत में शिक्षा में बदलाव लाएगा। आज भारत में 12 लाख शिक्षकों की कमी है। ई-लर्निंग के द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। कई-कई बार देखने में आया है कि एक कक्षा में 100 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं उसमें उनको कम्प्यूटर विषय समझ में नहीं आता है व उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। ऐसे में ई-लर्निंग एक सहायक पद्धति साबित हुई है। इसमें मोबाईल व टेब पर एक बटन दबाया और तुरंत जानकारी प्राप्त कर अपनी पढ़ाई की जा सकती है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 164 मिलियन से ज्यादा है। इसमें 8 में से 7 व्यक्ति मोबाईल द्वारा या टेबलेट के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। परन्तु इसके लिए ऑनलाईन रहना भी जरूरी है। मोबाईल की तकनीक के द्वारा शिक्षा को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। आज छात्र भीड़ में पढ़ाई करने की जगह एकांत में पढ़ाई आसानी से कर सकता है। ऐसे में ई-लर्निंग एक बेहतर विकल्प साबित हुआ है और जहाँ तक हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी ई-लर्निंग एक वरदान साबित हुआ है। शिक्षा के अधिकार को सफलता पूर्वक लागू करने के पश्चात आज ऐसा ही कोई तरीका होगा जिसमें हम हर छात्र की मदद कर सके जो इसका इच्छुक होगा। किन्तु ई-लर्निंग के छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा प्रदान की जा रही है। वैसे भी कॉलेजों के बाहर स्तरीय शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था करना सरकार की मजबूरी है और हमारे लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक बेहतर विकल्प ई-लर्निंग ही है।

भारत में ऑनलाईन एजुकेशन का भविष्य उज्ज्वल है। अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान इसको अपना रहे हैं। कारण साफ है। यह बच्चों को नवीनतम शिक्षा उच्च स्तरीय तकनीक के साथ प्रदान कर रहे हैं और छात्र भी इस नई तकनीक को काफी पसंद कर रहे हैं और यह तकनीक सहज

* शोधार्थी, रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशिका, रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

उपलब्ध हो रही है और आज का युग तकनीक को सहज से बहुत जल्दी पिकअप कर लेने में सक्षम है व उनके लिए काफी लाभकारी है।

उद्देश्य - ई-लर्निंग शिक्षा को बढ़ावा देने से है जिससे संपूर्ण भारत में कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रह पाए तथा सभी को रोजगार पूरक शिक्षा प्रदान की जा सके। जिससे देश की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके तथा उन मामलो का पता लगाया जा सके जिससे संपूर्ण देश का विकास हो पाए और ग्रामीण भारत का भी शहरों की तरह शिक्षा प्रदान की जा सके तथा भारत में शिक्षकों की कमी है उस वजह से पढ़ाई पर कोई असर ना पड़ सके।

आकड़ों के स्रोत - प्रस्तुत शोध अध्ययन क्रियात्मक है। इसलिए इसमें प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों हैं।

प्राथमिक स्रोत - प्राथमिक स्रोत में साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की।

द्वितीयक स्रोत- द्वितीयक स्रोत में पुस्तकें, पत्रिकाओं, रिसर्च, जर्नल रिपोर्टो आदि का सहारा लिया गया है।

महत्व - प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व आज की युवा पीढ़ी को ई शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। विश्व में नए नए उपकरणों का निर्माण हो रहा है। हमारा भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वह भी तकनीक से कदम मिलाकर चल रहा है। ई-लर्निंग से युवा पीढ़ी अधिक सक्षम होगी जिससे समाज विकसित होगा और देश उन्नति करेगा। अतः भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक भावना को पर्याप्त रूप से फलने फूलने हेतु आवश्यक है कि ई-लर्निंग के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में परस्पर संबंध विकसित एवं उन्नत किए जाए। भारत एक विकसित देश है इसलिए यह आवश्यक है कि ई-लर्निंग संस्थानों का एकीकरण कर देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया जाए। गाँवों को भी शहरी बनाया जाए, सभी को शिक्षित किया जाए और विकास किया जाए ताकि भारत विकासशील देश की श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी में अपना स्थान बनाए। यह सर्वविदित है किसी व्यक्ति विशेष के विकास या उत्थान से संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए पूरे देश के विकास हेतु वहाँ के स्त्री पुरुष का समान रूप से शिक्षित होना पूर्ण रूप से आवश्यक है। यह कार्य ई-लर्निंग के द्वारा संभव हो सकता है। भारत जैसे देशों में जहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक है वहाँ ई-लर्निंग एक वरदान सिद्ध होगा तथा समाज में व्याप्त बुराई को दूर किया जा सकता है और देश समाज का विकास किया जा सकता है।

समस्याएँ - प्रस्तुत शोध में ई-लर्निंग शिक्षा की कुछ समस्याएँ भी दी गई हैं।

1. भारत की आबादी का कुल 28.7 करोड़ वयस्क पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। 1991 से 2006 के बीच भारत में साक्षरता दर 48 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है, किन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण यह बदलाव नहीं दिख पा रहा है। गरीब, स्वास्थ्य, कुपोषण, सामाजिक पिछड़ापन आदि के मूल में शिक्षा का अभाव प्रमुख कारण है। इस लिए ई-लर्निंग शिक्षा प्राथमिक चिंता का विषय बन गई है।
2. ग्रामीण छात्रों में ज्यादातर छात्र दूसरी कक्षा तक ही किताब पढ़ने में

3. सक्षम है जो ई-लर्निंग शिक्षा क्या समझ सकेंगे सात साल के बच्चे शब्द नहीं पहचान पाते हैं और 14 साल के बच्चे सामान्य सा गणित सवाल हल नहीं कर पाते हैं, वो ई-लर्निंग से शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे।
4. यदि पैसा पास नहीं होगा तो ई-लर्निंग शिक्षा का सपना सपना ही रहेगा क्योंकि ई-लर्निंग शिक्षा इंटरनेट आधारित है और नेट या सेट बिना पैसों के पास नहीं आते हैं।
5. भारत के अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो खुद ई-लर्निंग शिक्षा के विषय में नहीं जानते तो ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे।
6. ई-लर्निंग शिक्षा शहरो तक ही सीमित रह गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यह शिक्षा सही से नहीं चल पाती।

समाधान - प्रस्तुत शोध में ई-लर्निंग शिक्षा की समस्याओं के समाधान निम्नलिखित हैं।

1. यदि ग्रामीण छात्रों को स्कूलों में सरकार ई-लर्निंग चालू कर दे तो यह उनके लिए समझने का सही जरिया होगा जिससे एक कम्प्यूटर के द्वारा सभी को शिक्षित किया जाएगा और वह शब्द पढ़ना तुरंत सीख जाएंगे।
2. भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। जिससे शिक्षा का स्तर समझ में नहीं आता। अतः ई-लर्निंग के द्वारा शिक्षा दी जाए तथा जनसंख्या वृद्धि पर भी अंकुस लगाया जा सकता है।
3. भारत में अधिकतर ग्रामीण इलाके आर्थिक रूप से तंग होते हैं। ऐसे में वे अपने ई-लर्निंग शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए सरकार को सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए।
4. ई-लर्निंग के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षक ही छात्रों को ई-लर्निंग के द्वारा शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं।
5. भारत सरकार को ई-लर्निंग शिक्षा के लिए ग्रामीण समाज को भी उत्साहित करना चाहिए तथा इसके द्वारा प्राप्त लाभ भी समझाने चाहिए जिससे देश का चारो तरफ से विकास हो सके।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष इस प्रकार है।

तकनीकी हमेशा से नवयुग में प्रवेश का माध्यम रही है। चाहे वह पेपर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, पुस्तकें हो मोबाईल, लेपटॉप हो, इंटरनेट सुविधा हो इसका हम कितना सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है जैसे जैसे ग्रामीण भारत सूचना तंत्र से जुड़ता जाएगा भारत का ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और एक बार पुनः वैश्विक स्तर पर ज्ञान पताखा फहराएगी। इसके लिए ई-लर्निंग शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जिससे ग्रामीण और शहरीकरण में शिक्षा का स्तर समान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डिजिटल इंडिया मिशन।
2. ई-क्रान्ति, ग्रामीण भारत की समस्या और तकनीकी समाधान।
3. पंचजन्य पत्रिका।
4. समाचार पत्र।

Haveli Of Sham Singh Atari (Unrevealed Heritage)

Dr. Rupali Razdan*

Abstract - History plays an important role in promoting one's intellectual growth and development, as history helps us to find out how our nation emerged, the problems encountered and also the nation's values. Literature, old buildings, monuments, paintings etc. are the best examples from which one could know about the culture of origin in a better way with which we might be less familiar and so through these it becomes easier to make aware our next generation about our rich culture and past. The purpose of this paper is to throw a light on that untold architecture of Sikh Period, which is in a neglected situation these days, though some of its family members and other families who were associated with Sher-e-Punjab Maharaja Ranjit Singh are still alive.

Key Words - Sikh Architecture, Maharaja Ranjit Singh, Sham Singh Attari and the Haveli, Architectural Importance.

Introduction - When we talk about Sikh Architecture – a rich heritage of Punjab and a world-renowned style of architecture, the picture of Golden Temple in Amritsar (Punjab) immediately appears before our eyes. Further examples of Sikh architecture can be found in India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Saudi Arabia, Iraq and Turkey, where the Sikh Gurus payed visits to. Modern examples can be found world wide – America, Australia, United Kingdom, Europe and Asia. Apart from buildings of religious order, Sikh Architecture has secular types of forts, palaces, Havelis, bungas and colleges. Very less has been written about Sikh Architecture that it is difficult for anyone to believe that such a style of architecture exists at all. Sikhs are known in world for their bravery, characteristic vigour, valour versatility and above all for their distinct physical moral and spiritual identity, but some examples of their architecture today is in a neglected state and is unidentified.

Historical Background: The land of five rivers – 'Punjab', has seen many ups and downs. It has been looted and attacked by several foreign invaders for centuries. And hence, we can say that it's geographical and political situation effected it's culture and art. But we cannot deny the presence of art in Punjab, as from history the examples of art in Punjab in the form of painting, architecture, sculpture etc proves that Punjab was not only known as a land of warriors and fighters but it was known for such warriors who loved art and whenever they find some peace in the area, they tried their best for the development and flourishing of art.¹

Architecture was still there before the emergence of Sikhism As Mughal Emperors were also found of architecture and thus some examples of Mughal architecture can be seen till date in Punjab. But at the very

end of 18th century, Maharaja Ranjit Singh appeared on the scene.² With his great ability as a general, he carried out for himself a powerful and well organized kingdom. As a liberal patron of arts, he got commissioned various architects from Hindu and Muslim religion who worked all together during his time and it is said that he got constructed a large number of other shrines in and around Amritsar-Lahore in which number of Gurudwaras, Hindu Temples, Samadhi, dharamshalas and havelis for his traders, merchants and generals were erected. "The placing of new havelis for the nobles, both in Lahore town and in the vicinity of the Golden Temple, Amritsar, was inspired by the Maharaja's wish that the courtiers may be available, morning and evening, for talks about matters of state fresh campaigns for consolidation of the kingdom, and for the multifarious arrangements of day-to-day life, such as revenue collection, provisions for the army, giving jagirs, deciding of disputes and discussions of foreign policy."³ Apart from him rich merchants, traders and Ranjit Singhs' generals got constructed havelis etc for themselves.⁴ Among them one of the most important building called by the name – "Haveli of Sardar Sham Singh Attari," who become a martyr in the second Anglo Sikh war, now remains in ruins.⁵

Sardar Sham Singh Attari (1785-1846), a Sikh general in the Sikh army of Lahore Darbar, was born in the house of a well known Jatt family of Sidhu clan and was the only son of Sardar Nihal Singh Attari (d. 1817) and grandson of Sardar Gaur Singh Attari (d.1763), who was first in line to convert to Sikhism in the early political Sikh period. Gaur Singh soon established his protection over an area around Attari, a village he had founded some 16 miles west from the holy city of Amritsar. His son, Nihal Singh was known

for his martial prowess and for his personal loyalty to Maharaja Ranjit Singh. Before this he served the Bhangi Misl but later joined Maharaja and continued to serve him upto 1817, the year of his death. Nihal Singh's son, Sham Singh Attari, entered the service of the Maharaja in 1817 and in 1818, took part in the military campaign of Peshawar, Attock and Muttan. He also fought in Kashmir in 1819. Maharaja Ranjit Singh knowing his qualities and fighting abilities made him Jathedar of 5000 horsemen. Sham Singh is also famous for his last stand at the Battle of Sobraon. His daughter was married to Prince Nau Nihal Singh and he served on the council of regency for Maharaja Dalip Singh.⁶ Upon his death his wife Mai Dasi committed Sati (Self-immolation) in her bridal dress.⁷ His death marked the weakening of the Sikh Empire, and with Maharani Jind Kaur (Wife of Ranjit Singh) banished away from the Palaces of Lahore, in 1847 by the British and three years later in 1849 the falling and crumbling Sikh kingdom of Punjab was annexed by the British Empire.⁸ Though the exact date of Haveli is not known but it is said that this was constructed under the supervision of Sardar Sham Singh Attari himself.⁹ Keeping in mind, the birth and death year of Sham Singh it can be said that this was made in the beginning of 19th century.

Location: At present, the Haveli of Sardar Sham Singh Attari is located in Attari town where he was born and brought-up. A place, few kms from the border of India and Pakistan, near Amritsar, in the Majha region of Punjab, India. It is said that there was not only that haveli, but total nine havelis were got constructed through various generals, faujdars nobles and courtiers etc. associated with Maharaja Ranjit Singh.¹⁰ Some of them are completely demolished while others are in ruins these days. Near Sham Singh's haveli, today, the memorial contains a small museum, a guest suite along with several samadhis including Smadh of Sham Singh in between them and a Gurudwara. There is also a large tank of water (Sarovar) built for the wedding of Maharaja Ranjit Singh's grandson, Prince Nau Nihal Singh and general Sham Singh Attariwala's daughter, Bibi Nanaki Kaur.

Architectural Importance - As it is said before, that Maharaja Ranjit Singh was a liberal patron of art, Sikh architecture is a lively blend of the Mughal and Rajput styles. Onion shaped domes, multi-foil arches, in laywork frescoes, use of material, such as brick the making of lime mortar, and the shaping of these elements into decorative flourishes of Mihrabs over the doorways, projections over the windows and spiraling steps, had been brought in by Islamic builders, under the Sultanates of the early medieval period and through the Mughals. While Oriel windows, bracket supported eaves at the string-course, chhatris, richly-ornamented friezes, use of wood for beams etc are reminiscent of elements of Rajput architecture such as seen in Rajasthan.¹¹ Percy Brown, an art historian has described it, a late form of the Mughal style of architecture.¹² So this Haveli too is a blend of two styles. Actually Maharaja Ranjit

Singh and his courtiers inherited the tradition of climate-space time-history, purpose and use of adequate local materials from their predecessors. The big house (Haveli) of the chieftain in the hamlet is located in the centre of the habitations, whose narrow approach-lanes would protect it against marauders. The deohri, hallway of the haveli, with its giant door, studded with big nails, was the first protection. On the side of the inner courtyard are the living rooms. Approached from steps on the side of a square is the first and second storeys (which is in ruins now) overlooking the well on the ground floor from which the water was drawn. The average rooms were provided with jallied windows and wooden doors to cope with the climate, to bring air in, against the hot suns of the summer, to prevent cold breezes in winter and to provide rest during the nights, as well as for some hours of the day. But today, the upper storeys of the Haveli is broken and shattered from many places which was made with Nanak-Shahi (Small red) brick and now these are scattered in the narrow streets all around the haveli. Today, only few doors, mehrabs, jallidar windows, burgis and domes are left.¹³

Conclusion - Knowing the importance of the Haveli historically as well as artistically its preservation and conservation is required. Though its descendants are alive and a memorial is run by a family trust. Every year on 10th February a Martyr's Day celebration is held to honour General Sham Singh, which is now on the state level function list. Inside the museum near haveli, there is a series of images relating to the family's story and the General showing that family is from a distinguished line of soldiers and continue to play a part in the military today.¹⁴ The family has a sword that belonged to General Sham Singh, which normally only comes out for display on special occasions such as Martyrs day. They have a small archive, amongst the letters was an invitation from Princess Bamba Duleep Singh.¹⁵ But the conservation of Sardar Sham Singh and of other havelis present around it is a need of hour. The efforts can be made by the family members, Sikh Institutes and by the government.

There is a variety of many scattered evidences of buildings that still exists, in a state of utter neglect, on this side or across the border, which are significant contribution of Sikh Architecture to the art and science of building. As for instance, it has been reliably learnt that Hari Singh Nalwa built a fourteen storeyed structure with additional three in the basement (taikhana) for use during summer. Only four storeys now survive. It is said that the (taikhana) were cold enough for use of blankets even where there was sweltering heat outside. If it could be established that such a structure did come up in the first quarter of the 19th Century, Sikh architecture would have the proud privilege of having put up the first skyscraper began when home-insurance building, a ten storied structure was constructed in Chicago towards the end of 19th century.¹⁶ It is thus required that Sikh Architecture needs a proper research which has hither to remained neglected for various reasons.

References :-

1. Kang, Kanwarjit Singh, "ÇìµàÆ ÁÁê~ ÁÁêäÆ", 1985, P. 30-31, Delhi.
2. Aryan, K.C., "Punjab Murals", 1977 P. 26-27
- Arshi, Pradeep Singh, "Sikh Architecture in Punjab," Intellectual Pub. House, 1986
3. Anand, Mulk Raj, Marg-Appreciation of Creative Arts under Maharaja Ranjit Singh, Architecture, P. 28, Bombay.
4. Kang, Kanwarjit Singh, "Wall paintings of Punjab and Haryana", 1985, P.22
- Goswamy, B.N., "A matter of Taste-some notes on the context of painting in Sikh Punjab", Marg, 1981, P.63
5. Daily Sikh updates, 'Have a look at the Haveli of one of the Great Sikh warriors Ever', 16 Ap, 2016 (net)
6. Suri, Sohan Lal, 'Umdat-ut-Twarikh', Lahore, 1885-89.
- Ganda Singh, sardar Sham Singh Attariwala, Amritsar, 1942.
- Harbans Singh, 'The Heritage of the Sikhs', Delhi, 1983
- Khuswant Singh, 'A History of the Sikhs', Vol. II, Princeton, 1966.
- 'The Sikh Encyclopedia, Sham Singh Attariwala', Retrieved 4 July' 2018.
7. • Datta, Vishwanath, 'Sati: a historical, social and philosophical enquiry into the Hindu rite of widow burning', P. 279 (1988)
- Griffin, Lepel Henery, 'Ranjit Singh and the Sikh Barrier Between our Growing Empire and Central Asia', P 67 (1905)
8. WWW.Sikhiwiki.org.Encyclomedia of the Sikhs Sardar Sham Singh Attari.
9. Interviewed telephonically on 04-09-2018 Sr. Bikram Singh Attariwala, from the family of Arur Singh, one of the son of Jmadar Khushal Singh (a sepoy in the army of Maharaja Ranjit Singh).
10. Ibid
11. Anand, Mulk Raj, Appreciation of Creative Arts under Maharaja Ranjit Singh - 'Architecture', Marg, P. 27-28.
12. Brown, Percy,
13. Visited on: 6 May' 2018
14. Ibid
15. Dogs, swords and Elephants - all in a day in India, March 7, 2015 by ancient house India-creating the Duleep Singh Gallery, Art council England.
16. www.sikhiwik.org.Encyclomedia of the Sikhs, Sikh Architecture.

डॉ. राममनोहर लोहिया के चिन्तन की प्रासंगिकता

डॉ. अरविन्द यादव *

प्रस्तावना - डॉ. राममनोहर लोहिया हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्हें कालजयी कहा जा सकता है। काल का स्वभाव है कि वह जैसे-जैसे बीतता है व्यक्तियों और घटनाओं को विस्मृति के गर्त में ढकेलता जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति अपने विचारों के कारण काल की इस गति को उलट देते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता है उनकी स्मृति, उनकी प्रासंगिकता बढ़ती जाती है। लोहिया के बारे में यही हुआ है। लोहिया के निधन के पाँच दशक बीत गए हैं किन्तु इनके विचार भारत के संदर्भ में ही नहीं समूचे विश्व के सन्दर्भ में आज अधिक प्रासंगिक माने जा रहे हैं।

मार्क्सवादी समाज और दर्शन में मानव प्रकृति तथा व्यक्ति की अवहेलना के स्थान पर डॉ. राममनोहर लोहिया के जनतांत्रिक समाजवाद में व्यक्तिगत दायित्व, मानव स्वभाव के आधार पर नियंत्रित पूँजीवाद की धारणा की स्वीकृति और सत्ता के विकेन्द्रीयतावाद की स्वीकृति साथ ही **जन शुभारम्भ की धारणा का विकास** - मार्क्सवाद की जो आलोचना डॉ० लोहिया ने की थी उसके कई कारण थे। परन्तु मार्क्सवादी दर्शन में मानव की स्वतन्त्रता का हनन होना प्रमुख है। चाहे कोई भी व्यवस्था हो मानव स्वतन्त्रता चाहता है। मानव प्रकृति से ही स्वतन्त्र होता है। जब सामाजिक परिवेश में रहता है तो बन्धनों में बंधता है। इसी प्रकार जो भी राजनैतिक व्यवस्था हो मनुष्य स्वतन्त्रता चाहता है। क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययन से स्पष्ट है कि मानव रोटी के स्थान पर स्वतन्त्रता को पसंद करता है। मार्क्सवादी दर्शन में सभी बातें ठीक थी, जैसे सर्वहारा और शोषित के लिए लड़ना और निजी सम्पत्ति की समाप्ति। मार्क्सवाद के विघटन का कारण व्यक्ति की अवहेलना है। यदि व्यक्ति की वाणी पर प्रतिबन्ध न लगा होता तो मार्क्सवाद की कमियाँ सामने आती रहती हैं। उनमें सुधार की गुंजाइश रहती।

डॉ० लोहिया ने अपने दर्शन में सबसे अधिक ध्यान व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर दिया है। विशेषकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रति सबसे ज्यादा सजग थे। कई बार अपनी गिरफ्तारी के विरोध में, न्यायालयों में पौराणिक सुकरात, गांधी को उद्धृत करते हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए लड़े हैं। अन्याय करने पर, निहत्थी जनता पर गोली चलाने पर, खुद ही अपनी सरकार से इस्तीफा मांग लिया था। जो मूलतः पार्टी विघटन का कारण बना। डॉ० लोहिया ने अपने संभव बराबरी, निजी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करना, उपभोग पर नियंत्रण, उत्पादन के साधनों का वितरण और मानव के द्वारा मानव का शोषण न हो इसके राजनीतिक दर्शन की विशद व्याख्या की। सरकार के सभी कार्यों में जनता की समुचित भागीदारी हो। अन्याय के खिलाफ सामान्यजन को खड़ा करना लोहिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अन्याय और शोषण के खिलाफ, कमजोर व्यक्ति को प्रतिरोध करना डॉ० लोहिया ने सिखाया था। आन्दोलन के दौरान जहाँ गांधी हर

गाँव में गांधी पैदा करने में सफल रहे हैं, वही लोहिया भी अपने पार्टी कार्यक्रमों जनसमस्याओं के आंदोलनों में हर जगह लोहिया पैदा करने में सफल रहे हैं। शासन सत्ता की विकेन्द्रीकृत की स्थापना जो डॉ. लोहिया ने 'चौखम्भा राज्य' का मॉडल प्रस्तुत किया था, उसे प्रायः सभी राजनैतिक दलों और सरकारों ने मान लिया है।

वैश्विक स्तर पर डॉ. लोहिया के दर्शन का महत्व, वैश्विक स्तर पर पूँजीवाद-साम्यवाद दोनों विकल्पों की असफलता और डॉ. लोहिया के **चिन्तन की प्रासंगिकता** - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन जिस विखराव के रास्ते पर चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में डॉ. लोहिया के विचारों और सिद्धान्तों की पुनः व्याख्या करना आवश्यक हो गया है। डॉ. लोहिया ने समाजवाद की जो व्याख्या प्रस्तुत की थी वह अनेक समाजवादियों के अनुकूल न होने के कारण आलोचना का विषय रही। लोहिया की विचारधारा समग्रवादी थी। इसी दृष्टि से 'विश्ववादी' दृष्टि विकसित हुई। डॉ. लोहिया अपने को विश्व नागरिक मानते थे।

वर्तमान समय में समाजवादी आंदोलन विखर गया है। साम्यवादी देश अपने ही अन्तर्विरोधों से टूट गए हैं। हालांकि डॉ. लोहिया ने इस विघटन की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी क्योंकि उनका मानना था कि 'साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों के उद्देश्य एक जैसे हैं।'

व्यक्ति और समाज की इस नई दृष्टि से जब वह समाजवाद की नयी व्याख्या करते हैं तो समाजवाद में स्वतः एक सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है अमरीका में एक जनसमूह के समक्ष डॉ० लोहिया ने अमरीका और रूस के भौतिक विकास की आलोचना करते हुए कहा था कि 'वर्तमान सभ्यता मेरे लिए अर्थहीन हो गई है। चाहे वह अमरीकी सभ्यता हो या रूसी, दोनों ही मेरे लिए अप्रासंगिक हैं। मैं दोनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यह वाक्य किसी नैतिकता के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे न तो गांधी की चर्चा कर रहा हूँ और न ही मैं अहिंसा या भारत की आध्यात्मिकता की दुहाई दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मायने में आज का यूरोपियन और अमरीकन भारतीय से ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है। मैं जिस आधार पर यह कह रहा हूँ वह दूसरा है और वह यह है कि वर्तमान मौजूदा सभ्यता आने वाली दुनिया के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। आज न्यूयार्क या मास्को जितने बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ बढ़ाते जा रहे हैं वह सब अर्थहीनता पर पहुँच गए हैं। जिस दुनिया की रचना हम कल के लिए करना चाहते हैं, उसमें से गरीबी को निकाल बाहर फेंकने का संकल्प है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि यह कल की दुनिया के लिए अप्रासंगिक है, तो उसके पीछे यह सपना गरीबी हटाने का है न कि कोई नैतिक दबावा।'

डॉ. लोहिया की समाजवादी दृष्टि संदर्भित होती थी। उसे संदर्भ देने

वाली, उनकी देश, काल और ऐतिहासिक स्थिति से उपजी हुई कर्म करने की अनिवार्यता होती थी, उन अनिवार्यता के साथ नितांत स्थानीय विश्व चेतना के उद्गम समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक अंग होते थे। मन से 'समता' के प्रति संघर्षशील रहना और 'जनइच्छा' को अभिव्यक्ति देने के लिए सम्पूर्ण परिवर्तन की समग्रता को पकड़कर न छोड़ना उनके चिंतन और कर्म के अविभाज्य अंग थे। वह समाजवाद को उसकी समग्रता ही में जागरूक करना चाहते थे। ऐसे अनुभवी और आत्मशिल्पी थे जो समाजवादी जीवन दर्शन को सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रस्तुत करते थे।

वह जब आध्यात्मिकता को भौतिकता के साथ अपरिहार्य मानने की बात करते थे तो एक दार्शनिक लगते थे। सामाजिक क्रांति के लिए मन की चर्चा करते थे। समता में मर्यादा की बात करते थे तो लगता था कि वह नैतिकता के प्रखर प्रकाश में मानव आत्मा को प्रकाशित करना चाहते थे। जब वह सामाजिक विषमताओं की चर्चा करते हुए एक ऐसी क्रांति का आवाह कर रहे थे जिसमें उथल-पुथल मच जावे, तो वह एक सशक्त क्रांतिकारी लगते थे। समस्त विश्व के साहित्य मिथक, पुराण, स्थापत्य, संगीत और नृत्य का विश्लेषण करते थे तो लगता था कि एक कवि मन अपनी रचनाधर्मिता का परिचय दे रहा है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि डॉ० लोहिया आस्कर जर्सी जैसे समाजवादी थे, पर लोहिया जिस समाजवाद की कल्पना करते थे, उसमें अर्थशास्त्र, धर्म, नीतिशास्त्र, विधि, समाजशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र प्राणहीन पदार्थ न होकर क्षण-प्रतिक्षण जीवन प्रवाह के साथ-साथ गतिशील प्रकाश स्तंभ लगते थे, उन्होंने चेतनाशून्य समाजवादी विचारधारा में नये प्राण फूँकने की कोशिश की थी, इसलिए उनका समाजवादी चिन्तन आज भी हमारा पथ आलौकिक करता है।

डॉ० लोहिया गांधी की अगली कड़ी थे। उन्होंने महात्मा गाँधी के विचारों को आगे बढ़ाया और साथ ही अपने मौलिक चिंतन से एक नई सभ्यता की रूपरेखा विश्व के समझ प्रस्तुत की। यह रूपरेखा लोहिया की सत्क्रांति के रूप में जानी जाती है। डॉ० लोहिया के 'चौखम्भा राज्य' में नये समाज की यह समग्र दृष्टि अंतर्निहित है। चौखम्भा राज्य इस नई सभ्यता का नये समाज का विचार है जिसे लोहिया ने हमें बीज के रूप में सौंपा है।

डॉ० लोहिया के चिन्तन के सार्वभौमीकरण की सम्भावना का रेखांकन
- डॉ० लोहिया ने भारतीय समाज की सड़ी गली जिस व्यवस्था को बदलने का सपना देखा था, वह राजनैतिक चेतना में परिवर्तित होकर कार्यरूप में परिणित हो रहा है। समाज के विषय में जो आदिकाल से मान्यताएँ चली आ रही थी। उनको डॉ० लोहिया ने अपने क्रांतिकारी कार्यों से बदला है। यदि वे जीवित होते तो निश्चय ही यह सपना पूरा होता देखते। डॉ० लोहिया की राजनैतिक भविष्यवाणियाँ सत्यसिद्ध हुई हैं। आर्थिक विकास के सभी मॉडल

ध्वस्त हो गए हैं। यदि कभी भी भारत का आर्थिक विकास हो सकता है तो केवल डॉ० लोहिया का गांधीवादी रास्ता ही हो सकता है।

डॉ० लोहिया ने राजनीतिज्ञों के लिए जो आचार संहिता की स्थापना की थी वह आज आवश्यक हो गई है। वर्तमान राजनीतिक उठापटक, सिद्धान्तहीन दलों का गठन, कथनी करनी में अन्तर, चुनावी हिंसा, चुनाव में जाति, पैसा, अराजकता का प्रवेश। यदि इन सब बातों से मुक्ति पानी है तो डॉ० लोहिया के सिद्धान्तों को अपनाना होगा। डॉ० लोहिया ने योजनाओं की असफलता की भविष्यवाणी की थी। सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी कर्ज इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित किया था। वह सब भविष्यवाणियाँ आज सत्य सिद्ध हुई हैं।

यह बात तो हम सब जानते हैं कि सभ्यताएँ दस-बीस वर्षों में नहीं बनती। कुछ विचार सभ्यताओं के बीज बनते हैं और फिर कई पीढ़ियों को खाद- पानी बनकर अपने को खपाना पड़ता है। तब कहीं अंकुर निकलना है। इस बीज को अंकुर में बदलने के लिए कितना त्याग बलिदान दिया, कितना खाद-पानी दिया, इस बात पर उन सब लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए जो अपने को लोहिया का अनुयायी कहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लक्ष्मीकान्त वर्मा - समाजवादी दर्शन और डॉ० लोहिया, पृष्ठ 48-49 शैलेश कृष्ण निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ, 1991
2. मस्तराम कपूर - कल की राजनीति, पृष्ठ - 11 लेखक मंच 79वीं मयूर बिहार दिल्ली, 1997
3. डॉ० अमरेश्वर अवस्थी - आधुनिक भारतीय सामाजिक राजनीति चिंतन पृष्ठ-561 एवं डॉ० रामकुमार रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1997
4. डॉ० राममनोहर लोहिया - क्रांतिकरण, पृष्ठ-35 लोहिया समता विद्यालय न्यास हैदराबाद 1973
5. डॉ० राममनोहर लोहिया - मार्क्स, गांधी एण्ड सोशलिज्म , पृष्ठ 226 राममनोहन लोहिया, समता विद्यालय न्यास पब्लिकेशन्स हैदराबाद, 1978
6. डॉ० राममनोहर लोहिया - समदृष्टि, पृष्ठ 1-2 राममनोहर लोहिया समता विद्यालय न्यास, हैदराबाद 1970
7. इन्दुमति केलकर - लोहिया कर्म और सिद्धान्त, पृष्ठ 254 नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद, 1963
8. मस्तराम कपूर - समाजवादी विचारमाला - 13, भारतीय समाजवाद और लोहिया पृष्ठ- 15 समाजवादी साहित्य संस्थान, दिल्ली, 2000।

ध्रुवपद - एक यात्रा

डॉ. दीप्ति गेड़ाम परमार*

प्रस्तावना - भारत वर्ष की दो कलाओं का विशेष प्रभाव दिखाई देता है -

1. संगीत कला
2. शिल्प कला

अर्थात् यह दो कलायें भारत वर्ष की इतनी समृद्ध और उच्चकोटि की हैं, जिन्हें विदेशी शासक न तो ले जा पाए, न ही उनमें कोई विशेष परिवर्तन कर पाए। भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों आदि में बहुत-सी खंडित प्रतिमाएँ मिलती हैं, साथ ही ऐसी मूर्तियाँ भी हैं, जो खंडित नहीं हो पाई थी। उनकी बनावट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियाँ बोलने की वाली हैं या कुछ कहने के हाव-भाव दिख रहे हैं। इन खंडित प्रतिमाओं को देखकर यह भी महसूस होता है कि आक्रमणकारी इन्हें ले जा नहीं सकते थे, परंतु खीझकर गुस्से में खंडित तो कर ही सकते थे, जो उन्होंने किया। इसके विपरीत भारतीय संगीत-कला भी अपने आप में बहुत ही समृद्ध एवं उच्चकोटि की है।

प्राचीन समय में संगीत, अन्य दूसरी विद्याएँ भी गुरु-मुख से ही सीखा जाता था, अन्य कोई साधन नहीं था। शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही श्रमसाध्य होता था एवं धैर्य के बिना संभव नहीं था। अतः ये दोनों ही कलाएँ वर्तमान में भी अपना अस्तित्व स्थाई करने में सफल रहीं।

विदेशी आक्रमण से पूर्व एवं उस दौरान आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति पर पूर्ण आघात किए, फिर भी भारतीय संस्कृति विशेष रूप से संगीत, अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहा। इसका कारण यह भी था कि आक्रमणकारी पूर्णरूपेण स्थाई नहीं हो पाए थे।

मध्यकाल में मुगल शासन से स्थायित्व आना आरंभ हुआ, जो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के समय से मिलता है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि भारतीय संगीत में उससे पूर्व कई परिवर्तन करने के प्रयास किए गए, परंतु ये सभी प्रयास सफल नहीं हुए। इन असफल प्रयासों का तात्पर्य उस सूफी-परंपरा से है जो अलाउद्दीन खिलजी (सन् 1296 - 1316 ई.) के समय से चली आ रही थी। अमीर खुसरो और उसके अनेक अनुयायियों ने अपनी परंपरा का प्रचार करने के बहुत प्रयास किये। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में बहुत से परिवर्तन किए। नये रागों का निर्माण किया, तालों का निर्माण किया, परंतु वे स्वयं भारतीय संगीत से अत्यधिक प्रभावित थे। तत्कालीन गुणी गोपाल नायक का उन्होंने गायन सुना और उस गायन का अनुकरण भी किया।

चूँकि खिलजी सम्राटों के युग के पूर्व से भारत मुस्लिम सेनाओं से आक्रान्त हो गया था, निजामुद्दीन चिश्ती के सात सौ समर्थक भारत में फैल गए थे। अमीर खुसरो और उसके अनेक अनुयायियों ने अपनी सूफी परंपरा का प्रचार करने के बहुत प्रयास किए। एक ओर जहाँ भारतीय जनसाधारण को मंदिरों आदि जैसे स्थानों में प्रवेश से वंचित रखा जाता था, दूसरी ओर

सूफियों के दरबार में समाज के हर स्तर के व्यक्तियों को स्थान मिलने लगा, जिससे भारतीय जनता का सूफी-परंपरा या सूफी संगीत की ओर अधिक झुकाव होने लगा। इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय संगीत जनसाधारण की दृष्टि से अधिक विलुप्त था एवं सूफी संगीत सरल भाषा में होने के कारण जनता को अधिक मनोरंजक लगने लगा। इस प्रकार इस संगीत का प्रचार होने लगा।

गवालियर के तोमर वंश के समय तक चिश्ती सूफियों की परंपरा भारत में खूब प्रचार में आ गई थी। इसका मुख्य कारण था उनके गीतों की लोकभाषा। अमीर खुसरो एवं अन्य अनुयायियों द्वारा प्रचारित ग़ज़ल, कव्वाली, खयाल, मुकरी आदि से भारतीय संगीत पर प्रतिकूल प्रभाव होने लगा। इस विदेशी संगीत से भारतीय संगीत पर विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए सबसे पहले गवालियर के राजा डूंगरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया और इसी उद्देश्य से 'विष्णुपद' नामक गीत की रचना की। था। चूँकि परंपरागत भारतीय संगीत के बोल संस्कृत भाषा में होते थे जो उस समय के जनसाधारण की समझ से परे हो गए थे। उस समय का संगीत केवल राजसभाओं, प्रशस्तिकारों तथा विद्वानों तक ही सीमित रह गया था। अतः संस्कृत के गीतों पर आधारित राग गायन जनसाधारण के लिए मनोरंजन का आधार होना संभव नहीं था। भारतीय संगीत को जनसाधारण के लिए अधिक सरल बनाने के लिये ही डूंगरेन्द्र सिंह ने विष्णुपदों की रचना की, जिनमें लोकभाषा का प्रयोग किया और उन्हें भारतीय राग-रागिनियों में स्वरबद्ध किया। अतः सूफी संगीत का प्रभाव कम करने और भारतीय संगीत को अधिक सरल और मनोरंजक बनाने के लिये राजा डूंगरेन्द्र सिंह ने विष्णुपद की रचना की। इस क्रिया से भारतीय संगीत को एक नई दिशा मिली। अर्थात् यह क्रिया सूफी संगीत के जवाब में उभरी।

इसी क्रम में राजा मानसिंह तोमर ने विष्णुपद के आधार पर अपने दरबार के विद्वान कलावंतों से भक्तिपरक पदों की रचना कराई जो ब्रजभाषा में रची गई और यही क्रिया 'ध्रुवपद शैली' के नाम से प्रचार में आ गई। राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुवपद का आविष्कार करने के लिये सबसे पहले गवालियरी भाषा में कवितायें लिखीं, इन कविताओं में तीन प्रकार की विषय-सामग्री मिलती है -

1. भगवान कृष्ण से संबंधित पदों को मानसिंह तोमर ने 'विष्णुपद' नाम दिया।
2. धार्मिक विभूतियों की प्रशंसा में जो पद लिखे गए, उन्हें 'स्तुति' कहा है।
3. प्रेम की अवस्थाओं के चित्रण या वर्णन से युक्त रचनाओं को 'ध्रुवपद' कहा गया है।

इसके बाद इन कविताओं को भारतीय रागों में स्वरबद्ध किया। इन पद रचनाओं को चार चरण में विभाजित किया। तत्पत्त अपने दरबार के कलावंतों के साथ विशेष चर्चा कर इन पदों को स्वतंत्र रूप से गाने योग्य बनाया। इस प्रकार राजा मानसिंह ने ध्रुवपद का आविष्कार किया। राजा मानसिंह ने ध्रुवपद की शिक्षा के लिए ग्वालियर में संगीत अध्ययन संस्था (विद्यापीठ) की स्थापना की, जिसमें उनके दरबार में आश्रित संगीत नायकों को शिक्षा देने के लिये प्रेरित किया गया। ग्वालियर का यह संगीत विद्यापीठ पूर्ण भारत में प्रसिद्ध हुआ, इसके शिष्य मियाँ तानसेन भी थे। राजा मानसिंह समय-समय पर संगीतज्ञों से संगीत की जटिल समस्याओं के बारे में चर्चा करते थे एवं कई संगीत परिचर्चा भी बुलाते थे।

राजा मानसिंह ने अनेक कलावंतों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था - नायक बैजू, नायक बख्शू, नायक कर्ण, नायक मेहमूद लोहंग, नायक पाण्डवी आदि। राजा मानसिंह द्वारा अविष्कृत ध्रुवपद पैली संपूर्ण भारत में फैल गई। भारतीय संगीत (ध्रुवपद) इतना प्रभावी था कि मुगल शासक हुमायूँ भी इससे अछूता नहीं रहा। इस संदर्भ में हुमायूँ के कार्यकाल की एक घटना का उल्लेख है। हुमायूँ गुजरात पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिये उसने युद्ध के दौरान कत्ले-आम का आदेश दिया। इस बीच बैजू बावरा नामक गायक एक मुगल सैनिक द्वारा गिरफ्तार किया गया जो उसका कत्ल करने पर अमादा था, परंतु बैजू के विशेष आग्रह पर उस सैनिक ने मारा नहीं, हुमायूँ के सामने प्रस्तुत किया। चूँकि नायक बैजू गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह के आश्रित कलावंत थे, इसलिये हुमायूँ के आक्रमण करने पर वे हुमायूँ के सैनिक द्वारा पकड़े गए। उस सैनिक ने नायक बैजू को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया, बादशाह अत्यंत क्रोध में था। इस बीच खुशहाल बेग कूर्ची, जो सुल्तान बहादुर के पास जाया करता था, बैजू को पहचानता था। उसने बादशाह से कहा कि यह कलावंत (बैजू) गवैयों का बादशाह है। बादशाह के हुक्म पर बैजू ने अपना गायन आरंभ किया। धीरे-धीरे सुल्तान बहादुर का क्रोध शांत होने लगा। बैजू के गायन से अत्यंत

प्रसन्न होकर बादशाह ने बैजू को राजकीय वस्त्र देकर कहा - 'जो मांगेगा, वह पाएगा।' बैजू ने अपने गिरफ्तार किये बंधुओं को छुड़ाने की विनती की। बैजू के गायन से हुमायूँ इतना प्रभावित हुआ कि उसका हृदय-परिवर्तन हो गया और उसने कत्ले-आम बंद कराने का आदेश दिया। साथ ही यह आज्ञा दी कि नायक बैजू जिन लोगों को कहे, उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। बादशाह नायक बैजू को समय-समय पर पुरस्कार एवं उपहार भेंट करता रहता था। बैजू ये सभी भेंट उस सैनिक को दे देता था जिसने उसको जीवन दान दिया था।

अकबर के समय में भारतीय संगीत (ध्रुवपद-गायन) ही पूर्ण रूप से प्रभावी रहा। भारतीय राजे-महाराजे भले ही मुगल शासन के आधीन थे, परंतु उनके राज्यों में एक-से-एक अच्छे ध्रुवपद-गायक विद्यमान थे, जिनमें रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक तानसेन बहुत प्रसिद्ध थे। शहंशाह अकबर ने अपने विशेष सिपहसालार जलाल खॉ कूर्ची के द्वारा तानसेन को अपने दरबार में सम्मान सहित बुला लिया। शहंशाह अकबर ने इनके गायन से प्रभावित होकर इन्हें 'कंठाभरण वाणी विलास' की उपाधि से विभूषित किया। इसके साथ ही तानसेन को अपनी सभा के नवरत्नों में सम्मान दिया। अर्थात् अकबर के दरबार में विभिन्न विषयों के दक्ष विद्वानों में से उच्चकोटि के नौ विद्वानों को चुनकर, उन्हें दरबार के नवरत्न की संज्ञा दी गई। इन्हीं में तानसेन एक नवरत्न थे।

इस प्रकार विदेशी आक्रमणों एवं विदेशी संगीत (सूफी संगीत) के लगातार अनेक प्रहार भारतीय संगीत पर पड़ने के बावजूद भारतीय संगीत - ध्रुवपद इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि उसका एक-छत्र प्रभाव 500 वर्षों तक रहा जो आज भी दिखाई दे रहा है। भारतीय संस्कृति विशेष रूप से संगीत, अपना अस्तित्व बनाये रखने में सफल रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 भरण-पोषण : सामाजिक विधिक चिंता

नम्रता ताम्रकार *

शोध सारांश - 'किसी भी राज्य में मौजूद व्यक्तियों की खुशी को उस राज्य में लागू होने वाली सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक नीतियों से आंका जाता है' यह सिद्धांत बेनेथमाइट द्वारा दिया गया था। भरण-पोषण न केवल कमजोर वर्ग के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए चिंता का विषय रहा है, कमजोर वर्ग के लिए भरण-पोषण के उपलब्ध प्रावधान इसलिए एक समस्या है क्योंकि ये उत्तरजीविता के लिये ही लागू है। समाज की चिंता तब शुरू होती है जब एक व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों का भरण-पोषण करने में विफल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का स्तर और करियर समाज द्वारा बाधित एवं तिरस्कारित हो जाता है। विवाह परिवार का आधार है और परिवार ही समाज का आधार है। विवाह का विघटित होना चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, पति पत्नी एवं बच्चों को प्रभावित करता है और समाज के हित व विकास को भी अघात पहुँचाता है। 'भरण-पोषण' शब्दावली का उद्भव विवाह के पक्षकारों और परिवार के सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में हुआ है। वास्तव में देखा जाये तो भरण-पोषण की संकल्पना गरीबी और अभाव से व्यक्ति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से स्वीकार का गई है। धारा 125 के समान ही भरण-पोषण, सभी व्यक्तिगत विधियों में भी प्रावधानित है।

प्रस्तावना - वास्तव में धारा 125 भुखमरी के विरुद्ध तत्काल रूप में उपचार प्रदान करने का एक साधन है। यह पक्षकारों के सिविल दायित्वों का अभिनिर्धारण नहीं करती। इसके अधीन जो आदेश पारित किया जाता है वह अस्थाई होता है और अधिकारों के संबंध में सिविल न्यायालय के निर्धारण के अधीन होता है। वस्तुतः इस धारा की प्रकृति संविधान का विरोध नहीं करती अर्थात् यह धारा संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अधिलंघन नहीं करती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) भारत के सभी धर्मों के, समुदायों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। धारा 125 (1) में वर्णित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता को भरण-पोषण राशि प्रदान करे। वास्तव में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का उद्देश्य निम्न है:-

1. सामाजिक समस्या का हल।
2. भुखमरी एवं आवागर्दी का समाधान।
3. व्यक्ति को अपने विधिक एवं नैतिक कर्तव्यों को निष्पादित करने हेतु विवश करना,
4. भुखमरी की समस्या हल करने हेतु त्वरित उपचार प्रदान करना,
5. पक्षकारों को अपने दायित्वों के प्रति सजग करना।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 125

धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिये आदेश देने हेतु उपबंध किया गया है। धारा 125 के अनुसार-

1. यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति-
(क) अपनी पत्नी का, जो भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या

मानसिक असमान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने माता-पिता का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे:

परंतु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हों।

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाहियों के लिये खर्च की ऐसी राशि दे जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे और उस राशि का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे:

परन्तु यह और भी कि द्वितीय परन्तुक के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के मासिक भत्ते और कार्यवाहियों के खर्च के लिये आवेदन का निस्तारण ऐसे आवेदन के ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर, यथासंभव कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-

(क) 'अवयस्क' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

(ख) 'पत्नी' के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(2) भरण-पोषण के लिये या अंतरिम भरण-पोषण के लिये ऐसा भत्ता या कार्यवाहियों का खर्च आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्च के लिये आवेदन की तारीख से, संदेय होगा।

जहाँ पत्नी द्वारा भरण-पोषण की कार्यवाही की गई है वह स्थान, उसका निवास स्थान है या जहाँ उसका पति रह रहा है या जहाँ पर पति-पत्नी ने अंत में साथ में निवास किया था, जैसी भी दशा में जैसा हो, होना चाहिये।

भरण-पोषण का अर्थ- शरीर के भरण-पोषण हेतु जो कुछ ग्रहण किया जाता है उसे भरण-पोषण कहते हैं। मूलतः भरण-पोषण के अन्तर्गत भोजन भी आता है जैसा कि ऋग्वेद के एक मंत्र से ज्ञात होता है-

'माँ हवन्ते पितर वज्रन्तवोऽहं दाशुषे विभाजामि भोजनम्'
अर्थात् इन्द्र यजमान का भोजन दाता है। अतः मनुष्य उसका उसी प्रकार आव्हान करते हैं जिस प्रकार अन्नदाता पिता का। इस ऋचा से यह स्पष्ट है कि जीवन के लिये भोजन परमावश्यक सत्य है। मात्र भोजन से भरण तो संभव है परंतु पोषण के लिये औषधी और आवरण की आवश्यकता होती है।

वेदों में औषधी को भी एक आवश्यक पोषण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है-

'करम्भ औषधे भव पीवो वृक्क उदारथिः। वातये पीव इदू भव'
आवरण अर्थात् वस्त्र के अभाव में शरीर का पोषण नहीं होता। शरीर की रक्षाथि बाह्य पोषण भी उतना आवश्यक है जितना की आर्थिक पोषण। बाह्य पोषण के लिये आवास की आवश्यकता है जिससे प्राकृतिक कुप्रभावों से रक्षा होती है। इस शरीर में उदर की भाँति ही अत्यावश्यक अंग है मस्तिष्क, जिसका पोषण ज्ञानार्जन से होता है और ज्ञान का उदय व्यक्ति में गर्भावस्था में ही हो जाता है। इस प्रकार भरण-पोषण के अंतर्गत भोजन, औषधी, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा सम्मिलित है।

धारा 125 का उद्देश्य- भरण-पोषण के एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भरण-पोषण की कार्यवाही का उद्देश्य शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना होता है। अतः अभिवचन एवं प्रमाण के जटिलतम प्रयोग से यह उद्देश्य बाधित एवं निरस्त नहीं किया जा सकेगा। **(सावित्री बाई बनाम अमृतलाल 1993 (1) म.प्र.वी.नो. 121 म.प्र.)**

धारा 125 की प्रकृति- भरण-पोषण की कार्यवाही की प्रकृति एक अर्थ आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही है। इस संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत जो उपचार उपलब्ध है वह आवश्यक रूप से सिविल प्रकृति का है। अतः 125 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम न होकर उसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। धारा के प्रावधान की प्रकृति न तो आपराधिक है और न ही दीवानी, इस धारा में वर्णित उपबंध अंशतः आपराधिक तथा अंशतः दीवानी प्रकृति के हैं, तथा उपचार का स्वरूप संक्षिप्त प्रकृति का है।

धारा 125 में भरण-पोषण का प्रयोजन-

1. भरण-पोषण के उपबंध सामाजिक न्याय को लक्ष्य बनाकर निर्मित किये गये हैं। इन उपबंधों को स्त्रियों, बच्चों और माता-पिता को सुरक्षा प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया है।
2. भरण-पोषण के उपबंध द्वारा किसी पुरुष को ऐसी नैतिक बाध्यता

का पालन करने के लिये मजबूर किया जाता है जिसके लिये वह पत्नी व संतान की बाबत समाज का ऋणी हो।

3. भरण-पोषण के उपबंध द्वारा पत्नी, बच्चे तथा माता-पिता को भूख से मरने से बचाना होता है।
4. भरण-पोषण कानून के माध्यम से पत्नी, संतान और माता-पिता का भरण-पोषण करके समाज में आपराधिकता के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि आधार व संरक्षकविहीनता की स्थिति में पत्नी असमाजिक कार्यों में जा सकती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इससे समाज का स्वरूप विकृत होता है और अपचार का प्रसार होता है।

भरण-पोषण का प्रयोजन दरिद्रता, भुखमरी और खानाबदोशी से याची को बचाना है। अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि न्यायालय आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान कराने के लिये बाध्य नहीं है। जब आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया गया था तो न्यायालय को कारण अभिलिखित करना चाहिये। परंतु फिर भी भरण-पोषण को आवेदन दिनांक से प्रदान किया जाना उचित माना गया है।

एक वाद में संतान के भरण-पोषण के संबंध में विचार किया जाना था। इस आशय का तर्क पति की ओर से दिया गया था कि कतिपय संतानें वयस्क हो गई हैं और वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत वह भरण-पोषण की हकदार नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया कि इस अधिकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की कार्यवाही में हस्तक्षेपित नहीं किया जा सकता अपितु उसके लिये धारा 127 मात्र के तहत आवेदन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। संतान की आयु के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। **(बालक राम बनाम श्रीमती दुर्गा बाई, 2007 (1) म.प्र.वी.नो. 10 म.प्र.)**

इस वाद में पति-पत्नी के मध्य करार हुआ था। करार में इस आशय का प्रावधान था कि पति ने भरण-पोषण की एकमुस्त राशि भुगतान कर दी है व पुत्री जो कि 10 माह की है उसकी देखरेख हेतु व शादी हेतु भी राशि भुगतान कर दी है और पत्नी का पति से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार के करार के आधार पर अवयस्क के हित को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित होना कहा जा सकता है। इस संबंध में नकारात्मक मत दिया गया। अवयस्क संतान को उसके माता-पिता से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार माना गया। परिणामतः 400/- रु प्रतिमाह का भरण-पोषण अवयस्क संतान के पक्ष में जो पारित किया गया था उसे उचित माना गया। **(कमलसिंह बनाम सुनीता, 2007 (1) म.प्र.वी.नो. 35 म.प्र.)**

भरण-पोषण के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि पति का पत्नी व संतानों के प्रति भरण-पोषण करने का जो दायित्व है उसे, उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये कि मात्र उतना ही प्रदान किया जाये जैसा कि पशुवत जीवन जीने के लिये आशयित हो। अपितु पत्नी व संतानों को इस रीति में जीवन स्तर व्यतीत करने की हकदारिता मानी गई, जैसा कि वह पति के घर में रहा करती थी। **(भुवन मोहन बनाम मीना, ए.आई.आर. 2014 सु.को. 2875)**

नूर सबा खातून बनाम मो. कासिम (1997) सु.को. 523 के एक महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री को अपने अवयस्क बच्चों के लिए

अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जब तक कि बच्चे वयस्क न हो जायें। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पत्नी का यह अधिकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत तथा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत भी संपूर्ण है जब बच्चे तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए भरण-पोषण प्राप्त करने का यह अधिकार मुस्लिम स्त्री अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (ख) जिसके अंतर्गत उसे बच्चों के लिए केवल दो वर्षों तक ही भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, से भी न तो प्रभावित होगा और न ही नियंत्रित हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फेमीज्युरिस, महिलाओं से संबंधित कानून (उत्पीड़न एवं उपचार) डॉ.ममता मिश्रा एवं एस.के.वाधवा, प्रथम संस्करण 2015, वाधवा पब्लिशिंग कंपनी ग्वालियर।
2. मुस्लिम विधि, अकील अहमद, 2006 सेन्ट्रल लॉ ऐजेंसी, इलाहाबाद।
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, डॉ एन वी परांजपे, पंचम संस्करण, 2006, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) धारा 125-128, क्षेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।

मध्यप्रदेश में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियाँ

डॉ. मुमुक्षा जैन *

शोध सारांश - सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु जो भी योजनाएँ लागू की गई हैं या बनाई जा रही हैं, प्रशासनात्मक हैं। जनजातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, अभी पूर्णरूप से कामियाबी प्राप्त नहीं हुई है। जागरूकता के अभाव के कारण आदिवासियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा सर्वप्रथम जनशिक्षा अभियान चलाना चाहिए।

मुख्यशब्द - विशेष पिछड़ी जनजातियाँ- बैगा, शरिया और सहरिया

प्रस्तावना - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये हैं। सम्पूर्ण भारत देश में आदिवासियों का रैन बसैरा प्रायः मिल ही जाता है और इसलिये भारत का हृदयस्थल मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश कहलाता है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं। वर्ष 1971 में भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या का 13.57 प्रतिशत यानि 4940258 आदिवासीजन मध्यप्रदेश में निवास करता था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 48566242 है जिसमें से 1,53,99,034 अनुसूचित जनजाति की है और वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या 60385118 है जिसमें से 1,22,33,474 संख्या अनुसूचित जनजाति की है। जिसमें पुरुषों की संख्या 6195240 और महिलाओं की संख्या 6038234 हैं। वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 72626809 है जिसमें से 15316784 संख्या अनुसूचित जनजाति की है।

	वर्ष 1991	वर्ष 2001	वर्ष 2011
भारत की कुल जनसंख्या	846302688	60348023	1210569573
भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या	67758380	12233474	108281034
मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या	48566242	60385118	72626809
मध्यप्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या	15399034	12233474	15316784

सेंसेक्स ऑफ इंडिया-1 पेज 2-1992 फाइनल पोपुलेशन टोटल ब्रिफ ऐनालेसिस ऑफ प्राइमरी सेंसेक्स एबसट्रेक्ट

सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2001 प्राइमरी सेंसेक्स एबसट्रेक्ट

सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2011 प्राइमरी सेंसेक्स एबसट्रेक्ट

संस्कृति विभिन्नता के कारण मध्यप्रदेश को लघु भारत भी कहते हैं। म.प्र. की प्रमुख जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से गोंड एवं भील सबसे

बड़ी जनजातियाँ हैं। तीसरे क्रम की दावेदार अनेक जनजातियाँ हैं। इनमें कई जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं और कुछ पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचानी जाती हैं।

प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या बहुत सी उपजनजातियों में विभक्त है, जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति समूह बनाती हैं। जनजातियों में कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं जैसे ये जनजातियाँ आज भी सभ्यता से कोसों दूर हैं, ये अपनी जनजाति भाषा बोलती हैं, अधिकांश जनजातियाँ मासोंहारी होती हैं, प्रायः कृषि कर्म और वनोपज संग्रह कर, उसके विक्रय पर अपना भरण पोषण करती हैं, अधिकांश जनजातियाँ आज भी जंगलों में निवास करना पसंद करती हैं, अपनी प्राचीन लोकसंस्कृति के साथ अपनी पहचान बनाये हुये हैं, और कई जनजातियों ने विश्व को अमूल्य भेंट भी प्रदान की है। मध्यप्रदेश में 14.7 अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं।

मध्यप्रदेश में 47 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं:-

अगरिया, आन्ध, बैगा, भैना, भारिआ, भूमिया, भुईआर, भूमियां, भूमिआ, भरिया, पालिहा, पांडो, भतरा, भील, भीलाला, बरेला, पटलिया, भील, मीना, भुंजिया, बिआर बीआर, बिंझवार, बिरहुल, बिरहोर, दमोर, दामरिया, धनवार, गदाबा, गदबा, गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, विसोनहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गटटा, गटटी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, भोध्या, मोगिया, मोध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची-नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-माडिया, वडेमाडिया, दरोई, हलवा, हलवी, कमार, कारकू, कवर, कंवर, कीर, चेरवा, राठिया, तंवर, छत्री, कौर, खैरवार, कोंदर, खरिया, कोंध, खोंड, कांघ, कोल, कोलम, कोरकू, वोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, वोंडिया, कोरवा, कोडाकू, माझी, मझवार, मवासी, मीना, मुंडा, नगेसिया, नगासिय, उरांव, धानका, धगड, पनिका, पाव, परधान, पथारी, सरोती, पारधी, पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर, टाकिया, परजा, सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर, साओता, सौता,

सावर, सवरा, तथा सौर।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश में अनेकानेक जनजातियाँ निवास करती हैं इनमें से प्रमुख जनजातियों के बारे में अधिक जानने का प्रयास हम इस खोज के माध्यम से कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की है। जनजातियों का स्वरूप इस प्रकार है-

बैगा - बैगाओं की उत्पत्ति संबंधी कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंवदन्ती के अनुसार नागा बैगा और नागी बैगिन बैगाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। एक बैगा धारणा में बैगा तुम्बे में से पैदा हुये हैं। तुम्बे से दो आदमी निकले। पहला नागा बैगा हुआ और दूसरा गोंड। नागा बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और गोंड ने नागर संशाल लिया। बैगा द्रविड़ वर्ग की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। बैगा 'बूढ़ादेव' देवता की पूजा करते हैं। इनका प्रवित्र वृक्ष 'साज वृक्ष' है।

बैगा मध्यप्रदेश की आदिम संस्कृति सम्पन्न जनजाति है। इसका मुख्य निवास मण्डला के बैगाचक के घने जंगलों समनापुर, बालाघाट, बिलासपुर, राजनादगांव तथा अमरकंटक की पहाड़ी जंगलों में है। मण्डला में बैगाओं के अस्सी से अधिक गांव हैं। म.प्र. में सकल बैगाओं की जनसंख्या सन् 1991 में 3,17,549 थी जिनमें पुरुषों की संख्या 1,59,905 और महिलाओं की संख्या 1,57,644 थी। जिनमें तीन लाख से अधिक बैगा घने जंगलों के गांव में निवास करते हैं। शहरों में बैगाओं के निवास का प्रतिशत बहुत कम है। जनगणना 2001 के अनुसार बैगा समुदाय की जनसंख्या 3.329 लाख थी और 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या 4.145 लाख हो गई।

बैगा कृषि कार्य करते हैं। प्रारंभ में बैगा बेवर खेती करते थे लेकिन आजकल बेवर खेती करना अपराध है। ये लोग जंगल के कुछ भागों को काटकर जला देते हैं, फिर राखयुक्त मिट्टी पर खेती करते हैं, उसे बेवर खेती कहते हैं। इस समय बैगा स्थायी खेती करने लगे हैं। कोदो, कुटकी, मड़िया, कंगना, बाजरा, रतनी, सामा, ज्वार, मक्का, कांग, सिलार, दालें राहर, उडद, दिरा, झुंझरू, बरबटी, झुगा आदि बैगाओं की प्रमुख फसल है। विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाने का भी उन्हें शोक है। वनोपज को एकत्र कर उन्हें बेचना भी बैगाओं का मुख्य कार्य है।

बैगाओं का रहन-सहन अत्यन्त साधा है। बैगा अपनी अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सन्तुष्ट रहते हैं। बैगाओं की संस्कृति के अध्ययन से पता चलता है कि अपनी जीवन पद्धति, कला और साहित्य के विकास में बैगाओं ने नैसर्गिक बुद्धिकौशल का भरपूर प्रयोग किया है। बैगा प्रकृति पुत्र है। प्रकृति के सतत् सानिध्य में रहने से उनकी त्वचा का रंग भी गहरा होता है। स्त्री व पुरुषों की बनावट सामान्य होती है दोनों के बाल लंबे व घुंघराले होते हैं। पुरुष गरदन की एक ओर कौवे की पूछनुमा जूड़ा बांधते हैं, जो बैगा युवकों की खास पहचान होती है। समाज में छह विवाह पद्धतियाँ प्रचलित होती हैं-मंगनी विवाह या चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पेटूल विवाह, लमसेना और उधारिया विवाह। चढ़ विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। इनके प्रमुख त्यौहारों में गेला, हरेली, नवाखानी, दशहरा, काली चोदस, दिवाली, करमपूजा, होली आदि हैं। 'कर्मा नृत्य' 'बलमा नृत्य' बैगा जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है।

यह जनजाति सबसे अधिक गुदना प्रिय जाति है, यह कला प्रिय भी है। इनके पारम्परिक करमा, सैला, परघोनी, बिलमा, फाग आदि नृत्य गीत हैं।

दीवारों पर मिट्टी तथा देशज रंगों से अलंकरण करना दनकी कला परम्परा का मुख्य भाग है जिन्हे ये 'नोहडोरा' कहते हैं। बैगा शिकार प्रिय जनजाति है। बैगाओं की वाचिका परम्परा बहुत समृद्ध है, ये जो बोली बोलते हैं उसे 'बैगानी' कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ी बोली का विकृत अथवा अन्तःवाही रूप है।

सहरिया - शासन द्वारा सहरिया जनजाति को पिछड़ी जनजाति के रूप में रखा गया है। भीलों की उपशाखा मानी जाती है। सहरिया स्वयं को भीलों के छोटे भाई मानते हैं। ये कोलोरियन परिवार की जनजाति है।

इनका निवास मुख्य रूप से शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुँरैना, विदिशा, रायसेन, भिण्ड, सिहोर और बुन्देलखंड में है। प्रदेश में लगी राजस्थान की सीमा वाले क्षेत्र कोटा, शाहबाद और किशनगंज में सहरिया जनजाति का पारम्परिक वास है। म.प्र. में सहरिया जनजाति की जनसंख्या सन् 1981 में 261821 थी जिनमें पुरुषों की संख्या 134065 और महिलाओं की संख्या 127756 थी, जो प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.18 प्रतिशत थी। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 332748 थी जिनमें पुरुषों की संख्या 171100 और महिलाओं की संख्या 161648 थी, तब ग्रामीण क्षेत्र में 323285 और शहरों में 9463 के लगभग सहरिया रहने लगे थे। जनगणना 2001 सहरिया समुदाय की जनसंख्या 4.502 लाख थी और 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक सहरिया समुदाय की जनसंख्या 6.149 लाख थी।

ये कृषि, मजदूरी और वनोपज संग्रह का कार्य करते हैं। अधिकांश सहरिया कृषि मजदूरी का कार्य करते हैं, दूसरों के खेतों में परम्परागत मान्य शर्तों के साथ काम करते करते इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। इनके पास कृषि भूमि नहीं के बराबर होती है। आजकल ये लोग नये काम धन्धों में भी रुचि ले रहे हैं। जंगल से लकड़ी एकत्र कर बेचना, टोकनी बनाना, झाड़ू बनाना, रस्सी बुनना इनके परम्परागत धन्धे हैं। ये वनोपज का संग्रह कर बाजारों में बेचते भी हैं। ये मधुमखियों के छत्तों से शहद निकालने में दक्ष होते हैं। सहरिया आर्थिक स्तर पर पिछड़ी जनजाति है।

पातालकोट के भारिया - छिन्दवाड़ा जिले की तामिया तहसील में भारिया जनजाति के लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जो धरती की सतह से 2000 से 3000 फीट नीचे है, जिसे पातालकोट कहते हैं। धरती के नीचे रहने वाली भारिया पहली जनजाति है। पातालकोट के किसी गांव में पहुँचने के लिये 1500 से 2000 फीट तक उतरना चढ़ना पड़ता है। पातालकोट प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, जहाँ सूरज ढेर से आता है और जल्दी डूब जाता है। पातालकोट में 23 गांव बसे हुये हैं जिसमें 12 गांव आबाद हैं, और शेष विरान है भारिया जनजाति का अस्तित्व मुख्यतः जबलपुर, छिन्दवाड़ा और बिलासपुर में है। इन तीनों अंचलों में भारिया जनजाति की आबादी दो लाख से ऊपर है। सबसे अधिक भारियाजन जबलपुर और छिन्दवाड़ा में है। सन् 1981 की जनगणना में भारिया जनसंख्या 1,95,490 थी, जो म.प्र. की जनजातीय जनसंख्या का 1.63 प्रतिशत था। म.प्र. में सकल भारिया भूमिया लोगों की जनसंख्या सन् 1991 में 2,23,284 थी जिनमें पुरुषों की संख्या 1,72,365 और महिलाओं की संख्या 1,10,919 थी। जनगणना 2001 के अनुसार भारिया समुदाय की जनसंख्या 1.524 लाख थी और 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक सहरिया समुदाय की जनसंख्या 1.932 लाख हो गई।

भारियों का मुख्य कार्य कृषि है। प्रारंभ में भारिया ढहिया खेती करते थे। अब हल चला कर खेती करते हैं। खेत-खलियानों में मजदूरी करना भारियों

की मजबूरी है, भारियों के पास जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ और पर्याप्त नहीं है। लघु वनोपज एवं जड़ी-बूटियों का संग्रह भारियाओं का दूसरा मुख्य आर्थिक स्रोत है जैसे आम, जामुन, महुआ, तैदूपत्ता आदि का संग्रह कर साप्ताहिक हाट में बेचते हैं।

भाषा व सहन-सहन की दृष्टि से भारिया गोंड जनजाति की उपशाखा मानी जाती है, लेकिन यह गोंड की उपशाखा नहीं है। ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। गोंडों की विधवा से रीति के अनुसार पुर्वविवाह करने का पहला हक मानते हैं। यह लोग स्वभाव से मेहनती, सहिष्णु व संकोची होते हैं। अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार, सच्चे और भोले होते हैं। यह कला परम्परा में नृत्य, गीत-संगीत के साथ चित्रकलाओं व शिल्पकलाओं में भी पारंगत होते हैं। इनकी वाचिका परम्परा भी अत्यधिक समृद्ध है। गीत, कथा, गाथा, पहेलियों आदि का इनके पास भण्डार है। तंत्र-मंत्र, जादूटोने, भूत-प्रेत आदि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इनकी मूल बोली भरनोटी है, जो भारिया लोग भूलते जा रहे हैं। कुल्हाड़ी भारियों का मुख्य हथियार है। शिकार इनका मुख्य शोक है। इनके मकान लकड़ी, घास-फूस और टंटों के बने होते हैं। दोनों ओर कतारबद्ध तरीके से मकान बनाते हैं।

राज्य सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनेकानेक योजनाएँ बनाई गई हैं जिनमें मुख्य रूप से है -

1. राज्य सहायता
विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान
आदिम जनजातिय समूह के विकास की योजनाएँ
जनजातिय अनुसंधान संस्थाएँ
2. शिक्षा सहायता
अनुसूचित जनजाति का लडकियों और लडकों हेतु छात्रावास योजना,
टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय
लडकियों के बीच शिक्षा का संदृढीकरण
अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन
अनुसूचित जनजाति की लडकियों हेतु छात्रावास
अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास
राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति योजना,
राष्ट्रीय समुद्रनपारीय छात्रवृत्ति योजना,
विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति
बोर्ड परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति
छात्र गृह योजना
3. स्वैच्छिक संगठन
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग
जनजातिय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ
विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त
निम्नलिखित विशेष योजनाएँ विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए पृथक से
संचालित हैं -

छात्रवृत्ति - विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को भी प्रतिमाह रूपए 5 के मान से दस माह के लिए रूपए 150 की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में प्रतिवर्ष राशि राज्य आयोजना मद से व्यय की जा रही है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क गणवेश, स्वेटर, जूते - मोजे तथा स्कूल बैग दिए जाने की योजना है। वर्ष 2012-13 में 254111 विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रों को गणवेश वितरण कर राशि रूपये 1410.82 लाख 0 की गई।

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यथा बैगा, भारिया और सहरिया के छात्र छात्राओं हेतु आदर्श एकलव्य आवासिय स्कूल जबलपुर, गुना तथा इन्दौर में संचालित है।

सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ - सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में सीधे बिना किसी चयन प्रक्रिया के नियुक्ति दी जाती है यदि उनके पास न्यूनतम अर्हता है यह प्रावधान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए लागू है।

वर्ष 2012-13 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के 367 बेरोजगारों को संविदा शिक्षक एवं 8 बेरोजगारों को चतुर्थ श्रेणी वर्ग में रोजगार दिया गया।


भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु विशेष केन्द्रिय सहायता अंतर्गत कृषि, उद्यान की भूमिसमतलीकरण सिंचाई, पेयजल तथा रोजगारमूलक योजनाओं की प्राथमिकताएँ तय की गई हैं।

11 पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में इनके विकास हेतु संरक्षण सह - विकास योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, कृषि एवं उद्यानिकी विकास, आवास, प्रशिक्षण एवं रोजगार तथा संस्कृति संरक्षण की योजनाएँ ली गई हैं।


सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु जो भी योजनाएँ लागू की गई हैं या बनाई जा रही हैं, प्रशंसात्मक हैं। जनजातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, अभी पूर्णरूप से कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है। जागरूकता के अभाव के कारण आदिवासियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा सर्वप्रथम जनशिक्षा अभियान चलाना चाहिए जिसके कारण आदिवासियों के मध्य बाहरी दुनिया के प्रति जो भय था वो खत्म होगा और वे उसे भी अपना हिस्सा मानेंगे। सरकार द्वारा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहिए जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप में मजबूत कर सकें। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी गई विकास नीतियों व योजनाओं की जानकारियों के अभाव के कारण आदिवासीजन आज भी अपनी जिंदगी अभाव में जी रहे हैं। सरकार द्वारा बनाये जाने वाले कार्यक्रम, योजनाएँ, नीतियाँ, नियमों की जानकारी आदिवासियों को ना हो पाने के कारण वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार द्वारा बनायी गई नीतियाँ व योजनाएँ आदिवासियों के विकास के लिए पर्याप्त हैं लेकिन जानकारियों का अभाव उन योजनाओं को विफल कर देता है और ये योजनाएँ अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, और आदिवासी जनों तक विकास की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं जिससे वे विकास की दौड़ में अन्य समाज से पीछे रह जाते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी गई नीतियों व योजनाओं को आदिवासियों की भाषा में उनसे आत्मीक रूप से जुड़े हुये लोगों द्वारा प्रचारित करवाया जाना चाहिए ताकि उचित संवाद के माध्यम से वे लोगों को सही ढंग से योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दे सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. संघीय प्राथमिक जनगणना सार 2011 2. पोपुलेशन प्रोफाइल 2011 3. डेमोग्राफी ऑफशेड्युल ट्राइब | <ol style="list-style-type: none"> 4. आदिवर्त म.प्र. की प्रमुख जनजातियाँ 5. नई दुनिया-स्थानीय 6. दैनिक भास्कर-स्थानीय |
|--|--|



Distribution of STs Population by States - 2011



अवन्तिका की संगीत परम्परा में, संगीत, साहित्य, ललितकला का अन्तर्संबंध एवं प्रभाव

डॉ. कमलेश कुमार राठौर *

प्रस्तावना - वास्तविकता में देखा जाए तो संगीत, साहित्य एवं ललितकला में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और अवन्ति प्रदेश की संगीत परम्परा में भी इन तीनों का समावेश देखने को मिलता है। संगीत और भक्ति-काव्य के समन्वय की दृष्टि से सोलहवीं शताब्दी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसी समय 'सूर-सागर के लेखक एवं गीत-काव्य प्रकाण्ड विद्वान महात्मा सूरदास, रामचरित-मानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदासजी, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक संत कबीरदास तथा कवयित्री और भजन गायिका मीराबाई द्वारा भक्तिपूर्ण काव्य के प्रचार में संगीत कला साहित्य के साथ अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची।'

ईसवी और सन् की दृष्टि से देखा जाए तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई चारों भक्तों का समय 1400 से 1600 ई.के बीच माना जाता है। इनके भजन और पद आज भी घर-घर में गाए जाते हैं। चारों के साहित्य का संगीत से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है अर्थात् इन कवियों ने जो भी लिख है वह संगीत मय है।

ललितकलाओं का अंतः संबंध - वास्तविक रूप से ललितकलाओं में भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है और है भी, परन्तु एक धरातल ऐसी भी है जिस पर पहुंचकर सभी ललित कलाएँ तात्विक दृष्टि से अंतः संबंध और समान सिद्ध होती हैं। अर्थात् अनेक ऐसी मूर्तियाँ हैं, जिनमें काव्य के विषय को उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार किसी एक कला के भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य कलाओं का सहारा लेना आन्तरिक संबंध का सूचक है। भारतीय कला (चित्रकला) साहित्य के अन्तर्गत 'रागमाला' चित्रों के द्वारा हमें संगीत की राग-रागिनियों का चित्रात्मक दर्शन मिलता है। रागमाला के चित्रों में राग-रागिनियों से संबंध वातावरण, दृष्य, विषय, रस, काल और भाव आदि का ऐसा व्यंजक-चित्र रहता है कि चित्र को देखने मात्र से ही राग अथवा रागिनी के स्वरूप, प्रकृति, रस और समय आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।

चित्रकला काव्य, मूर्तिकला और संगीत- चित्रकला के राधा कृष्ण को भारतीय साहित्य के काव्य में वर्णित राधा-कृष्ण ने प्रभावित किया है। लगभग 1450 ई. से कृष्ण काव्य के उत्कृष्ट भावों को चित्रकला में उपस्थित करने की परिपाटी ही चल पड़ी थी। प्रसिद्ध ग्रन्थ 'उमर खैयाम' का तो सारा काव्य ही चित्रमय हो गया है। इसलिये कहा जाता है कि शब्दों के रूप में संगीत है और संगीत स्वर के रूप में कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस पर मूर्त विधान के लिये कविता चित्र-विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है। भारत में काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत का सह-अस्तित्व देखा जा सकता है। ये कलाएँ

एक दूसरे की पूरक हैं।

चित्रकला भी मूर्ति-कला की भांति एक दृष्य कला है और यह आंखों द्वारा ग्रहण की जाकर प्रभाव उत्पन्न करती है। अतः दोनों का तात्विक अंतः संबंध उतना ही स्पष्ट है, जितना कि काव्य और संगीत का। संगीत की अनेक नृत्य - मुद्राओं को दक्षिण भारत के मन्दिरों में अनेक गुफाओं में उत्कीर्ण प्रतिमाओं के बीच तथा विभिन्न स्तूपों एवं धार्मिक प्रांगणों में स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे इन दोनों कलाओं का तात्विक अंतःसंबंध भी स्पष्ट दिखाई देता है।

अवन्तिका की संगीत परम्परा में साहित्य एवं ललित कला - महाकवि कालीदास ने मेघदूत में महाकालेश्वर मन्दिर का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है कि भूत-भावन चन्द्रमौली महाकालेश्वर के वैभवशाली मन्दिर में नृत्य संगीतमय पूजन हुआ करता था। संध्या आरती के समय 16 हजार नर्तकियाँ हाथ में चंवर लेकर महाकालेश्वर के समक्ष अपनी विनम्र नृत्यांजलि प्रस्तुत करती थी इस संगीतमय आराधना का स्वरूप परिवर्तित होता रहा। सिंधिया राजाओं के शासनकाल में भी यहां नर्तकियाँ नियुक्त होती रहीं। श्रावण मास में निकलने वाली सवारी के साथ भी मार्ग में नृत्यांगनाएँ नृत्य करती चलती थीं।

कालीदास ने आगे मेघदूत में लिखा है -

'पादन्यासैः कणितरषनास्तत्र लीलावधूतै
रत्नच्छायाखचितवलिभिष्चामरैः क्लान्तहस्ताः।
वेप्यास्त्वत्तो नखपदसुखयन्प्राप्य वर्षाबिन्दू
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घन्कटाक्षान्।।
पश्चादूच्यैर्भूजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः।
नृत्तारम्भे हर पशुपतेरार्द्र नागजिनेच्छां

शान्तोद्देग स्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या।।' (मेघदूतम 39-40)
अर्थात्- सन्ध्या को नाच में पैरों पर थिरकती हुई जिन वैश्याओं की करधनी के घुंघरू बड़े मीठे-मीठे बज रहे होंगे और जिनके हाथ-कंगन के नगों की चमक से दमकते हुए डण्डों वाले चंवर डुलाते-डुलाते थक गए होंगे- उन वैश्याओं के नख-क्षतों पर जब तुम्हारी ठण्डी-ठण्डी बूंदें पड़ेंगी तब वे बड़े प्रेम से अपनी भौरो की पांतों के समान बड़ी-बड़ी चितवन तुम पर डालेंगी। सांझ की पूजा हो चुकने पर जब महाकाल ताण्डव नृत्य करने लगे, उस समय तुम सांझ की ललाई लेकर उन वृक्षों पर छा जाना जो उनकी ऊंची उठी हुई बांह के समान खड़े होंगे। ऐसा करने से शिवजी के मन में जो हाथी की

खाल ओढ़ने की इच्छा होगी वह भी पूरी हो जाएगी। यह देखकर पहले तो पार्वती डर जायेगी कि यह हाथी की खाल आ कहां से गई पर फिर तुम्हें पहचान कर उनका डर दूर हो जाएगा और वे एक टक होकर शिवजी में तुम्हारी इतनी भक्ति देखती रह जायेगी।

नृत्याभिनय के आदि प्रयोक्ता नटराज शिव और जगत् जननी मां पार्वती जब नृत्य करते हैं, तब नव सृजन होता है एवं डमरू के गर्जन सभी बाह्य स्वर शांत हो जाते हैं। शंकर के नृत्य को ताण्डव कहा जाता है। तब सुकुमार नृत्य को लास्य कहा जाता है। अतः भगवान शंकर का ताण्डव और पार्वती का नृत्य लास्य कहलाता है। महिम्न स्तोत्र में ताण्डव के विषय में कहा गया है -

‘महीपादाघाताद् ब्रजति सहसा संषयपदं
पदं विष्णोर्भ्राम्यदभुजपरि घरुगणग्रहगणम्।
मुहूर्द्योक्षौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा
जगदक्षार्यै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता॥ 16॥’

अर्थात्- ताण्डव करते समय उनके चरण के आघात से भूमि संशय की स्थिति को प्राप्त करती है, आकाश में घूमती हुई उनकी विशाल भुजाओं से नक्षत्र-ग्रह-तारे इधर-उधर बिखर जाते हैं, उनकी बिखरी हुई जटाओं के प्रहार से अन्तरिक्ष स्वयं को सम्भाल नहीं पाता, फिर भी शिव इस संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते हैं, सत्य है, प्रभुता का आचरण वाम (विपरीत) ही होता है। जब महाकाल का ताण्डव नृत्य होता है तब ब्रम्हाण्ड की स्थिति कैसी होती है इसका वर्णन ‘नाट्य सर्वस्पदीपिका’ की आशीर्वादात्मक नन्दी में इस प्रकार है।

‘भ्रष्यद्-विश्वम्भराषा-भ्रमित-भुवनभृत्कुम्भि-कुम्भस्थलानि,
त्रुटयत्-ताराणि रिड्खदधरणिधरशिरःश्रेणी - शीर्यदाद्भवन्ति।

दिक्रीर्णोदन्व-तोम-द्रवमरर, चमू-चक्र-चंचद-वियन्ति,
विस्त्रंसन्त्वापदो वस्त्रिपुरविजयिनस्ताण्डवाडम्बराणि॥’ (1-2)
अर्थात्- त्रिपुर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् भगवान शंकर का वह ताण्डव नृत्य आपकी विपत्तियों का नाश करे, जिस ताण्डव से पृथ्वी घूम जाने के कारण दिग्गजों के मस्तक भ्रमित हो गये हैं, तारे टूटने लगे हैं, पर्वतों के शिखर पिछलने लगे हैं और समुद्रों का जल आकाश तक उछल रहा है।

ऐसी ही अन्य अनेक ताण्डव संबंधी स्तुतियों में रावण-कृत ताण्डव स्तोत्र में भी महाकाल की आनन्दमयी लीलाओं को निरूपित किया गया है। ताण्डव स्तोत्र में शब्दों की रचना ऐसी है कि उसके बोल स्वतः ताल और लय पद चाप में एकाकार हो जाते हैं -

‘जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावित स्थले
गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजडतुडमालिकाम्।
डमड्- डमड्- डमड् डमङ्गिनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्॥’

अर्थात्- जटाओं के समूहों से निकलने वाले गंगा जल के प्रवाह से पवित्र गले में मोटे सर्प की माला को धारण कर, डम-डम-डम के शब्द से युक्त डमरू को बजाते हुए भंयकर ताण्डव को करने वाले भगवान शिव हम लोगों का कल्याण करें। उक्त श्लोक में संगीत, वाद्य, ताल, लय और वेग में नृत्य और अभिनय की मुद्राएँ जैसे प्रत्यक्ष प्रस्फुरित हो रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। अर्थात् इससे ये सिद्ध होता है कि अवन्तिका की संगीत परम्परा में साहित्य एवं ललितकला का प्रभाव रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

कविता-शिक्षण : कतिपय अपेक्षाएँ

डॉ. उमा सेनी *

प्रस्तावना - मानव ऐसा प्राणी है जो सौन्दर्य को पसंद करता है और कविता उसके अनुभूति मय क्षणों की रसपूर्ण अभिव्यक्ति है। हमारी मंजुल, मनोरम रागात्मक, वृत्तियों को जागृत कर उनमें संशोधन, परिवर्धन व उनका संस्कृतिकरण कर सद्भूतियों को उद्धृत करती है। यह सौन्दर्यानुभूति के साथ-साथ आनन्दानुभूति व रसास्वादन करने की कला है। अतः रस व आनन्द के इस झरने को नियमों व उपनियमों, विधियों व प्रविधियों में बांध कर इसके स्वतन्त्र प्रवाह को प्रतिबन्धित करना समीचीन नहीं प्रतीत होता।

मानव हृदय अनिर्वचनीय रस व आनन्द से विभोर हो उठे, उसका रोम-रोम पुलकित होने लगे, उसका अंग-प्रत्यंग प्रफुल्लित होने लगे, कविता के निम्नात्मक रूप में खोने लगे, 'गूंगा मीठे फल का रस अन्तरगत ही भावे' की भांति आनन्द व रस की अनुभूति असीम हो तभी कविता-शिक्षण का आनन्द उसके अध्ययन में संजीवता है, भावानुभूति है, रसास्वादन है और सर्वत्र सौन्दर्यानुभूति है। जैसे कवि तुलसीदास की सम्पूर्ण सृष्टि राममय है तथा सूर की कृष्णमय उसी प्रकार कक्षा का वातावरण पूर्णतया काव्यमय बन जाए तभी कविता शिक्षण की सार्थकता सिद्ध होगी। कविता शिक्षण अपनों से प्रेम करने के समान्तर है जैसे मानव अनंत सम्बन्धों में प्रेम पूर्वक रहता है वहां कोई नियम नहीं होते, कोई निर्धारित प्रणाली नहीं होती, उसी प्रकार कविता शिक्षण भी स्वतन्त्र होता है। परन्तु कुछ नियम व सीमाएँ निर्धारित करना अत्यावश्यक है, अन्यथा स्वतन्त्रता के स्थान पर स्वच्छंदता का प्रवेश हो सकता है। कविता शिक्षण में इन नियमों व सिद्धान्तों का अनुसरण करना अपेक्षणीय है, फिर भी कविता शिक्षण के समय शिक्षक इसमें अवश्यकतानुसार संशोधन करने में सक्षम है स्वतन्त्र है कारण कि उसका उद्देश्य मानव की हृदय-कली को खिलाकर व उसकी हृदय तंत्रिका को झंकृत कर आनन्द विभोर करना है और यह कार्य एक मात्र रूखे व नीरस सिद्धान्तों के कटघरे में नहीं हो सकता।

आज शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित हो गया है शिक्षा चाहे कहानी का हो या कविता का, इनका चयन समय, समाज व स्थान के अनकूल होना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना अवश्यक है। शिक्षा के समय कक्षा में शिक्षण शुरू करवाने से पूर्व इसकी प्रस्तावना का बड़ा महत्व है। प्रस्तावना अनेक तरीकों से की जा सकती है परन्तु उसे रोचक होना अवश्यक है। कुछ शिक्षकों का मत है कि कविता गा कर पढ़ाई जावे। लेकिन सभी शिक्षक गीतात्मक रीति से कविता पाठ नहीं कर सकते। गीतात्मकपूर्ण कविता शिक्षण कक्षा-कक्ष में एक विचित्र सा वातावरण बना देता है। हाँ, कविता के वाचन में उचित विरामगति यति व भानुकूल आरोह-अवरोह का ध्यान तो अपेक्षणीय है ही। स्मरणीय है कि भावानुभूति एवं सौन्दर्यानुभूति हेतु 'पाठ' वांछनीय है न कि 'गायन'।

कविता स्वयं एक कला है किन्तु उसका शिक्षण एक सीमा तक विज्ञान भी है। अतः इसके शिक्षण के कुछ नियम प्रणालियों व सिद्धान्त हैं जिनका विभिन्न स्तर की कक्षाओं में कविता शिक्षण करवाते समय अनुपालन किया जाता है। विस्तृतज्ञान प्रभावपूर्ण व भावानुकूल अभिव्यक्ति काव्य प्रति अनुराग वाचन कौशल, सरसता आदि कविता शिक्षक के कुछ अपेक्षित गुण हैं। ये गुण तभी उजागर होंगे जब शिक्षक कविता शिक्षण के दौरान कविता शिक्षण की प्रमुख प्रणालियों का जानकार होगा। कविता शिक्षण की कुछ प्रमुख प्रणालियाँ इस प्रकार हैं :-

प्रश्नोत्तर प्रणाली - देखा जाये तो यह प्रणाली गद्य शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है परन्तु ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक कविताओं का या किसी महाकाव्य या उसके किसी खण्ड को पढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको खण्डान्वय प्रणाली भी कहते हैं। इसमें प्रश्नों के द्वारा शिक्षक कविता का विश्लेषण करता है और फिर खण्ड-खण्ड को जोड़कर सम्पूर्ण कविता का भाव स्पष्ट करता है छात्र इसमें ज्यादा क्रियाशील रहते हैं **गीत एवं अभिनय प्रणाली** - बच्चों को बचपन से ही श्रुति मधुर संगीत प्रिय होता है। वे गीतों को कण्ठस्थ करते हैं और राग-ताल युक्त रूप से गाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के छोटे-बच्चों को पढ़ाने के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। कई गीत अभिनय प्रधान होते हैं शिक्षक को उनका पाठ भी अभिनय के साथ करना चाहिए।

अर्थ-कथन प्रणाली - कुछ शिक्षक कविता शिक्षण में इस प्रणाली का अधिकतर प्रयोग करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ बताकर कविता को सरल शब्दों में बना देते हैं। कई बार छात्रों की सहायता से भी अर्थ कथन करवा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर छात्र निष्क्रिय ही रहते हैं। इस क्रिया द्वारा शिक्षक कविता का रसास्वादन व सौन्दर्यानुभूति नहीं करा पाते हैं और कविता पाठ को भी गद्य-पाठ बना देते हैं और इसका कारण भी स्पष्ट है कि सभी शिक्षक काव्य ममकाव्य प्रेमी, सहृदय व काव्य सौन्दर्य के पारखी नहीं होते। वे कम मेहनत कर सीधा, सरल मार्ग अपना लेते हैं जो कि कम मनोवैज्ञानिक है। कई शिक्षकों का मानना है कि कविता कक्षा स्तरानुकूल नहीं होती तब ऐसा करना पड़ता है। इसमें कुछ सत्य भी है परन्तु इस प्रणाली का प्रयोग बहुत सीमित ही करना चाहिए।

व्याख्या प्रणाली - यह प्रणाली कविता के भावों का स्पष्टीकरण एवं सौन्दर्यानुभूति पर बल देती है। शिक्षक कविता के आन्तरिक भावों, कवि की अनुभूतियों, विचारों और कल्पनाओं को समझाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौराशिक्षक एवं छात्रों के मध्य हुई अन्तःक्रिया एक मधुर संबंध स्थापित करती है। उच्च कक्षाओं में यह प्रणाली ज्यादा उपयोगी है। व्याख्या सरल, स्पष्ट, सुबोध तथा सीमित शब्दों में हो वही अच्छी मानी

* सहायक प्रोफेसर, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आईएएसई (मानित) विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर (राज.) भारत

जाती है। अनावश्यक शब्दोंकी आवृत्ति न हो। छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं मानसिक स्तर के अनुकूल व्याख्या करवायी जाये। व्याख्या के बीच-बीच में प्रश्न करने से छात्र क्रियाशील रहते हैं तथा अधिक अधिगम कर सकते हैं। इसके साथ छात्र कविता का रसास्वादन करतहुए कविता की सौन्दर्यानुभूति कर सकते हैं। व्याख्या प्रणाली के अन्तर्गत ही कुछ अन्य प्रणालियों को भी शामिल किया जा सकता है जो निम्न है :-

(अ) व्यास-प्रणाली

(ब) तुलना-प्रणाली

(स) समीक्षा-प्रणाली

(अ) व्यास-प्रणाली - कथावाचक व्यासों के द्वारा अपनाई जाने के कारण इसको व्यास-प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में व्याख्या का विस्तृत रूप सामने आता है। शिक्षक कविता की व्याख्या करते हुये अनेक उदाहरण, दृष्टान्त, अन्तर्कथाओं आदि का प्रयोग करता है। विस्तार के साथ, भाव शैली तथा काव्य की विशेषताओं आदि को विभिन्न प्रसंगों व अर्थों में बताया जाता है तथा कवि की विशिष्टता को सामान्यीकरण की तरफ ले जाता है। शिक्षक अपने आप में साहित्यिक विशेषता लिये हुये होना चाहिए तभी कविता के भावों को सविस्तार बताया जा सकता है। इस प्रणाली को उच्च कक्षाओं में अपनाया जा सकता है।

(ब) तुलना प्रणाली - इसमें कविता की भाषा-शैली, भाव तथा विषय की दृष्टि से तुलना की जाती है। जैसे समभाषा कवि-तुलना प्रणाली, भिन्नभाषा कवि तुलना प्रणाली एवं एक ही कवि की एक भाव वाली विभिन्न कविताओं की तुलना आदि इसमें अनेक रूप हो सकते हैं। एक श्रेष्ठ शिक्षक इन विधियों की प्रासांगिक औचित्य का ध्यान रखते हुए तथा स्तरानुकूलता को भी दृष्टि से औझल न करते हुए प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली को स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है।

(स) समीक्षा प्रणाली - प्रणाली का जैसा नाम है वैसा ही काम करती है। इसमें प्रत्येक कविता को आलोचना के सिद्धान्तों की कसौटी पर कसा जाता है। कविता के गुण-दोष की विवेचना करने में छन्द, अलंकार, बुद्धि-तत्व, रस-शैली, कल्पना तत्व सभी काव्योंगो की जांच व मूल्यांकन करने में शिक्षक विद्यार्थी का सहायक बनता है। शिक्षक छात्रों की रचनाओं का भी आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कर उन्हें मार्ग दर्शन देता है। यह स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोग में ली जाने वाली कविता शिक्षण प्रणाली है।

रसास्वादन प्रणाली - इस प्रणाली में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को कविता

का अर्थ बताना नहीं होता वरन् वह छात्रों को कविता का आनन्द लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक स्थल, अतिअवश्यक व्याख्या आदि की तरफ छात्रों का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रों को रसानुभूति की प्रबल प्रेरणा देता है। वह छात्रों का कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है।

निष्कर्ष - सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि कविता शिक्षण एक कला है। अनेक प्रणालियां, सिद्धान्त एवं विधियां गौण रूप से उद्देश्य पूर्ति ही करती है। ये साधन है केवल साध्य नहीं। कविता शिक्षण एक ऐसी कला है जिस से रसास्वादन किया जाता है। हृदय में सौन्दर्यानुभूति के फूल खिलते हैं। इसलिए शिक्षक को कविता शिक्षण हेतु वही प्रणाली अपनानी चाहिए जो कविता शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सर्वाधिक सक्षम हो। जो पाठक व श्रोता की रसास्वादन व सौन्दर्यानुभूति में सहायक हो। वह आनन्द विभोर हो उठे और समस्त कक्षा-कक्ष का वातावरण काव्यमय बन जाये। ये ही वे अपेक्षें हैं जो कविता शिक्षण के प्रसंग में सर्वाधिक रूप से ध्यान-योग्य है। उसके संबंध में प्रतिपादित विविध सिद्धान्त और विशेष प्रणालियां उसको बंधक में डालने के नहीं वरन् उसके कार्य में सुविधा उत्पन्न करने के साधन है।

अतः आशा है कि अनुभवी शिक्षक इन सभी प्रणालियों में समन्वय स्थापित कर उस प्रणाली का चयन करें जो उन्हें अधिक उपयुक्त प्रतीत हो। ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि कविता शिक्षण की कला कुण्ठित न होने पाए। उसके रसास्वादन व उसकी सौन्दर्यानुभूति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने पावे। कक्षा-कक्ष में सरस व मृदुल काव्यमय वातावरण सर्वत्र तथा अनवरत रूप से विद्यमान रहे। विद्यालय महाविद्यालय में ऐसा लगाना चाहिए कि जैसे विज्ञान के प्रायोगिक कार्य होते हैं। उसी प्रकार हिन्दी में भी अनेक विधाओं की कक्षाओं का आभास हो, जो अक्सर दिखाई नहीं देता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कविता शिक्षण & www.tetsuccesskey.com
2. कविता क्या है \ <https://him.wikibooks.org>
3. पद्य शिक्षण, शिक्षण विधियां & www.skyeducare.com
4. कविता शिक्षण के उद्देश्य & www.teachesofindia.org,
5. व्यास, डॉ. सुशील कुमार, 'हिन्दी शिक्षण', अल्का पब्लिकेशंस, अजमेर।

Growth of Digitalization of Economy in India

Dr. Poonam Singh *

Abstract - India is the powerhouse of the software industry and is in the leading position in Global Sourcing market. The whole economy can be transformed with a digitally knowledgeable and empowered population. Our lives are fastly engulfed in digital. More of it is consumed by user with an average of 4 GB of data a month on entertainment and shopping. With the youngest population in history, India has immense potential for growth. To realize the benefit of demographic dividend and for economic growth to occur, the huge potential of the working age population should be channelized in the right direction that is the labor force should be gainfully employed. The internet could fuel jobless youth to innovate and execute. The internet user through mobile phone has increased to 23.93% in 2017 and is expected to reach 34.85% by 2022. The internet contribution to India's GDP is primarily driven by export instead of local consumption and internet contribution to GDP in India is the highest among major developing countries. A 10% increase in total internet traffic increases GDP by 3.3%. The digital economy is expected to contribute \$ 550 billion - \$1 trillion in GDP by 2025. In terms of app downloads India is now only second to China. Wi-Fi will connect 40 million new users to the internet in 2019 and contribute \$20 billion to India's GDP to connect 1.15 lakhs Gram Panchayat under Bharat Net shows the speed with which digital infrastructure has been created. Start-ups will generate employment for more than 2.5 lakhs people in India. BPO scheme has led to creation of 2 lakhs jobs. IT BPM sector employed 3.97 million people directly and 12 million people indirectly. Thus digitalization is a boon to realize the benefits of demographic dividend in India.

Key words – Digitalization, Internet, Indian Economy, Employment Opportunities.

Introduction - Digitalization is defined as transformation of business landscape and the world of work and redefining the boundaries of production consumption and distribution which has led to the emergence of new products, processes and techniques thereby creating new opportunities. In fact, this is the third industrial revolution which is creating new productivity platform, that is, digital economy or internet economy or internet of everything. It is expected that in the next 30 to 40 years it would generate new market growth opportunities, jobs and would become the biggest business opportunity of mankind. Focus area include agriculture, health, water quality, natural disasters, transportation, security, automobile supply chain management, smart cities, automated metering and monitoring of utilities, waste management, oil and gas.

The whole economy can be transformed with a digitally knowledgeable and empowered population. Cost savings, increased output, better employment, enhanced productivity and literacy are some of the benefits of digitalization. Digitalisation will help in the betterment of all the process of purchasing, selling, inventory control, trade relations, employment, product innovation and development in the agriculture and industrial sector. The service sector automation will increase the ease in access to and rendering of the services and wider customer reach will boost the demand for services. The system become more transparent

thereby reduces the problems of tax evasion and parallel economy. This needs the people to have basic financial knowledge and this objective can be achieved only through digitalization.

India is the powerhouse of the software industry and is in a leading position in global sourcing market. The importance of digitalization will increase manifold if it can reach the maximum people and to make this possible each and every citizen of the country should be digitally literate so that they can easily access the facilities which requires connectivity to internet. India has collaborated with various countries and businesses organizations like Google, CISCO etc. to speed up its digitalization process by infrastructural development and increasing access to internet and transforming cities to smart city.

With the youngest population in history, India has immense potential for growth. It will be an irreversible error if the advantage is wasted because it can hurl the country into destitution. To realize the benefit of demographic dividend and for economic growth to occur, the huge potential of the working age population should be channelized in the right direction that is the labor force should be gainfully employed. This challenge represents a dual aspect that is a huge skill gap has to be bridged on the supply side and there is a need to create opportunities and skill matching on the demand side.

Today's youth are better equipped to handle digital revolution. India's amenability to upgrade is reflected in the penetration of Smartphone Technology and rapid adoption of digital payments which will help to create opportunities for youth through skill and knowledge acquisition. The internet could fuel jobless youth to innovate and execute. The internet users through mobile phone has increased to 23.93% in 2017 and is expected to reach 34.85% by 2022 in India. Smartphone users in India were around 300 Millions in 2017 and are expected to increase to 442 million in 2022. This has resulted an increase in M commerce in recent year.

By 2035 over 150 million people will enter the Nation's work force and we should focus on managing this demographic transition effectively if we are hoping to build on its unique advantages. Almost two third of young India lives in geographical dispersed low income rural locations, where people have few marketable skills and inadequate access to healthcare and sanitation. High speed broadband connectivity to rural and remote areas through Bharat net is the main focus of the Digital India programme. On 11th March 2018 Optical fiber cable has been laid for 2.67 lacs kilometers across 1.13 black lakhs gram panchayat.

Review Of Literature - ASSOCHAM⁵ in an article entitled "Demographics, Digitalisation and Development: India's path to inclusive growth" emphasized the need to effectively manage its demographic transition and to realize the benefit of demographic dividend, India will have to include its 800 million is strong rural population in the nation's economy and savvy use of digital technologies will prove essential to this effort.

In an article entitled "Demographic Dividend will drive India's future growth"⁶ Ajit Isaac on digital inclusion was of the view that in India there is over 450 million internet users with over 90% population under Aadhar. The rise in internet population by 2X will lead to 12% increase in per capita GDP.

Ms Payal Choudhari and Dr Abhishek Kumar in an article titled "Role of digitalization and e-commerce in Indian Economic growth: an Employment generation perspective" were of the view that increased internet penetrations, rapid technology adoption and high sale of technical gadgets like smart phones, tablets etc have led to an attractive online customer base and unprecedented growth of e-commerce in India. Studies show that 2.6 jobs are created by internet for every job lost for internet.

A. Srija in an article⁸ "Fourth industrial revolution: Realizing India's demographic dividend" attempted to explore the avenues for future jobs given the impact of technology in the form of internet of things, robot cloud computing, nanotechnology, atomization of manufacturing etc and the measure in place to address this challenges. To enable India convert its demographic advantage into dividend the youths should be motivated to opt for vocational courses that enhance their skill set and employability.

Arvind Gupta⁹ in his article "digital India is the way

forward for industry 4.0" was of the view that the fourth Industrial Revolution has the potential to raise income level, improve the quality of life for the population, improve efficiency and productivity by reducing communication cost both for the Government and the citizen, open new market and drive economic growth and Rapid acceptance and adaptation of Technology in the daily life will result in the net increase in safe and rewarding jobs.

Objectives - The objective of the paper is to study how digitalization is accelerating our economic growth and how it is a boon to realize demographic dividend and also employment opportunity generated by digitalization. This study is based on secondary data available from BCG and IAMAI, FICCI/ KPMG, IMF and research articles.

Components Of Internet Consumption

Private Consumption - It is the total consumption¹⁰ of goods and services by consumer via internet or internet access including electronic equipment, E-Commerce, broadband subscriptions by individual, mobile internet market, hardware and software consumption and any smart phone consumption prorated for internet usage. Private consumption accounts for 20% of the internet's total contribution to GDP.

Private Investment - It is the investment in internet related technologies like Telecom extranet, intranet website etc. which accounts for 28% of internet's total contribution to GDP.

Public Expenditure - It accounts for 5% of total internet weight in GDP and includes internet spending by the government for consumption and investment.

Trade Balance - It is export Import of goods, services and internet equipments plus B2C and B2B e-commerce, Trade balance accounts for 47% of internet's total contribution to GDP.

Higher penetration of internet has manifold impact on India's economy. Its impact revolves around two components: consumption, expenditure and supply. The usage of internet by individuals, companies and Government is the consumption and expenditure. The industries like telecommunications, hardware manufacturers, software and services that shapes the internet world is the supply side of internet impact. The above Para which exhibits the consumption and expenditure side of the internet impact shows that the trade balance is the maximum contributor to the GDP which indicates business over internet. India is the export hub for software services. In global sourcing market India has a 55% share in the US \$185-190 billons.

The internet contribution to India's GDP is primarily driven by export instead of local consumption. But in other countries like South Korea private consumption contributed around 70%. India's internet contribution to GDP is the highest among major developing countries. On an average Internet contribution to GDP in the 13 countries is 3.4% with strong internet infrastructure. Sweden had 6.3% of its total GDP from the Internet and Russia had the lowest share

of 0.8% of internet in the GDP.

Contribution Of Internet To GDP

Sweden	6.3%	India	3.2%
U.K.	5.4%	France	3.1%
South Korea	4.6%	Canada	2.7%
Japan	4%	China	2.6%
U.S.	3.8%	Italy	1.7%
Germany	3.2%	Brazil	1.5%
Russia	0.8%		

Source BCG G20 report

During the year 2015-2016 the economy witnessed an increase of Rs.7 Lakhs crores in GDP of which 1.4 lakhs crores was contributed by internet based application services. Thus internet contribution to the country's GDP in 2015 – 16 was 5.6% and it is expected to grow to 16% (Rs 36 lakhs crore) by 2020 of which Rs 18 lakhs crores will be contributed by internet based apps. A 10% percent increase in total internet traffic and mobile internet traffic increases GDP by 3.3% and 1.3% respectively in India as against the global average of 1.3% and 0.7%.

Impact of internet on GDP of India in USD billion in 2013

1	E-Commerce	17
2	Advertising and classified	0.8
3	Online Content	0.3
4	Device	12
5	Connectivity	5.6
6	Private Infrastructure	22
7	Government Spending	1.4

Source- BCG & IAMAI 2015

Apps contributed a minimum of Rs 1357.6 billion in the year 2015- 16 to India's GDP but today apps are contributing 70% to the mobile traffic.

The findings of the study of IANS suggested that \$ 537.4 billion to India's GDP will be contributed by the internet economy in 2020 of which \$ 270.9 billion would be contributed by apps. The digital economy is expected to contribute \$ 550 billion to \$ 1 trillions in GDP by 2025.

Reliance's entry into the Indian telecom market on September 2016 change the basis of competition by offering free lifetime calling to its consumer in an industry that derived 75% of its revenue from voice call. India became the highest mobile data user in the world consuming over 1 billion GB of data every month. In terms of apps download India is now only second to china and data usage has soared. Such levels of digital consumption were unprecedented.

A new report ¹² by global consultancy firm analysis Mason Public Wi-Fi will connect 40 millions new users to the internet in 2019 and contribute \$ 20 billion to India's GDP. Around hundred million people would be willing to spend an additional \$ 2-3 billion per year on handset and a similar amount on cellular mobile broadband services.

Internet contribution to GDP set to grow at 23% compared to 13% overall:-

2013-18 CAGR

Total	21%
E-com Service and financial service	19%
E-Com product	59%
Advertising and classified	25%
Online content	31%
Device	16%
Connectivity	16%
Private Infrastructures	11%
Government Spending	19%

Source: - GPF, Gartner, FICCI/KPMG, OVUM, IMF, BCG Analysis

Digitization and Employment Opportunities -

Digitalization is not only contributing to empowerment but also generating employment opportunities and promoting entrepreneurship. Laying down of 274246 kilometer of optic fiber connecting 1.15 lakhs gram panchayats under BharetNet shows the speed with which digital infrastructure has been created.

Number of connected Gram Panchayats under BharetNet project:-

End of 2016	-	90966
End of 2018	-	250000

Total cost - 45000 crore (projection)

Common services centre - Common service centers have facilities to deliver government services to remote and rural areas. The unique platform of common service centre has become a robust moment for digital delivery of services ranging from banking to insurance to pension to land records to Bharat bill payments. In the FY 2017-18 the CSC carried out transaction worth Rs 19925 crores.

Indigenous low cost Technology based initiative like e-hospital; e-scholarship, soil health cards, and jeevan pramaan for pensioners, e-nam linking agricultural mandis to farmers etc. are ensuring flawless delivery of services and creating entrepreneurship.

Digital product like the cloud based digi locker and extra ordinary rise in digital payment including the great success of the Bhim app whose monthly transaction valued at Rs 24172 crores in 2018 leading to employment and entrepreneurship opportunities.

Digital payment in India estimated figure in 2027 (Morgan Stanley report 2017):-

Financial Year	Digital Payment
2004	1%
2008	2%
2012	3%
2016	5%
2027	36%

Source: - RBI, NCPI, Morgan Stanley Research Estimates

The integration of central and state governments services on one platform due to the launching of Umang app has seen noteworthy more than 50 lacs downloads since November 2017.

Training and education - In order to ameliorate urban rural connect a lot of projects are launched by the government

to empower people. There will be a need for qualified trainers to train approximately 3 lacs service delivery agents who can further run a business related to IT services. In rural areas the requirement is expected to go up to 1 crore

Healthcare - To tackle the deficit of more than 1.5 million doctors, e-health is an important essential project of digital India where people can avail online services like getting Diagnostic reports, to check the status of Blood banks, to make payment for Healthcare etc. To create online access to doctors, pharmacies, information on health problem, knowledge about insurance many digital platforms are launched.

Infrastructural growth - Infrastructure is being built to support digitalization which has resulted in burgeoning employment opportunities. To digitize all the official documents for the government freelancer unneeded which can be done by any person who has an Aadhar card number and can type on a computer and mobile device.

Digital economy jobs to double by 2024-25:-

Sectors	2016-17 (in millions)	2024-25 (in millions)
IT/ITes	4	6.5
Electronics	4.3	8.9
Telecom	4	8.8
E-Commerce	0.3	6
Cyber Security	0.5	2.5
Start-Ups	0.1	0.5
Common Service Center	1	2
IOT	0.1	0.5
Sharing Economy	1	2.3
Total	15.3	30

BPO - In order to bridge the viability gap and to make digital India a mass movement, 89 BPOs have been opened in small towns of India. This has created job opportunities for thousands of boys and girls from rural areas who work in them and some even service clients from abroad. BPO scheme has led to creation of 2 lacs jobs as it has taken business process outsourcing centers to smaller cities and towns by providing financial assistance of up to Rs 1 lacs for every sector.

IT-BPM:- According to NASSCOM, the formal IT-BPM sector stands at \$ 167 billion with export reaching \$ 126 billion thereby generating 6 lacs jobs and employing 3.97 million people directly and 12 million people indirectly. This sector is continuously expanding in India and added 1 lacs job in FY 2017-18 and is poised to grow at cumulative growth rate of 9% according to Randstad.

Electronic - Electronic manufacturing has grown significantly as a result of the larger Make In India vision. Mobile phone manufacturing units in the country increased from just 2 in 2014 to 120 in 2018. Annual production of mobile handset increased from 6 crore units valued at Rs 132000 crore thereby creating 1 lacs direct and 3 lacs indirect job. The manufacturings of TV and LED products have grown significantly with more than 50 units set up in the last 4 years.

E-commerce - Due to the growing of rural aspiration, the E-Commerce sector has grown strongly thereby generating employment in direct activities related to E-Commerce platforms. This growth has a positive impact on the micro, small and medium enterprises thereby creating increased employment opportunities and has a favorable cascading effect on other industries. A fast growing emerging Asian market shows optimistic projection for The E-Commerce industry. With lots of room for improvement, current active E-Commerce penetration in India stands only 28%. India's retail e-commerce CAGR is projected to reach 23% from 2016 to 2021. India is the second largest online market with over 460 million internet user.

Mobile Internet Users (No. of users in millions):-

Year	No. of users
2015	306
2016	389
2017	456
2018	478
2020	600 (projected)
2025	1 billion (estimated)

The above table indicates a significant increase in the number of internet mobile users, showing 100% increase in the number of users.

Growth in E-Governance Transaction (Average Daily Transaction in Millions):-

2013	6.3
2014	9.7
2015	18.5
2016	30
2017	35
2024-25(Projection)	80-100

Average Data Consumption (Per Month):-

Current - 4GB

By 2022 - 11 GB(projection)

Data Source – Ministry of Electronics & IT, IAMAI, Google, BCG Report, FICCI- EY Report.

Start-Ups - Under start-up India budding entrepreneurs have ample opportunities to receive information and advertise their business on a government platform and it is expected that by 2020 start ups will generate employment for more than 2.5 lac people in India. Start-ups such as Pay tm, Ola and Flipkart have enabled inclusion of most section of the society to participate in their digital product and services.

The emerging areas like AI and IOT, the growing Startup movement and low cost effective cyber security solutions are also included in the digital economy thereby employing 50 to 70 lacs people in the next 5-7 years.

Demographic dividend - A fall in total dependency ratio is seen as an indication of potential demographic dividend. India's TDR is expected to bottom at 46.2% by 2040 when it will be the second lowest among G20 Nations. A demographic dividend is a once in a lifetime event in the development process of a country which creates a huge potential for the Rapid growth of the economy. The future

is very promising because India's digital economy, large size of our market, demographic dividend and passion for technology is creating enormous demand. In order to realize the benefit of demographic dividend, the youth needs to be absorbed meaningfully into the workforce. Digitalization brings innovation, new job opportunities and growth in the economy and the importance of digitalization will increase manifold if it can reach the maximum people. Today's youth are better equipped to handle digital revolution.

The better students earlier used to line up for employment but now toppers state that they would like to venture out as a Start-up because they want to be job givers rather than job seekers. The younger generation is growing up in a new digital culture. Technology is the new intermediary. To enable transparent and fair procurement, the government has put in place a completely transparent e-Platform. Digital wallets and payments are growing exponentially and people have become very conscious about the power of biometrics

Conclusion - In the context of the rapid technological evolution taking place in all spheres of life we need to focus on industry integrated job market oriented curriculum for India to be able to convert its demographic advantage into demographic dividend.

To accelerate the growth of digital economy in India, more investments in India's e-governance app-ecosystem is needed to strengthen cyber security infrastructure and

to develop a systematic approach to regulations.

References :-

1. Karamvir Sheokand, Neha Gupta-"Digital India Program and impact of digitalization on Indian Economy."
2. Mrinalini Kaul, Purvi Mathur-"Impact of Digitalization on the Indian Economy and requirement of financial literacy."
3. Chaitanya Talreja- "India's Demographic Dividend: Realities and opportunities."
4. Ananya Singh- "India's Demographic Dividend: A Double Edged Sword."
5. ASSOCHAM- "Demographics, Digitalization and Development: India's path to inclusive growth."
6. Ajit Isaac: "Demographic Dividend will drive India's Future Growth."
7. Ms Payal Choudhari and Abhishek Kumar- "Role of digitalization and E-commerce in Indian Economic Growth: An Employment Generation Perspective."
8. A.Srija "Fourth Industrial Revolution: Realizing India's Demographic Dividend."
9. Arvind Gupta-"Digital India is the way forward for industry 4.0."
10. IANS July 14, 2017
11. Public Wi-Fi to contribute \$ 20 billion to India's GDP by 2019.
12. Digital India comes of age May 24, 2018.

निमाड़ के सन्त सिंगाजी का साहित्यिक योगदान

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – मध्यकाल के इतिहास में भक्ति आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान सन्तों ने जन-सामान्य को निराशा के अंधकार से निकालकर आशा के उजास में लाने का महनीय कार्य किया। इस साध्य की प्राप्ति में उनकी रचनाएँ उनका महत्वपूर्ण साधन बनीं। ऐसे ही सन्तों में सिंगाजी का नाम अग्रगण्य पंक्ति में सम्मिलित है। वे निमाड़ क्षेत्र में हुए और उन्होंने बहुमूल्य भजनों का सृजन किया। निमाड़ के सुप्रसिद्ध अध्येता और अनुसंधानकर्ता विद्वान डॉ. श्रीराम परिहार ने 'कहे जन सिंगा' नामक अपनी अमर कृति में सिंगाजी के व्यक्तित्व और उपलब्धियों की विद्वतापूर्ण विवेचना की है।

सिंगाजी ने भजनों के रूप में काव्य रचना की है। उनके द्वारा रचित भजनों की संख्या 800 से 1100 के मध्य बताई जाती है। काव्य रचना की दृष्टि से सिंगाजी निमाड़ी लोक साहित्य के प्रमुख कवि हैं। 'निमाड़ी लोक साहित्य के निर्माण में सन्त सिंगाजी का अपूर्व स्थान रहा है। निमाड़ में यदि सिंगाजी नहीं होते, तो निमाड़ी भाषा इतनी परिष्कृत नहीं होती। सिंगाजी की रचनाओं को देखकर लगता है कि मानो हम कबीर से मिल रहे हैं। वही फक्कड़पन, वही अनहद की नाद, वही शब्द की झंकार, वही त्रिकुटी महल, वही शून्य में नयन और वही अखण्ड ज्योति भरपूर।¹

'सिंगाजी का कवि कबीर की भांति फक्कड़ और खरा है।'²

सिंगाजी के पद निमाड़ी भाषी क्षेत्रों के अलावा मध्यप्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मालवा एवं झाबुआ क्षेत्र में भी पाये जाते हैं।

सिंगाजी के भजनों तथा अन्य रचनाओं का दीर्घकाल तक व्यवस्थित प्रकाशन नहीं हुआ अपितु वे वाचिक परम्परा में पलती रहीं। 'निमाड़ की भजन मण्डलियों और श्रद्धालु भक्तजनों ने उनके भजनों को गाते हुये अपनी स्मृतियों में संजोये रखा। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी अंतरित होते रहे।'³

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सिंगाजी के साहित्य को संकलित करने और प्रकाशित करने का कार्य निमाड़ में प्रारंभ हुआ। इसका यह सद्परिणाम हुआ कि वर्तमान में सिंगाजी का अधिकांश साहित्य और उनका जीवन-दर्शन वाचिक परम्परा, निमाड़ी पाण्डुलिपियों तथा लोकोक्तियों से निकलकर विशुद्ध प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। इस दिशा में पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय, श्री बाबूलाल सेन, श्री श्रीराम परिहार आदि विद्वानों का योगदान स्तुत्य है।

सिंगाजी के उपलब्ध साहित्य में निम्नांकित सम्मिलित हैं⁴ –

1. साखी :- इसमें सिंगाजी द्वारा रचित दोहों का संकलन है। ये दोहे अनुभव और ब्रह्मज्ञान पर आधारित हैं। इन दोहों को भजन गाने के पूर्व गाये जाने की परम्परा है।

2. भजन :- सिंगाजी द्वारा रचित भजनों का इसमें संकलन है। भजनों के माध्यम से सिंगाजी ने अपना सन्देश दिया है। सिंगाजी निर्गुण और रहस्यवादी दृष्टि के संवाहक हैं, अतः उन्होंने अपने भजनों में देह को मन्दिर

और ब्रह्म को उसमें स्थित देवता देवता के रूप में महसूस किया है। भजनों के द्वारा उन्होंने एकेश्वरवाद और ब्रह्म-जीव की अखण्डता प्रतिपादित की है। भजन सिंगाजी का अमर साहित्य है।

3. दृढ़ उपदेश :- इसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं। दोहों की संख्या लगभग 200 है। इनमें संसार, जीव, ब्रह्म, माया आदि से संबंधित दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण किया गया है।

4. आत्मध्यान :- इसमें योग, प्राणायाम, समाधि आदि की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही सिंगाजी ने योग सम्बंधित नाडियाँ, षट्चक्र, कुण्डलिनी, बंकनाल, नाभिकमल, ब्रह्मरंध आदि के विषय में आत्मानुभूति का विवेचन किया है।

5. दोषबोध :- इसमें मानवीय कार्य-व्यवहारों का विवेचन किया गया है। जो कार्य मानव हित एवं नैतिक आचरण के विरुद्ध हैं, उन्हें अनुचित घोषित किया गया है। इन कार्यों को करने से दोष लगता है।

6. नरद :- यह सद्गुरु और ब्रह्म का गुण-गान करती है। इसमें सांसारिक मायामोह में पड़ने और मनुष्यों के अज्ञान के प्रति गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया है।

7. शरद :- इसके अनुसार जीवन क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता को सिद्ध करने के लिये शरद पूर्णिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार शरद का सौन्दर्य कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है, उसी तरह जीवन की शरद पूर्णिमा का सौन्दर्य भी एक दिन नष्ट हो जाता है।

8. देश की वाणी :- इसमें उस देश की विशेषताओं को अनेक तरह से समझाया गया है, जहाँ ध्यान मार्ग पर चलते हुये सन्त ब्रह्म दर्शन और आनन्द में निमग्न रहते हैं।

9. बाणावली :- इसमें अनुभवजन्यता तथा संसार के मर्म को अभिव्यक्ति दी गई है। इसमें समाविष्ट रचनाएँ जीवन के भावों और मनोविकारों पर गहनता से तथा सूक्ष्मता से विवेचन करते हुये संसार की निरस्मरता की घोषणा करती हैं।

10. सातवार :- यह सप्ताह के सात वारों को माध्यम बनाकर प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न दार्शनिक बातों का विवेचन करती है, जैसे- जीवन की नश्वरता, ज्ञान की महत्ता, ब्रह्म को साध्य के रूप में प्राप्ति की कामना और साधना मार्ग आदि।

11. पन्द्रह तिथि :- भारतीय पंचांग के अनुसार पन्द्रह तिथियाँ हैं। लोक प्रचलन में प्रत्येक तिथि के बारे में विभिन्न धारणाएँ हैं। कुछ तिथियों को शुभ तथा कुछ तिथियों को अशुभ माना गया है। सिंगाजी ने इन मान्यताओं को नकारते हुये प्रत्येक तिथि को समान महत्व का निरूपित किया है। उनके अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने और समाप्त करने के लिये सभी तिथियाँ समान रूप से उपयोगी हैं।

12. बारहमासी :- सिंगाजी ने इस रचना में वर्ष के बारह माहों के माध्यम से जीवन की गहन अनुभूतियों का वर्णन किया है।

सिंगाजी के द्वारा रचित भजनों की संख्या की तरह यह भी विवादास्पद है कि उन्होंने उनकी रचना कब की है? दीक्षा ग्रहण करने और समाधि लेने के बीच में सिंगाजी के पास मात्र ग्यारह माह का समय ही था। इस अल्प अवधि में ग्यारह सौ सारगर्भित दर्शनयुक्त भजनों की रचना किया जाना दुष्कर प्रतीत होता है।

बाल्यावस्था से ही गीत-संगीत से सिंगाजी का लगावा था, इस तथ्य का उल्लेख 'परचरी' में मिलता है। इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सिंगाजी दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व भी भजन रचना और उनके गायन में सिद्धहस्त होंगे। दीक्षा ग्रहण करने और गुरु का आशीर्वाद मिल जाने के बाद रचे गये उनके भजन अधिक प्रभावशाली होने लगे।

सिंगाजी का साहित्य दोहा, चौपाई और पदों में है। उन्हें साहित्य शास्त्र और छन्द शास्त्र का ज्ञान नहीं था। गीति काव्य की सरस धारा उनके साहित्य में है, लेकिन यति, गति, लय, तुक आदि का शास्त्र विधान के अनुसार प्रयोग नहीं किया गया है। सिंगाजी के साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को सहज रूप से व्यक्त करना था, जिसमें उन्हें पूरा सफलता प्राप्त हुई है।

'सिंगाजी पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्होंने जो कुछ आत्मज्ञान के माध्यम से अनुभव किया, वह कह दिया। उनके साहित्य में भाव और विचार ही प्रमुख

हैं। कथ्य ही मुख्य है। कथन तो अटपटी वाणी में हैं। शास्त्रों की कसौटी वहां काम नहीं करती है।'¹⁵

सिंगाजी की रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे कबीर से पूर्णतः प्रभावित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कबीर, नामदेव, रामानन्द आदि का नामोल्लेख सम्मानपूर्वक किया है। सिंगाजी इन्हें अपना पथप्रदर्शक मानते थे। सिंगाजी ने अपनी रचनाओं में अपने विचारों, मान्यताओं आदि का स्पष्टता से उल्लेख किया है। कहीं-कहीं वे अपने जीवन की घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **निमाइ का सांस्कृतिक इतिहास**, लेखक- रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण- 1980,
2. **मालवी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. श्याम परमार, पृष्ठ- 62.
3. **निमाडी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956., पृष्ठ- 75.
4. **कहे जन सिंगा**, लेखक- डॉ श्रीराम परिहार, प्रकाशक- मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण- 1996, पृष्ठ- प्रस्तावना-08-10.
5. **कहे जन सिंगा**, लेखक- डॉ श्रीराम परिहार, प्रकाशक- मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण- 1996, पृष्ठ- प्रस्तावना-08.

निमाइ के जनप्रिय सन्त भावसिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – माँ नर्मदा के पावन आँचल में स्थित निमाइ धर्म, दर्शन और अध्यात्म की भूमि है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व हुए जो अपने जीवनकाल में ही किंवदंती बन गये। इनमें सन्त भावसिंह जी भी सम्मिलित हैं, जिनकी लोकप्रियता उनके जीवनकाल में ही द्वितीय थी। इस शोध पत्र में निमाइ के जनप्रिय सन्त भावसिंह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विवेचना की जा रही है।

अ. जन्म :- सन्त भावसिंह का जन्म 'विक्रम सम्वत् 1592' (ईसवी सन् 1535) को श्रावण माह की नागपंचमी को बुधवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में ढवाना के निकट स्थित रणगाँव में हुआ। उनके पिता कल्याणसिंह क्षत्रिय राजपूत थे। सुन्दरबाई उनकी माता थीं।

ब. पारिवारिक स्थिति एवं प्रारंभिक जीवन :- सन्त भावसिंह का परिवार समृद्ध एवं सुसंस्कृत था। उनके पिता कल्याणसिंह सम्पन्न कृषक और पशुपालक थे। माता-पिता परिश्रमी थे और अधिकाधिक समय कार्यरत रहते थे। परिवार की सीमित सदस्य संख्या और पर्याप्त आमदनी के कारण जीवन स्तर उच्च था। सुविधाजनक आवास गृह और मध्यमवर्गीय परिवार द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अनिवार्यता की वस्तुएँ उपलब्ध थीं।

कल्याणसिंह और सुन्दरबाई के विवाह के अनेक वर्ष पश्चात् पुत्र का जन्म हुआ था, अतः उसका पालन-पोषण बड़े लाड़-प्यार से होने लगा। माता सुन्दरबाई ने लम्बे समय तक समाजजनों से बाँझ होने के मर्माहत करने वाले ताने सुने थे। नवजात बालक ने उन्हें इस अभिशाप से मुक्त कर मातृत्व की गरिमा प्रदान की थी। लोक मान्यता है कि सुन्दरबाई एवं उनके पति कल्याणसिंह ने खजूरी जाकर तत्कालीन सन्त सिंगाजी के दर्शन किये थे। सिंगाजी ने सुन्दरबाई को वंश वृद्धि की बेल (धागा) बाँधा था और पुत्र जन्म का आशीष दिया था।

कल्याणसिंह का परिवार संस्कारी और पूजापाठी था। भावसिंह को भी उसी वातावरण में ढालना प्रारम्भ किया गया। बाल्यावस्था में ही उनमें राम नाम के जाप की तथा पूजा पाठ की प्रवृत्ति स्थापित हो गई थी। भावसिंह की उम्र पांच वर्ष होने पर माता-पिता उन्हें सिंगाजी के दर्शन कराने के लिये ले गये। सिंगाजी ने बालक को आशीर्वाद दिया और सदा सत्य बोलने तथा काम-क्रोध, मद, मोह, लोभ से परे रहने और प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम स्मरण करने की शिक्षा दी।

बालक भावसिंह पर सिंगाजी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने सिंगाजी की शिक्षा-दीक्षा को हृदयंगम कर लिया और उसके अनुरूप जीवन-यापन करने लगे।

स. दीक्षा एवं साधना :- भावसिंह बाबा सिंगाजी को अपना गुरु स्वीकार करते थे। बाल्यावस्था में उन्हें सिंगाजी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। वही उनकी गुरु दीक्षा थी।

उम्र के साथ भावसिंह का भक्ति भाव बढ़ता चला गया। वे अधिकाधिक चिन्तन-मनन में लिप्त होते गये। उनके मुखारविन्द से निःसृत उपदेश भजन के रूप में ढलने लगे। उनकी लोकप्रियता में दिनोंदिन वृद्धि होती गई। हजारों लोग उनके अनुयायी हो गये और उन्हें देवता की भाँति पूजने लगे।

द. कार्यक्षेत्र :- सन्त भावसिंह का कार्यक्षेत्र ढवाना और उसके आसपास स्थित था। ढवाना पश्चिम निमाइ में ठीकरी-बड़वानी मार्ग पर स्थित एक गाँव है।

इ. रचनाएँ :- सन्त भावसिंह ने भजनों की रचना की। उनके द्वारा रचित भजनों की संख्या अज्ञात है और भजन अप्राप्त हैं। उनका एक भजन प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है-

मैं तेरा तू मेरा रे भाई, मैं तेरा तू मेरा रे।
सब चिड़िया रैन बसेरा रे भाई, मैं तेरा तू मेरा रे।
येक ब्रह्म का सकल पसारा जीव बड़ा बहुतेरा रे।
पाँच तत्व का बणा ये पिंजरा, वहाँ लगाया डेरा रे भाई।
मैं तेरा तू मेरा रे।
एक ही सूरज करे प्रकाशा, एक चन्द्र उजीला रे।
एक ही बादल, एक ही पाणी, बीज चमके चौफेरा रे भाई।
मैं तेरा तू मेरा रे।
तू ही माता, तू ही पिता, तू ही वीर हमारा रे।
तू ही बणावे तू ही मिटावे, थारी लीला अपरम्पार रे भाई।
मैं तेरा तू मेरा रे।
गुरु ज्ञान दो हो एक जाल मिट जाय अंधियारा रे।
कहे भावसिंह सुणो भाई साधू मिटे जनम-जनम का फेरा रे।
मैं तेरा तू मेरा रे।

यह एक मात्र उपलब्ध भजन ही उनकी उच्च कोटि की सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण है। इस निर्गुणी पद में उन्होंने सरल भाषा में आत्मा-परमात्मा की घनिष्ठता और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति का सुन्दर वर्णन किया है। ढवाना निवासी श्री रमेशचन्द्र तोमर सन्त भावसिंह द्वारा रचित तथा सन्त भावसिंह के संबंध में लिखे गये भजनों की खोज परिश्रमपूर्वक कर रहे हैं।

उ. उपदेश :- सन्त भावसिंह तत्कालीन प्रवाह के अनुसार निर्गुण निराकार के साधक थे। तदनु रूप उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना के उपदेश दिये। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और कहा कि समस्त सृष्टि का सृजक एवं पालक एक ही ब्रह्म है। उन्होंने गुरु की महिमा का गान किया और उन्हें अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर मुक्ति का पथ प्रशस्त करने वाला बताया है।

ऊ. अनुयायी :- भावसिंह बाबा एक जनप्रिय सन्त थे, अतः उनके

अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसी मध्य क्षेत्र में एक किंवदंती प्रचलित हो गई कि भावसिंह बाबा स्वर्ग में देवताओं को भक्ति उपदेश देने के लिये जाते हैं। (इस चमत्कारिक घटना का वर्णन परिशिष्ट के अन्तर्गत किया गया है।) इससे उनकी पूजनीयता बहुगुणित बढ़ गई। दर्शनार्थियों का मेला लगने लगा। उनके सामीप्य की लालसा रखने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी कष्ट एवं अभाव से पीड़ित थे तथा उनकी आस्था थी कि बाबा का आशीष उनकी पीड़ा का निवारण कर देगा।

सन्त भावसिंह बाबा की समाधि का चित्र- सौजन्य श्री बाबूलाल सेन



ए. निर्वाण :- भक्तजनों की बढ़ती भीड़ से बाबा की भक्ति साधना में विघ्न पड़ने लगा, फलतः उन्होंने सांसारिकता का पूर्णतः परित्याग करके समाधि ग्रहण करने का संकल्प लिया।

‘बाबा ने दवाना के अपने कुछ अनुयायियों को बुलाकर अपना संकल्प उन्हें बताया। वे लोग बाबा को ढोल-ढमाके के साथ गाते-बजाते हुए रणगाँव से दवाना ले गये। दवाना में स्थित मोटी माता के मन्दिर में बाबा ने पूजा-अर्चना की और नदी के ठीक ऊपर एक शिखर पर वटवृक्ष के नीचे स्थित स्थान का चयन अपनी समाधि के लिये किया।’³ ग्रामीणों ने बाबा की इच्छा के अनुरूप समाधि तैयार की। बाबा प्रभु का स्मरण करते हुए समाधि में प्रविष्ट हुए और समाधि ढक दी गई।

उपसंहार:- सन्ताशीष से उत्पन्न माने जाने वाले भावसिंह का निमाड़ की सन्त परम्परा में विशिष्ट स्थान है। बाल्यकाल में सिंगाजी का सान्निध्य और जो उपदेश उन्होंने प्राप्त किये थे, उनका आजीवन अनुपालन किया। इससे ज्ञात होता है कि भक्ति चेतना उनमें जन्मतः ही थी।

सन्त के रूप में उनकी ख्याति असीम थी और जन सामान्य में उनके प्रति अटूट आस्था थी। यही कारण है कि जनता यहाँ तक विश्वास करने लगी थी कि सन्त भावसिंह देवताओं को भी भक्ति उपदेश देते थे। यद्यपि यह सत्य है कि अधिकांश जनश्रुतियाँ तर्कातीत होती हैं, तथापि यह भी सत्य है कि किंवदन्तियों का जन्म विशिष्ट व्यक्तित्वों के प्रति ही होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **समाधि स्थल, ग्राम दवाना** पर अंकित अभिलेख।
2. **निमाड़ी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956., पृष्ठ- 311.
3. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई., पृष्ठ-46.

Literary Value of Myth and Symbol

Dr. Rajkumari Sudhir *

Abstract - In modern literature myth and symbol have become a significant part of the technique. Poets have been using for a very long period myths and symbols as appropriate tools for communicating their profound view of life. Symbol has been defined by Lawrence as an “organic unit of consciousness with a life of their own”. He further writes about the value of the symbol: “A complex of emotional experience is a symbol. And the power of the symbol is to arouse the deep emotional self, the dynamic self, beyond comprehension”. It is a useful tool for the comprehension and communication of the profound vision of reality. Symbols have great evocative power.

Introduction - In modern fiction the novelists have made a conscious use of myths and symbols. Prof Harish rightly remarks about the literary value of myths and symbols in literature:

In the modern literature myth and symbol have gradually acquired a great significance as the appropriate language and the appropriate form for expressing man's deepest thoughts and highest aspirations. Myths embodying accounts of supernatural beings and actions originated to project philosophical speculation and explain religious beliefs. In course of time, their popularity increased and they became significant because of their apparent spontaneity and collectivity, expressing some lastingly and generally satisfying account of the experience of man. Owing to their universal nature and timelessness and power to convey that which cannot be otherwise expressed, the modern writers have found in myths a useful media of communicating the predicament of the contemporary man and their own view of life. By using mythical situations of characters in modern context, they can view contemporary human situation in a larger perspective of time and leave an immediate impact upon readers who because of their previous knowledge of myths find their response enriched by an element of recognition.

Cultural Reality - Myth is an extremely cultural reality which can be interpreted from various view points. Bronislaw Malinowski avers: “Myth is a vital ingredient of human civilization, it is not an idle tale, but a hard worked active force, it is not an intellectual explanation or artistic imagery, but pragmatic charter of primitive faith and moral wisdom”(Encyclopedia Brit 133). The myth is regarded as a sacred story and hence a true history, as it always deals with realities. According to Abrams, there are three significant points in a myth. These are: the hereditary character of a myth, belief of the particular cultural group and the importance of the super-human beings. If the central figure or the hero or the protagonist is not a super human

being, it is only folktale. Myth is an inseparable portion of collective unconscious of the race. The widespread similarity between myths results from their common inheritance. Owing to its timelessness it plays an important role in the creative writing of everlasting value. Northop Frye makes a significant observation: “In terms of narrative, myth is the imitation of action here or at the conceivable limits of desire which means that myth is a structural literary pattern recurrent in literature”. Milton's *Paradise Lost*, or the *Ramayana* and the *Mahabharata* etc. are such mythical creations which gain significance in mobility of time in the past, the present and the future. The use of myths in literature is as old as Virgil's *Aeneid* and Aeschylus' the *Oresteion*. Writers use myth to enrich their works and to enliven them with vigour and vitality. Some of the notable example in this regard are Dante's *Divine Comedy*, Shakespeare's *A Midsummer Night's Dream* and *The Tempest*, and Milton's *Paradise Lost*.

Contemporary Situation with Mythic Parallels - James Joyce in *Ulysses*, T.S. Eliot in *The Wasteland* and Eugene O'Neill in *Mourning Becomes Electra*, have myth as an integral part of their work. Writers like Herman Hesse, Thomas Mann, James Joyce, Kafka, Yeats and Eliot have interpreted contemporary material and situation with the help of the mythic parallels. D.H. Lawrence was right when he stated: “myth is an attempt to narrate a whole human experience of which the purpose is too deep, going too deep in the blood and soul, for mental explanation or description”.

Various writers have used myths to manipulate a continuous parallel between antiquity and contemporaneity, and bring out similarities and contrast between the past and the present. The essence of the myth is ingrained in the sub-conscious of the race. Thus, if a writer gives expression to the in-built urges and beliefs of the people, he can successfully transform the myth as a part of contemporary life. As the myths are timeless and eternal,

the writer draws on myths and legends.

Employed Myths to Communicate their Themes - The Indian-English writers have employed myths to communicate their themes. Meenakshi Mukherjee observes: "The Indian people are still closer to their mythology than the modern Irish or British people are to Celtic folk-lore or Greek legends"(Mukherjee 131). The stories of the *Ramayan*, the *Mahabharat* and the *Panchtantra* have a great influence on the mind of Indians. Dating back to remote past, these classics are still a living force to Indian people. The use of myths in Indian English novel has enriched them. Meenakshi Mukherjee believes that the Indian novelists probing deep into the realm of past experience and connecting it with the present one, have explained the contemporary reality clearly and artistically. She writes:

If a world view is required to make literature meaningful in terms of shared human experience, then the Indian epics offer a widely accepted basis of such a common background which permeates the collective unconscious of the whole nation (131).

Artistic Use of Myths in Fiction - The outstanding Indian English writers who have made an artistic use of myths in their fiction include Mulk Raj Anand, Sudhin N. Ghose, R.K. Narayan, B. Rajan and Raja Rao. They have used myth as a part of the structure of the novel and also for digressional purposes. The mythological parallel is often suggested as analogy or contrast. The parallel, when, extended becomes a motif, as Radha-Krishna motif in Raja Rao's *The Serpent and the Rope*. Sudhin N. Ghose exploits the myth in digressional manner. All his four novels viz., *And Gazelle Leaping* [1949], *Cradle of the Clouds* [1951], *The Vermilion Boat* [1953], and *The Flame of the Forest* [1955] are richly interspersed with myths, legends and folklores. R.K. Narayan makes structural use of myth in *The Man Eater of Malgud* [1961]. B. Rajan employs myth in *The Dark Dancer* only to illuminate certain situations and characters. Raja Rao makes a structural as well as digressional use of myth to communicate the central theme of the novel. He presents the concrete images of contemporaneity with clarity. The myths make the ontological meaning clear.

Raja Rao considers literature as Sadhna, a spiritual experience and the writer's creative act stems from his dedication to metaphysics. He writes:

So the idea of literature as anything but a spiritual experience or Sadhna—a much better word—is outside my perspective. I really think that only through dedication to the absolute or metaphysical principle can one be fully creative (S.S.V. 44).

Indian form of Novels - In his "Foreword" to *Kanthapura* [1938], he claims, "episode follows episode, and when our thoughts stop, our breath stops, and we move on to another thought. This was, and still is the ordinary style of our story telling. I have tried to follow it myself in this story" (Rao, "Foreword" 6). Raja Rao is the first major Indian novelist writing in English who has realized that the Indian-English

novels should not only have Indian content but also Indian form. In his "Foreword" to *Kanthapura*, he writes:

English language is not really an alien language to us. It is the language of our intellectual makeup-like Sanskrit or Persian was before—but not of our emotional make-up. We are strictly bilingual many of us writing in our own language and in English.... We cannot write like the English. We should not. We cannot write only as Indian. We have grown to look at the large world as a part of us, Our method of expression, therefore, has to be a dialect which will someday prove to be as distinctive and colorful as the Irish or American (Foreword 6).

Use of Indian Myths - He represents the modern Indian ethos with an interesting blend of ancient Indian tradition and modern Western attitudes. He often presents a curious blend of ancient Hindu methods, of literary expression [especially in the Puranas], and the techniques of modern European fiction. He believes; "The novel can only be epic in form and metaphysical in nature, it can only have story within story to show all stories are only parables" (Rao, 'India's Search').

Raja Rao has made an extensive use of Indian myths in his novels. These can be broadly classified into three categories: Puranic myths, localized myths and Rites and Rituals. An outstanding exponent of the digressional technique, Raja Rao mythologizes the contemporary reality. In his novels, the thoughts and life-responses of his character always correspond to some archetypal pattern. He weaves the myths in his novels to express the truth that all human feelings, suffering and experiences are the same. Raja Rao's *Kanthapura* which follows the localized myth, has been called a SthalaPurana. It is stuffed with a large number of episodes in the manner of the *Mahabharat*, the *Ramayan* and the *Puranas*. Goddess Kenchamma, is the chief force behind the life and action of the people of *Kanthapura*.

The Serpent and the Rope is a Mahapurana, having a wonderful sweep. Like the Puranas, the novel has the element of history and is saturated with stories, fables and legends. He deals with a vast panorama of human experience. The binary relationship of Radha-Krishna, Siva-Parvati, Satyavan-Savithri, Tristan-Iseult forms the dominant motif in the relationship between Ramaswamy and Savithri. Then there is the myth of Gautam Buddha, explaining the meaning of renunciation. There are some rituals like touching head with kumkum, offering arathi and rakhi. In the *Cat and Shakespeare*, the myth of a hunter and bilva tree is central to the theme. Then there are myths for identifying characters and situations, like those of Sindbad the sailor, Hanuman and Bhima. There are other myths, meant only for digressional purposes. Comrade Kirillov has mythical reference like that of Kanthak, Siddhartha's horse carrying him to his self realization. Then there are the myths of Siva-Parvati, Krishna, Lakshmi, Rama and Sita, Uttara to highlight character and situations. The Chess master and His Moves is encyclopedic in range.

As in the earlier novels, Raja Rao employs myths and symbols to communicate his theme clearly and effectively. The myth of Siva and Kali, Rama, Krishan and Mira and various symbols, have been used by the author.

Conclusion - A mythic symbol is a symbol derived from a myth. It is capable of evoking deep emotional response. In the modern period novelists have also taken symbols as a right tool to communicate their profound view of life. Indian novelists like Sudhin Ghose, B. Bajan, Anita Desai and Raja Rao have used myths and symbols to convey their profound view of life, and have made them a part of the central framework of their novels. Raja Rao finds myths and symbols, as the most useful media for communicating his metaphysical concerns. As he is gifted with encyclopedic knowledge of Indian mythology, history and culture of Europe, he successfully draws material from these sources. Thus myths and symbols emerge as a significant mode of technique to convey his view of human reality.

References :-

1. Hiriyana, M. *Outlines of Indian Philosophy*. Delhi: Blekie and Son, 1983. Print.
2. Lal, P. "Myth and Indian Writer in English: A Note". *Aspects of Indian Writings in English*. Ed. M.K. Naik, New Delhi: Macmillan, 1979. 5. Print.
3. Mukherjee, Meenkshi. *The Twice-Born Fiction*. New Delhi: Arnold Heinemann, 1974. Print.
4. Narayan, R. K. *Mr. Sampath*. Mysore: Indian thought Publications, 1956. Print.
5. *The English Teacher*. Mysore: India Thought Publications, 1955. Print.
6. *The Financial Expert*. New York: Noonday Press, 1964. Print.
7. *The Guide*. Mysore: India Thought Publications, 1958. Print.
8. Rao, Raja. *Kanthapura*. London: Oxford University Press, 1963. Print.
9. *The Cat and Shakespeare*. Delhi: Orient Paperbacks, 1971. Print.
10. *The Serpent and The Rope*. Delhi: Orient Paperbacks, 1968. Print.
11. Sanyal, Samares. *Indianness in Major Indo-English Novels*. Bareilly: Prakash Publications, 1984. Print.

Impact of the Buddhist Stand Point in the Works of T.S. Eliot

Arvind Kumar Srivastava*

Eliot's Oriental Background - Of all the sources that shaped the mind and art of T.S. Eliot (1888- 1965), the Indian sources are the most significant. When Eliot was a student at Harvard, a popular academic place for oriental studies, he came into close contact with his scholarly teachers like Charles R. Lanman and James H. Woods. The well-known critic,

Herbert Howarth mentions the fact that these teachers of Eliot were, at that time reading and writing books on Hinduism. Likewise, the thoughts of Irving Babbitt, an authority on Buddhism, must have affected Eliot during the shaping years of his life. By all accounts, Eliot was a scholar poet, a philosophic poet too. As such, he had read a number of authors and books and got influenced by them when he came to composing his own poetry and plays. Some of the prominent influences upon him were: Donne and the Metaphysicals, The dramas of the Jacobians, The French Symbolists, Dante, Santyan Babbitt, Josiah Royce, Bradley, Bergson, German philosophers, Ezra Pound, T.E. Hulme, Windham Lewis, Middleton Murry, Reney de Gourmont, Primitive Ritual anthropology, Christianity and the Indian Scriptures.² It is the last named that forms the day, was led by William who had fairly good knowledge of the Bhagvad-Gita. This movement was, however; opposed by Ezra Pound, a staunch opponent of Indian art But it greatly succeeded in creating an atmosphere in America favourable to the furtherance of Indian lore, literature and culture.

So far as Eliot's two learned teachers Charles R. Lanman and James H. Woods — are concerned, they were a light unto themselves, (to use a Buddhist expression), and more than that they were 'a light' unto others. Born in 1850, Lanman had studied Sanskrit at late under W.D. Whitney, and then proceeded to Tribingen to study the Vedas under the supervision of Rudolph Roth. At the age of thirty, he was summoned from John Hopkins University center to chair the Harvard Indic studies center. Lanman toured India intensively for books and manuscripts. He edited the journal of the American Oriental Society as well as the well known Harvard Oriental Series. He also wrote A Sanskrit Reader for his needy students. In his preface to the reader, Lanman expressed the hope that the books would save the literature from under depreciation and from

exaggerated praise. While editing the Harvard Oriental Series, he stated in his preface to the fourth volume of the series that it was time now for it because of a wide spread interest in Buddhism and other oriental system. Eliot had attended the Indic philosophy course for James H. Woods was a voracious reader of books on history, philosophy, comparative religion and anthropology. He had travelled widely in India and Japan. In 1914, he published his Yoga System of Patanjali which W.B. Yeats considered to be "the standard edition, final, impeccable in scholastic eyes even in the eyes of a famous poet and student of Sanskrit...."⁵ Evidently, Yeats alludes to Eliot here as a famous poet and student of Sanskrit., Eliot had read Patanjali's Yoga-Sutras during these days. As a student of philosophy at Harvard, Eliot was deeply influenced by Irving Babbitt.⁶ Eliot became acquainted with Babbitt in 1909 when the latter was as an instructor in French and was immediately struck by 'the frankness' of his discussions. Eliot's allegiance to classicism and tradition owes much to Babbitt. In after strange Gods (1934), Eliot places Babbitt among the modern 'heretics' whom he denounces, yet the former shows the highest respect and admiration for his guru's memory. Regarding his impression of Babbitt in an article on Paul Elmer Eliot remarks that these two "seem to me the wisest-men that I have known". Later, however, the teacher and the taught differed on the question of humanism. It was the considered opinion of Babbitt that Humanism was an idealistic belief in the progress of human nature towards creating a sound society by rational discipline.⁸ But Eliot maintained that no humanism was possible without Religion. Otherwise, Eliot appreciated his teacher, especially for the latter's interest in primitive Buddhism. Eliot's appreciative attitude towards Babbitt is quite clear from his scattered statements made in the Selected Essays (1932). In one place, he writes thus:

"Confucius and Buddha are not in the same boat, to begin with, Babbitt of course knows infinitely more about both of these men than I do, but even people who know less about them than I do, know that Confucianism endured by fitting in with popular religion and that Buddhism endured by recognizing a dependence of the human upon the divine."⁹

*Research Scholar (English) Government Girls P.G. College, Ghazipur & V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur (U.P.) INDIA

In another, he claims that "he (Babbitt) knows too many religions and philosophies, has assimilated their spirit too thoroughly (there is probably no one in England or America who understands clearly Buddhism better than he) to be able to give himself to any."¹⁰

In 1937, Eliot tried to explain the reasons for the appeal of Buddhism to Babbitt—that it was due to his hostility to platonic ideas. Babbitt, like Paul Elmer More, had attended Lanman's India philosophy course, and his example served as an incentive to Eliot in the matter.¹¹

One needs to read the notes of T.S Eliot appended to *The Waste Land* (1922) to understand his indebtedness to Buddhism. One of the poem's sections titled "The Fire Sermon" is based directly on the Buddha's teachings at Sarnath (Varanasi). The note tells us that Eliot had read Henry Clarke Warren's *Buddhism in Translation*. He had also studied Edwin Arnold's *Light of Asia*, a monumental work on Lord Buddha and his gospel. It is quite possible that Eliot had heard his teacher Irving Babbit, repeating the words of the dying Buddha to his disciples in the classroom... 'work out your Salvation with diligence'. The echo of these words is clearly heard in *The Cocktail Party* (1950). On the testimony of William Chase Green, we can confidently say that at the time of writing 'The Waste Land', Eliot seriously considered becoming a Buddhist. Choras reports that Eliot was then "able and witty.... aloof and silent. I used to tell him he reminded me of a smiling and quizzical figure of Buddha."¹²

In 1913 Eliot withdrew himself from the Buddhist and Sanskrit sources. Speaking of his courtship with the orient (while delivering the page Barbour lectures in 1933 at the University of Virginia), Eliot writes as follows:

"Two years spent in the study of Sanskrit under Charles Lanman and a year in the mazes of Patanjali's metaphysics under the guidance of James Woods, left me in a state of enlightened mystification."¹³

This confessional statement shows, in unequivocal terms, Eliot's close contact with and fondness for Indian holy texts and philosophical systems. On these very statements, a little onwards, Eliot compares Indian philosophers, with European philosophers and calls the latter 'mere school boys' before the former. At this juncture, a question arises as to why Eliot gave up the pursuit of Oriental studies. Eliot has very clearly indicated in - *After Strange Gods* that he was not prepared to forget 'how to think and feel as an American or a European. Hence, for practical and sentimental reasons, he gave up his pursuit of oriental studies'

Indian Influences On Eliot's Texts - Indian influences are clearly visible in Eliot's poetry and plays. Such texts are solidly supported by his critical statement made from time to time. Thus, the entire creative corpus of Eliot bears evidence of his indebtedness to Indian thought and sensibility,

In his Poetry, Eliot betrays knowledge of the ancient Hindu and Buddhist scriptures. There are echoes of The

Vedas, The Upanishads, The Bhagwad-Gita, Patanjali's Yoga-Sutras, and of the Buddhist lore and literature."¹⁴ In his poetical and dramatic works, for instance, two sections out of five in *The Waste Land*, are directly derived from the Indian sources, and these two sections, are the third and the fifth ones — "The Fire Sermon" and "What the Thunder Said" respectively. While the third section will be dealt with later on, we have to pause and think of the preponderance of Hindu wisdom in "What the Thunder Said" which goes to the Brihadaranyaka Upanishad (5.1.03) for its origin. The threefold message of the Thunder in it 'Da Da Da' is directly drawn from the said - Upanishad where Prajapati thrice pronounces the same word "Da" while instructing his three types of disciples gods, men and demons.

The word "Da" is cryptically used here as each time it denotes a different meaning. To the gods, "Da" means "Damyata" (control yourself), to the men, it signifies "Datta" (give in), and to the demons, it denotes Dayadhvam, (Be compassionate). By using the ancient Indian wisdom, in *The Waste Land*, Eliot attempts to convey the message that the state of waterlessness prevailing in the dry land can't be broken without the practice of the three virtues obliquely pointed out by Prajapati. Man has to practice these virtues to turn the waste land into an oasis.¹⁵ "The distinguished scholar, Conrad Aiken, has thrown light on the significance of the Sanskrit words proper used by T.S Eliot in *The Waste Land* the Eliot" wants them not merely mean those particular things, but also to mean them in a particular way that is, to be remembered in connection with a Upanishad".¹⁶

At the close of the *Waste Land*, in the same fifth section, Eliot once again reverts to the heritage of ancient India, to the Philosophical flights of her imagination. This time, he uses, Shantih Shantih Shantih. The triple "Shantih" which Eliot translates as the peace that passeth understanding and which he equates with the triple 'Armen' in the Christian world.

The Hindus perform every auspicious work with the recitation of this mantra, wishing 'peace to all things and planets and every creature living in the universe'. It is, however, difficult to find a suitable equivalent of 'Shantih' in the Christian world, since it denotes a poised state of mind attained after a complete resolution of all doubts, distractions and distrusts".¹⁷ The Wisdom contained in this Sanskrit usage comes from the Vedas and the Upanishads. As a philosophical treatise, the Bhagawad-Gita also attracted Eliot much. He regarded it as "the next greatest philosophical poem to the Divine Comedy within my experience."¹⁸ It has been at least twice mentioned directly by Eliot in his poetry - in the third section of "The Dry Salvages" and again in "To The Indians who Died In Africa" (1943). The occasion of the teachings of Lord Krishna, and found in "The Dry Salvages", is the fierce war fought between the Kurus and the Pandawas at Kurukshetra. Seeing that he has to fight against his own near and dear ones, Arjuna lays down his arms and refuses to perform

the duties of Kshatriya (warrior-caste in India) to bring him out of the feelings of meum and attachment, Lord Krishna exhorts him that all time (past, present and future) is centered in him, that the whole world is his creation and that He is timeless. While time is liable to death, the Timeless exists for ever and ever. So, one should not be worried about time and death and go ahead with one's duty (Svadharm) with a sense of detachment, without thinking of the fruits thereof. An action performed with the desire of having the fruit of action binds the Jiva (i.e. soul) to the 'Prakriti' (i.e. body), whereas it liberates it forever if it is performed with sense of detachment. This very truth is revealed to Arjuna by Lord Krishna in the following way:

Not fare well,
But fare forward, voyagers.

That is not success but onward march should be the only goal of the travellers life.

The Gita is again drawn upon in the Short poetic piece, "To the Indians Who Died in Africa" which beautifully propounds the doctrine of Karma.

This poem was published in Queen Mary's Book for India, (1943), which is dedicated to the memory of those Indians who died in Africa while safeguarding the British interests. The volume contains a sympathetic message from Queen Mary of England, Eliot contributed this poem to the said volume. The Indians performed their duty on a foreign soil with an exemplary sense of dedication and detachment.

The entire poem may be divided into two parts- one of attachment (first and second stanzas) and the other of detachment (third and fourth stanzas). The doctrine of Karma is remarkably manifested in the last stanza of the poem.

Eliot was deeply affected by Patanjali's Yoga-Sutra which explicates the ways of controlling one's "Vasanas" by practicing good exercises (Asnas) and asceticism. According to Krishtian Smidt, Patanjali offered "the answer to a religious need" to Eliot at a time when the latter was upset with the raging passions and tensions of a confused age. Eliot was always concerned with the question of man's moral and spiritual edification in his poetry and plays. "In Four Quartets we have a glimpse of his insight into Patanjali's metaphysics:

The inner freedom from the practical desire,
The release from action and suffering,
Release from the inner and outer compulsion...

The inner freedom or the release from action and suffering is possible when man resorts to spiritual pursuits.

Buddhism also left its indelible mark on the poetry and plays of T.S. Eliot. As mentioned earlier, its echoes are heard in the third section of The Waste Land and The Cocktail Party. (1950)

"The Fire Sermon" corresponds in importance to the Sermon on the Mount, as Eliot remarks in his notes on the poem. Here he admits that he had read H.C. Warren's Buddhism in Translations (Published in the Harvard Oriental Series). Speaking of this competent translator, Eliot

observes "Mr. Warren was one of the great pioneers of Buddhist study in the occident".²⁰

The third section of The Waste Land highlights the prevalence of lust and greed in the modern murky world. The only way of emerging out of such a seamy situation is the practice of asceticism by man-the way shown by Lord Buddha and St. Augustine, the two great ascetics of the East and West respectively. Eliot introduces "These two representatives of eastern and western asceticism side by side in order to emphasise the need of spiritual pursuits in the entire world". As for Lord Buddha, he exhorted his last five disciples at Sarnath that all things are on fire in the world. The fire could be quenched only by toeing the line of real Yogin (ascetic).

In The Cocktail Party, the Psychiatrist usually bids farewell to his patients in the words of the dying Buddha- 'work out your salvation with diligence'. No doubt, Eliot should have heard these words in the classroom of Babbitt or Lanman. It is also possible that he might have read them in Warren's book of translation. But credit goes to Eliot to have popularized them for the western audience and readers. The noted scholar, Horbert Howarth, offers the following illuminating commentary on these valuable words:

These words which seized More and Babbitt Once they met them in their studies with Lanman, and remained with them as a perpetual source of strength, evidently seized Eliot and rang his mind and he has put them at the disposal of all of us for our strengthening"²¹

Buddhism has evidently become a popular religion of Asia, and Eliot who was attracted to Indian religions and Philosophy could not resist its appeal.

Eliot's Criticism & Indian Poetics - In the foregoing section, we examined Eliot's Texts—— poems and plays vis-à-vis Indian elements in influences upon them. Here we shall study some of Eliot's famous critical doctrines in the light of Indian aesthetics. It is not just a coincidence that we discover startling correspondence between the two. In Eliot's criticism, we come across his impersonal theory of poetry. His essay "Tradition and the Individual Talent" (1919), remarkably propounds this theory. Here Eliot remarks as follows:

Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion, it is not the expression of personal but an escape from the personality."²²

This statement shows Eliot's classical bent of mind. The Indian poets also laid emphasis on the impersonalization of emotions. This way alone, the poet can escape from personality. The poet's genius- his 'Pratibha'- enables him to strike fresh images and symbols, fresh idioms and metaphors in his writings; it helps him in transmuting his 'Bhavas' (Personal emotions) into the sublime and the transcendent. It is then that the reader senses the release of 'Rasa' (aesthetic pleasure). In Sanskrit literature, Valmiki and Kalidas and Bhavabhuti have amply succeeded in accomplishing this arduous task.

Another important critical doctrine of Eliot is found in

his essay "Hamlet and His problems" (1919) where he expresses his views on Objective Correlative'. In this essay he writes thus:

"The only way of expressing emotion in the Form of art is by finding an objective correlative, in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked"²³

Like Eliot's Bharata in Sanskrit advances the theory of 'Rassa Sutra' which tends to compress a world of insights into a short, pithy formula. Both Eliot and Bhartamuni are concerned with the manner in which the creative writer should convey his emotion in art to the reader Sanskrit aestheticians usually termed it as 'Sadharanikaran' (i.e. generalization of emotion). To perform this unique feat, they stressed the interrelationship, 'artha' (content) and 'shabda' (form). It is the 'togetherness' of the two that really produces 'Sahitya' (literature)

A third critical concept of Eliot having a close resemblance to Sanskrit poetics is that of the 'three voices of poetry'. This concept comes close to the manifestation of 'dhvani' (i.e. poetic meaning) as expounded by Anandavardhanacharya in his monumental work, Dhvanyaloka. Eliot thinks that of the three voices of poetry 'the lyric' is the example of the first one, where the poet becomes personal and subjective in his expression. The epic is that of the second one, where the poet resorts to social and didactic utterances; and the poetic drama is that of the third one, where the poet speaks through his characters. Eliot also opines that the 'poetic drama' contains the properties of all the three voices' in it like Eliot, Anandavardhanacharya divides 'Dhvani' into three manifestations - 'Vastu', 'Alamkara' and 'Rasa'. In Sanskrit there is a well-known saying – 'Kavyesunatakam ramyam', implying thereby that the drama is the best form of literary expression and that it is Drisya Kavya (i.e. visual poetry). Another notable critical statement of Eliot is about the impact of poetry on the perceptive reader as well as on society as a whole. In one of his essays contained in One Poetry and Poets (1957), Eliot remarks as follows:

"I suppose it will be agreed that every good poet, whether he be a great poet or not, has something to give us beside pleasure for if it were only pleasure; the pleasure itself could not be of the highest kind... There is always the communication of some new experience, or some fresh understandings of the familiar.... which enlarges our consciousness or refines our sensibility.... without producing these two effects it simply is not poetry".²⁴

Sanskrit scholars have also adopted a similar attitude towards the effect of poetry on the reader and the society. They have suggested the following two effects:

(1) Rasa or aesthetic pleasure, and (2) indirect instruction in human values like a loving wife exhorting her husband in sugared speech.

The above survey of Eliot's oriental background, of

Indian influences upon his texts (poetry and plays), and of his criticism Vis-à-vis Indian poetics, leads us to believe that Eliot was well read in Sanskrit and Pali texts, and that he made use of them at the time of writing his creative works. Some of the possible reasons for turning to India to derive spiritual solace and support might have been the following, as brilliantly suggested by prof. A.N.Dwivedi in his book:

1. The favourable family background.
2. The transcendentalists, the Theosophical society and the St. Louis Movement have paved the way for Eliot;
3. Being a serious student of Philosophy, Eliot got drawn to Buddhism and Hinduism.
4. His school-day impressions and Harvard learning under Lanman and woods should have attracted him towards the oriental scriptures,
5. Babbitt's example proved an incentive to Eliot.
6. Paul Elmer More, Eliot's friend, should have inspired him to undertake the Indic Philosophy Course;
7. The image of India presented by writers like Kipling Foester and Paul Scott might have tempted Eliot to the East; and,
8. Eliot's interest in India should have been spurred by the dynamic activities of Swami Vivekanand.

In fact, Eliot's courtship with India and her religions and philosophy was a lifelong one, as the reader may deduce from his creative writing-poetry and plays. But as he has informed us in After Strange Gods it was possible for him to give up his European or American identity, and hence he turned his attention to his doctoral dissertation on F. N. Bradley (which was completed in 1916).

The next chapter will attempt to trace Eliot's use of Buddhism in The Waste Land, a poem in five parts: which brought recognition to the poet from the literary world.

References :-

1. Herbert Howrath, notes on some figures behind T.S. Eliot (London: Chatto & Windus 1965, pp. 200-201)
2. These influence have been nicely explored in Kristian Smidt's, Poetry and Belief in the works of T.S. Eliot (London: Routledge and Kegan Paul, 1961 ed.), pp. 1-33.
3. K.Smith, op cit., pp. 2&211 respectively.
4. Charles R. Lanman, "Preface" A Sanskrit Reader (1884: Cambridge, Mass. Harvard university Press, 1955) P.III-IV.
5. W.B. Yeats, "Introduction", Aphorism of Yoga by Bhagwan Shree Patanjali, Tr. Shri Purohit Swami (London: faber and Faber, 1938), p. II.
6. See G.R. Eliot, "T.S. Eliot and Irving Babbitt", The American Review. VII (April – Oct - 1936), 442-454-for a fuller discussion
7. Cited from K. Smith op cit, p.13
8. Cited from A.N. Dwivedi, Indian thought and Tradition in T.S. Eliot's Poetry (Bareilly; P.B.D., 1977), p.5.
9. T.S. Eliot' Selected Essays New ed. (New York; harcourts Brace and World, Inc. 1960), pp.421.2.
10. Ibid. p.428

11. H. Howarath, op cit. p.149
12. Ibid: p.95.
13. T.S. Eliot, After Strange Gods (London: Faber & Faber, 1934) p:40
14. Dwivedi, op.cit. p.11.
15. Ibid. p. 12.
16. Conrad Aiken, "An Anatomy of Melancholy". The Southern Review, No. 1 (Special issue winter 1966), p.193.
17. For a fuller discussion of this matter, one should look up A.N.Dwivedi's short yet illuminating article in the Explicator (Autumn 1984)
18. T.S. Eliot, Selected Essays (London: Faber & Faber, 1932), p. 219
19. K.Smidt, op.cit. p.206
20. T.S. Eliot, Notes on The Waste III, line 308
21. Howarth op.cit. p.206.
22. T.S. Eliot, The Sacred Wood (1920, London: Faber & Faber, 1960) p.58.
23. Ibid, p.100.
24. T.S. Eliot, "The Social Function of Poetry" On Poetry and Poets (London: Faber)

Diversity of Mangroves from Panvel, Navi Mumbai, West Coast of India

Aamod N. Thakkar*

Abstract - Creeks are characterized by muddy soils containing low oxygen within. The plants growing in this area are called mangroves and mangrove associates. Mangrove forests along the coast line are among the world's most productive ecosystem. They play an important role in providing shelter and breeding place for many organisms and protection from flood, erosion etc. Diversity of mangroves was studied and was recorded during March 2017 to February 2018. The mangroves recorded were eight species of mangroves belonging to five genera and three families and mangrove associates were represented by thirteen species belonging to nine genera and five families and single species of non-mangrove halophytes was recorded in abundant in the study area. The productive habitat of Panvel coast supports rich mangrove diversity. The data presented in this paper suggest that at present habitat of Panvel coast is not under pollution stress. But the development of airport and rapid urbanization may put pressure on ecological conditions of Panvel coast and it needs continuous monitoring.

Key words - Diversity, Mangrove, Panvel creek, West coast.

Introduction - Mangrove ecosystems are the most productive ecosystems. Mangrove ecosystem serves as the reservoir of species of plants and animals and harbors much of the world's tropical biodiversity (Duke, 1992). Mangroves are the woody plants growing at the interface between land and sea in tropical and sub-tropical latitudes i. e. especially in the regions of creeks and estuaries. These plants and the associated microbes, fungi, plants and animals constitute the mangrove forest community (Kulkarni, 2002). In India, 0.14% of the country's total geographic area is under mangroves and it account for about 5% of world's mangrove vegetation (Jagtap et al., 2002). Out of this nearly 77% is on the east coast whereas the remaining one is on the west coast (Pania, 2002). Mumbai has lost 40 % of all its mangroves in the past decade because of overexploitation and unsustainable demand for housing, slums, sewage treatment and garbage dumps (Zingde, 2002). Knowledge of species diversity of an ecosystem would help maximizing resource utilization in sustainable manner besides preserving the biodiversity (Biju and Deepthi, 2009). Anthropogenic impacts produced by chronic or acute sources of pollution due to rapid development of industrial and urban activities causes disturbances in the marine ecosystems (Croquer et al., 2016). The value and importance of Mangroves has gone unnoticed for many years. Mangrove ecosystems are threatened all over the world. Habitat destruction human interference, pollution, heavy industrialization and urbanization are the main causes of decreasing the number of mangrove species (Mehta and Vaidya, 2015). The coastal

environment of Mumbai and regions around receives about 2200 million litres of domestic wastewater per day (mld), mostly untreated (Zingde and Govindan, 2001; Singare et al, 2014). Similar conditions are likely to occur in Navi Mumbai coastal area due to wastes from chemical industries of Thane-Belapur Industrial Belt, Vashi, Navi Mumbai and Taloje, Maharashtra Industrial Development Corporation (Pawar, 2013). Coastal environment of Panvel has been under considerable stress since the onset of ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA) on nearly 1600 hectares of land near Panvel city destructing nearly 100 hectares of mangroves and urbanization by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) in the vicinity of Panvel creek has resulted into encroachment, reclamation, destruction of mangroves, dredging of sand and effluent discharges of Taloja MIDC in the study area affect the ecology of mangroves from Panvel creek, Navi Mumbai.

Till now extensive scientific research on ecological aspects of Mangroves has been carried out in India however data on species diversity of Mangrove of Panvel creek is not available, hence, the present study is undertaken.

The present study was undertaken to identify the types of Mangroves and mangrove associates occurring along Panvel creek, Panvel, Navi Mumbai, West coast of India.

Materials and Method:

Study Area - Panvel is located in Raigad district of Maharashtra centrally connecting Navi Mumbai, Thane, Pune and Ratnagiri districts. Geographically, Geographically, Panvel is located on the banks of Panvel

creek. The Panvel creek (Lat 18° 58' 26.895" N to 18° 59' 58.432" N & 73° 1' 43.74" E to 73° 6' 48.269" E) is connected by four rivers viz Gadhi, kalundre, Taloje and Ulve river. The creek is about 7 km long tributary continuous with Sheva creek and Belapur creek. The Panvel creek is characterized by extensive mud flats less rocky stretches and with sparse mangrove vegetation. Major area of the creek is dominated by the marshy areas and mud flats. The mangrove cover around the creek provides tremendous ecological services.

Biodiversity and community structures are now recognized to be important determinants of ecosystem functioning. In this regard, the marine ecosystem has been studied to a much lesser extent compared to the terrestrial (Raghukumar & Anil, 2003). Panvel coast was surveyed for a period of one year for study of diversity of mangroves and was recorded during March 2017 to February 2018. Identification of mangroves was done following the standard literature, (Kathiresan, 2000, and Naskar and Mandal, 1999).

Results and Discussion:

Table 1: Species diversity of mangrove ecosystem from Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra.

Order	Family	Species
True mangroves		
Scrophulariales	Acanthaceae:	<i>Acanthus ilicifolius</i>
Lamiales	Avicenniaceae	<i>Avicennia officinalis</i>
	Avicenniaceae	<i>Avicennia alba</i>
	Avicenniaceae	<i>Avicennia marina</i>
Malpighiales	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora apiculata</i>
	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mucronata</i>
	Rhizophoraceae	<i>Cerops tagal</i>
	Rhizophoraceae	<i>Bruguiera sexangula</i>
Mangrove associates		
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea carnea</i>
		<i>Ipomoea stolonifera</i>
		<i>Ipomoea pes-caprae</i>
Fabales	Fabaceae	<i>Derris trifoliata</i>
		<i>Caesalpinia bonduc</i>
		<i>Derris scandens</i>
Rhamnales	Rhamnaceae	<i>Ziziphus zizipus</i>
		<i>Ziziphus mauritiana</i>
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>
		<i>Premna carymbosa</i>
		<i>Clerodendrum inerme</i>
Cyperales	Cyperaceae	<i>Scripus littoralis</i>
		<i>Fimbristylis ferruginea</i>
NonMangrove Halophyte		
Caryophyllales	Aizoaceae	<i>Sesuvium portulacastrum</i>

Discussion - True Mangroves: During present study eight species of mangroves belonging to five genera and three families were recorded (Table 1). A moderate cover of

patchy mangroves was observed in upper littoral zone of the creek. The supra littoral zone of the entire coastal stretch of Panvel has moderate cover of mangroves with the species of *Avicennia marina* dominating.

Mangrove associates: were represented by thirteen species belonging to nine genera and five families in the study area.

Non-mangrove halophytes: *Sesuvium portulacastrum*, single species of non-mangrove halophytes of family Aizoaceae was recorded in abundant.

Though the variety of mangrove species found at Panvel is less, it has sparse cover along the coastal belt of Panvel providing ground to support rich mangrove community.

Ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA), urbanization by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO), release of industrial effluents, and untreated sewage, dumping of solid waste and debris, dredging of sand and unchecked encroachment along the coastal line have resulted in deterioration of water quality. Incidences of industrial pollution are common in creeks of Mumbai and Navi Mumbai (Pawar, 2012). Fourteen mangrove species in and around Mumbai coast are reported (Navalkar, 1951). In order to ensure sustainable development, one of the key prepositions is prioritize Conservation of wetlands and their scientific restoration by systematically understanding the mechanism involved in the evolution and degradation of wetland ecology (Sharma, 2013).

Conclusion - The upcoming project of Navi Mumbai International Airport and Navi Mumbai Metro, development of residential colonies by CIDCO, sewage water discharge, illegal dumping of waste, release of industrial effluents, reclamation, encroachment and dredging of sand would be further enhancing opportunities for development in the area leading to destruction of mangrove ecosystem. Though these developments are essential they should be sustainable and loss of habitats should be restored. What is needed is the collective effort and a strong will from all stakeholders to save the mangroves and wetlands. Strict legislative protection, active participation of locals and continuous long term biodiversity monitoring program are needed in order to conserve such ecosystems. It is felt utmost important to sensitized, in conserving this natural wealth from the various destructions that may occur in future.

References :-

1. Biju Kumar A. and Deepthi G. R., 2009. Mean trophic index of fish fauna associated with trawl bycatch of Kerala, southwest coast of India. J. Mar. Biol. Assoc. India, 51 (2): 145-157
2. Croquer Aldo, David Bone, Carolina Bastidas, Ruth Ramos and Elia Garcya. 2016. Monitoring coastal pollution associated with the largest oil refinery complex of Venezuela. PeerJ 4:e2171; DOI 10.7717/peerj.2171
3. Duke, N. C. 1992. Mangrove floristic and biogeography.

- In: Robertson, A. I. and D. M. Alongi (Eds.), Tropical mangrove ecosystems, *American Geophysical Union*, Washington DC: 63-100.
4. Jagtap, T.G., Murthy, P. & Komarpant, D. 2002 Mangrove ecosystems of India: major biotic constituents, conservation and management. *Wetland Conservation and Management*. (ed. by B. B. Hosetti), Pointer Publishers, Jaipur, India, pp. 34–64.
 5. Kathiresan, K. 2000. : *Flora and Fauna in Mangrove Ecosystems: A Manual for Identification*. All India coordinated project on coastal and marine biodiversity, training and capacity building on coastal biodiversity (east coast), Ministry of Environment and Forests, CASinMarineBiology, Parangipettai, India.
 6. Kulkarni, V. 2002. Indian mangroves: Conservation Aspect. *Proceedings of "The National Seminar on Creeks, Estuaries and Mangroves-Pollution and conservation"* Nov 2002 Pp 37-40.
 7. Mehta, L. Vaidya, S. (2015). Changes in the diversity of mangroves of Dasgaon, Dist. Raigad, Maharashtra. *Proceedings of National Seminar Wetlands: Present Status, Ecology & Conservation* Aug. 2015 pp. 84-90.
 8. Naskar K. R. and Mandal R. (1999). *Ecology and Biodiversity of Indian Mangroves* Vol. I & II.
 9. Navalkar, B.S. 1951.: *J. Bombay Nat. His. Soc.*, 50: 157-160.
 10. Pania, D. 2002. Restoration of Mangroves at Jamnagar, *Proceedings of "The National Seminar on Creeks, Estuaries and Mangroves-Pollution and conservation"* Nov 2002 pp. 223-225.
 11. Prabhakar R. Pawar. 2012. Molluscan diversity in mangrove ecosystem of Uran (Raigad), Navi Mumbai, Maharashtra, West coast of India. *Bull. Environ. Pharmacol. Life Sci.* Vol.1 (6):55-59.
 12. Pawar, Prabhakar R. 2013. Monitoring of impact of anthropogenic inputs on water quality of mangrove ecosystem of Uran, Navi Mumbai, west coast of India. *Mar. Poll. Bull.*, 75: 291-300. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.06.045>.
 13. Raghukumar S. and Anil A. C. 2003. Marine biodiversity and ecosystem functioning a perspective. *Curr. Sci.* 84 (7): 884-892.
 14. Sharma Vivek. 2013. "Wetlands Importance Characteristics and Conservation measures" *Aquatic Environment and Toxicology- Pawan Kumar Bharti 1st Ed.* 0213 pp 89-101
 15. Singare, P. U., E. L. Fernsa and E. R. Agharia. 2014. Water pollution along the Mahim Creek of Mumbai, India - Study of physico-chemical properties. *European Journal of Environmental and Safety Sciences*, 2(2): 53-58.
 16. Zingde M. D. and K. Govindan. 2001. Health status of coastal waters of Mumbai and regions around. In: Sharma V. K. (eds) *Environmental Problems of Coastal Areas in India*. Bookwell Publishers, New Delhi, pp: 119-132.
 17. Zingde, M.D 2002.: Degradation of Marine habitats and Coastal management framework. In: *Proc. Nat. Sem. on Creeks, Estuaries and Mangroves – Pollution and Conservation* pp 3- 7.

Analyzing the Impact of Green Marketing on Consumer's Buying Behavior with Respect to Automobile Sector

Dr. Sanjay Patni *

Abstract - This research paper is an attempt to figure out how deeply the green marketing strategy is used in the automobile sector and how consumer decision is altered by such green marketing strategies. Over the last years, concern for environment has increased due to rising global warming crisis and sky rocketing energy costs. This consciousness raising has led the consumers to go for ecological products. Green marketing is an approach to attract buyers towards such products which are environmentally safe and are ozone friendly. India is one of the emerging markets for worldwide auto giants and incorporating greener ingredient within this sector would provide better growth avenues for the manufacturers. For having an insight about what impact does green marketing has with reference to automobile sector on the consumers decision, an analysis was done by way of survey on 52 respondents on the basis of various parameters such as Age group, Gender, Income level, education level & car specifications.

Keywords - Green Marketing; Consumer Behavior; Automobile Sector; Green Vehicle.

Introduction - Concept of Green Marketing - Ever since with rising population, there has been an increasing concern for the ecology. With n number of products in the market serving millions of customers somewhere our environment has been at stake. Producers claim for a greater share of profits by serving such products which could have detrimental effects for the ecology and ozone but still there are some industries who claim that they are environment friendly and have high concern for society and are known as green industries and their marketing Philosophy is termed as green marketing.

According to Kotler (1991), Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. The marketing concept is a customer orientation backed by integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfying organizational goals. But this concept has undergone a change, now consumers are not focused on getting just good quality products but a product which is environmental friendly, recyclable, reusable and planet friendly. This need of society is fulfilled by Green Marketing.

Green Marketing as defined by American Marketing Association(AMA) is the marketing of products that are presumed to be environmentally safe; it incorporates several activities such as product modification, changes in production processes and packaging, advertising strategies and also increases awareness on compliance marketing amongst industries.

Polanski (1994) defines green marketing as all activities designed to generate and facilitate any exchanges

intended to satisfy human needs or wants, such that satisfaction of these needs and wants occurs with minimum detrimental impact on the natural environment.

Several successful cases of green marketing strategies can be seen in India as follows:-

1. CNG in Delhi: New Delhi was being polluted at a very fast pace until Supreme Court of India forced a change to alternative fuels. It asked the government to introduce clean fuel like CNG in public transport system which has low sulphur content.
2. In India we have Eco hotels like Orchid, Rodas, and Rain tree believing and practicing green marketing.
3. The Taj chain, is in the process of creating eco room which have energy efficient mini bars, organic bed linen and napkins made of recycled papers
4. ITC has created the greenest luxury chain of hotels in the world - an identity that helped the company position differently in the market. All its hotel properties are LEED platinum certified. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a rating system developed by Green Building Environment Council in the US that sets standards for sustainable buildings.
5. Developing Indica EV, an electric car that would run on polymer lithium ion batteries.
6. Tata Motors Ltd. is setting up an eco friendly showroom using natural materials for its floorings and energy efficient lights.

Automobile Industry Profile - The automobile industry in India is one of the largest automobile markets in the world. India's passenger car and commercial vehicle manufacturing industry is the sixth largest in the world, with an an-

nual production of more than 3.9 million units in 2011. According to recent reports, India overtook Brazil to become the sixth largest passenger vehicle producer in the world (beating such old and new auto makers as Belgium, United Kingdom, Italy, Canada, Mexico, Russia, Spain, France, and Brazil). Throughout the course of 2011 and 2012, the industry grew 16-18%, selling around three million units. In 2009, India emerged as Asia's fourth largest exporter of passenger cars, behind Japan, South Korea, and Thailand. In 2010, India beat Thailand to become Asia's third largest exporter of passenger cars.

As of 2010, India is home to 40 million passenger vehicles. More than 3.7 million automobile vehicles were produced in India in 2010 (an increase of 33.9%), Making the country the second (after China) fastest growing automobile market in the world in that year.

But rapid expansion of automobile industry is also causing certain serious environmental problems. Every year more than 30 billion tons of CO₂ is released into the atmosphere. The main responsible source is the production of energy (37%) and the second is transportation (25%) {FEBIAC, 2008}. India's auto sector accounts for about 18 per cent of the total CO₂ emissions in the country. Relative CO₂ emissions from transport have risen rapidly in recent years.

Pollutants derived from automobile operation have begun to pose environmental problems of considerable magnitude. Vehicle emissions contribute to the increasing concentration of gases linked to climate change. In order of significance, the principal greenhouse gases associated with road transport are carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄) and nitrous oxide (N₂O). Of the total greenhouse gas emissions from transport, over 85% are due to CO₂ emissions from road vehicles. The transport sector is the fastest growing source of greenhouse gases. About 70% of the carbon monoxide, 45% of the nitrogen oxides, and 34% of the hydrocarbon pollution in the world can be traced directly to automobile exhausts. In addition, rubber (which wears away from tires), motor oil, brake fluid, and other substances accumulate on roadways and are washed into streams, with effects nearly as serious as those of untreated sewage. A problem also exists in disposing of the automobiles themselves when they are no longer operable. These are the major corporate social responsibility problems in the industry.

Importance of Green Marketing within Automobile Sector - Green Marketing can help reduce all above mentioned problems. If the consumers start adding the environment ingredient in their purchasing decision the companies will have no other option rather than serving green products which would ultimately result in more savings for consumers. Extensive research & development, option of alternate fuels, clean technologies and quality control to oversee adherence to product conformance will shape the future of automobile sector in India.

Various green initiatives have been taken in the

automobile sector as follows:

1. India may opt for Euro VI emission levels in 2017, skipping Euro V. As of now, Euro IV emission levels are applicable in 13 major cities of India and rest of the country has Euro III norms. By 2012, entire country is supposed to have uniform Emission levels of Euro IV for vehicles. Introduction of new norms depends on improvement in vehicle engine technology and availability of cleaner fuel by petroleum companies. It is estimated that similar amount will be required to meet Euro VI norms.
2. The phasing out of 2 stroke engine for two wheelers, the stoppage of production of Maruti 800 & introduction of electronic controls have been due to the regulations related to vehicular emissions.
3. The Toyota Prius is the world's top selling hybrid car, with cumulative global sales of over 3 million units by June 2013.

Many cars have entered in the market based on the concept of green marketing and include hybrid electric vehicles, plug- in hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, compressed- air vehicles, hydrogen and fuel- cell vehicles, neat ethanol vehicles, flexible- fuel vehicles, natural gas vehicles, clean diesel vehicles, and some sources also include vehicles using blends of bio diesel and ethanol fuel or gasohol.

Table 1 (see in last page)

Table 2. Kelly's Blue Book Top 05 Green Cars of 2020

S.	CAR model	YEAR	type
1	BMW i3	2020	Electric
2	Nissan Leaf	2020	Electric
3	Toyota Prius	2020	Hybrid Electric

Table 3. Kelly's Blue Book Top 05 Green Cars of 2014 (Contd....)

S.	CAR model	YEAR	type
4	Tesla Model S	2020	Electric
5	Honda Accord Hybrid	2020	Hybrid Electric

Ways to Become Green - Ottoman (2008) published the 5 simple rules of green marketing: 1) get the right message and to know what is important to customers; 2) empower them to feel they make a difference; 3) be transparent; 4) maintain quality; and finally 5) carefully evaluate price concerns. Unsuccessful companies are due to a lack of planning and crafted marketing message. If respecting the five rules a company must succeed. Cars with similar production energy costs can obtain, during the life of the car (operational phase), large reductions in energy costs through several measures:

1. The most significant is by using alternative propulsion: An efficient engine that reduces the vehicle's consumption of petroleum (i.e. petroleum electric hybrid vehicle), or that uses renewable energy sources throughout its working life.
2. Using bio fuels instead of petroleum fuels.
3. Proper maintenance of a vehicle such as engine tune-ups, oil changes, and maintaining proper tire pressure

can also help.

4. Removing unnecessary items from a vehicle reduces weight and improves fuel economy as well.

Some initiatives have also been taken by government to turn green. ISO 14001 and Bharat Stage Emission Standards are such few examples.

1. International Organization for Standardization (ISO), the world's largest developer and publisher of international industrial and commercial standards, is committed to developing standards that is aimed at increasing the attention of the automobile manufacturers. ISO 14001 has become the market- oriented instrument to direct consumers' purchasing behavior and its application to the automobile industry is growing rapidly. ISO 14001 aims to educate consumers about the environmental and social effects of automobile production and consumption in order to advocate changes in purchasing behavior and reduce negative environmental impacts. Companies are induced to use environmentally and socially preferred production with the expectations of gaining a greater market share and higher profits.

2. Bharat stage emission standards are emission standards instituted by the Government of India to regulate the output of air pollutants from internal combustion engine equipment, including motor vehicles.

Table 4 : Indian Emission Standards (2 and 3 Wheelers)

STANDARD	REFERENCE	DATE
BHARAT STAGE II	EURO 2	1 APRIL 2005
BHARAT STAGE III	EURO 3	1 APRIL 2010
BHARAT STAGE IV	EURO 4	1 APRIL 2016 (PROPOSED)
BHARAT STAGE V	EURO 5	1 APRIL 2020 (PROPOSED)
Indian Emission Standards (Four Wheeler)		
INDIA 2000	EURO1	2000
BHARAT STAGE II	EURO 2	2001; 2005 Nationwide
BHARAT STAGE III	EURO 3	2005; 2010 Nationwide
BHARAT STAGE IV	EURO 4	1 APRIL 2010
BHARAT STAGE V	EURO 5	1 APRIL 2020 (PROPOSED)

Literature Review

The literature has been reviewed from the reputed journals of both National and International Journals pertaining to Green Marketing and its related issues. The literature has also been reviewed from Text Books, Magazines, & Websites.

Mintu and Lozada (1993) have defined green marketing as “the application of marketing tools to facilitate exchanges that satisfy organizational and individual goals in such a way that the preservation, protection, and conservation of the physical environment are upheld”.

The ecological marketing was first defined by Henion and Kinnear in 1976 as “The study of the positive and

negative aspects of marketing activities on pollution, energy depletion and non energy resource depletion”.

Polanski (1994) for instance notices that unfortunately a majority of people believes that green marketing refers solely to the promotion or advertising of products with environmental characteristics. This also explains why the concept is often linked with terms like phosphate free, recyclable, refillable, ozone friendly. He also claims that the green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to the production, packaging changes, as well as advertising.

According to Ottman (2006) a strong commitment to environmental sustainability in product design and manufacturing can offer to companies' opportunities to grow their businesses, to innovate or to build brand equity. She also notices that the green marketing can lead to product improvements that can enhance marketability, improve overall performance and become a potential new source of innovation.

According to the Queensland Government (2006) the green marketing is: “To develop and promote products and services that satisfy your customers wants and needs for quality, performance, affordable pricing and convenience without having a detrimental impact on the environment” (Polanski 1994). De Paco&Raposo (2009) segment the green market into three main categories: (1) “the uncommitted” (36%), younger, more educated with “negative positions in relation to some environmental aspects,” (2) “the green activists,” (35%) gen X'ers and Baby Boomers who enjoy more income and favorable positions towards all environmental aspects, and (3) “the undefined,” (29%) who are either older or less educated than the other segments and consider their actions as unrelated to the greater environment.

Philip Kotler (2011) recognized that the Companies need to make drastic changes in their research- and-development, production, financial, and marketing practices if sustainability has to be achieved. The several environmental challenges to be considered in the sustainability are change in the composition of the atmosphere, depletion of the ozone layer, soil degradation & increased desertification, increased air and water pollution.

Ramakrishna et al (2010) understood that the factors for going green as Goodwill, Differentiation, Competition, Pressure Groups, Government Pressure, Customer Demand, New Market Entry.

According to Joseph & Rupali korlekar(2012), there is a scope for in-depth studies on green marketing to be conducted in developing countries like India, not only on understanding consumers' perception but to study the detailed profile of such consumers who have a more positive attitude towards green marketing and green products.

Charles W Lamb et al (2004) explained that “Green Marketing has also become an important way for companies to build awareness and loyalty by promoting a

popular issue. By positioning their brands as ecologically sound, marketers can convey concern for the environment and society as a whole.

Robert Dahlstrom (2011) examined that Green Marketing has positive influences on multiple participants in the economy. The environment, developing economies, consumers, corporate strategy, the product, production processes, and supply chain benefit from green marketing. Green marketing firms establish strategic alliances with government, local communities, nongovernmental organizations (NGOs), industry experts, and competitors. Amyx et al. (1994) define perceived importance, with respect to the environment, as the degree to which one expresses concern about ecological issues.

Laroche et al. (1996) reveals that the strength of the relationships between attitudes and consumers willingness to spend more for green products. The attitude that showed the most discriminating power between the two segments of customers is the perceived inconvenience of being environmentally friendly.

Research Objectives - The objective of the research study is as under:

1. To analyze customer buying behavior and factors which influence the purchase decision process for automobile sector.
2. To analyze what impact does green marketing creates in the minds of customers.
3. To ascertain the attitudes of customers towards alternatively fueled vehicles.

Research Methodology - The main objective of the study is to analyze the impact of green marketing on consumer's buying behavior within the automobile sector. The research methodology adopted is based on primary data and secondary data analysis.

Type of Method - Qualitative study and quantitative study are the two options to choose from but the former was chosen for multiple reasons. Qualitative study is characterized by flexibility, in opposition to the rigorousness structure of a quantitative study. This type of analysis is based on the views of respondents. This kind of study was chosen in order to get a deeper understanding of the subject. This type of research is based on few steps as follows:-

- a) General research questions
- b) Selection of subjects
- c) Collection and interpretation of data
- d) Analysis of findings
- e) Conclusion

Type of Research - Exploratory research was carried out for insights about a specific problem. This kind of research is particularly efficient when there is little preceding knowledge. In this case, since there was little prior information about consumer preferences, this type of research was considered as more suitable solution.

Types of Data - There are two types of data:

1. Primary data- According to Secrist, "Primary data

means those data which are original that is those in which little or no grouping has been made, the instance being recorded as encountered. They are essentially raw material."For this purpose a questionnaire was prepared and questions were asked from the respondents.

2. Secondary data- Secondary data refers to that data which have been retrieved from already published sources.

Collection of Data - Primary data was collected by the following methods:


1. Direct Personal Investigation
2. Questionnaire method
3. Indirect Oral Investigation

For collection of primary data, a sample survey was collected on over 52 respondents with the help of questionnaire. Universe of this research is automobile customers of Delhi and the sampling technique used is simple random sampling.


Secondary data was procured from the following sources:

1. Books ,Magazines and Journals
2. Newspapers, International Publications
3. Government Publications, Annual reports
4. Internet
5. Library database


Analysis And Interpretation Of Data




Education Level of the Respondents - total of 52 respondents were surveyed for analyzing the impact of green marketing on consumer's buying behavior with respect to Automobile sector. Out of the respondents surveyed 17 were Graduates, 25 respondents were Post Graduates and 3 respondents were Doctorates. Thus it can be inferred that out of the respondents surveyed there is a larger section of Graduates and Post Graduates.




Age Group of the Respondents - A total of 52 respondents were surveyed for analyzing the impact of green marketing on consumer's buying behavior with respect to Automobile sector. Out of which 24 falls under the category of 18-24, 12 falls under the category of 25-34, 9 falls under the category of 35-44, 6 falls under the category of 45-54 and 1 falls in the category of >54, which indicates that most respondents were young.



Gender of the Respondents - Out of the respondents surveyed 30 were Males and 22 were Females which indicates that data was not biased to male sector.




Income Level - Out of the Respondents surveyed, 7 were having monthly income <20,000; 28 were having between 20,000-40,000 per month; 15 were having income between 40,000-60,000 per month and 2 were having income more than >60,000 per month indicating most of the respondents surveyed were having income in the range of 20,000 – 60,000 per month.




Customers Likely to go for Green Vehicle - Out of the total respondents surveyed 36 would like to go for a green vehicle as purchasing green vehicle indicates greater concern for society.

No. of Respondents ready to pay for a premium price (+10%)



Out of the respondents surveyed 33% were ready to pay a premium price for a Green Vehicle but about 67% respondents were not ready to pay extra money for a green vehicle which indicates a larger section of the society is ready to go for a green Vehicle but provided they are not required to pay an extra premium on the same categories of the car.



Motivators to purchase a Green Car - Out of the 52 respondents surveyed 24 feel like government subsidies could be a good motivator for opting for a Green Vehicle as compared to various conventional cars, 34 preferred priority lanes for Green Vehicle as getting parking space in Delhi area is a serious issue, 31 preferred the lower maintenance charge on the Green Cars; Around 86% respondents feels lower prices as a better motivator to switch on from conventional cars to green cars and 17 - 34 respondents finds better information on the products and greater durability as next best motivators to opt for a Green Vehicle.

Recommendations - Based on the analysis, the following recommendations can be implemented:

1. Better communication regarding green vehicles should be given to the customers.
2. As far as possible, government should offer subsidies on green vehicles so that the sale of such products can be boosted.
3. Test Drives should be provided as to increase awareness about the product.
4. The firms should focus on better interiors and features.
5. Lesser price as compared to conventional fuels should be implemented.
6. More privileges should be given to green vehicles such as access to free parking, lower maintenance expenses, more miles per gallons(MPG)

Conclusion - Today India is the second most populated country in the world and one of the emerging markets for worldwide auto giants. Automobile industry is the most lucrative industry; due to increase in the disposable income in both rural and urban areas and easy availability of finance there is a rise in the volume of two and four wheelers. Further competition is heating up with host of new players coming in and global brands like Porsche, Bentley, Audi and Ferrari all set to venture in Indian market. So in expectation of gaining a greater market share and higher profits, companies are induced to use environmentally and socially preferred production. Green marketing by automakers effectively drives customers to the showroom and people prefer purchasing a vehicle which has high fuel efficiency and MPG. This research is an attempt to figure out how deeply the green marketing strategy is used in the automobile sector and how consumer decision is altered by such green marketing strategies. A Survey was conducted on 52 respondents in Delhi with the help of e-questionnaire, which states that information was collected by adopting greener techniques. On the basis of analysis it can be concluded that if proper drivers are used then the customer's interest can be channelized towards the products which are presumed to be environmentally safe.

References :-

1. BNET, 2007, Understanding green marketing, BNET published, pg1-5.
2. Calin and Ashok, 2005, International green marketing a study of British and Romanian firms.
3. Francois, 2009, Integration of Green Marketing within the automobile industry - A case study of four car manufacturers on the Belgian market.
4. Kelly's blue book – Best green cars, 2013
5. M W Edwards, 2010, An Analysis of Green Purchasing Behavior: Hybrid- Electric Vehicle Adoption at the State level.
6. Peng, 2007, Environmentally friendly automobiles: An analysis of ISO Accreditation of Honda Motors.
7. Shende, 2014, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol.4, Issue 2.
8. http://wikipedia.org/wiki/green_vehicle
9. <http://nielsen.com> green marketing drives consumer auto consideration, Purchases <http://wikipedia.org/wiki/bharatstageemmissionstandards>
10. <http://wikipedia.org/wiki/ISO14001>
11. www.cseindia.org
12. www.kpmg.com

Table 1. Comparison of several types of Green car basic characteristics

Type of vehicle	Fuel Economy	Range	Production Cost for given range	Reduction in CO2 compared toconventional
ConventionalICE	10-78	LONG (400-600mi)	Low	0%
Bio Diesel	18-71	LONG (360-540mi)	Low	100%
All Electric	54-118	SHORTER (73- 150mi) LuxurymodelsMedium (160- 300 mi)	High Very High	Varies Depending On Energy Source
Hydrogen Fuel Cell	80		Astronomical	
Hybrid Electric	30-60	(380 mi)	Medium	

Hindrances in Quality Management Overcome Barriers to Quality Management

Dr. Nilesh Gangwal*

Abstract - "The manager's job is to create an environment in which excellent work man ship flows from wise human resource development and deployment." D. Wood Organizational systems developed for quality improvements were in the beginning of the 21st century one of the highest ranked priorities for management. In general a system can be defined as "a specific methodology for organizing activities in order to achieve a purpose". This involves directing flows of work, information, money, people, materials and equipment. A quality management system (QMS) can be defined as "a set of interrelated or interacting elements to establish policy and objectives and to achieve those objectives to direct and control an organization with regard to quality". The different QMSs aim to improve quality and organizational efficiency whether it is through cost reductions, eliminating defects or waste, improving processes and procedures, changing the organizational culture, or adding quality control as a top priority. The different methodologies can be combined and intertwined in order to facilitate the strive for total quality management, or they can be used as stand-alone tools in order to improve specific processes and procedures. Implementing a QMS is not dependent on the specific size of the organization but is argued to be applicable to organizations regardless of size, however smaller companies are more likely to have problems implementing quality systems due to a lack of time and resources required.

Introduction - When quality management systems first arrived it was intended for production and manufacturing industries but has over time developed further, and is today suitable for other industries such as the service industry. QMSs are today more about creating quality thinking within the whole organization and across business channels rather than just eliminating defects or unsatisfactory quality levels in products. Hence it can be said that QMSs are no longer specific to any industry or sector but can be applied to all organizations.

The main focus within quality management systems research has been on how organizations can implement a QMS, to the best abilities, and what results they can expect. However we believe that there is a gap regarding the problems and barriers inherent with an implementation of a QMS and specifically how organizations can prepare themselves for them. Few researchers have studied the problems and barriers in implementing a QMS, prior to the implementation, and only focused on the identifying the problems after the organizations had started working with a QMS. There is a ten-step approach can be applied A Ten-Step Approach to creating Quality calls for the manager to:-

1. show,
2. involve people,
3. take a long – term approach,
4. start small,

5. focus on teamwork,
6. train thoroughly,
7. use problem-solving processes,
8. communicate,
9. encourage employees and
10. try different approaches.

These 10 steps emerged from any company's experiences in human resource management consulting and training. And what is the basis for the need? Consider it from the perspective of employees in a number of client companies who talked with me recently about barriers to quality. A foreman said, "they provide poor equipment and expect precision work. I used to tell them about it what's expected and required.

Top priority - Quality becomes a top priority when we focus on the "people issues." People count, whether on your payroll or providing it. Quality improvement processes. Will simply be programs instead of a way of life, until people are actively involved at all levels in the organization.

Barriers - Companies face at least six barriers to quality improvement:

1. **A proper definition** - Three prevalent definitions of quality:-Quality is a process, not a program. While programs-or training-provide tools,to implement the process, there is the, activity will become an end in itself. Joseph Jordan defines quality as fitness for use, Phillip Crosby defines quality as conformance to requirements,

and W. Edwards Deming defines quality as a consistent and predictable degree of uniformity. One must set upon a single definition. A suggested definition would be corifoT7TIO.TtloCtcustomer requirements, real or perceived.

2. Focus on 8 quick fix - Management is under constant pressure to find and fix problems quickly, with immediate results. This leads to treating symptoms instead of solving problems. Management must provide a long-term focus and look towards the future. Some companies report that it takes three to five. years to attain organizational focus on quality and problem solution.

3. Who's responsible? - The focus is generally on "who's responsible" for something rather than "what happened," and "how can we prevent this problem from occurring in the future?" Management's immediate response was, "who was on shift that day; who shipped it?" The response was "Who can we blame?" rather than "What happened, how did it happen, what system allowed this to happen and how can we prevent it in the future?" Many organizations operate on what we call the "Thermodynamic Theory" of management: "There is only so much heat to go around. So the more that I can shift to someone else, the less I have to absorb." In other words, the focus is on who's responsible, not how to fix the real problem and prevent future ones.

4. Wh8t - Know and don't know. This barrier includes what' we know and don't know about people, equipment, processes, products, and services. It is important for employees and managers to realize what we know as well as what we don't know. Training must provide employees with the of is a opportunity to really do their job and have pride must! Managers must learn what is known and what is unknown. This will allow them to plan the right training. Management workmanship.

5. Failing to fix problem - People issues, management vs. leadership, processes, procedures, and systems can all cause problems. Many times we treat symptoms and overlook problems. The manager's role is to find and fix problems. Actually, problem pm;entionis an even greater role. Employees need to be trained in a problemsolving process that can translate into solutions for many types of problems.

6. Numbera, numbera, numbera - When we focus only on the numbers, we forget the emotions and hearts of the employees. Nelson has said that the most important figures in any company are unknown and unknowable. Deming has translated, "He who runs a company on figures alone will have neither company nor figures." Sound statistical methods can help convert data into meaningful information.....1 for me" syndrome. In many C9mpanies, politics and the desire to"look good" override the decision-making process. This is generally a symptom of fear of

losing a job, " symphonize deeper problem: lack of teamwork. . Deming calls this "driving out fear so that looking bad" or allowing someone else to get ahead of you. This can every one can work for the company."

Overcoming Barriers - Barriers to quality take on many shapes and forms. In general, they involve poor human resource development and deployment.. So to implement a quality approach, management must create ways for employees to "buy in" to corporate goals-that is, genuinely have a part of the "action."

Problem statement

1. Data collection
2. Analysis
3. Planning
4. Developing alternatives
5. Comparing alternatives
6. Choosing the best solution
7. Planning for implementation
8. Implementing the necessary steps 'to take corrective and preventive action

Literature Review - Quality Assurance in Elementary Education Purpose - To reveal what are the teacher's and administration perceptions in the setting of elementary schools regarding the adoption of total Quality Management principles in school and It can serve two major purposes: Improvement and Accountability.

Tool and Technique - Self – review report, Site Visits, Surveys (questionnaires, interviews etc.), Performance indicators.

Conclusion - Numerous analysts seem to agree that the impact of quality assurance systems on teaching and learning is difficult to assess and is thus in need of further research.

References :-

1. Department of education, training and youth Affairs (2000), The Australian Higher Education Quality Assurance Framework, Occasional Paper Series, Australia.
2. Higher Education Funding Council For England (2001) Reducing costs and building partnerships for better accountability in the Higher Education Sector, London, PA Consulting Group.
3. Ministry of Education, Science and Culture, Iceland (2003) Higher Education External Review: Guidelines for Self – Evaluation, Quality Assurance Authority of New – Zealand (1999) Proposals for the Structure and Implementation of a Quality Regime for Tertiary Education.
4. The International Encyclopedia of Indian Education VolIII (L-2) J.S. Rajput.
5. National Curriculum Framework, New Delhi, NCERT (2005).

Business Process Outsourcing (Emerging, Issues and Challenges)

Dr. Sanjay Bhavsar *

Introduction - Today the power of Globalization and Economic Lubrication has changed the face of this universe, and we become a global village, It means that there is no traffic distance between U.K., south Africa and India. Globalization impact we can see very well with the concept of BPO.

Business Process outsourcing is a process of transferring the functional authority. Process and entire business to the supplier is for certain period of contract as a part of business. It involves transfer of function. Manpower and management process of business.

PO enhances productivity by creating streamlined and efficient processes. And because many process address standard business practices check, remittance and insurance processing; finance and accounting human resources travel expense reporting- they can be merged with others work to create economics of scale.

Today business process outsourcing has become an adequate process to make a healthy business.

TODAY GLOBLIZATION and high competitive world has made many International and multinational companies. Come to term with growing demand for quality and service. The service sector has gained the bull's eye in this world. Today the management supplies and developing resource for service and service personnel has become the hottest for BPO. Developing importance for cheaper work force, effective and result oriented work force or service personnel has made India, one of the most wanted or a favorable destination for every multination companies of the world.

Indian Scene: Undoubtedly our motherland India grown very well during 59 years of India's freedom. But it is also fact that we have failed to remove all time poverty, unemployment gap between rich and poor inequality of income distribution. India is highly populated country and has less resources to fulfill the demand for services. So our educated masses search out for destination to serve and earn livelihood. Thirdly the india service force is hardworking punctual and more important highly qualified to give more than expected out of it. More important for its fluent English language.

The above three factors make India a great Market center for manpower.

India As A BPO Gaint: Population wise we are second largest after china in the world. Whether we look at total population or we look to young working hands, India in having largest army of young English speaking and computer operating manpower on this front we have beaten china our computer engineer are working different countries in all over world.

Today India is a developing economically due this growth of its young energetic youth working abroad. Lots of money inflows through services.

Global giants estimate jobs in India's booming software service sector to grow 23% as the sector benefits from outsourcing. This show piece sector which includes high end technology consulting, back office and call center work is expected to employ soon 8,13,500 people by march 2004 the National Association of s/w and service companies said in this its annual multiplied five fold over seven years.

Experts from back office; service are seen rising 54% to dollar 3.5 billion in the year ending to march 2004. Giants like IBM crop, with an Indian head count of around 10,000 and Accentors Ltd., which is expected to double staff to their number by 2005, are expanding their activities in a big way. Call center have been hiring Youths by the thousands for the past four years.

Using high speed telecom India, based firms services including Insurance claims, processing pay roll accounting data tabulation and equity research to clients or overseas parents locate halfway round the world.

Indian software exporters such as TCS and Infosys technologies are exporting work force to mulk national companies like Bank of America Crop (BOA). Two third of US bank outsource work to developing, low cost countries such as India. In Europe HSBC, ABN, ANRO and Deutsche Bank are the major bank to shift work overseas

One of the famous global managing editor of Rater toils New York Times that "India is a place where you can get people who understand English understand financial statement, understand journalism and who are educated to a very high standard and eager to do this kind of work." BPO has set off a building boom in such cities as Bangalore, Mumbai and Delhi while spelling gloom for Asia's traditional business center of Singapore, Honkong and Tokyo. Good

English and even a gift of learning accents have made Indians popular managing call centers serving Britain, the United States and Australia. The latest trend is for investment bank to shift parts of their research arms to India. Morgan Stanley and J.P. Morgan and Co. are planning to hire dozens of analysts in Mumbai this year.

The unbelievable is happening to India with India Youth taking away jobs from overseas. It is said as a result of outsourcing jobs cuts, skilled foreign workers from these countries are now exploring job opportunities in India. India is fast emerging as one of the most favored destination for professionals from developed countries. "until some times back it was only expatriate Indians who are shifting to places like Bangalore and Mumbai. However for the last fe months overseas worker have also started showing interest in India" said Mr. Anil Mahajan, Executive Direct of talent hunt private limited a leading Human Resources firms the country.

So it is clear that an open world trading system is generally a positive contribution to economic prosperity. It

increases living standards both at home and aboard. It is observed that any Republicans Centers of USA are very of jobs outsourcing the jobs to countries like India.

The outcry over business Process outsourcing is misleading. Now the tide has changed and it is the price the affluent have to pay for globalization. Globalization is a two-way street and it now helps at least a section of the youth in India and helps India's economic growth it should be welcomed. Today along with telecom gents many top companies of india have started making said business in BPO and are establishing themselves in perfect call centers for western countries in fulfilling the employment needs for global companies.

References:-

1. 11th five year plan, Economic time's of India
2. Indian statistical abstract 2013 India
3. Economic survey of India
4. FICCI Business Dingiest dec.

कक्षा 9वी के अर्थशास्त्र अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तक के संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का अध्ययन

डॉ. गंगाराम वास्केल *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध शीर्षक 'कक्षा 9वी के अर्थशास्त्र अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तक के संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का अध्ययन' एक प्रयोगात्मक प्रकार का शोध कार्य था, जिसमें अर्थशास्त्र के संशोधित अभ्यास प्रश्नों द्वारा दिए गए उपचार की प्रभाविता का अध्ययन विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर एवं प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में किया गया। प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य था- उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन। प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य था- अर्थशास्त्र के संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। प्रस्तुत शोध के लिए इंदौर में स्थित मूसाखेडी के विजय कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल इंदौर (छात्र 13 एवं छात्रा 15 कुल 25) तथा सेन्ट.गे. वे. मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंदौर (छात्र 12 एवं छात्रा 10 कुल 25) दो विद्यालयों में अध्ययनरत 50 विद्यार्थियों का उद्देश्यपरक न्यादर्श तकनीक के द्वारा चयन किया गया। ये सभी विद्यार्थी कक्षा 9वी (वर्ष 2006-2007) में अध्ययनरत थे। प्रस्तुत अध्ययन में 'संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता' के प्रति प्रतिक्रियाओं के मापन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया-मापनी का उपयोग किया गया एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मापन हेतु एस.डी. कपूर एवं आर.एन. सिंग द्वारा निर्मित (SOCIO-ECONOMIC STATUS SCALE QUESTIONNAIRE) उपकरण का उपयोग किया गया। प्रस्तुत शोध में प्रदत्त विश्लेषण हेतु (Two way Anova) सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा किया गया। शोध से अग्र निष्कर्ष प्राप्त हुआ- 1) संशोधित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन विद्यार्थियों के उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक के परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के अध्ययन से सार्थक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2) 81.87 प्रतिशत विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ के पक्ष में पाई गई जबकि 9.33 प्रतिशत असहमत पक्ष में पाई गई तथा 8.8 प्रतिशत अनिश्चित पक्ष में पाई गई। 3) संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता को एक समान रूप से प्रभावी पाया गया।

प्रस्तावना - शिक्षण प्रक्रिया की सफलता प्रभावी अधिगम पर निर्भर है। प्रभावी अधिगम हेतु शिक्षण कार्य छात्रों के अधिगम के अनुरूप होना चाहिये। शिक्षण प्रक्रिया का एक साधन पाठ्यवस्तु होती है। पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्न विद्यार्थियों के अधिगम की जाँच में सहायक होते हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने से यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु को किस अंश तक अधिग्राहित किया है। अतः इन अभ्यास प्रश्नों का उचित व सही होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों के बोध व उच्च ज्ञानात्मक व क्रियात्मक स्तरों का आकलन किया जा सके। प्रायः देखा गया है कि पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार नहीं बनाये जाते। अभ्यास प्रश्नों के द्वारा केवल विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर का ही परीक्षण किया जाता है, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि पक्षों का नहीं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास प्रश्नों को संशोधित किया जाए व इनमें विविध स्तरों के प्रश्नों का समावेश किया जाये ताकि विद्यार्थियों के द्वारा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रभावी अधिगम तथा उनकी समझ स्तर की सही जाँच हो सके। प्रस्तुत शोध इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है।

पाठ्यपुस्तक अध्यापन का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा अध्यापक स्वयं ज्ञानार्जन कर, विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम करवाता है। पाठ्यपुस्तक अध्यापक के समक्ष सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का ढाँचा रखकर, उसे शिक्षण के उद्देश्यों से परिचित कराती है। पाठ्यपुस्तक में तार्किक एवं

मनोवैज्ञानिक क्रम में उपलब्ध व व्यवस्थित सामग्री से शिक्षण व अधिगम को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहायता मिलती है। पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से विद्यार्थी अपने पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं तथा कक्षा कार्य व गृह कार्य कर सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा विद्यार्थियों आत्मविश्वास, पढ़ने के प्रति उचित दृष्टिकोण व स्व-अधिगम विधि से अध्ययन का भी विकास होता है।

वर्तमान समय में पाठ्यपुस्तकों में कई दोष देखे जाते हैं - इनमें विषयवस्तु को व्यवस्थित करने का ढंग परंपरागत होता है। विषय वस्तु भी प्रायः विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, उनकी रुचियों, आकांक्षाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होती है, जिसका प्रभाव केवल शिक्षक की शिक्षण कला पर ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों के प्रभावी अधिगम पर भी होता है। 1) विषय वस्तु का अरोचक प्रस्तुतीकरण, वैज्ञानिक पुट का अभाव, वैज्ञानिक तथ्यों व सिद्धांतों का सरल तथा स्पष्ट व्याख्या में असमर्थता, छात्रों की अभिरुचियों मनोवृत्तियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है, पाठ्यपुस्तक के संगठन में समन्वय के सिद्धांतों की अवहेलना, पाठ्यपुस्तक में चित्र, रेखाचित्र तथा अन्य प्रदर्शनात्मक सामग्रियों का अभाव। 2) पाठ्यपुस्तक में अद्यतनता का अभाव, पाठ्यपुस्तक के द्वारा क्षेत्रीय/स्थानीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। 3) पाठ्यपुस्तक में प्रदत्त अभ्यास प्रश्न भी विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता के अनुसार नहीं होते हैं। 4) पाठ्यपुस्तक और अभ्यास प्रश्न

अर्थशास्त्र शिक्षण के सम्पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असमर्थ होते हैं।

अभ्यास प्रश्नों का महत्व - अभ्यास प्रश्नों का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट होता है- 1) अभ्यास प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है कि कौनसी विषय वस्तु को कितना और किस प्रकार से अध्ययन किया जाये ताकि उसका सूक्ष्मतम ज्ञान भी प्राप्त किया जा सके। 2) अभ्यास प्रश्नों के अनुसार छात्र के अध्यापन की सीमा का निर्धारण होता है। 3) अभ्यास प्रश्नों के द्वारा शिक्षक को छात्र की उपलब्धि और योग्यता स्तर का ज्ञान प्राप्त करना होता है। 4) कक्षा शिक्षण में प्रदान किये गये अनुभवों को दृढ़ करने में अभ्यास प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5) अभ्यास प्रश्न के द्वारा छात्र स्वयं अधिगम करता है। 6) अभ्यास प्रश्न स्वतः कार्य करने पर बल देते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्म निर्भर बनते हैं। 6) अभ्यास प्रश्न स्वतः कार्य करने पर बल देते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्म निर्भर बनते हैं।

अच्छे अभ्यास प्रश्नों की विशेषताएँ - अच्छे अभ्यास प्रश्नों में निम्नलिखित विशेषताएँ होना चाहिए- 1) अभ्यास प्रश्न विषय वस्तु के अनुकूल होना चाहिए। 2) अभ्यास प्रश्न अनुप्रयोगात्मक एवं विश्लेषण स्तर के होना चाहिए। 3) अभ्यास प्रश्नों में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। 4) अभ्यास प्रश्न मानसिक विकास के सभी स्तरों से संबंधित होना चाहिए। 5) अभ्यास प्रश्न छात्रों की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करे। 6) अभ्यास प्रश्न से छात्रों में आलोचनात्मक सजगता का विकास होना चाहिए। 7) अभ्यास प्रश्न क्रिया आधारित होने चाहिए। 8) अभ्यास प्रश्न कठिनाता स्तर से क्रमिक रूप में रखे जाना चाहिए। 9) विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की योग्यताओं एवं शक्तियों के उपयोग का अवसर प्रदान करे, जिससे वह आत्म विश्वासी और स्वावलंबी बन सके। 10) विद्यार्थियों में निरीक्षण-परीक्षण, प्रयोग करने का कौशल, चित्र बनाने के कौशल आदि का विकास करे। 11) विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रेरित करे। 12) विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिन्तन तार्किक एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास करे। उपयुक्त विशेषताएँ रखने वाले अभ्यास प्रश्न ही छात्रों में अर्थशास्त्र अध्ययन की रुचि पैदा करते हैं, और इनसे अर्थशास्त्र शिक्षण के निर्धारित किये गये सम्पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।

संबंधित साहित्य - पूर्व शोध कार्यों के समीक्षात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता से संबंधित कई शोध कार्य किये गये जिनमें मलहोत्र (1972), गुसा (1984), मल्होत्रा, बेदी और तुलसी (1990) द्वारा किए गए शोध कार्यों में पाया कि पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पत्र सामान्यतः निर्धारित विषयवस्तु पर पूर्णतया आधारित नहीं होते हैं। कैले एल.टी.ए.एल. (1962), लीली, पटेल, पारीख और पेलकर (1962), चौहान (1967), हारपर (1970), सेमीनार (1971) एवं यादव (2004) द्वारा किए गए शोध कार्यों में संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंध में पाठ्यपुस्तक के परम्परागत अभ्यास प्रश्नों के अध्ययन से सार्थक रूप से उच्च प्रभावी रहा है।

औचित्य - वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। इस युग में बालक के लिए आवश्यक है, कि दुनिया की इस तेज दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर सके। बालक के विद्यालय में प्रवेश के पश्चात् से ही आत्मनिर्भरता विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वनिर्णय योग्यता, स्व-अध्ययन, चिन्तन शक्ति का विकास, निरीक्षण परीक्षण कौशल, आलोचनात्मक सजगता, जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं विषय वस्तु का गहराई एवं पूर्णता के साथ अध्ययन आदि गुणों का

विकास आवश्यक है।

अर्थशास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में कई कार्य किये गये हैं, जिनके मुख्य कार्य हैं - 'एकलव्य संस्था' द्वारा किए गये एक शोध जुलाई 1986 से 1987 के दौरान नये परिप्रेक्ष्य सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की दृष्टि से कक्षा छः के लिए कुछ पाठों का संकलन तैयार किया गया यह- एकलव्य संस्था की पहली प्रायोगिक पुस्तक थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस प्रायोगिक पुस्तक को कुछ शालाओं में लागू करने का फैसला लिया। सन् 1987 से 1988 में कक्षा सात के लिए शिक्षकों व बच्चों की प्रतिक्रिया को लेकर पाठों में संशोधन किया गया। 'एकलव्य संस्था' द्वारा अभ्यास प्रश्नों पर भी चिंता व्यक्त की गई एवं संशोधन पर बल दिया। वर्तमान में प्रचलित हाई स्कूल स्तर की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में दिये गये अभ्यास प्रश्न छात्रों में उपयुक्त गुणों का विकास करने में असमर्थ है। अतः अर्थशास्त्र के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एवं छात्रों में उपयुक्त गुणों के विकास की दृष्टि से अभ्यास प्रश्नों में संशोधन की आवश्यकता है।

वर्तमान शोध अध्ययन इसी दशा में एक प्रयास है। क्योंकि वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में दिये गये अभ्यास प्रश्न केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की ही पूर्ति करते हैं, अर्थात् अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा अभ्यास प्रश्नों में संशोधन कर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

शोध कार्य का उद्देश्य :

1. उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन।
2. अर्थशास्त्र के संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन।

परिकल्पना:

1. उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर कोई सार्थक नहीं है।

न्यादर्श - शोध अध्ययन के लिए इंदौर में स्थित मूसाखेडी के दो विद्यालय लिये गये। विजय कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल इंदौर (छात्र 13 एवं छात्रा 15 कुल 25) तथा सेंट.गे. वे. मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंदौर (छात्र 12 एवं छात्रा 10 कुल 25)। न्यादर्श का चयन (आनुशासनिक) प्रतिचयन प्रविधि के द्वारा किया गया। न्यादर्श के अंतर्गत 50 विद्यार्थियों को लिया गया है, जिसमें से 25 छात्र एवं 25 छात्राओं को रखा गया। सभी छात्र एवं छात्राएँ शहरी तथा मध्यम वर्गीय सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, जो कक्षा 9वीं में सत्र 2006-07 में अध्ययनरत थे तथा शिक्षण का माध्यम हिन्दी था। विद्यार्थियों की जानकारी निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है-

क्र.	विद्यालय का नाम	लिंग		
		छात्र	छात्रा	कुल
1.	विजय कान्वेंट हा. से. स्कूल इंदौर	13	12	25
2.	सेंट.गे. वे. मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंदौर	15	10	25

उपकरण- प्रस्तुत शोध कार्य के लिए- एस.डी. कपूर एवं आर.एन. सिंग द्वारा निर्मित (SOCIO-ECONOMIC STATUS SCALE QUESTIONNAIRE) उपकरण का उपयोग किया गया था। यह उपकरण मनोवैज्ञानिक केन्द्र के द्वारा 1998 में प्रकाशित किया गया था। इस उपकरण में कुल 12 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न के कई सम्भावित उत्तर दिये गये थे, इन

उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन कर उसके सामने दिये हुये खाने में सही का निशान लगाना था। प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ वर्ष के रूप में निम्न से उच्च की तरफ Ranking की गई थी। इस उपकरण में सम्भावित उच्चतम अंक 75 थे। इस उपकरण की परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वनीयता 0.89 तथा इसकी वैधता 0.92 थी। तथा संशोधित अभ्यास प्रश्नों कि प्रभाविता के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं से संबंधित जानकारी एकत्र करने हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया-मापनी का विकास किया गया था। प्रतिक्रिया-मापनी में उपचार से संबंधित कुल 15 कथनों को सम्मिलित किया गया था। प्रतिक्रिया-मापनी में प्रत्येक कथन के तीन विकल्प बिन्दु थे सहमत, असहमत तथा अनिश्चित।

प्रदत्तों का संकलन - शोधकर्ता द्वारा चयनित विद्यालय के प्राचार्यों को इस अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा शोध अध्ययन की उपयोगिता बताई गई। उनकी पूर्ण संतुष्टि होने के बाद इस शोध अध्ययन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमति ली गई। तत्पश्चात कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र का शिक्षण कराने वाले अध्यापकों से मिलकर आत्मीय संबंध स्थापित कर शोध के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि प्रस्तुत शोध के परिणामों को गोपनीय रखा जायेगा और केवल शोध कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा। तत्पश्चात समस्त छात्र एवं छात्राओं से शोध कर्ता द्वारा सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी तथा प्रतिक्रिया-मापनी भरवायी गयी। इस प्रकार शोध कार्य हेतु चयनित न्यायदशों से अर्थशास्त्र अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तक के संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित प्रदत्तों का संकलन किया गया था। इस शोध अध्ययन को पूर्ण करने में प्राचार्यों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के अमूल्य समय लेने के लिए शोधकर्ता द्वारा उन्हें धन्यवाद दिया गया और आभार प्रकट किया गया था।

सांख्यिकीय विश्लेषण - प्रस्तुत शोध अध्ययन से संख्यात्मक प्रदत्त प्राप्त करते प्रदत्तों का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा किया गया। प्रथम उद्देश्य- उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन (Two Way Anova Test) द्वारा किया गया। तथा द्वितीय उद्देश्य- अर्थशास्त्र के संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का मापन औसत प्रतिशत विधि द्वारा किया गया।

परिणाम एवं चर्चा-प्रदत्तों विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका में प्रदर्शित किया गया-

Source of Variase	S.S.	db	Mean Square Mss	F
Treatment	6289.040	1	2689.040	534.696
SESS	346.420	24	14.434	1.227
Tratment SESS	123.510	10	12351	1.050
Error	164.667	14	11.762	
Total	6923.63	49		

व्याख्या

सारणी से स्पष्ट है कि उपचार के लिए f का मान 1/14 df पर 534.696 है जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अर्थात् उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि माध्य प्राप्तांकों में कोई सार्थक अन्तर है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना 'उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय

में उपलब्धि पर कोई सार्थक नहीं है।' स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दिया गया उपचार उपलब्धि के संदर्भ में प्रभावी रहा।

सारणी से स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर के लिए f का मान 24/14 df पर 1.227 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अर्थात् उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि माध्य प्राप्तांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना 'उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर कोई सार्थक नहीं है।' स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है, उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर व इनकी अन्तःक्रिया का अर्थशास्त्र विषय में उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ:-

क्र.	कथन	सहमत	असहमत	अनिश्चित
1.	अभ्यास प्रश्नों का व्यावहारिक होना	88%	0	12%
2.	अभ्यास प्रश्नों का तार्किक होना	92%	0	6%
3.	अभ्यास प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ होना	100%	-	-
4.	अभ्यास प्रश्नों का मानसिक स्तर से संबंध होना	80%	12%	8%
5.	अभ्यास प्रश्नों को प्रतिदिन हल करवाना	100%	-	-
6.	अभ्यास प्रश्नों को विषयवस्तु को पूर्ण रूप से समाहित करना	96%	-	4%
7.	अभ्यास प्रश्नों की भाषा का सरल होना	100%	-	-
8.	अभ्यास प्रश्नों का प्रयोगात्मक होना	76%	8%	16%
9.	प्रश्न आलोचनात्मक सजगता वाले होना	72%	16%	12%
10.	प्रश्नों का जिज्ञासा युक्त होना	80%	8%	12%
11.	अभ्यास प्रश्नों की पर्याप्त संख्या होना	88%	8%	4%
12.	प्रश्नों द्वारा सम्पूर्ण विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करना	76%	16%	8%
13.	प्रश्नों का क्रिया आधारित होना	80%	12%	8%
14.	अभ्यास प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होना	52%	28%	20%
15.	अभ्यास प्रश्नों का स्तरीकरण युक्त होना	80%	4%	16%
	कुल अनुक्रियाएँ	307	34	33
	कुल प्रतिशत	81-87%	9-33%	8-8%

विवेचना :- सारणी से विदित है कि -

कथन क्रमांक 1, अभ्यास प्रश्नों का व्यावहारिक होना 88 प्रतिशत

विद्यार्थियों के लिए सहमत, 12 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 2, अभ्यास प्रश्नों का तार्किक होना 92 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 3, अभ्यास प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ होना 100 प्रतिशत सहमत रहा। कथन क्रमांक 4, अभ्यास प्रश्नों का मानसिक स्तर से संबंध होना 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत 12 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 5, अभ्यास प्रश्नों को प्रतिदिन हल करवाना 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत रहा। कथन क्रमांक 6, अभ्यास प्रश्नों को विषयवस्तु को पूर्ण रूप से समाहित करना 96 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत 4 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 7, अभ्यास प्रश्नों की भाषा का सरल होना 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत रहा। कथन क्रमांक 8, अभ्यास प्रश्नों का प्रयोगात्मक होना 76 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 16 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 9, प्रश्न आलोचनात्मक सजगता वाले होना 72 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 16 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 12 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 10, प्रश्नों का जिज्ञासा युक्त होना 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 12 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 11, अभ्यास प्रश्नों की पर्याप्त संख्या होना 88 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 4 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 12, प्रश्नों द्वारा सम्पूर्ण विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करना 76 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 16 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 13, प्रश्नों का क्रिया आधारित होना 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 12 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 8 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 14, अभ्यास प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होना 52 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 28 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 20 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा। कथन क्रमांक 15, अभ्यास प्रश्नों का स्तरीकरण युक्त होना 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए सहमत, 4 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए असहमत तथा 16 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित रहा।

निष्कर्ष –शोध अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

1. संशोधित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन विद्यार्थियों के उपचार, सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक के परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के अध्ययन से सार्थक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. 81.87 प्रतिशत विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ संशोधित अभ्यास प्रश्नों कि प्रभाविता के सहमत पक्ष में पाई गई जबकि 9.33 प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा असहमत पक्ष में पाई गई तथा 8.8 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अनिश्चित पक्ष में पाई गई।
3. संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता का विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यमों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में संशोधित अभ्यास प्रश्नों की प्रभाविता को एक समान रूप से प्रभावी पाया गया।

परिणाम चर्चा

सामाजिक आर्थिक स्तर:– संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार अध्ययन करने से उनकी उपलब्धि पर उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर किसी प्रकार से सहायक नहीं हुई है। अतः हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को उनके अधिगम के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई औचित्य नहीं है।

प्रतिक्रिया:– संशोधित अभ्यास प्रश्नों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है, कि 81.87 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि संशोधित अभ्यास प्रश्न उनकी उपलब्धि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में सहमत हुए। इसका तात्पर्य है, कि संशोधित अभ्यास प्रश्न सभी स्तरों से संशोधित थे, उनमें ऐसी विशेषताएँ मौजूद जो विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। इनके अलावा 9.33 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जो संशोधित अभ्यास प्रश्नों से असहमत हुए। चूंकि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी औसत उपलब्धि वाले होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता सीमित होती है क्योंकि कक्षा में उच्च स्तर का शिक्षण नहीं हो पाता है, तथा वे परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के द्वारा ही विषयवस्तु का अध्ययन करते हैं और वे इस प्रक्रिया के आदि हो चुके होते हैं। अतः कोई नवाचार रूप से उनके सामने आये तो उनके अनुसार पूरी तरह नहीं ढल पाते जबकि 8.8 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जिनके लिए संशोधित अभ्यास प्रश्न के बारे में पूर्ण रूप से कोई नियश्चित नहीं कर पाए अर्थात अनिश्चित थे। क्योंकि ये विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी कक्षा में निम्न उपलब्धि रहती है और इस प्रकार का संशोधन उनकी समझ में नहीं आता है और पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। परंतु फिर भी 81.87 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ संशोधित अभ्यास प्रश्नों के पक्ष में दी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, एच. एवं सिंह आर.पी. : अर्थशास्त्र शिक्षण लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, प्रथम 197
2. पाठक, के.के. : अर्थशास्त्र प्रश्नकोष पर आधारित परीक्षण एवं अध्ययन एम. एड. लघु शोध देवी. अ.वि.वि., इंदौर, 1984
3. गुप्ता, एस. : गृह विज्ञान समूह के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का विश्लेषण अध्ययन एम. एड. लघु शोध देवी. अ.वि.वि. इंदौर, 1984
4. शर्मा, आर. ए. : शिक्षा तकनीकी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ, 1994
5. त्यागी, जी.डी. : अर्थशास्त्र शिक्षण विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1998
6. श्री वास्तव, ए : खातेगाँव स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के परंपरागत शैक्षिक एवं सामुदायिक दृष्टिकोणों के आधार पर तुलना एवं नवाचारों पर मर्तो अध्ययन अप्रकाशित एम.एड. लघुशोध दे. अ.वि.वि. इंदौर 2002
7. यादव, के. के. : कक्षा 9 स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तक के संशोधित अभ्यास प्रश्नों का उपलब्धि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रभाविता का अध्ययन एम.उड. लघु शोध देवी. अ. वि.वि., इंदौर, 2004

बागपत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. सतीशपाल सिंह *

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र के विकास व समृद्धि को जानना है तो शिक्षा के आधार पर जाना जा सकता है क्योंकि शिक्षा समाज में नैतिक, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक विकास में सहायक होती है तथा नागरिक को वह आधार प्रदान करती है जिसके आधार पर अपने जीवन के लक्ष्य को या सपनों के महल को तैयार कर सकता है अर्थात् शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश प्रगति कर सकता है। इसलिए प्रत्येक बालक को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो ताकि आने वाली पीढ़ी समाज को नई दिशा प्रदान कर सके। शिक्षा व्यवस्था का आधार बालक अध्यापक और पाठ्यचर्या एवं विषयवस्तु है। बालक या विद्यार्थी देश के विकास हेतु बीज है जिनमें फलों से भरे वृक्ष बनने की सम्भावनाएं छिपी हैं इन बीजों की देखभाल और पोषण की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि देश का और समाज साथ ही राष्ट्र का भविष्य उन्नत हो सके। इस भविष्य गामी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी शिक्षा के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है।

इसी महत्व को स्वीकारते हुए भारत सरकार द्वारा हर व्यक्ति को साक्षर ही नहीं अपितु उच्च शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना चाहती है इसीलिए सरकार की ओर से ऐसा कानून लागू किया गया जिससे हर बच्चा कानूनन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। इससे हर राज्य की सरकारें अब हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए विवश होगी। अर्थात् शिक्षा के नाम पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य हेतु 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून को शत प्रतिशत लागू कर दिया।

शिक्षा अधिकार अधिनियम का सम्बन्ध बालक अभिभावक अध्यापक एवं प्रबन्ध समिति से है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन शासन तथा शासन से जुड़े लोग में मुख्यतः अध्यापक वर्ग तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक बालिका से सम्बन्धित है इसलिए में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति पर कोई शोध अध्ययन हुए है। वे निम्नानुसार हैं-

शर्मा एवं अन्य (2012) ने बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जागरूकता का अध्ययन किया अध्ययन का उद्देश्य बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। न्यादर्श रूप में जबलपुर शहर के बी0एड0 कालेज के 50 पुरुष एवं 50 महिला प्रशिक्षणार्थियों को लिया साथ ही शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 50 पुरुष एवं 50 महिला अध्यापकों को लिया

गया निष्कर्ष रूप में पाया कि बी0एड0 पुरुष एवं शासकीय अशासकीय विद्यालय के पुरुष शिक्षकों की शिक्षा अधिकार अधिनियम की जागरूकता में सार्थक अंतर है। जबकि बी0एड0 महिला एवं शा0 अशासकीय महिला अध्यापिकाओं की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है। पुरुष बी0एड0 एवं शासकीय/अशासकीय पुरुष अध्यापकों के शिक्षा अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर है इसी प्रकार दोनों समूहों महिला बी0एड0 एवं शासकीय/आशासकीय महिला अध्यापिकाओं के शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है।

वर्मा (2014) ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया अध्ययन का उद्देश्य अबलिखित है।

1. अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. अल्पसंख्यक पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. बहुसंख्यक पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

निष्कर्ष रूप में पाया कि- अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय उद्देश्य में भी पाया कि सार्थक अंतर है। अर्थात् शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति अल्प संख्यक एवं बहु संख्यक वर्ग के लोगों में समानता नहीं है।

भारद्वाज (2011) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम विभिन्न वर्गों की जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य शिक्षक वर्ग एवं अभिभावक वर्ग की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया कि शिक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग की शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है अर्थात् दोनों वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति सकारात्मक जानकारी रखते हैं। अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षण वर्ग और व्यवसायिक वर्ग शिक्षक वर्ग एवं बौद्धिक वर्ग और शिक्षक वर्ग एवं छात्र वर्ग की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में भी कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसी प्रकार अभिभावक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, अभिभावक वर्ग और बौद्धिक वर्ग तथा अभिभावक वर्ग और छात्र वर्ग की शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में भी कोई सार्थक अंतर

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

नहीं पाया गया है।

मलिक, एवं अन्य (2013) ने शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता का अध्ययन विषय पर अपना शोध कार्य किया। शोध का प्रमुख उद्देश्य प्रायवेत एवं शहरी शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया कि शहरी क्षेत्र के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अध्ययन में यह भी पाया कि प्रायवेत क्षेत्र के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में भी कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

घोटे प्रशांत एवं अन्य (2013) ने शिक्षा अधिकार अधिनियम की मध्य भारत के शिक्षकों की जागरूकता पर अध्ययन किया जिसमें 35 से कम एवं अधिक आयु के शिक्षक एवं एकांकी एवं संयुक्त परिवार तथा अखबार पढ़ने की आदत रोजाना एवं कभी-कभी इन शिक्षकों के तुलनात्मक अध्ययन में सार्थक अन्तर पाया साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता एम0ए0/ एम0एस0सी0 एवं व्यावसायिक योग्यता डिप्लोमा/बी0एड0 किए अध्यापकों के समूह में कोई अंतर नहीं पाया गया। इसी अध्ययन में लिंग महिला पुरुष, वैवाहिक स्थिति, प्रायवेत अनुदानित स्टेट एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड सरकारी एवं प्रायवेत स्कूल हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शिन्दे (2014) ने अध्यापक एवं अभिभावकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया अध्ययन में पाया कि अध्यापक एवं अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया इस आधार पर कह सकते हैं कि अध्यापकों के समान ही अभिभावकों में भी शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता पायी गयी।

कुमार ज्ञानेन्द्र (2018) बुलन्दशहर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के संदर्भ में छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक उपस्थिति एवं छात्र उपस्थिति का एक समीक्षात्मक अधन किया अध्ययन में पाया कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस अधिनियम को समुचित ढंग से क्रियान्वयन एवं सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार, अधिकारियों, शिक्षकों एवं जनसाधारण सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार के प्रति बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक वर्ग की अभिवृत्ति अलग-अलग वर्ग शिक्षक एवं अभिभावकों की जागरूकता पर अध्ययन हुए है। प्रायवेत एवं अनुदानित क्षेत्र के शिक्षकों की जागरूकता पर अध्ययन नहीं हुआ इसलिए प्रस्तुत शोध की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समस्या कथन – बागपत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों एवं अनुदानित शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं एवं अनुदानित महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का

अध्ययन करना।

4. प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों एवं अनुदानित महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
5. अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिका एवं अनुदानित पुरुष शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. प्रायवेत पुरुष अध्यापक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. प्रायवेत महिला शिक्षिकाओं एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. प्रायवेत पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. अनुदानित महिला शिक्षिका एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध कार्य में विवरणात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया। सर्वेक्षण विधि किसी सामाजिक अथवा शैक्षिक स्थिति या समस्या समाधान अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है। जो वर्तमान स्थिति तथा समस्या का अध्ययन करने के साथ-साथ भविष्य के लिए सुझाव प्रदान करती है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श- प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या के रूप में बागपत जनपद के माध्यमिक स्तर के प्रायवेत एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को लिया गया न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग कर किया गया है।

उपकरण- शिक्षा का अधिकार जागरूकता मापन के लिए **डॉ0 मुछाल एम0के0** द्वारा शिक्षा का अधिकार जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया इस मापनी में 50 कथन थे जिसमें सही एवं गलत के रूप में कथनों पर जानकारी प्राप्त की गयी।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या- शोध के उद्देश्यानुसार शिक्षा का अधिकार जागरूकता मापनी पर प्राप्त आंकड़ों के आधार सकारात्मक एवं नकारात्मक कथनों पर 1 एवं 0 तथा 0 एवं 1 तथा अंक प्रदान कर तथ्यों विश्लेषित किया।

प्रदत्तों का विश्लेषण- तथ्यों का विश्लेषण करने के मध्यमान प्रमाण विचलन एवं टी परीक्षण तालिका द्वारा दो समूहों के माध्यों की तुलना को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	t अनुपात	सार्थकता स्तर
प्रायवेत अध्यापक	40	41.23	6.45	1.116	सार्थक नहीं
अनुदानित अध्यापक	40	43.58	11.65		

तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि परिगणित टी अनुपात का मान 1.116 है जो कि 78 के स्वतंत्रता के अंश 0.05 स्तर पर सारणी के 2.00 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रायवेत एवं अनुदानित स्तर पर कार्यरत माध्यमिक विद्यालयों में महिला एवं पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति के समय योग्यता समान होती है। साथ ही साथ प्रत्येक अध्यापक आज तकनीकी साधनों इंटरनेट मोबाइल आदि के प्रयोग से जानकारी अद्यतन रखते हैं। एवं प्रशिक्षण में दोनों स्तर के अध्यापकों के समान पाठ्यचर्या होती है। इस लिए शिक्षा अधिकार के प्रति दोनों वर्ग के शिक्षकों की जागरूकता लगभग समान पायी जाती है।

तालिका 2 प्रायवेत पुरुष अध्यापक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	t अनुपात	सार्थकता स्तर
प्रायवेत पुरुष अध्यापक	20	42.12	5.25	2.127	0.01 स्तर पर सार्थक
अनुदानित पुरुष शिक्षक	20	45.24	6.08		

तालिका क्रमांक 2 दर्शाती है कि परिगणित टी अनुपात का मान 2.127 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 0.05 स्तर पर सारणी के मान 2.00 से अधिक है अतः शून्य परिकल्पना प्रायवेत पुरुष अध्यापकों एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं है को अस्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं प्रायवेत एवं अनुदानित अध्यापकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया।

तालिका 3- प्रायवेत महिला शिक्षिकाओं एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों की तुलना दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	t अनुपात	सार्थकता स्तर
प्रायवेत महिला शिक्षिका	20	43.56	4.56	1.45	किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं
अनुदानित महिला शिक्षिका	20	46.23	6.85		

तालिका क्रमांक 3 दर्शाती है कि परिगणित टी अनुपात का मान 1.45 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 38 के 0.05 स्तर पर सारणी के मान 2.00 से कम है अतः शून्य परिकल्पना प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 4- प्रायवेत पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों की तुलना दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	t अनुपात	सार्थकता स्तर
प्रायवेत पुरुष शिक्षक	20	42.12	5.25	0.92	सार्थक नहीं
अनुदानित महिला शिक्षिका	20	43.56	4.56		

तालिका क्रमांक 4 दर्शाती है कि परिगणित टी अनुपात का मान 0.92 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 38 के 0.05 स्तर पर सारणी के मान 2.00 से कम है अतः शून्य परिकल्पना प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं प्रायवेत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 5- अनुदानित महिला शिक्षिका एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों की तुलना दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	t अनुपात	सार्थकता स्तर
अनुदानित महिला शिक्षिका	20	45.24	6.08	0.53	सार्थक नहीं
अनुदानित पुरुष	20	46.23	6.85		

तालिका क्रमांक 5 दर्शाती है कि परिगणित टी अनुपात का मान 0.53 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 38 के 0.05 स्तर पर सारणी के मान 2.00 से कम है अतः शून्य परिकल्पना अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिका एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिका एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

परिणाम एवं निष्कर्ष:

- 1 प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (महिला + पुरुष) की शिक्षा अधिकार की जागरूकता की तुलना में टी अनुपात 1.116 प्राप्त हुआ इसके आधार पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया इस आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि माध्यमिक स्तर के प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिसमें महिला एवं पुरुष अध्यापक दोनों ही शामिल थे इनकी शिक्षा अधिक के प्रति जागरूकता समान है साथ ही सकारात्मक इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों कार्यरत होने से पूर्व शिक्षा एवं प्रशिक्षण समान होता है साथ पाठ्यचर्या भी समान है इसलिए दोनों समूहों की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता समान पायी गयी है।
- 2 माध्यमिक स्तर के प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना में टी अनुपात का मान 2.127 पाया गया जो तालिका के मान से अधिक है। इस आधार पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है निष्कर्ष में पाया गया कि प्रायवेत एवं पुरुष अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर पाया गया इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायवेत शिक्षक अनुदानित शिक्षकों की अपेक्षा कुछ कम जानकारी

- रखते हैं।
3. माध्यमिक स्तर की प्रायवेत एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना में टी अनुपात 1.45 का मान से बहुत कम है इस आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रायवेत एवं अनुदानित महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं है इसका कारण यह हो सकता है कि महिला शिक्षिकाएं अनुदानित क्षेत्र में वास करती हो तथा कार्यरत प्रायवेत विद्यालय में हो इसलिए प्रायवेत एवं अनुदानित महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं पाया गया अर्थात दोनों क्षेत्र की शिक्षिकाएं समान जागरूकता रखती है।
 4. प्रायवेत पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना में टी अनुपात 0.92 प्राप्त हुआ इस आधार पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षक एवं अनुदानित महिला शिक्षिकाओं का शिक्षा एवं प्रशिक्षण एक समान ही प्राप्त हुआ है इसलिए दोनों क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं की जागरूकता में समानता पायी गयी है।
 5. प्रायवेत महिला शिक्षिकाओं एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना में टी अनुपात का मान 0.53 प्राप्त हुआ इस आधार पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया तथा निष्कर्ष रूप में कहा सकता है कि दोनों ही क्षेत्रों के शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों को समान प्रशिक्षण मिला है। साथ ही निवास स्थान भी इस समानता के प्रति जिम्मेदार कारक है।
- संदर्भ ग्रन्थ सूची:-**
1. मुहाल महेश कुमार (2014) शिक्षा का अधिकार कानून एक विश्लेषण विद्या जर्नल आफ क्रियेटिव थिंकिंग वर्ष 2 नम्बर 1 अप्रैल सित. 2014 पेज नं०-67-71
 2. रायजादा रमाकर (2012) शिक्षा का अधिकार और स्कूली शिक्षा की जन उपलब्धता स्वीकार्यता एवं सामंजस्यता भारतीय आधुनिक शिक्षा अंक वर्ष 32 अंक 3 जनवरी 2012 पंज नं०-47-64
 3. कुमार ज्ञानेन्द्र (2018) बुलन्दशहर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के संदर्भ में छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक उपस्थिति एवं छात्र उपस्थिति का एक समीक्षात्मक अध्ययन शिक्षा शोध मंथन Shiksha Shodh Manthan A Half Yearly International Refereed Journal of Education Vol.4, No.1(A), April 2018 ISSN : 2395-728X
 4. भारद्वाज ऋतु (2011) शिक्षा का अधिकार अधिनियम विभिन्न वर्गों की जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 31 अंक 4 अप्रैल 2011 पेज नं०-95-101
 5. रावण कर नेत्रा (2012) शिक्षा का औचित्य एवं क्रियान्वयन रिसर्च लिंग वर्ष-11 अंक 10 दिसम्बर 2012 पेज नं० 104-105
 6. शिन्दे लक्ष्मण (2014) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति बालकों एवं शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन शब्द ब्रम्ह वर्ष 2 अंक 3 पृष्ठ 42-45
 7. सिंह प्रदीप कुमार (2011) शिक्षा का अधिकार एक विश्लेषण भारतीय आधुनिक शिक्षा अंक वर्ष 32 अंक 2 अक्टूबर 2011 पेज 86-92
 8. शर्मा उषा (2013) शिक्षा का अधिकार और शिक्षक की भूमिका भारतीय आधुनिक शिक्षा अंक वर्ष जौलाई 2013 पेज नं०-38-44
 9. शर्मा एवं अन्य (2012) बी०एड० प्रशिक्षणार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जागरूकता का अध्ययन रिसर्च लिंग वर्ष 11 अंक 10 दिसम्बर 2012 पेज नं०-106-110
 10. थोटे प्रशांत एवं अन्य (2013) राइट टू एज्यूकेशन एक्ट: एन फलिसिस के शिक्षकों आफ टीचर्स एवेयरनेस इन सेन्ट्रल इंडिया इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च वाल्यूम अंक 3 पेज नं०-184-187
 11. वर्मा ब्रजेश कुमार (2014) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 34 अंक 4 अप्रैल 2014 पेज नं० 5-12
 12. यशवला नीतू (2015) राइट टू एज्यूकेशन (आरटीई) ए क्रिटीकल एपरीशल इन्टर नेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च वर्ष 2 अंक 1 जनवरी 2015
 13. शुक्ला, सी०एस०ए०, (2006): भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास. मेरठ : इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस.
 14. सिंह, पी०के०, (2004): प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन०सी०ई०आर०टी०, नईदिल्ली, अक्टूबर, पृ० 29-30.
 15. अमर उजाला सफलता, (2012), स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल, अप्रैल, मेरठ.
 16. एन०सी०ई०आर०टी०, ऑल इण्डिया स्कूल एज्यूकेशन सर्वे, 2014-15 एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली.
 17. असर, (2016), एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, नई दिल्ली
 18. असर, नई दिल्ली भारत का राजपत्र, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. संख्या-39, अगस्त 27 2009, भारत सरकार, नई दिल्ली.

Inclusive Education: Education for Children with Special Needs

Dr. Shubha Goel *

Abstract - The services available for people with disabilities differ widely between developed and developing countries. One of these services is education. India is one of the few countries in the world where the education of children with special needs doesn't fall within the purview of human resource development ministry. It is generally the burden of the omnibus ministry of social justice and empowerment, the prime focus of which is rehabilitation, not education. In fact, till today it does not have education as part of its agenda and the issue of education of children with disabilities remains imperceptible, hidden from the public domain, a private problem for families and NGOs to deal with. It's time that governmental agencies as well as mainstream institutions woke up to the reality that segregation of children with challenging needs is morally unjustifiable and a violation of human rights. Seventy-eight percent of Indian population lives in rural areas without provision for special schools. Therefore, inclusive schools have to address the needs of all children in every community and the central and state governments have to train their teachers to manage inclusive classrooms. Building accessibility is imperative for students with disabilities to be included in their schools. The Government of India has created policies around special education since the country's independence in 1947. Accountability of the Government of India and its implementing partners is necessary for ensuring successful implementation of policy. One of the best ways to do this is to ensure that citizens are well informed about these policies and schemes.

Introduction - Inclusive education (IE) is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. It seeks to address the learning needs of all children with a specific focus on those who are vulnerable to marginalization and exclusion. It implies all learners – with or without disabilities being able to learn together through access to common pre-school provisions, schools and community educational setting with an appropriate network of support services. This is possible only in flexible education system that assimilates the needs of diverse range of learners and adapts itself to meet these needs. Inclusion is not an experiment to be tested but a value to be followed. All the children whether they are disabled or not have the right to education as they are the future citizens of the country. In the prevailing Indian situation resources are insufficient even to provide quality mainstream schools for common children. Thus, regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all, moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system.

Special Education Vs Inclusive Education: The term

“Special Need Education” has come into use as a replacement for the term “Special Education”, as the older one was mainly understood to refer the education of all those children and youth whose needs arise from disabilities or learning difficulties. The Statement affirms: “those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within child centred pedagogy capable of meeting these needs”. Moreover, the concept of “Special Need Education” extends beyond those who may be included in handicapped categories to cover those who are failing in school for a wide variety of other reasons that are known to be likely to impede a child's optimal progress.

Indian scenario: Till 1990s ninety percent of India's estimated 40 million children in the age group- four-sixteen years with physical and mental disabilities are being excluded from mainstream education. They have consistently discouraged children with disabilities from entering the nation's classrooms. Social justice and equity which are dominant sentiments of the Constitution of India demand that India's 35 million physically challenged, if not the 5 million mentally challenged, children should be given preferential access into primary and secondary schools. Fewer than five percent of children who have a disability are in schools. Remaining nine-tenths of them are excluded. Against this backdrop of continuous neglect, there

is an urgent need to find ways for developing potential of this large proportion of challenged children.

Legislation And Policy: The Constitution of India (26 November, 1949), clearly states in the Preamble that everyone has the right to equality of status and of opportunity. The Article 41 of the Directive Principles of the Indian Constitution supports the right to work, education and public assistance in certain cases including disablement. Further, Article 45 commits to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. Based on this, the Constitution (86th Amendment) Act 2002 has been enacted by the parliament making education a fundamental right of all children in the age group of 6-14 years. Moreover the 93rd Amendment to the Constitution of India (now renumbered as the 86th), passed by the Lok Sabha on November 28, 2001, makes it mandatory for the government to provide free and compulsory education to "all children of the age of 6-14 years", with its preamble clarifying that "all" includes children with disabilities as well. Yet inevitably again, vital loose ends of such enabling legislation and policies are not tied up. The National Policy on Education, 1986 (NPE, 1986), and the Programme of Action (1992) stresses the need for integrating children with special needs with other groups. The objective to be achieved as stated in the NPE, 1986 is "to integrate the physically and mentally handicapped with general community as equal partners, to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence"

Integrated Education: The concept of integrated education in India has emerged during the mid-1950s. It is based on the medical model of disability and it emphasizes placement of children with disabilities in mainstream schools. The major thrust is on attendance. **School Based Approach:** Consequent on the success of international experiments in placing children with disabilities in regular schools, the Planning Commission in 1971 included in its plan a programme for integrated education. The Government launched the Integrated Education for Disabled Children (IEDC) scheme in December 1974. It was a Centrally Sponsored Scheme aimed to provide educational opportunities to children with special needs (CWSN) in regular schools and to facilitate their achievement and retention. Under the scheme, hundred per cent financial assistance is provided to for setting up resource centers, surveys and assessment of children with disabilities, purchase and production of instruction materials and training and orientation of teachers. The scope of the scheme includes pre-school training, counselling for the parents, and special training in skills for all kinds of disabilities. The scheme provides facilities in the form of books, stationery, uniforms, and allowances for transport, reader, escort etc. In spite of all these facilities, IEDC met with limited success — only a little more than 100 thousand CWSN have been covered. However, it was successful in creating awareness on the importance of integrating CWSN

in the mainstream of education, a fact noted in the National Policy on Education, 1986.

Inclusive Approach: In late 90s (i.e., in 1997) the philosophy of inclusive education is added in District Primary Education Programme (DPEP). Moreover, DPEP also addressed core issues related to curriculum such as what factors limit the access of certain children to curriculum; what modifications are necessary to ensure fuller curriculum access. India Act, 1992 was passed by the Parliament in 1992, this act makes it mandatory for every special teacher to be registered by the council and lays down that every child with disability had the right to be taught by a qualified teacher. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protections of Rights and Full Participation) Act, 1995 stresses the need to provide free of cost education to all children in an appropriate environment till they are 18 years old and further emphasizes their right to measures like:

1. Transport facilities to the students with disabilities or alternative financial incentives to parents or guardians to enable their students with disabilities to attend schools;
2. The removal of architectural barriers from schools, colleges or other institutions imparting vocational and professional training;
3. The supply of books, uniforms and other materials to students with disabilities attending school;
4. The grant of scholarship to students with disabilities;
5. Setting up of appropriate fora for the redressal of grievances of parents regarding the placement of their students with disabilities;
6. Suitable modification in the examination system to eliminate purely mathematical questions for the benefit of blind students and students with low vision;
7. Restructuring of curriculum for the benefit of students with disabilities
7. Restructuring the curriculum for benefit of students with hearing impairment to facilitate them to take only one language as part of their curriculum.

The National Trust Act (National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability), 1999 also came into existence. This landmark legislation seeks to protect and promote the rights of persons who within the disability sector, have been even more marginalized than others. It was first of its kind in the category of persons addressed. It recognized the range of independence in skills, daily living and financial management. It is prime decision-making body for persons with disabilities and aims to provide total care to persons with mental retardation and cerebral palsy and also manage the properties bequeathed to the trust.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) emerged as a result of deliberations held by more than 300 participants representing 92 governments and 25 international organizations in June 1994. For furthering the objectives of

Education for all, it considered the fundamental policy-shifts required to promote inclusive education. It emphasizes that schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. The Statement affirms: "those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within child centered pedagogy capable of meeting these needs".

India was a signatory to the Salamanca Statement. In this perspective the Human Resource Development minister of India Sri Arjun Singh on the 21st March 2005 assured in the Rajya Sabha that MHRD has formulated a comprehensive action plan for the Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities. An outline of Ministry of Human Resource Development (MHRD) action plan is presented below:

National Policy For Persons With Special Needs: To complement and supplement IEDC and Sarva Shiksha Abhiyan programmes in the movement from integration to inclusion.

1. Enrolment and retention of all children with disabilities in the mainstream education system. (Free and compulsory education from 0 to 14 under draft Bill/free education 0 to 18 years under PWD Act).
2. Providing need based educational and other support in mainstream schools to children in order to develop their learning and abilities, through appropriate curricula, organizational arrangements, teaching strategies, resource and partnership with their communities.
3. Support higher and vocational education through proper implementation of the existing reservation quota in all educational institutions and creation of barrier free learning environments.
4. Disability focused research and interventions in universities and educational institutions.
5. Review implementation of existing programmes, provisions to identify factors leading to success or failure of the drive towards enrolment and retention of children with disabilities in mainstream educational settings. Address administrative issues arising out of review.
6. Generating awareness in the general community, activists and persons working in the field of education and more specifically among parents and children that the disabled have full rights to appropriate education in mainstream schools and that it is the duty of those involved in administration at every level including schools to ensure that they have access to education.
7. Ensure enrolment and intervention for all children with special needs in the age group 0-6 years in Early Childhood Care and Education Programs.
8. Facilitate free and compulsory elementary education for children with special needs in the age group 6-14 (extendable to 18 yrs.) in mainstream education settings currently under the Sarva Shiksha Abhiyan

(SSA) (SSA is a governmental program shared by both union and state governments for achieving universal elementary education in India by 2010) .

9. Facilities for transition of young persons with disability wishing to pursue secondary education.
10. Ensuring physical access of children and youth with disabilities in schools and educational institutions by enforcing the requirement for provisions of universal design in buildings and provide support in transportation.
11. Development of national norms for Inclusive Education, to set standards of implementation, training, monitoring and evaluation for the program.
12. Provide inputs in all pre-service and in-service training for mainstream and special education teachers to enable them to work with children with disability in an inclusive education system.
13. Appropriate Resource Services support through appointment of special educators, rehab professionals, provision of resource rooms, etc to support mainstream school teachers in the classrooms.
14. Put in place an effective communication and delivery system for specific delivery of TLM, aids and appliances, hardware/software.
15. Participation in sports, co-curricular activities, to promote all round ability development.
16. Ensuring physical access for young persons with disabilities (18 plus age group) in all colleges and educational institutions by enforcing the requirement for provisions of universal design in buildings and provide support in transportation.

The Tenth Plan (2002-2007) aims to provide Universal Elementary Education by the end of the plan. It also aims to provide basic education for the un-reached segments and special groups. The special interventions and strategies like pedagogic improvement and adoption of child centered practices are focused on the groups like the girls, scheduled castes and scheduled tribes, working children, children with disabilities, urban deprived children, children from minority groups, children below poverty line, migratory children and in the hardest to reach groups.

Inclusive Education in Sarva Shiksha Abhiyan: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) was launched to achieve the goal of Universalisation of Elementary Education. This adopts a zero-rejection policy and uses an approach of converging various schemes and programmes. Zero-rejection policy ensures that every Child with Special Needs (CWSN), irrespective of the kind, category and degree of disability, is provided meaningful and quality education. It covers the following components under education for children with special needs: Early detection and identification, functional and formal assessment, Educational Placement, Aids and appliances, Support services, Teacher training, Resource support, Individual Educational Plan (IEP), Parental training and community mobilization, Planning and management, strengthening of special schools, Removal

of Architectural barriers, Research, Monitoring and evaluation, Girls with disabilities. SSA provides up to Rs.1200/- per child for integration of disabled children, as per specific proposals, per year.

Mode Of Special Education In Schools Of India: Children with disabilities are educated in India through special schools. There exist a few schools exclusively for blind and deaf under government sector. But there is not any special provision in mainstream government schools for education other disabled children like low vision, leprosy cured, hearing impaired, locomotory disabled, mentally retarded, mentally ill, autism affected, cerebral palsy affected and multiple-disabled. These children with disabilities are nurtured to some extent through the special schools of non-government sector.

Fighting Educational Exclusion: Inclusion is a complex issue. The curriculum is a powerful tool (Swann, 1988) and may be part of the problem. However, his view on inclusion is a challenge. He argues there are three pre-requisites: 1. The preparation of the child, 2. The preparation of the receiving schools, 3. The preparation of parents, but it could not be achieved without 4. The preparation of the teachers.

The Preparation Of The Child: Some children with special needs may require some prior training before they are placed in a regular school. Special educators made available for the purpose can provide such training and thereafter CWSN may be admitted in mainstream schools.

The Preparation Of Receiving Schools: Some mainstream secondary schools may be selected and developed as "Model Inclusive School" on priority basis. First of all, barrier-free access to CWSN is made in all such institutions. Effort should be taken to provide disabled-friendly facilities in these schools.

The Preparation Of Parents: It has been seen that the parents/guardians of CWSN generally face problems, both social and psychological resulting into marginalisation and exclusion of CWSN in mainstream schools. Hence, it is important to undertake widespread awareness among the people especially parents of CWSN. They should be counselled so that they may prepare themselves to send his/her ward to mainstream schools.

The Preparation Of Teachers: In India teacher training in special education is imparted through both face-to-face and distance mode.

Pre-Service Training: There is provision for pre-service teacher training in SE, but it is mainly concentrated in secondary level training. The Rehabilitation Council of India (RCI) is the apex authority to develop, recognize and regulate the course curriculum of SE. As the Indian school system is one of the largest in the world and number of CWSN are very high, the prevailing situation of pre-service teacher training in special education needs to be strengthened or elaborate alternative mechanism for incorporating the elements of special education in general teacher training programs needs to be found out. The teacher training course curriculum of general pre-service training

programs neither fully equip the teachers and teacher educators to deal with the CWSN nor it equip them to manage the mild and moderately disabled children in general classrooms.

Inputs And Classroom Reorganization Required for CWNS: Even, UGC National Educational Testing Bureau has already included "Special Education", in curriculum of its educational discipline. It includes details about special education, integrated education, education of mentally retarded (MR), visually impaired (VI), hearing impaired (HI), orthopaedically handicapped (OH), gifted and creative children, learning disabled children and education of Juvenile delinquents. The Postgraduate Departments of Education in India is on way to strengthen the disability element in their respective curriculum.

At present all the educational schemes of inclusive education tend toward universalization of primary education. But the secondary and higher education is at the verge of ignorance. So, there is an urgent need to create Inclusive Education Department under State's Human Resource Development Ministry to cater the challenges of inclusion principles.

Conclusion: Inclusive education (IE) is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. Inclusive Education aims at integrated development of children with special needs and normal children through mainstream schooling.

The Government of India is trying to improve their education system and make it completely inclusive. However, it is important to be realistic about the time span in which this change will occur. Sarva Shiksha Abhiyan, or the Education for All initiative, was created not only for people with disabilities. In the country with the second largest population in the world, with 25% of the population living under the poverty line and with a complicated social hierarchy, implementation might take a bit longer in comparison to countries with less poverty and more infrastructure for change. The importance of intention and effort should be recognized in this situation, as well as the immense improvements that the country has already made toward inclusion. The practice in these movements will be absorbed into the world 'education.' The education system in India is changing. It is time for policies to start aligning with realities on the ground, and for students of all ability levels to receive the education they deserve.

IE is not only the alternative measures for CWSN for want of separate special schools for these children, but it is a scientific well thought strategy for their overall development. Of course, it is cost effective and doubly suitable for a developing country like India. Various initiatives for teaching of CWSN along with normal children in mainstream schools, popularly known as IE are being taken at different levels. But still 95 percent of CWSN are out of mainstream schools. Even the schools where IE is in operation, infrastructural facilities required for inclusive

teaching-learning processes are poor. To understand the students with disabilities training of teachers is necessary. Capability of teachers required to deal CWSN along with normal children also appear to be poor reflecting the poor quality of training for IE. Accountability of the Government of India and its implementing partners is necessary for ensuring successful implementation of policy. One of the best ways to do this is to ensure that citizens are well informed about these policies and schemes.

References:-

1. Annual Report (2005-06). Department of Elementary Education and Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resources and Development, Govt. of India.
2. Boyd. B (2006). Taking the Initiative: Perspectives on Policies and practices on Inclusion.
3. Census of India (2011) Government of India.
4. Connolly, M., Patterson, J., & Ritter, S. (2009). Restructuring the inclusion classroom to facilitate differentiated instruction. *Middle School Journal*. 41(1), 46-52.
5. Chatterjee, G. (2003). The movement for inclusive education, *India Together*.
6. Dash, N. (2006): Inclusive Education Why Does it Matter? *Edu tracks*, Vol.5 No. 11, July 2006. PP. 5 – 10.
7. *Economic Times* (2007). Employment of the physically challenged, 1 March 2007, PP.II, Column 3.
8. Janshala (2003). Perspectives in Special Needs Education in India: A Journey from Isolation to Inclusion.
9. Mackey, M. (2014). Inclusive education in the United States: Middle school general education teachers' approaches to inclusion. *International Journal of Instruction*. 7(2), 5-16
10. Mayo Clinic (2015). "Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children." Retrieved.
11. MHRD (2005). Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities.
12. MHRD (2005). Statement of Minister of Human Resources Development in Rajya Sabha on March 21, 2005.
13. NCF (2005). National Curriculum Framework, NCERT, New Delhi, PP.79-89
14. NCERT (2006). Assessment of Needs for Inclusive Education: Asia Pacific Region.
15. NCERT (2006). Including Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners, Department of Education of Groups with Special Needs, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
16. RCI News (2005). A Newsletter of Rehabilitation Council of India, Vol.-1, No.-2, Dec.2004 – Feb.2005, p.13.
17. Riddell. S (2006). Approaches to Inclusive Education in Scotland: Challenges and Opportunities. [To inclusive eeducation.asp](http://www.inclusiveeducation.org.uk)
18. Samarth (2006). Three days Teacher Training Module of inclusive education, developed by Bihar Education Project Council under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) scheme, p.01 – 88.
19. Sanjeev. K. (2006). Inclusive Education: A hope for children with special needs.
20. Sanjeev. K. (2007). Feasibility of Inclusive Education In Knowledge economy of Bihar: Initiative and Perspective at higher Level, *Peoples Dialogue on Education*, Vol.1, No.1, January issue, pp.50-59.
21. Shah, R., Das, A. K., Desai, I. P. and Tiwari, A. (2014). Teachers' concerns about inclusive education in Ahmedabad, India. *Journal of Research in Special Educational Needs*. doi:10.1111/1471-3802.12054
22. SSA (2006). Responding to Children with Special Needs – A Manual for Planning and Implementation of Inclusive Education in Sarva Shiksha Abhiyan, MHRD, Department of Elementary Education and Literacy, MHRD, Govt. of India. *Electronic Journal for Inclusive Education*, Vol. 2, No.2, Art. 7
23. Status of Disability in India – 2000, published by RCI, p-445.
24. Ujala – III (2006). Five days teachers training Module for Teachers of Upper primary classes. P.22 – 23.
25. UNESCO (2006). Inclusive Education.

Chemical Parameters of Water Quality

Dr. Shobha Gupta*

Abstract - Water is a vital resource for all kinds of lives. To ascertain the quality of drinking water by determination of chemical parameter is of paramount importance due to the impact on human health. "Water quality" is a term used to express the suitability of water to sustain various uses or process. It can be defined by a range of variables which limit the use of water. The source of drinking water reflects the type of physiological effects (damages) to human health. This paper summarizes chemical parameters of water quality from an ecological perspective not only for humans but also for other living things. According to its quality, water can be classified into four types. Those four water quality types are discussed through an extensive review of their important common attributes including physical, chemical, and biological parameters. These water quality parameters are reviewed in terms of definition, sources, impacts, effects, and measuring methods.

Keywords- water quality, chemical parameters, hardness, fluoride, heavy metals.

Introduction - Water is the most essential elements to life on earth. WHO estimates that 844 million do not have basic drinking water and that 230 million people spend more than 30 min per day collecting water which includes piped water, boreholes, protected wells and springs, rainwater and packaged/delivered water. Groundwater is one of earth's most vital renewable and widely distributed resources as well as an important source of water supply throughout the world [1]. Water pollution is contamination of quality of water. It is usually contaminated with solids, human and animal activities, effluents from chemical industries and dissolved gases [2]. Water quality is a measure of the condition of water relative to the requirements of one or more biotic species and/or to any human need or purpose [3, 4]. In this paper we will discuss the chemical parameters of water quality. In this paper we will discuss the chemical parameters of water quality.

Classification of water: Based on its source, water can be divided into ground water and surfacewater. Both types of water can be exposed to contamination risks from agricultural, industrial, and domestic activities, which may include many types of pollutants such as heavy metals, pesticides, fertilizers, hazardous chemicals, and oils. Water quality can be classified into four types—potable water, palatable water, contaminated (polluted) water, and infected water [5]. The most common scientific definitions of these types of water quality are as follows:

1. Potable water: It is safe to drink, pleasant to taste, and usable for domestic purposes [5].
2. Palatable water: It is esthetically pleasing; it considers the presence of chemicals that do not cause a threat to human health [5].
3. Contaminated (polluted) water: It is that water

containing unwanted physical, chemical, biological, or radiological substances, and it is unfit for drinking or domestic use [5].

4. Infected water: It is contaminated with pathogenic organism [5].

Chemical parameters of water quality:

1. pH
2. Hardness
3. Dissolved oxygen
4. Biochemical oxygen demand (BOD)
5. Chemical oxygen demand (COD)
6. Toxic inorganic substances
7. Toxic organic substances
8. Radioactive substances

pH: pH is one of the most important parameters of water quality. It is defined as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration [6]. It is a dimensionless number indicating the strength of an acidic or a basic solution [7]. Actually, pH of water is a measure of how acidic/basic water is [8]. Acidic water contains extra hydrogen ions (H⁺) and basic water contains extra hydroxyl (OH⁻) ions. As shown in Figure 1, pH ranges from 0 to 14, with 7 being neutral. pH of less than 7 indicates acidity, whereas a pH of greater than 7 indicates a base solution [9]. Pure water is neutral, with a pH close to 7.0 at 25°C. Normal rainfall has a pH of approximately 5.6 (slightly acidic) owing to atmospheric carbon dioxide gas [10]. Safe ranges of pH for drinking water are from 6.5 to 8.5 for domestic use and living organisms need [9]. A change of 1 unit on a pH scale represents a 10-fold change in the pH [10], so that water with pH of 7 is 10 times more acidic than water with a pH of 8, and water with a pH of 5 is 100 times more acidic than water with a pH of 7. There are two methods available for

*Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

the determination of pH: electrometric and colorimetric methods [10].




Figure 1- pH of water

Excessively high and low pHs can be detrimental for the use of water. A high pH makes the taste bitter and decreases the effectiveness of the chlorine disinfection, thereby causing the need for additional chlorine [11]. The amount of oxygen in water increases as pH rises. Low-pH water will corrode or dissolve metals and other substances [10]. Pollution can modify the pH of water, which can damage animals and plants that live in the water [10]. The effects of pH on animals and plants can be summarized as follows:

- Most aquatic animals and plants have adapted to life in water with a specific pH and may suffer from even a slight change [12].
- Even moderately acidic water (low pH) can decrease the number of hatched fish eggs, irritate fish and aquatic insect gills, and damage membranes [13].
- Water with very low or high pH is fatal. A pH below 4 or above 10 will kill most fish, and very few animals can endure water with a pH below 3 or above 11 [12].
- Amphibians are extremely endangered by low pH because their skin is very sensitive to contaminants [15]. Some scientists believe that the current decrease in amphibian population throughout the globe may be due to low pH levels induced by acid rain.


The effects of pH on other chemicals in water can be summarized as follows:

- Heavy metals such as cadmium, lead, and chromium dissolve more easily in highly acidic water (lower pH). This is important because many heavy metals become much more toxic when dissolved in water [11].
- A change in the pH can change the forms of some chemicals in the water. Therefore, it may affect aquatic plants and animals [11]. For instance, ammonia is relatively harmless to fish in neutral or acidic water. However, as the water becomes more alkaline (the pH increases), ammonia becomes progressively more poisonous to these same organisms

Acidity: Acidity is the measure of acids in a solution. The acidity of water is its quantitative capacity to neutralize a strong base to a selected pH level [10]. Acidity in water is usually due to carbon dioxide, mineral acids, and hydrolyzed salts such as ferric and aluminum sulfates [10]. Acids can influence many processes such as corrosion, chemical reactions and biological activities [10]. Carbon dioxide from the atmosphere or from the respiration of aquatic organisms causes acidity when dissolved in water by forming carbonic acid (H_2CO_3). The level of acidity is determined by titration

with standard sodium hydroxide (0.02 N) using phenolphthalein as an indicator [8,10].

Alkalinity: The alkalinity of water is its acid-neutralizing capacity comprised of the total of all titratable bases [10]. The measurement of alkalinity of water is necessary to determine the amount of lime and soda needed for water softening (e.g., for corrosion control in conditioning the boiler feed water) [14]. Alkalinity of water is mainly caused by the presence of hydroxide ions (OH^-), bicarbonate ions (HCO_3^-), and carbonate ions (CO_3^{2-}), or a mixture of two of these ions in water. As stated in the following equation, the possibility of OH^- and HCO_3^- ions together are not possible because they react together to produce CO_3^{2-} ions:



Alkalinity is determined by titration with a standard acid solution (H_2SO_4 of 0.02 N) using selective indicators (methyl orange or phenolphthalein). The high levels of either acidity or alkalinity in water may be an indication of industrial or chemical pollution. Alkalinity or acidity can also occur from natural sources such as volcanoes. The acidity and alkalinity in natural waters provide a buffering action that protects fish and other aquatic organisms from sudden changes in pH. For instance, if an acidic chemical has somehow contaminated a lake that had natural alkalinity, a neutralization reaction occurs between the acid and alkaline substances; the pH of the lake water remains unchanged. For the protection of aquatic life, the buffering capacity should be at least 20 mg/L as calcium carbonate.

Chloride: Chloride occurs naturally in groundwater, streams, and lakes, but the presence of relatively high chloride concentration in freshwater (about 250 mg/L or more) may indicate wastewater pollution [5]. Chlorides may enter surface water from several sources including chloride-containing rock, agricultural runoff, and wastewater. Chloride ions Cl^- in drinking water do not cause any harmful effects on public health, but high concentrations can cause an unpleasant salty taste for most people. Chlorides are not usually harmful to people; however, the sodium part of table salt has been connected to kidney and heart diseases. Small amounts of chlorides are essential for ordinary cell functions in animal and plant life. Sodium chloride may impart a salty taste at 250 mg/L; however, magnesium or calcium chloride are generally not detected by taste until reaching levels of 1000 mg/L [10]. Standards for public drinking water require chloride levels that do not exceed 250 mg/L. There are many methods to measure the chloride concentration in water, but the normal one is the titration method by silver nitrate [10].

Chlorine Residual: Chlorine (Cl_2) does not occur naturally in water but is added to water and wastewater for disinfection [10]. While chlorine itself is a toxic gas, in dilute aqueous solution, it is not harmful to human health. In drinking water, a residual of about 0.2 mg/L is optimal. The residual concentration which is maintained in the water distribution system ensures good sanitary quality of water. Chlorine can react with organics in water forming toxic

compounds called trihalomethanes or THMs, which are carcinogens such as chloroform CHCl_3 [14]. Chlorine residual is normally measured by a color comparator test kit or spectrophotometer [10].

Sulfate: Sulfate ions (SO_4^{2-}) occur in natural water and in wastewater. The high concentration of sulfate in natural water is usually caused by leaching of natural deposits of sodium sulfate (Glauber's salt) or magnesium sulfate (Epson salt) [15]. If high concentrations are consumed in drinking water, there may be objectionable tastes or unwanted laxative effects [15], but there is no significant danger to public health.

Nitrogen: There are four forms of nitrogen in water and wastewater: organic nitrogen, ammonia nitrogen, nitrite nitrogen, and nitrate nitrogen [10]. If water is contaminated with sewage, most of the nitrogen is in the forms of organic and ammonia, which are transformed by microbes to form nitrites and nitrates [14]. Nitrogen in the nitrate form is a basic nutrient to the growth of plants and can be a growth limiting nutrient factor [10]. A high concentration of nitrate in surface water can stimulate the rapid growth of the algae which degrades the water quality [14]. Nitrates can enter the groundwater from chemical fertilizers used in the agricultural areas [14]. Excessive nitrate concentration (more than 10 mg/L) in drinking water causes an immediate and severe health threat to infants. The nitrate ions react with blood hemoglobin, thereby reducing the blood's ability to hold oxygen which leads to a disease called blue baby or methemoglobinemia [10].

Fluoride: A moderate amount of fluoride ions (F^-) in drinking water contributes to good dental health [10, 19]. About 1.0 mg/L is effective in preventing tooth decay, particularly in children [10]. Excessive amounts of fluoride cause discolored teeth, a condition known as dental fluorosis [15]. The maximum allowable levels of fluoride in public water supplies depend on local climate [15]. In the warmer regions of the country, the maximum allowable concentration of fluoride for potable water is 1.4 mg/L; in colder climates, up to 2.4 mg/L is allowed.

Iron and Manganese: Although iron (Fe) and manganese (Mn) do not cause health problems, they impart a noticeable bitter taste to drinking water even at very low concentration [10]. These metals usually occur in groundwater in solution as ferrous (Fe^{2+}) and manganous (Mn^{2+}) ions. When these ions are exposed to air, they form the insoluble ferric (Fe^{3+}) and manganic (Mn^{3+}) forms making the water turbid and unacceptable to most people [10]. These ions can also cause black or brown stains on laundry and plumbing fixtures [5]. They are measured by many instrumental methods such as atomic absorption spectrometry, flame atomic absorption spectrometry, cold vapor atomic absorption spectrometry, electrothermal atomic absorption spectrometry, and inductively coupled plasma (ICP) [10].

Copper and Zinc: Copper (Cu) and zinc (Zn) are nontoxic if found in small concentrations [10]. Actually, they are both essential and beneficial for human health and growth of

plants and animals. They can cause undesirable tastes in drinking water. At high concentrations, zinc imparts a milky appearance to the water [10]. They are measured by the same methods used for iron and manganese measurements [10].

Hardness: Hardness is a term used to express the properties of highly mineralized waters [10]. The dissolved minerals in water cause problems such as scale deposits in hot water pipes and difficulty in producing lather with soap. Calcium (Ca^{2+}) and magnesium (Mg^{2+}) ions cause the greatest portion of hardness in naturally occurring waters [6]. They enter water mainly from contact with soil and rock, particularly limestone deposits [10]. These ions are present as bicarbonates, sulfates, and sometimes as chlorides and nitrates [10,15]. Generally, groundwater is harder than surface water. There are two types of hardness:

- Temporary hardness which is due to carbonates and bicarbonates can be removed by boiling.
- Permanent hardness which is remaining after boiling is caused mainly by sulfates and chlorides.

Water with more than 300 mg/L of hardness is generally considered to be hard, and more than 150 mg/L of hardness is noticed by most people, and water with less than 75 mg/L is considered to be soft. From health viewpoint, hardness up to 500 mg/L is safe, but more than that may cause a laxative effect [10]. Hardness is normally determined by titration with ethylene diamine tetra acidic acid or (EDTA) and Eriochrome Black and Blue indicators. It is usually expressed in terms of mg/L of CaCO_3 [10].

Total hardness mg / L = calcium hardness mg / L as CaCO_3 + magnesium

$$\text{hardness mg / L as MgCO}_3 \quad (2)$$

An accepted water classification according to its hardness is as in Table below

Table - Classification of water according to its hardness.

Water classification	Total hardness concentration as mg/L as CaCO_3
Soft water	<50 mg/L as CaCO_3
Moderately hard	50–150 mg/L as CaCO_3
Hard water	150–300 mg/L as CaCO_3
Very hard	>300 mg/L as CaCO_3

Dissolved Oxygen: Dissolved oxygen (DO) is considered to be one of the most important parameters of water quality in streams, rivers, and lakes. It is a key test of water pollution [10]. The higher the concentration of dissolved oxygen, the better the water quality. Oxygen is slightly soluble in water and very sensitive to temperature. For example, the saturation concentration at 20°C is about 9 mg/L and at 0°C is 14.6 mg/L [14]. The actual amount of dissolved oxygen varies depending on pressure, temperature, and salinity of the water. Dissolved oxygen has no direct effect on public health, but drinking water with very little or no oxygen tastes unpalatable to some people. There are three main methods used for measuring dissolved oxygen concentrations: the colorimetric method—quick and inexpensive, the Winkler titration method—traditional

method, and the electrometric method [10].

Biochemical oxygen demand (BOD): Bacteria and other microorganisms use organic substances for food. As they metabolize organic material, they consume oxygen [10, 14]. The organics are broken down into simpler compounds, such as CO₂ and H₂O, and the microbes use the energy released for growth and reproduction [14]. When this process occurs in water, the oxygen consumed is the DO in the water. If oxygen is not continuously replaced by natural or artificial means in the water, the DO concentration will reduce as the microbes decompose the organic materials. This need for oxygen is called the biochemical oxygen demand (BOD). The more organic material there is in the water, the higher the BOD used by the microbes will be. BOD is used as a measure of the power of sewage; strong sewage has a high BOD and weak sewage has low BOD [14]. The complete decomposition of organic material by microorganisms takes time, usually 20 d or more under ordinary circumstances [14]. The quantity of oxygen used in a specified volume of water to fully decompose or stabilize all biodegradable organic substances is called the ultimate BOD or BOD_L. BOD is a function of time. At time = 0, no oxygen will have been consumed and the BOD = 0. As each day goes by, oxygen is used by the microbes and the BOD increases. Ultimately, the BOD_L is reached and the organic materials are completely decomposed.




Figure 2- BOD curve

A graph of the BOD versus time is illustrated as in Figure 2. This is called the BOD curve, which can be expressed mathematically by the following equation:

$$BOD_t = BOD_L \times (1 - 10^{-kt}) \quad (3)$$

where BOD_t = BOD at any time t, mg/L; BOD_L = ultimate BOD, mg/L; k = a constant representing the rate of the BOD reaction; t = time, d. The value of the constant rate k depends on the temperature, the type of organic materials, and the type of microbes exerting the BOD [14].

Chemical oxygen demand (COD): The chemical oxygen demand (COD) is a parameter that measures all organics: the biodegradable and the non-biodegradable substances [14]. It is a chemical test using strong oxidizing chemicals (potassium dichromate), sulfuric acid, and heat, and the result can be available in just 2 h [10]. COD values are always higher than BOD values for the same sample [14].

Toxic inorganic substances: A wide variety of inorganic toxic substances may be found in water in very small or trace amounts. Even in trace amounts, they can be a danger to public health. Some toxic substances occur from natural sources but many others occur due to industrial activities

and/or improper management of hazardous waste [14]. They can be divided into two groups:

• **Metallic Compounds:** This group includes some heavy metals that are toxic, namely, cadmium (Cd), chromium (Cr), lead (Pb), mercury (Hg), silver (Ag), arsenic (As), barium (Ba), thallium (Tl), and selenium (Se) [22, 28]. They have a wide range of dangerous effects that differ from one metal to another. They may be acute fatal poisons such as (As) and (Cr⁶⁺) or may produce chronic diseases such as (Cd, Hg, Pb, and Tl) [16,17]. The heavy metals concentration can be determined by atomic absorption photometers, spectrophotometer, or inductively coupled plasma (ICP) for very low concentration [10].

• **Nonmetallic Compounds:** This group includes nitrates (NO₃⁻) and cyanides (CN⁻), nitrate has been discussed with the nitrogen in the previous section. Regarding cyanide, as Mackenzie stated [18] it causes oxygen deprivation by binding the hemoglobin sites and prevents the red blood cell from carrying the oxygen [18]. This causes a blue skin color syndrome, which is called cyanosis [19]. It also causes chronic effects on the central nervous system and thyroid [19]. Cyanide is normally measured by colorimetric, titrimetric, or electrometric methods [10].

Toxic Organic Substances: There are more than 100 compounds in water that have been listed in the literature as toxic organic compounds [14,18]. They will not be found naturally in water; they are usually man-made pollutants. These compounds include insecticides, pesticides, solvents, detergents, and disinfectants [14,18]. They are measured by highly sophisticated instrumental methods, namely, gas chromatography (GC), high performance liquid chromatography (HPLC), and mass spectrophotometry [10].

Conclusion: The chemical parameters of water quality are reviewed in terms of definition, sources, impacts, effects, and measuring methods. The classification of water according to its quality is also covered with a specific definition for each type.

References:-

1. Nwajei, GE. Gagophien, PO. Distribution of heavy metals in the sediments of Lagos Lagoon, Pak. International Journal of Science Research in Environmental Sciences, 2000; 43:338-340
2. Jimoh, W.O. & Umar, M.I. Determination of trace metal concentration in drinking water samples from Sani Mainagge Quarter, Gwale local government area, Kano state, Nigeria. International Journal of Science Research in Environmental Sciences, 2015; 3(9):0341-0349
3. Shah C. Which Physical, Chemical and Biological Parameters of Water Determine Its Quality?; 2017
4. Tchobanoglous G, Schroeder E. Water Quality: Characteristics, Modeling, Modification. 1985
5. Chatterjee A. Water Supply Waste Disposal and Environmental Pollution Engineering (Including Odour, Noise and Air Pollution and its Control). 7th ed. Delhi: Khanna Publishers; 2001

6. Spellman FR. The Drinking Water Handbook. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press; 2017
7. Hammer MJ. Water and Wastewater Technology. 7th ed. Upper Saddle River: Pearson education; 2011
8. Tomar M. Quality Assessment of Water and Wastewater. Boca Raton: CRC Press; 1999
9. World Health Organization Guidelines for drinking-water quality. 4th ed. Geneva: WHO; 2011
10. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. Washington, DC: American Public Health Association; 2005
11. DeZuane J. Handbook of Drinking Water Quality. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons; 1997
12. Cole S, Codling I, Parr W, Zabel T, Nature E, Heritage SN. Guidelines for Managing Water Quality Impacts within UK European Marine Sites; 1999
13. Kiprono SW. Fish Parasites and Fisheries Productivity in Relation to Extreme Flooding of Lake Baringo, Kenya [PhD]. Nairobi: Kenyatta University; 2017
14. Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD. Metcalf & Eddy Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4th ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill Limited; 2003
15. Davis ML, David A. Introduction to Environmental Engineering. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies; 2008
16. Campanella B, Onor M, D'Ulivo A, Giannecchini R, D'Orazio M, Petrini R, et al. Human exposure to thallium through tap water: A study from Valdicastello Carducci and Pietrasanta (northern Tuscany, Italy). Science of the Total Environment. 2016;548:33-42
17. Das AK, Dutta M, Cervera ML, de la Guardia M. Determination of thallium in water samples. Microchemical Journal. 2007;86:2-8
18. Davis ML. Water and Wastewater Engineering—Design Principles and Practice. New York: McGraw-Hill; 2010
19. Dojlido J, Best GA. Chemistry of Water and Water Pollution. Chichester: Ellis Horwood Limited; 1993

भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति का प्रभाव

डॉ. हरिचरण मीना *

शोध सारांश - भारतीय समाज में आदि काल से जाति व्यवस्था आधार स्तम्भ के रूप में रही है। परम्परागत रूप से जाति व्यवस्था की अपनी विशेषताएं एवं निर्योग्यताएं रही हैं। जाति प्रथा प्राचीन हिन्दू समाज की एक प्रमुख विशेषता है। किन्तु यह कब और कैसे शुरू हुई इस पर विद्वान एकमत नहीं हैं। जाति प्रथा न केवल हिन्दू समाज में विद्यमान रही है बल्कि अन्य समाजों में भी जाति व्यवस्था विद्यमान रही है। आदिकाल में भारतीय समाज में राजनीति का अधिक बोलबाला नहीं था। परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी तो भारतीय राजनीति की एक अदभुत विशेषता की शुरुआत हुई। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारम्परिक संस्था-**जाति व्यवस्था** का अन्त हो जायेगा किन्तु स्वाधीनता पश्चात् भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है।

राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना के समय विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति व्यवस्था के बारे में अनेक विचार व्यक्त किये गये थे। कतिपय समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि लोकतान्त्रिक एवं प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद भारत में जाति व्यवस्था कमजोर हो जायेगी। अन्य कुछ विद्वानों की धारणा थी कि जाति व्यवस्था परम्परागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। इस सम्बन्ध में रजनी कोठारी का अभिमत है कि-प्रथम कोई भी सामाजिक तन्त्र कभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, अर्थशून्य है। द्वितीय, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट। हमारे राजनीतिज्ञ एक अजीब असमंजस की स्थिति में हैं। जहाँ एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं वही दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं। वर्तमान में तमाम राजनैतिक दलों द्वारा जाति व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां निर्धारित की जाती हैं। चुनावों में प्रत्याशी चयन में भी जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

शब्द कुंजी - जातिव्यवस्था और राजनीतिकरण, परम्परागत शक्ति, आधुनिकीकरण, जातिगत समीकरण, दबाव गुट, राजनीतिकरण, मतदान व्यवहार, जाति एवं प्रशासन, लोकतान्त्रिक, जाति की भूमिका, अजीब असमंजस।

उद्देश्य :

1. भारतीय जाति व्यवस्था और राजनीति के परस्पर सम्बंधों की जानकारी प्राप्त करना।
2. भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करना।

प्रस्तावना - भारतीय समाज में आदि काल से जाति व्यवस्था आधार स्तम्भ के रूप में रही है। परम्परागत रूप से जाति व्यवस्था की अपनी विशेषताएं एवं निर्योग्यताएं रही हैं। जाति प्रथा प्राचीन हिन्दू समाज की एक प्रमुख विशेषता है। किन्तु यह कब और कैसे शुरू हुई इस पर विद्वान एकमत नहीं हैं। जाति प्रथा न केवल हिन्दू समाज में विद्यमान रही है बल्कि अन्य समाजों में भी जाति व्यवस्था विद्यमान रही है। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पायी जाती है, पर एक गम्भीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिन्दू समाज की ही विशेषता है। जैसे इस्लाम और ईसाई समाज भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके। यह व्यवस्था एक अतिप्राचीन

व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई भागों में बाँट देना है। सामान्यतया यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का सम्पादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबन्ध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य सम्हालते थे तथा शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। शुरू-शुरू में जाति प्रथा के बन्धन कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गयी, वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी तथा एक जाति से दूसरी जाति में अन्तःक्रिया असम्भव हो गयी। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी। चूंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित थी, अतः उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्त्व का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था। बेटा बाप से अपना पुष्टतैनी पेशा सीखता था और प्रायः उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा से एक जाति और विरादरी के लोगों में भाई-चारे की भावना को बढ़ाया। एक जाति के लोग एक-दूसरे से भली-भांति परिचित होते थे तथा एक-दूसरे के सुख-दुःख में काम आते थे। भारतीय जाति व्यवस्था पर

राजनीति का प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही देखा जा सकता है। देश में आजादी के पश्चात जाति व्यवस्था पर राजनीति का जबरदस्त प्रभाव देखा गया है। देश के प्रत्येक जातिगत समाज में राजनीति और प्रत्येक राजनैतिक दल में जातिगत समीकरण देखे जा सकते हैं।

प्रो. घुरिये ने भारतीय जाति व्यवस्था की छः विशेषताएँ बतायी हैं, जो इस प्रकार हैं :

1. भारत में जाति व्यवस्था समाज का खण्डनात्मक विभाजन है।
2. भारत में जाति व्यवस्था में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है।
3. जाति व्यवस्था में परस्पर जातियों में भोजन एवं सामाजिक पर अनेक प्रतिबन्ध पाये जाते हैं।
4. जाति व्यवस्था में नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार पाये जाते हैं।
5. जाति व्यवस्था में पेशे के अप्रतिबन्धित चुनाव का अभाव होता है।
6. जाति व्यवस्था में सदस्यता जन्मजात होती है एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी होते हैं।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिये जाने के परिणामस्वरूप यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ है। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था किन्तु यह प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने प्रथम दो कारणों का निराकरण कर दिया और नये संविधान में अपनायी गयी वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का। फलतः जातियों के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो गयी। आरम्भ से तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ-साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहने लगी। **प्रो. रुडोल्फ** के शब्दों में, 'भारत के राजनीतिक लोकतन्त्र के सन्दर्भ में जाति वह धूरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है कि इसके जरिये भारतीय जनता को लोकतान्त्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।'

रजनी कोठारी का दृष्टिकोण - प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' में भारतीय राजनीति में जाति की एवं भारतीय जाति व्यवस्था में राजनीति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है ? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएँ हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति-पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है ? - जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वे न तो राजनीति के प्राकृतिक स्वरूप को ठीक समझ पाये हैं और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में

भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना-बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है।

भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति के प्रभाव के सन्दर्भ में प्रो. रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं 1. लौकिक रूप 2. एकीकरण का रूप तथा 3. चैतन्य रूप।

जाति व्यवस्था का लौकिक रूप - रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। जाति व्यवस्था की कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है जैसे जाति के अन्दर विवाह, छुआछूत और रीति-रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक् इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है कि जातियों में आपसी प्रतिद्वन्द्वता एवं गुटबन्दी रहती है, प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहती है। उदाहरण के लिए, आजकल बिहार में उँची जातियों और पिछड़ा जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का अनवरत संघर्ष चल रहा है और यही कारण है कि जनता शासन के दौरान दोनों ही मुख्यमंत्री पिछड़ी और अनुसूचित जातियों से आये। जाति व्यवस्था के इस लौकिक पक्ष के दो रूप थे - एक शासकीय रूप यानि जाति की ओर गांव की पंचायत और चौधराहट। दूसरा रूप राजनीतिक था यानि जाति की आन्तरिक गुटबन्दी और अन्य जातिया से गठजोड़ और प्रतिद्वन्द्वता। इन संगठनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता था कि स्थानीय नेताओं के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता से किस प्रकार के सम्बन्ध थे। धर्म, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती और बिगडती थी। पहले इन जातियों का सम्बन्ध, जाति या गांव की पंचायत और राजा या जमींदार से रहता था। अब जातीय पंचायतों के स्थान पर विधानसभाएं और संसद हैं तथा राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है।

रजनी कोठारी का यह भी विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेशों में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वैष्णव जैसे सम्प्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति थी।

जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप - जाति का दूसरा रूप एकीकरण का है अर्थात् व्यक्ति को समाज से बांधने का है। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसका अपने समाज में लगाव पैदा हो जाता है, जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है। यही निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठाओं अर्थात् लोकतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो सकती है। इस प्रकार जातियाँ जोड़ने वाली कड़ियाँ बन जाती हैं। लोकतन्त्र के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्वता होती है और विभिन्न जातियों ने आपस में मिल-जुलकर गठजोड़ बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ताकि वे सत्ता का लाभ प्राप्त कर सकें।

जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप - जाति प्रथा का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियाँ अपने को उच्च समझती हैं और इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती हैं। क्षत्रिय वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। कुछ जातियों में इसी प्रकार ब्राह्मण पद का भी

दावा किया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विशेष की स्थिति भी बदलती है। सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में लोच और परिवर्तनशीलता आ जाती है। इसके लिए चार मार्ग अपनाये जाते हैं। प्रथम, संस्कृतिकरण का तरीका है। संस्कृतिकरण में छोटी जातियाँ सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रीति-रिवाजों की नकल करने लगती हैं। इसे ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता है। द्वितीय, लौकिकीकरण या अब्राह्मणीकरण का तरीका है। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता और बुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियों ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देती है और अन्य अब्राह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तृतीय, महापुरुषों से सम्बन्ध जोड़ने का तरीका है। कभी-कभी कतिपय जातियाँ अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना सम्बन्ध पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जैसे गुजरात के पाटीदार, बंगाल के महाप्यि और राजस्थान के जाट आदि। चतुर्थ, आधुनिक राजनीति में भी भागीदारी का तरीका है। कुछ जातियाँ सीधे ही आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगीं और इस प्रकार उन्होंने समाज में भी उच्च स्थिति प्राप्त की। आन्ध्र प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं।

प्रो. रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि 'इससे पुराना समाज नयी राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है। इस प्रक्रिया को उन्होंने तीन चरणों में बाँटा है' -

भारतीय जाति व्यवस्था में आपस में प्रतिस्पर्धा एवं शक्ति प्रदर्शन की भावना भी रहती है। शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा-उंची जातियों तक सीमित रही-भारत का पुराना समाज जब नयी व्यवस्था के सम्पर्क में आने लगा तो सबसे पहले शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज की प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियों तक सीमित रही। जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक बनने का प्रयत्न किया, वे प्रतिष्ठित जातियों के समक्ष आने लगीं। इन जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बनाया जिससे दो उंची जातियों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्विता बढ़ने लगी। मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण राजस्थान में राजपूत, जाट, गुजरात में बनिया-ब्राह्मण-पाटीदार, आन्ध्र प्रदेश में कम्मा रेनी और केरल में इजवा-नायर द्वन्द्व इसके उदाहरण हैं।

भारतीय जाति व्यवस्था के अन्दर की प्रतिस्पर्धी गुटबन्दी-इस चरण में भिन्न-भिन्न जातियों की प्रति स्पर्धा के साथ-साथ जाति के अन्दर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन जाते हैं। प्रतिद्वन्द्वी नेताओं के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से बाहर थी। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए नीची जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ। हिस्सा देकर प्रतिस्पर्धी नेता अपना गुट मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ इस प्रकार मुखियों को इनाम और पद देकर इन जातियों का समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ, वहाँ विभिन्न जातियों और उपजातियों में आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा करके उनका संगठन बनाने की और उन संगठनों के मध्यस्थ या विचयियों द्वारा समझौता करने की कोशिश की गयी। इस चरण में पुराने ब्राह्मण और कायस्थ आदि प्रशासनिक जातियों के नेताओं के बजाय व्यवसायी और कृषक जातियों के नेताओं और कार्यकर्तार्यों की संख्या बढ़ी। ये नेता सौदा पटाने में कुशल थे, ज्यादा व्यावहारिक थे और अपने वर्ग और जाति के लोगों का नेतृत्व

कर सकते थे।

जाति के बन्धन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापकता मिलना-रजनी कोठारी के अनुसार तीसरे चरण में एक ओर राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता हुई और जाति-पाति से लगाव कम हुआ, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, नये शिल्प और शहरीकरण के कारण समाज में परिवर्तन आया। भौतिक उन्नति की नयी धारणाओं का जोर बढ़ा। पुराने पारिवारिक बन्धन टूटने लगे और लोग काम-धन्धे के लिए शहरों में जाकर बसने लगे। जाति की भावना ढीली पड़ने लगी और सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा। राजनीति में भी व्यापकता आयी। नयी शिक्षा और नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नयी प्रवृत्तियाँ फैलने लगीं। राजनीतिक संस्थाओं का ढाँचा व्यापक होने लगा और जाति की भावना को नया रूप मिलने लगा। राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नयी निष्ठाओं को जन्म दिया, जो पुरानी निष्ठाओं को काटती हैं। जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एकमात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। प्रो. रजनी कोठारी का राजनीति में जाति सम्बन्धी निष्कर्ष इस प्रकार है :

(1) आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथक्ता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी।

(2) आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उनकी यह समझ में आ गया कि आज के युग से केवल जाति और सम्प्रदाय से काम नहीं चल सकता।

(3) जहाँ जाति बड़ी होती है, वहाँ भी उसमें एकता नहीं रहती, उसमें उप-जातियों के भेद होते हैं और छोटी जातियाँ तो अपने बल पर चुनाव भी नहीं जीत सकती हैं। यदि कोई प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियाँ उनके खिलाफ हो जाती हैं इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है।

(4) राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नयी निष्ठाओं का उदय होता है।

(5) आजकल राजनीति में जातिवाद और सम्प्रदायवाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा प्रसार, शहरों के विस्तार औद्योगिकीकरण के कारण सम्प्रदाय और जाति के बन्धन ढीले पड़ रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इससे देश में फूट बढ़ेगी जिससे धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र का ढाँचा खतरे में पड़ जायेगा। किन्तु प्रो. कोठारी का मानना है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं, बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया सन्दर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना रूप बदल रहा है।

(6) आधुनिकतावादी नेता जाति-पाँति पर भले ही नाक-भौ सिकोडे, परन्तु इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथ से पहुँच सकी, जो अब तक उससे वंचित थे।

(7) जाति के आधार पर संघ और संगठन बनते हैं जैसे कायस्थ सभा, क्षत्रिय संघ आदि सब मिलाकर जातीय संगठनों ने भारत की राजनीति में वही भाग लिया है जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों व वर्गों के संगठनों ने।

(8) जातियों और सम्प्रदायों के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है और उनकी पृथक्ता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में आदि

काल से जाति व्यवस्था आधार स्तम्भ के रूप में रही हैं। परम्परागत रूप से जाति व्यवस्था की अपनी विशेषताएं एवं नियोग्यताएं रही हैं। जाति प्रथा प्राचीन हिन्दू समाज की एक प्रमुख विशेषता हैं। आदिकाल में भारतीय समाज में राजनीति का अधिक बोलबाला नहीं था। परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी तो भारतीय राजनीति की एक अदभुत विशेषता की शुरुआत हुई। भारतीय जाति व्यवस्था का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर कोई रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल या कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशालाएँ, मन्दिर, गुरुद्वारे आदि बनवाना, निर्धनों को आर्थिक सहायता देना आदि करते हैं तो उससे न तो किसी को हैरानी या परेशानी होगी और न कोई विद्वेष की भावना ही फैलती है। किन्तु जब कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर अन्य जाति को परेशान अथवा त्रस्त करते हैं तो स्थिति भयावह अवश्य बन जाती है। आजकल प्रायः यही हो रहा है। अच्छे प्रतिभाशाली लोग केवल इसी आधार पर उपेक्षित रहते हैं कि वे किसी जाति विशेष के नहीं होते। जातियों के नाम से चलने वाली संस्था में से बहुत ही कम ऐसी होती है जो पक्षपात शून्य होती है, बाकी सभी में यह विषय इस प्रकार घोला जाता है कि अच्छी प्रतिभाओं का विकास रुक जाता है। जातिवाद अथवा भारत में जातियों का होना यदि वास्तव में एक सामाजिक बुराई है तो उसे अभी दूर क्यों नहीं किया गया ? छुआछूत मिटाने के लिए यदि कानून बन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अभी तक कानून क्यों नहीं बना? यह सहज ही शंका का विषय बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ ऊपर से जाति तोड़ो सम्मेलन करते हैं किन्तु अन्तरंग से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद के कारण अनेक ऐसे संघ बन गये हैं जिनमें काफी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। शोषित संघ तो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का एक संघ है ही। इधर एक नाम दलित पैथर भी सुनाई पड़ने लगा है। दलित का अर्थ है रौंदा, कुचला अथवा त्रस्त। जबकि पैथर अंग्रेजी का शब्द है जो चीता अथवा तेदुआ के लिए प्रयुक्त होता है। यह संगठन अनुसूचित जातियों व आदिवासियों का संगठन है जो मूल रूप से जातीय आधार पर संगठित किया गया है। इसी प्रकार जाटों, गूजरो, अहीरो, वैश्यों आदि के भी अनेक संगठन हैं जिनका

मुख्य आधार जाति ही है। ब्राह्मणों के कई वर्ग हैं। कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल, दक्षिणात्य आदि। इनकी भी अनेक सभाएँ व संगठन हैं जो भारतीय व प्रादेशिक आधार पर बनाये गये हैं जैसे अखिल भारतीय कान्य कुब्ज सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा आदि। इन सभाओं का मूल ध्येय जातीय भावनाओं को उकसाना है। जातीय संगठन और जातीय नेता राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों से सांठ-गांठ करके जाति का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। सभी राज्यों में आये दिन जातीय झगड़ों, तनावों और संघों में जाति और राजनीति की अन्तःक्रिया ही दिखायी देती है। भारतीय जाति व्यवस्था पर राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सभी जाति संगठन किसी न किसी राजनीति दल से अवश्य जुड़े हुए हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. जे.एच.हट्टन, 'कास्ट इन इंडिया', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन 1963
2. घनश्याम शाह, 'इंट्रोडक्शन संकलित', घनश्याम शाह (सं.), कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली, 2002.
3. जी.एस. घूर्वे, 'कास्ट, क्लास एंड आक्यूपेशन', पॉपुलर बुक डिपो. बॉम्बे, 1969,
4. डॉ. सुभाष काश्यप, 'दल-बदल और राज्यों की राजनीति' (मराठ, 1970)
5. लायड आई. रुडाल्फ एण्ड एस. हावर रुडाल्फ, 'दि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन' (ओरियण्ट लाग मैग 1969)
6. योगेन्द्र यादव, कायापलट की कहानी : नया प्रयोग, नयी संभावनाएँ नये और संकलित, अभय कुमार दुबे (सं.), लोकतंत्र के सात अध्याय, वाणी प्रकाशन ही एस.डी.एस., नई दिल्ली, 2002,
7. मैक्स वेबर, क्लास स्टेट्स एंड पार्टी, संकलित, दीपांकर गुप्ता (सं.), सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1991,
8. एडमंड आर.लीच, इंट्रोडक्शन : व्हाट शुड बी मीन बाई कास्ट, संकलित, ई. आर.लीच (सं.), ऑस्पेक्टस ऑफ कास्ट इन साउथ इंडिया, साइलोन एंड वेस्ट पाकिस्तान, कैम्ब्रिज, इंग्लैण्ड, 1960

अम्बेडकर एवं सामाजिक न्याय का नया आयाम

डॉ. सोमवती शर्मा*

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के नये आयाम या दृष्टि पर विचार किया गया है। अम्बेडकर पर बौद्ध एवं जैन धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस दिशा में अम्बेडकर पर बुद्ध का जो भी प्रभाव था उससे उसे ताकत मिली और वह अपने उद्देश्य सामाजिक न्याय की दिशा में निरन्तर अग्रसर होता रहा, डॉ. अम्बेडकर ने भारत में प्रचलित अस्पृश्यता की प्रथा का गहन विश्लेषण करके और इससे पीड़ित वर्गों को इससे मुक्ति की राह दिखाकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति का भगीरथ प्रयास किया।

शब्द कुंजी – अन्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, वैचारिकी, अवधारणा, वास्तविकता, अलौकिक, बन्धुत्व, गणतंत्रीय, अभिव्यक्ति, दमनकारी, हथकण्डों, अविभाज्य, व्यवहारिक, मापदण्ड, वितरणात्मक, सुधारात्मक, शब्दावली, अन्धविश्वास, नियतिवादी, प्रजातांत्रिक, क्रियाव्ययन, गौरवान्वित, परम्परावादी, उन्माद, संवैधानिक, परिचायक।

प्रस्तावना – बीसवीं शताब्दी के महान व्यक्तित्व के धनी डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे सामाजिक पुरोध के रूप में सामने आए, जिन्होंने समाजोद्धार आन्दोलन को नवीन दिशा प्रदान की। समाज के अत्यन्त दीन-हीन, बेसहारा, उत्पीड़ित, उपेक्षित वंचित वर्गों के उत्थान एवं उत्कर्ष के मार्ग में उनका चिन्तन व्यवहारिक ज्ञान एवं विश्वास पर आधारित था। वे लोग, जिनके लिए अधिकार, समानता और न्याय की बात करना पाप समझा जाता था और समाज में जो एक तरह से नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे, उनके जीवन स्तर को सुधारने तथा उनकी इस दयनीय दुर्दशा से मुक्ति के लिए अम्बेडकर द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास एवं योगदान सब प्रकार से काबिले तारीफ है।

अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि समानता जो न्याय का आधार है, उसे स्थापित करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के बाद सामाजिक अन्याय और शोषण तथा वर्ग संघर्ष संबंधी सामाजिक दुःख का निवारण साम्यवादियों ने भी बताया है और साम्यवाद इसके लिए बल प्रयोग की भी बात करता है। बुद्ध केवल सत्य एवं न्याय की स्थापना व सुरक्षा के लिए बल प्रयोग को ही उचित ठहराते हैं। वह भी तब, जब इसकी प्राप्ति के सारे शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाए। जबकि अम्बेडकर का कहना है कि दरिद्रता तो है, लेकिन दरिद्रता को दूर करने अथवा समता की स्थापना के नाम पर स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व का बलिदान नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामाजिक न्याय में होता है।

डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने सामान्यजन को केन्द्र में रखा। उनका मानना है कि बुद्ध के उद्देश्यों का प्रमुख लक्ष्य सामान्य जन या सामान्य उपासक का कल्याण करना है। पंचशील या अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या बुद्ध ने सामान्य जन को ही रक्षित करके की है। संघ की स्थापना को उन्होंने एक इकमस के रूप में इस उद्देश्य से की कि इसके माध्यम से यह प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जा सके कि दुःख से मुक्ति के लिए अपने अनुभवों के आधार पर जिन आदर्शों एवं उपायों को जीवन में अपनाने के लिए उन्होंने लोगों से कहा, वे व्यवहारिक है अर्थात् उनके द्वारा बताए गए सिद्धान्तों आदर्शों और विधानों को वास्तविक जीवन

में उतारा जा सकता है। महात्मा बुद्ध को इन्हीं सब कारणों से कल्याण मित्र कहा गया, जिन वर्गों के लिए और व्यापक रूप से मानवता के लिए अम्बेडकर ने जो काम किया, हम उन्हें भी कल्याण मित्र की श्रेणी में रख सकते हैं।

● **अम्बेडकर पर जैन धर्म का प्रभाव** – जैन धर्मावलम्बियों द्वारा भी प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के विकल्प की बात कही गई थी। उसके बाद निरन्तर जो सामाजिक और धार्मिक सुधारक आए, उनके मुँह से भी सामाजिक न्याय समानता और सुधारों की बात आगे बढ़ती रही। मध्यकाल में जो भक्ति आन्दोलन आया, उसने इसमें योग दिया। उसके बाद मध्यकालीन गुरुओं और धार्मिक तथा समाज सुधारकों ने जो प्रयास किये थे और समानता लाने का प्रयास किया था। उसे महात्मा ज्योतिराव फूले (1827-1890) ने आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में नारायण गुरु (1854-1928) ने भी इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए। ई.वी. रामास्वामीनायकर (1879-1973) ने भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज को प्रजातांत्रिक आधारों पर गठित करने का प्रयास किया, परन्तु भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन लाने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि यह पूरा शोध प्रबन्ध उन्हीं के सामाजिक न्याय के संघर्ष, आन्दोलन तथा समाज की पुनःसंरचना से सम्बन्ध रखता है। अतः इस स्थान पर उनकी भूमिका के विस्तार में न जाते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में उनके मुख्य कार्यों को हम निम्न बिन्दुओं में सारांशीकृत कर सकते हैं-

1. दलित व शुद्ध वर्णों की उत्पत्ति उनके दासत्व के कारणों की खोज कर उन वर्णों के लोगों को अपने दासत्व के विरुद्ध संघर्ष के लिए जागृत करना।
2. सार्वजनिक जलाशयों से जलग्रहण करने एवं मंदिरों में प्रवेश पाने संबंधी नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु दलितों को संगठित कर आन्दोलन के लिए प्रेरित करना एवं आन्दोलन में उनका नेतृत्व करना।
3. साइमन कमीशन के सम्मुख उपस्थित होने, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने तथा संविधान सभा को ज्ञापन सौंपने आदि के माध्यम से दलितों के हितों को समाज के सम्मुख प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करना।

4. ब्रिटिश शासन के अधीन वाइसरायकौन्सिल के लेबरमेम्बर के रूप में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक वैधानिक उपबन्ध करना।
5. संविधान सभा के सदस्य तथा संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में दलितों, महिलाओं व अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में आवश्यक वैधानिक उपबन्ध किए जाने में सार्थक भूमिका अदा करना।
6. सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कानून मंत्री के रूप में हिन्दू कोड बिल का निर्माण करना एवं संसद में उसे पारित कराने के लिए यथासम्भव प्रयत्न करना।
7. ऑलइण्डियाशिडचूलकार्ट फेडरेशन समता सैनिक दल एवं रिपब्लिकन पार्टी की आधारभूमि तैयार करने आदि के माध्यम से दलितों को संगठित रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एकजुट करना।
8. पिपुल्सएजुकेशन सोसाइटी के गठन के माध्यम से स्कूल व कॉलेज खोलना।
9. आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मान्तरण आन्दोलन की शुरुआत कर दलितों की आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
इन सभी रूझानों में अम्बेडकर के विचारों में जो स्वतंत्रता, समानता व मानवता का जो पक्ष है, वह उजागर होता है और वह पक्ष हमें सामाजिक न्याय की ओर ही ले जाता है।

अम्बेडकर का न्यायपूर्ण समाज वस्तुतः स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित सामाजिक प्रजातंत्र है। समाज में स्वतंत्रता एवं समानता को तो किसी हद तक संविधान में स्थापित किया जा सकता है, किन्तु भाईचारे का विकास कानून के आधार पर नहीं किया जा सकता। पुनः कानून के माध्यम से स्थापित की गई स्वतंत्रता एवं समानता स्थाई भी नहीं होती, अम्बेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना समाज में वैचारिकी के माध्यम से ही हो सकती है, जो युक्तिसंगतता, तार्किकता एवं नैतिकता पर आधारित हों इसके लिए बौद्ध वैचारिकी से उत्तम अन्य कोई वैचारिकी नहीं है और यह पाश्चात्य भी नहीं, अपितु भारतीय है। इसका प्रादुर्भाव भारत में 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के धम्म के रूप में हुआ था। अतः उसकी तार्किक एवं युक्तिसंगत मान्यताओं को स्वीकार करते हुए हमें न्याय पर आधारित समाज की रचना करनी चाहिए।

अम्बेडकर एवं सामाजिक न्याय की नयी दृष्टि/नया आयाम – भारत में सामाजिक न्याय के विचार को नैतिक एवं धार्मिक भाईचारे से जोड़ा। वास्तविकता यह है कि उन्होंने भ्रातृत्व पर अधिक बल दिया, उनकी न्याय संबंधी नवीन अवधारणा का उदय भारत की उस सामाजिक स्थिति से हुआ, जहाँ वंचित लोग अपनी योग्यता, गुण, शिक्षा, सम्पत्ति, सरकार में उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद सामाजिक अन्याय और भेदभाव के शिकार बने रहे। यह मात्र इस कारण है कि उनका जन्म नीच कही जाने वाली हिन्दू समाज की जातियों के परिवारों में हुआ। गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की समस्या का यही मूल बिन्दु है। अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की धारणा वस्तुतः उसके सामाजिक मानवतावाद की अभिव्यक्ति है, जो अम्बेडकर की मानव समस्याओं के प्रति मूल दृष्टि में अन्तः निहित है। अम्बेडकर की नीतियों एवं क्रियाओं ने भी यह प्रमाणित किया है कि उनका जीवन दर्शन सामाजिक एकता एवं बन्धुत्व पर आधारित है। इस प्रकार से सामाजिक न्याय की धारणा की अनुभूति या

व्यवहारिकता आदमी के मन की शुद्धता और सदाचरण के माध्यम से ही संभव हो सकती है।

सामाजिक मानवतावाद का दर्शन सामाजिक न्याय को एक सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। अर्थात् सामाजिक न्याय अपने में स्वयं एक व्यापक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत न्याय के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। चाहे न्याय हो, आर्थिक एवं नैतिक अथवा राजनैतिक तथा धार्मिक न्याय हो। यदि किसी एक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए तो सम्पूर्ण तंत्र का ज्ञान और उसके उपकरणों के विषय में जानकारी अनिवार्य हो जाती है। अतः बिना पर्याप्त और व्यापक ज्ञान के सामाजिक न्याय को समझना और उसे व्यवहारिक बनाना अति कठिन है। इसलिए सुकरात की तरह अम्बेडकर ने भी ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे व्यवहार में लाने पर बल दिया है और उनका मानना है कि सही, व्यापक और समृद्ध ज्ञान ही न्याय को सम्भव बना सकता है। अतः ज्ञान तथा सामाजिक न्याय का अविभाज्य सम्बन्ध है।

डॉ. अम्बेडकर की नवीन दृष्टि के अनुसार विगत स्थिति को सुधारना, वर्तमान को संभालना और भविष्य को नियोजित करना है। सामाजिक न्याय से हमारी यही अपेक्षाएँ हैं। इस प्रकार अम्बेडकर के विचारों में सामाजिक न्याय का जो नया आयाम या नवीन दृष्टि दिखाई देती है, उसे कुछ आधारभूत बिन्दुओं में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. सामाजिक न्याय अपनी व्यापकता में एक सम्पूर्ण व्यवस्था है। जो किसी निश्चित देश काल की सीमाओं में अवस्थित होती है और उसके स्वरूप में अनेक पक्ष अन्तः निहित हैं।
2. सामाजिक न्याय समाज की भिन्न-भिन्न स्थितियों अपनी उपव्यवस्थाओं के माध्यम से घटित होने वाली प्रक्रिया है और ये उपव्यवस्थाएँ जैसे- आर्थिक न्याय तथा राजनैतिक न्याय, विशिष्ट व्यक्तियों एवं वर्गों को विधिसंगत रूप से लाभ पहुँचाती हैं।
3. सामाजिक न्याय कोई अन्त होने वाली व्यवस्था नहीं है। यह निरन्तर चलने वाली एक धारा है, एक सक्रिय आन्दोलन है, जिसका संचालन और क्रियान्वयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा समय-समय पर होता रहता है ताकि संबंधित लोगों को आवश्यकतानुसार सहायता एवं न्याय मिलता रहे।
4. सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य तो देशकाल की समाज व्यवस्था को समग्र दृष्टि से सर्वहित में न्यायोचित बनाना है, लेकिन उनमें भी कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं, ताकि विशिष्ट स्थिति में निर्धन एवं निर्बल लोगों की समुचित देखभाल हो सके। इसलिए उपव्यवस्थाओं को भिन्न-भिन्न रूप एवं स्थिति में प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है।
5. सामाजिक न्याय की विचारधारा चूँकि एक आन्दोलन है, कुछ को कुछ देने और कुछ से कुछ त्यागने की प्रक्रिया है। इसलिए उसे निहित स्वार्थी तत्व अवरूढ़ करने का प्रयास करते हैं, किन्तु साथ ही ऐसे भी परमार्थी या परोपकारी तत्व होते हैं, तो इस आन्दोलन को ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं। अतः अम्बेडकर ने स्वीकार किया है कि भले ही सामाजिक न्याय की धारा धीमी रहे परन्तु यह निरन्तर बहती रहती है। अतः नवीन दृष्टि को सारांश रूप से यही कह सकते हैं कि भले ही यह एक नया विचार प्रतीत न हो, पर यह सामान्य नागरिकों को नयेपन का अहसास कराने की सामर्थ्य रखती है और विशिष्ट लोगों विशेषकर बुद्धिजीवियों एवं शोधार्थियों को सम्प्रेरित करती है कि ये भारतीय संविधान में निहित विधिक तत्वों, बाबा साहेब अम्बेडकर के चिन्तन के मूल लक्ष्यों

और वर्तमान सामाजिक स्थिति की विसंगतियों का समग्र दृष्टि से राष्ट्र हित में अधन और समीक्षा है। प्रस्तुत शोध का भी यही मुख्य सरोकार है।

निष्कर्ष - डॉ. भीमराव अम्बेडकर (14 अप्रैल 1891-6 दिसम्बर 1956) सामाजिक न्याय के पर्यायवाची के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, मेहनत, लगन और अथाह ज्ञान के समुद्र होने के कारण ही उनको बाबा साहेब की सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया था। जन्म के समय और बालपन में माता-पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछड़ी जाति में जन्म लेने वाला यह बालक अपने देश का नाम दुनिया के नक्शों में चमकते हुए स्वर्णिम लालिमा से अंकित करेगा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में वे कानून मंत्री भी रहे। उनकी अध्यक्षता में भारत के संविधान का कार्य सम्पन्न हुआ था। यह संविधान दुनियाभर के तमाम लिखित संविधानों में सबसे बड़े संविधान के रूप में जाना गया और आज भी वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान और संविधान निर्माण के दौरान उनका जो रुझान रहा और व्यक्ति की गरिमा के निमित्त मूल अधिकारों में जिस समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई, सामाजिक न्याय की दृष्टि से वह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके साये में आज भी दलित अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। संविधान में सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो कुछ उन्होंने दिया है, उसकी वजह से हमारी आने वाली तमाम पीढ़ियाँ गौरव के साथ उनको याद करती रहेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत सरकार से मरणोपरान्त 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि यह सम्मान उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। परन्तु योग्यता कभी भी सम्मान अथवा पुरस्कार की भूखी नहीं होती, बल्कि सम्मान तो

खुद-ब-खुद योग्यताओं के कदम चूमता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अम्बेडकर, बाबा साहेब 'राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस', खण्ड-3, महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन, बम्बई - 1987, पृ. सं. 25
2. गाबा, ओ.पी. 'राजनीतिक सिद्धान्त एवं चिन्तन', मयूर पेपर बेग्स, नोएडा - 2009, पृष्ठ संख्या 310
3. सिंह, रामगोपाल 'डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय एवं परिवर्द्धन', - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ संख्या 41
4. चौहान, संदीप सिंह (उद्धृत) 'भारत में दलित चेतना', आर. बी.एस.ए. जयपुर, प्रथम संस्करण, 2004, पृ. सं. 67
5. सिंह, आर. जी. 'सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और जाति व्यवस्था', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1999, पृ. सं. 34
6. सिंह, आर. जी. 'डॉ. अम्बेडकर (सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन)', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2006, पृ. सं. 68
7. वही, पृष्ठ संख्या 69
8. अम्बेडकर, बी.आर. 'राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज', गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रकाशन, बम्बई, 1987, पृ. सं. 35
9. सिंह, आर. जी. 'सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृ. सं. 95-110
10. जाटव, डी. आर. 'सामाजिक न्याय का सिद्धान्त', समता प्रकाशन, जयपुर, 1998, पृ. सं. 62
11. सिंह, आर. जी. 'सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष', (डॉ. भीमराव के विशेष संदर्भ में), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृ. सं. 99

Impact of Modernization on Indian Families

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Modernization has had a significant impact on Indian families in recent years. The rise of urbanization, globalization, and technological advancements has changed the way Indian families live, work, and interact with one another. This paper examines the impact of modernization on modern Indian families. It looks at changes in family structure, gender roles, intergenerational relationships, parenting practices, marriage and family formation, communication and family dynamics, education and career choices, financial status and economic independence, work-life balance, and leisure and free time. It explores the positive and negative effects of modernization on Indian families and the challenges and opportunities that arise as a result. It argues that modernization has had a profound impact on Indian families and societies, leading to both positive changes, such as increased autonomy, gender equality, and access to education and technology, as well as negative consequences, such as a decrease in extended family support networks and a lack of access to financial services.

Keywords- modernization, Indian families, impact, social change, family dynamics, cultural values, gender roles, intergenerational relationships, urbanization, globalization, technology, traditional family structure, modernization process, social mobility, family planning, marriage and divorce, child-rearing practices, family support systems.

Introduction - The modernization of Indian families has had a deep impact on the culture and lifestyle of the country. In the past, Indian families were largely traditional and hierarchical, with the elderly playing a prominent role in decision-making. But in recent years, the traditional structure of Indian families has been replaced by a more modern and egalitarian approach. This has led to greater autonomy for family members, increased gender equality, and a greater focus on individual freedom and self-expression. The modernization of Indian families has also helped create a more diverse and tolerant society, one that is more open to change and embracing of globalization. Overall, modernization has had a significant impact on Indian families. While there have been positive changes, such as increased access to education and technology, modernization has also had negative consequences, such as a decrease in extended family support networks. Despite these challenges, Indian families have been able to adapt to the changing times and continue to be a source of strength, support, and stability for one another.

Family Structure in Modern India: Traditional Indian family structures were typically large, extended families that lived together and placed a strong emphasis on maintaining close family ties. The head of the family was typically the eldest male, who made decisions for the family and was responsible for its welfare. Modernization has brought about significant changes to family structure in India, with families becoming smaller and more nuclear in nature.

1. The Nuclear Family: The nuclear family, consisting of a married couple and their children, has become

increasingly common in modern India. This shift has been influenced by factors such as urbanization, economic independence, and changing cultural attitudes towards family life. Nuclear families offer greater freedom and independence for individuals, but also place a greater burden on parents to provide for and care for their children.

2. Single-Parent and Joint Families: In addition to the nuclear family, there has been a rise in single-parent and joint families in modern India. Single-parent families are typically headed by a single mother or father and can result from a range of factors such as divorce, death, or separation. Joint families, on the other hand, consist of multiple generations living together under one roof. While joint families offer support and security, they can also lead to challenges such as conflicts over decision-making and property disputes.

3. Impact of Modernization on Family Structure: Modernization has brought about significant changes to family structure in India, with families becoming smaller and more nuclear in nature. This shift has been influenced by factors such as urbanization, economic independence, and changing cultural attitudes towards family life. While the nuclear family offers greater freedom and independence for individuals, it also places a greater burden on parents to provide for and care for their children.

Gender Roles in Modern India: Traditionally, Indian society has had distinct gender roles, with men expected to be the breadwinners and women expected to be homemakers and caretakers of the family. Modernization has brought about significant changes to gender roles in India, with increasing

* Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Bewar (Raj.) INDIA

numbers of women entering the workforce and taking on more active roles in society.

1. Impact of Education and Career Choices: Increased access to education and job opportunities has had a significant impact on gender roles in India. Women are now able to pursue a wider range of careers, including those that were traditionally male-dominated. This shift has been influenced by factors such as globalization, technological advancements, and changing cultural attitudes towards gender roles.

2. Impact on Family Life: Modernization has brought about major changes to family life in India, with women taking on more active roles in the workforce and in the home. This shift has been influenced by factors such as increased access to education and job opportunities, and changing cultural attitudes towards gender roles. Women are now more likely to be breadwinners and to share household responsibilities with their partners.

3. Challenges to Gender Equality: Regardless of these changes, there remain significant challenges to gender equality in India. Women still face discrimination in the workplace and in society, and are often paid less than men for similar work. Violence against women remains a significant issue, and women are still underrepresented in leadership positions in many industries.

Intergenerational Relationships in Modern India: Traditionally, Indian families placed a strong emphasis on intergenerational relationships, with elders playing an important role in the family and passing on their wisdom, values, and traditions to younger generations. Modernization has brought about significant changes to intergenerational relationships in India, with families becoming more dispersed and individualistic.

1. Impact of Urbanization and Nuclear Families: Urbanization and the rise of nuclear families have had a considerable impact on intergenerational relationships in India. Nuclear families offer greater freedom and independence for individuals, but also place a greater burden on parents to provide for and care for their children. This shift has been influenced by factors such as urbanization, economic independence, and changing cultural attitudes towards family life.

2. Loss of Family Traditions and Values: The changes brought about by modernization have also led to the loss of some family traditions and values in India. Younger generations may be less likely to maintain close relationships with their elders, and may have less exposure to family traditions and values. This loss of cultural knowledge and wisdom can have a negative impact on future generations.

3. Opportunities for Intergenerational Connection: In spite of these difficulties, there are also opportunities for intergenerational connection in modern India. Advances in communication technology have made it easier for families to stay connected, regardless of geographical distance. There is also a growing recognition of the importance of

intergenerational relationships, and efforts are being made to support families in maintaining close relationships with their elders.

Parenting Practices in Modern India: Parenting practices in India have been shaped by a combination of cultural, religious, and socioeconomic factors. Modernization has brought about significant changes to parenting practices in India, with families facing new challenges and opportunities in the raising of their children.

1. Impact of Changing Family Structures: The rise of nuclear families and increasing numbers of women entering the workforce has had a significant impact on parenting practices in India. With both parents often working, there may be a greater need for alternative forms of childcare, such as daycare or babysitters. This shift has been influenced by factors such as urbanization, economic independence, and changing cultural attitudes towards family life.

2. Influence of Western Values: Modernization has also brought with it increased exposure to Western values and ideas, which have influenced parenting practices in India. This has led to a growing emphasis on individualism and a decline in traditional extended family structures, which in turn has influenced parenting practices.

3. Challenges to Effective Parenting: Notwithstanding these changes, there remain considerable challenges to effective parenting in modern India. Family life can be stressful, with both parents often working long hours and facing financial pressures. There may also be a lack of support from extended family and community, which can leave parents feeling isolated and overwhelmed.

4. Opportunities for Positive Parenting: In the face of these challenges, there are also opportunities for positive parenting in modern India. Advances in communication technology have made it easier for families to stay connected and access resources and support. There is also a growing recognition of the importance of positive parenting practices, and efforts are being made to support families in providing their children with a supportive and nurturing environment.

Marriage and Family Formation in Modern India: Marriage and family formation have long been central to Indian culture and society, with families playing a key role in maintaining social and cultural traditions. Modernization has brought about significant changes to marriage and family formation in India, as cultural attitudes and societal norms have evolved.

1. Impact of Changing Attitudes towards Marriage: In recent years, there has been a growing trend towards individualism in India, with many people placing a greater emphasis on personal freedom and autonomy. This has led to a decline in traditional arranged marriages and an increase in love marriages, in which individuals choose their own partners. The rise of modern forms of communication and increased exposure to Western ideas and values has also influenced changing attitudes towards marriage in

India.

2. Challenges to Family Formation: Even with these changes, there remain major challenges to family formation in modern India. With both partners often working long hours and facing financial pressures, it can be difficult to find time and resources to start a family. There may also be a lack of support from extended family and community, which can leave couples feeling isolated and overwhelmed.

3. Opportunities for Stronger Families: Regardless of these challenges, there are also opportunities for stronger families in modern India. Advances in communication technology have made it easier for families to stay connected, regardless of geographical distance. There is also a growing recognition of the importance of strong families, and efforts are being made to support couples in starting and building healthy, supportive relationships.

Communication and Family Dynamics in Modern India: Communication and family dynamics play a crucial role in shaping relationships and interactions within families in India. Modernization has brought about significant changes to communication and family dynamics in India, with families facing new challenges and opportunities in their relationships with one another.

1. Impact of Technology on Communication: Advances in communication technology have had a deep impact on family dynamics in India, making it easier for families to stay connected and communicate with one another, regardless of geographical distance. The widespread use of smartphones and other digital devices has enabled families to stay in touch and share updates and information in real-time, leading to more frequent and meaningful interactions.

2. Challenges to Effective Communication: In spite of these advances, there remain noteworthy challenges to effective communication in modern India. The widespread use of technology can lead to distractions and reduced face-to-face interaction, potentially leading to misunderstandings and conflicts within families. There may also be a lack of digital literacy and access to technology, particularly among older generations, which can create barriers to communication and limit the ability of families to stay connected.

3. Opportunities for Improved Family Dynamics: Advances in technology have made it easier for families to stay connected, build stronger relationships, and share experiences and information. There is also a growing recognition of the importance of effective communication in maintaining healthy family relationships, and efforts are being made to support families in improving their communication skills and understanding one another.

Education and Career Choices in Modern India: Education and career choices play a crucial role in shaping the lives of individuals and families in India. Modernization has brought about significant changes to the education and career opportunities available to people in India, as well as attitudes towards education and work.

1. Impact of Education on Career Choices: The rise of modern education systems in India has had a profound impact on career choices, with increasing numbers of people choosing to pursue higher education and professional careers. This has led to a shift away from traditional occupations, such as farming and manual labor, towards more modern and technical fields, such as information technology and engineering.

2. Challenges to Career Advancement: Unemployment remains high, and there is a shortage of high-quality job opportunities in many parts of the country, particularly in rural areas. There may also be a lack of access to education and training, as well as discrimination and bias in the workplace, which can limit the career advancement opportunities of individuals, particularly women and marginalized groups.

3. Opportunities for Improved Career Outcomes: The rise of modern industries and the growth of the economy have created new job opportunities, particularly in urban areas. There is also a growing recognition of the importance of education and skills training in enhancing career prospects, and efforts are being made to improve access to education and training for individuals from all backgrounds.

Financial Status and Economic Independence in Modern India: Financial status and economic independence play a crucial role in shaping the well-being of individuals and families in India. Modernization has brought about significant changes to the financial status and economic independence of people in India, with both challenges and opportunities arising as a result.

1. Impact of Modernization on Financial Status: Modernization has brought about economic growth and prosperity to many parts of India, with increasing numbers of people enjoying higher levels of income and wealth. This has led to improvements in living standards and quality of life, particularly in urban areas, where people have greater access to financial services and investment opportunities.

2. Challenges to Financial Stability: Unemployment remains high, and many people are unable to access high-quality financial services, such as banking and insurance, particularly in rural areas. There may also be a lack of financial literacy and understanding of investment opportunities, which can lead to financial insecurity and a reduced ability to build wealth over time.

3. Opportunities for Improved Financial Status: The growth of the economy and increasing access to financial services and investment opportunities has created new pathways to wealth and prosperity, particularly in urban areas. There is also a growing recognition of the importance of financial literacy and investment, and efforts are being made to improve access to financial services and education for individuals and families.

Work-Life Balance in Modern India: Work-life balance refers to the ability of individuals to manage the demands of their work and personal lives in a way that is sustainable

and fulfilling. In modern India, the rise of new economic opportunities and changing cultural attitudes has had a significant impact on work-life balance, creating both challenges and opportunities for individuals and families.

1. Impact of Modernization on Work-Life Balance: The rise of modern industries and increasing economic opportunities has brought about a shift towards longer working hours and more demanding work schedules, particularly in urban areas. This can make it difficult for individuals to maintain a healthy balance between their work and personal lives, leading to increased stress and burnout.

2. Challenges to Work-Life Balance: Women, in particular, continue to face discrimination and bias in the workplace, making it difficult for them to balance work and family responsibilities. There may also be a lack of support for individuals who are struggling to balance their work and personal lives, such as access to flexible work arrangements and affordable childcare.

3. Opportunities for Improved Work-Life Balance: The rise of new economic opportunities and changing cultural attitudes has created new pathways for individuals to achieve a better balance between work and personal life, particularly through access to flexible work arrangements and supportive employers. There is also a growing recognition of the importance of work-life balance, and efforts are being made to address the challenges facing individuals and families.

Leisure and Free Time in Modern India: Leisure and free time refer to the moments in life where individuals are not working, and can instead engage in activities that bring them joy, relaxation, and personal fulfillment. In modern India, the rise of new technologies and changing cultural attitudes has had a significant impact on leisure and free time, creating both challenges and opportunities for individuals and families.

1. Impact of Modernization on Leisure and Free Time: The rise of modern technologies, such as the internet and mobile devices, has created new avenues for leisure and entertainment, making it easier for individuals to stay connected with friends and family and pursue their interests. This has had a positive impact on leisure and free time, allowing individuals to pursue hobbies, engage in social activities, and enjoy new forms of entertainment and recreation.

2. Challenges to Leisure and Free Time: The pace of modern life can be fast-paced and demanding, making it difficult for individuals to find the time and energy to pursue their interests and engage in leisure activities. There may

also be a lack of affordable and accessible leisure and recreational opportunities, particularly in rural areas.

3. Opportunities for Improved Leisure and Free Time: The rise of new technologies and changing cultural attitudes has created new pathways for individuals to engage in leisure and recreation, particularly through access to new forms of entertainment and communication. There is also a growing recognition of the importance of leisure and free time, and efforts are being made to address the challenges facing individuals and families.

Conclusion: Overall, modernization has had a profound impact on Indian families. The traditional family structure has been replaced by a more nuclear family structure, with both parents working, and children having greater opportunities to pursue higher education. Family dynamics have also been affected by increased access to technology and increased exposure to foreign cultures, although these changes have been tempered by strong traditional values and the importance of family. In addition, modernization has enabled women to take on a greater role in the family, with greater autonomy and the ability to pursue their own dreams. Despite the challenges that come with modernization, Indian families have been able to adjust to the changing times and continue to maintain strong family values. However, modernization has also brought about new opportunities and advancements, such as increased educational opportunities for women and improved living standards for families. As modernization continues to evolve, it will be important to monitor its impact on Indian families and to understand how families can adapt to these changes.

References:-

1. "The Impact of Modernization on Indian Families: The Counselling Challenge" By: Lina Kashyap, International Journal for the Advancement of Counselling volume 26, pages341–350 (2004).
2. "The modernization imperative" By: Charlton, B., & Andras, P. (2003). Exeter, UK: Imprint Academic.
3. "Digital Leisure and Perceived Family Functioning in Youth of Upper Secondary Education" By: Emeterio, M.-A. v.-S., Arazuri, E. S., & Elizondo, A. P.-d.-L. (2017). Media Education Research Journal, 99-107.
4. "Modernization and its Impact on Fertility: The Indian Scene" By: Moni Nag, India International Centre Quarterly, Vol. 8, No. 3/4, India's Population: Problems & Prospects (December 1981).
5. <https://www.sociologyguide.com/marriage-family-kinship/impact-of-modernism-on-family.php>

Changing Roles of Women in Indian Families

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - In recent years, the changing roles of women in Indian families have been a major shift in the traditional family structure. In the past, Indian women were relegated to the role of a passive homemaker, raising children and taking care of the household. However, this is no longer the case. Women are increasingly playing a more active role in the decision-making process, becoming more involved in the family's financial situation, and taking on more responsibilities at home. This research paper examines the changing roles of women in Indian families in recent times. With the increasing influence of modernization and globalization, the traditional gender roles in Indian families have evolved, leading to a more equal distribution of household responsibilities and decision-making power between men and women. Through a literature review, the paper explores the factors driving these changes, including education, employment, and changing attitudes towards gender roles. The paper also examines the challenges that women still face in Indian families, including gender-based violence, unequal pay, and limited representation in leadership positions. The paper concludes by highlighting the importance of continued efforts to empower women and promote gender equality in Indian families and society as a whole.

Keywords- Gender roles, Indian families, Women empowerment, Feminism, Patriarchy, Social norms, Socio-cultural, Family dynamics, Gender equality, Women's rights, Marriage, Gender roles shift, Family structure, Societal expectations, Intergenerational dynamics, Social roles, Women's roles, Domestic roles, Gender roles transformation, Women in the workforce.

Introduction - India is a country with a rich cultural heritage and a long history of patriarchal societal norms. However, in recent times, the roles of women in Indian families have undergone significant changes, driven by modernization, globalization, and changing attitudes towards gender roles. In the past, women in India were largely excluded from the workforce and were expected to stay at home and take care of the household and children. This has been changing in recent years, as more women are opting to pursue higher education and take on professional roles. This shift has allowed Indian women to become more financially independent, and has allowed them to take on more active roles in the family's decision-making process.

Another major change in the role of women in Indian families is the increasing emphasis on their role as caregivers. With the rise of nuclear families, more women are taking on the responsibility of caring for elderly relatives, as well as for their own children. This shift has given women more control over their own lives, and has allowed them to take on more roles within the household.

Women in India are increasingly becoming more involved in the political process and are taking on more active roles in the public sphere. This has given them more influence in the decision-making process, and has allowed them to have a greater voice in the society.

This research paper aims to examine these changes and the factors driving them, as well as the challenges that

women continue to face in Indian families.

Factors Driving Changes in Women's Roles:

Education: Education has played a significant role in empowering women in India and changing their roles in families. Increased access to education has allowed women to pursue careers, acquire new skills, and gain economic independence, which has challenged traditional gender roles. With higher levels of education, women are better equipped to participate in the workforce and earn a living, reducing their dependence on men and contributing to their financial independence.

Education has also helped to change societal attitudes towards gender roles, as it has led to increased awareness about the importance of gender equality and the potential of women to contribute to society. Educated women are more likely to challenge traditional gender norms and push for greater equality in their personal and professional lives. This has created a virtuous cycle, as greater equality leads to increased investment in education for girls, which in turn leads to greater equality.

In conclusion, education has been a key factor in driving changes in women's roles in Indian families. By empowering women with knowledge and skills, education has enabled them to challenge traditional gender roles, achieve financial independence, and contribute to the advancement of their families and communities.

Employment: The rise of the service sector and increasing

opportunities for women in the workforce has contributed to the changing roles of women in Indian families.

In the past, women in India were primarily confined to traditional roles such as homemaking and caring for family members. However, with the rise of the service sector and the increasing availability of jobs in fields such as information technology, finance, and retail, women have been able to enter the workforce in greater numbers. This has provided them with the opportunity to gain economic independence, challenge traditional gender roles, and take on more active and influential roles in their families and communities.

The increasing presence of women in the workforce has also helped to challenge and change societal attitudes towards gender roles. For example, women who have successful careers and earn their own income are no longer seen as secondary to men and are increasingly recognized for their contributions to the household and society as a whole.

Moreover, the rise of the service sector has created jobs that are more flexible and accommodating of the needs of working mothers. This has allowed women to balance work and family responsibilities, and to contribute to the economic growth of their families and communities.

The rise of the service sector and increasing opportunities for women in the workforce have been important drivers of change in the roles of women in Indian families, leading to increased economic independence, improved attitudes towards gender roles, and greater participation in the workforce.

Changing Attitudes: A shift in societal attitudes towards gender roles has played a significant role in the changing roles of women in Indian families. In the past, traditional gender roles in India placed strict limitations on women's roles in the family and society, with women being primarily seen as homemakers and caretakers. However, in recent years, there has been a shift towards more progressive attitudes that recognize the importance of gender equality and the contributions that women can make in both the home and the workplace.

This change in attitudes has been driven by a variety of factors, including increased education, exposure to new ideas and cultures through globalization, and the influence of women's advocacy groups and the media. As attitudes towards gender roles have become more inclusive, women have been given greater opportunities to pursue careers, become financially independent, and take on leadership roles in their communities. This shift has led to a significant change in the roles of women in Indian families, with women increasingly taking on more active and prominent roles in their families and communities.

However, despite these positive changes, there is still much work to be done to achieve true gender equality in India. Traditional attitudes towards gender roles still persist in many parts of the country, and women continue to face significant barriers in accessing education, employment,

and political representation. Nevertheless, the shift in attitudes towards gender roles is a crucial step in the right direction, and one that bodes well for the future of women in India.

Media Influence on Changing Women's Roles: The media, including television, movies, and social media, has played a crucial role in shaping societal attitudes towards gender roles in India. The media has been instrumental in promoting the idea of gender equality and challenging traditional gender stereotypes. By portraying women in non-traditional roles, such as successful businesswomen, politicians, and scientists, the media has helped to change societal attitudes towards women and their potential. Additionally, media campaigns and public service announcements aimed at raising awareness about gender-based violence and promoting women's rights have helped to challenge harmful cultural norms and attitudes. Social media, in particular, has provided a platform for women to share their experiences and advocate for their rights, further influencing societal attitudes towards women and their roles in Indian families. As a result of media influence, Indian women are now more likely to pursue careers and take on non-traditional roles in their families and communities, challenging traditional gender norms and leading to a shift in the roles of women in Indian families.

Government Policies: Government policies aimed at promoting gender equality and empowering women have played a significant role in changing the roles of women in Indian families. These policies can take the form of affirmative action programs, such as reservations for women in political positions, or initiatives aimed at promoting women's participation in the workforce, such as providing tax incentives for companies that employ women.

For example, the Indian government has introduced policies to ensure that women receive equal pay for equal work and have equal opportunities in the workforce. The government has also implemented programs aimed at promoting women's education and providing financial support for women-owned businesses.

In addition, the government has introduced legislation to protect women from gender-based violence and promote gender equality in other areas of society. For example, the Indian government has introduced laws to criminalize domestic violence and sexual harassment, and has set up special courts to prosecute these crimes.

These policies have contributed to the changing roles of women in Indian families by providing women with the tools and resources they need to achieve economic independence and challenge traditional gender roles. However, there is still much work to be done to ensure that these policies are effectively implemented and that women are able to fully participate in the workforce and society.

Women's Advocacy Groups: The growth of women's advocacy groups and movements in India has played a significant role in promoting gender equality and changing the roles of women in Indian families. These groups provide

a platform for women to raise their voices and advocate for their rights, bringing attention to issues such as gender-based violence, unequal pay, and limited representation in leadership positions. These groups also work to challenge traditional societal norms and stereotypes that perpetuate gender inequality. They engage in various activities, such as organizing marches and protests, conducting public awareness campaigns, and providing support and resources to women facing challenges. The growth of these groups has also contributed to a shift in attitudes towards gender roles and has helped to create a more supportive and inclusive society for women in India.

Economic Development: As the Indian economy has grown, so too have the opportunities for women in the workforce, leading to increased financial independence and a shift in traditional gender roles. Economic development has opened up new job opportunities and industries, many of which are more gender-neutral, providing women with the chance to pursue careers in fields that were previously closed to them. This increased financial independence has given women a stronger voice in decision-making within their families, allowing them to challenge traditional gender roles and assume more active roles as breadwinners and providers.

The growth of the Indian economy has also brought about an increase in the standard of living for many families, reducing the financial pressure on women to take on traditional caregiving roles and allowing them to pursue careers outside the home. Improved access to education and healthcare services, along with greater economic opportunities, has empowered women to challenge traditional gender roles and break down barriers to gender equality.

Furthermore, as women's economic status improves, they are able to invest in their own education and that of their children, breaking the cycle of poverty and further empowering future generations of women in India. The role of women as economic drivers and contributors to the growth of the Indian economy cannot be overstated, and their increasing economic independence is having a profound impact on the changing roles of women in Indian families.

Improved Healthcare: Improved healthcare refers to the increased access to healthcare services and better health outcomes for women in India. This has contributed to the changing roles of women in Indian families in several ways:

- 1. Improved Health and Longevity:** With better access to healthcare, women in India are living longer, healthier lives. This has given them more opportunities to pursue careers and take on more active roles in their families and communities.
- 2. Reduced Burden of Childbearing:** Improved access to reproductive healthcare and family planning services has reduced the burden of childbearing for women and allowed them to pursue other goals and aspirations.
- 3. Increased Productivity:** Better health outcomes for

women have led to increased productivity, allowing them to contribute more to the workforce and the economy.

4. Improved Mental Health: Improved access to mental health services has helped women to address and overcome challenges related to mental health, empowering them to take on more active roles in their families and communities.

5. Increased Confidence: Improved health outcomes and reduced burden have given women in India greater confidence in their abilities and greater self-assurance and self-esteem in their lives, allowing them to challenge traditional gender roles and pursue new opportunities.

In short, improved healthcare has been a significant factor in the changing roles of women in Indian families, enabling them to lead healthier, more fulfilling lives and take on more active roles in their families and communities.

Technological Advances: Technological advancements, such as the widespread use of mobile phones and the internet, have provided new opportunities for women in India to access information and connect with others, empowering them to challenge traditional gender roles.

With the rise of mobile phones and the internet, women in India now have access to a wealth of information and resources that was previously unavailable. For example, they can now access online education, financial services, and job opportunities, allowing them to pursue careers and financial independence. In addition, social media and online communication platforms have provided women with new ways to connect with others and form support networks, giving them the confidence and support to challenge traditional gender roles.

The widespread availability of technology has also helped to raise awareness about issues of gender inequality and women's rights. For example, the use of social media has allowed women to share their stories and experiences, drawing attention to the challenges they face and raising awareness about the need for change. This has led to increased pressure on the government and society to address these issues and promote gender equality, contributing to the changing roles of women in Indian families.

Globalization: Globalization has had a significant impact on the changing roles of women in Indian families. As the world becomes more connected and interconnected, ideas and attitudes towards gender roles are spreading and influencing societies across the globe. In India, globalization has brought new ideas and perspectives on gender equality, challenging traditional gender roles and empowering women to pursue careers, education, and financial independence. Additionally, the rise of multinational corporations and the growth of the global economy has created new opportunities for women in the workforce, further contributing to their changing roles in Indian families. The increased exposure to different cultures and lifestyles through global travel, media, and the internet has also played a role in shaping attitudes towards gender roles in

India. Women in India are increasingly exposed to examples of women in other countries who have achieved success and equality in their careers and personal lives, inspiring them to pursue their own ambitions and challenge traditional gender roles.

Overall, globalization has been a powerful force in driving change in the roles of women in Indian families, breaking down traditional gender barriers and empowering women to achieve greater equality and independence.

Challenges Facing Women in Indian Families:

- 1. Gender-Based Violence:** Despite progress in some areas, women in India continue to face high levels of gender-based violence, including domestic abuse and sexual assault.
- 2. Unequal Pay:** Women in India still earn less than men for comparable work, perpetuating economic inequality and limiting their ability to achieve financial independence.
- 3. Limited Representation in Leadership Positions:** Women are underrepresented in leadership positions in both the public and private sectors, hindering their ability to influence policies and decision-making processes that affect their lives.
- 4. Social Stereotypes and Norms:** Traditional social stereotypes and norms, such as the belief that women should be homemakers and caretakers, continue to limit women's opportunities and hinder progress towards gender equality.
- 5. Lack of Access to Resources and Services:** Women in India continue to face barriers in accessing resources and services, such as healthcare, education, and financial services, limiting their ability to achieve their full potential.
- 6. Female Infanticide and Gender-Selective Abortions:** Despite laws prohibiting female infanticide and gender-selective abortions, these practices continue to occur in some parts of India, leading to a skewed gender ratio and perpetuating gender inequality.
- 7. Socio-Economic Disadvantages:** Women from disadvantaged socio-economic backgrounds face additional challenges, including limited access to education and

employment opportunities, and a higher risk of exploitation and violence.

8. Limited Political Participation: Women continue to face barriers in political participation, including limited access to resources, discrimination, and cultural attitudes that view women as inferior to men.

Conclusion: In conclusion, the changing roles of women in Indian families reflect the broader changes taking place in Indian society. The changing roles of women in Indian families have been driven by a variety of factors, including education, employment, changing attitudes towards gender roles, media influence, government policies, women's advocacy groups, economic development, improved healthcare, technological advances, and globalization. Despite these positive changes, women in India still face significant challenges, such as gender-based violence, unequal pay, limited representation in leadership positions, social stereotypes and norms, lack of access to resources and services, female infanticide and gender-selective abortions, and socio-economic disadvantages. To fully realize the potential of women in Indian families and society, continued efforts must be made to empower women and promote gender equality.

References:-

1. "Change Of Role Of Women In India Through Ages" By: Manju Kataria, International Journal of Research, 2016.
2. "Role of Education in the Empowerment of Women in India" By: Rouf Ahmad Bhat, Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, Vol.6, No.10, 2015.
3. "Women Education in India Need of the Ever." By: Bhat T., Human Rights International research journal: Vol. 1 p.3, 2014.
4. "Women's Empowerment through Panchayat Raj Institutions." By: K. Mahalinga, Indian Journal of Research: Vol. 3. Issue 3, 2014.
5. <https://www.usaid.gov/gender-equality-and-womens-empowerment>

Central Secretariat and Tenure System: A Critical Analysis

Dr. Archana Singh*

Abstract - The central secretariat occupies a key position in central administration in India. In this paper a discussion about the structure and function of central secretariat. The main key point of discussion is "tenure system". Detailed analysis of advantage and disadvantage of tenure system and how its influence the role of function of secretariat.

Introduction - The period since independence has witnessed most changes in the administrative system. The attainment of independence brought in its wake momentous problems, simultaneously needing multiple revolutions first, the transition from a colonial system of government to a full fledged parliamentary democracy with a federal structure of government and commitment to a welfare state, second the transformation of a semi-subsistence economy into a modern industrial economy to solve the problems of poverty, unemployment and want third a social revolution changing a caste ridden stratified society into a progressive community oriented to social justice and fourth a technological revolution to shine the light of modern science on the crusted traditional ways of a conservative people.

The public management system in India has to respond to these continuing problems and challenges faced by the polity from time to time and it did so by first establishing a constitutional framed work of a republican democratic government.

A federal structure of parliamentary government with a cabinet form of executive at the national level. In quasi federal system central government was armed with effective power against the constituent state. Thus the central administration of India had to play the vital role in development process. At the head of the union executive stands the president of India, he is in practice is aided and advised by the council of Ministers headed by the Prime Ministers. To assist the prime minister and his cabinet or council of minister there is a secretariat.

The secretariat refers to the conglomeration of various minister/departments of the central government. The secretariat works as a single unit with collective responsibility as a in the case of the council of Ministers. Under existing rules, each secretariat department is required to consult any other department that may be interested or concerned before disposing of a case, secretaries, thus are secretaries to the government as a whole not to any particular minister.

The central secretariat occupies a key position in Indian administration. The functioning of the secretariat in our country has by and large been principle of separation of policy from its implementation the administration in action so that the latter can be handed over to a separate agency, which enjoys certain freedom in the field of execution. Second a transitory cadre of officers drawn from states cadres, operating on the tenure system of staff, controlling a permanent staff is a prerequisite to the vitality of the administrative systems as a whole.

The central secretariat occupies an apere position. The administration reforms commission observed that "the secretariat system of work has lent balance, consistency and continuity to the administration and serves as a nucleus for the total machinery of a ministry. It has facilitated inter ministry it is indispensable for the proper functioning of the government. Therefore, it is not surprising that the prestige of the secretariat has gone up so high because the superior position of the secretariat is recognized by the its personnel who are given higher grades than their counterpart working in the field agencies. They also entitled to special pray on their joining the secretariat.

Structure Of The Secretariat: The central secretariat is a large and complex organization of various ministries and departments. The secretariat has two distinct components, the officers and office. A ministry may have more than on department. Many large ministries like home, agriculture, finance education, defence and external affairs have more than one department in their charge. So far as the department is concerned, it may be defined as an organizational unit for performing specific functions under the administrative control of a secretary to the government. A ministry organization is divided into the following segments with an officer in charge of each of them to expedite matter. Department secretary/additional/ special secretary wing joint/ additional secretary, division-director, deputy secretary, branch under secretary, section/office-officer.

Tenure Systems: At the time of independence in 1947,

*Associate Professor (Political Science) MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

there was central secretariat service to provide a permanent set of officers for the secretariat. The secretariat position were manned by officers drawn from the provincial government and most of them returned back after serving in the secretariat for a fixed period of three to five years. This system is known as 'tenure system' as each officer so deputed has to serve the centre for a fixed number of years three to five years. This system was created by lord Curzon in 1905. After independence, the administrative reforms commission study team on personnel administration in its report in 1967 gave its whole hearted support to the tenure system.

Advantages Of Tenure System: First, The rotation of civil servants between the centre and the state governments exercises a wholesome and steady influence on the working of federal system of governance second, when the central secretariat posts are manned by persons having experience of distinct and state administration, then the national policies will be based on reality and such policies have less difficulty in the implementation in the field.

Third in tenure systems officers are sent back to the status, where they benefit the local administration by their central secretariat experience.

Fourth, the tenure system benefit states. Fifth, official got opportunity of working at different levels of administration. Fifth, the tenure system provided the necessary flexibility to the personnel management of the secretariat/criticism of tenure system:

The critics of this system have advanced several arguments against the tenure system. First, the work of the ministries has become specialized in nature but the tenure system does not ensure.

Second, district experience is not required in many areas of activities that are being performed by the central

government at present.

Third the tenure system has strengthened the office at the cost of the officers. Fourth, the functions of the government have become complex and multi-faceted.

Fifth, among the officers who come on deputation to the government of India, a large number do not want to go back and manage to stay there even after the completion of their tenure. Sixth, the present political system has also diluted the tenure system.

In short, the tenure system has been in operation since long, but now other influences have started working in the administrative filed. Senior positions like deputy secretary and above are filled on the bases of staffing scheme, notified by the secretariat on 17th October, 1957. Despite all its favourable argument the tenure system did not apply to all the departments of the governments of India. For example, foreign, political, Indian audit and accounts, posts and telegraphs, customs and income tax departments exceptions."Tenure systems" is still an important method of staffing in central secretariat.

References:-

1. Arora, Ramesh K & Rajni Goyal, 1995 Indian Public Administration: Institution & issues Washwa Prakash, New Delhi.
2. Avasthi A, 1980 Central Administration Tata Meh Mcgraw Hill, New Delhi.
3. Basu Rumki, Indian Administration structure, performance and reform, Adroit Publication, New Delhi.
4. Chakraborty, Bidyut and Prakash Chand 2016 "Indian Administration Evolution and Practice" Sage publication, New Delhi.
5. Maheshwari SR, 1986 'Indian Administrations Orient Longman, New Delhi'.

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक तनाव के विभिन्न घटकों यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. आर.पी. जैन* भारती**

प्रस्तावना – शिक्षा विकास की सीढ़ी है तथा यह अंधेरा समाप्त करके प्रकाश उत्पन्न करती है। मानव इतिहास के प्रारम्भ से शिक्षा ने अपने क्षेत्र को विकसित करना, विविधता लाना और विस्तृत करना जारी रखा है। डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों में 'शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो विश्व की उज्ज्वलता के प्रति एक व्यक्ति की आँखें खोलती है।' इसलिए जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है और मानव के व्यक्तित्व के संकलन और उचित विकास के लिए एक सभ्य प्रयास है। यह मानव संसाधन विकास जो कि सभ्यता की आगे बढ़ने की यात्रा में लक्ष्य-प्राप्ति का भी आधार है। अरस्तू ने कहा है, 'शिक्षित व्यक्ति, उन अशिक्षित व्यक्तियों, जो कि जीवित होते हुए भी मृत हैं, से श्रेष्ठ हैं'।

शिक्षा उतनी ही पुरानी है की जितनी मानव सभ्यता, साथ ही यह कभी न खत्म होने वाले विकास की प्रक्रिया है और उसकी अवधि जन्म से मृत्यु तक चलती है। मानवीय उधम को पुनः संगठित और पुनः संरचनात्मकता के द्वारा सभ्यता को परिवर्तित और समृद्ध करना इसका उद्देश्य है।

हमारे देश में ही नहीं अपितु संसार के अनेक देशों में माध्यमिक शिक्षा बहुधा शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी रही है। भारत में लगभग 150 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा शास्त्रियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा की अपूर्णता के सम्बन्ध में चिन्ता की जाती रही है। विभिन्न समितियों और आयोगों के गठन और उनकी सस्तुतियों के क्रियान्वयन की घोषणाओं के बाद भी माध्यमिक शिक्षा गतिहीन एवं अनेक समस्याओं से ग्रस्त रही है। वर्तमान में हो रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप वर्तमान समय की माध्यमिक शिक्षा में गतिशीलता और परिवर्तशीलता लाना और भी अधिक प्रांसगिक एवं महत्वपूर्ण हो गया है। जिससे बदली हुई परिस्थितियों के साथ भावी नागरिकों को अधिक से अधिक संवेदनशील, उत्तारदायी एवं चरित्रवान बनने हेतु प्रेरित किया जा सके।

सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा – बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों को ज्ञात करने के लिए बहुत से अध्ययन किये गये हैं। इनमें से एक प्रमुख वातावरणीय कारण योग है, यद्यपि योग बालक के सम्पूर्ण विकास को प्रभावित करता है, तथापि अधिकांश लोगों का मानना है कि योग, बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक तनाव को कम करने तथा भावात्मक परिपक्वता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिकों द्वारा बालक के शैक्षिक विकास में योग की भूमिका का भी समर्थन किया है। परिस्थिति एवं घटनाक्रम के व्यक्तिगत अनुभवों एवं ज्ञान के अधार पर इस अनुसंधानकर्ता को भी विश्वास हो गया है कि बच्चों के शैक्षिक विकास में योग की प्रभावशाली सहभागिता है।

विरक (1971) ने शरीर की लोचशीलता पर योगासनों का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ योगासन रीढ़ की हड्डी को आगे तथा पीछे की ओर झुकाते हैं जिससे शरीर में लचकता बढ़ती है। **प्रताप (1972)** ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि योगाभ्यास, श्वास क्रिया तथा मानसिक स्थिति में अटूट सम्बन्ध पाया जाता है। **कोछर (1976)** ने 14.18 वर्ष के किशोर बालकों की मानसिक थकावट पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन किया। सिंह राजेन्द्र **(1987)** ने अपने शोध में बताया कि व्यक्ति की श्वास-प्रश्वास एकाग्रता और ध्यान एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। डॉ० बेन्सन **(1987)** ने ध्यान के प्रभावों का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि नियमित 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन तरोताजा हल्का-फुल्का बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। वैष्णव, जी० के० **(1988)** ने अपने शोध कार्य के पश्चात बताया कि योग शिक्षक शारीरिक शिक्षा के प्रति उच्च अनुकूल अभिवृत्ति रखते हैं- क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। बेरान **(1992)** के अनुसार 'तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो लोगों में जैसे घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करती है' तनाव आधुनिक दौर के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है अपितु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। श्री वास्तव एस० के० **(2000)** ने अपने शोध निष्कर्षों में बताया कि योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं में अतिरिक्ती, नैतिकवादी, उच्च सामाजिकता, आज्ञाकारी शालीनता एवं ओजस्वी शीलगुण गैर योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं से अधिक होते हैं। दुबे, शैलेन्द्र **(2000)** ने अपने शोध निष्कर्षों में बताया कि योग शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में लगन शीलता, मानवता, नैतिक मूल्य एवं आर्थिक शक्ति, व्यक्तिगत मूल्य योग शिक्षा ग्रहण न करने वालों की अपेक्षा अधिक है। भटनी देवी व मीतू **(2003)** के अनुसार यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से चिन्ता का स्तर कम होता है और समायोजन क्षमता बढ़ती है। योग न केवल मानव मात्र के कल्याण की एक विधा है, अपितु संपूर्ण जीवन शैली को संयमित और संतुलित कर मानव जाति के उत्थान का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। रानी एवं राव **(2005)** के अनुसार योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप हताशा व तनाव में एक विशिष्ट कमी आती है। मुछाल **(2008)** ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की योग अभिवृत्ति के अध्ययन में पाया कि अधिकांश विद्यार्थी जो योग के प्रति उच्च अभिवृत्ति रखते हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उस कार्य के प्रति सकारात्मक रुचि को प्रदर्शित करती है। अन्य उद्देश्य में योग अभिवृत्ति को विकसित होने के कारणों में 62% विद्यार्थियों को दृढ़दर्शन व केवल कार्यक्रम को आधार

* प्रोफेसर, बाबू कामता प्रसाद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थिनी, बाबू कामता प्रसाद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

बताया। 35% विद्यार्थियों ने समाचार पत्र से जानकारी, 30% ने योग शिविर तथा 24% विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के द्वारा योग सीखा। स्वास्थ्य एवं योग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में उपरोक्त चारों कारकों ने अपना मत व्यक्त किया है। मनानी, प्रीति तथा गौतम, कुमार (2011) द्वारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि परीक्षा तनाव विद्यार्थियों को निराशा से भर देता है तथा उनके मस्तिष्क में आत्महत्या जैसे विचारों को भी जन्म दे देता है। यह तनाव उनके परीक्षा परिणामों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सिंह, जोगिंदर (2012) ने अपने लेख 'नो टेंशन' में लिखा कि हम यही सोचकर तनावग्रस्त रहते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। इससे हमारी सफलता संदेहात्मक हो जाती है और तनाव भी बढ़ता है। डब्लू0एच0ओ0 (2016) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या के मामले सामने आये। भारत में यही संख्या लगभग 2500 चिह्नित की गई।

अध्ययन का औचित्य - संदर्भ साहित्य की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि विरक 1971 ने शरीर लोच शीलता प्रताप (1972) योगासन व प्राणायाम मे सम्बन्ध। कोछर (1976) ने मानसिक थकावट परयोग का प्रभाव। सिंह राजेन्द्र (1987) ने श्वास-प्रश्वास एवं ध्यान। बेसन (1987) ने ध्यान के प्रभाव। वैष्णव जी. के. (1988) ने योग अभिवृत्ति। बेरान (1992) ने तनाव। श्री वास्तव एस. के. (2000) योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं के गुण। दुबे शैलेन्द्र (2000) मे योगाभ्यासी के नैतिक मूल्यों। भटनी देवी एवं मीत (2003) योगाभ्यासी के समायोजन। रानी एवं राव (2005) ने तनाव। मुछाल (2008) में योग अभिवृत्ति। मनानी एवं गतिम 2012 ने परीक्षा तनाव। सिंह जोगिन्द्र (2012) में तनाव। डब्लू. एच. ओ. (2016) ने परीक्षा तनाव पर अध्ययन लेकिन माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन नहीं हुआ इसलिए शोधकर्ता ने योग की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करने का विनम्र प्रयास किया है।

अध्ययन का शीर्षक - माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के विभिन्न घटकों यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन

उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव का अध्ययन करना।
5. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सीमांकन - यह अध्ययन केवल बागपत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव चर के अध्ययन तक ही सीमित है।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श - प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत सभी विद्यार्थी है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिदर्श हेतु बागपत जनपद के कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। जिनका चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण-किसी भी शोध अध्ययन में, आँकड़ों को एकत्र करने के लिए उचित उपकरणों का चुनाव करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शोध उपकरण प्रयोग किये गये हैं :-

1. विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव को मापने के लिए आभारानी बिष्ट (1987) द्वारा निर्मित प्रमाणिक शैक्षिक तनाव मापनी का प्रयोग किया गया है।

आभा रानी बिष्ट बैटरी के तनाव पैमाने से शैक्षिक तनाव पैमाना :-

यह पैमाना 1987 में आभा रानी बिष्ट के द्वारा विकसित और मानकीकृत किया गया है। BBSS तरह प्रकार के दबावों को मापने के लिए विकसित किया गया है। 13 पैमानों में से 'शैक्षिक तनाव का पैमाना' चुना गया। इस पैमाने में मानकीकरण के लिए 80 मर्दें सम्मिलित थी। बैटरी के सभी पैमानों को माननीकृत करने के उद्देश्य के लिए छः दृष्टिकोण अपनाये गए, जो निम्न है।

1. कार्यप्रणाली विषयक दृष्टिकोण
2. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण
3. आनुपातिक दृष्टिकोण
4. तार्किक दृष्टिकोण
5. प्रयोग और अनुभव आधारित दृष्टिकोण
6. नारमेटिव दृष्टिकोण।

तनाव पैमाने के यंत्र को विकसित करने के लिए, विचार आरेखन (आइडियोग्राफिक) विधि ली गई है। क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं, कष्ट एवं व्याख्यात्मक रूप से सरल प्रतिक्रियाओं के द्वारा तनाव को मापने का विस्तृत रूप से प्रयोग होने वाला तरीका है। तनाव को विचारात्मक बनाया गया जिसमें निम्नलिखित घटक हैं-

- (1) हताशा,
- (2) झगडा
- (3) दबाव
- (4) उत्कंठा

फलांकन- गणना के लिए, पाँच-बिन्दू का पैमाना चुना गया क्योंकि इसके द्वारा औसत श्रेणी को भी शामिल किया जाता है। दो नमूने लिए गए, जिसमें पहला आवृत्ति के रूप में था जैसे कि हमेशा ;(A) अक्सर (O) कई बार

(S) दुर्लभता (R) और कभी नहीं (N) और दूसरा तरीका परिणाम के रूप में था जैसे कि बहुत अधिक (VM), अधिक (M), ठीक-ठीक (SS) कम (L) और बिल्कुल नहीं (N)।

तालिका - 3.2 शैक्षिक तनाव पैमाने की गणना की मर्दों को दर्शाती तालिका

मर्दों की संख्या	A	O	S	R	NA
	VM	M	SS	L	NA
1,2,3,4,5,8,9,11,13,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,70,72,73,76,77,79,80	4	3	2	1	0
6,7,10,12,14,15,16,19,21,23,29,33,39,42,47,49,51,63,66,67,69,71,74,75,78	0	1	2	3	4

विश्वसनीयता - पैमाने की विश्वसनीयता जानने के लिए तीन विधियों से गणना की गई।

1. निर्भरता अर्थात् अल्प अवधि परीक्षण-पुनः परीक्षण सहसंबंध।
2. स्थिरता अर्थात् एक लंबे अंतराल के बाद पुनः परीक्षण।
3. आंतरिक दृढ़ता अर्थात् अर्द्ध विभक्त सहसंबंध।

शैक्षिक तनाव के लिए निर्भरता, स्थिरता और आंतरिक दृढ़ता गुणांक क्रमशः 0.87, 0.82 एवं 0.88 थे तथा निराशा, झगड़ा, दबाव और उत्कंठा के लिए आंतरिक दृढ़ता गुणांक (कुल और अवयव आँकड़ों के बीच सहसंबंध) क्रमशः 0.37, 0.52, 0.39 और 0.58 थे। सभी सहसंबंध विश्वसनीयता के 0.05 स्तर पर सार्थक थे।

वैधता - सभी पैमाने अंतर्निहित विषय वस्तु की मात्रा की वैधता और वस्तु की वैधता पर जांचे गये। वस्तुओं के चुनाव की विधि ने इस मान्यता को सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त संरचना वैधता (अविवेकशीलता) का अनुमान **टू फोल्ड फैशन** के द्वारा लगाया गया। पहले प्रकार के निरीक्षण में विभिन्न विद्यार्थियों से संबंधित संरचना मापी गई। द्वितीय निरीक्षण किया जो सिद्धांत के द्वारा अनुमानित संरचना पैमाने के द्वारा मापित संरचना से संबंधित नहीं थी। इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन किया गया। दोनों परीक्षण में संरचना की वैधता दृढ़ थी।

प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया - प्रस्तुत परीक्षण को अधिकतम 100 विद्यार्थियों पर एक साथ प्रशासित किया गया। विद्यार्थियों को पृथक करके बैठाया गया ताकि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अथवा आपस में उत्तारों की नकल ना कर सकें। विद्यार्थियों को परीक्षण पत्र वितरित करने के पश्चात उस पर दिये गये निर्देशों को पढ़ कर सुनाया गया तथा परीक्षण पत्र पर दिये गये उदाहरणों को विद्यार्थियों को समझाया गया।

प्रदत्तों का सारणीयन एवं विवेचना-

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य कुल शैक्षिक तनाव के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका- 1

घटक	समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
शैक्षिक तनाव (कुल)	योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	13.09	11.782	6.456*
	गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	2.29	1.032	

***0.01 स्तर पर सार्थक**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य कुल शैक्षिक तनाव के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान क्रमशः 13.09 एवं 2.29, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 11.782 एवं 1.032 तथा परिगणित t परीक्षण का मान 6.456 है, जो मुक्तांश 98 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य कुल शैक्षिक तनाव के माध्य अंकों की कमी में कोई सार्थक अंतर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की तुलना में योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव में ज्यादा कमी पायी गयी है। अतः योग विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव को कम करने में सार्थक भूमिका निभाता है।

तालिका- 2: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

घटक	समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
शैक्षिक हताशा	योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	4.72	2.81	8.886*
	गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	50	0.45	

***0.01 स्तर पर सार्थक**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान क्रमशः 4.72 एवं 0.45, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 2.81 एवं 1.91 तथा परिगणित t परीक्षण का मान 8.886 है, जो मुक्तांश 98 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा के माध्य अंकों की कमी में कोई सार्थक अंतर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की तुलना में योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक हताशा में ज्यादा कमी पायी गयी है।

तालिका- 3: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दृढ़ता के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

घटक	समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
शैक्षिक ढ्ढ	योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	4.23	7.121	3.492*
	गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	0.68	0.981	0.981

***0.01 स्तर पर सार्थक**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक ढ्ढ के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान क्रमशः 4.23 एवं 0.68, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 7.121 एवं 0.981 तथा परिगणित t परीक्षण का मान 3.492 है, जो मुक्तांश 98 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक ढ्ढ के माध्य अंकों की कमी में कोई सार्थक अंतर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की तुलना में योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक ढ्ढ में ज्यादा कमी पायी गयी है।

तालिका- 4: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

घटक	समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
शैक्षिक दबाव	योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	3.12	3.25	4.859*
	गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	0.82	1.21	0.981

***0.01 स्तर पर सार्थक**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 4 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान क्रमशः 3.12 एवं 0.82, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 3.25 एवं 1.21 तथा परिगणित t परीक्षण का मान 4.859 है, जो मुक्तांश 98 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव के माध्य अंकों की कमी में कोई सार्थक अंतर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की तुलना में योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक दबाव में ज्यादा कमी पायी गयी है।

तालिका- 5: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

घटक	समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
शैक्षिक उत्कंठा	योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	2.85	4.82	3.981*
	गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थी	50	0.62	1.13	

***0.01 स्तर पर सार्थक**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा के माध्य अंकों में कमी के मध्यमान क्रमशः 2.85 एवं 0.62, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 4.82 एवं 1.13 तथा परिगणित t परीक्षण का मान 3.981 है, जो मुक्तांश 98 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा के माध्य अंकों की कमी में कोई सार्थक अंतर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की तुलना में योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के घटक शैक्षिक उत्कंठा में ज्यादा कमी पायी गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

- Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
- Batni devi and Meetu (2003) Effectiveness of selected yogic exercise on anxiety and adjustment of eleventh grades. Recent Research in Education and psychology, vol 8 (1) 85-88.
- बेरॉन (1992) सन्दर्भित सामान्य मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह (2010) दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास, पृ0 संख्या 754-756।
- Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
- गुप्ता एवं गुप्ता, (2008), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal of Education, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). <http://cjoe.naspublishers.com/>
- Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and Demographic Factors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328- 3688 pp123-129.
- Kochar, H.C. (1976). Influence of Yogic Practices on mental Fatigue. *Yoga Mimansa*, Vol.28 (2), 3.
- Lazarus, R.S. (1984) Puzzles in the study of daily

- hassles. *Journal of Behavioural Medicine*, Vol. 7, 375-389.
10. मुछाल, एम0 के0 (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, योजना, वोल्यूम 52 न0 21
 11. मुछाल, एम0 के0 (2005) मानसिक अवसाद एवं योग, योजना, वोल्यूम 49 न0 21
 12. मुछाल, एम0 के0 (2006) तनाव मुक्ति में योग, योजना, वोल्यूम, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष, 51 न0 11
 13. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम: रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली, वोल्यूम 52 न0 21
 14. मनानी, प्रीति एवं गौतम, मुकेश कुमार (2011) एग्जामिनेशन एन्जाइटी एज ए डिटरमेन्ट ऑफ डिप्रेशन एण्ड सुसाइडल आइडिएशन एट हायर सेकेण्डरी लेवल फोर्थ एनुअल इशु डी0 ई0 आई0 फोरा पृ0 149-1501
 15. Rani, J.N. and Rao, K.V.P. (2005) Impact of yoga training on body image and depression Andhra University, Vishkhapatnam Psychological Studies, Vol 50(1)98-100.
 16. राय, पी. एन., (2007). अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन, आगरा।
 17. सिंह, ए.के. (2009). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
 18. सिंह, जोगेन्द्र (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 11
 19. शर्मा श्रीराम 'व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ', अखंड ज्योति संस्थान मथुरा संस्करण द्वितीय वर्ष 1998
 20. VIRK, J.S. (1971) EFFECT OF YOGIC ASANAS ON TRUNK FLEXIBILITY. *Unpublished M.A. dissertation*, Physical Education, Panjab University, Chandigarh

आर्थिक विकास एवं पर्यटन - एक समीक्षा

डॉ. प्रवीण पंड्या*

शोध सारांश - पर्यटन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यटन क्षेत्र में महत्व को इसी बात में समझा जा सकता है कि विश्व व के करीब डेढ़ सौ देशों में विदेशी मुद्रा की कमाई करने वाले पाँच प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन भी एक है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में काफी मदद मिलती है। यद्यपि विश्व पर्यटन में वर्तमान में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.64 प्रतिशत है तथा विश्व भर में पर्यटन से होने वाली आय में इस समय भारत की हिस्सेदारी मात्र 5.72 प्रतिशत है तथापि इसे देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास में अपार संभावनाएँ हैं।

प्रस्तावना - पर्यटन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरह पर्यटन भी एक आर्थिक क्रिया है हालांकि पर्यटन स्वयं में एक संगठित उद्योग है परन्तु इसकी सीमाएँ बहुत विशाल हैं, विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई हैं तथा इसके लाभ राष्ट्र की समस्त जनता को उपलब्ध होते हैं। वे सभी व्यक्ति जो पर्यटन स्थलों में निवास करते हैं, पर्यटन क्रिया में सक्रिय होते हैं। समस्त पर्यटक चाहे वे स्वदेशी हों या विदेशी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में तथा लोगों को रोजगार प्रदान करवाने में सहायक होते हैं।

योजना आयोग के एक आकलन के अनुसार प्रत्येक दस लाख रुपये के निवेश पर पर्यटन क्षेत्र में 78 लोगों को रोजगार मिल सकता है। आयोग ने देश में कम दक्षता और अर्द्धदक्षता वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र पर्यटन को माना है। वास्तव में देश के आर्थिक विकास में जिस प्रकार कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास की अहम भूमिका है उसी प्रकार वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के तृतीय स्तंभ कहे जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत 'पर्यटन' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शोध का उद्देश्य :

- वर्तमान परिदृश्य में देश के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन करना।
- देश में रोजगार संवर्द्धन में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन करना।
- देश में राष्ट्रीय आय में पर्यटन का योगदान ज्ञात करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्र सम्पूर्ण रूप से द्वितीयक समंको पर आधारित है जिन्हें विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया गया है तथा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं।

पर्यटन एवं रोजगार - भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी लेकिन बदलते परिदृश्य में पर्यटन क्षेत्र से देश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा एवं विकास के अवसर प्राप्त करवाने हेतु इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 23 मई 1990 को दिया गया। जिसका नाम पर्यटन मंत्रालय रखा गया। इस पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई 2013 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का

योगदान 6.8% था। (3.7% प्रत्यक्ष तथा 3.1% अप्रत्यक्ष) और कुल रोजगार में इसका योगदान 10.2% था (4.4% प्रत्यक्ष तथा 5.8% अप्रत्यक्ष)।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है पर्यटन जहाँ प्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि करता है वहीं इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि भी होती है जो अधिक तेजी से होती है। होटलों में सब्जी, मांस, मछली, अनाज आदि की आपूर्ति करने वाले, बिजली, नल, बढ़ई आदि कई आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने वालों एवं सहायक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं व टैक्सी ड्राइवर्स को इससे अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। वस्तुतः पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से परोक्ष रूप में दूर-दूर तक लोग जुड़े होते हैं और इनकी एक शृंखला बन जाती है। इसके अलावा हस्तशिल्प और स्थानीय हस्तकलाएँ बेचने वाले दुकान और एम्पोरियम के माध्यम से हजारों शिल्पी, कारीगरों और बुनकरों को रोजगार मिलता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक अनुमान के अनुसार इस समय पर्यटन क्षेत्र में देश के करीब सवा पाँच करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है जो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़कर पौने आठ करोड़ हो जाने की संभावना है।

आर्थिक विकास पर्यटन एवं राष्ट्रीय आय - वर्तमान समय में पर्यटन के लिए जाना समाज में Status Symbol बनता जा रहा है। प्राचीन समय में जहाँ यात्रा केवल धार्मिक अथवा व्यापारिक उद्देश्य के लिए होती थी वहीं आज ज्ञान एवं शिक्षा के विस्तार के कारण व्यक्ति पूरे विश्व को जानना चाहता है। आज तकनीकी विस्तार एवं शिक्षा के विकास के कारण पूरे विश्व में कहीं भी जाने हेतु कोई बाधाएँ चाहे वह भाषा की हो या परिवहन की, समाप्त हो चुकी है। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से एक ओर जहाँ प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से राष्ट्रीय आय बढ़ती है वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। अतः आज पर्यटन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इसके माध्यम से जहाँ विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि की जा सकती है वहीं सेवा क्षेत्र के धारणीय विकास को भी निम्न घटकों के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है -

- गरीबी उन्मूलन
- पर्यावरण संरक्षण
- रोजगार सृजन

● महिला जागरूकता एवं सशक्तीकरण
तालिका क्रं. 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका के आँकड़ों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2003 से 2009 तक तो देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं उनसे प्राप्त हो रही विदेशी मुद्रा दोनों में ही वृद्धि दिखाई दे रही है लेकिन वैश्विक मंदी, आतंकी हमलों, एच 1 एन 1, इन्फ्लूएंजा, महामारी आदि के कारण 2009 एवं 2012 के दौरान विदेशी पर्यटकों की आगमन की वृद्धि दर में कमी पाई गई।

देश में पर्यटकों के समग्र विकास में घरेलू पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि इसका प्रभाव भी देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार एवं समाज पर उसी तरह पड़ता है जैसा कि विदेशी पर्यटन का। देश में घरेलू पर्यटन की स्थिति निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट है-

तालिका क्रं. 2

विगत वर्षों में घरेलू पर्यटकों की संख्या

वर्ष	घरेलू पर्यटकों की संख्या (मिलियन में)	गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
2008	563.03	6.9
2009	668.80	18.8
2010	747.70	11.8
2011	846.53	13.2
2012	1045.05	23.45
2013	1145.28	9.6

स्रोत - राज्य केन्द्र शासित, पर्यटन विभाग

स्पष्ट है घरेलू पर्यटकों की स्थिति में भी देश में प्रगति दिखाई दे रही है। देश में बदलती अर्थव्यवस्था, बदलता सामाजिक परिदृश्य तीव्र विकास दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जीवन स्तर में वृद्धि, पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं में वृद्धि आदि कई कारण हैं जो इस प्रगति के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं।

पर्यटन एवं बारहवीं योजना - इस पंचवर्षीय योजना में जिस तरह देश के आर्थिक विकास की दर को 9-9.5% के मध्य रखने का प्रावधान किया गया है। उसी तरह पर्यटन जो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का उभरता हुआ क्षेत्र माना जा रहा है, में भी इस दर को प्राप्त करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विदेशी एवं देशी पर्यटकों की संख्या हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं -

- देश में वर्तमान में विदेशी पर्यटकों की भागीदारी केवल 0.65% है। जिसे इस योजना में 1% करने का प्रावधान है।
- घरेलू पर्यटकों की वृद्धि दर जो वर्तमान में 12.16% है उसे बनाए रखने हेतु आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा जो वर्ष 2013 में 18.45 बिलियन डॉलर थी उसे 2016 तक 30.3 बिलियन डॉलर करने का प्रावधान किया गया है।
इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं -
- संपूर्ण देश में 35 पर्यटन पार्कों की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से कन्वेंशन सेंटर, फूड कोर्ट, होटल, कला व संस्कृति केन्द्र, मनोरंजन स्थलों आदि की व्यवस्था करना।
- भारत में स्वर्णिम त्रिभुज के तहत तीन पर्यटन स्थलों क्रमशः दिल्ली,

आगरा व जयपुर को शामिल किया गया। इसी तर्ज पर चेन्नई, बेंगलूर व त्रिवेन्द्रम को भी पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में विकसित करने का विचार विचारधीन होना।

- ग्रामीण क्षेत्रों की कला एवं शिल्प को पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित करना।
- केन्द्र सरकार देश भर के उन 2000 गाँवों को नया रूप देने वाली है जिन गाँवों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने यात्रा की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी और पर्यटकों का ध्यान इन गाँवों की ओर आकर्षित करना है।
- देश में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट स्थान प्राप्त चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र 20% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। वर्तमान में 1500 से 2000 करोड़ के व्यवसाय वाले इस सेवा क्षेत्र को योजना की समाप्ति तक दस हजार करोड़ वाला बनाना।
- वर्ष 2013 में कुल घरेलू पर्यटकों में से सर्वाधिक 21.3% पर्यटकों ने तमिलनाडु की यात्रा की। द्वितीय स्थान पर 19.8% पर्यटन उत्तर प्रदेश के रहे। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर क्रमशः आंध्रप्रदेश 13.3%, कर्नाटक 8.6%, महाराष्ट्र 7.2% जबकि मध्यप्रदेश 5.5%, राजस्थान 2.6%, गुजरात 2.4%, पश्चिम बंगाल 2.2% तथा अंत में छत्तीसगढ़ 2% के साथ दसवें स्थान पर पाया गया।
- देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी पर्यटकों हेतु 'आगमन वीसा' योजना प्रारंभ करना।
- सरकार ने नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 घोषित की थी जिसमें अन्य बातों के अलावा देश को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना।

उपर्युक्त परिदृश्य देश के तीव्र आर्थिक विकास में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते योगदान को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है जिससे प्राप्त हो रहे एवं भविष्य में होने वाले लाभों के लिए सरकार भी नित नए प्रयास कर रही है लेकिन दूसरी ओर कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो रही हैं जिनका निदान किया जाना अति आवश्यक है।

- देश के पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी दुनिया की नजरों में भारत को एक आकर्षक पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करने में आड़े आती है। बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के पर्यटक सिर्फ इसलिए भारत आना परसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य रहता है।
- पर्यटकों की सुरक्षा भी पर्यटन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर्यटक स्वयं को जिस देश में जितना अधिक सुरक्षित समझेगा वहीं के पर्यटन अथवा देश को इसका लाभ मिल सकेगा।

निष्कर्ष - वर्तमान समय में देश में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप आज आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के दौर में पर्यटन उद्योग एक शक्तिशाली घटक के रूप में विकसित हो रहा है। जिसके कारण देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि हो रही है, विनियोग में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और इन्हीं सब की वृद्धि के कारण देश के आर्थिक विकास की दर में भी तीव्रता दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे जहाँ एक ओर पर्यटन के क्षेत्र में देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधरेगी वहीं दूसरी ओर इससे देश के धारणीय विकास को भी बल मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेगी डॉ. जगमोहन (2007) पर्यटन एवं यात्रा के सिद्धांत, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. शर्मा डॉ. संजय कुमार (2005) पर्यटन में भूगोल, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. नेगी डॉ. जगमोहन (2005) पर्यटन मार्केटिंग एवं विकास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. भारतीय पर्यटन आंकड़े एक झलक (जुलाई 2014) 'मार्केट अनुसंधान प्रभाग' पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक (प्रतियोगिता दर्पण 2014) उपकार प्रकाशन, आगरा।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक-3 (आज का प्रतियोगी 2013) एक्सीलेंट मीडियाटेक प्रा. लि., आगरा।
7. अर्थव्यवस्था अवलोकन, (20 जुलाई 2013) शिवम ऑफसेट प्रिन्टर्स, मेरठ।
8. <http://tourism.gov.in>

तालिका क्रं. 1

विदेशी पर्यटकों का आगमन एवं विदेशी मुद्रा

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में)	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	विदेशी मुद्रा प्राप्ति (मिलियन डॉलर में)	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
2003	2.73	14.3	4463	4.38
2004	3.46	26.8	6170	38.2
2005	3.92	13.3	7493	21.4
2006	4.45	13.5	8634	15.2
2007	5.08	14.3	10729	24.3
2008	5.28	4.0	11832	10.3
2009	5.17	- 2.2	11394	3.7
2010	5.58	8.1	14193	24.6
2011	6.31	9.2	16564	7.1
2012	6.58	4.3	17737	6.6
2013	6.97	5.9	18445	4.0

स्रोत : ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ।

21 वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती- जल प्रबंधन एवं प्रदूषण निवारण

डॉ. पन्नालाल कटारा*

शोध सारांश – आज सम्पूर्ण मानव समाज एक असाधारण युग में जीवन यापन कर रहा है। इस युग की चुनौतियां भी असाधारण हैं। भौतिकवादी संस्कृति की अंधी दौड़ में शामिल मानव समाज ने इन समस्याओं को जन्म भी स्वयं ही दिया है। पश्चिम की भोगवादी सभ्यता की दृष्टि है कि जल, जंगल और जमीन संसाधन मात्र हैं और मानव इसका एकमात्र स्वामी है। जब मनुष्य प्रकृति का स्वामी बन जाता है तो वह उसके साथ क्रूर व्यवहार करने लगता है। जल, जंगल और जमीन एक का दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और यदि इनका अंधाधुंध दोहन किया जाय तो ये भंडार खाली हो जाएंगे। प्रकृति के साथ समाज की अन्तःक्रिया इतनी व्यापक है कि उससे समस्त मानव जाति को प्रभावित करने वाला प्रश्न उत्पन्न हो गया है। विकास की अंधी दौड़ के परिणामस्वरूप अन्तरजीवितता (Sustainability) जो सम्पूर्ण आर्थिक विकास की धूरी है, पीछे छूटता चला जा रहा है। आधुनिक परिस्थितिकीय (Ecological Research) अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि जैवमण्डल पर मनुष्य के अनवरत, एक तरफा और काफी सीमा तक अनियंत्रित प्रभाव से हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता में बदल सकती है, जो मरुभूमियों को मरुघानों में रूपांतरित करने के अलावा मरुघानों के स्थानों पर रेगिस्तानों को स्थापित कर देगी और पृथ्वी पर सारे जीवन के विनाश का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। एक आश्चर्यजनक किन्तु सुखद संकेत यह है कि भौतिक दृष्टि से सम्पन्न समाजों में ही एक नैतिक चेतना का अभ्युदय हुआ कि मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध शोषण और दोहन नहीं बल्कि उसका संरक्षण होना चाहिए। विश्व संगठनों द्वारा '**विश्व संरक्षण नीति**' को आत्मसात करना भी इसका बड़ा प्रमाण है। इस नीति का उद्देश्य दोहन के स्थान पर संरक्षण को प्रतिष्ठित एवं संस्थापित करना है।

प्रस्तावना – सभ्यता के प्रारंभ में सर्वत्र सुगमता से प्राप्त होने के कारण मनुष्य के कार्यकलापों में जल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह एक सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्य है कि संसार की लगभग सभी महान् सभ्यताएँ नदियों अथवा जलपूरित झीलों के आसपास ही विकसित हुईं। पृथ्वी का 78 प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। इस उपलब्ध जल में से भी 97.3 प्रतिशत जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है तथा शेष 2.7 प्रतिशत जल ही पीने योग्य है। इस 2.7 प्रतिशत ताजे जल में से भी 77.2 प्रतिशत ध्रुवीय हिम ग्लेशियर के रूप में, 22.4 प्रतिशत भू-जल के रूप में, 0.35 प्रतिशत झीलों तथा दलदलों में, 0.04 प्रतिशत वातावरण में और मात्र 0.01 प्रतिशत नदियों एवं धाराओं में बहता है। उपलब्ध इन आँकड़ों के आधार पर अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जिन जल भण्डारों के भरोसे हम अपने जीवन के प्रति आश्वस्त हैं, उनकी क्षमता और उनमें उपलब्ध पानी की मात्रा कितनी कम है।

नदियों में उपलब्ध 0.01 प्रतिशत जल का 70 प्रतिशत भाग हम कारनामों से प्रदूषित कर चुके हैं। 'दामोदर नदी के जल में विषैले बेजोपायारित का भी पता चला है। इसके प्रदूषित जल से अब तक आसपास की 25 हजार वर्ग किलोमीटर धरती पूर्णतः बंजर बन चुकी है। इस नदी में प्रदूषण रोकने के लिये 1983 में ऑपरेशन दामोदर तामझाम के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 1986 के आते-आते यह अभियान बंद हो गया।'¹ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। इसमें कहा गया था कि विकासीय योजनाओं में जल का अत्यधिक महत्व है, इसलिये राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए वातावरणीय ठोस आधार पर जल योजना, विकास और संरक्षण का काम समन्वित ढंग से किया जाए।

राष्ट्रीय जल नीति बनने के पश्चात् इन 16 वर्षों में अनेक समस्याएँ और चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। प्रबंधन तथा नियोजन, विकास, संरक्षण,

भागीदारी, क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, बढ़ता जल प्रदूषण आदि अनेक मुद्दे नई सहस्राब्दी में गंभीर चिंतन और मनन की मांग करते दिखलाई पड़ रहे हैं।

'वर्तमान परिस्थितियों में पेयजल की मांग तथा पूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिये राष्ट्रीय जल नीति में इसे प्राथमिकता दी गई है। अभी भी देश में साधारणतः मानव तथा पशुधन के लिये पेयजल की आवश्यकता 25 मिलियन घनमीटर की है, जबकि 2025 में बढ़कर 40 मिलियन तक हो जायेगी।'²

नई सहस्राब्दी की बदली हुई परिस्थितियों में मनुष्य के जीवन यापन का तरीका भी तेजी से बदल रहा है और इसी अनुरूप जल की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मानव के लिये जल का महत्व बढ़ता जा रहा है। मानव ने अपनी दानवी प्रवृत्तियों के कारण प्रकृति से प्रदत्त इस निःशुल्क (मुफ्त) किन्तु बहुमूल्य उपहार की जितनी अवमानना की है, आज उसी का परिणाम है कि जल और जल के प्रबंधन का प्रश्न सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मानव समाज के सामने मुँह बाँँ खड़ा है। इसे विचित्र किन्तु सत्य विडम्बना ही कहना होगा कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मनुष्य प्रत्येक आनेवाले नये दिन से कुछ न कुछ सीखता रहता है किन्तु पानी के उपयोग में अपनी अविवेकी और गड्ढ-मड्ढ नीतियों के बाद भी हम आने वाले प्रत्येक नये दिन से कोई सबक नहीं सीख रहे हैं।

भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 400 मिलियन हैक्टेयर मीटर वर्षा होती है। पृथ्वी पर गिरने वाले इस जल की मात्रा 17,68,000 मिलियन क्यूबिक मीटर का 50 प्रतिशत ही हम उपयोग अच्छे से कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त भू-जल के रूप में 4,22,900 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष उपलब्ध है, जिसमें से हम न केवल 1,00,000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग उचित ढंग से कर पाते हैं।'³

वर्ष 2025 में हमे विभिन्न कार्यों के लिये शुद्ध जल की आवश्यकता निम्नानुसार होगी -

Table - 4 : Annual Requirement of Fresh Water (km³)

Surface Water	2000		2025	
	Surface Water	Ground Water	Surface Water	Ground Water
(I) Irrigation	420	210	510	260
(II) Other Uses	80	40	190	90.00
(a) Domestic and live stock		24.20		40.00
(b) Industries		30.00		120.00
(c) Thermal power		5.80		15.00
(d) Miscellaneous		60.00		105.00

भारतवर्ष में 14 बड़ी 44 मध्यम श्रेणी तथा 55 छोटी तथा 12 अन्य छोटी नदियाँ हैं इस प्रकार कुल 125 स्वतंत्र नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं जिन्हें निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

तालिका 5 (देखेअगले पृष्ठ पर)

नदियों और झीलों के अतिरिक्त भू-जल भी शुद्ध जल का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि गाँवों में आबादी का 85 प्रतिशत तथा शहरों की 50 प्रतिशत आबादी भू-जल पर निर्भर है। ' भारत सरकार के केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार भारतवर्ष में 300 मीटर की गहराई में 3 अरब 70 करोड़ हैक्टेयर मीटर जल का भंडार उपलब्ध है।¹⁶

सामान्यतः यह समझा जाता है कि धरती की सतह के नीचे पानी उसी तरह भंडारित रहता है, जैसा झीलों या नदी नालों में। किन्तु यह सही नहीं है। वास्तव में भू-जल वह है जो धरती की ऊपरी सतह यानी पर्पटी का निर्माण करने वाली चट्टानों या मिट्टी की परतों के बीच संग्रहित होता है।

'पृथ्वी में मिट्टी या चट्टानों की वे संरचनाएँ जिनमें पानी जमा होता है - 'भू-जल स्रोत (एक्वीफायर) कहलाती है। धरती की एक निश्चित गहराई पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ सभी रंधों (छिद्रों) या खाली स्थानों में पानी भरा है। इसे ही भू-जल स्तर कहते हैं। कहीं यह 'भू-जल स्तर' धरती की सतह से ठीक जरा सा नीचे हो सकता है तो कहीं बहुत गहरे-कई मीटर नीचे हो सकता है।¹⁷

भू-जल स्तर की मात्रा चट्टानों की पारगम्यता पर निर्भर करती है। चट्टानों में जल के प्रवेश करने या रिसने की क्षमता को पारगम्यता कहते हैं। जिन चट्टानों में पारगम्यता अधिक होती है उनमें स्वाभाविक है कि जल अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा। इससे भू-जल की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ चट्टानों की प्रकृति अर्द्धपारगम्य होती है और इनमें कुछ मात्रा में ही जल प्रवेश कर पाता है तथा कुछ चट्टानों की प्रकृति अपारगम्य होती है इन शैलों में जल बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रदूषित होते जल तथा उसके शुद्धिकरण की भी है। जल पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है तथा पारिस्थितिकी के निर्माण में जल आधारभूत कारक है। वनस्पति, जीव-जन्तु और मनुष्य स्वयं अपने अनेक पोषक तत्वों की प्राप्ति जल के माध्यम से करता है। मनुष्य के शरीर का लगभग दो तिहाई भाग जल से निर्मित है और यही कारण है कि तापमान के घटते-बढ़ते प्रभावों को हम रक्त में मिश्रित 80 प्रतिशत जल के कारण ही सहन कर पाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार - 'जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाह्य सामग्री मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण

में परिवर्तन लाती है जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर प्रकट होता है तो उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है।¹⁸ जल का प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही स्रोतों से होता है, किन्तु प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला जल प्रदूषण इतना न्यून तथा इतनी धीमी गति से होता है कि उसके कुप्रभाव अधिक नहीं होते हैं। जल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करने में मानव की भूमिका अधिक खतरनाक है। शुद्ध जल का मान 7 से 8.5 पी.एच. माना गया है। लेकिन जब भी पी.एच. मान 6.5 से कम या 9.2 से अधिक हो तो ऐसा जल प्रदूषित जल की श्रेणी में आता है। शुद्ध पेयजल के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक (1971) निम्नानुसार है⁹।

तालिका 6

अपद्रव्य	उच्चतम निर्धारित सीमा मि. ग्रा./लीटर
कैल्शियम	75.00
मैग्नीशियम	30.00
सल्फेट	200.00
क्लोराईड	200.00
जरता	5.00
लोहा	0.1
मेगनीज	0.5
तांबा	0.05

देश की प्रमुख नदियों के अतिरिक्त अब भू-जल भी तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। भू-जल प्रदूषण के कारण मुख्य औद्योगिक निःसृत कचरा, घरेलू जल-मल तथा कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग में लिये जा रहे रासायनिक उर्वरक जिसमें खाद तथा दवाइयों दोनों ही शामिल हैं। 'पिछले तीन दशकों में भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ-साथ कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ी है और आज वह 2300 टन वार्षिक से बढ़कर 66,000 टन वार्षिक हो गई है।'¹⁰ सरकारी आंकड़ों के अनुसार पाँच कीटनाशकों में बी. एच. सी., डी. डी. टी., मैलीथियान, इन्डोसल्फान और पाशिथियान का देश में व्यापक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है।

रासायनिक उर्वरकों का 50 प्रतिशत भाग फसल को पोषण प्रदान करता है तथा 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा अन्य गैसों में परिवर्तित होता है बचा हुआ 25 प्रतिशत भाग भू-जल में घुलमिल जाता है। भू-जल में घुलमिल गये उर्वरकों के इस 25 प्रतिशत भाग के कारण भूमिगत जल का अम्लीकरण होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल में जरता, सीसा, फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीज एवं अल्युमिनियम की अधिकता होती है। यही अधिकता कालांतर में जाकर परिवर्तित होकर रेडियोधर्मिता के तत्वों में बदल जाती है तथा भूमिगत जल में चुपके-चुपके रेडियोधर्मिता के तत्व प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार रेडियोधर्मिता से प्रदूषित जल कैंसर तथा अन्य जानलेवा बीमारियों का सबब बनता जा रहा है।

संसदीय अध्ययन समिति ने 9 वीं योजना के अपने प्रतिवेदन में स्वयं यह स्वीकार किया है कि भारत के 5 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इन गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों को अपने बजट प्रावधानों को दुगुना करना होगा लेकिन तब तक स्थिति और ज्यादा विस्फोटक तथा घातक हो चुकी होगी।

बढ़ती जनसंख्या और तीव्रगति से हो रहे औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर भू-जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है वहीं

दूसरी और भूमिगत जल बड़ी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। भारत में उद्योगों द्वारा 3000 करोड़ लीटर अपशिष्ट जल छोड़ा जा रहा है, जिसमें से हमारे पास 200 करोड़ लीटर जल को शुद्ध कर पाने की क्षमता है। जल-प्रदूषण और बढ़ती आबादी के कारण सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना असंभव सा कार्य दिखने लगा है।

वर्ल्ड वॉच इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष तथा 'विश्व की वर्तमान स्थिति 2001' के सह-लेखक क्रिस्टोफर फ्लेविन ने अपनी रपट में स्पष्ट लिखा है कि 'विश्व के सवा अरब लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है।'¹¹

समय की मांग है कि अब आर्थिक नीतियों का प्रमुख बिन्दु 'जल' होना चाहिए। जितनी तेजी से दोहन तथा जितना ज्यादा जल प्रदूषण किया जा रहा है वह गहरी चिंता का विषय है। भू-जल का पुनरावर्तन औसतन चौदह सौ वर्षों में होता है। अर्थात् खींचा गया भू-जल आने वाली कई पीढ़ियों के लिये जल संकट की इबारत लिख रहा है। भू-जल का दोहन अब शोषण की सीमा को पार कर रहा है। क्या हम सबको इस तथ्य की फिक्र नहीं होना चाहिए?

'सन् 2015 तक जल संकट सभी देशों के लिये एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ जाएगा, दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग जल संकट से जूझ रहे होंगे।'

आज आवश्यकता इस बात की है कि जल का दोहन तथा उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया किया जाए। प्रदूषित होते जल को प्रदूषण से बचाया जाए। औद्योगिक निःसृत कचरे, अपशिष्ट जल तथा मलजल को परिशोधित कर निसरित किया जाय।

प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की हमारी गति और प्रवृत्ति यदि यही रही तो सम्पूर्ण जल जहरीला हो जाएगा तब उसका परिशोधन करना नितांत असंभव होगा। इस कड़ुएँ यथार्थ को हमने यदि आज गंभीरता से नहीं लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ शारीरिक, मानसिक रूप से विकलांग तथा कैंसर जैसे महारोग लेकर पैदा होगी और तब उनमें क्षमा की अपेक्षा करना

पूर्णतः बेईमानी होगी। इस सबका मकसद भय पैदा करना नहीं है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि 'होश में आओ, पानी कम बचा है।' यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के अभाव में हम होश खो बैठेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा दामोदर, सुखलाल, घनश्याम - (सम्पादित), वायु प्रदूषण, साहित्यागार जयपुर-3, 1996 पृष्ठ 180-81।
2. गोयल, मदनमोहन, पर्यावरण शिक्षा, (प्रथम संस्करण) अनुप्रिया पब्लिशिंग हॉऊस, जयपुर, 2000 पृष्ठ-67।
3. Goel, M. M., Sharma, M. C., & Purohit, N. K. Problem of Environment Managment in India] Anupriya Publishing House, Jaipur 1999, Page-460
4. Ibid Page-460
5. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, नई दिल्ली (भारत सरकार) वार्षिक प्रतिवेदन-2000।
6. 'ए वॉटर हॉरवेस्टिंग मैनुअल' सेन्टर फार रिसर्च एण्ड एनवायरमेंट, नई दिल्ली।
7. श्रीवास्तव, वी. के. एवं राव बी. पी. - पर्यावरण पारिस्थितिकी, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2002 पृष्ठ-303।
8. रघुवंशी, अरुण एवं रघुवंशी, चन्द्रलेखा-पर्यावरण तथा प्रदूषण, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1987 पृष्ठ-114।
9. भाटिया, अरविन्द- पर्यावरण के नवीन आयाम, इन्डस वैली पब्लिकेशन, जयपुर (प्रथम संस्करण) 2000, पृष्ठ-452।
10. फ्लेविन क्रिस्टोफर - विश्व की वर्तमान स्थिति - 2001 वर्ल्ड वॉच इन्स्टीट्यूट की रिपोर्ट।
11. ग्लोबल ट्रेन्ड्स - 2015, नेशनल इंटेलिजेंस कॉउन्सिल, न्यूयार्क, दिसम्बर 2000, (अध्ययन रिपोर्ट)

Table – 5 : Division of Rivers based on the extent of Drainage Basin

Category (River)	No. of river Basin	Drainage Basin (km ²)	Catchment area (Milion km ²)	%of Total catchment area	Total Run off 100 millions m ³	% of Total run off	% of population Basin
Major	14	More than 20,000	2.58	83	11,406	85	80
Medium	44	Between 2000 to 20,000	0.24	8	112	7	20
Minor Desert	55	Less than 2000	0.30	9	127	8	-
